सप्तम माला, 17 March 1980

लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

Second-Session

(सातवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

विषय सूची

अंक 6, सोमवार 17 मार्च, 1980/27 फाल्गुन, 1901 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 82 से 86, 88 और 89	1–19
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	19–189
तारांकित प्रश्न संख्या : 87 और 90 से 101	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 649 से 733, 735 से 784 और 786 से 850	
सभा पटल पर रखे गए-पत्र	189–195
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––	196–207
देश के विभिन्न भागों में व्याप्त सूखे की स्थिति––	
श्री के० लकप्पा	196–201
श्री वीरेन्द्र सिंह राव	201–202
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	202–204
श्री मूल चन्द डागा	204–206
श्री अर्जुन सेठी	206–207
बलात्कार कानून में अपेक्षित परिवर्तनों के बारे में याचिका––	207–208
नई दिल्ली में नेत्रहीनों के एक जलूस पर किए गए लाठी चार्ज के बारे में वक्तव्य––	
श्री जैल सिंह	208–215
नियम 377 के अधीन मामले––	215–219
(एक) नई दिल्ली में नेत्रहीनों के जलूस पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया जाना	215–216
प्रोफेसर मधु दण्डवते	216
श्रीमती इन्दिरा गांधी	
(दो) मुरादाबाद जिले के एक गांव में हरिजनों पर अत्याचार	216–217
श्री रामविलास पासवान	217
श्री जैल सिंह	
(तीन) लोक सतर्कता समितियों का पुनर्गठन किया जाना	217
श्री आर० आर० भोले	
(चार) केरल में सीमेंट का अभाव	218
श्री पी० जे० कुरियन	
(पांच) आन्ध्र प्रदेश में गुड़ का भण्डार जमा होना	218–219
श्री पी० राजगोपाल नायडू	

*किसी नाम पर अंकित यह चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

विषय

	पृष्ठ
(छः) उत्तम भारतीय चिड़िया (बस्टाड) का बड़ी संख्या में शिकार श्री मनफूल सिंह चौधरी	219
बजट (महाराष्ट्र) 1980-81—सामान्य चर्चा—	
लेखानुदानों की मांग (महाराष्ट्र) 1980-81 तथा अनुदानों की अनुपूरक मागें (महाराष्ट्र) 1979—80—	219–250
श्री यशवन्त राव चह्वाण	220–224
श्री एस० बी० चह्वाण	224–226
श्री आर० आर० भोले	226–233
श्री जार्ज फर्नान्डीस	233–238
श्री बालकृष्ण रामचन्द्र वासनिक	238–239
श्री ए० टी० पाटिल	239–243
प्रोफेसर रूप चन्द पाल	243–245
श्री जे० सी० बरवें	245–246
श्री रतन सिंह राजदा	246–248
श्री शान्ता राम	248–249
श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी	249–251
श्री राम कृष्ण मोरे	251–252
श्री काजी सलीम	252–254
श्री पी० के० कोडियन	254–256
श्री आर० वेंकटरामन	256–275
महाराष्ट्र विनियोग (लेखानुदान) विधेयक 1980—	275–280
पुरःस्थापित किया गया	275–276
विचार करने के लिए प्रस्ताव	276
श्री आर० वेंकटरामन	276
श्री राम जेठमलानी	276–280
खण्ड 2, 3 और 1	280
पारित करने के लिए प्रस्ताव	280
श्री आर० वेंकटरामन	280
महाराष्ट्र विनियोग विधेयक, 1980 पुरःस्थापित—	280
विचार के लिए प्रस्ताव	280
श्री आर० वेंकटरामन	280–281
खण्ड 2, 3 और 1	281
पारित करने के लिए प्रस्ताव	281
श्री आर० वेंकटारमन	281
बजट (उड़ीसा) 1980-81 सामान्य चर्चा—अनुदानों की मांगें (लेखानुदान)	282
मांग (उड़ीसा) 1980-81 तथा अनुदानों के लिये अनुपूरक	282–318

विषय	पृष्ठ
मांगे (उड़ीसा) 1979-80—	282–284
श्री बीजू पटनायक	284–289
श्री ब्रज मोहन महन्ती	289–293
श्री जगन्नाथ राव	293–295
श्री ए० सी० दास	295–297
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	297–300
श्री के० पी० सिंह देव	300–303
श्री सुधीर गिरि	303–304
श्री नारायण साहू	304–309
श्री रास विहारी बहेरा	309–310
श्री मनमोहन तुड	310–311
श्री आर० वेंकटरामन	312–318
उड़ीसा विनियोग (लेखानुदान) विधेयक 1980—	319–321
पुरःस्थापित किया गया	319
विचार के लिये प्रस्ताव	319
श्री आर० वेंकटरामन	319
खण्ड 2, 3 और 1	319
पारित करने के लिये प्रस्ताव	319
श्री आर० वेंकटरामन	319
उड़ीसा विनियोग विधेयक 1980—पुरःस्थापित—	320
विचार के लिए प्रस्ताव	320
श्री आर० वेंकटरामन	320
खण्ड 2, 3 और 1	320–321
पारित करने के लिए प्रस्ताव	321
श्री आर० वेंकटरामन	321

लोक सभा

सोमवार 17 मार्च 1980/27 फाल्गुन, 1901 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रो० एन० जी० रंगा : श्रीमन् मैं आपको नव वर्ष की बधाई देता हूं । यह दक्षिण के लिए शुभ नव वर्ष है ।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद । कृपया प्रश्न पूछिए ।

प्रो० मधु दण्डवते : हमने उन्हें स्मरण कराया था कि यह नव वर्ष है ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा ? मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं ।

प्रश्न संख्या 82 । श्री विजय कुमार यादव ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

खाद्य उत्पादन का लक्ष्य

82. श्री विजय कुमार यादव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के लिए खाद्य उत्पादन का लक्ष्य 1350 लाख टन निर्धारित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

कृषि मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी हां, 1980-81 के लिए ।

(ख) वर्ष 1980-81 के दौरान 1350 लाख मीटरी टन के लक्षित उत्पादन को प्राप्त करने के उद्देश्य से निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपाय करने का विचार है :—

अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र का विस्तार करना, सिंचाई की अतिरिक्त सुविधाएं मुहैय्या करना, कृषि भूमि के सम्बन्ध में मृदा संरक्षण उपायों को तेज करना, रासायनिक उर्वरकों का अधिक और सक्षम प्रयोग कराना और वनस्पति कीटों तथा रोगों की रोकथाम करने के लिए कृमिनाशी दवाओं का अधिक प्रयोग करना । इसके अलावा उत्पादन

के प्रयासों में किसानों की मदद करने के लिए विस्तार सम्बन्धी प्रयास को मजबूत बनाने तथा अधिक मात्रा में संस्थागत ऋण मुहैय्या करने का भी लक्ष्य है ।

श्री विजय कुमार यादव : मंत्री महोदय ने उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कई कदम उठाने की बात कही है । मैं जानना चाहता हूं कि हाई यील्डिंग वरायटीज़ के क्षेत्र के विस्तार के अन्तर्गत कितने क्षेत्र का विस्तार किया गया है, कौन सी अतिरिक्त सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था की गई है पिछले साल के मुकाबले में इस साल खाद और कीटनाशक दवाओं का क्वान्टम क्या होगा, और जहां तक किसानों को कर्ज़ देने का सम्बन्ध है, पिछले साल और इस साल की तुलनात्मक धनराशि कितनी है और इस सिलसिले में बिहार का कोटा क्या होगा ।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : जहां तक केमिकल फ़र्टलाइज़र्स की बढ़ोत्तरी करने का सवाल है, अगले साल हमको कितनी ज़रूरत पड़ेगी, अभी उसका पूरा अन्दाज़ा नहीं लगाया गया है । इस बारे में स्टेट्स से बातचीत की जा रही है । जहां तक हाई यील्डिंग वरायटीज़ का सवाल है, 1979-80 में पैडी 13.6 मिलियन हैक्टेयर थी, जबकि अगले साल 20 मिलियन हैक्टेयर में पैडी पैदा करने का टारगेट है । अगले साल व्हीट को 17.8 मिलियन हैक्टेयर में काश्त करने का हमारा टारगेट है । अगर आनरेबल मेम्बर चाहें, तो मैं मेज़, जवार और बाजरे के बारे में भी बता दूंगा, लेकिन मेन क्राप्स के बारे में मैंने बता दिया है । उन्होंने बिहार के बारे में पूछा है । इस वक्त मेरे पास स्टेटवाइज़ फ़िगर्स नहीं हैं । अगर वह अलग सवाल पूछेंगे, तो मैं बता दूंगा ।

श्री विजय कुमार यादव : मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया कि अतिरिक्त सिंचाई सुविधाएं क्या होंगी और किसानों को इस साल कितना ज्यादा कर्ज़ा दिया जाएगा ।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : हमारे देश में इरिगेशन करीब ढाई परसेंट हर साल बढ़ाने की योजना है, जो दुनिया भर के देशों में करीब-करीब सब से ज्यादा है । मेजर और मीडियम इरिगेशन इस साल 22.9 मिलियन हैक्टेयर पर है, अगले साल इसको 24 मिलियन हैक्टेयर करने का इरादा है । माइनर इरिगेशन का टारगेट इस साल के लिए 30 मिलियन हैक्टेयर था । अगले साल हम इसको बढ़ा कर 31.6 मिलियन हैक्टेयर करना चाहत हैं ।

श्री भूप चंद डागा : अभी कृषि मंत्री जी ने यह जवाब दिया है कि हमने यह टार्गेट फिक्स किया है । जब तक आप ने स्टेट्स की सरकारों से जांच नहीं की कि वह कितना उत्पादन कर सकेंगे तब तक यह टार्गेट आपने जो बताया क्या उसके आपने इस बात का भी ध्यान रखा कि हिन्दुस्तान में आज 24 करोड़ लोग अकाल के प्रभावित हैं और स्कैर्सिटी कंडीशनस हैं, न डीज़ल का और न एलेक्ट्रिसिटी का इंतजाम है, उस हालत में क्या आप अपना टार्गेट अचीव कर सकेंगे या नहीं ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : यह टार्गेट प्लानिंग कमीशन ने मुकर्रर किए हैं और स्टेट्स के साथ बातचीत करके मुकर्रर किए हैं ।

श्री मूल चंद डागा : तो राजस्थान में कितना प्लानिंग कमीशन ने मुकर्रर किया है ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : स्टेट्स की फिगर्स इस समय में नहीं दे सकूंगा ।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार उर्वरकों के मूल्य घटाने पर विचार कर रही है?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : कतिपय योजनाओं के अधीन उर्वरकों पर पहले ही राज सहायता प्रदान की जा रही है । ऐसा तो पहले ही किया जा रहा है । यह तो पहले ही से है । इस समय कोई नई योजना विचाराधीन नहीं है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : मंत्री महोदय ने 1350 लाख टन का लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयोजन से किये जाने वाले उपायों का विस्तृत ब्यौरा दिया है।

क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि उर्वरकों, कीटनाशी दवाओं तथा अन्य चीजों के लिये सभी राज्यों को कितना ऋण दिया जा रहा है?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : विभिन्न राज्यों तथा विभिन्न मदों के लिये ऋणों के बारे में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं । परन्तु मैं विभिन्न ऋणों के बारे में, जोकि आप अधिक खाद्य उत्पादन के लिये उपलब्ध करा रहे हैं, कुल आंकड़े बता सकता हूं ।

चालू वर्ष के दौरान 1730 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 1980-81 में अल्पावधि ऋण की राशि 1846 करोड़ रुपये होगी।

इसी प्रकार मध्यावधि ऋण राशि को भी आगामी वित्त वर्ष के दौरान 138 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 213 करोड़ रुपये किया जा रहा है।

श्रीमन् लम्बी अवधि की ऋण राशि को भी चालू वर्ष की 436 करोड़ रुपये की राशि से बढ़ाकर 447 करोड़ रुपये किया जा रहा है ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : खाद्यान्नों का अधिक उत्पादन उर्वरकों के अधिक उपभोग पर निर्भर करता है । इसलिए मंत्री महोदय ने घोषणा की है कि वह मूल्यों में कमी करने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि उर्वरकों के मामले में आप कितनी कमी करने का विचार रखते हैं। इसका उपयोग मुख्यतः कृषि में होता है।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : उनके इस मत पर कोई विवाद नहीं है कि उर्वरकों के अधिक उपयोग से उत्पादन भी अधिक होता है। परन्तु मूल्यों में कमी करने का मामला बिल्कुल ही एक अलग बात है। और इस सम्बंध में कोई निर्णय अन्य विभिन्न मंत्रालयों तथा वित्त विभाग के साथ परामर्श के बाद ही किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : आन्तिम प्रश्न: प्रो० दण्डवते।

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमन् क्योंकि मंत्री महोदय चालू वर्ष के लिये 1350 लाख टन का लक्ष्य निर्धारित कर चुके हैं, जिसके लिये उन्होंने वर्ष 1977-78 तथा 1978-79 में क्रमशः 1250 लाख और 1350 लाख टन के लक्ष्य भी ध्यान में रखे होंगे तो क्या मंत्री महोदय सभा को यह आश्वासन दे सकते हैं कि उर्वरकों के उपयोग, पर्कोलशेन टेकों की व्यापक व्यवस्था, छोटे सिंचाई योजनाओं तथा नलकूपों की और अधिक बड़ी व्यवस्था के लिये दिये गये प्रोत्साहनों से मिले अनुभव को देखते हुए, क्या वह कुछ ऐसे कार्यक्रम हाथ में लेंगे कि 1350 लाख टन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : श्रीमन, मैं आपको यह आश्वासन दे सकता हूं कि इन कार्यक्रमों को गंभीरता, ईमानदारी और कुशलता के साथ क्रियान्वित किया जायेगा । परन्तु लक्ष्यों की प्राप्ति मानव पर ही तो निर्भर नहीं करती।

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमन्, उनका यह कहने का क्या अभिप्राय है कि यह मानव पर ही तो निर्भर नहीं करता ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : जी हां, इसमें भगवान की भूमिका अधिक होती है।

प्रो० मधु दण्डवते : फिर तो आप सरकार भगवान को ही सौंप दीजिये।

समस्यामूलक गांवों का हल

*83. **श्री विरधी चन्द जैन** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में, जिसमें देश के मरुस्थल का 40 प्रतिशत भाग है और जिसके सामने पेयजल की गम्भीर समस्या है, गांवों को समस्यामूलक के रूप में निर्धारित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अपनाई गई कसौटी को न माने जाने के कारण बहुत कम गांवों को समस्यामूलक गांव घोषित किया गया है ;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने अनेक बार यह बात सम्बद्ध अधिकारियों के ध्यान में लाई है परन्तु वह इसे मानने को तैयार नहीं हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस बारे में तत्काल कार्यवाही करने और राज्य सरकार एवं जनता की न्यायोचित मांग को स्वीकार करने तथा पेयजल की उनकी गम्भीर समस्या को हल करने में सहायता करने का है।

निर्माण और आवास मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) तथा (ख) 1972 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान में 4277 ग्रामों को "समस्याग्रस्त ग्राम" पाया गया था । तत्पश्चात राजस्थान सरकार ने यह अभ्यावेदन किया कि समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या 4277 से अपेक्षाकृत अधिक है । केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम का उद्देश्य 1972 में पाये गए केवल समस्याग्रस्त ग्रामों को ही शीघ्रातिशीघ्र इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाना है । तथापि, राजस्थान सरकार द्वारा बाद में बताई गई अधिक संख्या विवाद ग्रस्त है । राज्य सरकार के अनुरोध पर राजस्थान सरकार के परामर्श से सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा जो अधिक संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ग) राज्य सरकार, यदि चाहे, तो वह स्वयं राज्य की संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की सहायता से ऐसे ग्रामों में जलपूर्ति योजनाओं का काम अपने हाथ में ले सकती है जो 1972 की सूची में नहीं है लेकिन समस्याग्रस्त ग्राम की कसौटी पर खरे उतरते हैं और इस प्रकार इन ग्रामों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है।

श्री विरधी चन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि पेन्ट्रली स्पांउसर्ड प्रोग्राम आफ एक्सीलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने सन् 1972 में समस्या ग्रस्त गांवों को सम्मिलित करने के लिए कौन से आधार या क्राईटीरिया तय किया और उसके लिए कितनी राशि 1979-80 में निर्धारित की है तथा राजस्थान सरकार को कितनी राशि उपलब्ध हुई है?

मेरा दूसरा प्रश्न है कि रिवाइज्ड मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के अन्तर्गत कितने फंड्स किन-किन प्रान्तों को एलाट किए हैं---मैं विशेष तौर से राजस्थान के बारे में जानना चाहता हूं । साथ ही राजस्थान सरकार ने अभ्यावेदन के द्वारा कितने ग्राम समस्या-मूलक बताए हैं ?

मेरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार के बताए हुए क्राइटीरिया के आधार पर गांवों की सूची भेजी है लेकिन आपके विभाग के अधिकारी सही स्थिति को मानने के लिए तैयार नहीं हैं अतः क्या आप केन्द्र एवं राज्य के अधिकारियों की बैठक बुलाकर सही ग्राम सूची तैयार करने में सहयोग देने के लिए तैयार हैं ?

श्री पी० सी० सेठी : महोदय, मैंने यह गलती की है कि मैं उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों की संख्या नोट नहीं कर सका । मैं उनका उत्तर देने की कोशिश करूंगा । वर्ष 1977-78 में ए० आर० पी० के अंतर्गत आवंटन 40 करोड़ रुपए था जिसमें से राजस्थान को 252.32 लाख रुपये मिले । न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम के अंतर्गत यह 78.00 करोड़ रुपये था जिसमें से राजस्थान को 703.00 लाख रुपये मिले । वर्ष 1978-79 के लिए यह 60.00 करोड़ रुपये था जिसमें से राजस्थान को 352.27 लाख रुपये मिले और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों के अंतर्गत आवंटन 114 करोड़ रुपये था । जिसमें से राजस्थान को 9.2 करोड़ रुपये मिले । वर्ष 1979-80 के लिए कुल आवंटन 60.00 करोड़ रुपये है जिसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत यह लगभग 150.00 करोड़ रुपये था जिसमें से राजस्थान को 10.00 करोड़ मिलेंगे ।

एक प्रश्न माननीय सदस्य ने यह पूछा था कि राजस्थान सरकार ने कितने समस्यामूलक गांवों की सूची भेजी तो 1972 में जो सर्वेक्षण हुआ था उसके मुताबिक 4277 समस्यामूलक गांव थे, वही स्वीकार किए गए और इसी के अनुरूप फंड्स निर्धारित थे लेकिन बाद में राजस्थान सरकार ने दो सूचियां भेजी---एक में मुख्य सचिव से 1977-78 में लिखा कि लगभग बीस हजार गांव समस्यामूलक हैं और फिर कुछ दिन बाद दूसरा पत्र आया जिसमें लिखा कि बीस हजार नहीं, 24 हजार हैं । इसलिए मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में कहा है कि विवादाग्रस्त मसला है । यह बात नहीं है कि आपकी सूची स्वीकार करने का प्रश्न है या नहीं । इसमें कोई शक नहीं है कि जितने भी समस्यामूलक गाँव हैं, वे निपटाने हैं । तो ऐसा समझने का कोई कारण नहीं है कि अफसर आपकी बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे, आज नहीं मानेंगे तो कल मान जायेंगे । सवाल यह है कि वास्तव में जो संख्या आपने भेजी है वह सही है या नहीं है, उसका निर्धारण करना है । कभी कभी जब स्केयरसिटी होती है, तो डिमाण्ड इन्फलेटेड भी हो जाती है ।

श्री विरधी चन्द जैन : इसलिए मैंने सुझाव दिया है कि आप अपने अधिकारियों और राजस्थान के अधिकारियों की बैठक बुलाकर इस मसले को जल्दी से जल्दी हल करा दीजिए और मैं जानना चाहता हूं कि आप कब तक इन समस्यामूलक गांवों की समस्यायें हल कर सकेंगे ?

श्री पी० सी० सेठी : मुझे मीटिंग बुलाने में कोई एतराज नहीं है, आप कहें तो मीटिंग परसों बुलाई जा सकती है । लेकिन सवाल यह है कि मीटिंग बुलाने से काम नहीं

चलेगा, इसमें सैंसस करने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य से हमारे पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं है जो समस्यामूलक गांवों का सैंसस कर सके, वह तो राजस्थान सरकार ही करेगी और अल्टीमेटली जो वे कहेंगे, वही निश्चय होगा इसलिए मीटिंग बुलाने से कोई फायदा नहीं है। हम 4277 कहेंगे और आप 20 हजार या 24 हजार कहेंगे, 28 हजार भी आप कह सकते हैं। हमें समस्यामूलक गांवों को पानी देना है।

श्री ए० टी० पाटिल : क्या केन्द्रीय सरकार राजस्थान राज्य सरकार के सहयोग से राजस्थान में सभी गांवों को पेय जल सुलभ करने हेतु एक चरणवद्ध समयबद्ध कार्यक्रम आरम्भ करेगी और क्या ऐसा चरणबद्ध समयबद्ध कार्यक्रम अन्य राज्यों के सभी गांवों के संबंध में आरम्भ किया जायेगा?

श्री पी० सी० सेठी : प्रश्न यह है कि हम न केवल राजस्थान को परन्तु अन्य राज्यों को भी धन का सम्पूर्ण आवंटन करते हैं। यह सरकार चाहती है कि संपूर्ण देश में आगामी पांच वर्षों में पेय जल की समस्या हल हो जाए। हम ए० आर० पी० अथवा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों के अंतर्गत ऐसा कर सकते हैं। हम इस प्रयोजन के लिए विश्व बैंक सहायता, जो इंटरनेशनल विकास सहायता कहलाती है, भी ले रहे हैं। उदाहरण के तौर पर जयपुर के लिए हम नीदरलैंड से द्विपक्षीय सहायता के रूप में 5 करोड़ रुपये ले रहे हैं। अतएव हम सभी संभव समाधान राष्ट्रीय और आंतरिक, काम में ला रहे हैं।

श्री विरधी चन्द जैन : यह समयबद्ध होना चाहिए।

श्री पी० सी० सेठी : यह समयबद्ध कार्यक्रम होगा यहां तक कि आपका और मेरा जीवन भी समयबद्ध है।

(व्यवधान)

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : अध्यक्ष जी, यह विवादास्पद है, आप 20 हजार और 24 हजार की बात छोड़ दीजिए। असल में सवाल यह है कितने गांवों को पानी मिला है?

श्री पी० सी० सेठी : यह तो कुछ ऐसी बात हो गई, जैसे 30 साल में हमने कुछ काम किया ही नहीं है। यह तो आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि हमने कितना काम किया है। इसकी डिटेल तो मेरे पास नहीं है, यदि आप चाहते हैं तो मैं हर प्रान्त की डिटेल दे सकता हूं कि कितना काम हुआ है।

एक माननीय सदस्य : कृपया आप इसे करिए।

अध्यक्ष महोदय : यह अनुरोध बहुत ज्यादा है।

श्रीमती संयोगिता राणे : हमारे गांवों में पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। मैं गोवा की यूनियन टेरिटरी से आती हूं, वहां भी यह समस्या ....

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न केवल राजस्थान से संबंधित है।

गन्ने की खेती के लिए प्रोत्साहन

84. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चीनी के उत्पादन में हुई कमी को देखते हुए गन्ने की अधिक खेती करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है।

कृषि मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : (क) और (ख) किसी फसल का सुनिश्चित मूल्य उत्पादकों के लिये सर्वश्रेष्ठ प्रोत्साहन है । इसलिये सरकार ने गन्ने का न्यूनतम सांविधिक प्रति क्विंटल मूल्य 12.50 रुपये निश्चित किया था जो 1979-80 के दौरान चीनी की 8.5 प्रतिशत वसूली से जुड़ा हुआ था । यह मूल्य वर्ष 1978-79 में निश्चित किये गये मूल्य से 2.50 रुपये प्रति क्विंटल अधिक था । वर्ष 1980-81 के लिये गन्ने का न्यूनतम सांविधिक मूल्य सरकार के विचाधीन है।

हरियाणा और पंजाब की सरकारों ने संबंधित राज्यों के कृषि मंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य गन्ना बोर्डों का गठन किया है । ये बोर्ड भारत सरकार द्वारा निश्चित किये गये सांविधिक न्यूनतम मूल्य के अतिरिक्त गन्ने के कारखानों द्वारा दिये जाने वाले मूल्यों की सिफारिश करते हैं । महाराष्ट्र सरकार ने भी राज्य में सहकारी गन्ना कारखानों द्वारा दिये जाने वाले गन्ने के अंतिम मूल्यों के निर्धारण के लिए राज्य के मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री स्तर की समिति का गठन किया है । पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों ने 1978-79 के दौरान राज सहायता प्रदान की थी ताकि गन्ने के कारखाने उत्पादकों को अधिक मूल्य दे सकें। हरियाणा की सरकार ने 1979-80 के दौरान भी इस योजना को जारी रखा ।

इसके अतिरिक्त कुछ राज्य सरकारें निम्नांकित मदों पर राज सहायता के रूप में प्रोत्साहन दे रही हैं: (1) कीटनाशी दवाओं, बीजों तथा हवाई छिड़काव कार्यों की लागत, (2) उत्पादकों के लिये ब्याज रहित ऋणों की व्यवस्था तथा (3) उत्पादकों के खेतों में प्रदर्शनों का आयोजन करना ।

श्री विजय एन० पाटिल: मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया कि किसी फसल का सुनिश्चित मूल्य उत्पादकों के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रोत्साहन है । परन्तु गन्ने के मामले में उत्पादकों के लिए केवल सुनिश्चित मूल्य ही सर्वश्रेष्ठ प्रोत्साहन नहीं है अपितु प्रश्न यह है कि क्या कारखानें गन्ना उत्पादकों द्वारा उत्पादित गन्नों को खरीदेंगे । यह भी महत्वपूर्ण है । यहां किसान बेबस है, वह अपना गन्ना खुले बाजार में नहीं बेच सकता है और यदि गन्ना खेतों में अधिक समय तक खड़ा रहता है तो खेती की लागत भी बढ़ जाती है ।

उन्होंने आगे बताया है कि 1980-81 के लिए गन्ने का न्यूनतम सांविधिक मूल्य अभी सरकार के विचाराधीन है । जैसा कि हम 1979-80 के आंकड़ों से देखते हैं, वर्ष 1979-80 के लिए न्यूनतम सांविधिक मल्य 12.50 रुपये प्रति क्विंटल था जबकि खुले बाजार में इसका मूल्य दुगना था क्योंकि गन्ने की कम खेती हुई थी । क्या सरकार अब आगामी वर्ष के लिए सांविधिक न्यनतम मूल्य निर्धारित करते समय गन्ने की खेती की वास्तविक लागत को ध्यान में रखेगी ? यह इसलिए है क्योंकि प्रतिवर्ष उपादानों की लागत बढ़ती जाती है और

खेती की लागत में भी 10 से 30 प्रतिशत लागत बढ़ जाती है परन्तु न्यूनतम मूल्य पिछले वर्ष के आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि मूल्य निर्धारण का आधार क्या है और गन्ने का औसत उत्पादन क्या है? यह इसलिए है क्योंकि मूल्य की गणना करने के आंकड़े.....

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न क्या है? कृपया वक्तव्य मत दीजिए।

श्री विजय एन० पाटिल: अगले वर्ष के लिए गन्ने की कीमत निर्धारित करने का क्या आधार होगा?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव: माननीय सदस्यों ने जो बातें कही हैं, कृषि मूल्य आयोग गन्ने तथा अन्य खाद्यान्नों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करते समय उन्हें ध्यान में रखता है।

माननीय सदस्य ने पूछा है कि प्रति हैक्टर गन्ने का औसत उत्पादन क्या है? वर्ष 1978-79 के दौरान यह प्रति हैक्टर 50.16 मीट्रिक टन था और उससे पूर्व के वर्ष में यह प्रति हैक्टर 56.16 मीट्रिक टन था।

मूल्य निर्धारण के बारे में कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशें सरकार के पास आई हैं। उन पर विचार किया जा रहा है और मंत्रिमंडल कुछ समय में उन पर निर्णय करेगा।

श्री विजय एन० पाटिल: जहां तक प्रोत्साहन का प्रश्न है, इसकी प्रायः दो श्रेणियां रहती हैं। एक श्रेणी ऐसे गन्ना उत्पादकों की है जो कारखानों के संचालन के क्षेत्र में रहते हैं और दूसरा वे जो ऐसे क्षेत्र से बाहर रहते हैं। कारखाने में ऐसे किसानों को जो उनके संचालन के क्षेत्र में रहते हैं निश्चित रूप से कुछ प्रोत्साहन देते हैं, जैसे महाराष्ट्र में यह 500 रुपये प्रति क्विंटल है। यदि गन्ना उत्पादक कारखाने के संचालन के क्षेत्र से बाहर हैं तो उसे प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। जो घट बढ़ होती है वह अक्सर कारखाने के क्षेत्र के बाहर पैदा किए गए गन्ने के मामले में होती है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उन किसानों को प्रोत्साहन देने पर विचार करेगी जो चीनी कारखानों के क्षेत्र से बाहर हैं और जिन्हें कारखानों द्वारा प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है जैसा कि चीनी कारखानों के क्षेत्र में आने वाले किसानों को 500 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाता है।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव: अगले वर्ष के दौरान हमारा गन्ने के उत्पादन को प्रोत्साहन देने का कार्यक्रम है। हम किसानों के समक्ष निदर्शन करने का आयोजन कर रहे हैं और उपज को बढ़ाने से सम्बन्धित अन्य विभिन्न उपायों के बारे में किसानों को जानकारी दे रहे हैं क्योंकि दूसरे देशों की तुलना में भारत में प्रति एकड़ उपज बहुत कम है। चीनी मिलों वाले क्षेत्र से बाहरी क्षेत्रों में भी हम किसानों को उपज बढ़ाने के लिए हर सम्भव प्रोत्साहन देंगे तथा उन्हें और अधिक क्षेत्र में गन्ने की बुवाई के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर: अध्यक्ष महोदय, आप के माध्यम से मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जिन मिलों ने पिछली बार जो सपोर्ट प्राइस फिक्स की थी, उतनी कीमत किसानों को नहीं दी है, उनके खिलाफ प्रशासन क्या कदम उठाने जा रहा है?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : चीनी मिलों का प्रबन्ध ग्रहण करना अधिनियम के अन्तर्गत सरकार के पास ऐसी शक्तियां हैं कि वह उन मिलों का प्रबन्ध अपने हाथ में ले सकती है और चला सकती हैं जो गन्ना उत्पादकों की देय राशि का भुगतान करने में असफल रहती है अथवा समय पर फैक्टरियों को नहीं चलातीं अथवा समय से पहले फैक्टिरियों को बन्द कर देती हैं। यदि कोई विशेष मामले सरकार के ध्यान में लाएं जाएं, तो हम किसानों को उनकी देय राशि का भुगतान करवाने के लिए कार्यवाही करेंगे।

श्री शिव कुमार सिंह : हमारे यहां मध्य प्रदेश में जावरा शूगर फैक्टरी पर किसानों का 33 लाख रुपया बकाया है। तीन साल से उसने पैमेन्ट नहीं की है।

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में आप मन्त्री महोदय को लिख सकते हैं।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : अभी मंत्री जी ने फरमाया कि एश्योर्ड प्राईस शूगरकेन की जो है वह बेस्ट इन्सेंटिव है और दूसरे यह फ़रमाया कि जहां पर ड्यूज बाकी हैं अगर उन को गवर्नमेंट आफ़ इन्डिया के नोटिस में लाया जाएगा, तो एक्शन लिया जाएगा। मैं नियोली शूगर फैक्टरी, जो एटा जिले में है, उस के बारे में पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : उस के लिए लिख कर आप भेज दीजिए।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : यह रिकार्ड पर आ जाए, इसलिए मैं पूछ रहा कि जो नियोली शूगर फैक्टरी एटा की है

अध्यक्ष महोदय : यह कोई प्रश्न नहीं है। यह तो तथ्य संबंधी विवरण है।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : मैं बात ही पूछूंगा। पिछले क्रशिंग सीजन का इस फैक्टरी से 80 लाख रुपये से ज्यादा का पैमेन्ट किसानों का बाकी है। क्या मंत्री महोदय कृपा कर के यह बताएंगे कि वे इस फैक्टरी के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया तो है कि अगर कोई ऐसी रिपोर्ट आएगी, तो एक्शन लेंगे।

श्री मलिक एम० एस० ए० खां : उन के खिलाफ़ एक्शन लगे और पैसा दिलवाने की कोशिश करेंगे।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : जितनी शिकायतें हमारे पास ऐसी फैक्टरियों के खिलाफ़ आएंगीं, उन के लिए जरूर एक्शन लेंगे और पैसा दिलवाने की ही कोशिश नहीं करेंगे बल्कि पैसा दिलवाया जाएगा।

श्री रामनगीना मिश्र : मैं यह कहना चाहूंगा कि मूल्य कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों पर निर्धारित किये जाते हैं और उस के अनुसार चीनी का क्या रेट होगा, वह निश्चित करते हैं। इस तरह से उस के अनुसार दाम चीनी के निश्चित हो जाते हैं परन्तु बाद में चीनी के दाम बढ़ जाते हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि जब गन्ने के दाम वही रहते हैं, और मालिकों को ज्यादा पैसा चीनी के दाम बढ़ने से मिलता है, तो यह जो अन्तर होता है, उस में से किसानों को मुनाफे के रूप में यह बोनस के रूप में कुछ देने का प्रबन्ध करेंगे।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : एग्रीकल्चरल प्राइसिज कमीशन सिर्फ शुगर केन का भाव रिकमण्ड करता है, चीनी का भाव मुकर्रर करने से उसका ताल्लुक नहीं है।

मिट्टी के तेल को ऊंचे दरों पर बिक्री

*85. †**श्री सतीश प्रसाद सिंह :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी का तेल बहुत ऊंची दरों पर बेचा जाता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का ऐसी क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे प्रत्येक नागरिक को, ग्रामीण अथवा नगरीय, निर्धारित दर पर मिट्टी का तेल उपलब्ध हो सके।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) कुछ क्षेत्रों में नियंत्रित मूल्यों से अधिक मूल्यों पर मिट्टी के तेल के बेचे जाने की रिपोर्ट सरकार को मिली है।

(ख) मांग की तुलना में उत्पाद की सप्लाई कम होने की स्थिति में कालाबाजार एवं अन्य दुराचारों की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित वर्तमान गंभीर समस्या की हाल ही में समीक्षा की गई है और मार्च, 1979 के वास्तविक विक्रय के 10% से अधिक स्तर पर मार्च, 1980 के दौरान मिट्टी के तेल की सप्लाई करने के प्रयत्न किय जा रहे हैं। मिट्टी के तेल का फुटकर मूल्य आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित किया जाता है। हमने राज्य सरकारों को यह भी परामर्श दिया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा कालाबाजार की रोकथाम एवं आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई बनाये रखने संबंधी अधिनियम के अन्तर्गत कालाबाजार तथा ऐसे अन्य दुराचारों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। तेल कंपनियों को भी परामर्श दिया गया है कि फुटकर बिक्री केन्द्रों और वितरण व्यवस्था पर और अधिक निगरानी रखें।

श्री सतीश प्रसाद सिंह : क्या मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि देहाती इलाकों में गरीबों के लिए केरोसीन आयल एक बहुत आवश्यक वस्तु है और उसकी सप्लाई जितनी बढ़ाने की बात कही गयी है क्या उस से उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जो तेल हम सप्लाई कर रहे हैं उसको सप्लाई करते वक्त हमने स्टेट गवर्नमेंटस को इंस्ट्रक्शन्स दे दिये हैं कि जहां तक रूरल एरियाज का सम्बन्ध है, एग्रीकल्चरिस्ट्स का सम्बन्ध है, उनको टाप प्रायरिटी दी जाए, उसमें कोई ढिलाई न हो।

श्री पी० के० कोडियन : मूल समस्या तो मिट्टी के तेल की कम सप्लाई की है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि भंडार की वर्तमान स्थिति क्या है और केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यवार कितना-कितना कोटा देने का निर्णय लिया गया है तथा देश में मिट्टी के तेल के उत्पादन में वृद्धि करके अथवा विदेशों से इसका आयात करके इसकी सप्लाई को बढ़ाने की क्या सम्भावनाएं हैं?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जहां तक भंडार-स्थिति का सम्बन्ध है, मैं यह बता देना चाहूंगा कि देश में लगभग 2.6 मिलीयन टन का उत्पादन होता है। वर्ष 1980 के दौरान देश

में 2.6 मिलीयन टन के उत्पादन के अतिरिक्त हमारी 1.7 मिलीयन टन मिट्टी का तेल आयात करने की योजना है। महीने का औसत आयात लगभग 1.50 लाख टन का बैठता है और हम प्रति माह विभिन्न राज्यों को लगभग 3½ लाख टन की दर से सप्लाई करते रहे हैं।

श्री निरेन घोष : मिट्टी के तेल की वह मात्रा कितनी है, जो आवश्यकता की पूर्ति करने में कम पड़ती है? क्या यह सच है कि मिट्टी के तेल के मूल्य करों की वजह से 75 प्रतिशत अधिक हैं ? जहां तक गरीब लोगों का सम्बन्ध है, क्या आप इन करों को समाप्त कर देंगे और उन्हें उचित मूल्यों पर मिट्टी का तेल देंगे? क्या सभी राज्यों को मिट्टी के तेल का वितरण समान रूप से होता है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जहां तक मूल्यों का सम्बन्ध है, मेरा विचार है कि हम अधिक लाभ नहीं कमा रहे हैं। मैं मूल्य उद्धृत कर सकता हूं, लेकिन पूरे देश में वे समान नहीं हैं। वे बम्बई में 1.39 रुपये प्रति लिटर, कलकत्ता में 1.49 रुपये प्रति लिटर, मद्रास में 1.55 रुपये प्रति लिटर और दिल्ली में 1.54 रुपये प्रति लिटर है। जहां तक वितरण का सम्बन्ध है, हम आवश्यकता पर भी विचार कर रहे हैं और गत महीने के आधार पर आबंटन कर रहे हैं।

श्री निरेन घोष : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मिट्टी के तेल के मूल्य में 75 प्रतिशत राशि कर की सम्मिलित होती है। क्या जनता के गरीब वर्ग के लाभ के लिए इसमें भारी कटौती की जाएगी?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : इसके लिये मैं सूचना चाहता हूं।

श्रीमती कृष्णा साही : केरोसीन आयल का जो कोटा राज्यों को दिया जाता है उसका क्राइटीरिया क्या है?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : अभी मैंने कहा है कि क्राइटीरिया यह है कि पिछले साल हमने कितना किसी राज्य सरकार को दिया था, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और इसके बाद हम उनके साथ डिसकस करते हैं, तब तय करते हैं कि उनका कोटा क्या हो।

श्री शिव प्रसाद साहू : मैं मंत्री महोदय का ध्यान छोटा नागपुर के पहाड़ी और जंगली इलाकों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मिट्टी का तेल रिटेल प्राइस जो आप ने फिक्स कर रखी है उस रेट पर वहां मिलता नहीं। साथ ही उस क्षेत्र में मिट्टी का तेल कई महीनों से लोगों को देखने तक को नहीं मिला है। क्या मंत्री महोदय छोटा नागपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में गरीबों, हरिजनों और आदिवासियों को, रांची के लोगों को सही रेट पर और ठीक ढंग से मिट्टी का तेल मुहैया कराने की व्यवस्था करेंगे?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : अभी मैंने उत्तर में कहा है कि मार्च 1979 में हम ने जितना सप्लाई किया था उससे दस परसेंट ज्यादा मार्च 1980 में सप्लाई कर रहे हैं। जहां तक डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, मैं कई बार कह चुका हूं यह स्टेट गवर्नमेंट की रिसपांसिबिलिटी है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है तो मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा

कि वह वहां के अफसरों, चीफ सेक्रेटरी से, वहां के गवर्नर से मिलें और जो भी उनके ग्रीवेंसिस हैं, उन से रिड्रेस कराने की कोशिश करें।

श्री जमीलुर्रहमान : जहां तक डिस्ट्रीब्यूशन चेनल का ताल्लुक है, बिहार स्टेट प्रेजीडेंट रूल के तहत है और वहां पर पापुलर मिनिस्ट्री नहीं है। केन्द्र की यह जिम्मेदारी हो जाती है। क्या आप डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ बना करके और जो लोकल मेम्बर हैं, लोक सभा के और राज्य सभा के उस इलाके से, उनको भी उस में शामिल करके उनको भी इस काम में इनवाल्व करेंगे ताकि मिट्टी के तेल में जो करप्शन होती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं होता है, जो ज्यादा कीमत वसूल की जाती है, उसकी पूरी तरह से जांच हो सके और ज्यादा कीमत गरीब लोगों से न ली जा सके? अगर इस तरह की कमेटियां आप कायम करेंगे तो कब तक?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : माननीय सदस्य की जानकारी में यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन हमारी जिम्मेवारी नहीं है—

श्री जमीलुर्रहमान : वहां प्रेजीडेंट्स रूल है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं इस बात को मानता हूं और मैं यह भी मानता हूं कि सप्लाई करने की हमारी जवाबदारी है। लेकिन जहां तक डिस्ट्रीब्यूशन का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यों को शरीक करके डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ बननी चाहियें और यह एक डिटेल का मामला है और इसको स्टेट गवर्नमेंट को ही करना है।

भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून की समीक्षा

*86. †श्री जनार्दन पुजारी : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी अधिनियम की समीक्षा करने का विचार है, और ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) तथा (ख) जिन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों (दिल्ली सहित) में नगरभूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 लागू है, वे इसके उपबन्धों में कतिपय व्यवहारिक कठिनाइयों व त्रुटियों को भारत सरकार के ध्यान में लाये हैं। भारत सरकार द्वारा नवम्बर, 1979 में गठित कार्यकारी दल इनकी जांच कर रहा है। दिल्ली प्रशासन का भी एक प्रतिनिधि इस कार्यकारी दल में सम्मिलित किया जा चुका है और आशा है वह अपनी रिपोर्ट को अप्रैल, 1980 तक अन्तिम रूप दे देगा। इस रिपोर्ट के प्राप्त होने के पश्चात् ही सरकार इस मामले में अन्तिम निर्णय लेने की स्थिति में होगी।

श्री जनार्दन पुजारी : भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी अधिनियम 20-सूत्रीय कार्यक्रम का परिणाम है और इसे कार्यान्वित किया जाना है जैसा कि हमारे प्रधान मंत्री ने घोषित

किया है। यह एक सर्वविदित बात है कि गांवों और शहरों में जनसंख्या में किस प्रकार तेजी से वृद्धि हो रही है। बम्बई जैसे शहर में हजारों लोग वहां पर प्रतिदिन आ रहे हैं। इन लोगों के आवास की कठिन समस्या उत्पन्न हो गई है। इससे प्रभावी ढंग से नहीं निपटा जा सका है और इसका परिणाम यह है कि गंदी बस्तियां तेजी से विकसित हो रही हैं.....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : प्रश्न क्या है ?

श्री जनार्दन पुजारी : सरकार का मुख्य उद्देश्य कुछ लोगों के हाथों में शहरी भूमि के केंद्रीकरण को रोकना और सट्टेबाजी तथा मुनाफाखोरी को खत्म करना तथा भूमि का समान वितरण करना और समाज के कमजोर वर्गों की सहायता करना है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिये।

श्री जनार्दन पुजारी : मेरा प्रश्न यह है। मुझे मालूम है कि इसमें त्रुटियां हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आप मूल प्रश्न से हट रहे हैं तथा आप अपना प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार इस कानून को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने जा रही है और क्या इस प्रयोजनार्थ कोई समयबद्ध कार्यक्रम है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं माननीय सदस्य का इस अधिनियम के प्रशंसनीय उद्देश्यों के बारे में सरकार को स्मरण कराने के लिये आभारी हूं। वे उद्देश्य अभी तक विद्यमान हैं। लेकिन जब यह विधेयक पारित किया गया था, उस समय इस पर विचार किया गया था, इसे बने रहने देना चाहिये लेकिन हमें पता लगाना चाहिये कि असंगतियां क्या हैं और इस अधिनियम को वस्तुतः कार्यान्वित करके हमें उन असंगतियों का पता लगाना चाहिये। सरकार सचेत है कि यह विधेयक पूरा सही नहीं है और हम चाहते थे कि कुछ अनुभव के बाद इसका संशोधन किया जाना चाहिये। भूमि के उपयोग को सीमित करने और इसे वितरित करने संबंधी मूल उद्देश्य विद्यमान है। कुछ त्रुटियां हमारे ध्यान में आई हैं और यदि कोई प्रश्न है और यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं उन त्रुटियों को बताने के लिये तैयार हूं जो राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों और कुछ अन्य व्यक्तियों ने हमें बताई हैं। अतः नवम्बर, 1979 में एक कार्यकारी दल नियुक्त किया गया है। हमने अब दिल्ली से एक और सदस्य जोड़ दिया है। इस कार्यकारी दल ने अपना प्रतिवेदन मार्च, 1980 में देना था। हमने एक महीने की अवधि बढ़ा दी है और इस दल को अपना प्रतिवेदन अप्रैल, 1980 तक देने के लिये कहा गया है। इस प्रतिवेदन के मिलने के बाद यह मामला राष्ट्रीय वाद-विवाद के लिये खुला है।

श्री जनार्दन पुजारी : माननीय मंत्री द्वारा राज्य सभा में दिये गये वक्तव्य तथा पहले दिये गये वक्तव्य को देखते हुए लोगों के मन में शंका है कि इस अधिनियम को समाप्त किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय उत्तर दे चुके हैं तथा वे समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : फुटपाथों, रेलवे प्लेटफार्मों और किसी भी उपलब्ध भूमि पर लाखों लोग रह रहे हैं। इस बारे में हमें प्रतिदिन अभ्यावेदन दिये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह इसका उत्तर दे चुके हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि घोषित की गई फालतू भूमि कितनी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों से अपील कर चुका हूं कि वे समय का सदुपयोग करें। वे अभी तक ऐसा नहीं कर रहे हैं और सदन का समय इस तरीके से ले रहे हैं। यह अनुचित है।

श्री जनार्दन पुजारी : मैंने प्रश्न पूछा है।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न की अनुमति नहीं दी गई है। श्री तारिक अनवर!

श्री तारिक अनवर : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भूमि अधिनियम की वर्तमान सीमा घटाई जायेगी और साथ ही साथ क्या इसके लिए कोई टाइम-बाउंड प्रोग्राम सरकार बना रही है ?

श्री पी० सी० सेठी : माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा सवाल किया है, लेकिन मुश्किल यह है कि वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट आने से पहले यह सीमा घटाई जाये या बढ़ाई जाये, यह कहना संभव नहीं है। 5 साल में जो इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वह इतना टारडी है कि उस पर विचार करने की आवश्यकता है, उदाहरण के तौर पर भूमि की अधिकतम सीमा से ज्यादा खाली भूमि के विवरण दायर करने वाले व्यक्तियों की संख्या 3,87,261 है, अधिनियम को लागू करने के बाद निपटाये गये विवरणों की संख्या 13,853 है, भूमि की अधिकतम सीमा से अधिक खाली भूमि 1,54,784 हैक्टेयर पायी गई, अधिगृहीत की गई भूमि और राज्य सरकारों को सौंपी गई भूमि 1357 हैक्टेयर है, खाली भूमि को छूट देने के लिये प्राप्त आवेदन-पत्रों को संख्या 70,483 है, इसमें से निपटाये गये आवेदन-पत्रों की संख्या 9,514 है, छूट दी गई खाली भूमि 14,239 हैक्टेयर है; अनुमति के लिये प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या 12,191 है; अनुमोदित की गई योजनाओं की संख्या केवल 286 है।

श्री ए० टी० पाटिल : मैं विभिन्न राज्य सरकारों और भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट की गई त्रुटियों के बारे में जानना चाहता हूं। क्या जल से परे सीमा की हद के बारे में त्रुटि भारत सरकार को निर्दिष्ट की गई है ? इसका बम्बई महानगरीय संगुटीकरण के प्रति विशेष उल्लेख है।

श्री पी० सी० सेठी : इसमें सदन का बहुत सा समय लगेगा। यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्दिष्ट की गई त्रुटियों को परिचालित करूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया परिचालित करें ।

श्री पी० सी० सेठी : यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं इसे सभा-पटल पर रखूंगा ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या मंत्री महोदय अधिकांश सदस्यों के इस विचार से सहमत हैं कि नगरीय भूमि अधिनियम मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में रिहायशी किरायों में वृद्धि के लिये जिम्मेदार है ? क्या अपने निर्देश-पद के अनुसार इस कानून की समीक्षा कर रही समिति इस अधिनियम को समग्र रूप से समाप्त करने की संभावना पर विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री पी० सी० सेठी : यह सरकार समग्र रूप से समाप्त करने में विश्वास नहीं करती है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न में और कुछ नहीं है । अब हम प्रश्न संख्या 87 लेते हैं । श्री चन्द्रभान अठारे पाटिल यहां पर नहीं हैं ।

महत्वपूर्ण औषधियों के उत्पादन में कमी

*88. **श्री समर मुखर्जी :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में गत कुछ महीनों में क्षय रोग निवारक औषधियों जैसी महत्वपूर्ण औषधियों का उत्पादन कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन कम होने के कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार ने क्या कार्यवाही की है जिससे उत्पादन में कमी न हो ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

(क) अप्रैल से दिसम्बर, 1979 की अवधि के दौरान वर्ष 1978 के तदनुरूपी अवधि की तुलना में पी० ए० एस० और इसके लवण (एक क्षय रोधक औषध) सहित कुछ महत्वपूर्ण जीवन रक्षक औषधियों के उत्पादन में गिरावट आई है ।

महत्वपूर्ण जीवन रक्षक फार्मूलेशनों के कुछ ब्राण्ड उत्पादों की कमी की सूचना मिली है । इन मामलों में समकक्ष ब्राण्ड उपलब्ध हैं ।

(ख) उत्पादन में कमी के अनेक कारण हैं, जैसे बिजली की कटौती, औद्योगिक अशान्ति, अल्मूनियम फायल जैसे पैकिंग सामग्रियों की अनुपलब्धता, कास्टिक सोडा, इथाइलीन ऑक्साइड जैसे कुछ मूल कच्चे मालों की अनुपलब्धता, कच्चे माल की लागत में वृद्धि आदि ।

(ग) सरकार जीवन रक्षक वल्क औषधों के उत्पादन और जीवन रक्षक फार्मूलेशनों के उत्पादन और वितरण की देख-रेख करती है । अड़चनों के कुछ विशिष्ट मामले सरकार के ध्यान में आने पर सरकार जहां तक संभव हो, कारगर उपाय अपनाती है । उदाहरणार्थ : पैकिंग सामग्री की अनुपलब्धता के बारे में सरकार के अल्मूनियम फायल के आयात पर सीमा शुल्क में कमी कर दी है और इसे ओ० जी० एल० के अन्तर्गत रखकर इसके उदार आयात

की आज्ञा दी है। सरकार ने वर्तमान बिक्री मूल्य में परिवर्तन किये बिना बोतल पैकिंग की आज्ञा भी दी है। जहां तक सरणीबद्ध बल्क औषधों का सम्बन्ध है, सरकार ने, देसी उत्पादन को बढ़ाने के लिए आवश्यक आयात की व्यवस्था करने के अतिरिक्त कुछ मदों के मामलों में वास्तविक उपभोक्ता को सीधे आयात करने के लिए भी प्राधिकृत किया है।

जीवन रक्षक फार्मूलेशनों के अभाव के मामले में तत्काल कारगर उपाय अपनाए जाते हैं और सम्बन्धित निर्माताओं को अभाव वाले क्षेत्र में तुरन्त सफाई भेजने का सुझाव दिया जाता है।

श्री समर मुखर्जी : मैंने वक्तव्य को पढ़ा है। इसमें स्वीकार किया गया है कि आवश्यक और जीवनरक्षक औषधियों के उत्पादन में कमी आई है। परन्तु इस समस्या के जो समाधान सुझाये गये हैं वे इस संकट का सामना करने के लिये बहुत ही अस्पष्ट और निष्प्रभावी तथा बिल्कुल अपर्याप्त हैं।

आज के 'इकनामिक टाइम्स' के प्रथम पृष्ठ पर निम्नलिखित समाचार प्रकाशित हुआ है :—

> "औषध एककों ने मूल मूल्यों में वृद्धि कर दी है। जिन औषध एककों में वर्ग चार के फार्मूलेशन के मूल्यों में वृद्धि की है वे अधिकांशतः विदेशियों के नियंत्रणाधीन हैं।"

यह तो एक पक्ष है। वास्तव में समूचा औषध उद्योग विदेशियों और उनके एकाधिकार गृहों के नियंत्रण में है। समाचार में आगे लिखा है :—

> "औद्योगिक स्रोतों का कहना है कि विभिन्न प्रकार के मूल तत्वों के मूल्यों में भारी वृद्धि के बावजूद अनेक मदों के मूल्यों में वृद्धि करने की अनुमति देने में सरकार द्वारा विलम्ब किये जाने के कारण उद्योग को विवश होकर इन उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि करनी पड़ी है।"

तोड़फोड़ का यह कार्यक्रम चल रहा है। सरकारी आदेशों और अनुदेशों का उल्लंघन करके उन्होंने मूल्यों में वृद्धि कर दी है। परन्तु इस वक्तव्य में इसके समाधान के बारे में क्या सुझाव दिया गया है। इसमें लिखा है :—

> "महत्वपूर्ण जीवन रक्षक फार्मूलेशन्स की कमी के मामलों में तत्काल कारगर उपाय अपनाये जाते हैं और सम्बन्धित निर्माताओं को अभाव वाले क्षेत्र में तुरन्त औषध भेजने का सुझाव दिया जाता है।"

यह उपचार है। वे उनसे कह रहे हैं कि कमी वाले क्षेत्रों में औषधियां तुरन्त सप्लाई की जायें। क्या वे उनके लिये ऐसा करेंगे ? बिल्कुल नहीं। एक बड़ी भारी साजिश चल रही है। इसलिये इसके मूल समाधान की आवश्यकता है अर्थात् औषध उद्योग का राष्ट्रीयकरण।

प्रो० एन० जी० रंगा : वह प्रश्न पूछ रहे हैं अथवा भाषण दे रहे हैं।

श्री समर मुखर्जी : आपको क्यों असुविधा होने लगी है ?

प्रो० एन० जी० रंगा : मेरा कोई विवाद नहीं है, परन्तु इस ओर के सदस्यों की तुलना में आपके मामले में भिन्न प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आपस में वादविवाद न करें। आपका प्रश्न क्या है ?

श्री समर मुखर्जी : मेरा ठोस प्रश्न है, इन अनुदेशों का क्या परिणाम निकला है ? कमी वाले कितने क्षेत्रों में, किस कम्पनी द्वारा कितनी मात्रा में और किस तारीख तक औषधियां सप्लाई की गई हैं ? मैं इसका ठोस उत्तर चाहता हूं। अन्यथा यह बहुत अस्पष्ट है। उनका कहना है कि सरकार महत्वपूर्ण जीवन रक्षक बल्क औषधियों के उत्पादन की देखरेख करती है। इसका अर्थ क्या है ? मैं इसका ठोस उत्तर चाहता हूं।

श्री वीरेन्द्र पटिल : वर्ग चार की औषधियां जीवन रक्षक अथवा आवश्यक औषधियां नहीं होतीं। जीवन रक्षक और आवश्यक औषधियां वर्ग एक और दो में आती है। जहां तक वर्ग एक और दो की औषधियों का सम्बन्ध है हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि वे जनता को उपलब्ध की जाये। जहां कहीं भी कमी है, हम तुरन्त सुनिश्चित करेंगे कि कमी पूरी की जाये। आवश्यक औषधियां बनाने वाली अनेक फर्में है। यदि एक ब्रांड उपलब्ध नहीं होता तब उसी औषधि का कोई दूसरा ब्रांड उपलब्ध होता है। कुछ कमी है और इसलिये मैं ने स्वीकार कर लिया है कि उनकी कुछ कमी है। मैंने बताया है कि मूल तत्वों की लागत में वृद्धि सहित कमी के कई कारण हैं। गत तीन वर्षों से लागत में वृद्धि हुई है और हम औषधियों के मूल्य में वृद्धि करने पर सहमत नहीं हुए, यद्यपि निर्माता इसके लिए मांग करते रहे हैं। माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि इसका उपचार क्या है। इसका उपचार यही है कि जहां कहीं इन जीवन रक्षक औषधियों की कमी है हम उनका आयात करने में संकोच नहीं करेंगे। वास्तव में हम उनका आयात करते रहे हैं। जितनी कमी होती है उतनी ही मात्रा में हम बल्क में आयात करते हैं और निर्माताओं को सप्लाई कर देते हैं। कुछ क्षेत्रों में जहां कहीं कमी होती है, हम सुनिश्चित करेंगे कि उस क्षेत्र में आवश्यक औषधियों की सप्लाई की जाये। जहां तक राष्ट्रीयकरण के प्रश्न का सम्बन्ध है, यह नीति का मामला है और मुझे नीति के मामले में कोई वक्तव्य नहीं देना है।

श्री समर मुखर्जी : वक्तव्य में कहा गया है कि "महत्वपूर्ण जीवन रक्षक फार्मूलेशन्स कमी के मामलों में तत्काल कारगर उपाय किये जाते हैं और निर्माताओं को कमी वाले क्षेत्रों में तुरन्त औषधियां भेजने का सुझाव दिया जाता है।" मेरा प्रश्न यह था क्या इस कार्य को ठोस रूप दिया गया है और किन क्षेत्रों को किस किस कम्पनी द्वारा कितनी-कितनी मात्रा में औषधियां सप्लाई की गई हैं। वह कह रहे हैं कि वह ऐसा करेंगे। क्या इसका यही उत्तर है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मुझे खेद है, यह ब्यौरे का मामला है। यदि वह कोई अन्य प्रश्न पूछें तो मैं उसका उत्तर दे सकूंगा।

डा० कर्ण सिंह : क्या मंत्री महोदय को जानकारी है कि चिकित्सीय औषधियों और रोग निरोधक औषधियों के बीच महत्वपूर्ण अन्तर है ? चिकित्सीय औषधियां वे होती हैं जिनका उपयोग इलाज के लिये किया जाता है तथा रोगनिरोधक औषधियां वे होती हैं जिनका उपयोग रोगों की रोकथाम के लिये किया जाता है। क्षयरोग में चिकित्सीय औषधियों का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण है और मैं समझता हूं कि हमें बजाय आयात के बारे में सोचने के अपनी स्वयं की क्षमता विकसित करनी चाहिये। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्षय रोग में चिकित्सीय औषधियों की स्थिति क्या है क्योंकि बी० सी० जी०

टीका, जिसके बारे में हमने 30 वर्षों तक सोचा कि यह क्षय रोग की रोकथाम में प्रभावी रहेगा, अब और प्रभावी सिद्ध नहीं हो रहा है। मुझे याद है कि मैंने कुछ शोध पत्र देखे हैं जिनमें यह बताया गया था कि बी० सी० जी० क्षयरोग की रोकथाम में अब और प्रभावी नहीं है। क्या मंत्री महोदय इस सभा को बतायेंगे कि क्या इस निष्कर्ष की वस्तुतः उत्तरवर्ती शोध से पुष्टि होती है; यदि हां, तो क्षय रोग की रोकथाम के लिये नई चिकित्सीय औषधि विकसित करने हेतु क्या किया जा रहा है? यूरोप में इसे समाप्त कर दिया गया है। यह अनादर और शर्म की बात है कि हम भारत में इसे रखे हुए हैं। सरकार ने क्या उपाय किये हैं?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं इसका एकदम उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं। यदि माननीय सदस्य पृथक प्रश्न करेंगे तो मैं उत्तर दे पाऊंगा।

श्री एंड्रुआ वे फैलीरो : यहां पर उल्लिखित औषधियों के संदर्भ में क्या सरकार को इस बात का पता है कि 'माइएन बुटोल' तथा 'रिफार्म्ड' जैसी कुछ औषधियों के मूल्य पिछले कुछ सप्ताहों में गिर गये हैं? उदाहरण के लिये, 'माइएन बुटोल' के मामले में, कुछ सप्ताह पूर्व यह दवा 78 रुपये प्रति सैकड़ा बिक रही थी और अब यह 33.50 रुपये बिक रही है। 'रिफार्म्ड' के मामले में, इसकी चार कैपसूलों की एक पत्ती 14.50 रुपये के भाव बिक रही थी और अब यह 8.80 रुपये में बिक रही है। म मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या औषध-निर्माताओं ने उनके मंत्रालय को अभ्यावेदन दिया है कि गिरते हुए मूल्यों को देखते हुए, उनकी लाभप्रदता कम है इसलिये उन्हें मूल्य बढ़ाने की अनमति दी जाये। यदि हां, तो इस बारे में उनके मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : कुछ मामलों में मूल्य कम हुए हैं और कुछ अन्य मामले में मूल्य बढ़ गये हैं। औषध-निर्माताओं की मांग है कि पिछले तीन वर्षों से मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई है और उन्हें मूल्य बढ़ाने की अनुमति दी जाये। मैं इसकी जांच करूंगा। इस समय मैं इतना ही बता सकता हूं।

अधिक अनाज के लिए बिहार की मांग

*89. **श्री एन० ई० होरो :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने उस राज्य में 'अकालग्रस्त क्षेत्रों' की जरूरत को पूरा करने के लिए केन्द्र को एक 'एस० ओ० एस०' संदेश भेज कर खाद्यान्न के अधिक आवंटन की मांग की है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि वहां खाद्यान्न की भारी कमी है और सात अत्यधिक सूखा ग्रस्त आदिवासी जिलों, जिनमें सिंहभूमि, रांची, पलामू, धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह, मुंगेर और संथाल परगना शामिल हैं, में खाद्यान्न का भण्डार नहीं बचा है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री श्री बीरेन्द्र सिंह राव : (क) यह सच है कि बिहार सरकार खाद्यान्नों का अधिक आवंटन करने के लिए समय-समय पर जोर देती रही है।

(ख) राज्य सरकार के अनुसार यह सच नहीं है कि प्रश्न में उल्लिखित आठ जिलों में खाद्यान्नों का कोई स्टाक नहीं था। बिहार में भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य सरकार के पास खाद्यान्नों का पर्याप्त स्टाक है और आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत डिपों में उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी सम्भव प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ग) खाद्यान्नों की पर्याप्त सप्लाई बनाये रखने के लिए रेलवे से अनुरोध किया गया है कि वे इस राज्य को प्रति माह कम से कम एक लाख मीटरी टन खाद्यान्न भेजने की व्यवस्था करें।

श्री एन० ई० होरो : क्या मंत्री महोदय को पता है कि प्रश्न में उल्लिखित आठ जिलों की बहुत-सी पंचायतों में राहत कार्य इसलिये बन्द करना पड़ा क्योंकि आज तक राहत कार्य के लिये निर्धारित 12,000 मी० टन खाद्यान्न पिछले दो महीनों से कार्य-कर्ताओं को नहीं दिया गया है ? इससे पता चलता है कि मंत्री महोदय का उत्तर गलत है क्योंकि खाद्यान्न का पर्याप्त स्टाक नहीं है और इसलिये राहत कार्य जारी नहीं रखा जा सका।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : दी गई जानकारी पूर्णतया ठीक है। मैं माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित प्रत्येक जिले में खाद्यान्न में स्टाक की स्थिति के बारे में बताऊंगा। इस महीने की 8 तारीख तक खाद्यान्न के स्टाक की स्थिति इस प्रकार है: सिंहभूम--4555 मी० टन; रांची—4852 मी० टन। पलामू—3854, धनबाद—7817, हजारी बाग—2431, मुंगेर—1746, गिरिडीह—2554 तथा संथाल परगना—4892। इसके अतिरिक्त, बिहार राज्य का 42,000 मी० टन से अधिक का खाद्यान्न का अपना स्टाक भी है। दूर-दराज के कुछ क्षेत्रों में खाद्यान्न सप्लाई करने में वास्तविक समस्या एक जिले से दूसरे जिले में सड़क परिवहन में कठिनाई के कारण हुआ है और इसकी ढुलाई में तेजी लाई जा रही है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सम्पत्त समिति द्वारा चीनी मिलों के लिए सिफारिश किये गये प्रोत्साहन

*87. **श्री चन्द्रभान अठोरे पाटिल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि वे प्रोत्साहन जिनकी सम्पत्त समिति ने नई चीनी मिलों को उनकी पूंजीनिवेश की भारी राशि के कारण देने की सिफारिश की थी, गत दो वर्षों से नहीं दिये गये जिसके परिणामस्वरूप नये एककों तथा चीनी उद्योग के बढ़ाई गई क्षमता वाले एककों को भारी हानि उठानी पड़ी है ; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उपरोक्त प्रोत्साहन फिर से देने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) और (ख) ऊंची पूंजी लागत से स्थापित की गई नयी चीनी फैक्ट्रियों और विस्तार परियोजनाओं को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाने से

संबंधित दिसम्बर, 1975 में शुरु की गई योजना चीनी के मूल्यों, संचलन और वितरण पर लगे सभी नियंत्रणों को हटा लेने के फलस्वरूप, अगस्त, 1978 में समाप्त हो गई थी। 17 दिसम्बर, 1979 से दोहरी मूल्य प्रणाली के साथ चीनी पर आंशिक नियंत्रण को बहाल करने के बाद, एक अन्तर-मंत्रालयीय ग्रुप गठित किया गया है ताकि वह परिवर्तित पैरामीटरों को ध्यान में रखकर इस योजना की समीक्षा और संशोधन कर सके जिससे सरकार को इस मामले के बारे में निर्णय लेने में सुविधा हो सके।

दिल्ली में टेलीफोन सेवा

*90. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संपूर्ण भारत में, विशेषकर दिल्ली में टेलीफोन सेवा बहुत खराब है, डाइल करने पर गलत नम्बर मिल जाता है, सेवा-टेलीफोनों पर 5–10 मिनट तक ध्यान नहीं दिया जाता है और एस० टी० डी० लाइनें या तो खराब रहती हैं या फिर उन पर गलत नम्बर मिल जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सेवा में सुधार के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जैसा कि प्रश्न में उल्लेख किया गया है टेलीफोन सेवा में यदा-कदा खराबी होने की शिकायतें हैं। सेवा में खराबी होने के विभिन्न कारण हैं, जो आंशिक रूप से यान्त्रिक तथा आंशिक रूप से मानवीय हैं। सेवा में खराबी होने का यांत्रिक कारण मौजूदा लाइनों पर यातायात का अधिक भार होना तथा टेलीफोन सेवा प्रणाली में कुछ स्वाभाविक दोष होना है।

(ख) यांत्रिक खराबियों को दूर करने और चरणबद्ध कार्यक्रम द्वारा इलैक्ट्रानिक प्रणाली तेजी से लागू करने के प्रयत्न बराबर जारी हैं। एक्सचेंजों की विशेष सेवाओं के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

जहां तक एस० टी० डी० का प्रश्न है, सेवा में सुधार लाने के लिये नये सूक्ष्मतरंगा/सहधुरीय सर्किट जोड़े जा रहे हैं और इलैक्ट्रानिक टी० ए० एक्स० के आदेश दे दिये गये हैं।

अंत्योदय कार्यक्रम

*91. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अन्त्योदय कार्यक्रम को जारी रखने का है ;

(ख) यदि हां, तो 1980-81 के लिये कितना नियतन करने का प्रस्ताव है और उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उसको बन्द करने के कारण क्या हैं ?

कृषि मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : (क) भारत सरकार ने अन्त्योदय कार्यक्रम को किसी भी समय नहीं अपनाया थ। और इसलिए इसे जारी रखने का प्रश्न नहीं उठता। तथापि, समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम तथा इसी तरह के लाभभोगी उन्मुख कार्यक्रमों के अन्तर्गत

लाभभोगियों को सहायता सुलभ करने हेतु निर्धनतम व्यक्तियों का चयन करने के लिए अंत्योदय दृष्टिकोण की सिफारिश की गई है।

(ख) व (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए वन-नीति

92. श्री टी० एस० नेगी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों की बाढ़ें देश के लिए विनाशकारी साबित हुई हैं :

(ख) यदि हां, तो इन बाढ़ों की रोक-थाम करने के लिए क्या विशेष उपाय किए जा रहे हैं ; और

(ग) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि-अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए परिस्थिति विज्ञान के अनुरूप वन-नीतियों का निर्धारण करने का विचार है ?

कृषि मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : (क) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों की बाढ़ों से उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मैदानों में काफी हानि हुई है।

(ख) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों की नदियों के स्रवरण क्षेत्रों में, भारी तथा अचानक बहाव से बचने के लिए बड़े पैमाने में जल तथा मृदा संरक्षण के उपाय किये जा रहे हैं जिसमें पहाड़ी पार्श्व की बंजर भूमि में वन रोपण करना, चारागाह तथा फलोद्यानों का विकास करना तथा इंजीनियरिंग अवस्थापनाओं का निर्माण करना भी शामिल है। भारत सरकार के योजना आयोग ने सिंध-गंगा बेसिन की बाढ़ प्रवरण 18 नदियों के स्रवरण क्षेत्रों का सुधार करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत (50.50 भागीदारी आधार पर) 90 करोड़ रुपए की रकम का नियतन किया है। वर्ष 1980-81 के लिए आवंटन की रकम 2 करोड़ रुपए है।

(ग) भूक्षरण से बचने के लिए पहाड़ी पार्श्व बंजर भूमि को हरा भरा करने तथा अपवाह को कम करने के लिए सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वनरोपण तथा निर्माण कार्य किए जा रहे हैं जिससे पहाड़ी तथा मैदानी क्षेत्र में कृषि अर्थ व्यवस्था में काफी सुधार होगा।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति 1952 और संशोधित वन नीति के प्रस्तावित प्रारूप में संशोधन करना शुरू कर दिया है और परस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण पर अधिक बल दिया जा रहा है।

दिल्ली में खाना पकाने वाली गैस के कनैक्शन

93. श्री आर० एल० पी० वर्मा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 31 जनवरी, 1979 को खाना पकाने वाली गैस के कनैक्शन के लिये कुल कितने व्यक्ति पंजीकृत हैं ; और

(ख) दिल्ली में प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों को कितने समय में गैस कनैक्शन प्रदान किये जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : संघ शासित दिल्ली में इंडियन आयल कार्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन तरल पेट्रोलियम गैस (खाना पकाने की गैस) का विपणन करती हैं। उपर्युक्त कंपनियों के संबंध में नये गैस कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की लगभग संख्या प्रत्येक कंपनी के सामने दिखाई गई तिथि को निम्नप्रकार है :—

इंडियन आयल कार्पोरेशन . . .	2,08,021	31-3-1979 को
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन . .	20,900	31-12-1979 को
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन . .	72,361	1-1-1980 को

(ख) निम्नलिखित परियोजनाओं के निरन्तर रूप से चालू होने से 1980 के अन्त तक देश में खाना पकाने की गैस की उपलब्धता पूर्णतः बड़ी मात्रा में बढ़ जायेगी :—

(i) बम्बई हाई गैस संबद्ध गैस से एल० पी० जी० (तरल पेट्रोलियम गैस) को अलग करने की सुविधाएं ;

(ii) मथुरा रिफाइनरी ;

(iii) कोयाली रिफाइनरी में सहायक शोधन सुविधायें; और

(iv) बोंगाईगांव रिफाइनरी की कोकर यूनिट ।

इसी बीच, शोधनशालाओं में तरल पेट्रोलियम गैस के उत्पादन को बढ़ाने के उपाय किये जाने के अतिरिक्त, सरकार का इसकी उपलब्धता में यथा संभव सुधार करने के लिए आयात करने का विचार है।

संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में और अन्य स्थानों में बड़े पैमाने पर नये गैस कनेक्शन उपर्युक्त सप्लाई स्थिति में सुधार होने के पश्चात् ही दिये जा सकेंगे।

गांवों में शाखा डाकघर खोलना

*94. **श्री रामस्वरूप राम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पन्द्रह सौ की जनसंख्या वाले प्रत्येक गांवों में शाखा डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब तक शुरू किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) और (ख) गांवों में शाखा डाकघर खोलने के लिए जनसंख्या एक अनिवार्य पहलू है। शर्त यह है कि वह गांव अपने निकटतम डाकघर से तीन कि० मी० से अधिक दूरी पर स्थित होना चाहिए, सामान्य गांव के लिये न्यूनतम जनसंख्या 2000 और जनजाति वाले, पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में 1000 होनी चाहिए। जिन गांव में ग्राम पंचायत मुख्यालय है उनमें जनसंख्या के पहलू को ध्यान में न रखते हुए डाकघर खोले जा सकते हैं बशर्ते कि सामान्य ग्रामीण क्षेत्र में लागत का 25% और जनजाति वाले, पहाड़ी

या पिछड़े क्षेत्र में लागत का 10% राजस्व मिलने की संभावना हो। विभाग उपरोक्त आधार पर डाक प्रणाली का विस्तार कर रहा है।

लेवी चीनी की सप्लाई में सुधार

*95. प्रो० मधु दंडवते : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये चीनी मिलों से लेवी चीनी की सप्लाई में सुधार के लिये कोई ठोस कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो की गई कार्यवाही की मुख्य बातें क्या हैं ; और]

(ग) चीनी की उपलब्धता और उसके मूल्य पर इस कार्यवाही का क्या प्रभाव पड़ा है?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) लेवी चीनी की सप्लाई सुधारने के लिए उठाए गए पगों में निम्नलिखित पग शामिल हैं :—

(1) कुछ फैक्ट्रियों द्वारा वैगनों का इण्डेंट देने में देरी करने की शिकायतें भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त होने पर फैक्ट्रियों को उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए कारण बताओ नोटिस दिए गए हैं।

(2) लेवी चीनी के शीघ्र संचलन के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए स्थल पर ही निर्णय लेने के लिए लखनऊ, बम्बई और पटना में नियत कालिक समीक्षा बैठकें हुई हैं।

(3) उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों की फैक्ट्रियों से पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, बिहार, जम्मू तथा कश्मीर, दिल्ली आदि जैसे दूर-दराज कमी वाले राज्यों को विशेष रैक से लेवी चीनी भिजवाने की व्यवस्था की गई है।

(4) रेल द्वारा प्रेषण के लिए चीनी फैक्ट्रियों को फैक्ट्री और निकटतम रेलवे स्टेशन के बीच 5 किलो मीटर की दूरी से अधिक सड़क द्वारा लेवी चीनी की ढुलाई के लिए प्रति किलो मीटर 3 पैसे प्रति क्विंटल चीनी की दर से प्रभार लेने की अनुमति दी गई है जबकि पहले एक पैसा दिया जाता था।

(5) भारतीय खाद्य निगम को जनवरी, फरवरी और मार्च के कोटों की चीनी को उन मामलों में जहां रेल द्वारा स्टाक का संचलन नहीं किया जा सकता है और खपत वाले जिलों में पर्याप्त सप्लाई उपलब्ध नहीं है, वहां 300 किलो मीटर तक की दूरी के लिए सड़क द्वारा संचलन करने का अधिकार दिया गया है।

(6) दिसम्बर, 1979 से फरवरी, 1980 तक जारी किए गए लेवी निर्मुक्ति आदेशों को सामान्य आदेश द्वारा 31 मार्च, 1980 तक बढ़ा दिया गया है और राज्य सरकारों और भारतीय खाद्य निगम को लेवी चीनी का पिछला बचा स्टाक शीघ्र भेजने के लिए कहा गया है।

(ग) उपर्युक्त उपायों के परिणामस्वरूप, फैक्ट्रियों से लेवी चीनी उठाने की रफ्तार में काफी सुधार हुआ है। फरवरी, 1980 तक 6.42 लाख मीटरी टन के कुल आबंटन में से 29-2-1980 तक कुल 4.29 लाख मीटरी टन लेवी चीनी उठा ली गई है। लेवी चीनी की सप्लाई में सुधार होने से खुले बाजार में 11-3-1980 को देश की प्रमुख चीनी मंडियों में फरवरी, 1980 के दूसरे पखवाड़े की तुलना में थोक मूल्य 40 रुपये--100/- रुपये प्रति क्विंटल के बीच तक गिर गए हैं।

विभागेत्तर डाक-तार कर्मचारी

*96. श्री जी० एम० बनातवाला
श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशम } : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभागेत्तर डाक-तार कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(ख) उनके कार्य क्या हैं और उनके औसतन मासिक वेतन क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि विभागेत्तर कर्मचारी वास्तव में वही कार्य करते हैं जो नियमित कर्मचारी करते हैं परन्तु सेवा के किसी भी लाभ के बिना उन्हें बहुत कम वेतन मिलता है ;

(घ) क्या नियमित कर्मचारियों की तुलना में विभागेत्तर कर्मचारियों के साथ इस आधार पर भेदभाव किया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में डाकखानों से आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं होता है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सभी विभागेतर कर्मचारियों को विभागीय बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) विभागेत्तर कर्मचारियों की कुल संख्या 2.48 लाख है।

(ख) वे अंशकालिक आधार पर 5 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम नहीं करते। उनकी परिलब्धियां 85/- रुपये से 170/- रुपये तक हैं।

(ग) और (घ) विभागेत्तर कर्मचारियों को मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में अंशकालिक कार्य के लिए लगाया जाता है तथा अपने खाली घंटों के दौरान वे दूसरे काम-धंधे करने के लिए स्वतन्त्र हैं। इन दोनों तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए सरकार उनकी कार्य एवं सेवा शर्तों को अपर्याप्त तथा घटिया नहीं समझती।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

चीनी कारखानों का प्रबन्ध सरकार के अधीन लिया जाना

*97. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन चीनी कारखानों पर गन्ना मूल्य का दस प्रतिशत से भी अधिक बकाया है क्या उनके प्रबन्ध को सरकारी नियंत्रण में लिये जाने का कोई कानूनी उपबन्ध है ;

(ख) ऐसे कितने चीनी कारखाने हैं जिन पर गन्ने के मूल्य का दस प्रतिशत से भी अधिक भुगतान बकाया है ; और

(ग) ऐसे कितने चीनी कारखाने हैं जिनका प्रबंध उस उपबंध के अधीन, सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया है ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) से (ग) चीनी उपक्रम (प्रबन्ध अधिग्रहण) अधिनियम, 1978 में चीनी वर्ष के तुरन्त पूर्व की अवधि के दौरान उपक्रमों के प्रयोजन हेतु खरीदे गए गन्ने के कुल मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक तक की सीमा तक गन्ने के मूल्य के बकायों को प्राप्त करने सहित विशेष परिस्थितियों में केन्द्रीय सरकार को चीनी के उपक्रमों का प्रबन्ध सौंपने की व्यवस्था है।

1978-79 के दौरान, केन्द्रीय सरकार को आठ चीनी उपक्रमों के प्रबन्ध सौंपे गए थे ताकि वे निर्धारित सीमा से अधिक गन्ने के बकायों की राशि वसूल कर सकें। केन्द्रीय सरकार को तीन उपक्रमों के प्रबन्धों को इसलिए सौंप दिया गया था क्योंकि वे निर्धारित तारीख तक उत्पादन कार्य शुरू करने में असफल रहे थे। इनमें से दो उपक्रमों के प्रबन्धों को राज्य सरकारों को सौंप दिया गया है और एक उपक्रम के प्रबन्ध को उच्च न्यायालय के आदेश पर उपक्रम के मालिकों को सौंप दिया गया है।

30 नवम्बर, 1979 को गन्ने के बकायों के संदर्भ में की गई अद्यतन समीक्षा के अनुसार 20 चीनी उपक्रमों के गन्ने के बकायों की राशि निर्धारित सीमा से भी अधिक हो गयी थी। इन उपक्रमों को अधिनियम के अधीन नोटिस जारी किए गए हैं और उनसे प्राप्त उत्तरों की अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार जांच की जाएगी।

कलकत्ता टेलीफोन

*98. श्री मुकन्द मंडल
श्री चित्त वसु } : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कलकत्ता टेलीफोन विभाग की खराब स्थिति के बारे में जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

(ग) कलकत्ता टेलीफोन विभाग की वर्तमान स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार कलकत्ता टेलीफोन विभाग को सामान्य स्थिति में लाने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) तथा (ख) जी हां। कलकत्ता नगर की टेलीफोन सेवा में कुछ गड़बड़ी रहती है जिसका मुख्य कारण भूमिगत केबुल जाल में बड़ी संख्या में खराबी होना तथा विद्युत् सप्लाई का कम उपलब्ध होना है। केबुलों में खराबी प्रायः विभिन्न संगठनों द्वारा किये जाने वाले निर्माण कार्यों से होने वाली तोड़-फोड़ तथा केबुल और सहायक उपकरणों की चोरी में वृद्धि के कारण से होती है। विद्युत् सप्लाई कम

होने के कारण टेलीफोन एक्सचेंज का वातानुकूलन संयंत्र लगातार चालू नहीं रखा जा सकता तथा इसके परिणामस्वरूप सेवा खराब रहती है।

(ग) तथा (घ) भूमिगत केबुलों की खराबियों पर काबू पाने के लिए और सामान्य कार्यकरण में सुधार करने के लिए तेजी से अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उपाय लागू किए जा रहे हैं।

(ङ) इन अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उपायों के प्रभाव स्वरूप सेवा में धीरे-धीरे सुधार होने की आशा है।

पत्तनों पर रेत हटाने के लिये ड्रेजरों की उपलब्धता

99. श्री ई० के० इम्बीचिबाबा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार केरल म प्राय: सभी मत्स्य गोदियों में अत्यधिक रेत जमा हो जाने के कारण मछली पकड़ने वाले ट्रालरों के उन गोदियों में प्रवेश होने में हो रही कठिनाईयों को देखते हुए केरल स्थित गोदियों में से फालतू रेत निकालने के लिये ड्रेजर उपलब्ध कराने का है?

कृषि मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : बड़े पत्तनों को छोड़कर अन्य स्थानों में स्थित मत्स्यन पत्तनों के रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। बताया गया है कि केरल सरकार के अपने ड्रेजर हैं और मत्स्यन बंदरगाहों से रेत हटाने के लिए उनका उपयोग करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा इस कार्य के लिए राज्य सरकार ड्रेजिंग फर्मों व जहाजरानी तथा परिवहन मंत्रालय के तहत कार्य करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान के साथ ठेका भी कर सकती हैं।

दिल्ली और परिश्चम बंगाल राज्य के शहरों के बीच एस० टी० डी० सेवा

*100. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर
श्री समर मुखर्जी } : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस० टी० डी० सुविधा के माध्यम से आसनसोल, रानीगंज, दुर्गापुर और वर्दवान को दिल्ली से जोड़ने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी हां।

(ख) वर्दवान को एस० टी० डी० के जरिए कलकत्ता और दिल्ली ट्रंक स्वचल एक्सचेंजों द्वारा दिल्ली से शीघ्र ही जोड़े जाने की संभावना है। आसनसोल ट्रंक स्वचल और दिल्ली ट्रंक स्वचल एक्सचेंजों के बीच सीधा लिंक पूरा हो जाने पर आसनसोल, रानीगंज और दुर्गापुर को वर्ष 1980-81 में एस० टी० डी० के जरिए दिल्ली से जोड़े जाने की सम्भावना है।

बिहार के अभावग्रस्त तथा दुर्भिक्षग्रस्त क्षेत्र

101. श्री रामावतार शास्त्री
श्रीमती कृष्णा साही } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने 307 खण्डों को अभावग्रस्त तथा दुर्भिक्षग्रस्त घोषित किया है ;

(ख) यदि हां, तो जिला-वार उनकी संख्या क्या है और राहत उपलब्ध करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ;

(ग) क्या पटना जिले के दानापुर, बिहटा, विक्रम, नौवतपुर, पटना सदर तथा मोकामा खण्डों को सरकार द्वारा न तो अभावग्रस्त और न दुर्भिक्षग्रस्त घोषित किया गया है, यद्यपि वहां पर फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : (क) बिहार सरकार ने 307 खण्डों को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है।

(ख) ऐसे खण्डों की जिलेवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

इन क्षेत्रों में राहत उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:—

(1) स्थिति का मौके पर जायजा लेने के लिए 11 से 13 मार्च, 1979 तक बिहार का दौरा करने वाली केन्द्रीय दल की रिपोर्ट के आधार पर तथा राहत संबंधी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार ने मवेशियों के लिए चारे की सप्लाई, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से सम्बन्धित बच्चों एवं गर्भवती/दूध पिलाने वाली माताओं को कुपोषण से बचाने, पर्याप्त अतिरिक्त रोजगार सृजित करने के लिए सभी सिंचाई कार्यों को तेज करने तथा लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि आदानों पर राज सहायता देने जैसे राहत संबंधी कार्य करने के लिए बिहार सरकार को 1182 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता की अधिकतम सीमा को स्वीकृति प्रदान की है।

(2) इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार सृजित करने वाली स्कीमों के लिए सामान्य तथा विशेष कार्यक्रमों के तहत 3.21 लाख मीटरी टन खाद्यान्न भी आबंटित किया है। इसके अतिरिक्त, समाज के कमजोर वर्गों के लिए पोषण के लिए अनाज कार्यक्रम के तहत 12500 मीटरी टन खाद्यान्न भी आबंटित किया गया है।

(3) भारत सरकार ने कृषि आदानों की खरीद और वितरण करने के लिए खरीफ एवं रबी मौसमों की फसलों के लिए 1073 लाख रुपए का अल्पावधि ऋण भी स्वीकृत किया है ।

(4) बिहार सरकार ने इन क्षेत्रों में लगान एवं ऋण की वसूली भी रोक दी है। जिन किसानों ने अपने ऋणों को स्वेच्छा से अदा कर दिया है, उनके ब्याज माफ कर दिए गए हैं।

(ग) तथा (घ) राज्य सरकार पटना जिले के दानापुर, पटना सदर तथा मोकामा खण्डों को अकाल ग्रस्त/अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि बिहटा, विक्रम, नौबतपुर को अकालग्रस्त अथवा अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करने का औचित्य नहीं है।

विवरण

जिले का नाम	जिले में खण्डों की कुल संख्या	राज्य सरकार द्वारा घोषित अकालग्रस्त खण्डों की संख्या
(क) पूर्णरूप से अकालग्रस्त घोषित जिले		
1. हजारीबाग	24	24
2. धनबाद	10	10
3. गिरिडीह	18	18
4. पालमू	25	25
5. रांची	43	43
6. सिंहभूम	32	32
7. नालंदा	12	12
8. बेगुसराय	11	11
(ख) आंशिक रूप से अकालग्रस्त घोषित जिले		
1. पटना	16	10
2. गया	25	24
3. नवादा	10	9
4. रोहतास	22	13
5. औरंगाबाद	11	8
6. भोजपुर	19	15
7. भागलपुर	21	12
8. मुंगेर	26	16
9. संथाल परगना	41	6
10. पुर्णिया	27	3
11. कटिहार	11	3
12. दरभंगा	11	3
13. सिवान	15	1
14. सारन	15	7
15. वैशाली	11	2
योग :	456	307

नारायणा गांव के निकट रिंग रोड को चौड़ा करना

649. श्री धर्मदास शास्त्री : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारायणा गांव के निकट रिंग रोड को चौड़ा करने संबंधी कार्य काफी अर्से से रुका हुआ है और अनधिकृत दुकानों के लिये दुकानदारों/जबरदस्ती कब्जा करने वाले व्यक्तियों को बार-बार नोटिस देने के अतिरिक्त इन्हें गिराने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ;

(ख) क्या सड़क की कम चौड़ाई से यातायात में अवरोध हो रहा है और गंभीर दुर्घटनायें हो रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सड़क को चौड़ा करने का कार्य शीघ्र पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) कार्य काफी समय से रुका हुआ है । रिंग रोड़ की तरफ बने अनधिकृत निर्माणों के चार मामलों में, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अधीन नोटिस जारी किये गये हैं। एक मामले में गिराने के आदेश भी पारित किये जा चुके हैं ।

(ख) इससे यातायात में अड़चन पड़ने की सम्भावना है ।

(ग) सड़क को वर्तमान 2 लेन से 4 लेन तक चौड़ा करने का कार्य चालू है। जिसमें दोनों ओर एक दुकान से लेकर दूसरी दुकान तक की भूमि की चौड़ाई इसके अन्तर्गत आ जाएगी ।

डीजल और मिट्टी के तेल की खपत और सप्लाई

650. श्री मगन भाई बरोट : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार डीजल की वार्षिक खपत कितनी है ;

(ख) क्या राज्यों को डीजल की सप्लाई में जनवरी और फरवरी, 1980 में कमी की गई थी, यदि हां, तो कितनी ;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि डीजल की कमी से मिट्टी के तेल की सप्लाई पर प्रभाव पड़ा है और क्या व्यापारी डीजल में मिट्टी का तेल मिलाते हैं ; और

(घ) डीजल और मिट्टी के तेल की सप्लाई को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में 1978-79 के दौरान हाई स्पीड डीजल तेल की कुल खपत लगभग 8.6 मिलियन मी० टन थी। राज्यवार इसका ब्यौरा संलग्न विवरण-पत्र में दिया गया है ।

(ख) असम में तीन शोधनशालाओं के दिसम्बर, 1979 के अन्तिम सप्ताह और बरौनी शोधनशाला के 2-1-1980 से बन्द हो जाने के कारण नवम्बर–दिसम्बर, 1979 के विक्रय

की तुलना में जनवरी–फरवरी, 1980 के दौरान हाई स्पीड डीजल की कुल उपलब्धता में कुछ कमी हुई है। गत चार महीनों के दौरान सारे देश में हाई स्पीड डीजल तेल के विक्रय के आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

बिक्री	आंकड़े "000" मी० टनों में (अस्थायी)
नवम्बर, 1979	832
दिसम्बर, 1979	860
जनवरी, 1980	813
फरवरी, 1980	811

(ग) डीजल की कमी के कारण मिट्टी के तेल की सप्लाई पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, इसकी सरकार को कोई जानकारी नहीं है। मिट्टी के तेल और हाई स्टीड डीजल के मूल्य लगभग बराबर-बराबर होने के कारण, मिट्टी के तेल का डीजल में मिश्रण करके आर्थिक लाभ उठाने का अवसर काफी हद तक कम हो गया है।

(घ) कमी की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गये हैं :—

(i) अतिरिक्त आयात करके डीजल और मिट्टी के तेल की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है।

(ii) मार्च, 1980 के लिए राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को डीजल और मिट्टी के तेल का आवंटन बढ़ाया गया है।

(iii) और अधिक टैंक वैगनों को प्रयोग में लाकर, टैंक, वैगनों की वापसी के समय में कमी करके, पेट्रोलियम उत्पादों को ले जाने वाली गाड़ियों को यात्री गाड़ियों से अधिक प्राथमिकता देकर रेल परिवहन में सुधार किया गया है।

(iv) मार्च, 1980 के दौरान उत्पादों को सड़क मार्ग से लाने-ले जाने को भी अधिकतम किया गया है।

(v) मिट्टी के तेल और डीजल के परिवहन के लिए हल्दिया–बरौनी–कानपुर पाइपलाइन का अधिकतम प्रयोग किया जा रहा है।

(vi) राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि डीजल और मिट्टी के तेल का वितरण आवश्यक वस्तु अधिनियम और उसके अन्तर्गत जारी किये गये नियमों के अन्तर्गत नियंत्रित किया जाए और जमाखोरी और काला बाजार करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएं। राज्य सरकारों को यह भी परामर्श दिया गया है कि इस प्रकार के दुराचार के रोकथाम के लिए काला बाजार रोकने और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई बनाये रखने संबंधी अधिनियम के अधीन प्राप्त अधिकारों के प्रयोग का विचार करें।

विवरण

राज्यवार डीजल एच०एस०डी० की वार्षिक खपत का ब्यौरा

("000" मी० टन)

राज्य	1978–79
हरियाणा	248.9
हिमाचल प्रदेश	35.7
जम्मू और काश्मीर	68.6
पंजाब	548.7
राजस्थान	469.7
उत्तर प्रदेश	945.9
चण्डीगढ़	15.6
दिल्ली	309.1
असम	154.4
बिहार	412.0
मणिपुर	15.9
मेघालय	12.1
नागालैण्ड	8.9
उड़ीसा	156.2
सिक्किम	2.5
त्रिपुरा	9.9
पश्चिम बंगाल	539.7
अरुणाचल प्रदेश	7.4
मिजोरम	5.4
अंडमान	10.8
दादर नगर हवेली गुजरात	583.6
महाराष्ट्र	1128.5
गोवा/दमन/दीव	66.2
मध्य प्रदेश	517.5
आन्ध्र प्रदेश	769.8
कर्नाटक	461.2
केरल	304.9
तमिलनाडु	785.6
पाण्डिचेरी	20.1
कुल योग :	8614.8

नोट : ऊपर दिया गया राज्यवार विक्रय उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों के लिए कुल विक्रय है ।

डीजल की सप्लाई की स्थिति

651. श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में डीजल संकट को देखते हुए अक्तूबर, 1979 में बसों और ट्रकों के नए परमिट जारी करने का कार्य स्थगित कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या डीजल की सप्लाई की स्थिति में सुधार हुआ है ; और

(ग) यदि नहीं, तो स्थिति के सुधरने की कब तक संभावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी हां । जहाजरानी तथा परिवहन मंत्रालय ने राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को अक्तूबर 1979 में अनुदेश जारी किए थे कि नई बसों/ट्रकों के लिए परमिट न जारी किए जाएं । परन्तु ये अनुदेश इस मंत्रालय द्वारा फरवरी 1980 में वापस ले लिए गए थे ।

(ख) और (ग) डीजल की सप्लाई की वर्तमान स्थिति में सुधार केवल तभी संभव है जब असम की तीन शोधनशालाओं और बिहार की बरौनी शोधनशाला में पूरा उत्पादन फिर से होगा ।

अहिन्दी भाषी लेखकों को प्रोत्साहन/पुरस्कार

652. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 से 1980 तक तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार किन-किन अहिन्दी भाषी लेखकों को हिन्दी में लेखन कार्य करने के लिए प्रोत्साहन अथवा पुरस्कार दिए गए हैं; और

(ख) क्या सरकार का इस योजना का इस प्रकार विस्तार करने का विचार है कि इसमें गैर-हिन्दी भाषी जिलों के वक्ताओं को शामिल न किया जाए ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) उन लेखकों की सूची जिन्हें "अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के हिन्दी लेखकों को पुरस्कार देने की योजना" के अन्तर्गत वर्ष 1976-77 से 1978-79 तक के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, संलग्न है । 1979-80 के पुरस्कारों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ख) जी, नहीं ।

विवरण

अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के सभी हिन्दी लेखकों की सूची जिन्हें वर्ष 1976-77 के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए हैं :—

1. डा० ओम प्रकाश गुप्त,
   प्रवक्ता,
   स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग,
   जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू तवी ।

2. डा० चन्द्रकांत बांदी वडेकर,
7, शाकुन्तल साहित्य सहवास,
वान्द्रा (पूर्वी),
बम्बई ।

3. डा० दयाल आशा,
अध्यक्ष, सिंधी विभाग,
चन्डीवाई कालेज,
उल्हास नगर ।

4. डा० ए० श्रीराम रेड्डी,
अध्यक्ष हिन्दी विभाग,
एस० वी० आर० के० राजकीय डिग्री कालेज,
डब्ल्यू० जी० जिला (आन्ध्र प्र०) ।

5. श्री मनहर चौहान,
4-सी, राजेन्द्र प्रसाद कालोनी,
ग्वालियर ।

6. श्री हरिकृष्ण कौल,
002 ब्लाक 1,
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय,
पुराना परिसर,
नई दिल्ली ।

7. डा० एस० के० शाह,
त्रिशला बंगला,
शंकर शेत रोड, मीरा कालोनी,
के सामने, पुणे ।

8. डा० दुर्गा दीक्षित,
हिन्दी विभाग,
सी-9, शिक्षक क्वार्टर,
पूना विश्वविद्यालय,
पूना ।

9. डा० एस० के० तनेजा,
8, शिक्षक फ्लैट, हंसराज कालेज,
दिल्ली ।

10. श्री ज्ञान सिंह मान,
1658, करीमपुरा,
लुधियाना (पंजाब) ।

11. श्री एस० सदाशिवं नायर,
सर्वोदय हिन्दी स्कूल,
मीनाक्षी पुरम नगर क्वाइल,
के० के० जिला (तमिलनाडु) ।

12. डा० हिरण्यम (अब दिवंगत),
"मानसी"
64/35, VII मुख्य,
II ब्लाक, जयनगर,
बंगलौर-11 ।

13. डा० पी० आदेश्वर राव,
रीडर, हिन्दी विभाग,
आन्ध्र विश्वविद्यालय,
वाल टेयर,
(आंध्र प्रदेश) ।

14. डा० वी० एन० फिलिप,
प्रोफेसर, हिन्दी,
मारथोमा कालेज, तिरुवल्ला,
(केरल) ।

15. श्री आर० शोरी राजन,
30, हिन्दी प्रचार सभा,
स्ट्रीट, टी नगर,
मद्रास ।

16. डा० अजय कुमार पटनायक,
हिन्दी प्रवक्ता,
एस० सी० एस० कालेज,
पुरी (उड़ीसा) ।

विवरण

अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के उन हिन्दी लेखकों की सूची जिन्हें वर्ष 1977-78 और 1978-79 के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए हैं ।

1. डा० नरेन्द्र मोहन,
के-55 (प्रथम तल),
कीर्तिनगर, नई दिल्ली ।

2. श्री चन्द्र कान्त कुसनूर,
लक्ष्मी निवास,
तीरंदाज टाकीज के पीछे,
गुलबर्गा (कर्नाटक) ।

3. डा० एस० आर० त्रिवेदी,
सी/4, यूनिवर्सिटी स्टाफ कालोनी,
वल्लभ विद्यानगर।

4. श्री प्रीतम सिंह पंछी,
95, रानी बाग,
शास्त्री नगर,
दिल्ली ।

5. श्रीमती सरस्वती रामनाथ,
नं० 5 सम्बासिवम स्ट्रीट,
त्यागराय नगर,
मद्रास ।

6. श्री वी० ए० केशवन नम्बूदरी,
प्रोफेसर हिन्दी,
सेंट जोसेफ कालेज,
देवगिरि,
कालीकट (केरल)।

7. डा० (कु०) के० ए० जमुना,
38, नेताजी सुभाष मार्ग,
दरियागंज,
नई दिल्ली ।

8. डा० (श्रीमती) कृष्णा रैना,
सहायक प्रोफेसर, हिन्दी,
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय,
समर हिल,
शिमला (हि० प्र०)।

9. श्री प्रणव कुमार बन्द्योपाध्याय
डी-240, सर्वोदय एन्क्लेव,
नई दिल्ली ।

10. श्री शंकर बाम,
क्वाटर नं० 35, ब्लाक नं० 3,
टाइप बी, इंडियन एयर लाइन्स,
हाउसिंग कालोनी, बसंत बिहार,
नई दिल्ली ।

11. श्री एच० बी० रामचन्द्र राव,
सहायक स्टेशन निदेशक,
आल इंडिया रेडियो,
विजाग ।

12. डा० एन० पी० कुट्टन पिल्ले,
190, एस० बी० आई० कालोनी,
टाडला बस्ती,
सिकन्दराबाद ।
13. श्री सा० निशान निगतम,
क्वाकीथल,
इम्फाल (मणिपुर) ।
14. श्री दण्डमुदी महिधर,
41, श्री निवास नगर कालोनी,
हैदराबाद ।
15. डा० मोतीलाल जोतवानी,
डी-14, दयानन्द कालोनी,
लाजपत नगर,
नई दिल्ली ।

आगामी पंचवर्षीय योजना के दौरान उर्वरक संयंत्रों की स्थापना करना

653. **श्री अमर सिंह वी० राठवा : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

आगामी पंचवर्षीय योजना में देश में और अधिक उर्वरक संयंत्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव हैं ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में स्थापित किए जाने हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल): (क) जी, हां ।

(ख) चार बड़े आकार के उर्वरक संयंत्रों को स्थापित करने का निणय लिया गया है, दो प्रत्येक थाल, महाराष्ट्र में और हजीरा, गुजरात जो बम्बई हाई/बसीन गैस पर आधारित हैं और एक उर्वरक संयंत्र ओ० एन० जी० सी० और आयल इंडिया लि० के तेल से उपलब्ध गैस पर आधारित नामरूप, असम में । ये संयंत्र, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लि० के काण्डला (विस्तार) संयंत्र और इंडियन ऐक्सप्लोसिव्स लि० के कानपुर (विस्तार) संयंत्र को छोड़कर हैं जो कार्यान्वयनाधीन हैं ।

सरकार द्वारा गठित वर्किंग ग्रुप ने सिफारिश की है कि यह विचार करना संभव होना चाहिए कि बम्बई हाई/बसीन संरचना से उपलब्ध अतिरिक्त गैस पर छः और उर्वरक संयंत्रों की स्थापना की जाए । अतिरिक्त गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्रों के लिए स्थान निर्धारण पर तभी निर्णय लिया जा सकता है जब इन्फार्स्टक्चर की उपलब्धता मांग पैटर्न आदि से सम्बन्धित पूर्ण अध्ययन पूरा हो जाए ।

पश्चिम बंगाल की आवंटित चावल और गेहूं

654. **श्री आनन्द पाठक : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में महीनेवार पश्चिम बंगाल की कितनी मात्रा में चावल, गेहूं आवंटित किया गया ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में पश्चिम बंगाल से कितनी मात्रा की मांग प्राप्त हुई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) पश्चिमी बंगाल के बारे में जनवरी, 1979 से मार्च, 1980 तक की अवधि के लिए सार्वजनिक वितरण तथा रोलर फलोर मिलों के लिए गेहूं और सार्वजनिक वितरण के लिए चावल की मांग और उनके आवेदन का ब्यौरा देने वाला विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

लोक सभा में 17-3-1980 को पूछे जाने वाले आतारांकित प्रश्न संख्या 654 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित विवरण:—

(आंकड़े हजार मीटरी टन में)

मास	मांग			आवंटन		
	गेहूं			गेहूं		
	चावल	सा० वि०	मिलें	चावल	सा० वि०	मिलें
1979						
जनवरी	125	250	55	125	250	55
फरवरी	125	250	55	125	250	55
मार्च	125	250	55	125	250	55
अप्रैल	125	250	55	125	250	55
मई	125	250	55	125	250	55
जून	125	250	55	125	250	55
जुलाई	125	250	55	125	250	55
अगस्त	125	250	55	125	250	55
सितम्बर	150	250	55	150	150	55
अक्तूबर	150	250	55	150	150	55
नवम्बर	150	250	55	150	150	55
दिसम्बर	150	250	55	150	150	55
1980						
जनवरी	150	250	55	150	150	55
फरवरी	150	250	55	150	150	55
मार्च	150	250	55	150	150	55

कोसन गैस कम्पनी के कर्मचारियों का वेतनमान

655. श्री पीयूष तिरकी
श्री के० प्रधानी

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री मैसर्स कोसन गैस कम्पनी को सरकारी नियंत्रण में लेने के बारे में 28 जनवरी, 1980 के अतारांकित प्रश्न सं० 1 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोसन गैस कम्पनी और इसकी सहायक कम्पनियों, दिल्ली गैस कम्पनी और नैचुलर गैस कम्पनी के कर्मचारियों के, श्रेणीवार वर्तमान वेतनमान क्या हैं ;

(ख) सरकारी नियंत्रण में लिए जाने के बाद कोसन गैस कम्पनी और इसकी सहायक फर्मों, दिल्ली गैस कम्पनी और नेचुरल गैस कम्पनी के कर्मचारियों को, श्रेणीवार क्या वेतनमान देने का विचार है; और

(ग) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के कर्मचारियों के, श्रेणीवार, वर्तमान वेतनमान क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) (क) बम्बई में माहुल में एक दीर्घकालिक समझौते, जो 13-12-79 को समाप्त हो गया है के अन्तर्गत काम करने वाले कर्मचारियों को छोड़कर भूतपूर्व कोलान गैस कम्पनी के अपने कर्मचारियों के लिए कोई विशिष्ट वेतनमान नहीं थे । जो वेतनमान दीर्घकालिक समझौते में दिए गए थे वे निम्नप्रकार हैं :—

पर्यवेक्षी :

(1) रु० 600—1000
(2) रु० 400—800
(3) रु० 400—750
(4) रु० 200—500

क्लैरीकल :

(1) 400—750 रु०
(2) 200—500 रु०
(3) 175—325 रु०
(4) 125—225 रु०

दिल्ली गैस कम्पनी तथा नेचुरल गैस कम्पनी भूतपूर्व कोसन गैस कम्पनी की सहयोगी कम्पनियां नहीं हैं परन्तु उसके वितरक हैं जिन्हें एजेन्सी का दर्जा प्राप्त था ।

(ख) कोसन गैस कम्पनी के कर्मचारियों के प्रस्तावित वेतनमान समीक्षाधीन हैं । इस समय कोसान गैस कम्पनी (प्रतिष्ठान का अधिग्रहण) अधिनियम 1979 की धाराओं के अनुसार भूतपूर्व कोसान गैस कम्पनी के सभी कर्मचारियों को वही वेतन तथा अन्य लाभ दिया जाता है जो अधिग्रहण से पहले उन्हें दिया जाता था ।

(ग) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० के कर्मचारियों के वेतनमान निम्न-प्रकार हैं :—

पर्यवेक्षी :

(1) 725—1405 रु०
(2) 1025—1625 रु०
(3) 1425—1805 रु०
(4) 1575—1935 रु०
(5) 1850—2250 रु०
(6) 2000—2500 रु०
(7) 2250—3000 रु०

क्लैरीकल :

(1) 570—1175 रु०
(2) 630—1255 रु०
(3) 685—1360 रु०

गांवों में सफाई अभियान

656. **श्री जय नारायण :** क्या ग्रामीण पुर्नानर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गांवों में बड़े पैमाने पर सफाई अभियान आरम्भ करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन): (क) छठी योजना (1978-83) के कार्यक्रम के अनुसार, गांवों में बड़े पैमाने पर सफाई अभियान आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि औजारों, मशीनरी और उपकरणों के विनिर्माण तथा वितरण के विषय में सम्मेलन

657. **श्री जो० वाई० कृष्णन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि इंजीनियरी समिति, जिसने अपना सम्मेलन हाल ही में किया है, ने विनिर्माण तथा वितरण मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करने के लिए और कृषि औजारों, मशीनरी और उपकरणों के लिए सहायक सुविधाओं की व्यवस्था किए जाने हेतु कुछ सिफारिशें प्रस्तुत की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे सिफारिशें क्या हैं जो सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन): (क) जी नहीं । सरकार को भारतीय कृषि इंजीनियरी समिति, जिसने "लघु कृषकों के लिए इंजीनियरी" के विषय में 6 से 8 फरवरी, 1980 तक नई दिल्ली में अपना 17वां वार्षिक सम्मेलन किया है, की सिफारिशें अभी प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं होता ।

महाराष्ट्र में टेलीफोन कनेक्शन

658. **श्री उत्तमराव पाटिल : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 के दौरान महाराष्ट्र राज्य को, जिला वार, कितने नए टेलीफोन कनेक्शन दिए गए; और

(ख) सरकार का विचार वर्ष 1978-79 और 1979-80 के दौरान कितने नए टेलीफोन कनेक्शन देने का है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन): (क) वर्ष 1977-78 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में कुल 34,020 नए कनेक्शन दिए गए । जिलेवार आंकड़े अनुबंध 1 में दिए गए हैं।

(ख) वर्ष 1978-79 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में 38478 नए कनेक्शन दिए गए । 1979-80 के दौरान 30,000 नए टेलीफोन दिए जाने की संभावना है ।

विवरण

अनुबंध–1

वर्ष 1977-78 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में दिए गए टेलीफोन कनेक्शनों की जिलावार सूची :—

1. अहमदनगर	278
2. औरंगाबाद	200
3. अमरावती	199
4. अलीबाग	286
5. अकोला	258
6. भंडारा	138
7. भीर	125
8. बुल्धाना	320
9. चन्दा	155
10. धूलिया	342
11. जलगांव	307
12. कोल्हापुर	386
13. नांदेड	193
14. नागपुर	965
15. वासीह	602
16. ओस्मानाबाद	132
17. पारभानी	169
18. पूना	3646
19. रत्नागिरि	147
20. सांगली	225
21. सतारा	248
22. शोलापुर	386
23. थाना	1939
24. वर्धा	195
25. यवतमाल	106
26. बम्बई	21883
योग	33830

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जमा राशियों का लौटाया जाना

659. **श्री डी० एल० बैथा :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई पद्धति की हुडको योजना के अन्तर्गत जनता द्वारा फ्लैटों के लिए जमा धनराशियों को वापस करने के लिए उनके आवेदनपत्रों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है ;

(ख) विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत धन वापस करने हेतु फरवरी, 1980 के अन्त तक दिल्ली विकास प्राधिकरण को कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे ;

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक कितने मामलों का निपटान किया गया है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार दिल्ली विकास प्राधिकरण को यह निदेश देने का है कि ऐसे मामलों में धनराशि शीघ्रता से वापस की जाए ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी): (क) जी, नहीं ।

(ख) 394 ।

(ग) तथा (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उसने अभी तक केवल 19 मामले निपटाए हैं क्योंकि प्रथमत: उसे पंजीकरण के लिए प्राप्त हुए 1.78 लाख आवेदन पत्रों की जांच करनी थी और जमा राशि को रिकार्ड में बढ़ाना था । अब जब कि यह चरण पूर्ण हो रहा है, पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा प्रारम्भिक जमा राशि को लौटाने के लिए दिए गए आवेदनों के निपटाने के कार्य में गति लाई जा रही है । अत: सरकार इस मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण को कोई निर्देश जारी करने का प्रस्ताव नहीं रखती है ।

दिल्ली के तुगलाकाबाद एक्सटेंशन क्षेत्र का विकास

660. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली नगर निगम ने निकट भविष्य में तुगलकाबाद एक्सटेंशन क्षेत्र का विकास करने के लिए कोई योजना अनुमोदित की है ; और

(ख) यदि हां, तो प्राधिकारियों द्वारा तुगलकाबाद एक्सटेंशन क्षेत्र के निवासियों को पानी सीवर और विद्युत जैसी मूल सुविधाएं कब तक प्रदान की जाएंगी ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) तथा (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि तुगलकाबाद एक्सटेंशन के निवासियों को जल, मलव्यन तथा बिजली जैसी मूल सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई विकास योजना अभी तक तैयार नहीं की गई है ।

विदेशी सांस्कृतिक मंडलियों का दौरा

661. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत में कितनी विदेशी सांस्कृतिक मंडलियों ने दौरा किया ;

(ख) इन मंडलियों के नाम क्या हैं और किन नगरों में वर्षवार, इन मंडलियों को आमन्त्रित किया गया ;

(ग) क्या यह सच है कि भारत के पूर्वी भाग में विशेषकर कलकत्ता, पटना और भुवनेश्वर में अधिकांश विदेशी मंडलियों को आमन्त्रित नहीं किया गया ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी कला प्रदर्शक सांस्कृतिक दलों ने पूर्वी भाग सहित भारत के विभिन्न भागों का दौरा किया । उन्होंने कलकत्ता में कई बार कला प्रदर्शन किए । कला प्रदर्शन पूर्वी भारत के अन्य शहरों अर्थात पटना, भुवनेश्वर, बोकारो, रांची तथा गोहाटी में भी प्रस्तुत किए गए । आने वाले सांस्कृतिक दलों का यात्रा कार्यक्रम, विशेष प्रकार तथा आकार के मंच तथा रोशनी की व्यवस्था; इन दलों के जो अल्पावधि के लिए भारत का भ्रमण करते हैं, भारी उपकरणों को ले जाने के लिए हवाई यातायात सुविधाओं; तथा जिस शहर में जाते हैं वहां उपयुक्त होटल तथा भोजन व्यवस्था तथा कला प्रदर्शन को प्रस्तुत कराने के लिए उपयुक्त संगठन को उपलब्धता के आधार पर निर्धारित किया जाता है ।

विदेशी कला प्रदर्शन सांस्कृतिक दल जिन्होंने 1977-78 तथा 1979 के दौरान भारत का भ्रमण किया

क्रम०	दल का नाम	भ्रमण किए गए स्थान
1	2	3
	1977	
1.	हंगरी का 30 सदस्यीय कठपुतली थिएटर .	दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, बड़ौदा, सूरत तथा बम्बई ।
2.	सोवियत रूस का 45-सदस्यीय केन्द्रीय बाल थिएटर .	दिल्ली, लखनऊ, पटना, भुवनेश्वर तथा जयपुर ।
3.	सोवियत रूस के राज्य नाटक मंडली के उप निदेशक, श्री ए० ई० उस्टीन तथा संस्कृति मंत्रालय, सोवियत रूस को मैडम आई० के० पोस्पेलोवा .	दिल्ली तथा आगरा ।

1	2	3
4.	तीन सदस्यीय दल जिसमें रूस से मैडम तामिला मखमूदोवा प्यानोवादक, श्री वलाह्मीगीर मालिनिन वायलन वादक और श्री विटान्लिग देतसेनको प्यानोवादक शामिल हैं . . .	दिल्ली, बोकारो, कलकत्ता और आगरा ।
5.	स्वीडन से 5 सदस्यीय स्टाकहोम मेरिओनिट थिएटर मण्डली	बम्बई, अहमदाबाद, दिल्ली, मद्रास और त्रिवेन्द्रम ।
6.	रूस से 50 सदस्यीय बोलशोई बैलेट थिएटर मंडली	दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, वम्बई और आगरा ।
7.	रूस से 70 सदस्यीय लोक मण्डली . .	दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और आगरा ।
8.	रूस से 20 सदस्यीय उजबेक राष्ट्रीय कठपुतली मंडली	दिल्ली, बम्बई, उदयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़ और आगरा ।
9.	रूस से 3 सदस्यीय एकल गायक मण्डली .	दिल्ली, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, रांची, बोकारो, चण्डीगढ़ और आगरा ।
10.	जर्मन जनवादी गणराज्य से प्रो० गुस्ताव सेहमहल वायलन एकल वादक और श्री हरबर्ट कालिगा प्यानो-वादक	दिल्ली, जयपुर, और बम्बई ।
11.	जर्मन जनवादी गणराज्य से अतिथि के रूप में कला प्रदर्शन के लिए 8 सदस्यीय बर्लिन अष्टपदो .	कलकत्ता, मद्रास, बम्बई दिल्ली और आगरा ।
12.	आस्ट्रेलिया का 5 सदस्यीय बाब बरनार्ड जाज पंचक (क्विनटैट) 1978	मद्रास, बम्बई, दिल्ली और आगरा ।
13.	पोलैण्ड से जाज़ मण्डली के 18-सदस्यीय पोलिश सगीतज्ञ	बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और पूना ।
14.	वियतनाम से 50 सदस्यीय वियतनामी गायन और नृत्य मण्डली	दिल्ली, चण्डीगढ़, कलकत्ता, आगरा और मद्रास ।
15.	चेकोस्लोवाकिया राज्य की गायकों और नृत्यकों की 50 सदस्यीय मण्डली . . .	बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और आगरा ।

1	2	3
16.	वियतनाम से वियतनामी सांस्कृतिक मण्डली .	दिल्ली, चण्डीगढ़, कलकत्ता और मद्रास ।
17.	यूगोस्लाविया से 5 सदस्यीय चैम्बर संगीत मण्डली .	दिल्ली, बम्बई, गोवा, बंगलौर और आगरा ।
18.	जर्मन जनवादी गणराज्य से प्यानोवादक और आर्यनिस्ट प्रो० अमादुस बेबरसिके	दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और बम्बई ।
19.	जर्मन जनवादी गणराज्य से 36 सदस्यीय लोक नृत्य मण्डली	मद्रास, दिल्ली, लखनऊ और कलकत्ता ।
20.	रूस से 40 सदस्यीय तादजिक नृत्य नाटिका मण्डली	कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, बम्बई और दिल्ली ।
	1979	
21.	उत्तरी कोरिया से 82 सदस्यीय प्यांगयांग छात्र प्रतिनिधि मण्डल	कानपुर, कलकत्ता, गोहाटी, दिल्ली, हरियाणा (सोनीपत) ।
22.	पोलैण्ड से मैम तिरेशा रतकोबस्का प्यानोवादक .	दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बंगलौर, बम्बई और पुणे ।
23.	बुलगारिया से 20 सदस्यीय कलाकार प्रतिनिधि मंडल	दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और गोवा
24.	क्यूबा से 8 सदस्यीय संगीत मण्डली . .	दिल्ली ।
25.	32 सदस्यीय मंगोली लोक नृत्य मण्डली .	दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और त्रिवेन्द्रम ।
26.	जर्मन संघीय गणराज्य से 36 सदस्यीय वुपरटल थियेटर मण्डली	बम्बई, पुणे, मद्रास, कलकत्ता और दिल्ली ।
27.	इराक से 45 सदस्यीय पापुलर आर्ट ट्रुप .	दिल्ली, चण्डीगढ़ और हैदराबाद ।
28.	युनाइटेड अरब अमीरात से 52 सदस्यीय लोक नृत्य और संगीत मण्डली . . .	दिल्ली ।
29.	यूगोस्लाविया से 15 सदस्यीय सरजेवो यूथ थिएटर मण्डली	उदयपुर 4, दिल्ली, कानपुर, बम्बई, तेलीचरी (केरल) ।
30.	जापान से 21 सदस्यीय संगीत मण्डली . .	दिल्ली ।

1	2	3
31.	श्रीलंका से उत्तर स्नातक छात्रों का 21 सदस्यीय सांस्कृतिक दल	दिल्ली, आगरा ।
32.	आस्ट्रेलिया से संगीत शास्त्रियों, संगीतज्ञों और नृतकों का 18 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल (अध्ययन दौरा)	कलकत्ता, वाराणसी, जयपुर और दिल्ली ।
33.	ग्लासगो का 18 सदस्यीय एशियाई कलाकार मण्डली	दिल्ली, पटियाला और बम्बई ।
34.	यू० के० से 3 सदस्यीय संगीत मण्डली . .	दिल्ली ।
35.	ग्रीक प्यानोवादक पापप्यनो . .	दिल्ली, बम्बई ।
36	इटली से प्रो० माइकेल प्रिशचेन्स-चलगर .	दिल्ली ।
37.	इटली से प्रो० मोरीआनामोरोलो . .	दिल्ली ।
38.	अमरीकी प्यानोवादक जेक ग्लटजर . .	दिल्ली ।
39.	एक प्रबन्धक के साथ फ्रान्स के पिनोक और माथो स्वांग कलाकार	दिल्ली, बम्बई, पुणे, बंगलौर, मैसूर, मद्रास, पाण्डिचेरी और कलकत्ता ।
40.	जर्मन संघीय गणराज्य से फलजेनर, अल्फार ट्रियो	दिल्ली ।
41.	बंगलादेश से 13 बच्चे और एक शिक्षक दल .	कलकत्ता, दिल्ली और आगरा ।
42.	श्री क्रिश्चियान बार डच सेलिस्ट . .	दिल्ली, कलकत्ता और बम्बई ।
43.	रूस से 5 सदस्यीय एकल कलाकार . .	कुल्लू, दिल्ली, बम्बई, और कलकत्ता ।
44.	जर्मन जनवादी गणराज्य से 12-सदस्यीय बर्लिन कठपुतली थिएटर . . .	बम्बई, दिल्ली, आगरा, जयपुर, रोहतक और कलकत्ता ।
45.	रूस से 50 सदस्यीय चोरियोग्रापिक मिनीएचर मण्डली	कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, बंगलौर और दिल्ली ।
46.	जर्मन जनवादी गणराज्य से 4 एकल गायकों का दल	बम्बई, पुणे, दिल्ली, मद्रास, बंगलौर, मंगलौर और कलकत्ता ।
47.	14 सदस्यीय जागरेब एकल गायक . .	दिल्ली, बम्बई, बंगलौर और हैदराबाद ।

1	2	3
48.	श्रीलंका से 21 सदस्यीय राज्य नृत्य मण्डली .	दिल्ली, आगरा, जयपुर, लखनऊ, वाराणसी, मद्रास, मदुरई और कोयम्बतूर ।
49.	बंगलादेश से नृत्य और संगीत मण्डली (सबीना यासमीन और पार्टी) . . .	दिल्ली, अजमेर, चण्डीगढ़, वाराणसी, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता और बोकारो ।
50.	पाकिस्तान से कव्वाली और गजल गायक (इकबाल बानो और पार्टी)	दिल्ली ।
51.	भूटान से लोक नृत्य मण्डली . .	दिल्ली ।
52.	नेपाल से लोक नृत्य मण्डली	दिल्ली ।

दिल्ली में अत्यधिक किराये

662. **श्री के० ए० राजन :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में किरायों में वृद्धि हो रही है और मध्यम वर्ग के लोग मकानों के लिए किराया देने में असमर्थ हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या नवनिर्मित क्षेत्रों में प्रवृत्त किरायों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ग) किराए नियत करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) किराएदारों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि दिल्ली में मालिक मकान मकानों का बहुत अधिक किराया मांग रहे हैं। मालिक मकान प्रायः यह शिकायत करते हैं कि वे काफी पहले किराए पर दिए गए भवनों का काफी कम किराया ले रहे हैं।

(ख) दिल्ली के कुछ कालोनियों में लिए जा रह किराय तथा अन्य सम्बन्धित मामलों के बारे में राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन के अनुरोध पर एक सर्वेक्षण इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ इकनोनिक ग्रोथ द्वारा किया गया था और रिपोर्ट को अन्तिम रूप 1976 में दिया गया था। यह सर्वेक्षण नव निर्मित क्षत्रों तक ही केवल सीमित नहीं था ।

(ग) किराया नियन्त्रण अधिनियम, 1958 में दिल्ली प्रशासन द्वारा नियुक्त किराया नियन्त्रकों द्वारा मानक किराया निर्धारित करने के लिए प्रावधान है । इस उपबन्ध के अधीन किराएदार या मालिक मकान किराए के निर्धारण के लिए किराया नियन्त्रक को आवेदन दे सकते ह । सरकार किराए का निर्धारण स्वयं सीधे नहीं कर सकती ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का अधिक दामों पर बेचा जाना

663. **डा० वसंत कुमार पण्डित :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जिन लोगों को दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट आबंटित किए गए हैं उनमें से काफी संख्या में लोग फ्लैटों को बढ़े हुए मल्यों पर बेचते जा रहे हैं जिससे दिल्ली में आवास समस्या का समाधान करने का प्रयोजन ही विफल हो रहा है; और यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं ; और

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट की इस अवैध बिक्री को रोकने के लिए एक सर्वेक्षण करने का विचार है और इस प्रकार से बेचने वाले आबंटियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाएगी ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) तथा (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि सिवाय पट्टा कर्ता की लिखित रूप में पूर्व अनुमति के इसके फ्लैटों को बेचने की अनुमति नहीं है । अनधिकृत बिक्री के मामले में, पट्टा विलेख के खण्ड 6 के अधीन पट्टा रद्द किया जा सकता है । जब कभी पट्टा कर्ता की मंजूरी के बिना बिक्री का कोई मामला नोटिस में आता है तो पट्टा विलेख की शर्तों के अनुसार उस पर कार्यवाही की जा सकती है ।

दिल्ली दुग्ध योजना के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के दावों का निपटान

664. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके ध्यान में यह बात लाई गई है कि दिल्ली दुग्ध योजना के प्राधिकारी सेवानिवृत्ति अधीनस्थ कर्मचारियों को देय राशि के भुगतान के मामले में अत्यधिक समय लगाते हैं ;

(ख) क्या कुछ कर्मचारियों के मामले में जो वर्ष 1978 में सेवा निवृत्त हुए थे उनकी सामान्य भविष्य निधि की राशि का भुगतान 6 महीने की निर्धारित अवधि के भीतर नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप उनको 6 महीने से बाद की अवधि के लिए ब्याज की हानि हुई है जबकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी ;

(ग) क्या ऐसे कर्मचारियों द्वारा 6 महीने से अधिक अवधि से राशि के भुगतान की तिथि तक ब्याज दिए जाने के लिए उनके मंत्रालय को कोई अभ्यावेदन भेजे गए थे ; और

(घ) यदि हां, तो प्रभावित सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आवश्यक राहत दिए जाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) केवल कुछ ऐसे विशेष मामलों को छोड़कर जिनके विषय में विजिलेंस क्लियरेन्स, सम्बंधित अधिकारियों आदि से कागजात की अपरिहार्य रूप से जरूरत पड़ती है, दिल्ली दुग्ध योजना के प्राधिकारी सेवानिवृत्त अधीनस्थ कर्मचारियों को देय राशि पर भगतान आमतौर पर निर्धारित अवधि में ही करते हैं ।

(ख), (ग) और (घ) जी नहीं । वर्ष 1978 से सम्बन्धित 43 में से 42 मामलों में सामान्य भविष्य निधि की राशि का भगतान निर्धारित अवधि में कर दिया गया था । बकाया एक मामले में दिए गए अभ्यावेदन को दिल्ली दुग्ध योजना के महा प्रबन्धक द्वारा इस विषय से सम्बन्धित नियमों के अनसार निपटा दिया गया है ।

ग्रामीण योजनाओं के बारे में केन्द्रीय निदेश

665. **श्री डी० पी० जंपजा** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में ग्रामीण योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को कोई निदेश दिए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है जो आरम्भ किए जाने हैं ;

(ग) वर्ष 1979-80 के लिए, राज्य-वार, कितनी धनराशि आवंटित की गई ; और

(घ) उपरोक्त अवधि में कितनी धनराशि खर्च की गई है और कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां । ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय द्वारा साहायियत सभी केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्राम विकास कार्यक्रमों के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु ग्रामीण पुर्नर्निमाण मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को समय-समय पर निर्देश दिए गए हैं।

(ख) चल रहे मुख्य ग्राम विकास कार्यक्रम ये हैं :--

(1) समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम ;
(2) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम ;
(3) मरुभूमि विकास कार्यक्रम ;
(4) लघु किसान विकास एजेंसी कार्यक्रम ;
(5) काम के बदले अनाज कार्यक्रम ; तथा
(6) स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों के लिए प्रशिक्षण ।

(ग) व (घ) एक विवरण संलग्न हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-540/80]

उर्वरक और बीज का रक्षित स्टाक

666. **श्री ओस्कर फर्नांडिस** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्न उत्पादन में स्थायित्व लाने के लिए उर्वरकों का रक्षित भंडार बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) सरकार ने खपत वाले क्षेत्रों में उर्वरकों के बफर स्टाक बनाने के सम्बन्ध में एक नीति पहले ही बना रखी है। इस नीति के अनुसरण में, देश में पहली फरवरी, 1980 को 12.25 लाख मोटरी टन उर्वरक का स्टाक उपलब्ध था ।

प्रौढ़ शिक्षा के लिये धनराशि का कथित दुरूपयोग

667. **श्रीमती मोहसिना किदवई** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रौढ़ शिक्षा के लिए दिए गए धन के दुरुपयोग के बारे में उन्हें बहुत सी शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये शिकायतें किस प्रकार की हैं और कितनी राशि का दुरुपयोग किया गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम समीक्षा समिति इस मामले की जांच कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो समिति के निष्कर्ष क्या हैं ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) स्वेच्छिक एजेंसियों द्वारा धन के दुरुपयोग के सम्बन्ध में कई शिकायतें प्राप्त हुई है। ऐसे मामलो में, सामान्यत: राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यवाई की जा रही है ।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के सभी पहलुओं की समीक्षा के लिए, डा० डी० एस० कोठारी की अध्यक्षता में एक समिति अक्तुबर, 1979 में गठित की गई है । आशा है कि यह समिति शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी।

तुगलकाबाद एक्सटेंशन, दिल्ली म भूमि का अधिग्रहण

668. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुगलकाबाद एक्सटेंशन में भूमि सरकार द्वारा अधिगहीत कर ली गई है अथवा किए जाने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो अधिगहीत भूमि के अन्दर कौन-कौन से खसरा संख्या आते हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पंखा रोड, नई दिल्ली में मध्य आय वर्ग के फ्लैटों में सुविधाओं की व्यवस्था

669. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या मार्च, 1978 के विज्ञापन के आबंटित पंखा रोड आवासीय योजना के मध्य आय वर्ग के कुछ फ्लेटों में रसोईघर में 'सिंक" नहीं लगाये गये थे तथा आबंटियों को अपनी कीमत पर सिंक लगवाने पड़े थे;

(ख) क्या पहले की योजना के अन्तर्गत इन फ्लेटों के आबंटियों को उक्त "सिंकों" की कीमत अदा की गई थी;

(ग) यदि न हो, तो इस भेदभाव पूर्ण व्यवहार के क्या कारण हैं; और

(घ) 1978 की योजना के अन्तर्गत अबंटियों द्वारा इस बारे में दिये गये अभ्यावेदनों पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उन फ्लेटों के आबंटियों के प्रत्यक आबंटी को 160/– रुपये की प्रतिपूर्ति की गई थी, जिन्होंने अपने पैसे से सिंक लगवाये थे ।

(ग) तथा (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि ऐसे आबंटियों के प्रत्येक आबंटी को 160 रुपये की राशि प्रतिपूर्ति के रुप में देने के लिये आवश्यक अनदेश जारी किये जा रहे हैं जिन्हें मार्च 1978 के विज्ञापन के अन्तर्गत फ्लैट आबंटित किये गये थे और जिन्होंने अपने पैसे से अपने फ्लेटों में सिके लगवाये हैं ।

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कोर के अध्यापक

670. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थता कोर के अध्यापकों का वेतनमान का मामला मंजूरी के लिये जून 1979 के प्रथम सप्ताह में भेजा था;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र सरकार की इस बारे में क्या सिफारिशें हैं; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है अथवा करने का विचार है;

शिक्षा, स्वास्थ्य समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां ।

(ख) द्वितीय महाराष्ट्र वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिश तथा महाराष्ट्र सिविल (सोशंधित वेतन) । नियमावली, 1978 के आधार पर महाराष्ट्र सरकार ने राज्य सरकार द्वारा 1–11–76 से खपाये गये एन० डी० एस० शिक्षण स्टाफ के विभिन्न वर्गों के लिये कुछ संशोधित वेतन मान के प्रस्ताव किये थे ।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिये गये हैं और इसकी सूचना राज्य सरकार को दे दी गई है।

हल्दिया में पेट्रो-केमिकल्स काम्पलैक्स

671. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया में प्रस्तावित पेट्रो-केमिकल्स काम्पलैक्स की स्थापना करने का कार्य योजना समयावलि से बहुत पीछे चल रहा है; और

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो पश्चिम बंगाल के औद्योगिक ढांचे को इस महत्वपूर्ण घटक में विलम्ब के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पेट्रोलियम उत्पादों में कमी

672. **श्री माधवराव सिंधिया**
श्री सूरजभान : } क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत एक वर्ष के दौरान पूरे देश में पेट्रोल, मिट्टी के तेल और डीजल की कमी थी;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा लगाया गया सही अनुमान क्या है; और

(ग) इसे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) गत एक वर्ष के दौरान देश के विभिन्न भागों से डीजल और मिट्टी के तेल की कमी के सम्बन्ध में रिपोर्टें प्राप्त की गई हैं। जहां तक पेट्रोल का सम्बन्ध है, ऐसी कोई कमी नहीं है।

(ख) कमी का सही सही अनुमान देना संभव नहीं है क्योंकि कमी की मात्रा कई पहलुओं पर निर्भर है।

(ग) कमी की स्थिति में सुधार लाने के लिये सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(i) अतिरिक्त आयात करके डीजल और मिट्टी के तेल की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है।

(ii) मार्च, 1980 के लिये राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को डीजल और मिट्टी के तेल का आबंटन बढ़ाया गया है।

(iii) और अधिक टैंक बैगनों को प्रयोग में लाकर, टैंक बैगनों की वापसी के समय में कमी करके, पेट्रोलियम उत्पादों को ले जाने वाली गाड़ियों को यात्री गाड़ियों से अधिक प्राथमिकता देकर रेल परिवहन में सुधार किया गया है।

(iv) मार्च, 1980 के दौरान उत्पादों को सड़क मार्ग से लाने-ले-जाने को भी अधिकतम किया गया है।

(v) मिट्टी के तेल और डीजल के परिवहन के लिये हल्दिया बरोनी कानपुर पाइप-लाइन का अधिकतम प्रयोग किया जा रहा है।

(vi) राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि डीजल और मिट्टी के तेल का वितरण आवश्यक वस्तु अधिनियम और उसके अन्तर्गत जारी किये गये नियमों के अन्तर्गत नियंत्रित किया जाये और जमाखोरी और कालाबाजार करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये। राज्य सरकारों को यह भी परामर्श दिया गया है कि इस प्रकार के दुराचार के रोकथाम के लिये काला बाजार रोकने और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम के अधीन प्राप्त अधिकारों के प्रयोग का विचार करें।

आसनसोल, बर्नपुर आदि में टेलीफोन-सेवा

673. **श्री सैफुद्दीन चौधरी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने आसनसोल, बर्नपुर, कुल्टी, रानीगंज, दुर्गापुर क्षेत्र में टेलीफोन-सेवा सुधार के लिये क्या उपाय किये हैं; और

(ख) तत्सम्बन्धी विवरण क्या है?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) वरिष्ठ दूरसंचार अधिकारियों ने इन क्षेत्रों का टेलीफोन सेवा सम्बन्धी पुनरीक्षण किया था। उन्होंने समस्याओं को समझ लिया है तथा स्थिति सुधारने के लिये उपायों की सिफारिश की है। इन उपायों के किये जाने के पश्चात् सेवा में पर्याप्त सुधार हुआ है।

(ख) स्थिति सुधारने के लिये निम्न कदम उठाये गये हैं :—

1. ट्रंक स्वचल एक्सचेंज के अनुरक्षण के लिये कार्य-प्रभारी अधिकारी के बतौर एक प्रशिक्षित अधिकारी तथा पर्याप्त प्रशिक्षित स्टाफ की नियुक्ति।

2. आसनसोल टी० ए० एक्स के केन्द्रीय वातानुकूल संयंत्र की खराबियों को ठीक करना तथा वातानुकूल संयंत्र की क्षमता बढ़ाने के लिये कमरे में लगाये जाने वाले अतिरिक्त वातानुकलन यंत्र लगाना जिससे कि एक्सचेंज के उपस्कर ठीक से कार्य कर सकें।

3. आसनसोल टी० ए० एक्स के लिये विशेष रूप से आवश्यक अतिरिक्त पुर्जों का प्रबन्ध करना।

4. सुव्यवस्थित नियमित अनुरक्षण तथा दोष निवारक प्रक्रिया द्वारा आसनसोल टी० ए० एक्स० और आसनसोल एम० ए० एक्स०1 तथा इस क्षेत्र में अन्य एक्सचेजों के अनुरक्षण में सुधार करना।

इनके परिणामस्वरूप और अधिक सुधार की संभावना है ?

शान्ति निकेतन कालोनी, नई दिल्ली में प्लाट का सही उपयोग

674. **श्री निहालसिंह :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री शान्ति निकेतन कालोनी, नई दिल्ली में सार्वजनिक सुविधाओं के रूप में प्रयोग की जा रही पाठशाला निर्माण के लिये आरक्षित भूमि के बारे में 9 जुलाई, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 131 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस प्लाट के सही उपयोग के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति की गई है;

(ख) क्या पिछले दस वर्षों से इस भूमि को अब भी मानव तथा पशु दोनों की ही जन-सुविधाओं के रूप में प्रयोग किया जा रहा है जिसके कारण यह असामाजिक तत्वों का मिलन-स्थान बना हुआ है और साथ ही वातावरण को लगातार दूषित करता जा रहा है;

(ग) क्या जैसा कि पहले उत्तर के भाग (घ) में कहा गया था दिल्ली नगर निगम ने इस भूमि को एक पार्क के रूप में परिणत करने के लिये कोई कदम नहीं उठाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में मामले को ठीक करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क), (ख), (ग)तथा (घ) : दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि प्लाट प्राथमिक स्कूल के लिये रखा गया है और जब कभी आवश्यकता हुई इसका निर्माण किया जायेगा। प्लाट के दुरूपयोग रोकने के लिये निगम ने इसके चारों तरफ कांटेदार तार की बाड लगा दी है। यह निर्णय किया गया है कि जब कभी सम्भव हो, भूमि को समतल किया जाए और प्लाट की परिधि में पेड़ तथा झाड़ियां लगाई जायें। मानसून के अभाव में गत वर्ष इस में पेड़ तथा झाड़ियां नहीं लगाई जा सकीं। दिल्ली नगर निगम का इस कार्य को आगामी मानसून में करने का प्रस्ताव है ।

अजमेर (राजस्थान) में पानी की कमी

675. श्री **भगवान देव :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अजमेर में पानी की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार बनास नहर के पानी को अजमेर जिले में लाने के लिए कोई कदम उठा रही है;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रगति हुई है; और

(घ) जिला अजमेर में पानी की कमी कब तक पूरी कर दी जायेगी ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी हां, अजमेर शहर की प्रतिदिन जल की औसत सप्लाई लगभग 60 लाख गैलन से घटकर 40 लाख गैलन हो गई है जबकि जनसंख्या 2.64 लाख (1971 की जनगणना) से बढ़कर 3.00 लाख हो गई है।

(ख) राजस्थान सरकार की एक योजना निर्माणाधीन है जिसके द्वारा बनास नदी से पानी लाकर जल सप्लाई प्रतिदिन 30 लाख गैलन बढ़ा दी जायेगी।

(ग) जनवरी, 1980 के अन्त तक 2·5 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई।

(घ) बनास नदी योजना संभवतः 1981-82 तक पूरी हो जायेगी। इसके अतिरिक्त 1972 के सर्वेक्षण में पता लगाये गये शेष समस्याग्रस्त ग्रामों में 1982-83 तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। विवि बैंक सहायता की अपेक्षित परियोजना में अजमेर जिला भी सम्मिलित है।

केन्द्रीय कृषि सचिव का केरल में 'शांत घाटी वन' का दौरा

676. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि मंत्रालय के सचिव को हाल ही में केरल में "शांत घाटी वन" (साइलेंट वेली फोरेस्ट) का दौरा करने के लिये भेजा गया था;

(ख) यदि हां, तो उनके दौरे के क्या कारण थे;

(ग) क्या उन्होंने अपने दौरे के बाद सरकार को कोई रिपोर्ट पेश की है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां, केन्द्रीय कृषि सचिव ने अक्तूबर, 1979 में शांत घाटी आरक्षित वन क्षेत्र का दौरा किया था, जिनके साथ मंत्रालय के वानिकी स्कंध के अनेक वरिष्ठ अधिकारी भी गये थे।

(ख) यह दौरा इस अनुपम उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन के संरक्षण से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करने के लिये किया गया था।

(ग) जी हां।

(घ) रिपोर्ट में की गई सिफारिशें संलग्न हैं।

विवरण

रिपोर्ट में वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने तथा शांत घाटी और समीप के आरक्षित वनों में अपार मूल्य की जैविक सम्पदा का विनाश किये और बगैर अपेक्षित स्तर तक विकास करने के उद्देश्य से निम्नलिखित उपाय करने का सुझाव दिया गया है :—

1. 39,000 हैक्टार के समूचे क्षेत्र को जिसमें (क) शांत घाटी वन, (ख) नवीना अमराम्बलम आरक्षित वन, (ग) कुन्दास वन और (घ) अट्टापाड़ी आरक्षित वन आते हैं, नेशनल रेन वायोस्फेर रिजर्व के रूप में विकसित किया जाना चाहिये। इस आरक्षित क्षेत्र को

विकसित करने की लागत भारत सरकार द्वारा वहन की जानी चाहिये क्योंकि इस अनुपम वन क्षेत्र का संरक्षण करने से केरल तथा समूचे राष्ट्र को लाभ पहुंचेगा। शांत घाटी पर्यावरण प्रबोधन समिति, जिसे राज्य सरकार ने पहले ही गठित कर लिया है, नेशनल रेन फारेस्ट बायोस्फेर रिजर्व प्लानिंग एण्ड इम्पलीमेंटेशन कमेटी का रूप लेकर पर्यावरण नियोजन तथा समन्वय सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति के मार्गदर्शन में तत्काल कार्य शुरू कर सकती है। यदि शांत घाटी रेन फारेस्ट बायोस्फेर रिजर्व का ठीक ढंग से विकास किया जाये तो यह काली मिर्च तथा इलायची आदि अनेक औषधीय बागान फसलों में मूल्यवान जीवों के लिये आश्रय-स्थल बन सकती है। यह सम्पूर्ण क्षेत्र कुछ प्रमुख कीटों के निरोधी चावल के उपयोगी जीनों के स्थल के रूप में भी पाया गया है। अतः इस क्षेत्र से मूल्यवान जीनों के ह्रास की रोकथाम करने के लिये तत्काल कदम उठाये जाने चाहियें।

2. पीची स्थित केरल वन अनुसन्धान संस्थान को, उष्ण कटिबन्धीय वर्षा वाले वनों की परिस्थितिक प्रणालियों का अध्ययन करने के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में विकसित किया जाये। यह विशेष रूप से दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में उष्णकटिबन्धीय सदाबहार वर्षा वाले वनों के जीव-जन्तुओं तथा वनस्पतियों के व्यापक हित की दृष्टि में उचित होगा।

3. पालघाट और मल्लापुरम जिलों में भूमिगत जल का एक व्यापक सर्वेक्षण शीघ्र पूरा किया जाना चाहिये और यथासम्भव अधिक से अधिक क्षेत्र में भूमिगत तथा सतही जल के उपलब्ध संसाधनों के जरिये सिंचाई की व्यवस्था करने के लिये उपाय किये जाने चाहियें। उपलब्ध भूमिगत जल के स्त्रोतों के जरिये सिंचाई की संभाव्यता बहुत अच्छी प्रतीत होती है। सिंचाई परियोजना को क्रियान्वित करने के लिये केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें संयुक्त रूप से तत्काल पालघाट तथा मल्लापुरम सिंचाई परियोजना समिति गठित करें। कृषि और सहकारिता विभाग का केन्द्रीय भूमिगत जल मण्डल, राज्य सरकार के संबंधित विभागों के सहयोग से भूमिगत जल के सर्वेक्षण की व्यवस्था करने और सिंचाई के लिये खाका तैयार करने का काम शुरू कर सकता है। चूंकि जल की निकासी का वर्तमान उपयोग वार्षिक रिचार्ज का केवल 12 से 15 प्रतिशत ही है, अतः 10,000 हैक्टार क्षेत्र के लिये सिंचाई मुहैय्या करने की व्यवस्था तेजी से की जा सकती है।

4. पालघाट और मल्लापुरम क्षेत्र की बिजली की तत्काल आवश्यकतायें इडुक्की परियोजना क्षेत्र से उपयुक्त ट्रांसमिशन लाइनों का विकास करके पूरी की जा सकती हैं। छठी योजना में केरल के लिये लगभग 45 करोड़ रु० की लागत की ट्रांसमिशन योजनाओं की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, योजना आयोग ने 15.5 करोड रु० की लागत की 3X130 मेगावाट की इडुक्की चरण 2 परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है। राष्ट्रीय विशेषज्ञों का एक दल केरल राज्य बिजली बोर्ड की सहायता से सौर ऊर्जा के उपयोग में संभावित विकास को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा की एक दीर्घकालीन रूप रेखा और नीति तैयार करें।

5. इस क्षेत्र में उपयुक्त उद्योगों का विकास करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिएं ताकि रोजगार सृजित करने के अतिरिक्त अवसर प्रदान किये जा सकें। संसाधन उपयोग की

नीतियों के आधार पर रोजगार तथा आय के सृजन सम्बन्धी कार्यक्रम तैयार करने के लिये पालघाट तथा मल्लापुरम रोजगार सृजन कन्सोर्टियम की स्थापना की जाये।

6. वर्ष 1980–81 के लिये राज्य के बजट में शांत घाटी जल विद्युत परियोजना के लिये 200 लाख रुपये के प्रावधान को भूमिगत जल विकास, इडुक्की से संचार लाइनों को लगाने तथा उपयुक्त औद्योगिक एवं कृषि परियोजनाओं के लिये उपयोग में लाया जा सकता है। पालघाट-मल्लापुरम क्षेत्र के आर्थिक विकास को तेज करने के लिये छठी योजना के दौरान योजना-बजट में पर्याप्त आबंटन रखा जाना चाहिये। शांत घाटी जल विद्युत परियोजना के लिये रखे गये समूचे आबंटन को इस कार्य हेतु ही सुरक्षित रखा जाना चाहिये।

निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि यदि क्षेत्र के लोगों की उपयुक्त सामाजिक आर्थिक महत्वाकाक्षांओं को पूरा करने के लिये उपाय नहीं किये गये तो परिस्थिति की एवं पर्यावरण के बारे में बात करना केवल व्यंग्य ही सिद्ध होगा तथा यह प्रश्न बना रहेगा कि 'मानव और बन्दर में कौन महत्वपूर्ण है'। दूसरी ओर यदि हम ऊर्जा, रोजगार एवं सिचाई उपलब्ध करने वाले अन्य विकल्पों का लाभ उठाये बिना ही शांत घाटी जल विद्युत परियोजना को क्रियान्वित करते हैं तो भावी पीढ़ी हमें 500 लाख वर्ष पुरानी आनुवंशिकी सम्पत्ति को नष्ट करने के लिये माफ नहीं करेगी, विशेषकर उस समय जब कि ऊर्जा शक्ति का स्त्रोत उपलब्ध है। परिस्थितिकी को नष्ट करने की जोखिम की उठाये बिना विद्युत, सिंचाई एवं रोजगार उपलब्ध करने के विद्यमान विकल्प से सामाजिक लक्ष्य को अधिक तेजी से एवं किफायती रूप से प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। अमूल्य परिस्थितिकी-विधि को नष्ट किये बिना ही पालघाट तथा मल्लापुरम जिलों के लोगों को बेहतर जीवन प्रदान करने की समस्या का हल खोजने में हमारी राजनैतिक, बौद्धिक अथवा वित्तीय क्षमता से लाभ उठाया जाना चाहिये। शांत घाटी जल विद्युत परियोजना की तैयारी के लिये अब तक उस पर किये गये व्यय को निष्फल नहीं माना जा सकता क्योंकि इस परियोजना को उस समय सक्रिय किया जा सकता है जब क्षेत्र की विद्युत मांग को पूरा करने के लिये कोई अन्य विकल्प नहीं रहेगा। अतः परियोजना के ब्लूप्रिन्ट को सावधानीपूर्वक सुरक्षित रखा जाना चाहिये। यदि 2000 ईस्वी तक परियोजना की विद्युत क्षमता प्राप्त करना अत्यावश्यक हो जाये तो यह कार्य वर्षा पर आश्रित रहने वाले शेष वन को क्षति पहुंचाये बिना ही संभव हो सकेगा क्योंकि उस समय तक 'नेशनल रेन फारेस्ट बायोस्फर रिजर्व' लगभग 40,000 हैक्टार के समूचे क्षेत्र के रक्षण एवं पुनरुद्धार में सहायक हो सकेगा। यदि वर्तमान परियोजना को तेजी से पूरा किया जाये तो क्षति पहुंचाये बिना विकास करने का सपना ख्याली पुलाव नहीं बना रहेगा। दूसरी तरफ यदि इस परियोजना को वनों के विनाश तथा अमूल्य आनुवंशिकी तत्व को क्षति पहुंचा कर क्रियान्वित किया जाता है तो शांत घाटी जल विद्युत परियोजना के विषय में कहा जायेगा कि पृथ्वी पर अपनी शक्ति बढ़ाने के लिये मानव ने प्रत्येक नये स्त्रोतों का उपयोग करके अपनी भावी पीढ़ियों के हितों पर पानी फेर दिया है। उसकी समूची प्रगति पर्यावरण का विनाश करके हुई है जिसे न वह पूरा कर सकता है और न इसके विषय में कल्पना ही कर सकता है।

ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली में अवैध निर्माण

677. **श्री सी० टी० दंडपाणी**: क्या निर्माण और आवास मंत्री डी० डी० ए० ईस्ट आफ कैलाश सामुदायिक विपणन केन्द्र में प्लाट मालिकों, द्वारा अनधिकृत तहखानों के अवैध

निर्माण के बारे में 9 जुलाई, 1979 के अतांराकित प्रश्न संख्या 6 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ऐसे स्वीकृत प्लानों के उल्लंघन के दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें स्थाई आधार पर लगातार किराये की आमदनी हो रही है; और

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण के इंजीनियरों और अन्य कर्मचारियों की सहमति से जानबूझ कर किये गये ऐसे उल्लंघनों को अन्ततः किस प्रकार निपटाये जाने का विचार है?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) तथा (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि कम्युनिटी सेन्टर, ईस्ट आफ कैलाश में दिल्ली विकास प्राधिकरण के पणन केन्द्र के बारे में ऐसे मामले उनके नोटिस में आये, और स्वीकृत प्लानों का उल्लंघन करने वालों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं।

कारण बताओ नोटिसों का उत्तर आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के अन्तर्गत मेघालय को खाद्यान्न

678. **श्री पी० ए० संगमा** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के अन्तर्गत मेघालय राज्य को अनाज तथा अन्य सामग्री का कोई कोटा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मात्रा क्या है; और

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस कोटे को ले लिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क), (ख) व (ग) चालू वर्ष अर्थात् वर्ष 1979–80 के दौरान, मेघालय सरकार को सामान्य काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत 2,000 मीटरी टन खाद्यान्न तथा विशेष काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत 1,000 मीटरी टन खाद्यान्न आवंटित किये गये थे। राज्य सरकार द्वारा आबंटन का उपयोग अभी शुरू किया जाना है।

मध्य प्रदेश में घने जंगलों को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करना

679. **श्री काली चरण शर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाकुओं की समस्या को हल करने के लिये तथा उस क्षेत्र के विकास के लिये मध्य प्रदेश की चम्बल घाटी में घने जंगलों को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने की कोई योजना आरम्भ की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसकी उपलब्धियां क्या हैं और इसे भिण्ड जिले में आरम्भ न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह योजना शीघ्र ही भिण्ड जिले में भी आरम्भ की जायेगी।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) डाकुओं की समस्या को हल करने के लिये और क्षेत्र के विकास के लिये चम्बल घाटी में घने जंगलों को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने की राज्य वन विभाग की कोई योजना नहीं है। भिण्ड जिले में घने जंगल नहीं हैं।

(ग) प्रश्न नहीं होता।

विवश होकर की गई बिक्री को रोकने को लिए ग्रामीण गोदामों और फसलोत्तर प्रौद्योगिकी केन्द्रों का राष्ट्रीय ग्रिड

680. श्री के० राममूर्ति : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गरीब किसानों द्वारा विवश होकर की गई बिक्री और समृद्ध उपभोक्ताओं द्वारा घबराहट के कारण की गई खरीद को रोकने के लिये ग्रामीण गोदामों और फसलोत्तर प्रौद्योगिकी केन्द्रों के एक राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) व (ख) ग्रामीण गोदामों के राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना के लिये चालू वित्तीय वर्ष से एक योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य यह है कि मूल रूप से कृषि उत्पादकों, विशेषकर छोटे तथा सीमान्त किसानों की भण्डारण आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिये राज्यों तथा केन्द्र-शासित क्षेत्रों में ग्रामीण गोदामों का जाल बिछाना है। इस योजना में कार्यान्वयन एजेंसी या तो राज्य भाण्डारागार निगम हो सकती है अथवा बाजार समिति या सहकारी सोसायटी हो सकती है। कार्यान्वयन एजेंसियां निर्माण की लागत के 50 प्रतिशत तक नकद उपदान पाने की पात्र होंगी। उपदान से सम्बन्धित व्यय केन्द्र तथा राज्यों द्वारा बराबर-बराबर के आधार पर वहन किया जाना है।

फसलोपरांत प्रौद्योगिकी केन्द्रों की स्थापना के लिये योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है और यह अभी प्रस्ताव स्तर पर है। फसलोपरांत प्रौद्योगिकी केन्द्र का उद्देश्य यह है कि सूचना का प्रसार और वैज्ञानिक ढंग से भण्डारण एवं विधायन प्रौद्योगिकी और पद्धतियों का प्रदर्शन किया जाये। केन्द्र के लिये वास्तविक वित्तीय आवश्यकतायें, इसके स्थान, क्षेत्र में पैदा होने वाली फसलों तथा केन्द्र द्वारा शुरू की गई गतिविधियों पर निर्भर होंगी।

विश्वविद्यालयों में अनुशासनहीनता

681. श्री हरि कृष्ण शास्त्री : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्षों के दौरान विश्वविद्यालयों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता के मुख्य कारणों की जांच कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) विश्वविद्यालयों के छात्रों में असन्तोष के कारणों की कोई खास जांच नहीं की गई है। तथापि, उपलब्ध सूचना के अनुसार अधिकांश मामलों में असन्तोष के कारण है : छात्र प्रतिद्वंद्विता और छात्र दलों के बीच झड़पें, नौकरियों, दाखिलों आदि में आरक्षण जैसे प्रश्नों के समर्थन अथवा विरोध में आन्दोलन, परीक्षा स्थगन तथा परीक्षा परिणामों का पुनरीक्षण, विश्वविद्यालयों के इनामों को बदलने आदि की मांग तथा परिवहन सम्बन्धी सुविधाओं आदि की अपर्याप्तता जैसे स्थानीय मामले।

"इंडियन एक्सपोर्टस हैव पूअर इमेज एब्रोड" शीर्षक से समाचार

682. डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान परिषद द्वारा कराये गये अध्ययन के परिणामों के बारे में "फाइनेंशियल एक्सप्रेस" दिनांक 16 जनवरी, 1980 में "इण्डियन एक्सपोर्टस हैव पूअर इमेज एब्रोड" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और यदि हां, तो उक्त अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष क्या है;

(ख) क्या "एक्सपोर्ट मार्केटिंग आफ नान-ट्रेडीशनल आइटम्स" शीर्षक वाले अध्ययन ने, विदेश व्यापार से सम्बन्ध संगठनों द्वारा नीति तैयार किये जाने के कार्य को प्रभावित करने वाली कोई नीति सम्बन्धी सिफारिशें भी की हैं; और

(ग) क्या सम्बन्धित मंत्रालयों और संगठनों को, ऐसे अनुसन्धान अध्ययनों के व्यावहारिक पहलुओं से सम्बन्ध अनुसन्धान निष्कर्षों के बारे में सूचित करने के लिये कोई प्रयास किये गये हैं ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) यह समाचार सरकार के नोटिस में आ चुका है। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान परिषद् द्वारा दी गई सूचना के अनुसार परिषद ने इस अध्ययन को प्रायोजित नहीं किया था। वास्तव में यह अध्ययन दिल्ली विश्वविद्यालय के एक अनुसन्धान छात्र द्वारा अपने डाक्टरेट के शोध निबन्ध के लिये किया गया है और विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा अभी इसका मूल्यांकन किया जाना है। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान परिषद् ने इस अनुसन्धान में कुछ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में छात्र द्वारा यात्राओं के लिये वित्त की व्यवस्था अवश्य की थी।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

सिंदरी आधुनिकीकरण संयंत्र जो डिजल की सप्लाई

683. श्री ए० के० राय : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्चे माल डीजल के उपलब्ध न हो पाने के कारण सिन्दरी आधुनिकीकरण संयंत्र को रुक-रुक कर चलाया जा रहा है, और यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन महीनों के दौरान संयंत्र को बन्द रखने की अवधि का माह-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या कोयला आधारित वर्तमान संयंत्र का नवीकरण किया जायेगा जिससे कि भविष्य में डीजल की कमी होने पर इस को उपयोग में लाया जा सके ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) सिन्दरी आधुनिकीकरण संयंत्र में प्रयोग किया जाने वाला कच्चा माल कम सल्फर हैवी स्टाफ/ईधंन तेल है न कि डिजल आयल। यह सत्य है कि एल० एस० एच० एस०/ईधंन तेल की अनुप्लब्धता के कारण संयंत्र को रुक-रुक कर चलाया जा रहा है। संयंत्र दिनांक 16 जनवरी, 1980 से बन्द पड़ा है।

पिछले तीन महीनों के दौरान संयंत्र के बन्द रहने की अवधि का माह-वार ब्यौरा निम्न प्रकार हैं :—

माह	बंद रहने वाले दिनों की संख्या
दिसम्बर, 1979	10
जनवरी, 1980	15
फरवरी, 1980	29

(ख) जी, नहीं ! सिन्दरी में कोयले पर आधारित पुराने संयंत्र को फरवरी, 1978 में बन्द कर दिया गया था, क्योकि उसकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी थी और संचालन असुरक्षित था। अतः इस संयंत्र का आधुनिकीकरण संयंत्र के एक सहायक संयंत्र के रूप में नवीकरण करने का प्रश्न नही उठता।

मत्स्य क्षमता का उपयोग

684. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 200 मील की समुद्री सीमा की घोषणा के बाद सरकार ने मछली पकड़ने की अतिरिक्त क्षमता के उपयोग के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं ;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) इस कार्यक्रम की मुख्य बातों में ये शामिल हैं :

सर्वेक्षण एवं प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ाना, चयनात्मक आयात द्वारा मछली पकड़ने के बड़े जलयानों का बेड़ा बनाना तथा स्वदेशी जलयानों के निर्माण के लिए राज सहायता देना, विदेशी फर्मो के साथ संयुक्त उद्यमों एवं विदेशी जलयानों को चार्टर करने की अनुमति देना, छोटी यंत्रीकृत नौकाओं का प्रयोग शुरू करना, समुद्री क्षेत्र को केवल परम्परागत मछुओं के उपयोग के लिए सुरक्षित करके उनके हितों की रक्षा करना, मत्स्यन और परिसंस्करण की विविधता, मत्स्यन बन्दरगाहों का विकास और संरक्षण क्षेत्रों का विकास करना। मछली पकड़ने के बड़े जलयानों को प्राप्त करने के लिए कृषि पुनर्वित्त विकास निगम तथा वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से नर्म शर्तो पर ऋण उपलब्ध कराने से सम्बन्धित एक प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है।

ग्रामीण रोजगार संबंधी नीति

685. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते :** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण रोजगार सम्बन्धी वर्तमान नीति पर पुनर्विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) व (ख) बेरोजगारी दूर करना तथा अल्प-रोज़गार में महत्वपूर्ण कमी करना पांचवीं योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक है।

समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोज़गार का सृजन करना है। फिलहाल, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के कुल 5,011 खण्डों में से 2,600 विकास खण्डों को लाया गया है। यह विचाराधीन है कि क्या समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के सभी विकास खण्डों को लाया जायेगा।

दूसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम "स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों के प्रशिक्षण की राष्ट्रीय योजना" (ट्राईसेम) है जिसके अन्तर्गत प्रतिवर्ष 2,00,000 ग्रामीण युवकों को लाया जाना है। इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न तकनीकी कुशलताओं में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उसके बाद ग्रामीण युवकों को औजार तथा उपकरण, वित्त, कच्चा माल तथा विपणन की सुविधाएं दी जाती हैं ताकि उन्हें स्वरोजगार की विभिन्न परियोजनाओं में लगाया जा सके। इस योजना के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने का प्रस्ताव है ताकि कालीन की बुनाई कुटीर दियासलाई आदि जैसी कुछेक दस्तकारियों तथा उद्योगों को इस योजना के अन्तर्गत लाया जा सके जो बड़े पैमाने पर मजदूरी वाले रोजगार सुलभ करेंगे। "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम नियमित आधार पर अकुशल मजदूरों को रोजगार सुलभ करता रहेगा। इसे निर्धन ग्रामीणों के लिए रोज़गार सृजित करने हेतु और अधिक प्रभावकारी साधन बनाने के उद्देश्य से इसके प्रचालनों को सरल और कारगर बनाने का प्रस्ताव है।

आदिवासियों में शिक्षा

686. **श्री के० प्रधानी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में आदिवासी छात्रों की संख्या क्या है जो इस समय सरकार से शिक्षा के लिये सहायता ले रहे हैं ; और

(ख) उस राज्य में आदिवासियों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा हाल में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास जमा कराये गये पंजीकरण शुल्क की वापसी

687. **श्री आशकरण शंखवार:** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये ढंग की पंजीकरण आवास योजना, 1979 सहित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत फ्लैटों/प्लाटों के लिए जमा कराये गये पंजीकरण शुल्क को वापस लौटाये जाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण की नीति क्या है ;

(ख) क्या आवेदकों को पंजीकरण शुल्क की वापस ली जाने वाली राशि पर कोई ब्याज दिया जाता है ;

(ग) यदि आवेदक पैसा जमा कराये जाने के चार महीनों के अन्दर-अन्दर पैसा वापस लेने के लिए आवेदन करते हैं तो क्या आवेदकों को उनकी राशि अथवा ब्याज की रकम में कोई हानि उठानी पड़ती है ;

(घ) क्या जिन लोगों ने नई योजना, 1979 के अन्तर्गत फ्लैटों के लिए पैसे जमा करवाये थे और फिर उसे वापस लेने के लिए 31 दिसम्बर, 1979 तक आवेदन किया था, उन्हें राशि वापस कर दी गई है ; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या इस प्रकार के विलम्ब से लौटाई जाने वाली राशि पर आवेदकों को कोई ब्याज दिया जायेगा ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क), (ख) तथा (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उनके फ्लैटों के आबंटन के लिये पंजीकरण की शर्तों के अनुसार, पंजीकरण शुल्क कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिये जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस पर ब्याज की वार्षिक दर 7 प्रतिशत है। तथापि, विशेष परिस्थितियों में, एक वर्ष के भीतर, पंजीकरण शुल्क लौटाने की अनुमति दी जा सकती है लेकिन इस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

प्लाटों के मामले में, पंजीकरण शुल्क नहीं है, लेकिन धरोहर राशि आवेदन पत्रों के साथ जमा करानी अपेक्षित है। धरोहर राशि बिना ब्याज के लौटाई/समायोजित की जाती है।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उसे 31 दिसम्बर, 1979 तक पंजीकरण शुल्क लौटाने के 175 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे और 12 मामलों में उन्होंने इसकी अनुमति दे दी है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि शेष आवेदन पत्र इस कारण निपटाये नहीं जा सके क्योंकि उन्होंने पहले लगभग 1.72 लाख आवेदन-पत्रों की जांच करनी है और उन्हें जमा राशि को रिकार्ड पर लाना है। तथापि, वे पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा जमा कराई गई प्रारंभिक राशि को लौटाने के आवेदनों को निपटाने में शीघ्रता कर रहे हैं।

(ङ) जी, नहीं।

गुहागर तालुक, रत्नागिरि में सार्वजनिक टेलीफोन, उपडाकघर और तारघर

688. श्री बापूसाहिब परूलेकर: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले में गुहागर तालुक में कितने गांव हैं और कितने गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन और उपडाकघर तथा तारघर हैं ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इस तालुक में डाक और दूरसंचार की सुविधाएं अपर्याप्त हैं ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि एक वर्ष पूर्व डाक सलाहकार समिति के एक सदस्य द्वारा महाडाकपाल बुंबई को तालुका के लिए अपेक्षित डाकघर, सार्वजनिक टेलीफोन और तारघरों का ब्यौरा तत्संबंधी नक्शों सहित दे दिया गया था लेकिन अभी तक वहां कोई सुविधा प्रदान नहीं की गई है ; और

(घ) इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्रवाई करने का है?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) महाराष्ट्र के रत्नगिरि जिले में गुहागर तालुक में 78 गांव हैं। इनमें से 2 में सार्वजनिक टेलीफोन, 4 में उप डाकघर तथा 4 में तारघर हैं।

(ख) तालुक में जहां कहीं भी डाक एवं दूरसंचार सुविधाओं का औचित्य बनता है उन्हें उपलब्ध कराया गया है।

(ग) जी हां। इसके बाद 6 विभागेतर शाखा, डाकघर, एक विभागेतर उप डाकघर तथा एक उप डाकघर खोला गया है। 2 गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने का प्रस्ताव पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है और आवश्यक भंडार प्राप्त होने तथा कार्य पूरा होने पर ये सुविधायें प्रदान कर दी जायेंगी।

(घ) सरकार की स्वीकृत नीति के अनुसार तालुक में शीघ्रातिशीघ्र और अधिक डाकघर, सार्वजनिक टेलीफोन तथा तारघर खोलने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

टेलीफोन कनेक्शन के लिए अग्रिम जमा योजना

689. श्री चन्द्रपाल मणि तिवारी: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक व तार विभाग द्वारा टेलीफोन कनेक्शनों के लिए 'एडवांस डिपाज़िट' योजना 1976 में शुरू की गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बहुत से लोग निर्धारित समय के अन्दर राशि जमा नहीं करा सके थे और कुछ मामलों में अन्तिम तारीख के बाद नियमों में छूट देकर मांगपत्र को पुनः वैध करार दे दिया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो 1979 के दौरान दिल्ली में कितने मामलों में इस नियम में ढील दी गई?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी नहीं। अग्रिम जमा योजना सितम्बर, 1975 में शुरू की गई थी।

(ख) जी हां।

(ग) प्रत्येक मामले का निपटारा उसकी योग्यता के आधार पर किया जाता है और ऐसी कोई सूची उपलब्ध नहीं है। 1979 के दौरान पुनः वैधीकरण के तीन मामलों का पता चला था। ऐसे एक या दो मामले और भी हो सकते हैं। अभी हाल में यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी मामले का पुनः वैधीकरण न किया जाए।

नशाबन्दी के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता

690. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने पूर्ण नशाबन्दी लागू की है और जिन्हें इसके लिए क्षतिपूर्ति के रूप में वित्तीय सहायता दी गई है ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : बिहार ने 1 अप्रैल, 1979 से पूर्ण मद्य निषेध लागू कर दिया था। तमिलनाडु और गुजरात बहुत समय से "मद्यवर्जित" राज्य हैं।

1978-79 में 8 राज्यों को क्षतिपूर्ति का "लेखे पर" भुगतान किया गया था। बिहार को 209.44 लाख रुपए की धनराशि दी गई थी। सहायता के अनुमोदित ढंग के अन्तर्गत तमिलनाडु और गुजरात को कोई सहायता देय नहीं थी।

नये पेट्रोल पम्पों की स्वीकृति

691. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये नये पेट्रोल पम्पों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है ;

(ख) उन पार्टियों के नाम और पतों का ब्यौरा क्या है जिनको ये स्वीकृत किये गये हैं ;

(ग) पेट्रोल पम्पों की मांग करने वाले विचाराधीन आवेदनों की वर्तमान संख्या कितनी है और उन पर निर्णय लिए जाने की सम्भावना कब तक है ; और

(घ) आवेदनों पर स्वीकृति दिए जाने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किया गया है।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) पेट्रोल पम्पों की स्वीकृति सम्बद्ध तेल कम्पनियों द्वारा की जाती है। गत तीन वर्षों में कम्पनी-वार तथा राज्य-वार स्वीकृत/चालू किये गये पेट्रोल पम्पों की संख्या संलग्न विवरण पत्र में दी गई है।

(ख) जिन व्यक्तियों/पार्टियों को पेट्रोल पम्प दिये जाते हैं उनका विवरण सरकार द्वारा नहीं रखा जाता। इस प्रकार की वास्तविक जानकारी एकत्र करने पर व्यय और समय अधिक लगता है। ये रिकार्ड सम्बद्ध तेल कम्पनियों द्वारा रखा जाता है।

(ग) समाचार पत्र में विज्ञापन देकर आवेदन पत्र आमंत्रित करने के बाद तेल कम्पनियों द्वारा डीलरों की नियुक्ति की जाती है। इन विज्ञापनों के उत्तर में जो आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं केवल उन्हीं पर विचार किया जाता है। डीलरों का चयन किये जाने पर शेष आवेदन पत्र रद्द माने जाते हैं।

(घ) जब कभी डीलरशिप खोलने का निर्णय लिया जाता है तो सम्बद्ध क्षेत्रों में प्रचलित समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर भावी प्रत्याशियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं और जिन प्रत्याशियों ने तेल कम्पनियों के विज्ञापन के उत्तर में आवेदन पत्र भेजे हैं उनमें से चयन विधिवत गठित एक चयन समिति द्वारा किया जाता है। परन्तु यह चयन निम्निलिखित मुख्य शर्तों पर होता है :—

(i) किसी भी ऐसे व्यक्ति को डीलरशिप नहीं दी जायेगी जिसके निकट सम्बन्धी जैसे कि पति/पत्नी, पिता भ.ई या पुत्र के पास पहले से ही किसी तेल कम्पनी की डीलरशिप है।

(ii) वह मैट्रिक या उसके बराबर परीक्षा पास हो और आवेदन पत्र की तिथि पर 45 वर्ष की आयु से कम हो।

(iii) उसकी व्यापार क्षमता पर्याप्त हो वित्तीय स्थिति अच्छी हो और उद्यमी विक्रय तथा प्रबन्ध में कुशल हो।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा स्वीकृत चालू फुटकर बिक्री केन्द्र

राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	1977	1978	1979
आन्ध्र प्रदेश	40	39	37
अरुणाचल प्रदेश	02	—	01
बिहार	22	19	09
गुजरात	10	09	15
हरियाणा	19	07	10
हिमाचल प्रदेश	—	03	—
जम्मू और काश्मीर	01	01	01
कर्नाटक	17	09	20
केरल	06	07	15
मध्य प्रदेश	16	03	06
महाराष्ट्र	13	10	14
उड़ीसा	05	04	06
पंजाब	60	35	15
राजस्थान	31	08	07
तमिलनाडु	13	15	35
त्रिपुरा	02	01	—
उत्तर प्रदेश	91	61	24
पश्चिम बंगाल	16	13	20
दिल्ली	06	09	—
पाण्डिचेरी	01	01	03
योग	371	254	238

चीनी की अतिरिक्त मात्रा की तुरन्त सप्लाई के लिए बिहार सरकार की मांग

692. **श्रीमती किशोरी सिन्हा**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य को अतिरिक्त चीनी की तुरन्त सप्लाई के लिए फरवरी, 1980 के अन्तिम सप्ताह में मांग की थी;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) चीनी की कितनी मात्रा की मांग की गई थी और जनवरी और फरवरी, 1980 के दौरान राज्य को कितनी मात्रा में सप्लाई की गई थी?

कृषि में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन): (क) और (ख) जी नहीं। लेकिन मास के प्रारम्भ में बिहार सरकार ने अनुरोध किया था कि उनके राज्य में चीनी का संचलन तेजी से किया जाए। भारतीय खाद्य निगम की एजेन्सी के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई की गई।

(ग) 17 दिसम्बर, 1979 से चीनी की आंशिक नियंत्रण की नीति को पुनः लागू करने के बाद, बिहार राज्य को 26,929 मीटरी टन प्रति मास के हिसाब से लेवी चीनी का कोटा आवंटित किया जा रहा है जैसाकि अगस्त, 1978 में चीनी का विनियंत्रण करने के तुरन्त पहले किया जाता था। सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के फलस्वरूप, भारतीय खाद्य निगम द्वारा बिहार राज्य को चीनी भेजने के कार्य में काफी सुधार हुआ है।

भूमि अभिग्रहण अधिनियम में संशोधन

693. **श्री लक्ष्मण सिंह तुड़**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भूमि अभिग्रहण अधिनियम में उस केन्द्रीय समिति की सिफारिशों के अनुसार जिसने 10 वर्ष पूर्व अपना प्रतिवेदन दिया था, संशोधन करने के लिए पंजाब सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में पंजाब सरकार के सुझाव स्वीकार कर लिये हैं; और

(ग) अधिनियम का संशोधन कब तक किया जायेगा।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन): जी हां।

(ख) और (ग) पंजाब सरकार को सलाह दी गई थी कि वह 1894 के केन्द्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम में किए जाने वाले संशोधनों को पूरा होने तक प्रतीक्षा करे जिनके विषय में कृषि मंत्रालय में कार्यवाही की जा रही है। विचाराधीन संशोधन कब तक पूरे कर लिए जायेंगे, इस बारे में कोई संकेत देना सम्भव नहीं है।

विद्यासागर विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता

694. **पो० सत्य सधन चक्रवर्ती**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विद्यासागर विश्वविद्यालय के लिये वित्तीय सहायता का प्रश्न अभी तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन पड़ा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इस समय कानून के अन्तर्गत स्थापित विद्यासागर "विश्वविद्यालय" नाम का कोई विश्वविद्यालय देश में नहीं है। तथापि यदि यह पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मिदनापुर में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित विश्वविद्यालय के संदर्भ में है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इसे कोई सहायता दिए जाने का प्रश्न तब ही उठ सकेगा जबकि यह विश्वविद्यालय स्थापित हो जाए और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12-क के अन्तर्गत आयोग द्वारा सहायता प्रस्तुत करने के लिए इसे पात्र घोषित कर दिया जाए।

जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में स्कूलों और कालेजों का खोलना

695. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पिछड़े क्षेत्रों में केन्द्रीय स्कूल और डिग्री कालेज खोलने के प्रश्न पर विचार कर रही है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में गरीब लोगों के बच्चे कम लागत पर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले का सेमियाखान ब्लाक बहुत पिछड़ा हुआ है और डिग्री कालेज वहां से काफी दूरी पर है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क), (ख) और (ग) केन्द्रीय विद्यालय मुख्य रूप से केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों, विशेषकर रक्षा कार्मिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए ऐसे स्थानों पर खोले जाते हैं, जहां पर इस प्रकार के कर्मचारी पर्याप्त संख्या में होते हैं। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

देश के किसी भी भाग में डिग्री कालेज स्थापित करने की केन्द्रीय सरकार की कोई योजना नहीं है। अतः बस्ती जिले में केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई डिग्री कालेज खोले जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सामान्य जनता को कुकिंग गैस उपलब्ध कराना

696. **श्री छीतू भाई गामित**: क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निकट भविष्य में सामान्य जनता को कुकिंग गैस उपलब्ध कराने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल): (क) जी, हां।

(ख) देश में सरकार का खाना पकाने की गैस की उपलब्धता को बढ़ाने का विचार है जो 1980-81 के लगभग निम्नलिखित परियोजनाओं के चालू होने से सम्भव होगी :—

(i) बम्बई हाई सम्बद्ध गैस से तरल पैट्रोलियम गैस के निकालने की सुविधायें ;

(ii) मथुरा शोधनशाला ;

(iii) कोयाली शोधनशाला में सहायक शोधन सुविधायें ; और

(iv) बोंगईगांव शोधनशाला की कोकर यूनिट।

इसी बीच, शोधनालाओं में तरल पैट्रोलियम गैस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कदम उठाये जाने के अतिरिक्त, सरकार का खाना पकाने की गैस की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए यथा सम्भव इसके आयात करने की योजना है।

अनुसूचित जातियों/जन जातियों को गैस और पेट्रोलियम उत्पाद एजेंसियों का आवंटन

697. **श्री राम लाल राही :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व पेट्रोलियम और रसायन मंत्री द्वारा 1978-79 और 1979-80 के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए गैस और पेट्रोलियम व्यापार में आरक्षणों के लिए कुछ स्थानों का चयन किया गया था और आवेदन आमंत्रित किए गए थे और तदनुसार साक्षात्कार भी किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उनके लिए विभिन्न स्थानों पर लिए गए आरक्षण के आधार पर चुने गए इन व्यक्तियों को अवसर प्रदान करने में अब किस कठिनाई का अनुभव किया जा रहा है ; और

(ग) क्या सरकार इन लोगों को, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, आगरा आदि जैसे स्थानों पर गैस ऐजेंसी लेने के अवसर प्रदान करने के लिये तत्काल कोई निर्णय करेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क), (ख) और (ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों द्वारा अनुसरण की जाने वाली वर्तमान नीति के अनुसार सभी प्रकार की ऐजेन्सियों का 25 प्रतिशत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को दिया जाना होता है। खाना पकाने वाली गैस की एजेन्सियों को छोड़ कर, इन समुदायों को दी जाने वाली डीलरशिपों के स्थान पूर्वनिर्धारित नहीं होते। जहां तक खाना पकाने वाली गैस की ऐजेन्सियों का सम्बन्ध है, वर्ष 1978-79 के लिए आयोजित 87 ऐजेन्सियों में से 24 एजेन्सियों अनसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं जिनके लिए स्थल का निर्धारण 15-5-1978 को तत्तकालीन मंत्री द्वारा लोक सभा में दिये गये वक्तव्य के अनुसार किया गया था। इसी प्रकार तेल कम्पनियों द्वारा खाना पकाने की गैस की एजेन्सियों देने के लिए वर्ष 1979-80 के लिए योजना तैयार की गई है और निर्धारित कार्यप्रणाली के अनुसार तेल कम्पनियां कारवाई कर रही हैं।

परन्तु उत्पाद की उपलब्धता न होने के कारण खाना पकाने की गैस की नई एजेन्सियों का चालू किया जाना स्थगित रखा गया है। जब और गैस उत्पाद की उपलब्धता में सुधार होगा, पहले से दी गई एजेन्सियों को चालू करने के लिए तेल कम्पनियां आवश्यक कार्रवाई करेंगी।

छपरा टेलीफोन एक्सचेंज (बिहार) की खराब स्थिति

698. प्रो० सत्यदेव सिंह: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को छपरा टेलीफोन एक्सचेंज (बिहार) की बिगड़ती स्थिति के बारे में शिकायतें मिली हैं:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) 100 लाइनें और बढ़ाकर एक्सचेंज की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है। ऐसा करने से यातायात को और अधिक दक्षतापूर्वक निपटाने में सहायता मिलेगी।

राज्यों को पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई

699. श्री चन्द्रजीत यादव: क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो महीनों के दौरान विभिन्न राज्यों की डीजल और मिट्टी के तेल की कितनी मात्रा सप्लाई की गई है;

(ख) इन राज्यों ने कितनी मात्रा की मांग की थी और उसकी कितनी प्रतिशत सप्लाई की गई है; और

(ग) क्या यह सच है कि भारत सरकार पेट्रोलियम, डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों को बढ़ाने के बारे में गम्भीरता से विचार कर रही है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल): (क) जनवरी और फरवरी, 1980 के लिए विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के हाई स्पीड डीजल और मिट्टी के तेल के अस्थायी विक्रय आंकड़े दिखाने वाला एक विवरण-पत्र संलग्न है।

(ख) राज्य सरकारें समय-समय पर अतिरिक्त आबंटन के लिए मांग कर रही थी। मांग की प्रतिशतता, जो उन्हें सप्लाई की गई है, बताना सम्भव नहीं है।

(ग) 1979 की गत तिमाही से पेट्रोलियम उत्पादों और आयातित कच्चे तेल के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि से आयात बिल में निरन्तर वृद्धि हुई। पेट्रोलियम उत्पादों के घरेलू मूल्य में वृद्धि संभव है।

विवरण (आंकड़े मी० टनों में)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	हाई स्पीड डीजल तेल		मिट्टी का तेल	
	जनवरी, 1980 (अस्थायी)	फरवरी, 1980 (अस्थायी)	जनवरी, 1980 (अस्थायी)	फरवरी, 1980 (अस्थायी)
1. आन्ध्र प्रदेश	61236	64432	28405	27594
2. अरुणाचल प्रदेश	349	335	226	270
3. असम	8304	6066	4444	2802
4. मणिपुर	457	630	349	476
5. मिजोरम	212	345	104	169
6. विहार	28373	25810	13510	16138
7. दिल्ली	27412	25572	9654	9702
8. गोवा, दमन और दीव	7524	7228	1062	1120
9. गुजरात	53975	55421	36174	30577
10. हरियाणा	23222	20952	5212	4404
11. पंजाव	41558	39434	10700	8679
12. हिमाचल प्रदेश	3769	3215	1175	928
13. चण्डीगढ़	1354	1412	761	598
14. जम्मू और काश्मीर	5817	5446	2150	1767
15. कर्नाटक	41622	43445	17630	17929
16. केरल	30172	29688	11190	10871
17. मध्य प्रदेश	34672	31139	16315	14743
18. मेघालय	1164	662	314	233
19. महाराष्ट्र	99053	95002	68945	68090
20. नागालैण्ड	288	610	165	317
21. उड़ीसा	12842	13366	6075	6545
22. राजस्थान	39224	38435	10776	9845
23. सिक्किम	उप० नहीं	उप० नहीं	उप० नहीं	उप० नहीं
24. तमिलनाड	71841	78522	30124	28601
25. पाण्डिचेरी	1822	1764	648	531
26. उत्तर प्रदेश	55509	66563	24915	24497
27. त्रिपुरा	224	614	132	647
28. पश्चिम बंगाल	50619	50078	30405	27603
29. अंडमान	उप० नहीं	उप० नहीं	उप० नहीं	उप० नहीं
योग	702655	706186	330840	315676

नोट : (i) दादर व नगर हवेली की बिक्री गुजरात राज्य के बिक्री आंकड़ों में सम्मिलित हैं।
(ii) लक्षद्वीप में बिक्री केरल राज्य के बिक्री आंकड़ों में सम्मिलित हैं।
(iii) यह आंकड़े रक्षा और रेलवे को की गई बिक्री को छोड़कर हैं।
(iv) उप० नहीं=उपलब्ध नहीं।

तेलशोधक कारखानों का बन्द होना और उत्पादन में हानि

700. **श्री अमर राय प्रधान**
श्री उत्तमराव पाटिल } : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष फरवरी में बरौनी, बोंगाईगांव, गोहाटी और डिग-बोई तेल शोधक कारखानों के बन्द हो जाने के कारण प्रतिदिन 5000 टन डीजल और 1000 टन मिट्टी के तेल के उत्पादन की हानि हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो अधिकतर तेल शोधक कारखानों के बन्द होने के परिणाम स्वरूप प्रत्येक मद के उत्पादन की कुल कितनी हानि हुई हैं;

(ग) सभी तेल शोधक कारखानों में कुल मिलाकर स्थिति इतनी खराब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) सामान्य उत्पादन ढांचे के अनुसार पुनः उत्पादन आरम्भ करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) इन तेल शोधनशालाओं के बन्द होने से फरवरी, 1980 के लिये मुख्य उत्पादों की उत्पाद-वार हानि निम्न प्रकार है :—

आंकड़े "000" मी० टनों में

उत्पाद	योजनाबद्ध उत्पादन फरवरी 1980	वास्तविक उत्पादन	कमी
एम० एस०	27.7	5.9	21.8
एल० पी० जी०	2.3	..	2.3
एन० ए० पी०	48.2	..	48.2
एच० एस० डी०	143.6	5.2	138.4
एस० के० ओ०	28.2	6.0	22.2
एल० डी० ओ०	33.9	2.5	31.4
एफ० ओ०	16.5	2.1	14.4
एल० एस० एच० एस० . . .	53.0	2.6	50.4
योग :	353.4	24.3	329.1

(ग) पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन की हानि असम में व्यापक आन्दोलन के कारण हुई, जिस क्रूड उत्पादन, शोधनशाला के संचालन और उत्पाद के लाने-ले-जाने पर प्रभाव पड़ा था

(घ) सरकार असम में सामान्य स्थिति पुनः स्थापित करने के लिये सभी संभव प्रयत्न कर रही है, एक बार ऐसी स्थिति बन जाने से इन शोधनशालाओं में उत्पादन की स्थिति सामान्य हो जायेगी।

अनाज और चीनी के भंडारण के लिए स्थान का अभाव

701: **श्री जितेन्द्र प्रसाद:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में अनाज और चीनी के भण्डारण के लिये स्थान की बहुत कमी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और वर्तमान भण्डारण क्षमता, राज्यवार कितनी है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भाण्डागार निगम स्थिति से निपटने में असमर्थ हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ग) : जी नहीं। भारतीय खाद्य निगम और सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन की अपनी तथा किराये की समूची भण्डारण क्षमता निगमों के पास स्टाक के स्तर के लिये पर्याप्त है। खाद्यान्नों की अधिकतम वसूली के मौसम के दौरान भण्डारण क्षमता की कमी को पूरा करने के लिये उपयुक्त उपाय भी किये जाते हैं।

(घ) दीर्घकालीन योजना की आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से बफर स्टोरेज कार्यक्रम के अधीन गोदामों का निर्माण करवा कर अपनी वैज्ञानिक ढकी हुई क्षमता बढ़ाने की योजनाओं को कार्य रूप दिया जा रहा है। इसके अलावा भारतीय खाद्य निगम ने कृषि पुनर्वित्त विकास निगम की सहायता से भारतीय खाद्य निगम की निर्दिष्टियों के अनुसार प्राइवेट पार्टियों द्वारा अपनी भूमि पर गोदामों के निर्माण को बढ़ावा देने की योजना के अधीन प्राइवेट पार्टियों से भी क्षमता प्राप्त की है। ये गोदाम गारन्टीबद्ध अधिभोग के आधार पर खाद्य निगम को किराये पर दिये जाते हैं।

एक विवरण संलग्न है जिसमें भारतीय खाद्य निगम के पास 1-2-1980 को खाद्यान्नों, चीनी आदि का भण्डारण करने के लिये राज्यवार उपलब्ध क्षमता (अपनी, किराये की और ढकी तथा प्लिंथ) का ब्यौरा दिया गया है। इसके अलावा, चीनी फैक्ट्रियों के पास भी 49.37 लाख मीटरी टन भण्डारण क्षमता है।

विवरण

भारतीय खाद्य निगम के पास पहली फरवरी, 1980 को उपलब्ध भण्डारण क्षमता

(आंकड़े हजार मीटरी टन में)

क्रम संख्या	क्षेत्र का नाम	क्षमता
1	2	3
	पूर्वी जोन	
1.	असम	360.86
2.	बिहार	992.04
3.	एन० ई० एफ० क्षेत्र	87.99
4.	उड़ीसा	221.47
5.	पश्चिमी बंगाल	1,147.00
6.	जे० एम० (पी० ओ०) कल	738.75
		3,548.11
	उत्तरी क्षेत्र	
7.	दिल्ली	218.46
8.	हरियाणा	1,266.88
9.	हिमाचल प्रदेश	15.00
10.	जम्मू और कश्मीर	56.20
11.	पंजाब	4,687.48
12.	राजस्थान	1,527.00
13.	उत्तर प्रदेश*	3,088.01
		10,859.03
	दक्षिणी क्षेत्र	
14.	आन्ध्र प्रदेश	2,417.49
15.	केरल	405.73
16.	कर्नाटक	490.07
17.	तमिल नाडु	967.89
18.	जे० एम० (ओ० ओ०) मद्रास	122.62
		4,403.80

1	2	3
	पश्चिमी क्षेत्र	
19.	गुजरात	597.95
20.	कांडला	523.10
21.	मध्य प्रदेश	1,680.18
22.	महाराष्ट्र	1,903.19
		4,704.42
	सकल जोड़	23,515.36

*अस्थायी

कोका का उत्पादन

702. **श्री पी० के० कुरियन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार भारत में कोका का कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि कोका का उत्पादन इस कारण बढ़ता जा रहा है है क्योंकि केरल और कर्नाटक में अधिक से अधिक किसान कोका की खेती कर रहे हैं;

(ग) क्या सरकार को पता है कि कोका के मूल्य गिर रहे हैं जिससे किसानों को चिन्ता हो रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या कोका के मूल्यों में स्थिरता लाने के लिये उसका निर्यात करने और विदेशी मुद्रा अर्जित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि किसानों को लाभप्रद मूल्य मिले, यदि कोई कदम उठाये गये हैं तो वे क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) कोका के उत्पादन के सरकारी अनुमानों का संकलन नहीं किया जा रहा है।

(ख) जी हां।

(ग) हाल में कोका के मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है तथापि, कोका के मुख्यतः आय के एक पूरक के रूप में नारियल तथा सुपारी के बागानों में एक अन्तर्वर्ती फसल के रूप में उगाये जाने के कारण मूल्यों में इस स्तर तक गिरावट नहीं आई है जिससे किसानों को चिन्ता हो।

(घ) भारत इस समय कोका का आयात कर रहा है । कोका एक विनियंत्रित मद होने की वजह से, फालतू भण्डार उपलब्ध होने पर इसका निर्यात किया जा सकता है ।

(ङ) सरकार क्षेत्र परिसंस्करण को सुधारने के लिये कदम उठा रही है, ताकि किसानों द्वारा उत्पादित फलियों की किस्म वेहतर हो और वे लाभकारी मूल्य प्राप्त कर सकें ।

मध्य प्रदेश में पेट्रो-रसायन कम्पनी की स्थापना

703. श्री शिव कुमार सिंह : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार निकट भविष्य में मध्य प्रदेश में "पेट्रो-रसायन कम्पलेक्स" की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कम्पलेक्स के किस स्थान पर स्थापित किया जाने का विचार है;

(ग) क्या उक्त कम्पलेक्स को मध्य प्रदेश के खण्डवा जिले में स्थापित किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो, उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) पेट्रो-रसायनों पर पुनर्गठित कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर, देश में कुछ पेट्रो-रसायन संयंत्रों की स्थापना करने सम्बन्धी कार्रवाई की जा रही है। इन संयंत्रों के स्थल का सुझाव स्थल चयन समितियों जिनकी नियुक्ति की जा रही है, द्वारा दिया जायेगा।

पराद्वीप पत्तन, उड़ीसा में मत्स्य पत्तन

704. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परादीप पत्तन, उड़ीसा में मत्स्य पत्तन बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) परादीप मत्स्यन पत्तन का डिजाईन इस प्रकार तैयार किया गया है जिससे कि उसमें 12 मीटर के आकार की 250 यंत्रीकृत नौकाओं तथा 16 मीटर से 23 मीटर तक के आकार के 20 जलयानों से प्रति वर्ष लगभग 27,500 मीटरी टन मछली एवं झींगा मछली पकड़ने में सुविधा हो। इसमें 5 मीटर तक तलमार्जन, 420 मीटर की जेटियों का निर्माण, स्लिपवे तथा नीलामी-हाल, जल-सप्लाई, सड़क, नालियां, भवन आदि तटीय सुविधाओं के प्रावधान की व्यवस्था है। इस परियोजना पर 311.18 लाख रुपये के परिव्यय का अनुमान है।

अभिकरणों के आबंटन के लिए अनुसूचित जातियों/जनजातियों का आरक्षण कोटा

705. श्री आर० आर० भोले : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प/कुकिंग गैस आदि अभिकरणों के आवंटन के लिये आरक्षित कोटा है;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) आरम्भ से अब तक राज्यवार और वर्षवार जिन व्यक्तियों/पार्टियों/समितियों को ये एजेंसियाँ दी गई थीं उनके नाम क्या हैं;

(घ) इन अभिकरणों के आबंटन के मापदण्ड क्या हैं;

(ङ) इन अभिकरणों की मंजूरी की प्रक्रिया क्या है; और

(च) क्या इस मजदूरी के सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हाँ।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों में सभी प्रकार की एजेन्सियां/डीलरशिप अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिये 25% का आरक्षण रखने की नीति 23-9-1977 से लागू की गई थी। इससे पहले 1-1-1974 से आरक्षण "बी" क्षेत्र के फुटकर पम्पों अर्थात् डीलरों के स्वामित्व में चलाये जाने वाले पम्पों को छोड़कर इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड की सभी एजेन्सियों/डीलरशिप के लिये लागू था।

(ग) सरकार द्वारा पेट्रोल/डीजल पम्पों/गैस एजेन्सियों, जिन व्यक्तियों/पार्टियों को दी गई हैं, की सूची नहीं रखी जाती है। इन तथ्यों और आंकड़ों सम्बन्धी सूचना का एकत्र संकलन करना मंहगी और समय लेने वाली प्रक्रिया है। संबंधित तेल कम्पनियों द्वारा रिकार्ड रखे जाते हैं।

(घ) और (ङ) सरकार द्वारा जारी किये गये मार्ग निर्देशनों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों में सभी प्रकार की एजेन्सियों का 25% आरक्षण अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये, 2% अपंग व्यक्तियों के लिये होता है और शेष 73% एजेन्सियां वाणिज्यक दृष्टिकोण पर प्रदान की जाती हैं जिसके लिये वास्तविक और सुचारू उपभोक्ता सहकारी समितियों और कृषि उद्योग निगमों को प्राथमिकता दी जा रही है। किसी व्यक्ति को नई डीलरशिप/एजेन्सी नहीं दी जायेगी, अगर उसके पास अथवा उसके किसी घनिष्ठ सम्बन्धी जैसे पत्नी, पिता, भाई अथवा लड़के के पास पहले से ही किसी भी तेल कम्पनी की डीलरशिप है। सभी नियुक्तियां संबंधित इलाकों में परिचालित हो रहे समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर आवेदन-पत्र मांगे जाने के पश्चात् की जाती हैं। उम्मीदवारों का चयन संबंधित तेल कम्पनियों द्वारा इस काम के लिये गठित चयन समिति द्वारा किया जाता है।

(च) शिकायतें प्राप्त की जाती हैं और उन पर शीघ्र ही उपचारिक कार्यवाही की जाती है।

भारतीय उर्वरक निगम का विभाजन

706. श्री चन्द्रपाल शैलानी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि लाभों की अधिक अच्छी व्यवस्था के तर्क के आधार पर भारतीय उर्वरक निगम को पांच स्वतन्त्र कम्पनियों में विभक्त

कर दिये जाने के परिणामस्वरूप निगम की स्थिति सभी प्रकार से खराब हुई है और उसे अत्यधिक हानि उठानी पड़ी है जिससे उत्पादन में बाधा उत्पन्न हो रही है और उर्वरक कम्पनियों के बन्द हो जाने का डर बना हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया और नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० के पुनर्गठन से भूतपूर्व एफ० सी० आई० के उर्वरक एककों को कोई हानि नहीं हुई है। बल्कि नई कम्पनियों के प्रबन्ध मण्डल अपने नियंत्रणाधीन छोटे-छोटे एककों की समस्याओं पर अधिक ध्यान देने में समर्थ हुए हैं। कुछ उर्वरक एककों में बिजली की कटौती और ईंधन तेल और कोयला जैसे कच्चे माल की अपर्याप्त उपलब्धता जैसी बाहरी कठिनाइयों के कारण उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इन पहलुओं का एफ० सी०आई० और एन० एफ० एल० के पुनर्गठन से कोई सम्बन्ध नहीं है।

दिल्ली और गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में केन्द्रीय सरकार के क्वार्टर

707. **श्री बाबू लाल सोलंकी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये दिल्ली/नई दिल्ली और गाजियाबाद में विभिन्न टाइपों के कितने सरकारी क्वार्टर हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली/नई दिल्ली और गाजियाबाद में विभिन्न टाइपों के वर्षवार कितने क्वार्टरों का निर्माण किया गया;

(ग) विभिन्न टाइपों के दिल्ली/नई दिल्ली और गाजियाबाद में अलग-अलग कितने क्वार्टर का निर्माण कार्य चल रहा है और कब तक वे तैयार हो जायेंगे; और

(घ) अगले वितीय वर्ष में केन्द्रीय सरकार का विभिन्न टाइपों के कितने क्वार्टरों का निर्माण करवाने का विचार है?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) दिल्ली/नई दिल्ली तथा गाजियाबाद में सामान्य पूल में विभिन्न टाइप के क्वाटरों की संख्या इस प्रकार है :—

टाइप	दिल्ली/नईदिल्ली	गाजियाबाद
ए	13533	64
बी	13586	304
सी	9581	68
डी	4893	..
ई	1635	..
ई–1	484	..
ई–2.	100	..
ई–3	39	..
इसमें होस्टल वास शामिल नहीं हैं।		
योग	43851	436

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली/नई दिल्ली और गाजियाबाद में बनाए गए सामान्य पूल के क्वार्टरों की संख्या इस प्रकार है :—

टाइप	दिल्ली/नई दिल्ली			गाजियाबाद		
	1977	1978	1979	1977	1978	1979
ए	128	405	671	64	—	—
बी	210	412	510	104	200	—
सी	—	545	242	32	36	—
डी	—	—	—	—	—	—
ई	59	8	—	—	—	—
योग	397	1370	1423	200	236	—

इनमें दिल्ली विकास प्राधिकरण से खरीदे गए तथा टाइप-ई के रूप में वर्गीकृत किए गए मध्यम आय वर्ग के 132 फ्लैट्स शामिल नहीं हैं।

(ग) 31-1-1980 को दिल्ली/नई दिल्ली तथा गाजियाबाद में निर्माणाधीन विभिन्न टाइप के क्वार्टरों की संख्या इस प्रकार है :—

टाइप	दिल्ली/नई दिल्ली	गाजियाबाद	निर्माण कार्य पूर्ण होने की संभावित तारीख
ए . .	1015	शून्य	1980-81 के दौरान 440 क्वार्टरों और 1981-82 के दौरान शेष क्वार्टरों के पूर्ण हो जाने की संभावना है।
बी . .	4368	शून्य	1980-81 में 2442 क्वार्टरों और 1981-82 में शेष क्वार्टरों के पूर्ण हो जाने की संभावना है।
सी . .	6942	64	1980-81 में दिल्ली में 1090 क्वार्टरों और गाजियाबाद में 64 क्वार्टरों और 1981-82 में शेष क्वार्टरों के पूर्ण हो जाने की संभावना है।
डी .	72	शून्य	1980-81 में 56 क्वार्टरों और 1981-82 में शेष क्वार्टरों के पूर्ण हो जाने की संभावना है।

(घ) वर्ष 1980-81 के दौरान दिल्ली/नई दिल्ली में निम्नलिखित क्वार्टरों का निर्माण कार्य आरम्भ किए जाने की संभावना है :—

टाइप	क्वार्टरों की संख्या
ए	225
बी	2674
सी	2928
ई०	120
योग	5947

आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान गाजियाबाद में और क्वार्टरों का निर्माण कार्य आरम्भ करने की संभावना नहीं है।

आवास के आबंटन के प्रयोजनों में अपना मकान रखने वाले सरकारी कर्मचारियों की प्राथमिकता तारीक को बहाल करना

708. श्री जेबुल बशीर
श्री मुलचन्द डागा } : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अपने कर्मचारियों को सरकारी आवास के आवंटन के बारे में 1975 के शासकीय आदेश को रद्द करने और उनकी नियुक्ति की तारीख से उनकी प्राथमिकता तारीख वहाल करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) तथा (ख) 1975 में जारी किये गए आदेशों को जून, 1977 में जारी किये गये आदेशों के द्वारा संशोधित किया गया था और अपने मकान वाले अधिकारियों को 1-6-77 से सरकारी आवास के आबंटन के पात्र घोषित किया गया था। फिर भी उनकी अग्रता तारीख को 1-6-77 से या परवर्ती तारीख से, जैसी भी स्थिति हो, मानी गई है।

तमिलनाडु में मिट्टी के तेल का राशन करना

709. श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तमिलनाडु सरकार द्वारा तमिलनाडु में मिट्टी के तेल का राशन किये जाने के बारे में उनके विरोध के कारण क्या हैं?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : मेरे मन्त्रालय ने सभी राज्य सरकारों जिसमें तमिलनाडु सरकार भी शामिल है को मिट्टी के तेल का समान रूप से वितरण सुनिश्चित करने के लिए वितरण प्रणाली को कारगर बनाने के लिए कहा है। इस दिशा में सम्बन्धित राज्य सरकार उपयुक्त उपाय करेंगी।

अल्कोहल पर आधारित रसायनों का उत्पादन

710. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अल्कोहल पर आधारित रसायनों के उत्पादन को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां तो सरकार इस बारे में किस सीमा तक प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) सरकार की नीति हमेशा अल्कोहल पर आधारित रसायनों के उत्पादन को बढ़ावा देने की रही है और औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण अल्कोहल पर आधारित ऐसिटिक ऐसिड, एसीटोन, बुटानोल, 2-ईथाइल हैक्सानोंल, बुटाडाइन इत्यादि जैसे रसायनों का देश में उत्पादन किया जा रहा है।

(ख) अल्कोहल पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से औद्योगिक अल्कोहल के मूल्य और वितरण को सरकार द्वारा नियन्त्रित किया जाता है ताकि उद्योगों के लिए अल्कोहल की उपलब्धता को अधिक किया जा सके।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में जिला टाउनों और राजधानी के बीच सीधी टेलीफोन व्यवस्था

711. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के सभी जिला टाउनों का इस समय राज्य की राजधानी के साथ सीधा टेलीफोन संपर्क विद्यमान है ;

(ख) यदि नहीं, तो किन-किन नगरों के साथ यह सम्बन्ध अभी स्थापित किया जाना है ;

(ग) क्या सभी राज्यों में राज्य की राजधानी के साथ जिला टाउनों का सम्पर्क सीधा टेलीफोन सम्पर्क स्थापित करना सरकार का उद्देश्य है; और

(घ) यदि हां, तो यह उद्देश्य किन-किन राज्यों में पूरी तरह से प्राप्त कर लिया गया है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) उड़ीसा के सभी जिला नगरों का राज्य की राजधानी के साथ सीधा टेलीफोन सम्पर्क नहीं है।

(ख) निम्नलिखित नगरों का राज्य की राजधानी से सीधा टेलीफोन संपर्क स्थापित किया जाना है :—

बालासोर, बरीपाड़ा, भवानी पटना, बोलनगीर, छतरपुर, धेनुकनाल, क्योंझर, कोरापट, फूलबनी, परी, संबलपुर तथा सुन्दरगढ़।

(ग) सभी राज्यों में राज्य की अपनी-अपनी राजधानी के साथ जिला नगरों का संपर्क सीधे टेलीफोन द्वारा स्थापित किए जाने की सरकार की योजना है।

(घ) किसी भी राज्य में राज्य की राजधानी के साथ जिला नगरों का सीधे टेलीफोन द्वारा संपर्क स्थापित करने का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है।

देश में मकानों की कमी

712. **श्रीमती कृष्णा साही :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन के अनुमानों के अनुसार अप्रैल, 1978 तक 2 करोड़ मकानों की कमी थी, जिसमें से 50 लाख मकानों की कमी शहरी क्षेत्रों में और 1½ करोड़ मकानों की कमी ग्रामीण क्षेत्रों में थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि एक हजार की जनसंख्या के पीछे केवल तीन मकानों का निर्माण होता है ; और

(ग) यदि हां, तो मकानों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए सरकार का क्या प्रयास करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन ने अप्रैल, 1978 में देश में 191 लाख आवास एककों की कमी का अनुमान लगाया है—47 लाख एकक नगरीय क्षेत्रों में तथा 144 लाख एकक ग्रामीण क्षेत्रों में ।

(ख) 1961—71 के दौरान उपयोग लायक मकानों की संख्या के निर्माण की अनुमानित वार्षिक शुद्ध औसत दर पर आधारित निर्माण की दर प्रति 1,000 जनसंख्या पर लगभग 3 आवास एकक हैं।

(ग) सरकार आवास में पूंजी निवेश बढ़ाने तथा लाभ भोगियों को उचित मूल्य पर मकान मुहैया करने के लिए लागत कम करने की तकनीकियों को बढ़ावा दने के लिए प्रयत्नशील हैं।

बिहार के स्वर्गीय मौलाना मजरुल हक की स्मृति में डाक-टिकट

713. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार के स्वर्गीय मौलाना मजरुल हक की स्मृति में डाक-टिकट जारी करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने डाक-टिकट जारी करने का निर्णय ले लिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तक निर्णय लिए जाने की आशा है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) इस प्रस्ताव को 20-3-1979 को फिलैटली सलाहकार समिति के समक्ष रखा गया था किन्त सुझाव नहीं माना गया। अतः यह प्रस्ताव छोड़ दिया गया।

मैसर्स आई० डी० एल० एग्रो-कैमिकल, गाजियाबाद को दिया गया "कारण बताओ" नोटिस

714. **श्री के० लकप्पा**: क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आई० डी० एल० कैमिकल्स लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी मैसर्स आई० डी० एल० एग्रो-कैमिकल, गाजियाबाद को कुछ अनियमितताओं और कम्पनी नियमों का उल्लंघन करने के लिए "कारण बताओ नोटिस" जारी किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो "कारण बताओ नोटिस" का ब्यौरा क्या है और क्या इसके बाद उपरोक्त कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो कार्यवाही करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मैसर्स आई० डी० एल० एग्रो-कैमिकल्स (तत्कालीन डी० ओ० डब्ल्यु० कैमिकल्स) को डेलापोन, डोपोन और डोपोन एस० के निर्माण के लिए 16-7-1970 को इस शर्त पर आशय पत्र जारी किया गया था कि इन मदों की अन्तिम क्षमता के बारे में तब विचार किया जायेगा जब कम्पनी द्वारा कम से कम 500 टन तकनीकी सामग्री का आयात, निर्माण और विपणन किया जाये । इस उद्देश्य से उनको इन मदों के फार्मूलेशन बनाने के लिए 24-5-1972 को एक औद्योगिक लाइसेंस भी दिया गया था। तथापि उक्त औद्योगिक लाइसेंस इस शर्त पर दिया गया था कि यदि तकनीकी सामग्री के लिए उनके आशय पत्र को औद्योगिक लाइसेंस में नहीं बदला गया तो फार्मूलेशनों के औद्योगिक लाइसेंस को रद्द समझा जायेगा । पार्टी का तकनीकी सामग्री का आशय पत्र 29-3-76 को समाप्त हो गया था क्योंकि उनके विदेशी सहयोग के प्रस्ताव को सरकार द्वारा मंजूरी नहीं दी गई थी। परिणामस्वरूप उनका फार्मूलेशनों का औद्योगिक लाइसेंस भी उसी तारीख से रद्द हो गया था। तथापि पार्टी ने उस तारीख के बाद भी फार्मूलेशन बनाना जारी रखा। अतः मैसर्स आई० डी० एल० एग्रो कैमिकल्स से यह पूछा गया था कि उन्होंने किसी वैध औद्योगिक लाइसेंस के बिना फार्मूलेशन कैसे बनाए, और उनके खिलाफ औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1951 की धारा 24 के अन्तर्गत कार्यवाही क्यों न की जाये। पार्टी द्वारा भेजे गये स्पष्टीकरण की जांच की जा रही है।

प्याज के मूल्य में कमी होना

715. **श्री शंकर राव पाटिल**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि प्याज के मूल्य अत्यंत अलाभप्रद स्तर तक गिर गये हैं जिसके परिणामस्वरूप प्याज उत्पादकों में आतंक और असन्तोष है;

(ख) क्या सरकार को महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों के प्याज उत्पादकों का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें 100 रुपए प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य देने और इसे "नेफेड" के माध्यम से निर्यात करने का अनरोध किया गया है; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां, प्याज के संबंध में आर्थिक सलाहकार के थोक मूल्य सूचकांक से इसके मूल्य में जनवरी, 1980 से गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। सूचकांक जनवरी, 1980 में 600.4 से घटकर 16-2-80 को 297.8 हो गया। इस स्तर पर यह गत वर्ष के 173.3 के तदनुरूपी सूचकांक की तलना में 71.8 प्रतिशत अधिक है।

(ख) और (ग) प्याज के मूल्यों में भारी गिरावट के बारे में महाराष्ट्र और गुजरात से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन अभ्यावेदनों में "नाफेड" के जरिए खरीद और निर्यात करने तथा 1979-80 के मौसम के लिए सरकार द्वारा प्याज के घोषित साहाय्य मूल्य की तुलना में उच्च स्तर पर प्याज का साहाय्य मूल्य निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है। सरकार ने इस मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

पैट्रोलियम उत्पादों की मांग और सप्लाई कम करने के लिए योजना

716. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी दो वर्षों के अन्दर अल्पकालिक उपायों द्वारा औद्योगिक और कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना पेट्रोलियम उत्पा ों की मांग और सप्लाई में 5 प्रतिशत की कमी करने के लिए योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित और अपनाये गये अल्पकालिक उपाय क्या हैं?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रानीखेत (उत्तर प्रदेश) में मकानों का निर्माण

717. **श्री हरीश रावत :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए रानीखेत में मकानों के निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन मकानों का निर्माण-कार्य कब तक शुरू हो जाने की आशा है?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) तथा (ख) आवास राज्य क्षेत्र में है। इसलिए इस मामले पर निर्णय राज्य सरकार को करना है। राज्यों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता "समेकित ऋणों" और समेकित "अनुदानों" के रूप में विभिन्न प्लान योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दी जाती है जिसमें मध्यम आय तथा निम्न आय के लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई गयी सामाजिक आवास योजना शामिल है ;

तेल संसाधनों के बारे में कलकत्ता में वैज्ञानिकों के सम्मेलन

718. **श्री हन्नान मोल्लह :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कलकत्ता में हुए वैज्ञानिकों के पिछले सम्मेलन द्वारा दी गई चेतावनी की जानकारी है कि भारत के तेल स्रोत इस वर्ष के दौरान समाप्त हो जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का पता लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है।

*पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) सरकार इस विचार से सहमत नहीं है।

(ख) ऊर्जा के वैकल्पिक संसाधनों के विकास की सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा है।

(ग) जो कार्य किया जा रहा है उनमें निम्नलिखित सम्मिलित है :—

(i) कोयले का तेल में परिवर्तन करने का प्रयोग

(ii) मोटर गैसोलीन स्थान पर पूर्णरूप से या आंशिक रूप से मिथायल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल का प्रयोग।

(iii) प्रयुक्त ऊर्जा के रूप में गैस सौर विकिरण का उपयोग करते हुए सौर ताप यन्त्र एवं प्रणालियों का विकास।

(iv) सौर ऊर्जा का सीधे ही बिजली में परिवर्तन करने के लिए फोटोवाल्टेइंक उपकरणों एवं प्रणाली का विकास।

(v) वायो मास (जीव समूह) का ऊर्जा में परिवर्तन।

खाद्य उत्पादन

719. **श्री के० मालन्ना** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अनेक जिलों में अभूतपूर्व सूखा पड़ने के बावजूद वर्ष 1979-80 के दौरान खाद्य उत्पादन का कोई निर्धारण किया है ;

(ख) यदि हां, तो खाद्य उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या गत वर्ष खरीफ़ ज्वार उत्पादन में मामूली कमी हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) 1979-80 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन के पक्के अनुमान कृषि वर्ष के समाप्त होने के बाद अर्थात् जुलाई-अगस्त 1980 में विस्तृत रूप से उपलब्ध हो सकेंगे। देश के बड़े भागों में अभूतपूर्व सूखा पड़ने के कारण खरीफ खाद्यान्नों के उत्पादन में 1978-79 के दौरान हुए 787 लाख मीटरी टन के उच्चस्तरीय उत्पादन की तुलना में मोटे तौर पर समग्र रूप से लगभग 120 लाख मीटरी टन की कमी होने का अनुमान लगाया गया है। रबी के उत्पादन की मात्रा के संबंध में निर्धारित अनुमान बताना अभी संभव नहीं है।

(ग) देश में खरीफ ज्वार का उत्पादन 1977-78 में 88.9 लाख मीटरी टन से घट कर वर्ष 1978-79 में 81.6 लाख मीटरी टन हो गया, क्योंकि 1978 के खरीफ मौसम में अत्यधिक वर्षा हुई थी।

इंडियन आयल कारपोरेशन, नई दिल्ली के रिफाइनरी डिवीजन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये पदों का आरक्षण समाप्त किया जाना।

720. श्री सोमजी भाई दामोड : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन आयल कारपोरेशन, नई दिल्ली के रिफाइनरी डिवीजन में 1-1-77 से 31-12-1979 तक की अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कितने पदों का आरक्षण तीन वर्ष तक आगे ले जाये जाने की सामान्य अवधि से पूर्व समाप्त कर दिया गया था ;

(ख) आरक्षण समाप्त करने से पूर्व पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गये थे और क्या आरक्षण समाप्त करने से पूर्व क्या सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त की गई थी ;

(ग) क्या अनेक संसद सदस्यों ने गत 3 वर्षों में पदों का आरक्षण गलत रूप से समाप्त करने और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के प्रति अन्याय के विरुद्ध अभ्यावेदन दिये थे ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उनके अभ्यावेदन पर क्या कार्रवाई की गई ?

पैट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) इंडियन आयल कारपोरेशन के शोधनशाला प्रभाग में 1-1-1977 से 31-12-1979 तक तीन वर्षों की अवधि के दौरान सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से अनारक्षित किए गए आरक्षित पदों की संख्या जो राष्ट्रपति के निदेश के अनुसार आगे ली जायी गयी थी नीचे दी गई है :—

	ग्रुप ए		ग्रुप बी		ग्रुप सी	
	एस० सी०	एस० टी०	एस० सी०	एस० टी०	एस० सी०	एस० टी०
भरती	16	5	—	—	—	27
पदोन्नति	11	6	34	22	73	37

(ख) राष्ट्रपति के निदेश अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित पदों को अनारक्षित करने से पहले इंडियन आयल कारपोरेशन ने निम्नलिखित कार्रवाई की थी :—

भर्ती :—रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए रोजगार दफ्तरों/समाचारपत्रों को भेजी गई अधिसूचना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था।

2. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों को दी जानी वाली रियायतें इन अधि-अधिसूचनाओं/विज्ञापनों में स्पष्ट रूप से बताई गई थीं ;

3. समाचारपत्रों में दिये गये विज्ञापनों/अधिसूचनाओं की प्रतिलिपियां पंजीकृत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों की संस्थाओं और सम्बन्धित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति कल्याण निदेशकों को इस अनुरोध के साथ भेजी गयी थीं कि वे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के प्रत्याशियों को परामर्श दें कि या तो सीधे नियुक्ति करने वाले अधिकारी को या रोजगार कार्यालय के मारफत अपने आवेदन पत्र भेजें।

4. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों से आवेदन पत्र आमंत्रित करने वाले विज्ञापनों/अधिसूचनाओं की प्रतियां आकाशवाणी के सम्बद्ध केन्द्रों को भी इस अनुरोध के साथ भेजी गई थीं कि इन रिक्त पदों की सूचना उन क्षेत्रों में प्रसारित की जाये जहां अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों की जनसंख्या अधिक है।

5. आरक्षित रिक्त पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के प्रत्याशियों के चयन के लिए रियायती मान दण्ड अपनाए गए थे।

6. समूह "क" के पदों के सम्बन्ध में अनारक्षण के लिए अनुमोदन केवल 1977 में प्राप्त किया गया था और भरती के बाद के वर्षों में अर्थात् 1978-1979 में कोई आरक्षित पद अनारक्षित नहीं किया गया था।

7. समूह "क" के पदों पर, जहां अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के प्रतिनिधित्व की प्रतिशतता प्राप्त नहीं की गई है अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की एक मात्र भरती के लिए 1979 के दौरान विशेष अभियान आरम्भ किये गये थे।

8. पदों के अनारक्षण के प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष केवल उसी स्थिति में रखे गये थे जब रियायती मानदण्ड के आधार पर भी और व्यापक प्रचार के बावजूद अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के प्रत्याशी उपलब्ध नहीं थे।

पदोन्नति

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों के लिए आरक्षित पद केवल तभी अनारक्षित किये गये थे जब उपयुक्त विभागीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जातियों के प्रत्याशी उपलब्ध नहीं होते। अनारक्षण से पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी उपयुक्त विभागीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के प्रत्याशी के मामले की अवहेलना नहीं की गई है।

उन मामलों को छोड़कर जहां संगठनात्मक आवश्यकताओं के पूर्ति के पदोन्नति के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के उपयुक्त प्रत्याशी उपलब्ध न होने पर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पूर्व अनारक्षण के लिए अनुज्ञा दी गई अन्य सभी मामलों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित पदों के अनारक्षण के लिए सक्षम अधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाता है।

एक आरक्षित पद के अनारक्षण के सम्बन्ध में दो संसद सदस्यों अर्थात् श्री एस० बी० दामोर तथा श्री आर० एल० कुरील ने आई० ओ० सी० से कुछ स्पष्टीकरण/सूचना मांगी थी। श्री कुरील ने जनवरी 1979 में इस सम्बन्ध में पेट्रोलियम-रसायन एवं उर्वरक मंत्री को भी एक पत्र लिखा था।

उपरोक्त दो संसद सदस्यों द्वारा की गई समस्त पूछताछ एक अनुसूचित जाति के कर्मचारी के मामले से सम्बन्धित थी जो कि एक आरक्षित पद पर इस लिए नियुक्त नहीं किया जा सका क्योंकि उस समय वह पदोन्नति के योग्य नहीं था। इन सदस्यों द्वारा जो मुख्य विषय उठाये गये थे वे निम्न प्रकार हैं:—

(1) कनिष्ठ लेखाकार के एक पद को सामान्य प्रत्याशी के फायदे में जल्दबाजी से अनारक्षित किया गया था और यह नियमों के अनुसार तीन वर्षों के लिए आरक्षित नहीं रखा गया था।

(2) अनुसूचित जाति के जिस प्रत्याशी की मार्च 1979 में पदोन्नति की गई थी उसे पिछली तिथि से वरिष्ठता प्रदान की जाये।

जहां तक उनके द्वारा उठाये गये विशिष्ट मामले का सम्बन्ध है अक्तूबर 1977 में यह स्पष्ट किया गया था कि अनुसूचित जाति के प्रत्याशी के लिए आरक्षित जाति के प्रत्याशी के लिए आरक्षित पद पर एक सामान्य वर्ग के प्रत्याशी की कनिष्ठ लेखाकार के पद पर पदोन्नति इस कारण की गई थी क्योंकि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि पर पदोन्नति के लिए कोई अनुसूचित जाति का उपयुक्त प्रत्याशी नहीं था। यह आरक्षण आगे ले जाया गया था और मार्च 1979 में जब आरक्षण रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कनिष्ठ लेखाकार का एक पद रिक्त हुआ था तो उस पर केवल अनुसूचित जाति के प्रत्याशी की ही पदोन्नति की गई थी।

जहां तक पिछली तिथि से वरिष्ठता प्रदान करने का सम्बन्ध है यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसा करना सही नहीं होगा क्यों इसका अर्थ यह होगा कि ऐसे व्यक्ति को वरिष्ठता दी जा रही है जिसने अधिकार दायित्व का कार्यभार नहीं संभाला था।

चीनी का उत्पादन और उसका वितरण

721. डा० फारुक अब्दुल्ला: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 16 जनवरी, 1980 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के दौरान चीनी का उत्पादन खरीद और भंडार गत वर्ष के इसी पखवाड़े से कम था;

(ख) क्या गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष चीनी का उत्पादन काफी कम हुआ है;

(ग) यदि हां, तो कितना कम हुआ है;

(घ) क्या केन्द्रीय मंत्रालय ने 11 फरवरी, 1980 को सार्वजनिक वितरण के लिये मिलों से लेवी चीनी की सप्लाई में सुधार करने के लिये अनेक कदम उठाये थे;

(ङ) यदि हां, तो क्या इसके बावजूद चीनी के मूल्य रिकार्ड स्तर तक बढ़ गये और देश के बहुत से भागों में चीनी की भारी कमी भी थी;

(च) क्या चीनी पड़ोसी देशों को चोरी छिपे ले जायी जा रही है जहां वह बहुत ऊंचे-ऊंचे मूल्य पर बेची जाती है ; और

(छ) चीनी के मल्यों को स्थिर बनाने और इसे बाज़ार में उपलब्ध कराने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क), (ख) और (ग) जी हां। 1978-79 और 1979-80 के मौसमों में 15 जनवरी को समाप्त पखवाड़े के दौरान चीनी की पैदावार और निकासी का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

(लाख मीटरी टन)

	15 जनवरी को समाप्त पखवाड़ा	
	1978-79	1979-80
1. पैदावार	5.34	4.74
2. आन्तरिक खपत के लिए निकासी . . .	2.36	0.95

1978-79 और 1979-80 मौसमों में 15 जनवरी तक चीनी का स्टाक क्रमशः 29.51 लाख मीटरी टन और 18.62 लाख मीटरी टन था। 1979-80 में 29 फरवरी तक चीनी का उत्पादन 1978-79 मौसम में उसी तारीख तक के 34.85 लाख मीटरी टन के उत्पादन से गिरकर 29.44 लाख मीटरी टन रह गया है।

(घ), (ङ) और (च) लेवी चीनी की सप्लाई में सुधार करने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण पग उठाए गए हैं :—

(1) लेवी चीनी का तीव्रता से संचलन करने के कार्य में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए मौके पर ही निर्णय लेने के लिए लखनऊ, बम्बई और पटना में समीक्षा करने के लिए समय-समय पर बैठकें की गई हैं ।

(2) प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों—उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की फैक्ट्रीयों से विशेष रेकों द्वारा पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, बिहार, जम्मू तथा कश्मीर, दिल्ली आदि जैसे कमी वाले दूरवर्ती राज्यों को लेवी चीनी भेजने की व्यवस्था की गई है।

(3) भारतीय खाद्य निगम से कुछेक फैक्ट्रियों द्वारा बैगनों को इंडेंट करने में विलम्ब करने से संबंधित शिकायतें प्राप्त होने पर, फैक्ट्रियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं ताकि उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सके।

(4) जनवरी, फरवरी और मार्च के कोटों के प्रति, भारतीय खाद्य निगम ऐसे मामलों में जहां चीनी का स्टाक रेल द्वारा नहीं भेजा जा सकता है और जहां उप-भोक्ता जिलों में पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध नहीं है वहां 300 किलो मीटर तक की दूरी के लिए सड़क द्वारा स्टाक भेजने के बारे में कार्रवाई कर रहा है।

उपर्युक्त पग उठाने के फलस्वरूप, लेवी चीनी की सप्लाई और उपलब्धता में काफी सुधार हुआ है और जिसके परिणामस्वरूप खुले बाजार में भी चीनी के दामों में गिरावट आयी है। खुले बाजार में थोक मूल्यों में फरवरी, 1980 के दूसरे पखवाड़े के मूल्यों की तुलना में 11-3-1980 की लगभग 40/- रुपये से 100/- रुपये प्रति क्विंटल तक गिरावट आयी है।

(छ) पड़ौसी देशों को चीनी की किसी प्रकार की तस्करी को रोकने के लिए, सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बम्बई में न्हावा के निकट एक परियोजना की स्थापना करना

722. **श्री इन्द्रजीत गुप्त:** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बम्बई में न्हावा के निकट स्थापित की जा रही परियोजना के विरुद्ध किन्हीं पक्षों द्वारा पर्यावरण के नाम पर आपत्ति उठाई जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल): (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न वर्गों द्वारा उठाई गई आपत्तियां, वातावरण सम्बन्धी सरंक्षण, यातायात और पर्यटन, परिस्थिति विज्ञान आदि से सम्बन्धित है। सरकार न्हावा में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का सप्लाई बेस के लिए स्थल निर्धारण करने की स्वीकृति देते समय इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखेगा।

बनियापारा, अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) के निवासियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था

723. **श्री चित्त महाटा:** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के स्थानीय स्वशासन विभाग ने अपने पत्र संख्या 1852/9-2-1978 सेक्शन 2, दिनांक 29 मार्च, 1978 द्वारा अलीगढ़ शहर के बनियापारा के निवासियों को पीने के पानी के कनेक्शन देने के बावजूद भी पीने के पानी की सप्लाई न होने से संबंधित संसद् सदस्यों द्वारा की गई शिकायत को स्वीकार किया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं कि उन्हें पीने के पानी की सप्लाई अभी तक नहीं दी गई है और उस कालोनी के निवासियों को पीने का पानी देने के लिए शीघ्र क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है ;

(ग) क्या यह सच है कि उस कालोनी के निवासियों को भंग हुए म्युनिसिपल बोर्ड अलीगढ़ द्वारा जल प्रभारों का भुगतान करने को कहा गया था, जबकि उस कालोनी के निवासियों को अपने जल पाइपों/कनेक्शनों से एक बूंद पानी भी नहीं मिल रहा था ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

डीजल और मिट्टी के तेल की कमी दूर करने का प्रस्ताव

724. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डीजल और मिट्टी के तेल की कमी दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) इन मदों के आवंटन में क्या मापदंड अपनाया जाता है ; और

(ग) गत छह महीनों में प्रत्येक राज्य को, अलग-अलग, कितनी मात्रा में डीजल और मिट्टी का तेल आबंटित किया गया।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) कमी की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गये हैं :—

(i) अतिरिक्त आयात करके डीजल और मिट्टी के तेल की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है।

(ii) मार्च, 1980 के लिए राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को डीजल और मिट्टी के तेल का आबंटन बढ़ाया गया है।

(iii) और अधिक टैंक वैगनों को प्रयोग में लाकर, टैंक वैगनों की वापसी के समय में कमी करके, पेट्रोलियम उत्पादों को ले जाने वाली गाड़ियों की यात्री गाड़ियों से अधिक प्राथमिकता देकर रेल परिवहन में सुधार किया गया है।

(iv) मार्च 1980 के दौरान उत्पादों को सड़क मार्ग से लाने-ले-जाने को भी अधिकतम किया गया है।

(v) मिट्टी के तेल और डीजल के परिवहन के लिए हल्दिया-बरौनी-कानपुर पाइप-लाइन का अधिकतम प्रयोग किया जा रहा है।

(vi) राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि डीजल और मिट्टी के तेल का वितरण आवश्यक वस्तु अधिनियम और उसके अन्तर्गत जारी किये गये नियमों के अन्तर्गत नियंत्रित किया जाए और जमाखोरी और कालाबाजार करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए। राज्य सरकारों को यह भी परामर्श दिया गया है कि इस प्रकार के दुराचार के रोकथाम के लिए काला बाजार रोकने और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई बनाये रखने संबंधी अधिनियम के अधीन प्राप्त अधिकारों के प्रयोग का विचार करें।

(ख) राज्यों को डीजल और मिट्टी के तेल का आबंटन उनकी गत खपत के आधार पर किया जाता है।

(ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण पत्र में दी गई है।

विवरण

(आंकड़े मी० टनों में)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	अक्तूबर 1979	नवम्बर 1979	दिसम्बर 1979	जनवरी 1980	फरवरी 1980	मार्च 1980
आन्ध्र प्रदेश	56822	56066	60337	59202	58374	60386
अरुणाचल प्रदेश	571	766	775	823	735	506
असम	11831	12629	12970	13959	11671	15383
अंडमान एवं निकोबार	805	861	892	735	840	945
बिहार	40838	40647	42435	30000	34652	36000
चण्डीगढ़	1531	1566	1633	1254	1426	1500
दादर व नगर हवेली	—	—	—	—	—	—
दिल्ली	26074	27989	30416	29500	25158	31000
गुजरात और दादर व नगर हवेली	48009	50287	58309	52628	57150	59000
गोवा, दमन व दीव	6615	6665	7000	8223	8132	7792
हरियाणा	26503	26351	25981	19000	19312	21000
हिमाचल प्रदेश	4057	4084	4003	3474	3033	3200
जम्मू व काश्मीर	6760	6783	7076	5406	5580	7000
कर्नाटक	39592	39960	43001	44355	42941	38190
केरल	26387	26572	26925	28128	26649	32230
मध्य प्रदेश	32286	45193	40396	35000	34980	40000
महाराष्ट्र	89105	94095	95685	98500	101377	120000
मणिपुर	1409	1477	1523	1584	1140	1292
मेघालय	1100	1214	1249	1193	1051	1201
मिजोरम	472	527	579	247	532	464
नागालैण्ड	710	796	832	443	321	610
उड़ीसा	11971	13007	13432	13735	13420	13455
पंजाब	56610	56964	56599	37800	39822	38000
पाण्डिचेरी	2209	2355	2358	1610	1770	1344
राजस्थान	41377	41648	41421	32300	36770	40000
सिक्किम	208	208	284	246	218	233
तमिलनाडु	63886	63636	68283	66360	69754	78000
त्रिपुरा	1253	1273	1284	1254	966	1249
उत्तर प्रदेश	110068	100400	100794	60000	75488	86000
पश्चिम बंगाल	43076	57246	62301	50000	52740	61000
योग :	752135	781265	808373	696959	726002	796980

विवरण

(आंकड़े मी० टनों में)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	अक्तूबर 1979	नवम्बर 1979	दिसम्बर 1979	जनवरी 1980	फरवरी 1980	मार्च 1980
आन्ध्र प्रदेश	23764	25014	25980	25875	26462	25330
अरुणाचल प्रदेश	170	119	131	110	286	242
असम	11299	11412	11533	11715	8567	11933
अंडमान व निकोबार	65	62	63	67	70	88
बिहार	16232	18354	17430	14000	16967	18147
चण्डीगढ़	663	676	736	728	543	754
दादर व नगर हवेली	50	50	50	50	50	55
दिल्ली	9213	10555	8994	10700	10117	10263
गुजरात	30959	31290	35398	33854	28708	35091
गोवा, दमन व दीव	1093	1178	1051	1116	1083	1311
हरियाणा	5256	5929	5449	5300	3297	5482
हिमाचल प्रदेश	1239	1069	1474	1509	877	1210
जम्मू और काश्मीर	2312	2021	2570	2166	1692	1935
कर्नाटक	19341	18929	19381	19749	17539	18510
केरल	11127	11459	11151	10801	10867	11692
मध्य प्रदेश	17063	17424	15670	16800	15336	18239
महाराष्ट्र	66986	68068	71648	69000	67334	71596
मणिपुर	838	742	728	576	432	604
मेघालय	650	650	650	658	650	715
मिजोरम	325	297	229	185	100	194
नागालैण्ड	400	400	400	305	400	440
उड़ीसा	6673	6585	5371	5667	8323	6480
पंजाब	10458	10086	10081	10000	7906	9299
पाण्डिचेरी	580	592	671	673	502	623
राजस्थान	9449	11050	11386	10200	9596	11128
सिक्किम	232	353	296	413	426	398
तमिलनाडु	28272	30083	31475	32344	27274	30780
त्रिपुरा	1016	1065	974	987	440	932
उत्तर प्रदेश	32898	32517	38272	26000	29596	30140
पश्चिम बंगाल	32440	30279	32695	28900	28452	31098
योग :	341056	348308	361917	340448	323892	354709

भारतीय खाद्य निगम की परिचालन लागत में वृद्धि

725. श्री तारीक अनवर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम के असन्तुलित विकास और इसकी परिचालन लागत में अत्याधिक वृद्धि के कारण खाद्यान्नों से संबंधित आर्थिक सहायता अधिकांश व्यर्थ हो जाती है और यह कि भारतीय खाद्य निगम अब साल की उठाया-धरी के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत लागत से अधिक राशि ले रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार का भारतीय खाद्य निगम के चौतरफा सुधार के लिए इसकी कार्य करने की सम्पूर्ण प्रणाली की जांच करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) जी नहीं। भारतीय खाद्य निगम को दी गई राजसहायता खाद्यान्नों की इवनामिक लागत और सरकार द्वारा निर्धारित किए गए निर्गम मूल्यों के बीच के अन्तर से संबंधित है। इसके अलावा, राष्ट्रीय बफर स्टाक को रखने से संबंधित प्रभार भी भारतीय खाद्य निगम को दिए जाते हैं। अत: निगम को सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्नों को सम्भालने और राष्ट्रीय बफर रखने के लिए किए गए वास्तविक खर्चों की प्रतिपूर्ति की जाती है। हैंडलिंग लागत के लिए कोई निर्धारित मार्जिन नहीं है ; इसका हिसाब निगम की कुल बिक्री पर निर्भर करते हुए प्रत्येक वर्ष लगाया जाता है।

यथा-सम्भव किफायत बरतने के लिए वसूली और वितरण संबंधी खर्चों की बराबर समीक्षा की जाती है।

उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बीज और उर्वरक

726. श्री दयाराम शाक्य : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और दालें पैदा करने वाले किसानों को रियायती दरों पर बीज और उर्वरक उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उपरोक्त बीज कितनी मात्रा में जिलावार, सप्लाई किये हैं और क्या केन्द्रीय सरकार ने भी इस प्रयोजन के लिये राज्य को अनुदान दिया है और यदि हां, तो उसकी राशि कितनी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) मूंगफली तथा दलहनों के प्रमाणीकृत बीजों के मूल्य को मूल स्तर पर अर्थात् बीज उत्पादक एजेंसी को 150/– रुपए प्रति क्विंटल तक की राज सहायता दी जाती है ताकि वे कृषकों को उचित दर पर बीज बेच सकें। सोयाबीन और सूरजमुखी के बीज पर कोई राज सहायता नहीं दी जाती है।

उर्वरकों के विद्यमान खुदरा मूल्यों में राज सहायता का हिस्सा शामिल होता है, अत: मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और दलहनों का उत्पादन करने वाले कृषकों को और रियायती दरों पर उर्वरक मुहैय्या कराने की कोई व्यवस्था नहीं है।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वितरित किये गये बीज की जिले-वार मात्रा के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उत्तर प्रदेश के लिये मूंगफली और दलहनों के बीजों पर राज सहायता की पूर्तिहेतु 1979-80 के लिये निम्नलिखित परिव्यय स्वीकार किया गया है :—

तिलहन :

तिलहनों के परिवहन तथा संभाल की लागत की पूर्ति के लिये 1.50 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है, जिसमें मूंगफली पर 150/– रुपए रुपए प्रति क्विंटल की राज सहायता भी शामिल है जिसे केन्द्र और राज्य सरकार बराबर-बराबर के आधार पर वहन करेंगे।

दलहन :

दलहनों पर 150/– रुपए प्रति क्विंटल की दर से राज सहायता देने के लिये 14.0 लाख रुपए की व्यवस्था की गयी है जिसमें केन्द्रीय सरकार का हिस्सा 7.0 लाख रुपए तथा राज्य का हिस्सा 7.0 लाख रुपए का है।

महाराष्ट्र में कृमिनाशक फार्मूलेशन संयंत्र स्थापित किया जाना

727. श्री रामकृष्ण सदाशिव मोर : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र एग्रो-इंडस्ट्रीज डेवेलपमैंट कारपोरेशन लि० ने भारत सरकार को कृमिनाशक फार्मुलेशन संयंत्र स्थापित करने के लिये प्रस्ताव भेजे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने उपरोक्त प्रयोजन के लिये अनुमति दे दी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार का क्या विचार है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) चूंकि, फिलहाल, कृमिनाशकों के लिए नये फार्मूलेशन क्षमता की स्थापना पर प्रतिबंध है जब तक मूल स्तर से यह उत्पादन जुड़ा है, भारत सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि वह महाराष्ट्र एग्रो इन्डस्ट्रीज डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि० के प्रस्ताव पर सहमत हो सके।

महाराष्ट्र में मत्स्य नौकाओं को डीजल की सप्लाई

728. श्री ए० टी० पाटिल : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में मछुआरों और/अथवा उनकी सहकारी समितियों द्वारा मत्स्य नौकाओं के निर्माण के वित्तपोषण का कार्यक्रम राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा इस आधा पर स्थगित कर दिया गया है कि डीजल की कमी के कारण मत्स्य नौकायें नहीं चल सकती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का :

(एक) महाराष्ट्र में मत्स्य नौकाओं को तत्काल और पर्याप्त मात्रा में डीजल की सप्लाई करने ; और

(दो) राष्ट्रीयकृत बैंकों को यह निदेश देने कि वे शीघ्र मत्स्य नौकाओं के वित्त-पोषण के कार्यक्रम को पुनः शुरु करने के बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल तथा गैस के क्षेत्रों का पता लगाया जाना

729. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने हाल ही में बड़ौच जिले में हसोट तालुका के निकट गांव में तेल और गैस तथा खम्भात की खाड़ी में समृद्ध गैस क्षेत्र का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो वहां से गैस और तेल का अनुमानित उत्पादन कितना होगा और क्या इसका वाणिज्यिक दृष्टि से उत्पादन किया जा सकता है ;

(ग) इस उपलब्ध गैस का किस प्रकार उपयोग किया जायेगा ; और

(घ) उत्तर और दक्षिण ताप्ती गैस के क्षेत्रों से विशाल गैस की अत्यधिक संभावना और खम्भात की खाड़ी में नये गैस क्षेत्र को देखते हुए क्या सरकार का विचार इस गैस के प्रयोग पर आधारित सौराष्ट्र में एक बिजली के संयंत्र की स्थापना करने का है ?

पेट्रोलियम, और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी हां

(ख) हाल ही में ओ० एन० जी० सी० ने बरोच जिले में एक तेल व गस क्षेत्र। पश्चिम मोटवान। तथा खम्भात की खाड़ी में एक गैस क्षेत्र (मध्य ताप्ती) की खोज की है।

(ख) मध्य ताप्ती क्षेत्र अभी तक अन्वेषणात्मक स्तर पर है अतः इस क्षेत्र से गैस के उत्पादन और इसकी व्यावहारिक व्यवहार्यता का इस समय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। गुजरात में पश्चिम मोटवान संरचना की ज्यामिति का पता लगाने के लिये और अन्वेषण किया जा रहा है। इस संरचना पर गैस के एक कुएं से उत्पादन आरम्भ किया गया है। इस कुएं से अब तक 7.5 मिलियन घन मीटर गैस का उत्पादन किया गया है। इस कुएं से गैस के उत्पादन की दर लगभग 50000 घन मीटर प्रति दिन है।

(ग) इन क्षेत्रों का अन्वेषण एवं विकास पूरा होने तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

(घ) ताप्ती गैस के उपयोग का प्रश्न असामयिक है क्योंकि इसके लाभ उठाये जाने तथा परिवहन के सम्बन्ध में निर्णय तभी संभव होगा जब ताप्ती संरचनाओं का पूर्ण मूल्यांकन हो जाये और ये व्यापारिक घोषित की जायें।

कर्नाटक में भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम का कार्यान्वयन

730. **श्री टी० आर० शमन्ना :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी मिली है कि कर्नाटक में भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का अधिनियम को व्यावहारिक और अर्थपूर्ण बनाने के लिए कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथापि, उन राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने जिन में नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 लागू है, इसके उपबन्धों में कतिपय व्यावहारिक कठिनाइयों और त्रुटियों को भारत सरकार के ध्यान में लाया गया है। इन पर विचार किया जा रहा है। भारत सरकार ने नवम्बर, 1979 में एक कार्यकारी दल गठित किया था और इस दल से आशा है कि वह अपनी रिपोर्ट अप्रैल, 1980 तक दे देगा। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, सरकार मामले में अन्तिम निर्णय लेने की स्थिति में होगी।

अरुणाचल प्रदेश में तेल का मिलना

731. **श्री पी० के० थुंगन :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात का पता है कि अरुणाचल प्रदेश में छिद्रण कार्य करने के बाद तेल मिला है और इसको लाभप्रद रूप से प्राप्त किया जा सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो इन निक्षेपों को कब निकाला जायेगा।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी हां, आयल इंडिया द्वारा अरुणाचल प्रदेश के खरसांग III में अन्वेषी कुएं की खाली सतह पर तेल पाया गया था।

(ख) तेल युक्त संरचना और इसकी उत्पादन क्षमताओं को अंकित करने के लिए कई विस्तार कुओं की खुदाई की जानी है। आशा है कि कम्पनी इस वर्ष के अन्त तक उत्पादन संम्भावनाओं की स्थिति बताने योग्य हो जायेगी।

देश में डीजल और मिट्टी के तेल की अत्यधिक कमी

732. **श्री सूरज भान :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि डीजल और मिट्टी के तेल की

अत्यधिक कमी है जिसके परिणामस्वरूप किसानों तथा आम जनता को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) स्थिति के कब तक सामान्य हो जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) सरकार द्वारा हाई स्पीड डीजल और मिट्टी के तेल की कमी सम्बन्धी रिपोर्टें प्राप्त की गई हैं।

(ख) देश में हाई स्पीड डीजल और मिटी के तेल की सप्लाई को अधिकतम करने के लिए सभी प्रयत्न जारी हैं। परन्तु बरौनी तेल शोधनशाला द्वारा पूर्णतः काम करने तथा असम की तीन तेल शोधनशालाओं द्वारा भी काम दुबारा चालू होने पर स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हो जायेगा।

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला

733. **डा० कर्ण सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिमला स्थित भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान को जारी रखने तथा तुलनात्मक दर्शन के लिए स्वर्गीय डा० राधाकृष्णन के नाम पर वहां एक केन्द्र खोलने की पिछले शिक्षा मंत्री की सिफारिश नई सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो नया केन्द्र कब से कार्य करना आरम्भ कर देगा ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) तथा (ख) यह मामला अभी तक विचाराधीन है और आशा है कि निर्णय शीघ्र ही हो जाएगा।

विनय नगर, नई दिल्ली के क्वार्टरों में कंकरीट स्लैब

735. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरोजिनी नगर, किदवई नगर, नेताजी नगर, नई दिल्ली में मांग करने पर टाईप II और टाईप–III के क्वाटरों में कुकिंग गैस के चूल्हों को रखने के लिये एक कंकरीट स्लैब प्रदान की जाती है ;

(ख) क्या यह अब बन्द कर दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, हां। निवासियों की मांग दर्ज की जाती हैं और इस प्रयोजन के लिए निधियों की उपलब्धता के अनुसार स्लैबों की व्यवस्था की जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरोजिनी नगर, नई दिल्ली में क्वार्टरों की श्रेणी को अपग्रेड करना

736. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरोजिनी नगर, नई दिल्ली में टाईप दो के कुछ क्वार्टरों को टाईप तीन के क्वार्टरों के रूप में अपग्रेड किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इन क्वार्टरों में क्या अतिरिक्त सुविधायें प्रदान की गई हैं ;

(ग) उक्त अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने संबंधी कार्य किस तारीख तक पूरा हो जाएगा ; और

(घ) यदि कोई अतिरिक्त सुविधा प्रदान नहीं की गई है, तो उसके कारण क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख), (ग) तथा (घ) अतिरिक्त जन सुविधाएं देने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि मौजूदा जन सुविधाएं पर्याप्त समझी गई हैं ।

लोदी-रोड़, नई दिल्ली में मछली बेचने वाली दुकानों की व्यवस्था

737. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोदी कालोनी, नई दिल्ली में नियमित रूप से मछली बेचने वाली दुकानों के अभाव से हर रोज बहुत से लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है ;

(ख) क्या नियमित रूप से मछली बेचने वाली दुकानों के अभाव में मछली बेचने वाली गैर कानूनी दुकानें खुल गयी हैं और ये घटिया माल बेच रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली में अनधिकृत निर्माण का सर्वेक्षण

738. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1977, 1978 तथा 1979 के दौरान किए गए अनधिकृत निर्माण का सर्वेक्षण कराने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अनुदेश जारी किए गए हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) भवन उप नियमों तथा वृहत्त योजना इत्यादि का उल्लंघन करके बनाए गए अनधिकृत निर्माणों की जाँच करने की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों पर है और इसे उनका क्षेत्रीय स्टाफ सामान्य तौर पर अपनी डयूटी निभाते समय नोट करता है।

जवाहर कालोनी, एन० आई० टी० फरीदाबाद निवासियों को डाक का न बाँटा जाना

739. **श्री जर्नादन पुजारी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि जवाह : कालोनी, एन० आई० टी० फरीदाबाद के निवासियों को डाक का वितरण नहीं किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो निवासियों को डाक का नियमित वितरण करने और उनकी असुविधा का निराकरण करने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) (क) और (ख) एन० आई० टी० मुख्य डाकघर फरीदाबाद की मार्फत 'जवाहर कालोनी' के निवासियों को एक दिन में दो बार नियमित रूप से डाक वितरित की जाती है। प्रश्न ही नहीं उठता।

सूखाग्रस्त क्षेत्रों में "पोशाहार के लिए अनाज" योजना

740. **श्री जर्नादन पुजारी** : क्या समाज-कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पोषाहार के लिए अनाज योजना आरम्भ करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) सरकार ने 11 सूखाग्रस्त राज्यों, आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा और मेघालय में "पोषाहार के लिए अनाज" कार्यक्रम शुरु किया है। यह कार्यक्रम स्कूल-पूर्व बच्चों, गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं, वृद्ध और अशक्त व्यक्तियों तथा विकलांग व्यक्तियों के लाभ के लिए है।

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 67 लाख लाभ प्राप्तकर्ताओं को 6 मास के लिए "पूरक पोषाहार" प्रदान किया जाता है। खाना खिलाने वाले केन्द्रों में पकाया हुआ खाना दिया जाता है, जिनमें से प्रत्येक एक संयोजक के कार्यभार के अन्तर्गत होता है जिसकी सहायता के लिए एक सहायक होता है। दैनिक पूरक खाद्य में प्रत्येक वयस्क व्यक्ति के लिए लगभग 300 कैलरी और 10–15 ग्राम प्रोटीन होती है। इस योजना को विशेष पोषाहार कार्यक्रम के ढंग पर कार्यान्वित किया जाएगा जिसे राज्य सरकारों द्वारा पहले ही कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यालय के अन्तर्गत 1 लाख टन अनाज जिसमें 80,000 टन चावल और 20,000 टन गेहूं शामिल है 11 सूखाग्रस्त राज्यों को मुफ्त दिया जाएगा। अनाज के परिवहन और स्टोरेज तथा खाद्य की प्रोसेसिंग, तैयारी इत्यादि के खर्च को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को अपने साधनों में से धन जुटाना होगा। इस कार्यक्रम के पर्यवेक्षण और साधारण प्रशासन का उत्तर-दायित्व राज्य सरकारों पर होगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन को तेज करने के लिए राज्यों

के प्रतिनिधियों की एक बैठक समाज कल्याण मंत्रालय में 21 फरवरी 1980 को होगी। राज्यों के प्रतिनिधियों ने बताया कि वे इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए तैयार हैं। अधिकतर राज्यों ने चालू वर्ष के लिए बजट व्यवस्था कर ली है और यह भी आश्वासन दिया है कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर दी जाएगी। अन्तिम उपलब्ध सूचना के अनुसार उड़ीसा, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्यों में यह कार्यक्रम पहले ही शुरु हो चुका है।

पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा संस्थाओं का खोला जाना

741. **श्री जय नारायण :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश के पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा संस्थाएं खोलने की दिशा में अब तक क्या कदम उठाये हैं ; और

(ख) इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) (क) और (ख) छात्र पैदल चल कर ही स्कूल पहुंच सकें इतनी दूरी के अन्दर अन्दर प्राथमिक और मिडिल स्कूलों की व्यवस्था करना सरकार का लक्ष्य है। 1973 में किए गए तीसरे शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार 90 प्रतिशत ग्रामीण जन संख्या के लिए एक किलोमीटर की दूरी पर ही ऐसे स्कूल हैं जहां पैदल पहुंचा जा सकता है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों की 72% जन संख्या के लिए तीन किलोमीटर की दूरी पर मिडिल स्कूल हैं। ऐसी बस्तियों का पता लगाने के लिए जहां अब भी ऐसे स्कूलों की आवश्यकता है जहां पैदल पहुंचा जा सके चौथा शैक्षिक सर्वेक्षण 1978 में आरंभ किया गया है। राज्यों को इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर छात्रों के लिए स्कूलों की व्यवस्था इस प्रकार करने की सलाह दी गई है जिससे कि छात्र पैदल वहां पहुंच सकें। ऐसा करते समय आदिवासी पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने के लिए भी उनको सलाह दी गई है। राज्य अपनी वार्षिक योजनाओं में उन्हें उपलब्ध किए गए संसाधनों के अन्दर इनकी व्यवस्था करने के प्रयास करते हैं। आशा है कि अगली पंच-वर्षीय योजना अवधि में ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में प्रारम्भिक शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध न होने की समस्या समाप्त हो जाएगी। शैक्षिक रूप से पिछड़े 9 राज्यों (आन्द्र प्रदेश) असम, बिहार, जम्मू एवं काश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 9–14 वर्ग आयु के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्यों के प्रयत्नों में सहायता देने हेतु 25 करोड़ रुपए की केन्द्र प्रायोजित एक योजना भी शुरु की गई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्य रूप से जनसंख्या के पिछड़े वर्गों के बच्चों को लाभ पहुंचाना है। अधिक आदिवासी जनसंख्या वाले राज्यों के पास शिक्षा की आदिवासी उप-योजनाएं हैं जिनमें आदिवासी क्षेत्रों की आदिवासी जनसंख्या के लिए शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं बढ़ाने की व्यवस्था होती है ताकि उन्हें दूसरों के बराबर लाया जा सके। माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर राज्यों को यह सलाह दी गई है कि केवल पिछड़े क्षेत्रों में और शोषित वर्गों के लिए ही ई सुविधाएं जुटाने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राज्य सरकारों द्वारा विद्यमान सुविधाओं के उचित सर्वेक्षण के बाद पिछड़े हुए रूप में निर्धारित क्षेत्रों के मामले में ही नई उच्च शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है।

दिल्ली के नगरीय क्षेत्र में बिना मीटर वाले जल कनेक्शनों को दिए गए बिल

742. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिना मीटर वाले जल कनेक्शनों को दिल्ली नगर निगम ने वर्ष 1979-80 के लिए फरवरी, 1980 में जो बिल दिए थे वे "रेटेबल वैल्यू" का 5 प्रतिशत नहीं थे ;

(ख) क्या 31 मार्च, 1979 तक के लिए जो राशि मांगी गई थी वह उक्त बिलों में बकाया के रूप में दर्शायी गई थी और वह एक समान दर के हिसाब से मांगी गई थी, जिसे न्यायालय ने अवैध करार दे दिया था ;

(ग) क्या उपभोक्ताओं द्वारा पहले ही भुगतान की गई फालतू राशि का समायोजन नहीं किया गया है ;

(घ) उक्त बिलों में वर्ष 1979-80 के लिए फ्लैट रेट (एक समान दर) से 90 रुपये की जो राशि मांगी गई थी वह दिल्ली नगर निगम अधिनियम की किस धारा के अनुसार मांगी गई थी ; और

(ङ) क्या बिना मीटर वाले जल कनेक्शनों के उपभोक्ताओं को अब इस आशय का नोटिस दिया जा रहा है कि वे अपने यहां जल का मीटर लगवा लें जबकि दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 115 में बिना मीटर वाले जल-कनेक्शनों के लिए व्यवस्था है और दिल्ली नगर निगम अधिनियम द्वारा प्रदत्त इस सुविधा को किस प्राधिकार के अन्तर्गत वापस लिया जा रहा है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ङ) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बड़े शहरों में गन्दी बस्तियां

743. **श्री मधु दण्डवते**
श्री टी० आर० शमन्ना } : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बंगलौर और दिल्ली जैसे बड़े महानगरों में गन्दी बस्तियों में रहने वाले व्यक्ति अमानवीय स्थितियों में रहते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो गन्दी बस्तियों में रहने वाले इन व्यक्तियों की दशा में सुधार लाने के लिए केन्द्र से कितने बड़ी वित्तीय सहायता देने और क्या ठोस कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) यह सत्य है कि महानगरों में गन्दी बस्तियों की समस्या अपेक्षाकृत गंभीर है।

(ख) गन्दी बस्तियों की समस्या को हल करने के लिए बनाई गई गन्दी बस्तियों के उल्मूलन/सुधार और नगर की गन्दी बस्तियों के वातावरणीय सुधार की योजना राज्य क्षेत्र में है और राज्य सरकारों द्वारा उनका कार्यान्वयन इन योजनाओं के लिए अपने वार्षिक प्लान नियतन में से किया जाता है। विश्व बैंक की सहायक अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की ऋण

सहायता से मद्रास और कलकत्ता में गन्दी बस्ती सुधार योजना को बहु-क्षेत्रीय नगर परियोजनाओं के एक अंग के रूप में आरम्भ किया गया है। इन दो योजनाओं के अतिरिक्त दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ी हटाओ योजना चलाई जा रही है।

डाक-तार सुविधाओं की दृष्टि से रत्नगिरि के दक्षिणी भाग को पिछड़ा क्षेत्र मानना

744. **श्री मधु दण्डवते :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक-तार सुविधाओं के लिए महाराष्ट्र के रत्नगिरि जिले के उत्तरी भाग को ही पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त जिले के दक्षिणी भाग को भी डाक-तार सुविधाओं की दृष्टि से 'पिछड़ा क्षेत्र' माना जायेगा ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) तार एवं टेलीफोन सुविधाओं के विस्तार के लिये सम्पूर्ण रत्नगिरि को पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है।

डाक सुविधाओं के विस्तार के प्रयोजन के लिये ढपोली, खेड़, छिपलन, गुहागर, संघमेश्वर, लांजा, देवरूख, राजापुर तथा रत्नगिरि जिले के रत्नगिरि तालुक, जो कुंकन उत्तरी डाक मंडल का हिस्सा हैं, को पिछड़ा क्षेत्र माना गया है।

(ख) डाक सुविधाओं में विस्तार करने के प्रयोजन के लिये सम्पूर्ण रत्नगिरि जिले को पिछड़े क्षेत्रों की सूची में शामिल करने का प्रश्न विचाराधीन है।

पीने का पानी

745. **श्री मधु दण्डवणते :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1947 से 1977 तक के 30 वर्षों के दौरान कितने गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था की गई थी;

(ख) इसके विपरीत 1977 से 1979 तक की अवधि के दौरान इन सुविधाओं को कितने गांवों तक पहुंचाया गया था; और

(ग) भारत के सभी गांवों में पीने के पानी की सुविधाओं को पहुंचाने के लिए कितने वर्षों का समय लग जाने की संभावना है?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के सन् 1977-78 से आरम्भ होने पर 64,000 गांवों में (40,000 समस्याग्रस्त गांवों सहित) स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था कर दी गई थी।

(ख) 1977-79 की अवधि के दौरान 33,842 समस्याग्रस्त गांवों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की गई थी।

(ग) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति का कार्यक्रम का उद्देश्य 1972 के सर्वेक्षण के दौरान पता लगाए गए सभी शेष समस्याग्रस्त ग्रामों में 1982-83 के अन्त तक पेयजल की व्यवस्था करना है। जहां तक देश के सभी गांवों का संबंध है, इसका लक्ष्य अन्तर्राष्ट्रीय जलपूर्ति एवं स्वच्छता दशाब्दी, 1981-90 के दौरान उनमें पेयजल की व्यवस्था करना है।

हिमाचल प्रदेश में मंजूर किये गये शाखा डाकघर

746. **श्री नारायण चन्द पराशर:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिमाचल प्रदेश में डिवीजनवार कौन-कौन से शाखा डाकघर मंजूर किये गये हैं;

(ख) उनके किन तारीखों को खोले जाने की संभावना है; और

(ग) जिला-वार ऐसी पंचायतों के नाम क्या हैं जिनके अन्तर्गत कोई डाकघर नहीं है?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन): (क) 1979-80 के दौरान हिमाचल प्रदेश में स्वीकृत किए गए शाखा डाकघरों के नाम डिवीजनवार अनुबंध में दी गई विवरणी के कालम 2 में दिखाए गए हैं।

(ख) सभी शाखा डाकघर खोल दिए गए हैं। प्रत्येक डाकघर के खुलने की तारीख अनुबंध में दी गई विवरणी के कालम 3 में दर्शायी गई है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

खोले जाने की तारीख सहित डिवीजनवार खोले गए डाकघरों की सूची

शिमला डिवीजन

क्रमांक	शाखा डाकघर का नाम	खोले जाने की तारीख
1	2	3
1.	पनोग	11-10-79
2.	नगांव	27-9-79
3.	भरोमू	8-10-79
4.	कोहबाग	27-9-79
5.	आनन्दपुर	20-9-79
6.	कोलीघाट	16-8-79
7.	मधाना	27-9-79
8.	थंगड़	3-10-79
9.	कुंगल बाली	2-5-79
10.	करानां	25-4-79

1	2	3
11.	सरौंथा	21-9-79
12.	धरारा	27-9-79
13.	जथियादेवी	24-9-79
14.	बगाहर	वही
15.	बरंग	5-10-79
16.	मटरोग	22-10-79
17.	घाथु	वही
18.	चलाहल	20-11-79
19.	मटाल	26-11-79
20.	कमलानगर	24-11-79
21.	कटगांव	28-11-79
22.	देवनगर	26-11-79
23.	कियारा	वही
24.	टोडसो	23-11-79
25.	नटपा	30-11-79
26.	भोलर	7-1-80
27.	बरथाटा	10-1-80
28.	पनवी	21-1-80
29.	काला	5-1-80
30.	कसंकौली	15-1-80
31.	देवगढ़	26-2-80
	योग	31

चम्बा डिवीजन

1.	जंगी	16-5-79
2.	भरारी	18-5-79
3.	लेहसुई	19-5-79
4.	घटासनी	27-5-79
5.	करयास	23-6-79
6.	बंडला	23-6-79
7.	सेचुनाला	27-6-79
8.	पुरथी	29-6-79
9.	थेड़्वालु	8-8-79
10.	साराहान	14-8-79
11.	परीना	22-8-79
12.	मट्टी	7-9-79

1	2	3
13.	भजोतरा	8-9-79
14.	सिंगाधर	11-9-79
15.	कोट ाहनवी	12-9-79
16.	डारविन	18-9-79
17.	ओहरा फटी	5-12-79
18.	मलूंडा	6-12-79
19.	कपासा	7-12-79
20.	बाट	8-12-79
21.	सनवाल	वही
22.	जुडेरा	10-12-79
23.	कठला	11-12-79
24.	लामू	12-12-79
25.	बनन्तर	14-12-79
26.	दियोला	19-12-79
27.	पलविन	23-2-80
28.	चरारी	25-2-80
29.	दन्ड	26-2-80
30.	किलोर	27-2-80
31.	घुलाई	27-2-80
32.	खोडा	28-2-80
33.	सेरिन्द्राल	29-2-80
34.	बड़का	वही
	योग	34

हमीरपुर डिवीजन

1.	दंडीविन	21-4-79
2.	कटौरखुर्द	30-4-79
3.	बंडला	6-11-79
4.	धानुकोठी	2-7-79
5.	धर्ड	31-5-79
6.	डोराबाबा रुद्रा नंद	2-5-79
7.	सरहकार	30-5-79
8.	करासा	29-5-79
9.	मकरी	31-5-79
10.	नोआ	30-5-79
11.	भेरेडा	17-10-79

1	2	3
12.	कुटेला	24-10-79
13.	अमरोह	4-10-79
14.	जज्जर	7-9-79
15.	टिकरी	13-12-79
16.	सलोहबेरी	16-1-80
17.	पपलोआ	28-1-80
	योग	17
सोलन डिवीजन :		
1.	कोटलाबंगी	20-7-79
2.	मनलोगकलां	27-7-79
3.	सैनी	17-8-79
4.	कुफरकयारा	वही
5.	थाना	वही
6.	जामु	30-4-79
7.	भंड भोगरी	25-5-79
8.	देवाना	5-9-79
9.	दाहन	3-9-79
10.	मंडाला	27-11-79
11.	जोनाजी	वही
12.	जुरुआ	30-11-79
13.	शिवपुर	17-11-79
14.	बेराल	22-11-79
15.	नगाली	30-11-79
16.	नानकपुर	26-11-79
17.	हिन्नेर	29-11-79
18.	ढकरियाना	27-12-79
19.	धरोट	19-1-80
20.	काठलीभरन	29-1-80
	योग	20
मंडी डिवीजन :		
1.	नंदी	5-9-79
2.	गुशाल	17-8-79
3.	खोखसर	15-6-79

1	2	3
4.	जहमत	24-8-79
5.	पधवान	वही
6.	पीपालागे	3-9-79
7.	जोबरांग	22-10-79
8.	देवठा	7-9-79
9.	सिल्ही बागी	10-10-79
10.	समराहन	25-9-79
11.	पाली	27-9-79
12.	बाराग्राम	22-2-80
13.	थाटीवीर	12-12-79
14.	सुधार	26-2-80
15.	कोठी	12-12-79
16.	गहीधर	14-12-79
17.	बोचिंग	28-2-80
18.	सर्दवार	27-2-80
19.	टांडी	17-12-79
20.	नरचौक	28-1-80
21.	पतरीघाट	26-2-80
22.	पिंगला	29-2-80
23.	तरनोह	27-2-80
24.	भनेरा	25-2-80
	योग	24

धर्मशाला डिवीजन :

1.	गुरालधर	29-8-79
2.	मझौटी	30-4-79
3.	हरनौटा	26-5-79
4.	फरियान	25-5-79
5.	सिद्धपुरघर	30-4-79
6.	लाग	28-5-79
7.	नदली	29-5-79
8.	घरेर	28-4-79
9.	हदेड़	30-4-79

1	2	3
10.	धारुनभनेटा	16-10-79
11.	जोंक रतियाल	30-11-79
12.	बराना	20-11-79
13.	छांछरी	18-12-79
14.	भदियारा	15-11-79
15.	गहींलगोर	27-11-79
16.	नोवाशेरा	8-12-79
17.	लोहना	4-12-79
18.	बद्रोल	13-12-79
19.	लथियाल	28-11-79
20.	मलेटाबोगटा	29-12-79
21.	मोनिता	28-12-79
22.	सिम्बल	12-1-80
23.	घेर	1-2-80
24.	भदरेना	12-9-79
	योग	24

हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र तथा संयुक्त कार्यालय

747. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश राज्य में किन-किन स्थानों के लिए सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों तथा संयुक्त कार्यालय मंजूर किए गए हैं;

(ख) उनमें से प्रत्येक की स्थापना कब तक कर दी जाएगी;

(ग) किराया तथा गारंटी की शर्तों पर सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र/संयुक्त कार्यालय खोलने के ऐसे प्रस्ताव किन-किन स्थानों के लिए इस समय विचाराधीन हैं; और

(घ) उनके लिए कब तक मंजूरी दे दी जाएगी ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) भाली, टिक्कर, कालजा, गलोर, भारमौर, काज़ा, किल्लर और किलोंग के लिए सार्वजनिक टेलीफोनों की मंजूरी दे दी गई है। भाली, टिक्कर, योंगथोंग, झालमा, सगनम, संदो, जसपा, समधा, निर्माध, के लिए संयुक्त डाक-तारघरों की मंजूरी दे दी गई है।

(ख) उनके नीचे लिखी तारीखों से लगाए जाने की संभावना है :—

वर्ष	वे स्थान जहां सार्वजनिक टेलीफोन लगाए जाने हैं	वे स्थान जहां संयुक्त डाक-तारघर स्थापित किये जाने हैं
1979-80	(i) भाली	(i) भाली
1980-81	(i) टिक्कर	(i) योंगथोंग
	(ii) कालपा	(ii) समधा
	(iii) गलोर	(iii) जसपा
	(iv) भारमौर	(iv) टिक्कर
1981-82	(i) काजा	(i) झालमा
	(ii) किल्लर	(ii) सगनम
	(iii) किलौंग	(iii) निर्माघ
		(iv) संदो

(ग) किराये और गारंटी के आधार पर कोई सार्वजनिक टेलीफोन परीक्षाधीन नहीं है। फिर भी, इस आधार पर टिन्डी, कारपेट, पूर्थी, दरवास तथा होली में संयुक्त डाक-तारघर लगाने का प्रश्न परीक्षाधीन है।

(घ) जून 1980 तक संयुक्त डाक-तारघरों की मंजूरी दिए जाने की संभावना है।

अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में आने वाले तथा वहां से बाहर जाने वाले तारों का साधारण डाक द्वारा भेजा जाना

748. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अण्डमान तथा निकोवार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र में गत 2/3 वर्षों से वहां आने वाले तथा वहां से बाहर जाने वाले तार, बजाय तार प्रणाली से भेजने के, साधारण डाक द्वारा भेजे जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का प्रस्ताव क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार विशेषज्ञों के माध्यम से समूची प्रणाली की जांच करने और लोगों को तार शुल्क भी वापस अदा करने का है?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी नहीं।

तथापि रेडियो टेलीप्रिंटर परिपथों में बाधा आने पर कुछ अवसरों पर तार हवाई डाक से भेजे गये थे। ये बाधायें मुख्यतः वातावरण की गड़बड़ियों के कारण हुई।

(ख) पोर्ट ब्लेयर तथा मुख्य भूमि के बीच तार संचार को सुधारने के लिए उच्च शक्ति के बेतार ट्रांसमीटर शीघ्र लगाये जाने का प्रस्ताव है। पोर्ट ब्लेयर तथा मुख्य भूमि के बीच स्थापित किये जा रहे सैटेलाइट लिंक पर अतिरिक्त तार परिपथ प्रदान करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(ग) जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। जहां तक तार प्रभारों की वापसी का प्रश्न है, नियमों में पहले से ही ऐसी व्यवस्था है।

वर्ष 1980-81 के दौरान चीनी का निर्यात

749. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980-81 में कितनी मात्रा में चीनी का निर्यात किये जाने की संभावना है तथा क्या देश के बाजार में चीनी की कमी को देखते हुए सरकार वर्ष 1980–81 के लिये निर्यात करने के स्थान पर देश की मांग को पूरा करेगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार के अधीन चीनी का निर्यात पंचांग वर्ष के आधार पर किया जाता है। वर्ष 1980 के दौरान, हमने लगभग 60,000 मीटरी टन चीनी का निर्यात कर दिया है। हमने करार के अधीन लगभग 1.40 लाख मीटरी टन तक चीनी का विशेष स्टाक तैयार कर लिया था जोकि अन्तर्राष्ट्रीय चीनी संगठन द्वारा यथा अपेक्षित निर्यात के लिये निर्मुक्त है। घरेलू जरूरतों को अत्यधिक प्राथमिकता देने के बाद निर्यात की जाने वाली चीनी की अतिरिक्त मात्रा 1.40 लाख मीटरी टन की इस न्यूनतम वचनबद्धता तक सीमित की जायेगी। करार के अधीन 1981 के लिये चीनी निर्यात की मात्रा का अभी निश्चय किया जाना है।

स्कूल और कालेज परीक्षाओं का समय निर्धारण

750. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर के स्कूलों और कालेजों में वार्षिक परीक्षायें एक ही समय आयोजित नहीं की जाती हैं और यदि हां, तो तथ्य क्या हैं;

(ख) क्या कुछ लोगों से इस तरह के सुझाव प्राप्त हुए हैं कि परीक्षाओं का समय बदला जाये क्योंकि अभी ये परीक्षायें अप्रैल-मई माह में होती है और उन दिनों काफी गर्मी होती है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार सभी स्कूलों और कालेजों में परीक्षायें हर वर्ष दिसम्बर माह में आयोजित करने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

शिक्षा, स्वाथ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां। देशभर के स्कूलों और कालेजों में परीक्षाएं एक साथ आयोजित नहीं की जाती हैं, क्योंकि यह परीक्षा पद्धति, शैक्षिक वर्ष की समाप्ति तथा अन्य क्षेत्रीय आवश्यकताओं जैसे विभिन्न कारणों के आधार पर विभिन्न बोर्डों और विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित की जाती हैं।

(ख) और (ग) जुलाई, 1978 में इस मंत्रालय में एक सुझाव प्राप्त हुआ था कि देशभर के स्कूलों और कालेजों में परीक्षायें नवम्बर/दिसम्बर में आयोजित की जानी चाहिए। तथापि, मौसम की अतिव्याप्तता तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों/बोर्डों द्वारा अपनाई जा रही भिन्न-भिन्न परीक्षा पद्धतियों के कारण इस सुझाव को व्यवहार्य नहीं पाया गया।

अंदमान तथा निकोबार द्वीप समह द्वारा बुलडोजरों की खरीद

751. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूहों के कृषि विभाग द्वारा गत तीन वर्षों में कितने बुलडोजर खरीदे गये और उनके लिये कितनी कीमत अदा की;

(ख) खरीदारी के बाद प्रत्येक मामले में "लाग-बुक" में काम के कितने घंटों का उल्लेख किया गया;

(ग) कितने कृषकों को बुलडोजर, सप्लाई किये गये, गांवों के नाम क्या हैं, तथा कितने घंटों के लिये सप्लाई किये गये, और

(घ) इन बुलडोजरों की मरम्मत, फालतू पुर्जों की कीमत पर कितनी राशि व्यय की गई और उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान कृषि विभाग द्वारा कोई बुलडोजर नहीं खरीदा गया है।

(ख) से (घ) तक उपरोक्त (क) को दष्टि में रखते हुए प्रश्न ही नहीं होता।

फ्लैटों के आवंटन हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत किए गए व्यक्ति

752. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फ्लैटों के आबंटन हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1976 तक पंजीकृत किये गये व्यक्तियों की योजनावार और श्रेणीवार कुल संख्या कितनी है;

(ख) ऐसे व्यक्तियों की (श्रेणीवार) कुल संख्या कितनी है जिन्हें अब तक फ्लैट आवंटित नहीं किये गये हैं। फ्लैट आवंटित न किये जाने के कारण क्या हैं और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उनको मकान आवंटित किये जाने की संभावना कब तक है; और

(ग) प्रत्येक श्रेणी के पंजीकृत किये गये शेष व्यक्तियों के लिये मकानों के निर्माण के सम्बन्ध में वर्तमान प्रगति क्या है और फ्लैट किन-किन स्थानों पर बनाये जा रहे हैं तथा उनके कब तक पूरे हो जाने की संभावना है;

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि 1976 तक इसकी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत फ्लैटों के आबंटन के लिये 64007 व्यक्ति पंजीकृत थे। उनका अलग-अलग ब्यौरा संलग्न विवरण में दिखाया गया है।

(ख) तथा (ग) उपर्युक्त में से जिन व्यक्तियों को 31-12-79 तक फ्लैट आवंटित नहीं किये गये उनकी कुल संख्या 16507 है। उनका अलग-अलग विवरण इस प्रकार है :–

मध्यम आय वर्ग	6924
निम्न आय वर्ग	5452
जनता	4131

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मार्च, 1980 के दौरान 4444 फ्लैटों के आबंटन के लिये आवेदन पत्र मांगे हैं जिनमें निम्नलिखित वर्ग शामिल हैं:—

मध्यम आय वर्ग	1165
निम्न आय वर्ग	608
जनता	2671
	4444

इसने सूचित किया कि विभिन्न क्षेत्रों में 10,000 से अधिक फ्लैट निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं और उनके पूर्ण हो जाने पर उन्हें पंजीकृत व्यक्तियों को आबंटित कर दिया जायेगा।

विवरण

पंजीकृत योजना	पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या			
	मध्यम आय वर्ग	निम्न आय वर्ग	जनता	योग
प्रथम पंजीकरण 1969–70	3501	4747	2603	10851
द्वितीय पंजीकरण 1971–72	9984	6203	4279	20466
विशेष पंजीकरण 1973	325	1050	4111	5486
नया पंजीकरण 1976	10058	8866	8280	27204
योग	23868	20866	19273	64007

डीजल कोटे में वृद्धि करने के लिये राज्यों द्वारा मांग

753. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग सभी राज्यों ने किसानों के लिये डीजल के वर्तमान कोटे में वृद्धि करने की मांग की है;

(ख) गुजरात राज्य द्वारा की गई इस मांग के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) गुजरात राज्य में किसानों को डीजल आबंटित करने के लिये क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं; और

(घ) ट्रैक्टरों के लिये आबंटित कोटा क्या है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) गुजरात राज्य सरकार द्वारा नवम्बर, 1979 से फरवरी, 1980 के लिये हाई स्पीड डीजल तेल के लिये मांग और राज्य की वास्तविक बिक्री निम्न प्रकार है :—

(आंकड़े मी० टनों में)

महीना	राज्य सरकार द्वारा बताई गई मांग	आवंटन		वास्तविक बिक्री (लगभग)
		मूल	संशोधित वृद्धियों सहित यदि कोई हो	
नवम्बर, 1979	55460	47287	50287	55046
दिसम्बर, 1979	60500	53309	58309	62434
जनवरी, 1980	60500	52628	52628	53975
फरवरी, 1980	57540	53150	57150	55421

अधिक मांग को ध्यान में रखते हुए फरवरी, और मार्च, 1980 के दौरान हाई स्पीड डीजल तेल (एच० एस० डी०) का अतिरिक्त कोटा निम्न प्रकार आवंटित किया गया है :—

(आंकड़े मी० टनों में)

	अतिरिक्त आवंटन
फरवरी, 1980	4,000
मार्च, 1980	3,082

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को हाई स्पीड डीजल तेल का आबंटन विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिये किसी विशिष्ट कोटे के बिना ही समूचे तौर पर किया जाता है। यह राज्य सरकार के लिये है कि वे अन्तर्राष्ट्रीय आवंटन विभिन्न क्षेत्रों जिसमें किसान और ट्रैक्टर शामिल हैं, करे। इस मंत्रालय के पास राज्य सरकार द्वारा किसानों अथवा ट्रैक्टरों के लिये किये गये आवंटन सम्बन्धी कोई सूचना नहीं है।

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम का कार्यकरण

754. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा अपनी स्थापना से अब तक कितना कार्य किया गया है और प्रत्येक कार्य पर लागत तथा निर्माण से भिन्न अलग अलग कार्य पर कमाये गये लाभ की प्रतिशतता क्या है;

(ख) इसकी स्थापना से लेकर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कितने प्रतिशत परिव्यय हुआ;

(ग) किये गये कार्य की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कर्मचारियों को वेतनों के रूप में कुल कितनी अदायगियां की गईं;

(घ) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को किन किन कार्यों में और कितना कितना लाभ हुआ; और

(ङ) ग्राहकों से अब तक कुल कितनी बकाया धनराशि वसूल की जाती है;

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भारतीय खाद्य निगम की संचालन लागत

755. **श्रीमती मोहसिना किदवाई**
श्री के० पी० सिंह देव } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम की प्रति क्विंटल 'आपरेशनल' लागत लगभग वसूली मूल्य के बराबर है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अनाजों पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा अर्जित लाभ उस लाभ से कहीं अधिक है जो इसकी स्थापना से पहले निजी व्यापारियों द्वारा कमाया जाता था;

(ग) क्या यह भी सच है कि निगम द्वारा राज सहायता दिये जाने के कारण भारी हानि हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं पिछले तीन वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों का भाण्डारण संचलन और वितरण करने के लिये प्रति क्विंटल हैंडलिंग लागत अधिग्रहण लागत को केवल 16 प्रतिशत और 19 प्रतिशत के बीच थी।

(ख) जी नहीं, भारतीय खाद्य निगम केन्द्रीय पूल के लिये खाद्यान्नों के कारोबार में कोई लाभ नहीं कमाता है। वास्तव में, यह बिना कोई लाभ कमाये वास्तविक लागत के आधार पर खाद्यान्नों को हैंडल करता है।

(ग) जी नहीं, निगम भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये मूल्यों पर खाद्यान्नों को खरीदता और बेचता है। भारत सरकार द्वारा जो निर्गम मूल्य निर्धारित किये जाते हैं, वे खाद्यान्नों को इक्नामिक लागत, जिसमें, वसूली और वितरण सम्बन्धी खर्चे शामिल होते हैं, से कम होते हैं। इक्नामिक लागत और निर्गम मूल्य के अन्तर की प्रतिपूर्ति भारतीय खाद्य निगम को कर दी जाती है। सरकार की सामान्य नीति के आधार पर निगम से बफर स्टाक रखने की अपेक्षा की जाती है जिसके लिये भारतीय खाद्य निगम को राजसहायता के रूप में खाद्यान्न रखने के प्रभार की भी प्रतिपूर्ति की जाती है।

(घ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा जो विभिन्न खर्चे किये जाते हैं, उनकी बराबर समीक्षा की जाती है।

मुख्य मंत्रियों को किसानों की मदद के लिये निदेश

756. श्रीमती मोहसिना किदवई : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मंत्री ने देश में खाद्य उत्पादन को बढ़ाने में किसानों की सहायता करने और उन्हें सहयोग देने के सघन प्रयासों की आवश्यकता पर बल देने के लिए मुख्य मंत्रियों को पत्र भेजा है,

(ख) यदि हां, तो राज्यों की उस पर क्या प्रतिक्रिया रही ; और

(ग) क्या डीजल और अन्य उपादानों की नियमित सप्लाई के लिये उन्हें आश्वस्त किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकारों से उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) रबी फसल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये डीजल की सप्लाई बढ़ाने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। किसानों के लिये इसकी उपलब्धि में सुधार करने के लिये राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत डीजल का वितरण नियमित करें। बीज, उर्वरक आदि अन्य आदानों की नियमित सप्लाई भी सुनिश्चित की गई है।

नारायण विहार, नई दिल्ली में शापिंग सेन्टर

757. श्री धर्मदास शास्त्री : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नारायण विहार के "ए" ब्लाक मे शापिंग सेंटर के लिये निर्धारित 2.3 एकड़ प्लाट पर विकास प्राधिकरण ने नारायण विहार, नई दिल्ली में "ए" तथा "बी" ब्लाकों के निवासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये स्थानीय शापिंग सेन्टर का निर्माण नहीं किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि केवल उपरोक्त शापिंग सेन्टर ही एक ऐसा शापिंग न्टर हैं जिसका नारायण विहार में निर्माण नहीं किया गया है;

(ग) क्या "ए' ब्लाक, दिल्ली विकास प्राधिकरण फ्लैट (एम० आई० जी०) रजिस्टर्ड एसोसियेशन तथा फैडरेशन आफ नारायण विहार रेजिडेंटस वेलफैयर एसोसियेशनस द्वारा उपरोक्त 11 वर्षों से उक्त शापिंग सेन्टर के निर्माण के लिये अभ्यावेदन दिये जाते रहे हैं और उसकी योजना भी गत तीन/चार वर्षों से दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास तैयार है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कार्य कब तक आरम्भ किया जायेगा और पूरा किया जायेगा;

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (घ) नारायण विहार के ए० ब्लाक के स्थानीय शापिंग सेन्टर का निर्माण कार्य अभी तक आरम्भ इसलिय नहीं किया जा सका क्योंकि आंशिक रूप से निर्धारित स्थल पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण

है तथा उसके कुछ भाग का पूर्ण रूप से अभी तक अधिग्रहण नहीं किया गया है । इन कठिनाइयों पर काबू पाने के बाद ही केवल इस सेन्टर का निर्माण कार्य आरम्भ किया जा सकता है।

नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम के पास जमीन का प्लाट

758. **श्री धर्मदास शास्त्री :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने लगभग 10 वर्ष पूर्व 3600 वर्गगज भूमि का एक प्लाट जिसका नम्बर सी-119, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, फैज-1 है, दिल्ली परिवहन निगम को आवंटित किया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली परिवहन निगम से वह कीमत नहीं ली जा रही है जो अन्य सार्वजनिक सेवाओं से ली जा रही है और इसके कारण दिल्ली परिवहन निगम द्वारा प्लाट का कब्जा नहीं लिया जा रहा;

(ग) क्या किसी व्यक्तिगत उद्योगपति के मामले में, जो जमीन के आवंटित प्लाट का कब्जा नहीं लेता/अथवा जो निर्धारित अवधि के बीच भवन का निर्माण नहीं करता उसे दण्ड दिया जाता है/आबंटन रद्द कर दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो दिल्ली परिवहन निगम को आवंटित उपरोक्त प्लाट के सम्बन्ध में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जहां आवंटी आवंटित प्लाट का दखल नहीं लेते हैं अथवा निर्दिष्ट अवधि में प्लाट पर मकान नहीं बनाते हैं तो आवंटन को निरस्त करने की कार्यवाही की जाती है। तथापि, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों का ख्याल रखते हुए निर्धारित रचना-प्रभारों की अदायगी पर निर्माण की अवधि में समान्यतया समयवृद्धि दे दी जाती है। यदि सात वर्ष के बाद भी यह अवहेलना जारी रही तो पट्टा/उप-पट्टा निरस्त किया जा सकता है ।

(घ) भाग (क) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

महाराष्ट्र फार्मास्यूटिकल्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन, पुणे (महाराष्ट्र) में प्राप्त अभ्यावेदन

759. **श्री आर० के० महालगी :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र फार्मास्यूटिकल मैन्यूफैक्चरर्स एसोसियेशन, पुणे (महाराष्ट्र) से जून, 1978 में कोई अभ्यावेदन मिला है जिसमें उनकी विभिन्न मांगें हैं;

(ख) यदि हां तो यह मांगे क्या है;

(ग) सरकार ने इस बारे में अब तक क्या कार्रवाई की है; और

(घ) यदि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और उनका उपचार क्या है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र फार्मास्यूटिकल निर्माता संघ, पुणे की मांगों का सारांश और प्रत्येक मांग की अद्यतन स्थिति संलग्न है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं०	मांगों का सारांश	वर्तमान स्थिति
1	2	3
1.	फार्मूलेशनों के कुछ समूह जिनमें उच्च प्रौद्योगिकी निहित नहीं है, उनको लघु उद्योग क्षेत्र के लिए सुरक्षित रखे जाने चाहिये।	छः बल्क औषधों अर्थात् (i) गिलसिरोफास्फेट (ii) गिलसिरो-फास्फोरिक एसिड, (iii) पैरासिटामोल (iv) लेनोलिन ऐनहाइड्रस, (v) साइट्रेट, और (vi) टारट्रेट्स का उत्पादन लघु उद्योग क्षेत्र के लिये सुरक्षित रखा गया है जहां तक फार्मूलेशनों का सम्बन्ध है, योजना आयोग द्वारा गठित कार्य दल द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि लघु उद्योग क्षेत्र वर्तमान योजना अवधि में 19.5% वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करेगा।
2.	जहां तक सरकारी सप्लाई का सम्बन्ध है लघु उद्योग एककों के लिये 15% मूल्य वरीयता के आधार पर विचार किया जाना चाहिये।	इस सम्बन्ध में सभी क्षेत्रों के लघु औद्योगिकी इकाईयों पर लागू होने वाली सामान्य नीति औषध और भेषज उद्योग के लघु एककों पर भी लागू होती है। अतः औषध उद्योगों के लघु एककों को ही वरीयता देना संभव नहीं होगा। चाहे कुछ भी हो यह एक ऐसा मामला है कि जिस पर राज्य सरकारों को भी विचार करना है।
3.	निश्चित आर्डरों पर सरकार द्वारा की जाने वाली सप्लाई के लिये सरणीबद्ध एजेंसियों द्वारा लघु उद्योगों एककों को उनकी हकदारी की आवश्यकता के अलावा कच्चे माल का उदारता पूर्वकता कोटा दिया जाना चाहिये।	सरणीबद्ध कच्चे माल के लिये वर्ष 1979-80 की वितरण नीति में यह व्यवस्था की गई है कि लघु उद्योग इकाइयों को उदारता पूर्वक आबंटन किया जाए। एक करोड़ रूपये तक को वार्षिक बिक्री वाले एकक वर्ष 1978–79 के आबंटन की

उदार नीति पर आधारित थे. 50% वृद्धि दर के लिये और 1 करोड़ रूप से अधिक बिक्री वाले एकक 25% वृद्धि दर के लिये हकदार है। लघु उद्योग एककों को उनके अपने आर० ई० पी० लाइसेंसों पर पिछली खपत का लाभ प्रदान करने के लिये सरकार द्वारा उनकी हक के बारे में हाल ही में घोषित किये गये संशोधनों में भी लघु उद्योग क्षेत्र को और उदारता प्रदान की गई है। लघु उद्योग एककों को ऐसे आबंटनों में से सरकारी आर्डरों की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिये।

4. आई०डी० पी०एल०द्वारा अन्य निर्माताओं को कच्चे माल की सप्लाई किये जाने पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये।

दिनांक 1–7–79 से लागू की गई बल्क औषधों की सारणीबद्ध योजना के अन्तर्गत आई० डी० पी० एल० ने एक वितरण एजेन्सी के रूप में कार्य करना बन्द कर दिया है।

5. सरकारी उपक्रमों द्वारा दुर्लभ कच्चे माल को छुपाना और लघु उद्योगों के लिये उसकी कमी उत्पन्न करना बन्द कर दिया जाना चाहिये।

यह विश्वास करने के लिये कोई ऐसा कारण नहीं है कि सरकारी उपक्रम ऐसा कर रहे हैं।

6. जिन उत्पादों के ट्रेड नाम समाप्त किये गये हैं उनकी सूची का पुनरीक्षण और सामान्य नाम से बेचे जाने वाले में के अन्य और मदों को शामिल करना।

सरकार ने यह निर्णय किया कि प्रारम्भ में एक ही संघटक फार्मूलेशनों वाले 5 औषधों के ट्रेड नाम समाप्त किये जायें। इस प्रयोग से प्राप्त अनुभव के आधार पर भविष्य में स्थिति की समीक्षा की जायेगी।

7. जो बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां और बड़ी भारतीय कम्पनियों दूसरी कम्पनियों द्वारा निर्मित उत्पादों को बेचती है उनके व्यापार और विपणन कार्यकलापों पर नियंत्रण रखा जाना चाहिये।

अनेक लघ उद्योग एकक जिनके पास विवरण सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं वे दूसरी एजेंसियों के माध्यम से अपने उत्पादों को बेच रही होगी। ऐसी विपणन व्यवस्था में केवल वे सुविधायें प्रदान की जाती हैं जो उनके पास उपलब्ध नहीं होती। औषध मल्य नियंत्रण आदेश, औषधों के मूल्यों और उनके लाभ पर नियंत्रण रखता है। फैरा में व्यापार कार्यकलापों जो परिशिष्ट-1

	के मूल्यांकन में शामिल नहीं किया जाता है। इसके अलावा जहां तक औषध उद्योग का सम्बन्ध है एकमात्र बिक्री एजेन्सी पद्धति को समाप्त किया गया है।
8. एस० टी० सी० और आई० डी० पी० एल० द्वारा कच्चे माल की दोषपूर्ण और अनियमित सप्लाई को बन्द किया जाना चाहिये।	जैसा कि क्रम० सं० 4 पर उल्लेख किया गया है, आई० डी० पी० एल० अब सारणी-बद्ध बल्क औषधों की वितरण एजेन्सी नहीं है। सारणीबद्ध बल्क औषधों का आयात और वितरण सी० पी० सी० द्वारा इस ढंग से किया जाता है ताकि प्रत्येक एकक को इन बल्क औषधों की नियमित और उपयुक्त सप्लाई की जा सके। तथापि कभी कभी सी० पी० सी० के नियंत्रण से बाहर हो जाने से सप्लाई में विलम्ब हो सकता है, जैसे बन्दरगाहों पर उठान में अत्यधिक विलम्ब, विदेशों में अस्थाई कमी के कारण खेप प्राप्त होने में विलम्ब, सी० पी० सी० और रसायन और उर्वरक विभाग प्रत्येक औषध की सप्लाई स्थिति की निरन्तर निगरानी रखते हैं और आवश्यकता पड़ने पर आयात में वृद्धि करने के लिये अपेक्षित कार्यवाही करते हैं।

गुजरात में उद्योगों को ऊंची दर पर वाणिज्यिक गैस सप्लाई करना

760. **श्री अहमद एम० पटेल :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य में निजी उद्योगों को सप्लाई की गई वाणिज्यिक गैस की दर में हाल ही में इतनी वृद्धि कर दी गई है कि उद्योगों को अपना व्यापार चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है ;

(ख) क्या सरकार को दर कम करने के लिए कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ग) यदि हां, तो गुजरात राज्य में उद्योगों को सप्लाई की गई गैस की दर को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) (क) जी नहीं।

गुजरात राज्य में निजी उद्योगों को सप्लाई की जा रही प्राकृतिक गैस के मूल्य 1-4-1978 से आगे संशोधित नहीं किये गये हैं।

(ख) और (ग) गुजरात सरकार से ओ० एन० जी० सी० द्वारा गुजरात राज्य में निजी उद्योगों को सप्लाई की जा रही गैस के मूल्य सम्बन्धी पत्र प्राप्त किये गये थे। परन्तु, उन्हें सूचित किया गया था कि देश में अन्य पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य को विचार में रखते हुए, इसका मूल्य युक्तिसंगत माना जा सकता है।

गुजरात में टेलीफोन निर्माण सुविधा

761. श्री अहमद एम० पटेल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में टेलीफोन उपकरणों का निर्माण करने के लिए दूर-संचार फैक्टरी की स्थापना करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का क्या रहा ;

(ग) क्या सरकार टेलीफोन संबंधी क्रास-बार उपकरणों के स्थान पर ट्रांसमिशन उपकरणों के निर्माण के लिए एक फैक्टरी की स्थापना करने पर विचार कर रही है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार गुजरात राज्य में उक्त एकक की स्थापना करने का है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

(ग) और (घ) इस मंत्रालय को छठा पंचवर्षीय योजना में एक लम्बी दूरी के दूरसंचार (पारेषण) उपस्कर और एक इलेक्ट्रो-मैकेनिकल किस्म के टैलीफोन एक्सचेंज (स्विचिंग) उपस्कर तैयार करने वाले कारखानों की स्थापना की व्यवस्था की गई है। फिर भी प्रस्तावित कारखानों का विस्तृत ब्यौरा, जिसमें तैयार किए जाने वाले उपस्करों की किस्म, पूंजीगत लागत और कारखानों के स्थान का मामला शामिल है, विचाराधीन है।

गुजरात में टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता

762. श्री अहमद एम० पटेल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रतीक्षा सूचियों को कम करने के विचार से गुजरात राज्य में विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव में सम्मिलित किए गए महानगरों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार गुजरात राज्य में निकट भविष्य में नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो किन-किन नगरों में, उनकी क्षमता क्या होगी तथा कब खोले जाएंगे ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी हां।

(ख) गुजरात के प्रमुख शहरों में एक्सचेंजों के विस्तार का विवरण अनुबंध- में दिया गया है।

(ग) और (घ) गुजरात के सभी शहरों में टेलीफोन एक्सचेंज हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 21 नए एक्सचेंज खोले गए हैं। इस महीने के अंत तक और 17 एक्सचेंज खोले जाने की संभावना है।

विवरण

अनुबंध—I

गुजरात के बड़े शहरों में वर्ष 1979-80 के दौरान एक्सचेंजों का विस्तार

	चालू करने का कार्यक्रम 1979-80
1. अहमदाबाद	4000 लाइनें
2. बड़ौदा	3000 लाइनें
3. सूरत	2700 लाइनें
4. राजकोट	300 लाइनें
5. भावनगर	600 लाइनें
6. जामनगर	600 लाइनें
7. नादियाड	300 लाइनें

एशियाई खेल, 1982

763. श्री माधवराव सिंधिया
श्री इन्द्रजीत गुप्ता
श्री आर० पी० गायकवाड
श्री अटल विहारी वाजपेयी } : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में 1982 में एशियाई खेलों का आयोजन करने की स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें खर्च होने वाले धन का विवरण क्या है ; और

(ग) अब तक क्या तैयारी की गई है ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) 33 करोड़ रुपए (26 करोड़ रु० भारत सरकार द्वारा तथा 7 करोड़ रु० स्थानीय निकायों द्वारा)।

(ग) प्रारम्भिक कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है।

देश में डिप्लोमाधारी इंजीनियरों के रोजगार संबंधी संभावनाओं में अन्तर

764. श्री माधवराव सिंधिया : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र और राज्यों में विभिन्न लोक निर्माण विभागों में काम करने वाले डिप्लोमाधारी इंजीनियरों के पदोन्नति सहित सेवाशर्तों के अवसरों और काम की शर्तें आदि समूचे देश में समान नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इन मामलों पर बहुत लम्बे समय से पुनर्विचार नहीं किया गया और ब्रिटिश ढांचे पर आधारित है ; और

(ग) यदि हां, तो निकट भविष्य में इन मामलों पर पुनर्विचार के लिए सरकार द्वारा राज्य सरकारों से परामर्श करके क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क), (ख) तथा (ग) केन्द्रीय सरकार के कार्यों के संबंध में लोक सेवाओं एवं पदों पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को संसद द्वारा पारित कानून के मुताविक और जब तक इस प्रकार का कानून पारित नहीं होता तो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों के मुताबिक नियमित किया जाना अपेक्षित है। इसी प्रकार, किसी राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में लोक सेवाओं एवं पदों पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों के मामले में, उनकी सेवा शर्तों को संबंधित विधान मण्डल द्वारा पारित कानून के मुताबिक और जब तक इस प्रकार का कानून पारित नहीं होता, तो संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा बनाए गए कानून के मुताकि नियमित किया जाना अपेक्षित है।

इस स्थिति को दृष्टि में रखते हुए, इन मामलों में कोई एकरूपता नहीं है। इस प्रकार की एकरूपता लाना भी संभव नहीं है क्योंकि भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न परिस्थितियां व्याप्त हैं।

निर्माण और आवास मंत्रालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्यरत कनिष्ठ इंजीनियरों की भर्ती एवं सेवा शर्तों के नियम निर्धारण करने के लिए उत्तरदायी है। केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों अथवा राज्य सरकारों में काम कर रहे कनिष्ठ इंजीनियरों के लिए समान सेवा शर्तें निर्धारित करना इसके उत्तरदायित्व के अन्तर्गत नहीं आता।

ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों का निर्माण

765. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 200 टन से 500 टन भंडारण की क्षमता के गोदामों का निर्माण करने की योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो कब से और भारत के विभिन्न भागों में खाद्यान्न और अन्य उत्पादों के भंडारण के लिये कितने गोदामों का निर्माण किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) व (ख) भारत सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष से 200 मीटरी टन से 1000 मीटरी टन की भण्डारण क्षमता वाले ग्रामीण गोदामों के निर्माण हेतु एक योजना शुरू की है। इस योजना में अब तक उत्तर प्रदेश राज्य में 111 गोदाम संस्वीकृत किए गये हैं। किसी भी अन्य राज्य ने इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता लेने हेतु पूरे प्रस्ताव नहीं भेजे हैं।

महाराष्ट्र में धुलिया जिले के लिए पृथक टेलीफोन डिवीजन

766. **श्री विजय एन० पाटिल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जलगांव (महाराष्ट्र) में डिवीजनल टेलीफोन कार्यालय का कार्यभार अत्यधिक होने के कारण अधिकारियों ने धुलिया जिले के लिये पृथक डिवीजन बनाने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या धुलिया जैसे आदिवासी जिले के लाभ के लिये प्रस्ताव की शीघ्र मंजूरी दिये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) तथापि मौजूदा मंडल के विभाजन के औचित्य का मूल्यांकन करने के लिए जलगांव मंडल के मौजूदा कार्यभार की समीक्षा की जा रही है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों को प्रति विद्यार्थी अनुदान दिया जाना

767. **श्री सैफुद्दीन चौधरी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने गत तीन वर्षों के दौरान देश में प्रत्येक विश्वविद्यालय को प्रति विद्यार्थी वर्ष वार कुल कितना अनुदान दिया है ;

(ख) क्या इस संबंध में कुछ विश्वविद्यालय अन्य की तुलना में पीछे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस असंतुलन के क्या कारण हैं ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रति व्यक्ति के आधार पर विश्वविद्यालयों को अनुदान नहीं देता है।

(ख) और (ग) आयोग द्वारा अनुदान, निरीक्षण समितियों की सिफारिशों पर विश्वविद्यालयों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के बाद तथा आयोग द्वारा यथास्वीकृत विभिन्न कोटि कार्यक्रमों के लिए दिए जाते हैं। अनुदान वस्तुत: खर्चे की प्रगति तथा आयोग द्वारा स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अलग-अलग विश्वविद्यालयों द्वारा की गई कार्रवाई के आधार पर मुक्त किए जाते हैं। इस तरह विभिन्न विश्वविद्यालयों को अनुदान देने के मामले में एकरूपता नहीं हो सकती।

राज्यों में ग्रामीण तथा शहरी आवास

768. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गन्दी बस्तियों की जगह नए आवास और ग्रामीण आवास का एक वृहत् कार्यक्रम प्राथमिकता के आधार पर शुरू करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो ग्रामीण और शहरी आवास के लिए प्रत्येक राज्य को कितना आवंटन किया गया है ;

(ग) इन योजनाओं के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचेगा ;

(घ) 1980-81 की योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश को केन्द्रीय आवास तथा शहरी विकास निगम (हुडको) द्वारा कितनी राशि दी गई है ; और

(ङ) क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य के पिछड़े जिले में आवास को विशेष प्राथमिकता देने का फैसला किया है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) गंदी बस्ती सुधार और आवास पर सरकार का अधिक जोर देने का प्रस्ताव है।

(ख) तथा (ग) फिलहाल 1978-83 की अवधि के लिए की गई व्यवस्था संलग्न विवरण में दी गई है :—

(घ) 29-2-1980 को, आवास तथा नगर विकास निगम ने मध्य प्रदेश में 29.72 करोड़ रुपये की ऋण बचनवद्धता की 86 योजनाएं अनुमोदित की हैं।

(ङ) भूमिहीन परिवारों के लिये ग्रामीण आवास स्थल तथा झोंपड़ी निर्माण योजना जो संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत है, से पिछड़े जिले के भी लाभान्वित होने की संभावना है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पुनरीक्षित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण आवास स्थल तथा गृह निर्माण पर प्रस्तावित परिव्यय (लाख रुपये में)	लाभान्वित होने वाले परिवारों की संख्या (लाखों में)	पुनरीक्षित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण गन्दी बस्ती पर्यावरणीय सुधार पर प्रस्तावित परिव्यय (लाख रुपयों में)	लाभान्वित होने वाले परिवारों की संख्या (लाखों में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. आंध्र प्रदेश	7570	1.21	1500	1.00
2. असम	700	0.11	50	0.03
3. विहार	3500	0.56	450	0.30

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. गुजरात	1400	0.22	610	0.41
5. हरियाणा	870	0.14	315	0.21
6. हिमाचल प्रदेश	—	नगण्य	70	0.05
7. जम्मू तथा जश्मीर	60	0.01	150	0.10
8. कर्नाटक	7000	1.12	1600	1.07
9. केरल	1500	0.24	630	0.42
10. मध्य प्रदेश	3000	0.48	1200	0.80
11. महाराष्ट्र	4200	0.67	1800	1.20
12. मणिपुर	—	—	10	0.01
13. मेघालय	—	—	15	0.01
14. नागालैण्ड	—	—	—	—
15. उड़ीसा	1000	0.16	100	0.07
16. पंजाब	1200	0.19	570	0.38
17. राजस्थान	1000	0.16	250	0.17
18. सिक्किम	—	—	—	—
19. तमिलनाडु	3000	0.48	1200	0.80
20. त्रिपुरा	180	0.03	15	नगण्य
21. उत्तर प्रदेश	5000	0.80	700	0.47
22. पश्चिम बंगाल	1200	0.19	2000	1.33
योग (राज्य)	42,380	6.78	13,235	8.82
संघ राज्य क्षेत्र				
1. अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—
2. अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—
3. चण्डीगढ़	—	—	45	0.03
4. दादर व नगर हवेली	—	—	—	—
5. दिल्ली	60	0.01	660	0.44
6. गोआ, दमण तथा दीव	—	—	30	0.02
7. लक्षद्वीप	—	—	—	—
8. मिजोरम	—	—	—	—
9. पांडिचेरी	60	0.01	30	0.02
संघ राज्य क्षेत्रों का योग	120	0.02	765	0.51
कुल योग	42,500	6.80	14,000	9.33

भड़ौच में प्राकृतिक गैस तथा तेल की खोज

769. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भडौच जिले में प्राकृतिक गैस और तेल पाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) राज्य में जिले की भौगोलिक सीमाओं के सन्दर्भ में तेल अथवा गैस क्षेत्र के बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल है। ओ० एन० जी० सी० की अंकलेशवर प्रोजेक्ट नामक एक परियोजना जिला भडौच (गुजरात) में स्थित है। भडौच के निकट कई तेल एवं गैस क्षेत्र मिले हैं जिनकी सूची निम्न प्रकार है :—

मोटवान (तेल तथा गैस), पश्चिम मोटवान (तेल तथा गैस), सिसोदरा (गैस), कोसाम्बा (तेल तथा गैस), आलपेड (गैस), सनाओ खुरद (तेल तथा गैस), गाजेरा (गैस), वालनर (गैस), भन्डत (तेल), डेवका (तेल तथा गैस), हाज़िरा (गैस) और अन्कलेश्वर (तेल तथा गैस)।

दिल्ली में भूमि हथियाए जाने के बारे में शिकायतें

770. **श्री जी० वाई० कृष्ण :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत 32 महीनों के दौरान दिल्ली में भूमि हथियाए जाने के बारे में कोई शिकायतें केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या केन्द्रीय सरकार का विचार दिल्ली में भूमि हथियाए जाने का कोई सर्वेक्षण कराने और अनधिकृत रूप से कब्जा करने वाले लोगों को सरकारी भूमि से बेदखल कराने का है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) तथा (ख) दिल्ली में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करने और भूमि हथियाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थीं और वे स्थानीय निकायों समेत संबंधित भू-स्वामियों और क्षेत्रीय अभिकरणों को भेज दी गई थी। ऐसी शिकायतों के ब्यौरे इन अभिकरणों द्वारा रखे जाते हैं और भूमि के अनधिकृत दखल से निपटने के लिये भूमि हथियाने संबंधी ऐसा कोई सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव नहीं है।

गया में नाइलोन फैक्टरी की स्थापना

771. **श्री रामस्वरूप राम :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 1975-76 में गया में नायलोन फैक्टरी की स्थापना करने संबंधी बिहार सरकार की कोई सिफारिश प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) बिहार सरकार से गया में नाइलोन फिलामेंट यार्न के निर्माण के लिए बिहार राज्यकीय औद्योगिक विकास निगम को जारी किये गये आशय पत्र की वैधता को बढ़ाने सम्बन्धी एक प्रार्थना प्राप्त हुई है। क्योंकि उस समय तक नाइलोन फिलामेंट यार्न की राज्य क्षेत्र में निर्माण के लिए अतिरिक्त क्षमताओं के दिये जाने के लिए नीति निर्धारित नहीं की गई थी, अन्य राज्यकीय औद्योगिक विकास निगमों से उसी प्रकार के आशय पत्रों सहित आशय पत्र को पुनः मान्यता (वैधता) नहीं दी गई थी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास जमा कराये गए पंजीकरण शुल्क की वापसी

772. **श्री अशकरण शंखवार :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की वर्ष 1979 की नई पद्धति की पंजीकरण आवास योजना के अन्तर्गत जनता/निम्न आय वर्ग/मध्य आय वर्ग के फ्लैटों के पंजीकरण के लिए पंजीकरण की जमा राशियों को वापस मांगने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक कितने आवेदकों को पंजीकरण शुल्क वापस कर दिया गया है ; धनराशि वापस करने के लिए कितने आवेदन पत्र अभी तक बकाया पड़े हुए हैं और उसके क्या कारण हैं ;

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण को जिन आवेदकों के अनुरोध 1 जनवरी, 1980 को अथवा इससे पूर्व प्राप्त हुए थे उन्हें जमा राशि अथवा पंजीकरण शुल्क वापस करने में कितना समय लगेगा; और

(घ) इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी हां।

(ख), (ग) तथा (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उसने अब तक 19 आवेदन पत्रों के बारे में पंजीकरण की जमा राशि लौटाई है और 375 आवेदन पत्र विचारार्थ पड़े हैं। 1-1-1980 से पहले प्राप्त ऐसे निलम्बित आवेदन-पत्रों पर और जिनके बारे में आवेदकों ने पूर्ण विवरण दिए हैं, उन पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 30 अप्रैल,

1980 तक कार्यवाही किए जाने की आशा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इन शेष आवेदन पत्रों का अब तक निपटान नहीं किया जा सका क्योंकि उन्हें लगभग 1.72 लाख आवेदन-पत्रों की पहले जांच करनी थी और उनका पंजीकरण करना था और जमा राशि को रिकार्ड पर चढ़ाना था। तथापि यह पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा दी गई प्रारंभिक जमा राशि को लौटाने के लिए आवेदन-पत्रों के निपटान की गति में तीव्रता ला रहा है।

बागान श्रमिकों के लिए मकान

773. **श्री आनन्द पाठक :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 5 वर्षों में बागान श्रमिकों के लिए कितने मकान बनाए गए हैं ;

(ख) क्या नियोजकों ने 10 प्रतिशत बागान श्रमिकों को मकान उपलब्ध कराने संबंधी उपबंध का पालन किया है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि स्थाई श्रमिकों को मकान उपलब्ध किए गए मकानों में से एक-एक आवास में 2-3 परिवार रहते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो बागान श्रमिकों की आवास स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) 15,743 मकान।

(ख) नियोक्ताओं को घरेलू मजदूरों के लिए प्रयेक वर्ष कम से कम 8 प्रतिशत मकान बनाने अपेक्षित हैं। बहुत से नियोक्ता इस व्यवस्था का पालन कर रहे हैं और दूसरों को संबंधित राज्य सरकारें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं।

(ग) एक मकान में एक से अधिक परिवारों के रहने के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(घ) बागान मजदूरों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना का लक्ष्य जो कि केन्द्रीय क्षेत्र में है, बागान मालिकों को उनके मजदूरों के लिए मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता देकर बागान मजदूरों की आवासीय परिस्थिति में सुधार करना है और यह सहायता ऋण तथा अनुदान के रूप में मकान निर्माण की स्वीकृत लागत का 87 1/2 प्रतिशत तक है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता की मात्रा वर्षों में यथेष्ट रूप से बढती गई है।

गुजरात में सभी मौसमों में काम देने वाली सड़कों और अच्छे मौसम में काम देने वाली सड़कों से जोड़े गये गांव

774. **श्री अमर सिंह वा० राठवा :** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गुजरात में कितने प्रतिशत गांवों को सभी मौसम में काम देने वाली सड़कों और अच्छे मौसम में काम देने वाली सड़कों से जोड़ा गया है ; और

(ख) सरकार ने ग्रामीण सड़कों के विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अगले दो वर्षों के दौरान, विशेषत: आदिवासि क्षेत्र में और अधिक गांवों को ऐसी सड़कों से जोड़ने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) गुजरात सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, उन गांवों जिन्हें सभी मौसमों में काम देनेवाली सड़कों तथा अच्छे मौसम में काम देने वाली सड़कों से जोड़ा गया है का प्रतिशत 31 मार्च, 1979 को क्रमश: 36 व 32 है।

(ख) लगभग 3,400 गांवों को मिलाने वाली सड़कों पर कार्य प्रगति पर है। वर्ष 1980-81 के अंत तक, ग्रामीण क्षेत्रों में 1500 गांवों को सड़कों से जोड़े जाने की सम्भावना है। आदिवासी क्षेत्र में, वर्ष 1979-80 के दौरान 840 गांवों को पक्की सड़कों से तथा 179 गांवों को कच्ची सड़कों से जोड़ा जाना है। अगले दो वर्षों (1980-81 व 1981-82) के लिए इस संबंध में योजनाओं के ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और यथाशीघ्र सभापटल पर रख दिए जाएंगे ।

उत्तर प्रदेश में सूखाग्रस्त जिले

775. श्री हरि किशन शास्त्री: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त जिलों को राहत पहुंचाने के लिये क्या उपाय किए गए हैं ;

(ख) क्या राहत कार्यों को पूरा करने के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए गए हैं ; और

(ग) उन जिलों के नाम क्या हैं जिन्हें प्राथमिकता दी गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) सूखे की स्थिति का मौके पर जायजा लेने के लिये जिस केन्द्रीय दल ने 11 और 14 अक्तूबर, 1979 के बीच उत्तर प्रदेश का दौरा किया था, उसकी रिपोर्ट के आधार पर तथा राहत संबंधी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने निःशुल्क राहत संबंधी मदों, स्वास्थ्य चिकित्सा, रोजगार सृजन संबंधी योजनाओं, सिंचाई योजनाओं, मृदा संरक्षण तथा वन-रोपण संबंधी योजनाओं, पेयजल आपूर्ति में वृद्धि तथा लघु और सीमान्त कृषकों आदि को कृषि आदानों के लिये राज सहायता हेतु केन्द्रीय सहायता के प्रयोजन से कुल 34.91 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय की अधिकतम सीमा स्वीकार की है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने राज्यों को काम के बदले अनाज के सामान्य कार्यक्रम के अंतर्गत 2.04 लाख मीटरी टन खाद्यान्न तथा काम के बदले अनाज के विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत 3.25 लाख मीटरी टन खाद्यान्न आबंटित किया है।

भारत सरकार ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों में गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं, छोटे शिशुओं, वृद्ध और कमजोर व्यक्तियों के लिये पोषाहार कार्यक्रम के लिये अनाज कार्यक्रम के

अंतर्गत 33500 मीटरी टन खाद्यान्नों का आबंटन किया है। इसके अतिरिक्त, 1979-80 के दौरान बीजों, उर्वरकों और कीटनाशी दवाइयों जैसे कृषि आदानों की खरीद और वितरण के लिये 25 करोड़ रुपये का अल्पकालिक ऋण मंजूर किया गया है।

राज्य सरकार ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों में किये जा रहे राहत संबंधी कुछ महत्वपूण उपायों की भी सूचना दी है, जो निम्न प्रकार है।

(1) पेय जल की आपूर्ति में वृद्धि की जा रही है

(2) काम के बदले अनाज कार्यक्रम में तेजी लायी गयी है।

(3) निराश्रित व्यक्तियों को खाद्यान्न मुफ्त दिया जा रहा है।

(4) गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं एवं छः वर्ष तक की आयु के बच्चों को 1 अप्रैल, 1980 से तैयार भोजन दिया जायेगा।

(5) 7वीं कक्षा से विश्वविद्यालय के स्तर तक के विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क के भुगतान से मुक्त किया गया है।

(6) सभी सरकारी देनदारियों की वसूली रोक दी गयी है।

(7) लघु और सीमान्त कृषकों को कृषि आदानों की खरीद पर राज सहायता दी जा रही है।

(8) सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है तथा 80 प्रतिशत हाई स्पीड डीजल को कृषि कार्यो के लिये सुरक्षित रखा जा रहा है।

(ख) राज्य स्तर पर एक राहत आयुक्त की नियुक्ति की गयी है। जिलों में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (परियोजनाएं) या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (विकास) को राहत संबंधी कार्यो का प्रभारी बनाया गया है। इसके अतिरिक्त तकनीकी इंजीनियरों आदि जैसे तकनीकी स्टाफ को भी आवश्यकताओं, स्थिति की जरूरतों के अनुसार तैनात किया गया है।

(ग) राज्य सरकार ने निम्नांकित 22 जिलों को प्राथमिकता दी है:

(1) आगरा।
(2) इटावा।
(3) फतेहपुर।
(4) इलाहाबाद।
(5) बान्दा।
(6) हमीरपुर।
(7) झांसी।
(8) ललितपुर।
(9) जालौन।
(10) वाराणसी।
(11) मिर्जापुर।
(12) जौनपुर।
(13) गाज़ीपुर।
(14) बलिया।

(15) बस्ती।
(16) आजमगढ।
(17) राय बरेली।
(18) सीतापुर।
(19) हरदोई।
(20) गोण्डा।
(21) सुल्तानपुर।
(22) प्रतापगढ़।

उड़ीसा को पैराफीन मोम का दिया जाना

776. श्री अर्जुन सेठी: क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में ऐसे लघु उद्योग कौन-कौन से हैं जिनमें प्रारंभिक कच्चे माल के रूप में पैराफीन मोम का प्रयोग किया जाता है; ऐसे प्रत्येक उद्योग की प्रतिष्ठापित क्षमता कितनी है और उनमें से प्रत्येक को पिछले तीन वर्षों के दौरान कितना-कितना पैराफीन मोम दिया गया है;

(ख) क्या उपरोक्त अवधि में इनकी पैराफीन मोम की पूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के संबंध में सरकार सन्तुष्ट है;

(ग) यदि नहीं, तो इन उद्योगों में उत्पादन को निरन्तर बनाये रखने तथा उनमें श्रमिकों का रोजगार बनाये रखने के लिए उन्हें पैराफीन मोम की पर्याप्त मात्रा दिये जाने को सुनिश्चित करने हेतु सरकार क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है; और

(घ) क्या उपरोक्त अवधि के दौरान सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो किससे, और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल): (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

आदिवासी लोगों को ऋणग्रस्तता और कृषि भूमि पर काम के लिये न्यूनतम मजूरी

777. श्री ओंकार रुंगठा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आदिवासी लोगों को ऋणग्रस्तता को समाप्त करने और कृषि भूमि पर काम करने के लिए न्यूनतम मजूरी संबंधित कानून को समीक्षा करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है: और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) : ग्रामीण ऋण-ग्रस्तता

भारत सरकार ने लघु/सीमान्त कृषकों, कृषि श्रमिकों तथा ग्रामीण कारीगरों की गैर-संस्थागत ग्रामीण ऋण-ग्रस्तता को समाप्त करने के लिए राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को अगस्त, 1975 में मार्गदर्शी निर्देश जारी कर दिये थे।

2. इन मार्गदर्शी निर्देशों के अंतर्गत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को अन्तरिम उपाय के रूप में ऋण की वसूली के लिए कानूनी मोहलत देनी थी, और इसके बाद सीमान्त कृषकों, कृषि श्रमिकों तथा ग्रामीण कारीगरों को, जिनकी वार्षिक आय 2400/– रुपए तक हो, पूर्णतः ऋण मुक्त करना तथा (ख) छोटे कृषकों के ऋण को कम करना था।

3. राज्यों, संघ शासित प्रदेशों को यह भी सलाह दी गई थी कि वे प्रारंभिक स्तर पर सहकारी संस्थाओं का पुनर्गठन करें तथा उन्हें सुदृढ़ बनाएं ताकि गांव के इन गरीब वर्गों को संस्थागत ऋण मुहैय्या हो सके।

4. अधिकांश राज्यों/संघ शासित राज्यों ने इन कमज़ोर वर्गों के ऋणों को समाप्त/कम करने के लिए कानूनी उपाय किए गए हैं तथा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का पुनर्गठन करना शुरू कर दिया है।

5. राज्य सरकारों को अब सलाह दी गयी है कि वे इन उपायों से होने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करें जिससे गरीब ग्रामीणों को राहत देने के लिए वे नये उपाय कर सकें। भारतीय रिज़र्व बैंक पांच ज़िलों अर्थात् अमरावती (महाराष्ट्र), चम्पारन (बिहार), कोयम्बटूर (तमिलनाडू), करनाल (हरियाणा) तथा रीवा (मध्य प्रदेश) का सर्वेक्षण भी कर रहा है ताकि ऋण संबंधी इन राहत उपायों के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सके।

कृषि भूमि पर काम के लिये न्यूनतम वेतन

अधिकांश राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रशासनों ने 1975-76 की अवधि के दौरान कृषि श्रमिकों के लिए मज़दूरी की न्यूनतम दर में संशोधन किया है। संबंधित सरकारें अधिकतम पांच वर्ष के अन्तराल में मजदूरी की न्यूनतम दर की समीक्षा करनी होगी और आवश्यकता पड़ने पर उसमें संशोधन करना होगा।

2. राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों को सलाह दी गयी है कि वे कृषि भूमि में काम करने वाले श्रमिकों की न्यूनतम मज़दूरी में उक्त अवधि होने पर और संशोधन करें।

गांवों में पेयजल का अभाव

778. श्री पी० के० कोडियन : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ भागों में पेयजल का बहुत अभाव है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे गांवों की कुल संख्या कितनी है जहां पेय जल का भारी अभाव है ;

(ग) इन गांवों में पेयजल की व्यवस्था करने के बारे में सरकार की क्या योजना है; और

(घ) इन गांवों में पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अगले पांच वर्षों में कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) तथा (ख) जी, हां। जिन ग्रामों में पेयजल की समस्या अपेक्षाकृत अधिक गंभीर है उन्हें 1972 में किए गए सर्वेक्षण में समस्या-ग्रस्त ग्रामों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे ग्रामों की संख्या 1.53 लाख है जिसमें से अनुमान है कि मार्च, 1980 तक 80,000 ग्रामों को कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया जा चुका होगा।

जीवन रक्षक औषधियों के मूल्य

779. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1979 से फरवरी, 1980 तक महीनेवार देश में जीवन रक्षक औषधियों के खुदरा मूल्य क्या रहे;

(ख) प्रत्येक जीवन रक्षक औषधि के मूल्य में वृद्धि अथवा कमी के लिये जिम्मेदार कारण क्या हैं, और

(ग) इन औषधियों के मूल्य कम करने के लिये यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो वह क्या है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) चूंकि देश में विभिन्न एककों द्वारा निर्मित जीवन रक्षक फार्मूलेशनों की संख्या अत्यधिक है, अतः प्रत्येक जीवन रक्षक फार्मूलेशन का नाम, उसका माहवार फुटकर मूल्य आदि को संकलित करने में लगने वाला समय और परिश्रम प्राप्त होने वाले संभावित परिणामों के अनरूप नहीं होंगे। तथापि सरकार द्वारा 3 अप्रैल, 1979 को अधिसूचित किये गये श्रेणी-I और श्रेणी-II के फार्मूलेशनों के लीडर मूल्यों को दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 541/80]**

(ख) सरकार ने मार्च, 1978 से जीवन रक्षक फार्मूलेशनों सहित किसी फार्मूलेशन के मूल्य में वृद्धि की कोई अनमति नहीं दी है। इसके विपरीत उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित लीडर मूल्यों को अधिसूचित किये जाने के परिणामस्वरूप श्रेणी-I और श्रेणी-II के फार्मूलेशनों के मूल्यों में कुछ कटौती हुई है क्योंकि जिन निर्माताओं के मूल्य लीडर मूल्य से अधिक थे उनको अपने मूल्य लीडर मूल्यों के स्तर तक कम करने थे जबकि लीडर मूल्य से कम मूल्य वाले निर्माताओं को अपने मूल्यों में वृद्धि की अनुमति नहीं दी गई थी।

तथापि 50 लाख रुपये तक की बिक्री वाले औषध एककों को अपने श्रेणी-III के फार्मूलेशनों में कोई परिवर्तन करने के लिये सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करने से छूट है।

चूंकि इस सम्बन्ध में सरकार के पास कोई ब्यौरे उपलब्ध नहीं ह अतः इन मामलों में वृद्धि अथवा कमी के लिये उत्तरदायी पहलुओं को दर्शाना संभव नहीं है।

(ग) नई औषध मूल्य निर्धारण नीति में औषधों के मूल्यों का सुव्यवस्थीकरण इस प्रकार दिया गया है कि जब अधिक उपभोग और आवश्यक किस्म की औषधें तुलनात्मक रूप से सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध होगी तो निर्माताओं को भी अपने उत्पादों पर उचित लाभ होगा। बी० आई० सी० पी० ने जीवन रक्षक औषधों सहित बहुत अल्क औषधों का लागत अध्ययन पहले ही आरम्भ कर दिया है। बी० आई० सी० पी० के अध्ययन से प्राप्त परिणामों के बाद यदि आवश्यक हुआ तो इन बल्क औषधों और उनके फार्मूलेशनों के मूल्यों में उचित संशोधन किया जायेगा।

पश्चिम बंगाल में डीजल की कमी

780. श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री चित्त महाटा } :क्या पैट्रोलियम और रसायनमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल को डीजल की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक परिवहन और कृषि पर भारी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने जनवरी और फरवरी के महीनों में पश्चिम बंगाल को अपेक्षित कोटा सप्लाई किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो अब आवश्यक मात्रा सप्लाई करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) असम के आन्दोलन के कारण तथा उसके फलस्वरूप उस राज्य में स्थित तीन शोधनशालाओं और बिहार में बरौनी शोधनशाला के बन्द हो जाने से पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में हाई स्पीड डीजल तेल की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। राज्य सरकार को परामर्श दिया गया है कि कृषि को अधिकतम प्राथमिकता दी जाये। हो सकता है सार्वजनिक परिवहन पर कुछ प्रभाव देखा गया हो।

(ख) पश्चिम बंगाल के लिये जनवरी और फरवरी, 1980 में डीजल का विक्रय तथा मार्च, 1980 में इसके आबंटन का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

महीना	मात्रा मी० टनों में (लगभग)
जनवरी, 1980	50619
फरवरी, 1980	50078
मार्च, 1980 (आबंटन)	61000

राज्य सरकार समय-समय पर एच० एस० डी० के अतिरिक्त आबंटन के लिये कहती रही है। मांग की जिस प्रतिशतता की पूर्ति की गई है वह बताना संभव नहीं है।

(ग) मार्च, 1980 के लिये एच० एस० डी० के आबंटन में महत्वपूर्ण वृद्धि की जा चुकी है।

आलुओं को सुरक्षित रखने हेतु शीतागारों के लिए अतिरिक्त शीत संयंत्रों का लगाया जाना

731. श्री राम लाल राही : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिजली की कमी के कारण शीतागारों को दी जाने वाली बिजली में कटौती करने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो आलुओं को सड़ने आदि से बचाने के लिये क्या कदम उठाये जाने का विचार है, और

(ग) क्या इस विकट स्थिति पर काबू पाने के लिये शीतागारों में अतिरिक्त शीत संयंत्रों को लगाये जाने हेतु कोई कदम उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) देश में कुछ राज्य बिजली की कमी अनुभव कर रहे हैं और यह स्थिति 1979 में मानसून के अभाव के कारण और भी गम्भीर हो गई थी जिसके परिणामस्वरूप एक ओर तो जल विद्युत केन्द्रों से बिजली की उपलब्धता में कमी हो गई है तथा दूसरी ओर विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की मांग में वृद्धि हुई है। विद्युत विभाग ने कमी की अवधि में बिजली की आपूर्ति हेतु विभिन्न राज्य सरकारों को कुछेक मार्गदर्शक सिद्धान्त परिचालित किये हैं। इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में अनिवार्य उपभोक्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर बिजली की आपूर्ति करने और उसके पश्चात् उपभोक्ताओं की अन्य श्रेणियों को वर्गीकृत प्राथमिकताओं की प्रणाली के अन्तर्गत बिजली की आपूर्ति करने की व्यवस्था है। कृषक उपभोक्ता तथा शीत भण्डारण संयंत्र अनिवार्य उपभोक्ताओं की पहली प्राथमिकता में शामिल है। तथापि, बिजली की कमी की वर्तमान स्थिति में अनेक बिजली बोर्ड अनिवार्य उपभोक्ताओं की भी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने योग्य नहीं हो पाये हैं। जहां तक शीत-भण्डारों को बिजली की आपूर्ति करने का सम्बन्ध है विभिन्न राज्य सरकारों के बिजली बोर्डों से यह अनुरोध किया गया है कि वे चालू शीत भण्डारों को नियमित बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करें तथा उन्हें विशेष मामले के रूप में बिजली की कटौती से छूट दें। जल के प्राकृतिक वाष्पीकरण द्वारा ठण्डे किये जाने वाले प्रशीतन कक्षों का विकास करने हेतु प्रयोग भी किये जा रहे हैं।

"नेफेड" द्वारा महाराष्ट्र से प्याज की खरीद

782. श्री उत्तमराव पाटिल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) "नेफेड" ने जुलाई, 1979 से दिसम्बर 1979 तक महाराष्ट्र सरकार से प्रति क्विंटल किस दर से प्याज खरीदा है,

(ख) उस अवधि में नेफेड ने किस हिसाब से लाभ अर्जित किया और दिल्ली में वितरण पद्धति और बिक्री मूल्य क्या है, और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे कर्मचारियों/एजेंसियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का है जो उपरोक्त अवधि में दिल्ली में प्याज के मूल्य में असाधारण वृद्धि के लिये जिम्मेदार है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) नेफेड ने प्याज की खरीद महाराष्ट्र सरकार से नहीं अपितु राज्य की सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों से की है। जुलाई से दिसम्बर, 1979 तक की अवधि के दौरान इसकी खरीद की दरें अनुबन्ध में दी गई हैं।

(ख) प्याज की बिक्री के मामले में मुनाफा कमाने की बजाये नेफेड को जुलाई से दिसम्बर, 1979 तक की अवधि के दौरान हानि उठानी पड़ी है। इसने 13-9-1979 से प्याज के वितरण का प्रबन्ध अपने 10 कियोस्कों तथा 2 मोबाइल वैनों तथा दिल्ली में सुपर बाजार की 52 शाखाओं के माध्यम से किया है।

नैफेड ने समय समय पर निम्नलिखित फुटकर मूल्य निर्धारित किये हैं :—

13-9-79 से 10-12-79 तक	1.25 रुपये प्रति किलोग्राम
11-12-79 से 15-2-1980 तक	2.00 रुपये प्रति कलोग्राम
16-2-80 से 25-2-80 तक	1.00 रुपये प्रति किलोग्राम

(ग) भाग (क) तथा (ख) के उत्तरों को देखने से पता चलता है कि दिल्ली में उल्लिखित अवधि के दौरान प्याज की कीमत में असाधारण वृद्धि के लिये नैफेड किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है। वास्तव में इसने मूल्य में वद्धि को रोकने में सहायता की है। मूल्य में इस वृद्धि के लिये कोई भी सरकारी एजेन्सी उत्तरदायी नहीं है अतः किसी के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है ।

विवरण

महीना	केन्द्र	खरीदी गई मात्रा मीटरी टन	दर प्रति क्विंटल
1	2	3	4
जुलाई, 79	लासल गांव	2008	85–115
	पिम्पल गांव	997	82–115
	सेखोदा	192	100–106
	दिन्दोरी	451	111–115
		3648	
अगस्त, 79	लासलगांव	1089	108–117
	दिन्दोरी	379	112–115
	पिम्पल गांव	236	114–117
		1704	

1	2	3	4
सितम्बर, 79	पिम्पल गांव	356	100–120
	लासल गांव	198	111–113
	दिन्दोरी	146	110–116
		700	
अक्तूबर, 79	लासलगांव	125	165–181
नवम्बर, 79	लासलगांव	1036	159–198
	धुलिया	453	155–194
		1489	
दिसम्बर 79	लासल गांव	367	201–300
	मनमाड	555	199–293
	पिम्पल गांव	86	210–293
		1008	
	योग	8674	

बिहार शरीफ, बिहार में सीधी डायल व्यवस्था

783. श्री विजय कुमार यादव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य के नालन्दा जिले में बिहारशरीफ, कस्बा जिला मुख्यालय है और यह देश में आलू का सबसे बड़ा व्यापारिक केन्द्र है ;

(ख) क्या इस कस्बे में सीधी डायल व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण भारी असुविधा होती है ;

(ग) क्या स्वचालित डायल व्यवस्था स्थापित करने के लिए यह कस्बा सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस कस्बे में स्वचालित डायल व्यवस्था स्थापित करने का है, और यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क), (ख) और (ग) : नालन्दा जिले के मुख्यालय नगर बिहार शरीफ को 480 लाइनों वाले हस्तचल एक्सचेंज द्वारा सेवा प्रदान की जाती है। 30-9-1979 को 389 कनैक्शन चालू थे तथा प्रतीक्षा सूची में 14 आवेदक थे।

इस प्रकार के सभी केन्द्रों में सरकार की इच्छा स्वचल एक्सचेंज स्थापित करने की है परन्तु स्वचल स्विचिंग उपस्कर की सीमित उपलब्धता के कारण कुछ समय के लिए ऐसा करना संभव नहीं हो सकेगा। स्वचल स्विचिंग उपस्कर का उत्पादन एवं सप्लाई बढ़ाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

(घ) वर्तमान स्थिति के अनुसार 1982-83 के बाद ही एक स्वचालित एक्सचेंज की स्थापना पर विचार करना सम्भव हो सकेगा।

बिहार में पटना सदर ब्लाक और बिहार शरीफ क्षेत्रों को उर्वरकों की सप्लाई

764. श्री विजय कुमार यादव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में पटना सदर ब्लाक और बिहार शरीफ आलू, प्याज और अन्य सब्जियों के उत्पादन के सबसे बड़े केन्द्र हैं,

(ख) क्या यह भी सच है कि आलू, प्याज और सब्जियों के उत्पादन के लिए अमोनिया सल्फेट उर्वरकों की भारी मांग है, और

(ग) यदि हां तो सरकार का उपरोक्त क्षेत्रों को अमोनिया सल्फेट उर्वरकों की सप्लाई करने में प्राथमिकता देने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) बिहार में पटना सदर ब्लाक और बिहार शरीफ आलू, प्याज और सब्जियों के उत्पादन करने वाले महत्वपर्ण क्षेत्र हैं।

(ख) सस्य विज्ञान की दष्टि से नाइट्रोजन युक्त उर्वरक आलू, प्याज तथा सब्जियों के लिए समान रूप से प्रभावी हैं। तथापि, जहां कहीं सल्फर की कमी होती है, वहां अमोनियम सल्फेट के प्रयोग को वरीयता दी जाती है।

(ग) उपरोक्त (क) तथा (ख) को दष्टि में रखते हुए प्रश्न नहीं होता ।

बीज अधिनियमों में संशोधन

786. श्री विजय एन० पाटिल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का बीज व्यापारियों द्वारा किसानों के शोषण को रोकने के लिए क्या उपाय करने का विचार है, और

(ख) क्या सरकार का कोई कानून बनाने अथवा विद्यमान बीज अधिनियम में उपयूक्त संशोधन करने का विचार है, ताकि संबंधित अधिकारी घटिया बीज बेचने वाले बीज-व्यापारियों के विरुद्ध शीघ्र और प्रभाव शाली कार्यवाही कर सकें ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वमीनाथन) : (क) तथा (ख) बिक्री के लिए कुछ बीजों की कोटि को नियंत्रित करने तथा उससे संबंधित मामलों के बारे में भारत सरकार ने बीज अधिनियम, 1966 लागू नियमों के अनुसार बीज जब तक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित कुछ मानकों के अनुरूप न हों, तब तक बीजों के व्यापारी उनका व्यापार नहीं कर सकते। इसे लागू करने का दायित्व राज्य सरकारों का है। इसका उल्लंघन करने वाले को दण्ड देने का प्रावधान है। भारत सरकार ने अधिनियम के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने के लिए राज्य सरकारों से बार-बार अनुरोध किया है।

भारत सरकार अधिनियम में उल्लिखित विद्यमान पूर्वोपायों को पर्याप्त समझती है और बीजों के कारोबार की प्रवत्ति को दष्टि में रखते हुए फिलहाल इसे और अधिक कड़ा बनाने के हक में नहीं है।

दिल्ली में भूमि का पट्टा समाप्त किया जाना

786. श्री सन्तोष प्रसाद सिंह :
श्री के० लकप्पा : } :क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में भूमि की पट्टा प्रणाली समाप्त करने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कोई निर्णय कर लिया गया है?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) तथा (ख) दिल्ली में रिहायशी प्लाटों के संबंध में पट्टे वाली भूमि को पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि में बदलने का प्रश्न कुछ समय से सरकार के विचाराधीन है। यद्यपि तत्कालीन निर्माण और आवास मंत्री श्री सिकन्दर बख्त दिल्ली में पट्टे वाली भमि को पूर्ण स्वामित्व वाली भमि में बदलने के पक्ष में थे, परन्तु तत्कालीन वित्त मंत्री श्री एच० एम० पटेल ने मुख्यता वित्तीय हानि के आधार पर इसका विरोध किया। दिसम्बर, 1979 में तत्कालीन निर्माण और आवास मंत्री श्री राम किंकर ने इस मामले को मंत्रिमंडल के समक्ष रखा। परन्तु मंत्रिमंडल ने इस मामले पर विचार करना स्थगित कर दिया। इस प्रकार यह मामला अब भी सरकार के विचाराधीन है और इस पर अन्तिम निर्णय मंत्रिमंडल स्तर पर लिया जाएगा।

नई चीनी नीति

788. श्री जनार्दन पुजारी
श्री चित्त महाटा
श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लुरी } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाजार में चीनी के मूल्य में भारी वृद्धि को देखते हुए सरकार का विचार नई चीनी नीति बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) चीनी की नीति की समीक्षा करने के बाद 17 दिसम्बर, 1979 को ही दोहरी मूल्य प्रक्रिया वाली चीनी की आंशिक नियंत्रण की नीति लागू की गई थी। सरकार मूल्य प्रवत्ति, उपलब्धता और अन्य पहलुओं पर बराबर कड़ी निगरानी रखे हुए है। सरकार ने सभी राज्यों में चीनी की

उपलब्धता सुनिश्चित करने और खुली बिक्री की चीनी के दाम उपयुक्त सीमा के अन्दर रखने के लिए भी कई पग उठाएं हैं ; उनमें से कुछेक अत्यधिक महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं—केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा दैनिक आधार पर चीनी के मूल्यों पर निगरानी रखना, लाइसेंस शुदा चीनी व्यापारियों की स्टाक रखने की सीमा में 50 प्रतिशत तक कटौती करना, फैक्ट्रियों से चीनी के संचलन में सुधार लाना, चीनी मिलों से रेल छोर तक अनुमेय सड़क से ढुलाई के लिए परिवहन प्रभार में वद्धि करना, परिचालन सम्बन्धी समस्याओं का समाधान करने, लेवी चीनी के समाप्त कोटों की अवधि बढ़ाने, उत्तर प्रदेश के अन्य राज्यों को खंडसारी के संचलन संबंधी प्रतिबन्धों को हटाने और जमाखोरी आदि के विरुद्ध सख्त कदम उठाने के लिए राज्य सरकारों को कड़े अनुदेश देने के लिए उच्च स्तरीय दलों का महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आदि का दौरा करना।

अल्कोहल पर आधारित रसायनों का आयात

789. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्चे माल के रूप में अल्कोहल प्रयुक्त ऐसे कौन-कौन से रसायन हैं, जिनका देश में उत्पादन किया जा सकता है और उन्हें विदेशों से आयात किया जा रहा है ;

(ख) गत चार वर्षों के दौरान वर्ष-वार ऐसे रसायनों में से प्रत्येक का कितनी मात्रा में और क्यों आयात किया गया तथा उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई ; और

(ग) अल्कोहल पर आधारित रसायनों के उत्पादन के लिए देश में तकनीकी जानकारी के अभाव में उक्त जानकारी का आयात करने के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ;

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) ऐसीटोन, 2-इथाइल हेक्सानोल, पालीइथाइलीन और पी० वी० सी० जैसे अल्कोहल पर आधारित रसायनों का फिलहाल स्थानीय उत्पादन बढाने के लिए, आयात किया जाता है।

(ख) ऐसे रसायनों के आयात की मात्रा और मूल्य का संलग्न सूची (अनुबन्ध) में विवरण दिया गया है। स्थानीय उत्पादन को बढ़ाने के लिए आयात किया गया है जिससे मांग की पूर्ति की जाये।

(ग) अल्कोहल पर आधारित रसायनों के उत्पादन के लिए तकनीकी जानकारी के आयात, जब देश में उपलब्ध न हो, के लिए सरकार द्वारा गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है।

विवरण

निट्रेंग मटर

सी० आई० एफ० मूल्य : रु० लाख

मात्रा : हजार कि०

क्रम सं०	मद का विवरण	1976		1976-77		1977- 78		1978-79	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1.	ऐसीटोन	1	0.09	21	1.32	495	33.48	144	9.42
2.	2-इथाइल हैक्सानोल	36	3.24	715	33.42	2689	120.84	3504	193.08
3.	पोलीइथाइलीन रेजीन और कम्पाउंडस (कम घनत्व वाली)	7376	311.93	8193	445.54	35287	1852.01	27742	1290.80
4.	पोलीइथाइलीन रेजीन और कम्पाउन्ड्स (उच्च घनत्व)	1512	84.04	8544	469.60	22997	1320.41	26178	1377.76
5.	पी० वी० सी० (रेजीन और कम्पाउंड्स)	510	37.26	391	34.11	8381	410.61	6519	371.06

महत्वपूर्ण औषधियों का उपलब्ध न होना

790. श्री समर मुखर्जी
श्री के० मालन्ना } : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मूल कच्चे माल के उपलब्ध न होने के कारण देश में कुछ महत्वपूर्ण औषधियों के उपलब्ध न होने की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है,

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) :(क) और (ख) जी हां, । कुछ महत्वपूर्ण औषधों जैसे क्लोरमफैनीकल पाउडर, एरिथ्रोमाइसीन, पी० ए० एस० और उसके लवण, प्रोकेन, हाइड्रोक्लोराइड और डी० डी० एस० (डैप्सोन) के उत्पादन में अप्रैल-दिसम्बर, 1979 के दौरान वर्ष 1978 की तदनुरूपी अवधि की तुलना में कुछ कमी हुई है। तथापि उनके उत्पादन में केवल मूल कच्चे माल की अनुपलब्धता के कारण कमी नहीं हुई है अपितु उसके अन्य अनेक कारण थे, जैसे बिजली की कटौती, औद्योगिक अशान्ति, पैकिंग सामग्री की अनुपलब्धता (जैसे एलूमीनियम फोइल) कच्चे माल की लागत में वृद्धि आदि ।

जहां तक फार्मूलेशनों का संबंध है, ब्रांड नाम वाले उत्पादों की कमी की रिपोर्ट मिली है। इन मामलों में समान किस्म के ब्रांड उपलब्ध हैं ।

(ग) सरकार महत्वपूर्ण औषधों के उत्पादन तथा महत्वपूर्ण और जीवन रक्षक फार्मूलेशनों के उत्पादन और वितरण की देख-रेख करती है। जब सरकार का ध्यान किसी विशेष प्रकार की कठिनाई की ओर दिलाया जाता है तो सरकार जहां तक संभव हो सुधारात्मक कदम उठाती है। उदाहरण के लिये पैकिंग सामग्री के अनुपलब्धता के मामले में सरकार ने एलूमीनियम फोइल के आयात पर सीमा शुल्क में कटौती कर दी है और उसे ओ० जी० एल० के अन्तर्गत रख कर उसके आयात की अनुमति दी है । सरकार ने वर्तमान बिक्री मूल्यों में कोई परिवर्तन किये बिना बोतल पैकिंग की अनुमति भी दी है। सरणीबद्ध वल्क औषधों के संबंध में सरकार ने स्वदेशी की पूर्ति के लिए आयात की व्यवस्था करने के अलावा कुछ मदों को वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा सीधे ही आयात किये जाने की अनुमति दे दी है ।

जीवन रक्षक फार्मूलेशनों की कमी के मामलों में तुरन्त सुधारात्मक उपाय किये जाते हैं जिनमें संबंधित निर्माताओं द्वारा कमी वाले क्षेत्रों को तुरन्त सप्लाई किया जाना भी शामिल है।

घरेलू गैस कनेक्शनों पर रोक

791. श्री समर मुखर्जी
श्री माधवराव सिंधिया } : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा नये घरेलू गैस कनेक्शनों पर रोक लगा दी गई है;

(ख) यदि हां, तो रोक लगाये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) नये कनेक्शनों का पुनः दिया जाना कब तक शुरू किया जाएगा; और

(घ) क्या सरकार का वर्तमान प्रक्रिया में परिवर्तन करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) इस समय तरल पेट्रोलियम गैस की अत्याधिक कमी को ध्यान में रखते हुए सामान्यत: कोई नये गैस कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं परन्तु कई श्रेणियों के आवेदकों जैसे नये चुने हुए संसद सदस्यों और विदेशी राजनयिकों आदि को कनेक्शन दिये जा रहे हैं।

(ख) तरल पेट्रोलियम गैस की सभी स्वदेशी स्रोतों से विद्यमान उपलब्धता की पूरी तरह पहले से ही वचनबद्धता है जिसके फलस्वरूप कोई अधिशेष नहीं है जो नये घरेलू गैस कनैक्शनों के लिये रिलीज की जा सके।

(ग) निम्नलिखित प्रयोजनाओं के चालू होने से लगभग 1980-81 से देश में खाना पकाने की गैस की उपलब्धता बढ़ जाने का पूर्वानुमान है :—

(i) बम्बई हाई सम्बद्ध गैस से तरल पेट्रोलियम गैस के निकाले जाने की सुविधायें;

(ii) मथुरा शोधनशाला ;

(iii) कोयाली शोधनशाला में सहायक शोधन सुविधायें; और

(iv) बोगाईगांव शोधनशाला की कोकर यूनिट इसी बीच शोधनशालाओं में तरल पेट्रोलियम, गैस के उत्पादन को बढ़ाने के लिये कदम उठाये जाने के अतिरिक्त सरकार की खाना पकाने की गैस की उपलब्धता को बढ़ाने के लिये यथा सम्भव इसका आयात करने की योजना है ।

उपर्युक्त प्रायोजनाओं के पूरे होने के पश्चात ही केवल बड़े पैमाने पर नये गैस कनैक्शन रीलीज किये जा सकेंगे ।

(घ) नये कनैक्शन दिये जाने का पूरा प्रश्न निरन्तर पुनरीक्षिण धीन है ।

बरौनी उर्वरक कारखाने में उत्पादन पर रोक

792. श्री समर मुखर्जी
श्री फा क अबदुल्ला } : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बरौनी उर्वरक कारखाने में 24 जनवरी, 1980 से उत्पादन बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) कारखाने में उत्पादन को फिर से चालू करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ;

(घ) बरौनी उर्वरक कारखाने में 24 जनवरी, 1980 से उत्पादन बन्द कर देने के फल-स्वरूप कुल कितनी हानि उठानी पड़ी है; और

(ङ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ङ) असम में अशांति के कारण बरौनी शोधनशाला के बन्द होने के परिणाम स्वरुप स्टाक में नेप्थान होने की वजह से बरौनी उर्वरक कारखाना दिनांक 24-1-80 को बन्द कर दिया गया था। आई० ओ० सी० द्वारा हल्दिया से कुछ नेपथ्या सप्लाई किये जाने पर कारखाना दिनांक 15 फरवरी, 1980 को पुन: चालू कर दिया गया था । स्टाक में फर्नेस आयल के समाप्त होने से दिनांक 5-3-1980 को संयंत्र को पुन:

बन्द कर दिया गया था। संयंत्र तभी से बन्द है । आयल तथा नेप्था की पुनः सप्लाई होने पर कारखाने में तत्काल उत्पादन प्रारम्भ किया जा सकता है; दिनांक 24-1-80 से 14-2-80 तथा दिनांक 5-3-80 से 12-3-80 के मध्य इस संयंत्र के बन्द हो जाने से उत्पादन की हानि 19500 मी० टन यूरिया है ।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अधीन आवंटित खाद्यान्न और सृजित रोजगार

793. श्री सत्य मुखर्जी
श्री ज्योतिर्मय बसु } क्या खाद्य एवं पुनर्वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) वर्ष 1978-79 और 1979-80 के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को खाद्यान्न की राज्यवार कितनी सहायता मंजूर की गई, कितना खाद्यान्न भेजा गया और उसमें से कितना उपयोग किया गया;

(ख) वर्ष 1978-79 और 1979-80 के दौरान इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के अन्तर्गत राज्यवार कितने अतिरिक्त रोजगार का सृजन किया गया;

(ग) वर्ष 1978-79 और 1979-80 के दौरान राज्यवार कितने मूल्य की और किस किस्म की स्थायी सम्पत्ति का सृजन किया गया;

(घ) क्या वर्ष 1980-81 के लिये राज्यवार कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

कृषि संत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) वर्ष 1978-79 के दौरान राज्य सरकारों/केन्द्रशासित क्षेत्रों को काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित, बंटित और उपयोग में लाए गए खाद्यान्नों की मात्रा दर्शाने वाला विवरण-1 संलग्न है । सामान्य तथा विशेष काम के बदले अनाज कार्यक्रम, दोनों के लिये वर्ष 1979-80 के बारे में सूचना दर्शाने वाला विवरण-2 भी संलग्न है ।

(ख) वर्ष 1978-79 के दौरान तथा वर्ष 1979-80 के बारे में काम के बदले अनाज कार्यक्रम के माध्यम से सृजित किए गए अतिरिक्त रोजगार के सूचित अद्यतन आंकड़े विवरण-3 में दर्शाए गए हैं ।

(ग) वर्ष 1978-79 के दौरान सृजित भौतिक परिसम्पत्तियों के बारे में ब्यौरे विवरण-4 में दिए गए हैं । वर्ष 1979-80 के बारे में उपलब्ध सूचना विवरण-5 में दी गई है ।

(घ) व (ङ) वर्ष 1980-81 के लिये कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है तथा उसे अभी अंतिम रूप दिया जाना है ।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 542/80)

पैट्रोलियम उत्पादों के वितरण के सम्बन्ध में मुख्य मंत्रियों तथा मुख्य सचिवों की बैठक

794. श्री एन० ई० होरो : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न पैट्रोलियम उत्पादों, विशेष रूप से डीजल और मिट्टी के तेल का समान रूप से वितरण करने के उपाय खोजने के लिए प्रधान मंत्री ने मुख्य मंत्रियों और मुख्य सचिवों के साथ एक बैठक का आयोजन किया था; और

(ख) यदि हां, तो उसमें लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राज्यों को डीजल तेल की सप्लाई

795. श्री एन० ई० होरो : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई सरकार द्वारा कार्यभार संभाले जाने के बाद राज्यों को डीजल तेल की सप्लाई के बारे में ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या डीजल तेल की मात्रा बढ़ाई गई है और यदि हां, तो उसका मास-वार और राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) रेलवे तथा रक्षा सेनाओं को किये गये विक्रय को छोड़कर जनवरी-फरवरी, 1980 के दौरान विभिन्न राज्यों और संघशासित प्रदेशों का हाई स्पीड डीजल तेल का विक्रय और (मार्च, 1980 के दौरान उन्हें किया गया आबंटन सम्बन्धी ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

आंकड़ें मीटरी टनों में

जनवरी- (विक्रय)	7.03 लाख (लगभग)
फरवरी (विक्रय)	7.62 लाख (लगभग)
मार्च (आबंटन)	7.97 लाख (लगभग)

(ख) जी, हां। मार्च, 1980 के लिए हाई स्पीड डीजल के राज्यवार आबंटन सम्बन्धी आंकड़ें संलग्न विवरण-पत्र में दिये गए हैं।

विवरण

आंकड़े मीटरी टनों में

मार्च, 1980

राज्य/संघ शासित प्रदेश	हाई स्पीड डीजल
आन्ध्र प्रदेश	60386
अरुणाचल प्रदेश	506
असम	15383
अन्डेमान निकोबार	945
बिहार	36000
चंडीगढ़	1500
दादरा एण्ड नगर हवेली	.
दिल्ली	31000
गुजरात	59000
गोआ, दमन एण्ड द्वीप	7792
हरियाणा	21000

राज्य संघ शासित क्षेत्र	हाई स्पीड डीजल
हिमाचल प्रदेश	3200
जम्मू और काश्मीर	7000
कर्नाटक	38190
केरल	32230
मध्य प्रदेश	40000
महाराष्ट्र	120000
मनीपुर	1292
मेघालय	1201
मिजोरम	464
नागालैण्ड	610
उड़ीसा	13455
पंजाब	38000
पांडीचेरी	1344
राजस्थान	40000
सिक्कम	233
तामिलनाडू	78000
त्रिपुरा	1249
उत्तर प्रदेश	86000
पश्चिम बंगाल	61000
कुल	796980

*दादरा तथा नगर हवेली के हाई स्पीड डीजल आयल का आबंटन गुजरात के कोटे में शामिल किया गया है ।

कृषि विश्वविद्यालय

796. **श्री एन० के० शेजवलकर**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में कृषि विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं और प्रत्येक विश्वविद्यालय, राज्यवार, किस किस तारीख को स्थापित किया गया; और

(ख) एक राज्य में एक से अधिक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का आधार क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) भारत में कृषि विश्वविद्यालयों तथा उनकी स्थापना की तिथियों की सूची संलग्न है।

(ख) सामान्य नीति यह है कि प्रत्येक राज्य में एक कृषि विश्वविद्यालय हो । तथापि बड़े राज्यों में से दो बड़े राज्य महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश में क्रमशः चार और तीन कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किये गये है।

इन विश्वविद्यालयों को जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 1975 के अधिनियम की धारा 12(ए) के अन्तर्गत मान्यता दे दी गई तो इन्हें भारतीय कषि अनुसन्धान परिषद द्वारा भी स्वीकार करना पड़ा।

विवरण

भारत में कृषि विश्वविद्यालयों तथा उनके स्थापना के वर्ष की सूची

विश्वविद्यालय का नाम	स्थापना वर्ष
1	2
1. गोबिन्द बल्लभ पन्त कषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर, जिला नैनिताल (उ० प्र०)	1960
2. उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर (राजस्थान)	12-7-1962
3. उड़ीसा कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर (उड़ीसा)	24-8-1962
4. पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना (पंजाब)	18-10-1962
5. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, हब्बल बंगलौर-24 (मैसूर)	21-8-1964
6. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म० प्र०)	1-10-1964
7. आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, इरूक्का, हैदराबाद (आ० प्र०)	नवम्बर, 1964
8. असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट-4, (असम)	1-4-1969
9. महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जिला—अहमदनगर (महाराष्ट्र)	20-10-1969
10. पंजाब राव कृषि विद्यापीठ, कषिनगर, अकोला (महाराष्ट्र)	20-10-1969
11. हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार (हरियाणा)	2-2-1970
12. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, (कृषि कामप्लेक्स) शिमला, (हिमाचल प्रदेश)	22-7-1970

1	2
13. राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पो० आ० पूसा, जिला समस्तीपुर (बिहार)	3-12-1970
14. तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर-3, (तमिलनाडु)	1-6-1971
15. गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, डफनाला के निकट, शाहीबाग, सरकारी बंगला नं० 5, अहमदाबाद-4 (गुजरात)	1-2-1972
16. केरल कृषि विश्वविद्यालय, मन्नुती, जिला त्रिचूर (केरल)	26-2-1972
17. मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ, परभनी (महाराष्ट्र)	8-5-1972
18. कोंकण कषि विद्यापीठ, डपोली, जिला रत्नागिरी (महाराष्ट्र)	18-5-1972
19. विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, हरिनघाटा, पो० आ० मोहनपुर, जिला नडिया-741244, कल्याणी (पश्चिम बंगाल)	1-9-1974
20. चन्द्रशेखर आजाद कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर-208002	1-3-1975
21. नरेन्द्र देव कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ० प्र०)	17-10-1975

सूखाग्रस्त राज्यों में ग्रामीण पुनर्निर्माण

797. **श्री एन० के० शेजवलकर**: क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष रूप से सूखाग्रस्त राज्यों में ग्रामीण पुनर्निर्माण की इस वर्ष क्या योजनाएं हैं; और

(ख) विशेष रूप से मध्य प्रदेश के लिये क्या योजनाएं हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन): (क) ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय पांच विशेष योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है--लघु किसान विकास कार्यक्रम, समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, मरूभूमि विकास कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम। इसके अलावा, सूखे से प्रभावित राज्यों को 131.69 करोड़ रुपए की अग्रिम योजना सहायता सुलभ की गई है तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत 25.63 लाख रुपए के खाद्यान्न वंटित किये गये हैं संलग्न विवरण में अग्रिम योजना सहायता; खाद्यान्नों का बंटन तथा राज्य के कुछेक क्षेत्रों में चल रही विशेष योजनाओं के राज्य-वार ब्यौरे दिये गये हैं।

(ख) मध्य प्रदेश के लिये अग्रिम योजना सहायता तथा खाद्यान्नों का बंटन उपर्यक्त विवरण में दर्शाया गया है। मध्य प्रदेश में मरूभूमि विकास कार्यक्रम को छोड़कर, सभी विशेष योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। लघु किसान विकास कार्यक्रम, समवन्ति ग्राम विकास कार्यक्रम तथा सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय को केन्द्र तथा राज्यों के बीच बराबर-बराबर बांटा जाता है। अक्तूबर, 1979 के अन्त तक, राज्य सरकार ने इन तीनों योजनाओं के अन्तर्गत 361.68 लाख रुपये व्यय किये थे।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य	कुल अग्रिम योजना सहायता (लाख रुपए में)	1979–80 के दौरान वंटित खाद्यान्न (लाख मीटरी टन में)	राज्य के कुछेक क्षेत्रों में चल रही विशेष योजनाएं
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2028	2.31	समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम, लघु किसान विकास एजेंसी, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम।
2.	बिहार	1980	3.61	—वही—
3.	हरियाणा	450	0.74	समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम, लघ किसान विकास एजेंसी, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम।
4.	हिमाचल प्रदेश	358	0.30	समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम, लघु किसान विकास एजेंसी, मरुभूमि विकास कार्यक्रम।
5.	जम्मू तथा काश्मीर	225	0.45	समन्वित ग्राम विकास कार्याक्रम, लघ किसान विकास एजेंसी, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम।
6.	मध्य प्रदेश	2125	3.26	समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम, लघु किसान विकास एजेंसी, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम।
7.	महाराष्ट्र	685	1.61	समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम, लघ किसान विकास एजेंसी खाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम।

1 2	3	4	5
8. उड़ीसा	1030	2.51	समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम, लघु किसान विकास एजेंसी, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम।
9. राजस्थान	1685	3.70	समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम, लघु किसान विकास एजेंसी, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम।
10. उत्तर प्रदेश	3121	5.43	समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम, लघु किसान विकास एजेंसी, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम।
11. पश्चिम बंगाल	382	2.41	समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम, लघु किसान विकास एजेंसी, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम।
कुल	13169	25.63	

बिड़ला वैज्ञानिक अनुसन्धान संस्थान द्वारा भारतीय खाद्य निगम का अध्ययन

798. श्री सतीश अग्रवाल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिड़ला वैज्ञानिक अनुसन्धान संस्थान ने भारतीय खाद्य निगम का गहन अध्ययन किया है;

(ख) क्या इस अध्ययन से पता चला है कि यदि सरकार द्वारा दी जा रही राज सहायता को ध्यान में न रखा जाये तो संगठन को वास्तव में काफी घाटा हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो एक क्विंटल गेहूं खरीदने आदि में, उसके भण्डारण में, ढुलाई शुल्क में, सिब्बदी लागत में, अलग-अलग भारतीय खाद्य निगम को कितना व्यय करना पड़ता है और सरकार इसे प्रति क्विंटल कितनी राजसहायता देती है; और

(घ) इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) सरकार इस अध्ययन के बारे में हाल ही तक बेखबर थी। सरकार को तो इस विषय पर तभी पता चला जब बिड़ला वैज्ञानिक अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली के तत्वाधान में प्रकाशित "स्टेट्स इन फूडग्रेन ट्रेड इन इण्डिया" नामक प्रस्ताव के बारे में उन्हें सूचित

किया गया। सरकार ने इस पुस्तक की अभी जांच नहीं की है और इसलिये वह अभी उसके अन्तर्विषय के बारे में कोई टिप्पण देने की स्थिति में नहीं है।

(ग) 1977–78 के वर्ष में जबकि भारतीय खाद्य निगम को राजसहायता दी गई थी, खाद्यान्नों के सार्वजनिक वितरण के लिये भारतीय खाद्य निगम द्वारा जो हैंडलिंग सम्बन्धी खर्चा किया गया वह 14.83 रुपये प्रति क्विंटल था जिसका ब्यौरा नीचे दिया जाता है।

भाड़ा	4.17
परिवहन और संचलन सम्बन्धी हानि	1.27
गोदाम को हैंडल करने सम्बन्धी खर्चे	1.31
गोदाम प्रभार	0.89
ब्याज	4.65
प्रशासन सम्बन्धी ऊपरी खर्चे	2.54
	14.83

उक्त वर्ष के दौरान गेहूं पर उपभोक्ता राजसहायता 24.32 रुपये प्रति क्विंटल थी।

(घ) अतीत में भारतीय खाद्य निगम की हैंडलिंग लागत की समीक्षा कई एक समितियों ने की है और उन समितियों द्वारा दिये गये सुझावों को यथा-सम्भव कार्यान्वित किया गया है। तब भी, यथा-सम्भव किफायत बरतने के लिये इन लागतों की बराबर समीक्षा की जाती है।

उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता के साथ मात्स्यिकी विकास निगम

799. श्री टी० एस० नेगी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता के साथ एक मात्स्यिकी विकास निगम की स्थापना की गई है,

(ख) यदि हां, तो यह योजना किन किन जिलों में लागू की जायेगी,

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में मात्स्यिकी के विकास का कोई प्रस्ताव है क्योंकि वहां इसकी बहुत संभावनायें हैं, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त अन्तर्देशस्य मात्स्यिकी परियोजना के अन्तर्गत डिमपौना का उत्पादन करने के लिये उत्तर प्रदेश में डिमपौना विकास निगम स्थापित किया गया है।

(ख) उत्तर प्रदेश में अन्तर्देशस्य मात्स्यिकी परियोजना के अन्तर्गत चुने गये जिले लखनऊ, उन्नाव, गोंडा, बाराबंकी, फैजाबाद, जौनपुर, आजमगढ़, बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, गाजीपुर, इलाहाबाद, बलिया, वाराणसी, रायबरेली प्रतापगढ़ तथा सुल्तानपुर हैं।

(ग) तथा (घ) राज्य योजना स्कीम के अन्तर्गत यह प्रस्ताव किया गया है कि पहाड़ी इलाके में ट्रउट तथा महासीर मात्स्यिकी का विकास किया जाये। इस सन्दर्भ में प्रजनन में सुधार करने तथा पहाड़ी इलाकों में छोटी नदियों तथा झीलों में भण्डारण करने हेतु ट्राउट तथा महासीर का पालन करने के लिये तलवारी तथा कल्दयानी में स्थित हेचरियों का नवीकरण किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में पहाड़ी जिलों में वनों का विनाश

800. श्री टी० एस० नेगी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में वनों को सुनियोजित ढंग से नष्ट किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इन वनों के विकास तथा संरक्षण के लिये तथा ऐसी भूमि को ऐसे स्थानीय किसानों को खेती के लिये उपलब्ध करने के लिये, जो इस क्षेत्र के वन-रोपण के कारण विस्थापित होंगे, क्या कदम उठाने का विचार है;

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :(क) जी नहीं।

(ख) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में आरक्षित वनों को परिरक्षित और उनका वैज्ञानिक ढंग से उपयोग किया जा रहा है। कार्यकारी योजनाओं के निर्देशनों के अन्तर्गत कड़े उपचारात्मक उपाय सुनिश्चित किये जाते हैं ताकि वनों का समाज के लाभार्थ निरन्तर रूप से उपयोग किया जा सके। पहाड़ी जिलों के सिविल वनों को, जो पहले किसी वैज्ञानिक प्रबन्ध के अभाव में बुरी तरह से उजड़ गये हैं, सरकार भमि संरक्षण योजना के तहत विकसित कर रही है। चूंकि किसी वनरोपण कार्यक्रम से कोई व्यक्ति विस्थापित नहीं हो रहा है, अतः स्थानीय किसानों को खेती के लिये वन भूमि उपलब्ध कराने का प्रश्न नहीं होता।

दिल्ली में "नान ओ० वाई० टी० स्कीम" के अन्तर्गत प्रतीक्षा सूची

801. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली टेलीफोन विभाग में नान ओ० वाई० टी० स्कीम के अन्तर्गत एक्सचेंजवार कितने व्यक्ति पंजीकृत हैं; और

(ख) इस श्रेणी के अधीन कब तक उन व्यक्तियों को टेलीफोन दिये जाने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) नान ओ० वाई० टी० श्रेणी के अन्तर्गत 31-12-79 को कुल 47393 आवेदक थे। एक्सचेंजवार सूचना अनुबन्ध-I में दी गई है।

(ख) आशा की जाती है कि शाहदरा तथा जोरबाग एक्सचैंजों द्वारा सेवित कुछ क्षेत्रों को छोड़कर सभी वर्तमान आवेदकों को 1982–83 के अन्त तक टेलीफोन कनेक्शन दे दिये जायेंगे। शाहदरा तथा जोरबाग क्षेत्रों में रिलीफ एक्सचेंज स्थापित करने की योजना बनाई गई है जो कि क्रमशः 1983–84 तथा 1984–85 के दौरान चालू हो सकेंगे।

विवरण अनुबंध—I

दिल्ली टेलीफोन्स में 31–12–79 को नान ओ० वाई० टी० आवेदकों की एक्सचेंजवार प्रतीक्षा सूची

क्रम सं०	एक्सचेंज का नाम	नान ओ० वाई टी० प्रतीक्षा सूची
1.	शाहदरा पूर्वी (20)	1266
2.	शाहदरा (22)	2399
3.	तीस हजारी (22, 25, 23)	1937
4.	दिल्ली गेट (26, 27)	3536
5.	गाजियाबाद (85)	1733
6.	जनपथ (31, 32, 34, 35)	262
7.	सचिवालय (37)	327
8.	राजपथ (38)	580
9.	कनाट प्लेस (4)	शून्य
10.	ईदगाह (51, 52)	2709
11.	जोरबाग (61, 62, 69)	2600
12.	ओखला (53)	1224
13.	हौज खास (65, 66)	3152
14.	चाणक्यपुरी (67)	1034
15	नेहरू प्लेस (68)	1130
16.	फरीदाबाद (81)	1403
17.	बदरपुर (82)	103
18.	बल्लभगढ़ (88)	452
19.	शक्ति नगर (71, 74)	3813
20.	दिल्ली कैन्ट (39)	1811
21.	करोल बाग (56, 58)	10084
22.	रजौरी गार्डन (59)	4267
23.	अलीपुर (801)	28
24.	बादली (802)	208
25.	जनकपुरी (803)	980
26.	बहादुरगढ़ (83)	120
27.	नजफगढ़ (86)	46
28.	नांगलोई (87)	137
29.	नरेला (89)	52
	योग	47393

गया में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज

802. श्री राम स्वरूप राम : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का गया में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना करने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो यह स्कीम कब तक कार्यान्वित हो जायेगी, और इसमें विलम्ब क्यों हो रहा है?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) और (ख) अन्य स्टेशनों की तरह गया में भी हस्तचल एक्सचेंज के स्थान पर स्वचल एक्सचेंज स्थापित करने के लिये विभाग उत्सुक है। तथापि स्वचल एक्सचेंज उपस्कर की भारी कमी के कारण कुछ समय तक ऐसा करना संभव न होगा। देश में स्वचल एक्सचेंज उपस्कर का उत्पादन बढ़ाने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए गया में 1983–84 के दौरान स्वचल एक्सचेंज स्थापित करना संभव हो सकेगा।

अरोमेटिक परियोजना की स्थापना

803. श्री जो० एम० बनातवाला : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम ने लगभग एक वर्ष पूर्व अर्थात, फरवरी, 1979 में अरोमेटिक परियोजना के लिये आशय पत्र हेतु सरकार को कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था;

(ख) कोचीन में अरोमेटिक समूह की स्थापना के पक्ष में क्या विशेष बातें बताई गई हैं; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है और यदि अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है तो यह निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम ने दावा किया है कि उनके प्रस्ताव की कई प्रशंसात्मक विशेषतायें हैं जैसे कि कोचीन शोधनशाला में वर्तमान शोधन सुविधाओं की उपलब्धता, जिससे प्रायोजना की लागत कम रहती है, सस्ती दरों पर बिजली और जल की आसान उपलब्धता, पर्याप्त भूमि की उपलब्धता तथा अच्छी प्रकार से विकसित इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुविधायें और प्रदूषण समस्याओं का न होना।

(ग) सरकार एक समिति की नियुक्ति कर रही है जो नई एरोमेटिक्स प्रायोजनाओं के स्थलों के सम्बन्ध में सुझाव देगी। कोचीन प्रायोजना के लिये जिन विशेषताओं का दावा किया गया है समिति उन पर भी विचार करेगी।

ढाका टेलीफोन केन्द्र, बिहार का कार्यकरण

804. श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत अनेक वर्षों से विहार का ढाका टेलीफोन केन्द्र दक्षता पूर्वक कार्य नहीं कर रहा है; और यदि हां, तो ऐसा कब से है और उसके क्या कारण हैं;

(ख) इसके पुनः कार्य प्रारम्भ करने पर ,इस केन्द्र के अन्तर्गत कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों के संचालन की व्यवस्था की आशा है;

(ग) ऐसे सार्वजनिक टेलीफोनों और केन्द्रो से संबंधित ग्राहकों की संख्या क्या है; और

(घ) ऐसे ग्राहकों से किराया वसूल करने का औचित्य क्या है, जब कि उनकी भली भांति सेवा नहीं की गई है?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जब विद्युत सप्लाई उपलब्ध होती है, उस समय विहार का ढाका एक्सचेंज संतोषजनक ढंग से कार्य करता है। इस एक्सचेंज की स्थापना के समय मार्च 1975 से ही उस क्षेत्र में विद्युत सप्लाई की स्थिति अत्यंत खराब है। 2 से 3 दिन के लम्बे अन्तरालों के बाद सप्लाई केवल 3 से 4 घंटे प्रतिदिन उपलब्ध रहती है ।

(ख) इस समय इस एक्सचेंज से केवल 5 सार्वजनिक टेलीफोन घर कार्य कर रहे हैं। मार्च 1980 के अन्त तक 13 और सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले जाने का प्रस्ताव है।

(ग) सार्वजनिक टेलीफोनों से कोई निजी उपभोक्ता संबंधित नहीं है। एक्सचेंज से संबंधित निजी उपभोक्ताओं की संख्या 13 है ।

(घ) इस एक्सचेंज के कार्य घंटे बढ़ाने के लिये शीघ्र ही एक इंजन आल्टरनेटर लगाने का प्रस्ताव है चूंकि डीजल की स्थिति भी विकट है अतः इससे भी कोई स्थाई सहायता नहीं मिलेगी। इस प्रकार विभाग अतिरिक्त व्यय वहन कर रहा है तथा इस स्थापना के, जो कि पहले ही अलाभकारी है, ट्रंक काल राजस्व में कमी हो रही है। किसी निजी उपभोक्ता के किराये में छूट देना संभव नहीं है ।

विहार और पश्चिम बंगाल में दूरसंचार सेवा

805. श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल और विहार में अक्षम और असन्तोषजनक दूरसंचार सेवा की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं; और

(ग) दूरसंचार सेवा में सुधार के लिये क्या उपाय किये जाने का विचार है?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) पश्चिमी बंगाल तथा विहार दूरसंचार सर्किलों का कार्य निष्पादन अन्य राज्यों जैसा ही है तथा इसे असन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) यातायात को अधिक कुशलतापूर्वक परिचालित करने के लिये अतिरिक्त संयंत्र तथा उपस्कर प्रदान करके डाक तार विभाग सेवा में और सुधार लाने के लिये कार्रवाई कर रहा है ।

भारतीय खाद्य निगम में ठेका प्रणाली

806. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम के कुछ कार्य ठेका प्रणाली द्वारा कराये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो कार्यों का स्वरूप क्या है और विभिन्न कार्यों पर पूरे भारत में कितने व्यक्ति नियुक्त हैं ;

(ग) क्या कभी बिहार में और अन्य राज्यों में कार्य की शर्तों में सुधार करने के लिए कोई आन्दोलन हुआ था; और

(घ) यदि हां, तो समझौता किन शर्तों पर हुआ ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां ।

(ख) ठेकेदारों के मजदूरों को विभिन्न केन्द्रों और अवस्थाओं में खाद्यान्नों/उर्वरक/चीनी को हैंडल करने तथा गोदामों और बिल्डिगों का निर्माण करने के लिए लगाया जाता है। क्योंकि अपेक्षित मजदूर हैडलिंग, ट्रांसपोर्ट और बिल्डिंग ठेकेदारों द्वारा सुलभ किए जाते हैं और उनकी संख्या आवश्यकतानुसार समय समय पर भिन्न-भिन्न होती है, इसलिए देशभर में विभिन्न कार्यों पर लगाए गए ऐसे मजदूरों की संख्या बताना सम्भव नहीं है।

(ग) बिहार और कुछेक अन्य राज्यों में ठके के मजदूरों ने ठेका मजदूर प्रणाली को समाप्त करने तथा उन्हें सीधा भुगतान करने की प्रणाली के अधीन लाने के लिए आन्दोलन किए हैं।

(घ) भारतीय खाद्य निगम ने परीक्षण के तौर पर 42 डिपों और प्रमुख बन्दरगाहों पर, जहां कुल लगभग 17,200 मजदूर काम करते हैं, मजदूरों का विभागीयकरण किया है। इसके अलावा 47 डिपों में, जहां लगभग 2,700 मजदूर कार्य करते हैं, सीधा भुगतान करने की प्रणाली भी लागू की गई है। इन डिपों के बारे में निगम का अनुभव कोई सुखद नहीं है। जहां पर लागत में काफी वृद्धि हुई है, वहां निकासी तथा अनुशासन में गिरावट आयी है। अतः इस परीक्षण को अन्य डिपों में न करने का निर्णय किया गया है।

चीनी के उत्पादन में कमी

807. **श्रीमती राम दुलारी सिन्हा**
श्री बालासाहिब बिरवे पाटिल
श्री चित्त महाटा
श्री टी० आर० शमन्ना : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्य फसलों की तुलना में अलाभप्रद मूल्य और गन्ने के मूल्य का भुगतान न किये जाने के कारण गन्ने की खेती कम की गई है जिसके परिणामस्वरूप चीनी का उत्पादन कम हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो गन्ने और चीनी के उत्पादन का स्तर स्थिर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है जिससे चीनी का उचित मूल्य सुनिश्चित किया जा सके जिस पर वह उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो सके ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) राज्य सरकारों के विकास संबंधी प्रयास करने और पांचवीं योजना के दौरान गन्ने के सघन विकास संबंधी केन्द्रीय सरकार द्वारा शुरू की गई केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के परिणामस्वरूप, वर्ष 1977-78 के दौरान चीनी और गन्ना दोनों की रिकार्ड पैदावार हुई थी। तथापि, गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्र में कमी होने, प्रतिकूल मौसमी स्थितियों के कारण प्रति एकड़ पैदावार में कमी होने, अधिशेष उत्पादन के वर्षों में गुड़ और खण्डसारी निर्माताओं द्वारा गन्ने का कम मूल्य पेश करने जैसी विभिन्न बातों के कारण 1978-79 और 1979-80 के दौरान उत्पादन में गिरावट आयी है और चीनी फैक्ट्रियों द्वारा गन्ने के मूल्य का भुगतान करने में विलम्ब करने के कारण भी कुछ हद तक उत्पादन में गिरावट आयी है। प्रति हैक्टर पैदावार में वृद्धि करने के उद्देश्य हेतु उपायों पर ध्यान केन्द्रित कर 1980-81 में गन्ने की पदावार में वृद्धि करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। प्रस्तावित उपायों की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं:—

(1) समय पर गुड़ाई कर और खरपतवार नियन्त्रण का अन्तर-खेती सफाई करना। बीहड़ इलाकों में कैमिकल बीडीसाइड्स का इस्तेमाल करना।

(2) उर्वरकों का इस्तेमाल करने के साथ-साथ कीड़ों पर छिड़काव करना।

(3) आर्थिक-अप, डीट्रेशिंग और प्रापिंग।

(4) पैस्ट सर्वेलैन्स सहित प्रमुख पैस्ट पायरिल्ला के विरुद्ध पौध संरक्षण उपायों को सुदृढ़ करना।

2. वर्तमान वर्ष (1979-80) के दौरान, चीनी मिलों द्वारा देय गन्ने के न्यूनतम मूल्यों को 10/- रु० से बढ़ाकर 8.5% अथवा उससे कम की प्राप्ति पर लेकिन अधिक प्राप्ति पर प्रीमियम देने की व्यवस्था के साथ 12.50 रु० प्रति क्विंटल कर दिया गया है। केन्द्रीय सरकार ने ये मूल्य खेती की लागत और अन्य फसलों से लाभ सहित सभी संगत बातों को ध्यान में रखकर निर्धारित किए हैं और ये लाभकारी हैं। हालांकि गुड़ और खण्डसारी निमार्ताओं द्वारा खरीदे गए गन्ने पर सामान्यतया मूल्य विषयक कोई भी नियंत्रण नहीं लगाया जाता, लेकिन आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसी कुछेक राज्य सरकारें अधिशेष उत्पादन के वर्षों के दौरान उनके द्वारा दिए जाने वाले लाभकारी मूल्य निर्धारित करती आ रही हैं ताकि गन्ना उत्पादकों के हितों की सुरक्षा की जा सके। चीनी फैक्ट्रियों द्वारा गन्ना उत्पादकों को गन्ने के मूल्यों का तुरन्त भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, केन्द्रीय सरकार ने चीनी उपक्रम (प्रबन्ध अधिग्रहण) अधिनियम, 1978 के अधीन कठोर कार्रवाई की है। इस अधिनियम में उन चीनी मिलों के प्रबन्ध का अधिग्रहण करने की व्यवस्था है जिनके गन्ने के बकायों की राशि पिछले वर्ष के लिए देय गन्ने के कुल मूल्य के 10% से अधिक बैठती हो।

17 मार्च, 1980 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं० 808 के भाग (ख) तथा (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

राज्य	प्रभावित जनसंख्या (लाख)	प्रभावित फसली क्षेत्र (लाख हक्टेयर)	केन्द्रीय सहायता के लिए स्वीकृत व्यय की अधिकतम सीमा			अल्पावधि के लिए स्वीकृत			खाद्यान्नों का आबंटन	
			योजना (लाख रुपए)	गैर-योजना	योग	खरीफ (लाख	रबी रुपए)	योग	काम के बदले अनाज देने का सामान्य तथा विशेष कार्यक्रम (लाख मीटरी टन)	पोषण के लिए अनाज कार्यक्रम (मीटरी टन)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आन्ध्र प्रदेश	125.00	40.00	2028.00	177.00	2205.00	1000.00	800.00	1800.00	2.25	6700
बिहार	473.00	30.00	1080.00	103.00	1182.00	200.00	873.00	1073.00	3.21	12500
हरियाणा	30.00	17.00	450.00	—	450.00	200.00	500.00	700.00	0.70	4200
जम्मू और काश्मीर	2.69	2.13	225.00	54.00	279.00	—	80.00	80.00	0.45	3500
मध्य प्रदेश	279.00	88.00	2125.00	155.00	2280.00	200.00	697.00	897.00	3.25	2000
महाराष्ट्र	53.14	10.23	685.00	169.00	854.00	400.00	300.00	700.00	1.36	—
उड़ीसा	115.00	43.18	1080.00	375.00	1405.00	200.00	300.00	500.00	2.25	6700
राजस्थान	240.00	30.00	1685.00	190.00	1875.00	200.00	700.00	900.00	2.86	5900
उत्तर प्रदेश	773.00	105.00	3121.00	370.00	3491.00	800.00	2500.00	3300.00	5.29	33800
पश्चिम बंगाल	87.00	15.55	382.00	922.00	1304.00	500.00	800.00	1300.00	2.15	6700
हिमाचल प्रदेश	27.00	4.90	358.00	12.00	370.00	—	100.00	100.00	0.295	—

राज्य में सूखा तथा गर्म लहर

808 श्री मुकन्द मण्डल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष देश के कोने-कोने से भाग सूखा तथा गर्म लहर से प्रभावित हुए थे;

(ख) इस आपदा के कारण राज्यवार कितनी जान और माल की हानि हुई थी, और

(ग) सरकार ने प्रभावित क्षेत्र की सहायता के लिए क्या कार्यवाही की ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) आन्ध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, जम्मू तथा कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सूखे से प्रभावित हुए हैं।

(ख) तथा (ग) एक विवरण संलग्न है।

हिल्सा, बिहार में गोदाम में चीनी का भंडार

809. श्री मुकुन्द मण्डल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिल्सा, बिहार शरीफ बिहार में सरकारी गोदाम में कई वर्षों से चीनी का भारी भण्डार पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या गोदाश में पड़ी चीनी आदमी के खाने योग्य नहीं रह गई है; और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी कारण क्या हैं और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) अगस्त, 1978 में नियन्त्रण उठाने के समय हिल्सा में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में लगभग 2,608 क्विंटल चीनी की मात्रा पड़ी थी। इसमें से 2,026 क्विंटल चीनी जनवरी और फरवरी 1980 में उचित दर की दुकानों के दुकानदारों को दे दी गई है।

(ग) इस गोदाम में पड़ा चीनी का कोई स्टाक मानव उपयोग के अयोग्य नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दृश्य श्रव्य शिक्षा

810. श्री मुकुन्द मण्डल : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में दृश्य श्रव्य शिक्षा के विस्तार का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दृश्य-श्रव्य शिक्षा के लाभ प्राप्त करने वालों का ब्यौरा क्या है तथा गत पांच वर्षों के दौरान दृष्य श्रव्य शिक्षा पर वर्ष वार कितनी धन राशि खर्च की गई है?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क)से (ग) : केन्द्रीय सरकार के पास इस समय, दृश्य श्रव्य शिक्षा जैसी शिक्षा की कोई योजना नहीं है। तथापि, एक शैक्षिक प्रौद्यागिकी परियोजना 1972-73 में शुरू की गई थी, जिसमें शिक्षा के सभी स्तरों पर दृश्य श्रव्य साधनों सहित सभी शिक्षण माध्यमों का प्रयोग करने की परिकल्पना है।

राज्यों में नि:शुल्क शिक्षा

811 श्री मुकुन्द मंडल
श्री सत्य सधन चक्रवर्ती } : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें माध्यमिक शिक्षा नि:शुल्क कर दी गई है;

(ख) क्या सरकार समूचे देश में शिक्षा नि:शुल्क करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार नि:शुल्क माध्यमिक शिक्षा इस प्रकार है :—

(i) लड़के लड़कियां

कक्षा IX-X में: आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार कर्नाटक, केरल नागालैंड तथा लक्ष्यद्वीप।
कक्षा IX-XI-XII में:—गुजरात, जम्मू एवं काश्मीर, तमिलनाडु, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह तथा दादर एवं नागर हवेली।

(ii) केवल लड़कियों के लिए

कक्षा IX तथा X :—उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश।
कक्षा IX-XI-XII :- मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान तथा सिक्किम।

(ख) से (घ) स्कूली शिक्षा मुख्यत: राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है तथा इस मामले में निर्णय लेना उनका काम है।

बिहार में विश्वविद्यालयों के अध्यापक वर्ग और गैर-अध्यापक वर्ग के कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन

812. श्री रामावतार शास्त्री : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में पटना विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों के अध्यापक वर्ग और गैर-अध्यापक वर्ग के कर्मचारी अपनी मांगों के संबंध में आन्दोलन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क), (ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार को पटना विश्वविद्यालय और बिहार के अन्य विश्वविद्यालयों के शिक्षण तथा गैर-शिक्षण स्टाफ की मांगों वाला कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। क्योंकि इस राज्य के सभी विश्वविद्यालय राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाए गए कानूनों के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। इस कथित आन्दोलन स्टाफ द्वारा रखी गई मांगों तथा उन पर की गई कार्रवाई के ब्यौरों के संबंध में बिहार सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और इसे यथासमय सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

डाक तार कर्मचारियों को बोनस

813. श्री रामावतार शास्त्री
श्री इन्द्रजीत गुप्त } : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाक तार विभाग के कर्मचारियों को बोनस देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके भुगतान के लिए क्या फार्मूला अपनाया गया है ; और

(ग) बोनस का भुगतान करने में बिलम्ब के क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क), (ख) तथा (ग) सरकार ने डाक-तार विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को उत्पादकता से जुड़ा हुआ बोनस देने का निश्चय किया है। कर्मचारियों के कार्य निष्पादन के संबंध में सर्वोत्तम वर्ष अर्थात् 1976-77 के दौरान कर्मचारियों द्वारा किये गये उत्पादन को आधार मानकर एक फार्मूला बना लिया गया है।

सूचकांक 100 पर 25 दिन का वेतन देय होगा तथा यह प्रत्येक वर्ष के दौरान वास्तविक कार्य निष्पादन के इस स्तर से ऊंचा या नीचा होने के साथ-साथ घटाया या बढ़ाया जाएगा। 1979-80 के दौरान 15 दिन का वेतन स्टाफ द्वारा उत्पादकता से जुड़े बोनस का सिद्धान्त मान लेने के लिए सद्भावना के तौर पर दिया जाएगा।

पटना, बिहार में खाना पकाने की गैस की कमी

814. श्री रामावतार शास्त्री : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार की राजधानी पटना में खाना पकाने की गैस की भारी कमी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि गैस-व्यापारी गैस के वितरण में खुले रूप से कालाबाजारी और पक्षपात कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां तो गैस की कमी को दूर करने तथा एजेंटों (वितरण-कर्त्ताओं) द्वारा गैस की कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं।?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) इंडियन आयल करपोरेशन जो बिहार की राजधानी पटना में खाना पकाने की गैस का विपणन कर रहे हैं ने बताया कि जहां तक उन्हें जानकारी है, इण्डेन वितरक दुबारा भरे ए सिलेण्डरों की सालाई पहले आने वाले को पहले, के आधार पर करते हैं।

(ग) पटना और बिहार की अन्य बाजारों में गैस की सप्लाई मूलतः बरौनी शोधनशाला से की जाती है जो असम में आन्दोलन के कारण गत दो मासों से काम नहीं कर रही है और इसके फलस्वरूप, इस स्रोत से तरल पैट्रोलियम गैस की कोई उपलब्धता नहीं है। जहां तक सम्भव है, वर्तमान कमी को पूरा करने के लिए हल्दिया और बम्बई से बची हुई सप्लाई भेजी जा रही है। परन्तु सप्लाई के लिए वैकल्पिक प्रबन्ध करने के बावजूद, दुबारा भरे सिलेण्डरों की सप्लाई बरौनी शोधनशाला द्वारा उत्पादन शुरू किये जाने के केवल पश्चात् ही सामान्य हो सकेगी। जब कभी भ्रष्टाचार सम्बन्धी कम्पनी को कोई शिकायत प्राप्त होती है, उसकी जांच की जाती है और उपचारी कार्रवाई की जाती है।

बिहार में माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों द्वारा हड़ताल

815. श्री रामावतार शास्त्री : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों ने अपनी मांगों के समर्थन में हाल ही में "फिल द जेल्स एण्ड ओबजर्व स्ट्राइक्स" आन्दोलन प्रारंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क), (ख) तथा (ग) बिहार सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, बिहार के माध्यमिक स्कूल अध्यापक 5 फरवरी, 1980 को हड़ताल पर चले गए। उनकी मांग थी कि राज्य के सभी गैर-सरकारी हाई स्कूलों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। 19 फरवरी, 1980 को यह हड़ताल बिना शर्त समाप्त कर दी गई।

दिल्ली में स्कूली शिक्षा का स्तर

816. श्री निहाल सिंह : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन नई दिल्ली नगरपालिका समिति और नगर निगम के प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा का स्तर इस हद तक गिर गया है कि छात्रों को स्कूलों में ठीक ढंग से नहीं पढ़ाया जाता है और परीक्षाओं में केवल वही छात्र उत्तीर्ण होते हैं जो घर पर अध्ययन करते हैं और स्कूलों में समय-समय पर परीक्षाएं उन पाठ्यक्रमों से ली जाती हैं जो पढ़ाए नहीं गए हैं; और

(ख) क्या सरकार के विचार इन स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए समय समय पर अभिभावकों की ऐसी समितियां नियुक्त करने का है जो इस बारे में सम्बन्धित अधिकारियों को रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकें ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) दिल्ली प्रशासन, नई दिल्ली नगर पालिका तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उनके द्वारा संचालित विद्यालयों में शिक्षा का स्तर नहीं गिरा है और यह कहना सही नहीं है कि छात्रों को ठीक प्रकार नहीं पढाया जाता और विद्यालयों में आवधिक परीक्षाएं उन पाठ्यक्रमों में से ली जाती है जिन्हें पढ़ाया नहीं गया है ।

(ख) विद्यालयों के निरीक्षण तथा नियंत्रण के लिए उपयुक्त निरीक्षण तंत्र विद्यमान है और वे विद्यालयों में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए दिल्ली प्रशासन तथा नगर प्राधिकारियों को सलाह देने के लिए अभिभावक समितियां नियुक्त करना आवश्यक महसूस नहीं करते । दिल्ली प्रशासन में, राज्य स्तर पर एक सलाहकार समिति है जिसके अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी पार्षद् हैं । विद्यालयों के अभिभावक शिक्षक संघ नाम की अभिभावक शिक्षक समितियां हैं जिनकी बैठकें विद्यालयों में शिक्षा के सुधार के लिए समय समय पर होती रहती हैं ।

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में भूमि को समतल बनाने के लिये शुल्क

817. श्री निहाल सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि संरक्षण विभाग उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की मवाना तहसील के गांव गढ़ी, हिमायूंपुर, गुढ़ा आदि गांवों में पिछले तीन-चार वर्षों से छोटे तथा बड़े किसानों की सारी भूमि समतल कर रहा है और इसे समतल करने से पूर्व इन गांवों के 80 प्रतिशत निरक्षर किसानों से खाली फार्मों पर हस्ताक्षर करवा लिये गये थे और बाद में उन्हें मनमाने ढंग से बिल भेज दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में केन्द्रीय और राज्य सरकारों को शिकायतें मिली है ;

(ग) क्या विभाग के कर्मचारियों ने प्राइवेट ट्रैक्टर लगा कर 20 रुपए से 22 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से काम करवा लिया है परन्तु सरकार से 30 रुपए प्रति घंटे की दर से वसूल करने की मांग की है और इस प्रकार प्रतिदिन 4 से 5 हजार रुपये कमाये हैं जबकि किसानों को भेजे गये बिल प्रति घंटे के आधार पर तैयार नहीं किये गये थे; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले में उच्च-स्तरीय जांच करने का हैं ;

कृषि, मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग ने 1977-78 से मेरठ जिले की मवाना तहसील में गढ़ी, हुमांऊपुर, गुढ़ा आदि गांवों में जल विभाजन के आधार पर भूमि समतल का कार्यक्रम आरम्भ किया गया था। खाली फार्मों पर हस्ताक्षर नहीं लिए गए थे। कृषकों को मनमाने ढंग से बिल नहीं भेजे गए थे।

(ख) राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार को कोई शिकायत नहीं मिली थी। तथापि राज्य सरकार को गढ़ी के निवासी श्री वेदराम सुपुत्र श्री रती राम की तरफ से श्री छोटे खान एडवोकेट की तरफ से दण्ड संहिता की धारा 80 के तहत एक नोटिस मिला था कि श्री वेदराम की भूमि पर किसी प्रकार का काम नहीं हुआ अतः वह भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं। नोटिस का उत्तर यह दिया गया कि श्री वेद राम के खेतों पर वास्तव में कार्य हुआ है तथा भेजा गया बिल उसके खेतों पर हुए वास्तविक कार्य पर आधारित है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

संसद भवन में दैनिक वेतन पर कार्य कर रहे
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी

818. श्री निहाल सिंह : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कुछ कर्मचारी पिछले 12-14 वर्षों से संसद भवन में दैनिक वेतन पर कार्य कर रहे हैं और उन्हें नियमित नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) ऐसा कोई मामला नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

खिचड़ीपुर, नई दिल्ली में भूमि के अधिग्रहण के लिए मुआवजा

819. श्री निहाल सिंह : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नवम्बर, 1975 के दौरान गांव खिचड़ीपुर में अधिगृहीत की गई 2177 बीघा भूमि के लिए अब तक मुआवजा न दिए जाने के क्या कारण हैं ; और

(ख) इस जमीन का अधिग्रहण कितने किसानों से किया गया था और उस समय यह भूमि किस मूल्य पर अधिगृहीत की गई थी और उसका वर्तमान मूल्य क्या है ;

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया किया है कि 25,14,750.78 रुपये के मूल्यांकित मुआवजे में से 11,00,000.00 रुपये की राशि पहले ही वैध स्वामियों को अदा की जा चुकी है। 13,00,000.00 रुपये की राशि विवादग्रस्त स्वामित्व अधिकार के कारण अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को भेज दी गई है तथा 1,14,750.78 पैसे की राशि 58 बीघे 15 बिस्वे भूमि के खाली कब्जे के अभाव में, राजस्व में जमा पड़ी है। इस पर निर्मित क्षेत्र होने के कारण भू-अर्जन समाहर्ता इसका कब्जा नहीं ले सका है।

(ख) राजस्व कागजातों के अनुसार, जिन किसानों से भूमि अर्जित की गई थी उनकी संख्या 371 है। उपर्युक्त (क) में उल्लिखित मुआवजे की राशि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना की तारीख को भूमि के मूल्यानुसार गणना की गई है जिसमें 15% सान्त्वना उपहार तथा 12 वर्ष और 352 दिनों के लिए 6 सालाना की दर से ब्याज शामिल है।

पंजाब में छतबीर चिड़ियाघर में सफेद चीता

820. श्री एल० एस० तुड़ : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब के छतबीर चिड़ियाघर के लिये सफेद चीते और अन्य जन्तुओं को दिये जाने के लिये पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार ने हाल ही में देश के उन चुनिंदा चिड़ियाघरों को सफेद चीतों का वितरण करने का निर्णय किया है जिन्हें चीतों के प्रजनन के बारे में उपयुक्त विशेषज्ञता और अनुभव है। इस समय छतबीर चिड़ियाघर को कोई सफेद चीता देने का प्रस्ताव नहीं है। अन्य जानवरों के मामले में पंजाब सरकार को सलाह दी गई है कि वे उड़ीसा के नन्दन कानन चिड़ियाघर के साथ आदान-प्रदान संबंधी प्रस्ताव को अंतिम रूप दें । दिल्ली चिड़ियाघर, नई दिल्ली, जानवरों तथा पक्षियों को, जिन्हें वह दे सकता है, देकर छतबीर चिड़ियाघर की सहायता कर रहा है।

बम्बई हाई की गैस का उपयोग

821. श्रीमती प्रमिला दंडवते
श्री आर० के० महालगी } : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई हाई से उपलब्ध होने वाली गैस के उपयोग के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सम्बद्ध राज्यों ने इस गैस के बंटवारे पर आपत्ति की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इन आपत्तियों पर क्या प्रतिक्रिया है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) सरकार की वर्तमान नीति यही है कि जहां तक व्यवहार्य हो समुद्री क्षेत्र से मिलने वाली गैस का उपयोग उर्वरकों और पैट्रो-रसायनों के उत्पादन में फीड स्टाक के रूप में तथा तरल पैट्रोलियम गैस की प्राप्ति आदि के लिये किया जाए। जहां तक यह गैस इन उद्देश्यों के लिये प्रयोग नहीं की जा सकती' इससे बिजली उत्पादन जैसे अन्य उद्देश्यों के लिये पूर्णतः अस्थाई रूप से प्रयोग में लाया जा सकता है जब तक कि उर्वरक और पैट्रो-रसायन प्लांट इसका पूर्ण रूप से उपयोग करने में समर्थ हों।

परन्तु समुद्री क्षेत्र से प्राप्त गैस की अधिक उपलब्धता को विचार में रखते हुए, अन्य बातों के साथ साथ इसके अधिकतम आर्थिक एवं लाभदायक उपयोग के संबंध में सिफारिशें करने के लिये पिछले वर्ष मार्च में एक कार्यकारी दल की स्थापना की गई थी । इस कार्यकारी दल की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और विचाराधीन है।

(ख) समद्री क्षेत्र से प्राप्त होने वाली गैस के बंटवारे के लिये कुछ राज्यों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) समुद्री क्षेत्र में गैस के भंडार एक राष्ट्रीय संसाधन और देश की अर्थव्यवस्था के हित को विचार में रखते हुए इसका उपयोग समस्त राष्ट्रीय विचारों के आधारों पर करना होगा।

चीनी के मूल्य में वृद्धि

822. श्रीमती प्रमिला दंडवते
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी
श्री जितेन्द्र प्रसाद
श्री ज्योतिर्मय बसु
श्री माधव राव सिंधिया
श्री धमदास शास्त्री
श्रीमती गीता मुखर्जी
श्री इन्द्रजीत गुप्त
श्री बालासाहिब विखे पाटिल
श्री तारीक अनवर

: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जनवरी माह में और फरवरी 1980 के पहले दो सप्ताहों के दौरान चीनी के मूल्य में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वास्तविक वृद्धि कितनी हुई है;

(ग) वर्ष 1979 के दौरान चीनी का औसत मूल्य कितना था; और

(घ) चीनी के मूल्य में तेजी से वृद्धि होने के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० बी० स्वामीनाथन) : (क), (ख) और (ग) : एक विवरण संलग्न है जिसमें जनवरी, 1979 से 7 मार्च, 1979 तक की अवधि के दौरान सप्ताह के अन्त में प्रमुख मंडियों में चोनी के थोक मूल्यों का विवरण दिया गया है।

(घ) वर्तमान मौसम के दौरान अंशत: गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्र में कमी हो जाने तथा अंशत: प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियां होने के कारण चीनी के उत्पादन में भारी गिरावट आयी है। स्थिति की समीक्षा करने के बाद, चीनी के आंशिक नियंत्रण को 17 दिसम्बर, 1979 से पुन: लागू कर दिया गया था। तथापि, किसी भी नई नीति में अन्तर्निष्ठ परिवहन आदि से संबंधित कुछेक बाधाएं आई थीं। चीनी उत्पादकों ने सरकार द्वारा निर्धारित किये गये लेवी मूल्यों के विरुद्ध रिट याचिकाएं भी दायर की थीं। इससे फैक्ट्रियों से चीनी के उठान की गति में धीमापन पैदा हुआ जिसके परिणामस्वरूप देश के कुछेक भागों में कमी की स्थिति पैदा हुई जिससे मुक्त बिक्री की चीनी के मूल्यों में भी वृद्धि हुई। अब फैक्ट्रियों से चीनी के उठान में तेजी आई है और सभी उपभोक्ता केन्द्रों को माल भेजा जा रहा है। राशन की दुकानों से चीनी की उपलब्धता में सुधार होने से, फरवरी, 1980 की तीसरे सप्ताह से चीनी के मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति आयी है।

विवरण

प्रमुख मंडियों में चीनी के थोक मूल्य

(रु० प्रति क्विंटल)

माह वर्ग	को	दिल्ली		कानपुर	कलकत्ता	बम्बई		मद्रास
		सी-30	डी-30	डी-30	डी-30	सी-30	डी-30	ई-30
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
जनवरी, 79	8th	242	224 (5th)	225	230	216	207	214
	15th	240	222 (11th)	235	230	214	207	214 (12th)
	22nd	238	220	225	228	208	200	214
	31st	237	220	225	228	210	203	214
फरवरी, 79	7th	238	220	225	240	213	205	214
	15th	237	220	225	236	216	208	213
	22nd	238	216 (21th)	225	232	211	205	214
	28th	240	220	220	230	226	224	220
मार्च ,79	7th	241	235	220	235	218	212	220
	15th	250	245	222 (21st)	235 (9th)	230	226	233
	22nd	270	260	260	255	246	243	230
	31st	284	275	285	260 (30th)	258	254	258
अप्रैल, 79	7th	290	285	285	290	255	251	253
	16th	286	273	285	285	252	249	253
	23rd	282 (21st)	268	280	285	250	243	259
	30th	275	268	280	275	254	248	255
मई, 79	7th	275	268	280	275	255	248	255
	15th	278	268	280	280	256	248	257
	22nd	280	268 (21st)	280	276	255	249	257
	31st	276	269	275 (28th)	276	255	248	258

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
जून, 79	7th	280	269	280	280	251	247	256
	15th	280	268	260	275	252	247	257
	22nd	282	270	260 (21st)	275	254	248	256
	30th	285	280	265 (29th)	290	255	250	253
जुलाई, 79	7th	292	285	265	290 (6th)	259	254	253
	16th	302	299	275	295	286	278	268
	23rd	310	298	285	310	275	260	260
	31st	308	298	285	305 (30th)	282	278	280
अगस्त, 79	7th	306	295	295	305	285 (6th)	273 (6th)	283
	16th	309	293	285	300	284	275	285
	23rd	306	294	280	300 (21st)	283	278	286
	31st	312	305	290	300 (27th)	280	276	286
सितम्बर, 79	7th	350	333 (4th)	330	300 (27th)	322	314	306
	15th	314	305	290	210	282	276	295 (15th)
	22nd	298	295	290	296 (21st)	283	280 (21st)	280
	28th	296	295 (27th)	290	296 (22nd)	274	270	279
अक्तूबर, 79								
	6th	296		285	300 (5th)	276	272	282
	15th	297		285	320 (12th)	277	273	278
	22nd	एन० आर०		285	296 19th	275	272	277
	31st	298		290	296	277	273	277

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
नवम्बर, 79	7th	300		300	300	284	282	285
	15th	300		295	300 (14th)	283	281	286
	22nd	300		295	300	283	281	287
	30th	300		298	335	283 (29th)	281 (29th)	289
दिसम्बर, 79	7th	324		350	375	283 (4th)	281 (4th)	308
	15th	324		340 (10th)	390 (14th)	283 (4th)	281 (4th)	308
	22nd	500		313 (18th)	410	485 (21st)	489 (21st)	485
	31st	475		430	420	437	432	480
जनवरी, 80	7th	450		430 (8th)	430	442	437	465
	14th	445		440	420	422	417	410
	22nd	443		430	445 (19th)	427	424	420
	30th	452		435	470	485	480	470
फरवरी, 80	7th	490		480	500	528	525	518 (8th)
	15th	530		490	525 (12th)	585	580	555
	22nd	585		598	580	640	637	665
	29th	585		590 (27th)	590	643	642	645
मार्च, 80	7th	578		570 (1st)	590 (4th)	575	570	615 (5th)

खाना बनाने की गैस की वर्तमान वितरण प्रणाली पर पुनर्विचार

823. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाना पकाने की गैस के निजी कम्पनियों अथवा व्यक्तियों के माध्यम से वितरण की वर्तमान प्रणाली पर पुनर्विचार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इन संस्थाओं के माध्यम से गैस के गलत ढंग से वितरित किये जाने के संबंध में प्राप्त हुई शिकायतों के आधार पर वितरण की वर्तमान प्रणाली पर पुनर्विचार किया गया है;

(ग) क्या सरकार का सम्पूर्ण वितरण को उपभोक्ता सहकारिताओं को सौंप देने का कोई विचार है; और

(घ) यदि नहीं तो, उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) तरल पैट्रोलियम गैस के वितरण की वर्तमान प्रणाली का इस समय पुनः विचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि प्रचलित प्रणाली का कार्य पूर्णतः संतोषजनक रूप से चल रहा है।

(ख), (ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

दूर संचार सेवा में गिरावट

824. **श्री नारायण चंद पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूर संचार सेवा विशेष रूप से भारत में टेलीफोन कनेक्शनों के कार्यकरण में भारी गिरावट के बारे में सरकार को जानकारी है जिसका पता शिकायतों और "इलेस्ट्रेटेड वीकली आफ इंडिया" (फरवरी, 1980) के विशेष संस्करण में छपे प्रेस समाचारों से चलता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस पद्धति में और अधिक गिरावट आने से बचाने के लिये इस मामले पर विचार करने हेतु एक उच्चस्तरीय जांच का आदेश देगी;

(ग) ऐसी जांच का आदेश अनुमानतया किस तारीख तक दिया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और दूरसंचार सेवा के कार्यकरण में सुधार लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है / करने का विचार है?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कुछ एक्सचेंजों में खराबी की कुछ शिकायतें विभाग की जानकारी में आई हैं। विभाग द्वारा गठित प्रबंध सूचना प्रणाली तथा प्रेक्षण दल जो कि देश भर में मौके पर सर्वेक्षण करके आंकड़ों की जांच करते हैं, इस जानकारी के साधन हैं।

(ख) से (घ): विश्लेषणात्मक प्रक्रिया द्वारा खराबी के कारणों का पता लगाया गया है। इसके लिये मिले-जुले प्रयत्न, जिनमें मौजूदा केबुल प्रणाली को सुदृढ़ करना, इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों को शुरू करना, एक्सचेंजों को स्वचल बनाने की दिशा में तेजी से प्रगति करना, बेहतर औद्योगिक संबंधों के द्वारा मानवीय पहलू को सुधारने के लिये निर्धारित प्रयत्न तथा खराबियों एवं शिकायतों के आंकड़ों का सतर्कता से संग्रह एवं विश्लेषण शामिल है, किये जा रहे हैं।

दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को नियमित करना

825. **श्री नारायण चन्द पराशर**
श्रीमती कमला कुमारी } : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1979–80 में दिल्ली/नई दिल्ली में कुछ अनधिकृत कालोनियों को स्वीकृत करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कौन-कौन सी कालोनियों को स्वीकृत किया गया है और इन कालोनियों को किस मापदंड/आधारों पर नियमित किया गया है;

(ग) क्या अन्य अनधिकृत कालोनियां भी सरकार के विचाराधीन हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी सभी कालोनियों के नाम क्या हैं और प्रत्येक के मामले पर किस तारीख तक निर्णय लिया जायेगा?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा पहले से ही अनुमोदित कालोनियों के नाम क्रमशः अनुलग्नक–I और अनुलग्नक–II में दिये गये हैं। इन कालोनियों को नियमित करने के लिये मापदंड/आधार इस मंत्रालय के दिनांक 16–2–77 और 6–12–78 के पत्र में निर्धारित किये गये हैं (अनुलग्नक–III तथा IV)।

(ग) जी हां।

(घ) अनुलग्नक V की सूची के अनुसार दिल्ली में कालोनियों और गांवों के विस्तार सहित कुल 611 अनधिकृत नगर समूह हैं, जिनको सरकार के निर्णय के अनुसार नियमित किया जाना है। इनमें से अनुलग्नक–I और II में उल्लिखित कालोनियों का नियमन दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम द्वारा किया गया है। शेष कालोनियों को नियमित करने के लिये समय सीमा का निर्धारण करना संभव नहीं है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 543/80]

धारावी, महाराष्ट्र में गन्दी बस्तियों में रहने वाले

826. **श्री आर० के० महालगी**: क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जब वह हाल ही में बम्बई में थे तो वह एशिया की सबसे बड़ी गन्दी बस्ती धारावी गए थे;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) धारावी के लाखों निवासियों की समस्याओं के बारे में उनके क्या विचार ह और उनके समाधान के क्या उपाय हैं?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी हां।

(ख) 13–2–80 को।

(ग) झोपड़ियों के आस पास अच्छी सफाई रखने और अन्य सुविधायें देने के कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

15 ड़े क्षेत्रों में शाखा डाकघरों का खोला जाना

827. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे**: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में शाखा डाकघर खोलने के प्रस्ताव की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1980–81 के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश और विशेष रूप से बस्ती जनपद में कितने शाखा डाकघर खोले जाने हैं ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी हां।

(ख) 1980–81 के दौरान 5000 शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है। इनमें से लगभग 50% डाकघर पहाड़ी, जन-जातीय एवं पिछड़े इलाकों में खोले जाएंगे।

प्रत्येक डाक सर्किल और प्रत्येक जिले में डाकघर खोलने के लक्ष्य का आवंटन अभी विचाराधीन है।

बस्ती, उत्तर प्रदेश में टेलीफोन सुविधा

828. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डेय**: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बस्ती देश के अन्य जिलों में से ऐसा सबसे अधिक पिछड़ा हुआ जिला है जहां टेलीफोन सुविधाएं न के बराबर हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार हन्सर बाजार, धानघाटा बाजार, महुली बाजार, हरिहरपुर, सान्था, खेसराहा, धर्मसिंघव बाजार, सेमारियानव बाजार और भांवापुर में टेलीफोन सुविधा दिये जाने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) हन्सर बाजार, हरिहरपुर, सांथा, खेसराहा, धर्मसिंघव बाजार, सेमारियानव और भांवापुर में टेलीफोन एवं तार सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध हैं। धानघाटा बाजार और महुली बाजार को ये सुविधाएं प्रदान किये जाने का मामला विचाराधीन है तथा इन सुविधाओं के प्रदान करने के सम्बन्ध में विभाग की मौजूदा नीति के अनुसार उचित कार्रवाई की जायेगी।

चिकित्सा–आधार पर कुकिंग गैस कनैक्शन

829. **कुमारी कमला कुमारी**: क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संसद सदस्य की सिफारिश पर तथा जरूरतमन्द मानसिक और अन्य रोगियों को कुकिंग गैस कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर देने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) इस समय तरल पैट्रोलियम गैस की अत्याधिक कमी को ध्यान में रखते हुए सामान्यत: कोई नए गैस कनैक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। परन्तु कुछ श्रेणियों के आवेदकों जैसे विदेशी राजनयिकों, नये चुने गये संसद सदस्यों आदि को कनेक्शन दिये जा रहे हैं।

दिल्ली तथा राज्यों की राजधानियों एवं अन्य नगरों के बीच सीधा टेलीफोन करने की व्यवस्था

830. कुमारी कमला कुमारी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1980 के दौरान सरकार दिल्ली तथा अन्य नगरों के बीच और राज्यों की राजधानियों तथा राज्य के नगरों के बीच सीधा टेलीफोन करने की व्यवस्था करने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और बिहार में डाल्टनगंज तथा रांची और दिल्ली के बीच उक्त व्यवस्था कब तक लागू की जाएगी ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी हां ।

(ख) 1980 के दौरान जिन स्थानों को सीधे टेलीफोन सम्पर्क द्वारा दिल्ली से जोड़ जाने की संभावना है, उनके नाम नीचे दिये जा रहे हैं ।

1. लुधियाना	(राज्य की राजधानी के लिये सीधी टेलीफोन सेवा उपलब्ध है)
2. पटियाला	—वही—
3. भटिंडा	—वही—
4. मदुराई	—वही—
5. कोयम्बतूर	—वही—
6. एर्नाकुलम	—वही—
7. सलेम	—वही—
8. राजकोट	—वही—
9. बड़ौदा	—वही—
10. क्यूलोन	—वही—
11. कोट्टायम	—वही—
12. पालघाट	—वही—
13. त्रिचूर	—वही—
14. बर्दवान	—वही—
15. हल्दिया	—वही—
16. राउरकेला	—वही--
17. आसनसोल	—वही—
18. दुर्गापुर	—वही—
19. रानीगंज	—वही—
20. शाहजहांपुर	—वही—
21 बरेली	(1980 में राज्य की राजधानी के लिये सीधे टेलीफोन सम्पर्क की व्यवस्था कर दी जायेगी)
22. ग्वालियर	—वही—

उन शहरों के नाम निम्नलिखित हैं जिनको 1980 में राज्य की राजधानियों से पहले जोड़ा जाएगा। बाद में इन शहरों को दिल्ली से जोड़ दिया जाएगा।

राज्य की राजधानी	शहरों के नाम
1. लखनऊ	गोरखपुर, सीतापुर
2. जयपुर	कोटा
3. चंडीगढ़	अबोहर, फिरोजपुर
4. भोपाल	उज्जैन

1981–82 में डाल्टनगंज और रांची को सीधे टेलीफोन संपर्क द्वारा दिल्ली से जोड़े जाने की संभावना है।

कृषि मूल्य आयोग का प्रतिवेदन

831. **श्री छीतू भाई गामित**
श्री के० प्रधानी } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि मूल्य आयोग ने गेहूं, चना आदि के मूल्यों के बारे में अपना प्रतिवेदन सरकार को पेश कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० बी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) कृषि मूल्य आयोग ने 3–11–1979 को प्रस्तुत की गई 1979–80 की फसल के लिये गेहूं की मूल्य नीति संबंधी अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :–

(1) 1979–80 की फसल के लिये विभिन्न राज्यों में गेहूं का न्यूनतम मूल्य 117 रु० प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाए;

(2) जहां कहीं सार्वजनिक एजेन्सियों में करनल बन्ट की निरोधी सोनालिका व गेहूं की अन्य किस्मों का शुद्ध स्टाक उपलब्ध हो, उसे साफ करके बीज के प्रयोजन के लिये निर्धारित किया जाए। यह बीज विशेष रूप से उप-पर्वतीय अंचलों तथा ऐसे क्षेत्रों में उपयोग किया जाए जहां गेहूं की बुवाई करने में विलम्ब होता है; तथा

(3) डोसोनेक्स, आइसोप्रोट्यूरोन तथा ट्रिब्यूनिल खरपतवार नाशी दवाओं के आयात को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाए ताकि गेहूं की फसल को कम से कम क्षति हो।

आयोग ने 29-8-1979 को प्रस्तुत की गई 1979–80 के लिये चने की मूल्य नीति संबंधी अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :—

(1) 1980–81 के मौसम में विपणन किये जाने वाले अच्छे औसत क्वालिटी के चने के लिये उत्पादक को 145 रु० प्रति क्विंटल के हिसाब से मूल्य दिया जाए;

(2) गेहूं की बुवाई किये जाने वाले कुछ सीमांत क्षेत्रों में, जिनमें सिंचाई की कुछ सुविधायें हों, चने की खेती की जाये ताकि उच्च स्तरों पर पैदावार के स्थिरीकरण के जरिए इसके उत्पादन में वृद्धि की जा सके; और

(3) वनस्पतियों की ऐसी उन्नत पद्धति को अपनाकर, जिससे फूल-पत्तों की तुलना में अधिक दानें पैदा हों, चने की रोग निरोधी और अधिक उत्पादनशील किस्मों का विकास करने के लिये अनुसंधान को तेज किया जाए।

राज्य में विद्यार्थियों द्वारा नशीली वस्तुओं का सेवन

832. **श्री छीतू भाई गामित :** क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्कूल और कालेज के विद्यार्थियों द्वारा नशीली वस्तुओं के सेवन के संबंध में राज्यवार कोई आकड़े इकट्ठे किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां नशीली वस्तुओं का काफी सेवन होता है?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सूखे से प्रभावित जिले

833. **श्री छीतू भाई गामित :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979 के दौरान सरकार द्वारा राज्यवार कौन-कौन से जिले सूखे से प्रभावित घोषित किये गये थे।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : एक विवरण संलग्न है। इसमें उन जिलों के नाम दिये गये हैं जिन्हें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सूखे से प्रभावित घोषित किया गया है।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश

1. श्रीकाकुलम
2. विजयानगरम
3. विशाखापटनम
4. पूर्वी गोदावरी
5. पश्चिमी गोदावरी
6. कृष्णा
7. गुनटूर
8. प्रकाशम
9. नेलौर
10. चित्तूर
11. कुरनूल
12. कुडाप्पा
13. अनंतपुर
14. रगारेड्डी
15. हैदराबाद
16. निज़ामाबाद
17. मेडक
18. महबूब नगर
19. नालगोंडा
20. वारंगल
21. करीमनगर
22. खमाम
23. आदिलाबाद

बिहार

1. हज़ारीबाग
2. धनबाद
3. गिरिडीह

4. पालामऊ
5. रांची
6. सिंहभूम
7. नालंदा
8. बेंगूसराय
9. पटना
10. गया
11. नवादा
12. रोहतास
13. औरंगाबाद
14. भोजपुर
15. भागलपुर
16. मुंधेर
17. संथाल परगना
18. पूर्णिया
19. कटिहार
20. दरभंगा
21. सिवांन
22. सारण
23. वैशाली

हरियाणा

1. अम्बाला
2. सिरसा
3. हिसार
4. भिवानी
5. करनाल
6. गुडगांव
7. रोहतक
8. जीन्द
9. नारनौल
10. सोनीपत
11. कुरुक्षेत्र

जम्मू और कश्मीर

1. डोडा

हिमाचल प्रदेश

1. विलासपुर
2. चम्बा
3. हमीरपुर
4. कांगड़ा
5. कुल्लू
6. किन्नौर
7. लाहोल स्पीती
8. मण्डी
9. शिमला
10. सिरमोर
11. सोलन
12. ऊना

मध्य प्रदेश

1. रायपुर
2. दुर्ग
3. राजनन्दगांव
4. बस्तर
5. बिलासपुर
6. सरगूजा
7. राजगढ़
8. रीवा
9. सतना
10. सिधी
11. शहडोल
12. जबलपुर
13. बालाघाट
14. छिंदवाडा
15. सियोनी
16. मांडला
17. नरसिम्हापुर
18. भोपाल
19. सिहोर
20. रायसेन
21. विदिशा
22. बेकुस
23. रायगढ़
24. सागर
25. दमोह
26. पन्ना
27. छत्तरपुर
28. टीकमगढ़
29. ग्वालियर

30. शिवपुरी
31 गुना
32. दतिया
33. भिण्ड
34. मुरैना
35. उज्जैन
36. मंदसौर
37. रतलाम
38. देवास
39. शाहजापुर
40. इंदौर
41. धार
42. झबुवा
43. खरगोन
44. खण्डवा
45. होशंगाबाद

महाराष्ट्र

1. थाना
2. कुलाबा
3. रानागिरी
4. धूले
5. अहमदनगर
6. पुणे
7. सतारा
8. सांगली
9. शोलापुर
10. औरंगाबाद
11. बीड
12. उस्मानाबाद
13. अकोला
14. नागपुर
15. भण्डारा
16. चन्द्रपुर
17. नासिक

उड़ीसा

1. कटक
2. पुरी
3. म्यूरभंज
4. बालासोर
5. बोलंगीर
6. धेंकानल
7. क्योंझर
8. सुन्दरगढ़
9. सम्भलपुर
10. गंजम
11. कोरापुट
12. कालाहांडी
13. फूलवानी

राजस्थान

1. अजमेर
2. अलवर
3. बनसवाड़ा
4. बाड़मेर
5. भरतपुर
6. भीलवाड़ा
7. बीकानेर
8. बूंदी
9. चित्तौड़गढ़
10. चुरू
11. डूंगरपुर
12. गंगानगर
13. जयपुर
14. जैसलमेर
15. जालोर
16. झालवाड़ा
17. झुंझनू
18. जोधपुर
19. कोटा
20. नागौर
21. पाली
22. सवाईमाधोपुर
23. सिकर
24. सिरोही
25. टोंक
26. उदयपुर

उत्तर प्रदेश

1. सहारनपुर
2. मुजफ्फरनगर
3. मेरठ
4. गाजियाबाद
5. बुलन्दशहर
6. बिजनौर
7. अलीगढ़
8. मथुरा
9. आगरा
10. मैनपुरी
11. ऐटा
12. बरेली
13. बदायूं
14. शाहजहानपुर
15. पीलीभीत
16. मुरादाबाद
17. रामपुर
18. फरुखाबाद
19. इटावा
20. कानपुर
21. फतेहपुर
22. इलाहाबाद
23. बांदा
24. हमीरपुर
25. झांसी
26. ललितपुर
27. जालौन
28. वाराणसी
29. मिर्जापुर
30. जौनपुर
31. गाजीपुर
32. बलिया
33. गोरखपुर
34. बस्ती
35. आजमगढ़
36. देवरिया
37. नैनीताल
38. अल्मोड़ा
39. पिथोरागढ़
40. चमोली
41. उत्तर काशी
42. गढ़वाल
43. टिहरी गढ़वाल
44. देहरादून
45. लखनऊ
46. उन्नाव
47. रायबरेली
48. सीतापुर
49. हरदोई
50. खेरी
51. फैजाबाद
52. गोंडा
53. बहराईच
54. सुलतानपुर
55. प्रतापगढ़
56. बाराबंकी

पश्चिम बंगाल

1. 24–परगना
2. हावड़ा
3. मुनादिया
4. शिदाबाद
5. हुबगनवान
6 मिदी
7.
8. बांकुर
9. बीरभूम
10. पुरुलिया
11. गाल्दा
12. पश्चिम दीनाजपुर
13. कूच बिहार

राज्यों को डीजल और मिट्टी के तेल का आबंटन

834. **श्री सोमनाथ चटर्जी**
श्री इन्द्रजीत गुप्ता } क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्हें यह जानकारी है कि जनवरी माह में पश्चिम बंगाल को लगभग 50,000 टन, महाराष्ट्र को 104,730 टन, तमिलनाडु को 66,360 टन और गुजरात को

52,628 टन तथा फरवरी माह में पश्चिम बंगाल को 48,784 टन, महाराष्ट्र को 96,377 टन, तमिलनाडु को 64,764 टन तथा गुजरात को 53,150 टन डीजल आवंटित किया गया था;

(ख) डीजल और मिट्टी के तेल के आबंटन के संबंध में क्या नीति अपनाई जाती है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित किये गये डीजल और मिट्टी के तेल की राज्यवार मासिक मात्रा कितनी-कितनी थी?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) इन राज्यों के लिये जनवरी, 1980 और फरवरी, 1980 के लिये हाई स्पीड डीजल (एच० एस० डी०) के आबंटन के वास्तविक आंकड़े निम्न प्रकार हैं:—

(आंकड़े मी० टनों में)

	जनवरी 1980	फरवरी, 1980
1. पश्चिम बंगाल	50,000	52,740
2. महाराष्ट्र	98,500	1,01,377
3. तमिलनाडु	66,360	69,754
4. गुजरात	52,628	57,150

(ख) जबकि मिट्टी के तेल के राज्य-वार आबंटन की प्रणाली कुछ समय के लिये प्रचलित रही, हाई स्पीड डीजल तेल के लिये इसी प्रकार की प्रणाली 1-10-79 से लागू की गई है। आबंटन पिछले खपत आंकड़ों के आधार पर किया जाता है।

(ग) अपेक्षित सूचना राज्यवार उपलब्ध नहीं है। इसके एकत्र किये जाने में काफी समय और मेहनत लगेगी और इस संबंध में प्रतिप्राप्ति उनके अनुकूल नहीं होगी।

गुजरात में सूखा

835. श्री अमर सिंह बी० राठवा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात के भी कुछ भाग सूखे से प्रभावित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन जिलों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या इस क्षेत्र को सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है; और

(घ) दी गई सहायता का ब्योरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन): (क) और (ख): पंचमहल, साबरकंठा और बनासकंठा जिले तथा बदोदरा बल्साड, मेहसाना एवं अहमदाबाद के अन्य इक्के दुक्के क्षेत्रों में कृषि कार्यों में मंदी की स्थिति है। यहां कहीं भी सूखे की स्थिति नहीं है।

(ग) गजरात सरकार द्वारा किसी भी क्षेत्र को अभी तक अभाव/अर्धअभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया है।

(घ) राज्य सरकार ने जरूरतमन्द लोगों को रोजगार मुहैय्या कराने के लिये प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण राहत रोजगार योजना शुरू की है। कलक्टरों को सामान्य बजट के अंतर्गत किये जाने वाले कार्य के अतिरिक्त, अन्य राहत कार्यों को स्वीकृति प्रदान करने के लिये प्राधिकृत किया गया है। राज्य सरकार द्वारा बच्चों, बढ़ों, अपंगों आदि को नकद धन बांटने के लिये तथा सहकारी देनदारियों की पुनःव्यवस्था करने तथा बलप्रयोग से वसूली करने के उपायों से दूर रहने तथा भूमि राजस्व, तकावी आदि जैसी सरकारी देनदारियों को निलम्बित करने के भी आदेश जारी कर दिये गये हैं। राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों को पेय जल की आपूर्ति की व्यवस्था करने तथा टैंकरों से जल की आपूर्ति करने के लिये अनुदान मंजर कर दिये हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों को घास भेजने की व्यवस्था कर दी गई है। राहत उपाय मुहैय्या कराने के लिये प्रशासनिक तंत्र को तेज कर दिया गया है।

कार्य के बदले अनाज देने के सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 41,000 मीटरी टन खाद्यान्नों के अतिरिक्त, भारत सरकार ने गुजरात को प्रभावित क्षेत्रों में लाभकारी रोजगार तैयार करने के लिये कार्य के बदले अनाज देने के विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत 7,500 मीटरी टन खाद्यान्नों का आवंटन भी किया है।

राज्य सरकार ने भारत सरकार से अभी तक कोई वित्तीय सहायता नहीं मांगी है, और अपने ही संसाधनों से स्थिति का मुकाबला कर रही है।

गुजरात के आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं

836. **श्री अमर सिंह वी० राठवा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार गुजरात राज्य के आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने के लिये एक योजना आरम्भ करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गुजरात में खुदाई का कार्य किया जाना

837. **श्री अमर सिंह वी० राठवा**: क्या पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा हाल ही में गुजरात में खुदाई का कार्य किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वहां और खुदाई के क्या परिणाम रहे हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) हाल ही के सर्वेक्षणों और अन्वेषणों के फलस्वरूप, सिसोदरा, मोतवान और दक्षिणी अंकलेश्वर तेल क्षेत्र के पश्चिम ग्रुप में प्रत्याशित गैस युक्त क्षेत्र पाये गये हैं।

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा योजना

838. श्री पी० के० कोडियन
श्री जैनुल बशीर
श्री नूल चन्द डागा } : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा योजना के अन्तर्गत प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र स्थापित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) प्रौढ़ शिक्षा कार्य में लगी हुई स्वैच्छिक संस्थाओं को इस योजना के अन्तर्गत अनुदान देने में केन्द्रीय सरकार को अब तक कुल कितना व्यय करना पड़ा है;

(ग) उन स्वैच्छिक संस्थाओं के नाम क्या हैं जिन्हें प्रौढ़ शिक्षा कार्य के लिये वित्तीय अनुदान दिया गया था और उनमें से प्रत्येक को कितनी धनराशि मिली थी;

(घ) क्या सरकार ने इन स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा किए गये कार्य का मूल्यांकन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या हैं; और

(च) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा योजना जारी रखने का है?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) और ((च) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को चलाने के लिये स्वैच्छिक एजेन्सियों को अनुदान के रूप में भारत सरकार द्वारा वर्ष 1977–78 में 46.39 लाख रुपये, 1978–79 में 156.75 लाख रुपये एवं चालू वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 236.44 लाख रुपये का खर्च किया गया है।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही स्वैच्छिक एजेन्सियों की एक सूची, अनुमोदित परियोजनाओं और उन परियोजनाओं के लिये स्वीकृत अनुदानों के ब्यौरों सहित, संलग्न है।

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की अब तक की प्रगति को ध्यान में रखते हुए सभी पहलुओं से इसकी समीक्षा करने के लिये डा० डी० एस० कोठारी की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई है। इस समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर सरकार इस विषय पर विचार करेगी।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 544/80]

अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के दौरान बाल-कल्याण उपाय

839. श्री पी० के० कोडियन:
श्री टी० आर० शमन्ना: } : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने वर्ष 1979 को अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष मनाये जाने के एक अंग के रूप में भारत में बाल कल्याण की समस्याओं से निपटने के लिये क्या कार्य किए गए थे;

(ख) देश में अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष मनाये जाने का बाल-कल्याण गतिविधियों के भावी कार्यक्रम पर क्या वास्तविक प्रभाव पड़ा था;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष की भारतीय समिति ने बाल कल्याण के संबंध में कोई सिफारिशें की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) उन पर क्या निर्णय लिये गये हैं?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना बनाई थी जिसका अनुमोदन राष्ट्रीय बाल बोर्ड ने कर दिया था। भारत सरकार के मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय कार्य योजना के आधार पर कार्यवाही की थी। राष्ट्रीय कार्य योजना में बाल स्वास्थ्य और पोषाहार, शिक्षा, समाज कल्याण, विधि-निर्माण, प्रचार और धन एकत्रित करने के क्षेत्रों में कार्यक्रम शामिल हैं। तदानुसार इन क्षेत्रों में नए कार्यक्रम शुरू किए गए तथा वर्तमान कार्यक्रमों का विस्तार किया गया, जिनमें स्वास्थ्य, रोग प्रतिरोधन, पोषाहार, सुरक्षित पेय जल की सप्लाई तथा स्कूलों में बच्चों की भर्ती पर विशेष बल दिया गया। राष्ट्रीय बाल कोष, बच्चों के हित में किये गये सर्वोत्तम कार्य के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार, बालक-से बालक कार्यक्रम, पोषाहार के लिये खाद्य कार्यक्रम कुछ नए कार्यक्रम हैं। बच्चों को नौकरी पर लगाये जाने के कारणों तथा उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं की जांच करने तथा उपचारी उपायों का सुझाव देने के लिये श्री एम० एल० गुरूपदस्वामी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) न केवल जागरूकता उत्पन्न करने बल्कि बच्चों के लिये मूल सेवाएं परिचालन करने में भी सरकारी और असरकारी दोनों ही क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष को मनाये जाने का प्रभाव महसूस किया और माना गया है। अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में भारत सरकार अगले 20 वर्षों के लिये बाल विकास के लिये एक परिप्रेक्ष्य योजना बनाने पर विचार कर रही है।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के लिए भारतीय समिति ने, जो एक स्वयं सेवी असरकारी संगठन है, बाल कल्याण के संबंध में कोई सिफारिश प्रस्तुत नहीं की है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए योजना

840. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिये कोई व्यापक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्योरा क्या है;

(ग) योजना पर अनुमानित कुल व्यय कितना होगा;

(घ) क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रमों को तैयार करने और उनका कार्यान्वयन करने में ग्रामीण श्रमिक संगठनों का सहयोग लेने के लिये कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) मुख्य ग्राम विकास कार्यक्रम ये हैं :

(1) समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम
(2) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम
(3) मरुभूमि विकास कार्यक्रम
(4) लघु किसान विकास एजेंसी कार्यक्रम
(5) काम के बदले अनाज कार्यक्रम; और
(6) स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों के लिए प्रशिक्षण।

(ग) विवरण संलग्न है।

(घ) व (ङ) ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रमों को तैयार करने तथा उनका कार्यान्वयन करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है। ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय ने ग्राम विकास कार्यक्रमों को तैयार करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के बारे में विस्तृत मार्ग-दर्शक सिद्धान्त जारी किए हैं जिनमें इन कार्यों हेतु स्वैच्छिक एजेंसियों के एसोसिएशन को भी शामिल किया गया है।

विवरण

वर्ष 1979–80 के लिये ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय के कार्यक्रमों के लिये केन्द्रीय परिव्यय।

(करोड़ रुपए में)

कार्यक्रम	केन्द्रीय परिव्यय (1979–80)
1. लघु किसान विकास एजेंसी जिसमें लघु किसान विकास एजेंसी क्षेत्रों में समन्वित ग्राम विकास तथा गैर-विशेष कार्यक्रम क्षेत्रों में लघु सिंचाई कार्यक्रम भी शामिल है तथा 2 से 4 हैक्टेयर के लिये हैं	56.89
2. सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम क्षेत्रों में समन्वित ग्राम विकास	44.44
3. कमाण्ड क्षेत्र विकास क्षेत्रों में समन्वित ग्राम विकास	13.10
4. पूर्ण रोजगार हेतु क्षेत्र आयोजना	6.30
5. मरुभूमि विकास कार्यक्रम	9.00
6. काम के बदले अनाज कार्यक्रम	350.00
7. स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों के लिये प्रशिक्षण	3.00
योग	482.73

गुजरात तथा अन्य राज्यों को कच्चे तेल के लिये स्वामित्व की अदायगी

841. श्री अहमद एम० पटेल : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात तथा अन्य तेल उत्पादक राज्यों को कच्चे तेल के लिए किस दर पर स्वामित्व की अदायगी की जा रही है;

(ख) क्या गुजरात राज्य को अदा किया जा रहा स्वामित्व अन्य राज्यों की तुलना में कम है;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने इसमें वृद्धि की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) 42/- रुपये प्रति मी० टन।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) अशोधित तेल और केसिंग हैड कन्डेंसेट की रायल्टी की प्रभावी दर, वर्ष 1980 में इसकी समीक्षा होने तक, जारी रहेगी। संबंधित राज्य सरकारों से, अपने विचार भेजने का अनुरोध किया है, जिस पर वे चाहेंगे कि रायल्टी की दर के पुनरीक्षण हेतु ध्यान में रखा जाए, जिनकी प्रतीक्षा है।

उचित दर दुकानों से कार्डधारियों के चीनी के कोटे में कमी

842. श्री फारूक अब्दुल्ला : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उचित दर की दुकानों से प्रति इकाई कार्ड चीनी के कोटे में कमी की गई थी;

(ख) इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या खुले बाजार में अधिक मूल्य पर पर्याप्त चीनी उपलब्ध थी; और

(घ) क्या चीनी की कमी अभी तक विद्यमान है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) 17 दिसम्बर, 1979 से चीनी पर आंशिक नियंत्रण लागू होने से राज्यों के लेवी चीनी के मासिक कोटे का आवंटन उस स्तर पर बहाल कर दिया गया है जितना अगस्त, 1978 के पहले की अवधि में पिछले आंशिक नियंत्रण के दौरान उनका कोटा था। वितरण की मात्रा राज्य सरकारें तय करती हैं।

(ग) और (घ) आंशिक नियंत्रण की नीति के अधीन 1979-80 मौसम के दौरान उत्पादन की 65 प्रतिशत चीनी 2.85 रुपये प्रति किलो के समान निर्गम मूल्य पर उचित मूल्य की दुकानों से वितरण के लिए लेवी चीनी के रूप में वसूली की गई है। शेष 35

प्रतिशत की मात्रा को खुले बाजार में बेचे जाने की अनुमति दी गई है। चीनी की कोई कमी नहीं है क्योंकि निर्मुक्तियां करने में उदारता बरती गई है। लेवी चीनी की उपलब्धता और सप्लाई में पर्याप्त सुधार होने से देश में चीनी की प्रमुख मंडियों में फरवरी, 1980 के दूसरे पखवाड़े के मूल्यों की तुलना में 11-3-1980 को खुली बिक्री की चीनी के मूल्य 40 रुपये से 100 रुपये प्रति क्विंटल तक के रैंज तक नीचे आ चुके हैं।

संसद सदस्यों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट/प्लाट

843. श्री सतीश प्रसाद सिंह: क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1977 से पूर्व संसद के प्रत्येक सदस्य को एक फ्लैट/प्लाट दिए जाने का प्रावधान था;

(ख) क्या इस प्रावधान को जनता सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कुछ संसद सदस्यों को वर्ष 1977 से 1979 के दौरान भी जमीन के प्लाट/फ्लैट दिए गए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बिना किसी नियम के ऐसे प्लाट/फ्लैट दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का वर्तमान संसद सदस्यों को फ्लैट/प्लाट देने के लिए 1977 से पूर्व के प्रावधान को फिर से चालू करने का विचार है?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ङ) तक सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार में नालन्दा जिले में बीड़ी श्रमिकों के लिए मकान

844. श्री विजय कुमार यादव : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य में नालन्दा जिले के बिहार खरीद नगरपालिका क्षेत्र में कार्य कर रहे लगभग 10,000 बीड़ी श्रमिकों को आवास सुविधा की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का बिहार खरीद के उपरोक्त बीड़ी श्रमिकों को आवास सुविधा प्रदान करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क), (ख) तथा (ग) आवास राज्य क्षेत्र में है। इसलिए इस मामले पर निर्णय राज्य सरकार को करना है। राज्यों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता "समेकित ऋणों" और "समेकित अनुदानों" के रूप में विभिन्न प्लान योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए दी जाती है। जिसमें कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई गई सामाजिक आवास योजना शामिल हैं।

पैट्रोलियम उत्पादों का वितरण करने के नियम

845. श्री एन० के० शेजवालकर: क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पैट्रोलियम उत्पादों का वितरण करने के इस समय कोई नियम विद्यमान हैं और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या इन नियमों के अन्तर्गत खाली टीनों में डीजल आदि की सप्लाई करने की अनुमति नहीं है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल): (क) जी, हां। पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 (1934 का 30) के अन्तर्गत बनाये गये पेट्रोलियम नियम, 1976 के अन्तर्गत फुटकर बिक्री केन्द्रों पर मोटर स्प्रिट तथा हाई स्पीड डीजल के विक्रय सहित पेट्रोलियम उत्पादों के बड़ी या कम मात्रा में भण्डारण, परिवहन, वितरण तथा हैन्डल करने के सभी पहलू आते हैं।

(ख) डीजल आदि की सप्लाई डिब्बों में अनुज्ञेय है बशर्ते कि लाईसेंसिंग की शर्तों का पालन किया जाय या वर्तमान नियमों के अन्तर्गत यह राज्य सरकार के अधिकारियों के निदेश के अनुरूप हो।

बाबा खड़कसिंह मार्ग में झुग्गी एवं मन्दिर

846. श्री जमीलुर रहमान: क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेन्ट्रल गवर्नमेंट एम्पलाइज रेजिडेंटस वेलफेयर एसोसिएशन, बाबा खड़कसिंह मार्ग, नई दिल्ली (एक मान्यता प्राप्त पंजीकृत निकाय) तथा उस क्षेत्र की सनातन धर्म सभा ने ऐसे अभ्यावेदन भेजे हैं जिनमें उनकी कालोनी में अनधिकृत रूप से बने झुग्गी-एवं-मंदिर के विरुद्ध वहां के निवासियों का आक्रोश व्यक्त किया गया है;

(ख) उस क्षेत्र में यह झुग्गी-एवं-मंदिर कब से बना हुआ है;

(ग) के० लो० नि० वि० के कर्मचारियों ने इस अनधिकृत निर्माण को हटाने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(घ) इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी): (क) केवल सेन्ट्रल गवर्नमेंट एम्पलाइज रेजिडेंटस वेलफेयर एसोसिएशन, बाबा खड़कसिंह मार्ग, नई दिल्ली से ही अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) ऐसा कहा जाता है कि यह लगभग पिछले 10 वर्ष से मौजूद है।

(ग) तथा (घ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने मन्दिर को हटाने के लिए अनुमति उप-राज्यपाल से मांगी थी। इसी दौरान ऐसे अनधिकृत धार्मिक स्थानों के बारे में कार्यवाही करने के लिए अनुदेश जारी किए गए थे। तदनुसार भूमि तथा विकास कार्यालय इस मामले की जांच कर रहा है।

निजाम के हीरो के विषय में निर्णय

847. श्री एन० ई० हीरो : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने निज़ाम के हीरों के विषय में कि क्या वे सचमुच में कला सम्पत्ति हैं अथवा नहीं, अपने निर्णय की घोषणा कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) इस विषय पर सरकार ने अपने निर्णय की घोषणा नहीं की है ।

(ख) इस समय यह उत्पन्न ही नहीं होता है ।

इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा मिट्टी के तेल तथा डीजल के आयात के लिए टेंडर मंगाना

848. श्री नारायण चौबे : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन आयल कारपोरेशन ने मिट्टी के तेल तथा डीजल के आयात के लिए टेण्डर मांगे थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किस फार्मूले के आधार पर प्रस्ताव स्वीकार किए गए थे ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) 1980 के दौरान टैंडरों के प्रति आयात के ठेके देने की कुल मात्रा अब तक निम्न प्रकार है :—

मिट्टी का तेल : 0.3 मिलियन मी० टन

डीजल : 1.15 मिलियन मी० टन

आगे और ब्यौरे देना इंडियन आयल कार्पोरेशन के वाणिज्यिक हित में नहीं होगा और अन्तर्राष्ट्रीय रीतियों के विरुद्ध भी होगा ।

छपरा (बिहार) में डा० राजेन्द्र प्रसाद विश्वविद्यालय की स्थापना करना

849. प्रो० सत्यदेव सिंह : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के प्रथम राष्ट्रपति, डा० राजेन्द्र प्रसाद के नाम पर छपरा (बिहार) में डा० राजेन्द्र प्रसाद विश्वविद्यालय स्थापित करने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार डा० राजेन्द्र प्रसाद के नाम पर एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो यह विश्वविद्यालय कब तक खोला जाएगा और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, तथा स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) नए विश्वविद्यालयों की स्थापना के सभी प्रस्ताव सामान्यत: सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए जाते हैं। बिहार सरकार ने छपरा में एक नया विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं किया है ।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु सड़कों की व्यवस्था

850. श्री आर० पी० यादव: क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए अपेक्षित दो मूल बातों में से सड़कों की उपलब्धता एक है;

(ख) क्या बिहार राज्य इस दिशा में पिछड़ा हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है कि सभी गांवों को पक्की सड़कों से परस्पर जोड़ दिया जाये ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन): (क) व (ख) जी, हां ।

(ग) संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन मानदण्डों के अनुसार, 1,500 या उससे अधिक की जनसंख्या वाले सभी गांवों तथा 50 प्रतिशत ऐसे गांवों जिनकी जनसंख्या 1,000 व 1,500 के बीच है, को छठी योजना अवधि के दौरान ग्रामीण सड़कें सुलभ की जानी हैं ।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते: (राजापुर): महोदय, नेत्रहीन व्यक्तियों से किये गये व्यवहार के बारे में हमारे स्थगन प्रस्ताव को कृपया स्वीकार कर लीजिये।...

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) : महोदय, हमने इस विषय पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जब अध्यक्ष खड़ा हो, तो आप सब को बैठ जाना चाहये। क्या आप नियम नहीं जानते ? कहीं पर कुछ गलती हुई है। मैं सभा से अनुरोध करूंगा कि वे इस प्रकार का व्यवहार न करें (व्यवधान) । जब मैं खड़ा हूं तो आप सबको बैठ जाना चाहिये। श्री राम विलास पासवान, आप कृपया बैठ जाइये। मैं खड़ा हूं। मैं इस सभा से पूछना चाहूंगा कि क्या हमें कोई शिष्टाचार बर्तना चाहिये या नहीं (व्यवधान) कृपया बैठ जाइये। जब मैं कहूं तब आप बारी से बोलें, तभी मैं आपकी बात सुन सकता हूं। यदि आप सब एक ही समय बोलेंगे तो मैं आपकी बात कैसे सुन सकता हूं और समझ सकता हूं। मैं माननीय सदस्यों द्वारा कही गई एक बात को भी सुन नहीं सका क्योंकि वह पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं थीं। यदि एक सदस्य खड़ा होता और बोलता तो मैं उसकी

बात को सुन सकता था। यदि आप इकट्ठे बोलेंगे तो आप मुझ से क्या आशा रख सकते हैं। मेरे सौ कान नहीं हैं। यह प्रश्न एक सदस्य पूछ सकता था। (व्यवधान) कृपया मेरी बात सुनिये। गृह मंत्री वक्तव्य देने वाले हैं। यदि एक सदस्य खड़ा होता तो मैं उसकी बात सुन सकता था। परन्तु आप सब एकदम खड़े हो गये (व्यवधान)। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। अब सभा-पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के वर्ष 1978-79, हाइड्रो कार्बन्स इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1978 के और इण्डियन पैट्रो केमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन और उनकी समीक्षा

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 की धारा 22 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 23 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के वर्ष 1978-79 के और उसकी सहायक कम्पनी हाइड्रो कार्बन्स इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1978 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-496/80]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:

(एक) इण्डियन पैट्रो कैमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, के वर्ष 1978–79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इण्डियन पैट्रो कैमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 1978–79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। (देखिये संख्या एल० टी०-497/80]

श्री जार्ज फर्नान्डिस (मुजफ्फरपुर): महोदय, आप ने कहा था कि आप हमारी बात बारी-बारी से सुनेंगे। कृपया हमें अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय: मैं नियम 377 के अधीन अनुमति दूंगा।

श्री जार्ज फर्नान्डिस: यह मामला नियम 377 के अन्तर्गत नहीं आता। इस मामले पर गृह मंत्रालय द्वारा वक्तव्य मात्र नहीं दिया जाता है। यह बहुत अधिक गम्भीर मामला है (व्यवधान) गृह मंत्री का वक्तव्य क्या है (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे, श्री सेठी।

तत्पश्चात् कुछ माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के वर्ष 1977–78 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और उसकी समीक्षा तथा विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण, दिल्ली नगरीय कला आयोग के वर्ष 1978–79 के लेखापरीक्षित लेखे और उनकी समीक्षा आदि आदि।

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : मैं निम्न पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 25 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के वर्ष 1977–78 के लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(2) दिल्ली विकास प्राधिकरण के वर्ष 1977–78 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(3) लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-498/80]

(4) दिल्ली नगरीय कला आयोग अधिनियम, 1973 की धारा 20 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली नगरीय कला आयोग के वर्ष 1978–79 के लेखापरीक्षित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(5) उपर्युक्त लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-499/80]

(6) जल प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन वर्ष 1978–79 के लिये जल प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण के लिये केन्द्रीय बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०-500/80]

(7) (एक) दिल्ली शहरी कला आयोग अधिनियम, 1973 की धारा 19 के अधीन वर्ष 1977–79 के लिये दिल्ली शहरी कला आयोग के प्रतिवेदन (हिन्दी और अंगेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन पर समीक्षा (हिन्दी और अंगेजी संस्करण) की एक प्रति।

(तीन) प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखे जाने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-501/80]

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : वहां पर तनाव की स्थिति थी....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपके प्रस्ताव की अनुमति दे दी है और वह वक्तव्य देने वाले ह।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाना चाहिये।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री शंकरानन्द।

प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज, दुर्गापुर के वर्ष 1978–79, सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद के वर्ष 1978–79, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन, राष्ट्रीय नाट्य शाला के वर्ष 1977-78 और 1978–79 के लेखा परीक्षित लेखे प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण आदि आदि।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री: (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज, दुर्गापुर के वर्ष 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन (†हिन्दी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-502/80]]

(2) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के वर्ष 1978–79 के वार्षिक प्रतिवेदन (‡हिन्दी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-503/80]

(3) (एक) सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद के वर्ष 1978–79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संग्रहालय के कार्यकरण की समीक्षा सम्बन्धी एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-504/80]

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

†प्रतिवेदन का अंग्रेजी संस्करण 2 फरवरी, 1980 को सभा पटल पर रखा गया था।

‡प्रतिवेदन का अंग्रेजी संस्करण 28 जनवरी, 1980 को सभा पटल पर रखा गया था।

(4) राष्ट्रीय नाट्य शाला के वर्ष 1977–78 और 1978–79 के लेखापरीक्षित लेखे, लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद 9 महीने की निर्धारित अवधि में सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया । (देखिये संख्या एल० टी०-505/80]

(5) (एक) राष्ट्रीय लोक सहयोग तथा बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली में वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संस्था के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति) ।

(तीन) उक्त प्रतिवेदन सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-506/80]

(6) (एक) भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता के वर्ष 1978–79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संग्रहालय के कार्यकरण की समीक्षा संबंधी एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-507/80]

(7) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 1956 की धारा 25 की उपधारा (3) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सदस्यों की अनर्हता, सेवा-निवृत्ति तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1979 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति को दिनांक 1 दिसम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1441 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-508/80]

(8) भारतीय प्रौद्योगिकी अनुसन्धान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 1978–79 के लेखाओं का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी * संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-509/80]

(9) मालवीय प्रादेशिक इंजीनियरिंग, कालेज, जयपुर के वर्ष 1978–79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी * संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-510/80]

(10) प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज, तिरूचिरापल्ली का वर्ष 1978–79 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-511/80]।

*प्रतिवेदनो का अंग्रेजी संकरण 2 फरवरी 1980 को सभा पटल पर रखा गया था।

(11) ललित कला अकादमी के वर्ष 1978–79 के लेखापरीक्षित लेखे लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-512/80]

(12) (एक) संगीत हिन्दी नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1978–79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) अकादमी के कार्यकरण की समीक्षा (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(तीन) वार्षिक प्रतिवेदन के सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब तथा लेखाओं के सभा पटल पर न रखने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-513/80]

(13) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, अड्यार, मद्रास के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी† संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 514/80]

(14) उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 17 फरवरी, 1980 की उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2) (क) के अन्तर्गत राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1980 (1980 का संख्या 1) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-515/80]।

(15) (एक) बुद्ध दर्शन विद्यालय लेह-लद्दाख, के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) विद्यालय के कार्यकरण की समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-516/80]

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के वर्ष 1977-78 और 1978-79 के वार्षिक लेखे, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखे।

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 की धारा 17 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के वर्ष 1977-78 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-521/80]

†प्रतिवेदन का अंग्रेजी संस्करण 2 फरवरी, 1980 को सभा पटल पर रखा गया था।

(दो) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के वर्ष 1978-79 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-522/80] ।

(2) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(3) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-523/80]।

भारतीय तार (चौथा संशोधन) नियम, 1979, भारतीय तार (सातवां संशोधन) नियम, 1979, भारतीय डाक और तार विभाग की दूरसंचार शाखा के वर्ष 1976-77 के लाभ और हानि लेखे तथा तुलन-पत्र और भारतीय टेलिफोन उद्योग लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रतियां ।

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय तार (चौथा संशोधन) नियम, 1979 जो दिनांक 21 मार्च, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 495 में प्रकाशित हुये थे ।

(दो) भारतीय तार (सातवां संशोधन) नियम, 1979 जो दिनांक 15 दिसम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1508 में प्रकाशित हुये थे ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०-517/80]

(2) भारतीय डाक और तार विभाग की दूरसंचार शाखा के वर्ष 1976-77 के लाभ और हानि लेखे तथा तुलन-पत्र (वास्तविक आधार पर) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-518/80]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (†हिन्दी संस्करण) की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-519/80]

†प्रतिवेदन का अंग्रेजी संस्करण 28 जनवरी, 1980 को सभा पटल पर रखा गया था ।

राज्यपाल द्वारा जारी किए गए गुजरात सरकार के अध्यादेश

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : मैं श्री आर० वी० स्वामीनाथन की ओर से गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 17 फरवरी, 1980 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213(2)(क) के अन्तर्गत गुजरात सरकार के निम्नलिखित अध्यादेशों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(एक) बम्बई काश्तकारी तथा कृषि भूमि (गुजरात संशोधन) अध्यादेश, 1979 (1979 का संख्या 7) जो राज्यपाल द्वारा 27 दिसम्बर, 1979 को प्रख्यापित किया गया था।

(दो) बम्बई इनाम (कच्छ क्षेत्र) उत्पादन (गुजरात संशोधन) अध्यादेश, 1979 (1979 का संख्या 8) जो राज्यपाल द्वारा 27 दिसम्बर, 1979 को प्रख्यापित किया गया था।

(तीन) गुजरात पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 1980 (1980 का संख्या 1) जो राज्यपाल द्वारा 21 जनवरी, 1980 को प्रख्यापित किया गया था।

(चार) बम्बई भूमि राजस्व (गुजरात संशोधन) अध्यादेश, 1980 (1980 का संख्या 2) जो राज्यपाल द्वारा 19 जनवरी, 1980 को प्रख्यापित किया गया था।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 520/80]

अध्यक्ष महोदय : अब, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : मैं कृषि मंत्री का ध्यान दिलाता हूं ..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : विरोधी पक्ष को गडबड़ नहीं करनी चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री बापू साहिब परुलेकर (रत्नगिरी) : स्थगन प्रस्ताव और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कुछ भी हो, क्या आप ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की स्वीकृति दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति दे दी है। गृह मंत्री वक्तव्य देने वाले हैं।

श्री बापू साहिब परुलेकर : क्या आप इसे ग्रहण कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : मैंने स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव अभी चर्चाधीन है। गृह मंत्री वक्तव्य देने वाले हैं। मैंने नियम 377 के अधीन भी इसकी स्वीकृति दी है।

श्री बापू साहिब परुलेकर : इसके विरोध में मैं सभा-भवन से बाहर जा रहा हूं।

(तत्पश्चात् श्री बापू साहिब परुलेकर सभा-भवन से बाहर चले गए)।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री लकप्पा।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

देश के विभिन्न भागों में सूखे की स्थिति

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : मैं कृषि मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में एक वक्तव्य दें :

"देश के विभिन्न भागों में विद्यमान सूखे की स्थिति।"

कृषि मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव): सरकार को देश में चल रही सूखे की स्थिति तथा इसके फलस्वरूप ग्रामीण समुदाय को हुई तकलीफों के बारे में गहरी चिन्ता है।

वर्ष 1979 के दौरान पश्चिम बंगाल और उत्तर-पूर्वी राज्यों में खरीफ से पहले अपर्याप्त वर्षा हुई थी। पटसन तथा धान की अगेती फसलें पूर्णतः इसी वर्षा पर निर्भर करती हैं। दक्षिण-पश्चिमी मानसून अनियमित और अत्यंत अपर्याप्त रहा। मानसून एक पखवाड़े से भी अधिक विलम्ब से शुरू हुआ और अगस्त, 1979 के अंत तक 4 से 9 सप्ताह तक लगातार सूखे की स्थिति बनी रही। 16 राज्यों में अपर्याप्त वर्षा हुई थी, किंतु 11 राज्य अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल विशेष रूप से प्रभावित हुए थे। इन 11 राज्यों में 97 जिलों के अत्यंत गम्भीर रूप से प्रभावित होने की सूचना मिली है। राज्यों से उपलब्ध सूचना के अनुसार खरीफ के दौरान सूखे से लगभग 2200 लाख व्यक्ति, 1230 लाख पशु और 380 लाख हैक्टर से भी अधिक बोया गया क्षेत्र प्रभावित हुआ है। राज्य सरकारों के अनुरोध पर केन्द्रीय दलों ने सूखे की स्थिति का मौके पर जायजा लेने के लिए सभी प्रभावित राज्यों का दौरा किया। केन्द्रीय दलों की रिपोर्टों तथा राहत संबंधी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने निम्नलिखित राज्यों को केन्द्रीय सहायता के प्रयोजन हेतु कुल 156.95 करोड़ रु० के खर्च की अधिकतम सीमा संबंधी स्वीकृति प्रदान की है :—

आंध्र प्रदेश	(22.05 करोड़ रु०)
बिहार	(11.82 करोड़ रु०)
हरियाणा	(4.50 करोड़ रु०)
हिमाचल प्रदेश	(3.70 करोड़ रु०)
मध्य प्रदेश	(22.80 करोड़ रु०)
महाराष्ट्र	(8.54 करोड़ रु०)
उड़ीसा	(14.05 करोड़ रु०)
राजस्थान	(18.75 करोड़ रु०)
जम्मू तथा कश्मीर	(2.79 करोड़ रु०)
उत्तर प्रदेश	(34.91 करोड़ रु०)
पश्चिम बंगाल	(13.04 करोड़ रु०)

संबंधित राज्यों से सम्बद्ध रिपोर्टें प्राप्त होने पर राज्य सरकारों को अधिकतम सीमा के अंतर्गत रकम दी जाती है। तथापि, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य

सरकारों द्वारा किए जाने वाले राहत संबंधी कार्य धनराशि की कमी के कारण किसी प्रकार से प्रभावित न होने पायें, हमने जरूरत पड़ने पर साधनोपाय पेशगियां भी दी हैं।

बजट प्रावधान को बढ़ाकर और खरीफ के ऋणों के संबंध में वसूली को रोकने की अनुमति देकर सूखे से प्रभावित 11 राज्यों को 76.50 करोड़ रु० का अल्पकालीन ऋण दिया गया है, ताकि सूखे से प्रभावित राज्यों के किसान रबी की अच्छी फसल पैदा करके खरीफ मौसम के दौरान हुए नुकसान का कुछ भाग पूरा कर सकें।

सूखे से प्रभावित 11 राज्यों को काम के बदले अनाज के सामान्य कार्यक्रम के तहत 12.51 लाख मीटरी टन खाद्यान्न का नियतन किया गया है। संबंधित राज्यों के केवल सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के लिए काम के बदले अनाज का एक विशेष कार्यक्रम भी शुरू किया गया है, जो खासतौर पर स्थानीय मजदूरों के उपयोगी रोजगार के जरिए स्थायी सामुदायिक परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अतिरिक्त निर्माण-कार्य शुरू करने के लिए बनाया गया है। इन राज्यों को 11.55 लाख मीटरी टन खाद्यान्न का नियतन किया जा चुका है। सूखे से प्रभावित कुछ प्रमुख राज्यों को अभी हाल ही में 1.20 लाख मीटरी टन खाद्यान्न का और नियतन किया गया है, ताकि वे अपनी आकस्मिक आवश्यकतायें पूरी कर सकें।

समाज कल्याण मंत्रालय ने 1 लाख मीटरी टन खाद्यान्न से पोषाहार के लिए खाद्य कार्यक्रम शुरू किया है, जिससे छोटे शिशुओं, गर्भवती महिलाओं तथा दूध पिलाने वाली माताओं, वृद्ध और दुर्बल तथा शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों आदि जनसंख्या के दुर्बल वर्गों से संबंध रखने वाले 67 लाख व्यक्तियों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाया जा सके। राज्य सरकारों से आशा की जाती है कि वे अखाद्य मदों के लिए समान धनराशि प्रदान करेंगी और लाभानुभोगियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करेंगी। उपलब्ध रिपोर्टों से ऐसे संकेत मिलते हैं कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल ने इस कार्यक्रम को शुरू कर दिया है। अन्य राज्य सरकारों ने भी अपनी मशीनरी तेज कर दी है तथा इस कार्यक्रम में दिलचस्पी दिखाई है।

सूखे से प्रभावित किसानों को दी जाने वाली अन्य रियायतों में निम्नलिखित शामिल हैं—सूखे से प्रभावित उन सभी क्षेत्रों में जहां फसलों को 50 प्रतिशत से अधिक क्षति पहुंची है, लघु तथा सीमांत कृषकों को नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों समेत कृषि आदानों के लिए राज सहायता देना, इन क्षेत्रों में लघु तथा सीमान्त कृषकों को खरीफ के ऋण पर ब्याज की छूट देना, पशु-आहार के निर्यात पर रोक लगाना तथा तिलहनों की एक्सपेलर वाली खली, चावल की तेल रहित भूसी और मिश्रित पशु तथा कुक्कुट आहार के निर्यात को बन्द करना।

जबसे वर्तमान सरकार ने कार्यभार ग्रहण किया है, हमने इस बात को सुनिश्चित करने पर मुख्य बल दिया है कि राज्य सरकारें राहत कार्यों में ढील न दें और उन्हीं लोगों को राहत मिले, जिनको इसकी जरूरत है। राज्य सरकारों को निर्देश दिये गये हैं कि वे लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए ठोस ढंग से राहत उपाय करें और सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में मिट्टी के तेल तथा डीजल आदि आवश्यक वस्तुओं के वितरण में असन्तुलित प्राथमिकताओं को समाप्त करें। रबी के मौसम के दौरान कृषकों के लिए डीजल एक आवश्यक आदान है, अतः पेट्रोलियम मंत्रालय ने भारी कठिनाइयों के बावजूद पिछले कोटे

के अलावा डीजल का अतिरिक्त आवंटन किया है और अतिरिक्त आवंटन का काफी भाग सूखे से प्रभावित राज्यों को दिया गया है। मैंने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे कम से कम 50 प्रतिशत डीजल, रबी के मौसम के दौरान एक या दो महत्वपूर्ण सिंचाई करने के लिए निर्धारित करें और उसे अवश्य ही कृषकों को उपलब्ध करें। हाल ही में सूखे से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के पश्चात्, मैंने पेट्रोलियम मंत्रालय को खुदरा स्तर पर वितरण की प्रणाली में डीजल को टैंकरों के जरिए काफी मात्रा में बेचने की बजाय बेरेलों के जरिए सप्लाई करने, ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण के केन्द्रों की संख्या बढ़ाने और सहकारी समितियों की प्राथमिकता के आधार पर आवंटन करने के विषय में कुछ परिवर्तन करने का सुझाव भी दिया है।

हमने राज्य सरकारों को यह भी सलाह दी है कि वे आवश्यकता पड़ने पर "आर्क-भट्टियों", रोलिंग मिलों, आदि बिजली की अधिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं की मात्रा में कमी करके ग्रामीण क्षेत्रों को कम से कम 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक बिजली उपलब्ध करें। कोयला विभाग और रेल मंत्रालय, विशेषकर उत्तरी क्षेत्र में थरमल पावर स्टेशनों को कोयले की सप्लाई बढ़ाने के लिए उपाय कर रहे हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुगमता से कार्य करे और भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य के डिपुओं और उप-डिपुओं में खाद्यान्न निरन्तर रूप से उपलब्ध हो, खाद्य विभाग में विशेषकर सूखे से प्रभावित राज्यों में खाद्यान्नों के संचलन की देख-रेख करने के लिए एक कृतक दल की स्थापना की गई है। डीजल, मिट्टी के तेल व पेयजल की उपलब्धि करने, रोजगार प्रदान करने वाली योजनाओं का क्रियान्वयन करने, दाने चारे आदि की सप्लाई की व्यवस्था करने व सूखा राहत कार्यों के विभिन्न पहलुओं का प्रबोधन करने, उनका समन्वय करने तथा उन्हें कारगर बनाने के लिए कृषि मंत्रालय में एक अन्य अन्तर्विभागीय कृतक दल भी कार्य कर रहा है।

मैंने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे केन्द्रीय भूमिगत जल मण्डल के सफल समन्वेषी नलकूपों को अपने अधिकार में ले लें और उनके नियोजित उपयोग, उचित रख-रखाव और 'मल्टी शिफ्त अपरेशनों' के माध्यम से सभी उपलब्ध रिगों का भरपूर उपयोग करें। भारत सरकार ने केन्द्रीय भूमिगत जल मंडल, यूनिसेफ और अप्रभावित राज्यों में उपलब्ध फालतू रिगें प्राप्त करके सूखे से प्रभावित राज्यों को 33 रिग आवंटित की हैं। पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के जरिए उन अतिरिक्त रिगों को प्राप्त करने के लिए भी कार्यवाही की जा रही है जिसके लिए राज्य सरकारों द्वारा आर्डर दिए गए हैं। आशा है कि इनमें से 60 रिगें मई, 1980 तक कार्य की स्थिति में हो जायेंगी।

हम अपनी पशु सम्पदा की सुरक्षा की आवश्यकता के बारे में भी पूरी तरह से जागरूक हैं। राज्य सरकारों को पशु आहार के साथ सीरा तथा यूरिया के प्रयोग को प्रोत्साहन देने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त भारतीय खाद्य निगम को निर्देश दिया गया है कि वह क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों को पशु-आहार के रूप में प्रयोग करने के लिए उचित मूल्यों पर राज्य सरकारों को दें। राज्य सरकारों को यह सलाह भी दी गई है कि वे पशुओं के लिए जल उपलब्ध करने के लिए हर सम्भव सहायता और रियायत दें।

यद्यपि, सूखे के कारण उत्पादन में हुई हानि के बारे में अभी ठीक-ठीक अनुमान उपलब्ध नहीं हुए हैं, लेकिन अनुमान लगाया गया है कि उत्पादन में पिछले वर्ष के स्तर से लगभग 120 लाख मीटरी टन की कमी होगी। तथापि, हाल ही में हुई वर्षा और अपेक्षित रूप से लम्बी अवधि तक ठंडा पड़ने के कारण रबी की फसलों के आसार अच्छे हो गये हैं। डीजल तथा बिजली के उचित उपयोग, जल प्रबन्ध की विवेकपूर्ण प्रणालियों और कृमि नियंत्रण के कुशल कार्यों के जरिए रबी की अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए संगठित प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे पास महत्वपूर्ण क्षेत्रों में खाद्यान्नों का काफी बफर स्टाक मौजूद है और हम स्थिति का मुकाबला करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। इसके अलावा भारतीय कृषकों का बुद्धि-कौशल और धैर्य काफी महत्वपूर्ण है। हमें विश्वास है कि हम राहत कार्यों को क्रियान्वित करने वाली एजेंसियों अर्थात् राज्य सरकारों के सहयोग से स्थिति का मुकाबला कर सकेंगे।

श्री के० लकप्पा : अध्यक्ष महोदय, कृषि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है जो कि बहुत हद तक मानसून पर निर्भर करती है—और मानसून का कोई भरोसा नहीं होता है। क्योंकि आपको कृषक होने का एक लम्बा अनुभव है, मुझे आशा है कि आप इस बात को समझेंगे और इस संबंध में बहुत सी बातें कहने के लिये मुझे पर्याप्त अवसर देंगे। यह एक अत्यन्त गंभीर मामला है क्योंकि पिछले 32 वर्षों से हम ऐसी स्थिति में रह रहे हैं जहां अकाल, सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपदाओं के कारण भारी समस्यायें पैदा होती रही हैं। हमारा देश बहुत विशाल है और जैसा कि मैंने पहले कहा कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। यह अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है कि हम स्वयं को इस स्थिति में पाते हैं। मुझे मंत्री महोदय पर यह देख कर दया आती है कि उन्होंने काफी समय लेकर भी वही घिसे पिटे ढर्रे का वक्तव्य पढ़ा है। मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि उनके वक्तव्य के पृष्ठ 5, पैरा-13 में मंत्री महोदय ने कहा है कि: "यद्यपि, सूखे के कारण उत्पादन में हुई हानि के बारे में अभी तक ठीक ठीक अनुमान उपलब्ध नहीं हुए हैं.....।" यह देखकर बड़ी निराशा होती है कि जनवरी में भी मंत्री महोदय ने ऐसा ही एक वक्तव्य दिया था। समस्या की गहनता के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा था कि 22 करोड़ लोगों, 12 करोड़ 30 लाख पशुओं तथा 3 करोड़ 80 लाख एकड़ भूमि में खड़ी फसल पर बुरा प्रभाव पड़ा था। मैं तथ्य जानना चाहूंगा, बहुत से राज्य निरन्तर सूखे से ग्रस्त होते हैं और यहां तक कि दक्षिणी राज्यों के भी विभिन्न भागों पर सूखे का कुप्रभाव पड़ता है। उदाहरणार्थ, रोमलसीमा तथा कर्नाटक के आठ-नौ जिलों पर सूखे का बुरा प्रभाव पड़ा है तथा दक्षिणी राज्यों के अन्य विभिन्न भाग भी सूखाग्रस्त हुए हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये एक व्यापक कार्यक्रम बनाया जाना चाहिये। मंत्री महोदय के वक्तव्य में कहीं भी विशिष्ट रूप से ऐसा कोई उल्लेख नहीं दिया गया है। मैं इसका भी जिक्र करना चाहूंगा कि मंत्री महोदय ने मध्य प्रदेश के कतिपय क्षेत्रों में क्या अन्य स्थानों पर इस समस्या के बारे में क्या कुछ कहा है जहां सूखे का प्रभाव पड़ा है और जहां राहत उपाय किये जा रहे हैं। ये राहत-कार्य किस प्रकार अत्योक्ति किये जा रहे हैं, इसका पता आपको इस लेख से लगेगा जो आज के टाइम्स ऑफ इण्डिया में प्रकाशित हुआ है, जो अब मैं यहां उद्धृत करता हूं:

> "बताया जाता है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा सप्लाई किये गये खाद्यान्न न केवल अत्यन्त अपर्याप्त हैं बल्कि बहुत ही घटिया किस्म के हैं। बिलासपुर जिले में

अकलतारा के निकट एक गांव में, बताया जाता है कि, एक श्रमिक भारतीय खाद्य निगम द्वारा सप्लाई किया गया चावल खाते ही मर गया जबकि बहुत से अन्य लोग बीमार हो गए।"

इसकी सूचना बहुत से स्थानीय नेताओं ने भी दी है। छतीसगढ़ में चावल-घोटाला हुआ है। ऐसी स्थिति का सामना करने के लिये राहत कार्य पर्याप्त तथा सुसंयोजित होना चाहिये। परन्तु गत 32 वर्षों के दौरान ऐसी कोई नीति तैयार नहीं की गई है सिवाय इसके कि जब कभी भी कोई क्षेत्र सूखे का शिकार होता है और लोग अभ्यावेदन करते हैं, तब योजना आयोग तथा केन्द्र सरकार केन्द्र में एक घिसे पिटे ढर्रे वाली एक टीम भेज देते हैं और उस दल के सदस्य उस क्षेत्र की नौकरशाह एजेन्सियों से सूचना एकत्रित करते हैं और वे निकट सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति को कभी नहीं देखते हैं। इतने वर्षों से मेरा यही अनुभव रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछने की बजाय भाषण कर रहे हैं।

श्री के० लकप्पा : यह एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है और इसलिये आप मुझे कुछ और समय दीजिये। वस्तुतः यही हालत चल रही है। मंत्री महोदय को किसानों तथा कृषकों की दशा के बारे में बहुत कुछ मालूम है। कल ही में मैंने उनके सूखा क्षेत्र का दौरा किया था और वहां देखा कि पशुओं का चारा भी ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है।

श्री हरि नाथ मिश्र (दरभंगा) : मैं व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा होता हूं। एक अनुपूरक प्रश्न के संदर्भ में एक ही मुद्दे पर बात कही जाती है क्या उसी पर जोर डाला जाता है। यही प्रक्रिया रही है मैं तो यहां एक नियमित भाषण सुनता रहा हूं। क्या आप इसकी अनुमति देंगे।

अध्यक्ष महोदय : लकप्पा जी आपका अब प्रश्न क्या है।

श्री के० लकप्पा : मेरे माननीय मित्र ने एक आपत्ति उठाई है। यह एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, यह एक गंभीर मामला है। वर्ष 1973 में भी इस मामले में मीना समिति का प्रतिवेदन था। मैं कहना चाहूंगा कि ....

अध्यक्ष महोदय : आप पूछना क्या चाहते हैं, वह कहिये। आप सीधा प्रश्न पूछिये।

श्री के० लकप्पा : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या उपलब्ध प्रतिवेदनों और देश में बनाई गई विभिन्न एजेन्सियों —एक राष्ट्रीय जल-ग्रिड भी बनाया गया है—से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर, इस स्थिति पर स्थायी रूप से काबू पाने के लिये कोई समेकित कार्यक्रम तैयार किया गया है। हमारा लम्बा अनुभव है हमारे पास काफी संसाधन उपलब्ध हैं। नदियां हैं, नदियों में पानी बह रहा है। परन्तु कोई समेकित कार्यक्रम नहीं है ...

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री के० लकप्पा : यह एक अत्यन्त गंभीर मामला है। कृपया मुझे अनुमान दें।

अध्यक्ष महोदय : आप जरूरत से ज्यादा गंभीर हैं। आप उत्तर दीजिये कि क्या कोई स्थायी हल है अथवा नहीं।

श्री के० लकप्पा : मैं पूछ रहा था कि क्या इसका स्थायी हल ढूंढने के लिये कोई समेकित कार्यक्रम बनाया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : आप फिर वही बात दोहरा रहे हैं। कृपया बैठ जाइये। अपना प्रश्न पूछ लिया है।

श्री के० लकप्पा : आप बीच में क्यों आ रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : पुनरावृत्ति मत कीजिये। इसीलिये सभा ने मुझे यहां बिठाया है। आप यह बात कितनी बार जानना चाहेंगे ?

श्री के० लकप्पा : क्या देश में इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये कोई स्थायी योजना है। क्या आपके पास इस स्थिति से निपटने के लिये कोई समेकित योजना है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप दक्षिण अथवा उत्तर की नदियों जिनमें गंगा-कावेरी सम्पर्क भी शामिल हैं और पश्चिम से पूर्व की नदियां भी हैं। उनको नियंत्रत करने जा रहे हैं ताकि पानी का उचित वितरण हो सके, और यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस देश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को भी हरित क्षेत्रों में परिवर्तित किया जा सके ? सूखे की इस विपत्ति से निपटने के लिये क्या दीर्घकालिक योजना है ? कौनसी समेकित ग्रामीण विकास योजना तैयार की गई है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या उनके पास इस स्थिति से स्थायी रूप से हल करने के लिये क्या संसाधन उपलब्ध हैं। और वह क्या अल्पकालिक उपाय करने जा रहे हैं जिसमें कि देश भर में, जिसमें दक्षिणी राज्य भी शामिल हैं, इस स्थिति पर काबू पाया जा सके। मंत्री महोदय इन सभी मुद्दे का स्पष्ट रूप से जवाब दें।

अध्यक्ष महोदय : केवल एक प्रश्न और एक मुद्दा।

श्री के० लकप्पा : हम भी संसद् सदस्य हैं :—

अध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम है।

श्री के० लकप्पा : मंत्री महोदय को सभी प्रश्न के उत्तर देना होगा। सभी प्रश्न संगत हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : मैं आज सुबह पहले ही बता चुका हूं कि अगले वर्ष देश में सिंचित क्षेत्र में काफी वृद्धि करने जा रहे हैं। माननीय सदस्य को मालूम होगा कि सिंचाई के मामले में भारत विश्व भर में सबसे आगे है। भारत में सिंचित क्षेत्र शेष विश्व के 50 प्रतिशत भाग की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत है। अगले दस वर्षों में हम अपने सिंचित क्षेत्र को 550 लाख हैक्टेयर से बढ़ाकर 1130 लाख हैक्टेयर करने जा रहे हैं जो कि कुल काश्त की गई भूमि का 70 से 75 प्रतिशत तक होगा।

सिंचाई क्षमता को बढ़ाने के बारे में संसद् सदस्यों को सरकार के कार्यक्रमों तथा मन्शाओं पर कोई चिन्ता करने की जरूरत नहीं है।

उन्होंने इसका जिक्र किया है कि कितने मूल्य की क्षति हुई है इसकी जानकारी नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, प्राकृतिक विपदाओं से हुई क्षति का मूल्य आंकना बहुत मुश्किल

होता है। राज्य सरकारें कभी कभी क्षति की अतिशपोक्तिपूर्ण जानकारी दे देती हैं। केन्द्रीय दल, जो राज्यों का दौरा करते हैं अपना प्राकल्लन लगाते हैं और इसीलिए मैं कोई सही आंकड़े देकर किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता।

प्रो० एन० जी० रंगा: कम से कम केन्द्रीय दल के आंकड़े तो मिल जाने चाहिए।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव: मेरे मित्र श्री लकप्पा ने टाइम्स आफ इण्डिया के समाचार का जिक्र किया है कि एक गांव में भुखमरी की स्थिति थी—

श्री के० लकप्पा: मैंने कहा था कि सप्लाई किये गये चावल के कारण मृत्यु हुई।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव: जी हां। तथ्य ये हैं कि जो व्यक्ति मरा उसका नाम पंचनदास था और इसकी आयु 45 वर्ष थी। 3 मार्च, 1980 को उसकी मृत्यु हुई और जिस चावल को खाकर उसकी मृत्यु हुई बताई गई है वह तो 5 या 6 मार्च को उस क्षेत्र में सप्लाई किया गया था। मौत तो उल्टियां और दस्त आने से हुई थी और यह नहीं कहा जा सकता मौत राहत कार्य के लिए सप्लाई किये गये चावल के कारण हुई थी।

श्री लकप्पा को मैं एक तथ्य यह बताना चाहता हूं कि वह व्यक्ति कार्य के लिये भोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी भी राहत कार्य में नियुक्त नहीं था।

प्रो० एन० जी० रंगा: ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ लोगों को घास खाकर जिन्दा रहना पड़ा।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव: यह भी सच नहीं है। कुछ लोगों में सेला चावल सप्लाई किया जा रहा है किन्तु हमें उस बात का पूरा विश्वास है कि जो चावल वहां सप्लाई किया जा रहा है वह बिल्कुल ठीक है। इसकी समय-समय पर हमारी प्रयोगशालाओं में परीक्षा की जाती है। मध्य प्रदेश में हमारे पास स्टाक में लगभग चार लाख टन सेला चावल है तथा मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि राहत कार्य के लिये व्यक्तियों को सेला चावल उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि इसे पकाने में कम समय लगता है तथा ईंधन की बचत होती है···

प्रो० एन० जी० रंगा: और यह अधिक स्वास्थ्यकर है।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव: सम्भव है यह अधिक स्वास्थ्यकर हो जैसाकि यह कहते हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा: यह अधिक पौष्टिक तथा स्वास्थ्य वर्धक है इसी कारण केरल के लोग शक्तिशाली है।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव: जो प्रश्न पूछा गया है उसके उत्तर में अब कुछ कहने को नहीं रहता।

श्री के० लकप्पा: मैंने दीर्घा वधि कार्यक्रम के रूप में नदियों की धारा नियंत्रित करने के बारे में प्रश्न किया था।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने सिंचाई क्षमता के बारे में उत्तर दे दिया है (व्यवधान)

श्री चिन्तामणि पाणिगही (व्यवधान) श्री लकप्पा आप कृपया अब बैठ जाइये (व्यवधान)

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि उड़ीसा के लगभग 3500 ग्राम पंचायतों में से 2319 से अधिक ग्राम पंचायतों पर सूखा का गम्भीर प्रभाव पड़ा है। किन्तु फसल काटने संबंधी अंतिम सर्वेक्षण अभी राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है। सरकार को अंतिम फसल सर्वेक्षण मिलने तक हो सकता है उड़ीसा में लगभग 3000 ग्राम पंचायतो पर सूखा का गम्भीर प्रभाव पड़ जाये। लगभग सभी सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पेय जल का अभाव है। अतः क्या मंत्री महोदय शीघ्र ही 20000 नलकूपों की मंजूरी देंगे क्योंकि आज उड़ीसा में पेय जल की समस्या मुख्य समस्या हो गई है। क्या मंत्री महोदय इन 20,000 नलकूपों की मंजूरी मार्च से अप्रैल तक दे देंगे जिससे लोगों की पेय जल संबंधी निम्नतम आवश्यकता पूरी हो सके?

उड़ीसा में रिंग उपलब्ध नहीं है। क्या भारत सरकार उड़ीसा को शीघ्र रिंग अलाट करेगी जिससे कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों में तुरन्त नलकूप खोदे जा सकें ?

जनवरी और फरवरी में उड़ीसा के लिये जो खाद्यान्न आवंटित किया गया था वह उन्हें अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। आज 18 मार्च, 1980 है तथा खाद्यान्न अभी तक उड़ीसा के लिये नहीं भेजा गया। व्यवधान कहां है? खाद्यान्न उड़ीसा क्यों नहीं पहुंचा?

इन सूखाग्रस्त क्षेत्रों में ऋण की वसूली की जा रही है। मैं केन्द्रीय मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि वह राज्य सरकार को यह आदेश दे कि अबकी फसल तक ऋण की वसूली स्थगित कर दी जाये। यदि संभव हो तो उन लोगों को ऋण की अदायगी से पूरी तरह मुक्त कर दिया जाये।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि 14 करोड़ रुपयों में से जिनका मंत्री महोदय ने उल्लेख किया है उड़ीसा को अब तक वास्तव में कितनी धनराशि दे दी गई है। मैं मंत्री महोदय से यह भी अनुरोध करता हूं कि उड़ीसा में सूखा की बढ़ती हुई स्थिति तथा बढ़ती हुई कठिनाइयों को ध्यान में रखकर इस राशि को 14 करोड़ रुपयों से बढ़ाकर कम से कम 25 करोड़ रुपये कर दिया जाये। जिससे सूखाग्रस्त क्षेत्रों की जनता को सूखा राहत कार्य का लाभ मिल सके (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सत्र समाप्त होने पर आप कृपया उड़ीसा का दौरा करें तथा वहां की हालत देखें (व्यवधान) क्या मंत्री महोदय राहत अनुदान के बारे में राज्य सरकार को यह आदेश देंगे कि राज्य सरकार ऐसे वृद्ध, कमजोर और अक्षम व्यक्तियों के लिये कम से कम 30 लाख राहत कार्य जारी करें जो काम नहीं कर सकते?

सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर लोग भाग रहे हैं क्योंकि उनके लिये वहां कोई काम नहीं है। क्या मंत्री महोदय उस बात को ध्यान में रखेंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सभी प्रकार के राहत कार्य आरम्भ करेंगे जिसे लोग वहां से न भागें? मंत्री महोदय का विचार सूखाग्रस्त क्षेत्रों में मध्यम वर्ग के लोगों को क्या कार्य देने का है तथा उनको क्या राहत देने का है?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव: प्रत्येक सूखाग्रस्त राज्य को दी गई केन्द्रीय सहायता, मंजूर की गई धनराशि के बारे में आंकड़े दे दिये हैं। उड़ीसा को केन्द्रीय सरकार 14.05 करोड़ रुपयों की राशि मंजूर की है।

माननीय सदस्य ने यह कहा है कि नलकूपों की खुदाई के लिये उड़ीसा में पर्याप्त संख्या में रिंग उपलब्ध नहीं है। उड़ीसा में 98 रिंग इस समय कार्य कर रहे हैं तथा यह संख्या अन्य सूखाग्रस्त राज्यों में उपलब्ध रिंगों की संख्या से अधिक है। मैंने अपने मुख्य भाषण में यह कहा है कि हम जी० डी० एस० डी० के माध्यम से 60 और रिंग प्राप्त कर रहे हैं तथा उड़ीसा को भी उचित संख्या में रिंग उपलब्ध कराये जायेंगे। नलकूपों के बारे में राज्य सरकार उत्तरदायी है। हम केवल सहायता उपलब्ध कराते हैं। तथा इस संकट को दूर करने के लिये हम दीर्घावधि आधार पर राज्य सरकारों के माध्यम से हम सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहे हैं। उड़ीसा में भी इस कार्यक्रम को आरम्भ किया जा रहा है।

हम वर्तमान स्थिति में राहत प्रदान करने वाली सभी योजनाओं की प्रगति का जायजा ले रहे हैं तथा यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि भविष्य में इतनी गंभीर रूप में विपत्ति न आये। कुछ मंत्रीगण भी राज्यों का दौरा कर रहे हैं। स्वयं प्रधान मंत्री भी सूखाग्रस्त राज्यों का दौरा कर रही हैं। पिछले दिन वह राजस्थान से लौटी हैं। उससे पूर्व उन्होंने उत्तर प्रदेश का दौरा किया तथा वह जल्दी में ही मध्य प्रदेश का दौरा करने जा रही हैं संभव है अन्य राज्यों का दौरा करने के लिये भी उन्हें समय मिल सके उड़ीसा की देखभाल मेरे सहयोगी श्री जे० बी० पटनायक द्वारा की जा रही है। आज प्रातः काल भी वह उड़ीसा की समस्याओं पर विचार-विमर्श कर रहे थे। हम इन सभी राज्यों में खाद्यान्नों को लाने-ले जाने की स्थिति में सुधार करने का यत्न कर रहे हैं तथा उड़ीसा की ओर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उस बारे में कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। भावी महीनों में खाद्यान्न उपलब्ध होगा तथा वर्षा आने से पूर्व खाद्यान्न का पर्याप्त भण्डार होगा।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : क्या राजस्थान के 33305 गांवों में से 31056 गांव अकाल से प्रभावित हैं? क्या यह सही है कि 2 करोड़ 40 लाख जनता वहां अकाल से प्रभावित है? क्या यह सही है कि राजस्थान में 4 करोड़ 10 लाख जानवर भूखे हैं? क्या यह सही है कि चुरू के अंदर 1 रुपया किलो घास मिलती है? क्या यह सही है कि पानी के एक बड़े मटके के लिये डेढ़ रुपया वहां देना पड़ता है? क्या यह सही है कि राजस्थान के लिये फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बजट रखा है उसमें केवल 7 करोड़ रुपये का ही प्रावधान किया है जबकि वहां के राज्यपाल ने प्रधान मंत्री के वहां जाने पर यह कहा कि सौ करोड़ रुपये की जरूरत है? क्या यह सही है कि 1968–69 के अंदर राजस्थान में 17 लाख आदमी काम पर थे और आज जब राजस्थान में 2 करोड़ 40 लाख आदमी प्रभावित हैं तो इस समय केवल 6 लाख लोग ही काम पर लिये जायेंगे? क्या यह सही है कि आज वहां कम से कम 30 लाख आदमियों को रोजगार की जरूरत है और उसके लिये एक रोज का 1 करोड़ 40 लाख रुपया चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर ने जो प्रोपोजल दिया है उसको वह पढ़ें और बाकी वह बजट पर मैं कहूंगा। क्या यह सही है कि राजस्थान में 3 किलो अनाज फूड फार वर्क के अन्तर्गत दिया जाता है और वह उस हालत में दिया जाता है जबकि आदमी 10/10, इतनी जमीन खोदेगा। अगर वह उतनी जमीन खोदने में असमर्थ होता है तो उसको एक किलो भी अनाज नहीं मिलता है। अगर राजस्थान की यह हालत रही तो दो लाख आदमी वहां और अन्धे हो जायेंगे, इसका पाप किसको लगेगा क्या यह बात सही है कि राजस्थान में आज बिजली नहीं है 100 प्रतिशत उसमें कटौती कर दी है। न वहां डीजल मिल रहा

है। कल बताया है राज्यपाल महोदय ने कि हमारे मंत्री श्री पी० सी० सेठी ने जो दस परसेंट ज्यादा डीजल और केरोसिन दिया था उसमें कट कर दी गई है। क्या यह बात सही है? कल श्रीमती इन्दिरा गांधी ने एक वहां अध्ययन दल भेजा है। मैं एक बात आप से कहना चाहता हूं—कि लेखापालों को कठिनाई में पड़े लोगों के भाग्य का विधाता न बनाया जाये। हमें संवेदनशील लोगों की आवश्यकता है। क्या माननीय कृषि मंत्री और माननीय अध्यक्ष महोदय जिनका राजस्थान से थोड़ा लगाव हो सकता है एक दफा राजस्थान की हालत देखने की कृपा करेंगे? 40 लाख फेमिलीज तो वहां से घर छोड़ कर चली गई हैं। उनकी हालत देखने वाला कोई है ये मेरे स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं। मैं पूछ रहा हूं राजस्थान में 60 करोड़ रुपया पानी के लिये दे रहे हैं लेकिन राजस्थान को 2 करोड़ रुपया उसमें भी नहीं मिला है। राजस्थान की हालत इस तरह इन्होंने विगाड़ी है। फाइनेंस मिनिस्टर ने 7 करोड़ रुपये की मांग स्वीकार की है जबकि राज्यपाल कह रहे हैं सौ करोड़ रुपया चाहिए। यह श्रीमती इन्दिरा गांधी जी का कल का बयान है, राज्यपाल महोदय यह बोल रहे हैं। तो यह क्या कांट्रैडिक्शन है? हमारे साथ यह खिलवाड़ हो रहा है। क्या मिनिमम चार्जेज वह कम कर देंगे? लैंड रेवेन्यू···

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

श्री मूल चन्द डागा : मैं यही कह रहा हूं कि क्या मिनिमम चार्जेज बिजली के जो हैं उनको वह कम करेंगे और कितना रुपया वहां के लिये उपलब्ध करेंगे? 6 लाख लोग काम में लगे हुए हैं, वहां 30 लाख लोगों को काम पर लगाने की क्या व्यवस्था करेंगे? यही बता दें। मैं बहुत एहसान मानूंगा?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : स्पीकर साहब, आनरेबल मेम्बर ने अपने अन्दाजे के मुताबिक जो नुकसान हुआ है वह बताया है।

मूल चन्द डागा : हमारा अन्दाजा नहीं है। आपकी फीगर्स हैं। इसे प्रमाणित करने के लिये मेरे पास लिखित प्रमाण है। कृपया मुझे इस प्रकार न बताएं। यह आपके विवरण से है। यदि आपके पास सरकारी आंकड़े हैं तो मैं प्रश्न क्यों करूंगा। आप मुझसे यह क्यों चाहते हैं कि मैं उनकी पुष्टि करूं?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : महोदय, हमारे अनुमान के अनुसार राजस्थान में प्रभावित जन-संख्या 2.40 करोड़ है। उन्हें काफी राहत दी गई है। यहां तक पेय जल के लिये यह व्यवस्था की गई है कि दूरन्दराज के क्षेत्रों में टैंकरों द्वारा पेय जल भेजा जाये। मैंने स्वयं राजस्थान का दौरा किया था और राज्य सरकार जो कुछ व्यवस्था कर रही है उसके बारे में मैंने चर्चा की थी।

जैसा मैंने बताया है, प्रधान मंत्री भी हाल ही में वहां से लोटी हैं। हमने चल रहे कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिये कृषि विभाग में निगरानी सैल बनाया है। माननीय सदस्य ने जानना चाहा कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत कितना दिया गया है। राजस्थान को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पहले ही लगभग 3 लाख मीटरी टन खाद्यान्न दिया जा चुका है। राजस्थान में प्रतिदिन लगभग 6.56 लाख लोगों को रोजगार दिया जाता है। राजस्थान ही एकमात्र राज्य है जहां केन्द्रीय सहायता वार्षिक योजना के 5 प्रतिशत से अधिक हो गई है।

जो कुछ किया जा सकता है वह किया जा रहा है परन्तु महोदय, आपको पता है कि इतने गंभीर सूखे के बाद किसानों के नुकसान का पूरा मुआवजा देना मानवीय ढंग से बिल्कुल संभव नहीं है]।

सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये जहां तक संभव होगा, हर संभव प्रयास करती रहेगी कि राहत दी जाय और किसानों का रबी की फसलों से और अच्छे उत्पादन द्वारा पुनर्वास किया जाये तथा अगली फसलों के लिये बुवाई में उनकी सहायता की जाये ताकि उनकी सब हानि पूरी हो सके।

श्री मूलचन्द डागा: महोदय, उनका उत्तर पूर्णतया परस्पर विरोधी है।

एक माननीय सदस्य: महोदय, श्री डागा के नाम का पुनः उल्लेख किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : उसे ठीक कर दिया गया है (व्यवधान) श्री डागा, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री अर्जन सेठी।

श्री मूल चन्द डागा : कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री सेठी।

श्री अर्जन सेठी (भद्रक): महोदय, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में प्रभावित लोगों को पेयजल पहुंचाने की मुख्य समस्या है। इस वाद-विवाद में जिन सभी माननीय सदस्यों ने भाग लिया है उन्होंने बताया है कि प्रभावित लोगों को पेयजल पहुंचाने की समस्या है।

मंत्री महोदय ने भी अपने उत्तर में बताया है कि उड़ीसा में 40 रिग चल रहे हैं परन्तु, मंत्री महोदय ने श्री पटनायक का उल्लेख किया है जो समस्या की देख-रेख कर रहे हैं। मैं उनका आभारी हूं परन्तु मैं माननीय मंत्री श्री जे० बी० पटनायक द्वारा दिये गये वक्तव्य की तरफ उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह कहते हैं कि श्री जे० बी० पटनायक ने पश्चिमी उड़ीसा के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल की भारी कमी पर अपनी चिंता प्रकट की है जहां आधुनिक रिंगों की एक बड़ी कमी है।

इस महीने की 9 तारीख को वक्तव्य दिया गया था। अतः मैं उनसे यह जानना चाहुंगा कि इस बीच उड़ीसा को कितने रिंग जारी किये गये हैं ताकि वहां पेयजल पहुंचाने की समस्या में सुधार हो। इसके अतिरिक्त, मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में यह उल्लेख किया है कि देश के भिन्न-भिन्न प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न की पर्याप्त सप्लाई पूरी करने में भारतीय खाद्य निगम देखरेख कर रहा है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा में भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी अत्यधिक उदासीन ह; वे अधिक डिपो खोलने की ओर कभी ध्यान नहीं देते ताकि प्रभावित लोगों को खाद्यान्न मिल सके।

मैं इस मुद्दे पर मंत्री महोदय से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : मैं पहले ही बता चुका हूं कि उन राज्यों को अधिक रिग सप्लाई करने, जहां इनकी आवश्यकता है, के लिये क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं। पेपगल की सप्लाई एक ऐसा कार्यक्रम है जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। हम पहले ही

आश्वासन दे चुके हैं कि आगामी दस वर्षों के भीतर ऐसे प्रत्येक गांव में पेयजल सप्लाई किया जायेगा जहां पेयजल का कोई साधन नहीं है और अगले पांच वर्षों में हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उन सभी स्थानों में जहां पानी बिल्कुल पीने लायक नहीं है और जहां पानी दूर-दराज के स्थानों से लाना पड़ता है वहां पर्याप्त जल सप्लाई की व्यवस्था की जाये।

एक माननीय सदस्य : रिगों का क्या हुआ ? 48 रिग पहले से चल रहे हैं। 60 और रिगों को प्राप्त करने की हम शीघ्र ही आशा करते हैं। उनमें से कुछ उड़ीसा को दिये जाएगे परन्तु समूचे देश की देखभाल करनी होती है तथा हम सभी रिग एक राज्य को नहीं दे सकते हैं।

श्री अर्जन सेठी : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप सभी रिग उड़ीसा को दें। मैं यह पूछ रहा हूं कि तथ्य क्या है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : इस समय सबसे ज्यादा रिग उड़ीसा और बिहार में चल रहे हैं। ऐसा इसीलिये है कि उनकी आवश्यकता भी सबसे ज्यादा है। राजस्थान भी बुरी तरह प्रभावित है। दूर-दराज के कुछ क्षेत्रों की देखभाल करने की आवश्यकता है और हम यह देखेंगे कि पेयजल सप्लाई करने के लिये सभी संभव कदम उठाए जायें। हम राज्यों में दूर-दराज के क्षेत्रों में भंडारण की अधिक क्षमतायें बनाने की भी योजनायें बना रहे हैं ताकि भारतीय खाद्य निगम वितरण कार्य की श्रेष्ठतर देखभाल कर सके। राज्यों के परामर्श से अधिक केन्द्रों के बारे में भी निर्णय किया जा रहा है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि न केवल बड़े शहरों में स्थित कमांड क्षेत्रों में खाद्यान्न के स्टाक का भंडारण किया जाये अपितु दूर-दराज के कुछ क्षेत्रों में भी भंडारण किया जाये ताकि संकट के समय जरूरत वाले स्थानों पर खाद्यान्न की ढुलाई में कोई कठिनाई न हो।

बलात्कार कानून में अपेक्षित परिवर्तनों के बारे में याचिका

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती गीता मुखर्जी—याचिका प्रस्तुत की जाये।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं बलात्कार विधि में अपेक्षित परिवर्तनों के बारे में श्रीमती लता मणि तथा अन्य द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करती हूं ।

प्रो० एन० जी० रंगा : (गुंटूर) : सब तीनों महिलाएं क्यों खड़ी हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अब गह मंत्री इन पर वक्तव्य देंगे ।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : वक्तव्य दिये जाने से पूर्व मैं एक बात कहना चाहता हूं । आपके पास विवेकाधीन शांक्ति है। हमें मामला उठाना है।

अध्यक्ष महोदय : श्री दंडवते, मैंने देख लिया है, ऐसा कोई पूर्व उदाहरण नहीं है । मैं नियमों के अनुसार ऐसा नहीं कर सकता हूं। ऐसा कभी नहीं किया गया। ऐसा कोई पूर्व उदाहरण नहीं है ।

प्रो० मधु दंडवते : आपने मुझे मामला उठाने की अनुमति दी है। वह उसी विषय पर वक्तव्य दे रहे हैं। मेरा मतलब उससे है ।

अध्यक्ष महोदय : आपको इसके बाद नियम 377 के अंतर्गत मौका मिलेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है । जो आप कह रहे हैं उसका कोई पूर्व उदाहरण नहीं है । मैं ऐसा नहीं कर सकता हू; इसको अभी नहीं लिया जा सकता है ।

प्रो० एन० जी० रंगा : आप इस बात को देखते हुए मंत्री महोदय द्वारा वक्तव्य दिये जाने के बाद अपना वक्तव्य दे सकते हैं ।

श्री मधु दंडवते : कृपया मुझे एक बात कहने दीजिये। मैं यह कह रहा हूँ गृह मंत्री उस विषय पर वक्तव्य दे रहे हैं जिस पर आपने मुझे नियम 377 के अन्तर्गत विशेष रूप से बोलने की अनुमति दी है। मेरी बात यह है। गृह मंत्री द्वारा वक्तव्य दिये जाने के बाद मेरा इस विषय पर बोलना अर्थहीन हो जायेगा।

प्रो० एन० जी० रंगा : उस वक्तव्य के सन्दर्भ में आप अपनी बात कह सकते हैं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें वक्तव्य देने की अनुमति दी है। उन्हें वक्तव्य देने दीजिये । आप व्यवधान क्यों उपस्थित कर रहे हैं ?

श्री मधु दंडवते : अध्यक्ष के लिये निर्देशों के बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। परन्तु कुछ ऐसे साधारण बोध होते हैं जिन्हें अध्यक्ष के लिये निर्देशों के अन्तर्गत हमेशा लिया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, "साधारण बोध का यह भी अर्थ होगा कि वह उन तथ्यों पर भी बोल सकते हैं जो आप कहना चाहते हैं फिर आप इसका उत्तर भी दे सकते हैं । (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : यह उल्टा हो गया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे देखा है क्योंकि मैं स्थिति को जानता हूं । साधारण बोध ने मुझे ऐसा करने को कहा है यथा आपको नियम 377 के अन्तर्गत इसे पढ़ने की अनुमति दी जाये । इसलिए मैंने ऐसा किया है ।

प्रो० मधु दंडवते : साधारण बोध मेरे आपके बीच होना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय वक्तव्य दें ।

नई दिल्ली में नेत्रहीनों के एक जलूस पर किये गये लाठी चार्ज के बारे में वक्तव्य

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार को कल 16 मार्च, 1980 को पार्लियामेंट स्ट्रीट पर हुई घटना पर हार्दिक दुख है जब नेत्रहीनों के एक जलूस पर पुलिस ने कथित लाठी चार्ज किया (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफरपुर) : उनका वक्तव्य है "उन पर कथित लाठी चार्ज किया गया"। उनको सही वक्तव्य देना चाहिए। वह इस प्रकार का वक्तव्य नहीं दे सकते हैं। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : क्या यह कथित लाठीचार्ज है वह समाचारपत्र देखें (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसके लिये कार्यवाही की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिये कार्यवाही पहले ही की गई है। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : मेरा एक वक्तव्य का प्रश्न यह है कि जब कभी मंत्री वक्तव्य देता है अथवा नियम 377 के अन्तर्गत कोई सदस्य मामला उठाता है···

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

प्रो० मधु दंडवते : मैं अपना व्यवस्था का प्रश्न रख रहा हूं। मंत्री सहित सभा के किसी सदस्य द्वारा वक्तव्य दिये जाने के संबंध में प्रक्रिया यह है कि जब कभी कोई मंत्री अथवा सभा का कोई सदस्य ऐसा कोई वक्तव्य देता है जिसके लिये उसने अनुमति ली हो तो उसे वक्तव्य की एक प्रति अग्रिम तौर पर अध्यक्ष को भेजनी पड़ती है··· (व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

प्रो० मधु दंडवते : मुझे आपसे विनिर्णय की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष का पद अभी विकेन्द्रीकृत नहीं किया गया है। आप अध्यक्ष हैं। इसलिये वक्तव्य की प्रति जब प्रस्तुत की जाती है आप हमेशा उसकी जांच करते हैं। यहां तक कि मेरे वक्तव्य में कुछ परिवर्तन किया गया है और मैंने आपकी इच्छानुसार उसे स्वीकार कर लिया है। इसलिये मंत्री महोदय को आपको वक्तव्य की एक प्रति भेजनी चाहिए थी जिसे कि उन्होंने अभी पढ़ा है। अब उन्होंने "कथित लाठी चार्ज" शब्दों का प्रयोग किया है। यह फोटो है जिसमें लाठीचार्ज करते हुए दिखाया गया है। जब ऐसा हुआ है तो वे कैसे कह सकते हैं कि "कथित लाठी चार्ज हुआ है"।

एक माननीय सदस्य : यह पुलिस का मामला है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उनके व्यवस्था के प्रश्न पर बात कर रहा हूं। वास्तव में साधारणतया वक्तव्य की एक प्रति मेरे पास आनी चाहिए। परन्तु ऐन वक्त पर यह विषय आ गया। ऐसा किया जाना चाहिए था। आगे से वह ऐसा करेंगे।

प्रो० मधु दंडवते : यदि आपने वक्तव्य दिया होता तो इसको वह ठीक करते।

अध्यक्ष महोदय : ज्ञानी जी, इसको दोबारा पढ़ दीजिए।

श्री जैल सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार कल 16 मार्च, 1980 को पार्लियामेंट स्ट्रीट पर हुई घटना पर गहरा दुख प्रकट करती है जब नेत्रहीनों पर पुलिस द्वारा कथित लाठीचार्ज किया गया··· (व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : वह "कथित" शब्द का पुनः प्रयोग कर रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं । मैं इसे देखूंगा। इन्हें समाप्त करने दीजिए। (व्यवधान)

श्री जैल सिंह : आज सुबह नेत्रहीनों के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधान मंत्री से भेंट की। प्रधान मंत्री ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि उनकी सभी शिकायतों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा और उनको शीघ्र दूर किया जायेगा।

कथित लाठी चार्ज की घटना के संबंध में उपराज्यपाल, दिल्ली ने अदालती जांच के आदेश दिये हैं।

उपराज्यपाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया है कि उक्त जांच करने हेतु एक वरिष्ठ जिला एवं सत्र न्यायाधीश की सेवायें उपलब्ध की जाएं। मुख्य न्यायाधीश ने दिल्ली के एक वरिष्ठ जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री डी० सी० अग्रवाल की सेवायें प्रस्तुत की हैं।

श्री डी० सी० अग्रवाल को जांच आयोग अधिनियम के अंतर्गत जांच आयुक्त नियुक्त किया गया है। आयोग इस घटना के लिये उत्तरदायी परिस्थितियों, पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग की जांच करेगा और गलतियों के लिये जिम्मेदारी भी निर्धारित करेगा। आयोग 3 सप्ताह में जांच पूरी करके अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगा।

पुलिस आयुक्त ने निष्पक्ष जांच करने हेतु पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन के थानाध्यक्ष को जो घटनास्थल पर उपस्थित था, निलंबित कर दिया है।

पुलिस विवरण के अनुसार कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ और केवल मामूली संघर्ष उस समय हुआ जब प्रदर्शनकारियों ने पार्लिमामेंट स्ट्रीट से, जहां निषेधाज्ञा लगी है, जलूस निकालने पर जोर दिया। पुलिस अधिकारियों द्वारा वैकल्पिक मार्ग सुझायें जाने के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस घेरा तोड़ा। केवल चार व्यक्तियों को मामूली चोटें आईं। सभी को प्राथमिक चिकित्सा के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई... (व्यवधान)

** ** **

अध्यक्ष महोदय : बिना मेरी अनुमति के कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

क्या मैं माननीय सदस्यों को बता दूं कि नियमों के अनुसार मंत्री अध्यक्ष की अनुमति से अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर वक्तव्य दे सकता है परन्तु जब वक्तव्य दिया जा रहा हो तब कोई प्रश्न नहीं पूछा जायेगा।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, आप सदन की रक्षा करने वाले हैं। ये अखबारों में फोटो निकले हैं कि लाठीचार्ज हुआ है... (व्यवधान)

** ** ** कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : हम इस पर बहस की मांग कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री कुछ कहना चाहते हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : उन्होंने वक्तव्य समाप्त कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें वक्तव्य के आगे कुछ और कहना है।

श्री जैल सिंह : जब प्रधान मंत्री को इस घटना का पता चला तो उन्होंने शीघ्र ही आदेश दिया कि इसकी अदालती जांच होनी चाहिए... (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आप समझे हैं कि उन्होंने क्या कहा है?

अध्यक्ष महोदय : ये क्या बोल गये, आप भी समझ नहीं पाये, हम कैसे समझें कि क्या बोले हैं।

एक माननीय सदस्य : हिन्दी में बता दें कि क्या कहा है?

अध्यक्ष महोदय : आप फिर से हिन्दी में बता दीजिए।

श्री जैल सिंह : आनरेबल स्पीकर सर, मैंने जो स्टेटमेंट दिया है, उसका कुछ पोर्शन बाकी रह गया था जिस को मैंने पूरा किया। पहले स्टेटमेंट में यह सारा कुछ आ गया है। मैंने सिर्फ इतना बताना था कि जब इस इंसीडेंट का पता प्राइम मिनिस्टर को लगा तो प्राइम मिनिस्टर ने मुझे उसी वक्त टेलीफोन किया। इस मामले में उनकी एडवाइस थी कि इसकी जुडीशियल इन्क्वायरी होनी चाहिए। उसके बाद लेफ्टिनेन्ट गवर्नर ने जुडीशियल इंक्वायरी का आर्डर दिया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फर पुर) : महोदय, क्या आप मुझे एक वक्तव्य देने की अनुमति प्रदान करेंगे। मेरी प्रार्थना है कि...

अध्यक्ष महोदय : किस नियम के अन्तर्गत?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यह एक गंभीर मामला है। मैं माननीय मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य की बात कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे एक अन्य सूचना दें।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यह सूचना की बात नहीं है। मैंने सभा के स्थगन के प्रस्ताव की सूचना दी है। क्या आप मेरी बात सुनेंगे... (अन्तर्बाधाएं) * * *

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह, आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने श्री बूटा सिंह का नाम पुकारा है।

श्री बूटा सिंह : यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है...

अध्यक्ष महोदय : किस नियम के अन्तर्गत?

***कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : यह उसी नियम के अन्तर्गत है जिसके अन्तर्गत वह बोले हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि मुझे कोई प्रस्ताव दिया जाता है तो मैं उस पर विचार करूंगा। मैं इस पर किसी चर्चा की अनुमति नहीं दे रहा। मुझे एक अन्य प्रस्ताव दें। अभी नहीं।

(अन्तर्बाधाएं)**

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। अभी नहीं। अब नियम 377 के अन्तर्गत प्रो० मधु दंडवते बोलेंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : हम तत्काल चर्चा चाहते हैं। हमें और क्या चाहिए?

अध्यक्ष महोदय : प्रो० मधु दंडवते नियम 377 के अन्तर्गत बोल रहे हैं।

(अन्तर्बाधाएं)**

अध्यक्ष महोदय : प्रो० मधु दंडवते को नियम 377 के अन्तर्गत अपना व्यक्तव्य देने दें। इस वक्तव्य पर कोई चर्चा नहीं होगी। मेरी अनुमति के बिना जो कुछ भी कहा गया है वह कार्यवाही वृतांत में नहीं लिखा जायेगा। इस वक्तव्य पर अब कोई चर्चा नहीं होगी। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री बापू साहिब परूलेकर (रत्नगिरि) : उठे

अध्यक्ष महोदय : किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री बापू साहिब परूलेकर : नियम 389 के अन्तर्गत, आपको शक्ति प्राप्त है।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : नियम 389 के अन्तर्गत, आपकी अवशिष्ठ शक्तियों के संबंध में। आपको स्थगन प्रस्ताव अथवा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति देने की अनुमति है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं; प्रो० मधु दण्डवते नियम 377 के अन्तर्गत अपनी बात कह रहे हैं।

श्री बापू साहिब परुलेकर : मुझे स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिये एक वक्तव्य दने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री बापू साहिब परुलेकर : स्पष्टीकरण हेतु नियमों में कोई उपबन्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप नियमों के अन्तर्गत जो कुछ कह सकते हैं केवल वही कहें।

श्री बापू साहिब परुलेकर : महोदय, जब कोई स्पष्ट नियम नहीं है तो आप जानते हैं कि हमें अन्तर्निहित शक्ति प्राप्त है।

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। मैं प्रो० मधु दंडवते का नाम पुकार चुका हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं नियम 372 का उल्लेख कर रहा हूं जिसमें लिखा है "लोक महत्व के किसी विषय पर अध्यक्ष की सम्मति से वक्तव्य दिया जा सकेगा किन्तु जिस समय वक्तव्य दिया जायेगा कोई प्रश्न नहीं पूछा जायेगा।

श्री बापू साहिब परूलेकर : मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा। जब वक्तव्य पढ़ा जा रहा था उन्होंने कहा "जिन व्यक्तियों ने कथित रूप से लाठी चार्ज किया।" अतः मैंने कहा "यह ठीक नहीं है" और आपने मुझे बताया कि मैं ठीक हूं। अतः आप उस वक्तव्य को शुद्ध करें जिसके बारे में आप मेरे से सहमत हैं।

अध्यक्ष महोदय : वास्तव में जब न्यायिक जांच का आदेश दिया गया उसका अर्थ है कि घटना घटित हुई है। यह बिल्कुल सीधी सी बात है।

श्री बापू साहिब परुलेकर : आप मेरे से सहमत हैं और फिर भी कहते हैं कि यह ठीक नहीं है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : नियम 376 के अन्तर्गत मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : वह क्या है।

श्री बूटा सिंह (रोपड़) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। (**अन्तर्बाधाएं**) उन्होंने गृह मंत्री के विरुद्ध एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें। मैंने पहले उनको अनुमति दे दी है। तब मैं आपके व्यवस्था के प्रश्न पर विचार करूंगा। श्री बूटा सिंह आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री बूटा सिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न श्री जार्ज फर्नान्डीस द्वारा गृह मंत्री के बारे में कही गई बातों से उत्पन्न होता है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया किसी नियम का उल्लेख करें। मैं नियम जानना चाहता हूं।

प्रो० एन० जी० रंगा : आपने किस नियम के अन्तर्गत उन सब लोगों को वक्तव्य देने की अनुमति दी।

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाता। श्री बूटा सिंह आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री बूटा सिंह : मैं श्री जार्ज फर्नान्डीस द्वारा दिये गये वक्तव्य के एक अंश पर आपत्ति उठा रहा था।

अध्यक्ष महोदय : किसी वक्तव्य को कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया है। आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

(व्यवधान)

क्या आप यह नहीं समझते कि कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया है। आप व्यवस्था का प्रश्न क्यों उठा रहे हैं? यह बहुत ही साधारण वक्तव्य है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मेरी प्रार्थना यह है कि नियम 372 कहता है "लोक महत्व के किसी विषय अध्यक्ष की सम्मति से मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जा सकेगा किन्तु जिस समय वक्तव्य दिया जायेगा कोई प्रश्न नहीं पूछा जायेगा।" मेरी प्रार्थना यह थी कि शायद उन्होंने अभी वक्तव्य दिया है। मैं आपकी उस व्यवस्था से पूरी तरह सहमत हूं कि वक्तव्य के दिये जाने के अवसर पर कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। मेरा अनुरोध यह है कि यह एक ऐसा मामला है कि इसे केवल मंत्री द्वारा दिये जाने वाले वक्तव्य तक ही नहीं छोड़ा जा सकता। वास्तव में आपने मंत्री महोदय को सुना और मंत्री महोदय ने स्वयं कथित लाठी चार्ज की बात की। अन्य शब्दों में वह सारे देश, सारे समाचार पत्रों तथा सदन की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। अतः मेरा आपसे यह अनुरोध है कि चूंकि वक्तव्य दिया जा चुका है आप दिन में बाद में किसी अवसर पर अथवा कल सुवह वक्तव्य पर चर्चा की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे सूचना दें।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं समझता हूं कि आप चर्चा की अनुमति दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप समझ कुछ नहीं। आप इसे मेरे ऊपर छोड़ दें। मुझे इस पर विचार करना है। अब नियम 377।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : उठे ।

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : क्या मैं बाद में बोलूं। मेरे विचार से श्री दंडवते पहले बोल लें। वह उसी विषय पर बोल रहे थे।

अध्यक्ष महोदय : उसी विषय पर।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : वह बोल रहे थे। वह अपना वक्तव्य दे लें।

अध्यक्ष महोदय : वह 377 पर बोल रहे थे। यदि आप कुछ कहना चाहें तो आप उनसे पहले कह सकती हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : वह बोल रहे थे।

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अन्तर्गत वक्तव्य।

श्री के० लक्कप्पा (तुमकुर): मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री लक्कप्पा हर समय कानून को अपने हाथों में मत लें।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) दिल्ली में नेत्रहीनों के जलूस पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया जाना

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, आपकी पूर्व अनुमति के साथ नियम 377 के अन्तर्गत मैं चक्षुहीन प्रदर्शनकारियों पर किये गये लाठी चार्ज के संबंध में निम्नलिखित मामला उठा रहा हूं।

दिल्ली पुलिस ने "विश्व अपंग दिवस" के अवसर पर 16 मार्च, 1980 को प्रधान मंत्री के निवास की ओर जाने वाले लगभग 200 चक्षुहीनों के समूह पर निर्दयतापूर्वक लाठीचार्ज करके बहुत ही अमानवीय ढंग से कार्रवाई की है। (अन्तर्बाधाएं)

श्री बूटा सिंह (रोपड़) : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही इसकी अनुमति दे चुका हूं। (अन्तर्बाधाएं)

श्री बूटा सिंह: मुझे कृपया एक मिनट का समय दें। आपने उन्हें उस समय वक्तव्य देने की अनुमति दी जिस समय अभी गृह मंत्री द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि न्यायिक जांच का आदेश दे दिया गया है। अब जबकि न्यायिक जांच के आदेश दे दिये गये हैं मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस पर पुनर्विचार करें।

अध्यक्ष महोदय: मुझे विचार करने दें।

प्रो० मधु दंडवते: मैंने उस समय यह प्रश्न उठाया था आपने उसके विपरीत व्यवस्था दी। चूंकि एक बार आप व्यवस्था दे चुके हैं मुझे कुछ नहीं कहना।

अध्यक्ष महोदय : इसके बारे में कुछ बात नहीं है। मैं उनको वक्तव्य देने की अनुमति पहले ही दे चुका था।

श्री बूटा सिंह : आपने ऐसी परिस्थिति के अन्तर्गत अनुमति दी जब गृह मंत्री द्वारा यह निश्चित सुझाव नहीं दिया गया था कि न्यायिक जांच कराई जायेगी और अब सरकार ने न्यायिक जांच कराने की बात स्वीकार कर ली है। इस वक्तव्य का न्यायिक जांच की कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मेरा अनुरोध है कि आप इसको रोके रखें। (अन्तर्बाधाएं) मेरा विनीत अनुरोध है कि आप जांच पूरी हो जाने पर वक्तव्य की अनुमति दें। आप उन्हें अब वक्तव्य की अनुमति नहीं दे सकते।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात पर विचार करूंगा कि क्या इसका जांच पर कोई प्रभाव पड़ेगा। मैं इस पर पुनः विचार कर रहा हूं। मैं इसे कार्यवाही वृतांत से निकाल सकता हूं।

प्रो० मधु दंडवते: चक्षुहीनों ने अपने प्रदर्शन के मार्ग के बारे में पुलिस को 15 दिन पूर्व सूचना दे दी थी। फिर भी उन्हें पार्लियामेंट स्ट्रीट पर रोका गया और जब उन्होंने सड़क पर धरना दिया तो उन पर अमानवीय लाठीचार्ज किया गया जिसके परिणामस्वरूप कुछ प्रदर्शनकारियों के खून बहने लगा। आहतों को ढाई घंटे तक कोई प्राथमिक सहायता

भी नहीं दी गई। आपकी सूचनार्थ पहले शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को हमेशा प्रदर्शन की अनुमति दी जाती रही है। गृह मंत्री को इस संबंध में एक वक्तव्य देना चाहिए।

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : क्योंकि इसमें मेरा नाम भी अन्तर्ग्रस्त है अतः मैं एक जानकारी देना चाहती हूं। मुझे बहुत ही गहरा दुख है कि यह घटना घटित हुई है। मैं नहीं समझती कि गृह मंत्री किसी की आंखों में धूल झोंकना चाहते थे। मैं विपक्ष के माननीय सदस्य के शब्दों का ही प्रयोग कर रही हूं। अब जांच करने के आदेश दे दिये गये हैं और इससे पता चलेगा कि क्या यह एक नियमित रूप से किया गया लाठी चार्ज था अथवा उनको इकट्ठा रखने अथवा उनको आगे बढ़ने से रोकने के लिये किया गया अनजाने में में किया गया काम था। जांच से पता चलेगा... (व्यवधान)

ज्योंही हमें यह समाचार प्राप्त हुआ हमने आदेश दे दिये कि पूरी न्यायिक जांच की जानी चाहिए और सदस्यों को यह जानकारी दे दी गई है। इसके अतिरिक्त, चक्षुहीनों का समूह आज मुझे मिलने आया था; सभी 200 व्यक्ति नहीं आये परन्तु काफी संख्या में लोग आये। मैंने उनको गिना नहीं। उन्होंने अपना ज्ञापन दिया है और मैंने उसके बारे में उनसे बातचीत की है। चूंकि मुझे एक बैठक में जाना था और जैसा कि उन्होंने कहा कि वे कुछ और कहना चाहते थे हमने उन्हें कार्यालय में भी मिलने का समय दिया है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं मैं उस हर व्यक्ति से निश्चित रूप से मिलती हूं जो मुझसे मिलना चाहता है। अब समस्या लगभग हाथों से बाहर हो रही है। आज सुबह मेरे विचार से 3000 के लगभग व्यक्ति मुझसे मिले। यदि मैं हर एक के पास एक मिनट के लिये भी रुकती तो यह नितांत असंभव हो जाता है। फिर भी हम किसी को मना नहीं कर रहे थे। हम उनका वर्गीकरण कर रहे हैं, किस-किस की क्या शिकायतें हैं जिससे कि अन्य लोग भी उनकी बात सुन सकें। सरकार के कार्य से सम्बद्ध बातों पर उनकी शिकायतें सुनने के लिये सरकारी अफसर है । अन्य प्रश्नों पर उनकी बातें सुनने के लिये अन्य लोग हैं। किसी भी समय मेरी तरफ से किसी भी पार्टी के किसी व्यक्ति को मिलने में अथवा किसी प्रकार की शिकायत की जांच में किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं दिखाई गई है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहती हूं कि मैं नहीं जानती कि यह घटना किस कारण से घटित हुई है। मैंने सामान्य आदेश दिये हैं कि मैं रविवार के दिन जनता से नहीं मिलना चाहूंगी। शायद इसी के कारण उनको रोका गया होगा। फिर भी, जब लोग आ जाते हैं तो मैं उनसे मिलती हूं जिसके बारे में मैं प्रचार नहीं करना चाहती। परन्तु जब वह आ जाते हैं तो मैं उनसे यह नहीं कहना चाहती कि वे वापस चले जायें। अतः प्रायः मैं उनसे मिलती हूं। हमने गृह मंत्रालय और दिल्ली प्रशासन को बताया है कि भविष्य में इस प्रकार के मामलों में वह बहुत सावधानी बरतें।

(दो) मुरादाबाद जिले के एक गांव में हरिजनों पर अत्याचार

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 15 मार्च, 1980 को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के वाल्मीकीनगर में तीन हरिजनों को जिन्दा जला दिया गया।

प्रधान मंत्री जा रही है। यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। सुन लीजिये। हरिजन जिन्दा जलाये जा रहे हैं। (व्यवधान)

फलस्वरूप 1200 हरिजन बे-घरबार हो गये हैं। लाखों रुपये की सम्पत्ति एवं पशु धन जल कर राख हो गये। पूरे क्षेत्र में मौत का सा सन्नाटा है। बस्ती का कोई चिह्न बाकी नहीं है। प्रतिदिन हरिजनों, अल्पसंख्यकों एवं कमजोर वर्ग के लोगों की हत्या हो रही है। उन पर अत्याचार हो रहे हैं। सरकार की ओर से आश्वासन भी दिये जा रहे हैं, लेकिन जुल्म घटने के बजाय बढ़ता जा रहा है। लगता है कि प्रशासन एवं सरकार हरिजनों, अल्पसंख्यकों, एवं कमजोर वर्गों की रक्षा करने में बिल्कुल विफल हो गई है। पूरे देश में हरिजनों, अल्पसंख्यकों एवं कमजोर वर्गों की जानो-माल तथा इज्जत खतरे में है। सरकार उन लोगों की जानो-माल की रक्षा का स्पष्ट आश्वासन सदन को दे।

अध्यक्ष महोदय : क्या होम मिनिस्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : अभी इनके पास कोई इनफार्मेशन नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : क्या सरकार इस बारे में कोई कार्यवाही कर रही है या नहीं? प्रधान मंत्री और होम मिनिस्टर दोनों बैठे हुए हैं। हरिजन जिन्दा जलाये जा रहे हैं। एक और खोखला वायदा!

अध्यक्ष महोदय : उन्हें तथ्यों को एकत्रित करने दीजिये और फिर वे उन्हें बता देंगे।

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) : स्पीकर साहब, इस वाकये के सम्बन्ध में मैंने आज गवर्नर के एडवाइजर से टेलीफोन पर बात की है और उन्हें कहा है कि हमें इस मामले की पूरी जानकारी दें। जब मुकम्मल जानकारी हमारे पास आ जायेगी,—अगर शाम तक आ गई, तो आज, नहीं तो कल—तो मैं इस हाउस में स्टेटमेंट करूंगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फर पुर) : सवाल यह है कि लोग मारे जा रहे हैं। उनको मरने से रोकने के लिये सरकार क्या कर रही है?

श्री जैल सिंह : आप लोगों की जो कारवाइयां थीं, उनकी वजह से लोगों को आज तक जुल्म सहना पड़ रहा है।

(तीन) लोक सतर्कता समितियों का पुनर्गठन किया जाना

श्री आर० आर० भोले (बम्बई दक्षिण मध्य) : मैं नियम 377 के अन्तर्गत बम्बई में हो रही मुनाफाखोरी और जमाखोरी को सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं।

सरकार ने एक बार चीनी, मिट्टी का तेल, डीजल आदि जैसी आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मामले में जमाखोरों और मुनाफाखोरों का पता लगाने के लिये बम्बई जैसे शहरों में लोक सतर्कता समितियों को अनुमति दे दी थी।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

क्या सरकार जमाखोरी और मुनाफाखोरी के कारण वर्तमान ऊंचे मूल्यों और वस्तुओं की कमी को देखते हुए इस प्रकार की समितियों की फिर से अनुमति दे देगी?

(चार) केरल में सीमेन्ट का अभाव

प्रोफेसर पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, क्या मैं भारत सरकार का ध्यान सीमेंट की अत्यधिक कमी के कारण केरल राज्य में व्याप्त कठिन स्थिति की ओर आकर्षित कर सकता हूं। सीमेंट के उपलब्ध न होने के कारण विकास कार्य के साथ-साथ निर्माण कार्य भी जहां के तहां पड़े हुए हैं। केरल को प्रति वर्ष 12 लाख टन सीमेंट की आवश्यकता होती है जबकि उसे केवल 8 लाख टन सीमेंट ही प्रति वर्ष मिल पाता है, दिसम्बर 1979 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिये आवंटित की गई कुल 1,91,000 टन की मात्रा में से वहां केवल 1,16,000 टन ही पहुंच पाया है। इसके फलस्वरूप पूर्ण विकास कार्यों और निर्माण कार्य रुक गये हैं जिससे निर्माण कार्यों में लगे ढाई लाख से भी अधिक कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं। इसके अतिरिक्त सीमेंट के अभाव के कारण अधिकांश सरकारी कार्य लम्बित पड़ गये हैं और इस प्रकार उनके लिये जो वित्तीय राशि स्वीकृत की गई है वह भी 31 मार्च को समाप्त हो जायेगी।

इन परिस्थितियों में मेरा उद्योग मंत्री से विनम्र निवेदन है कि केरल में व्याप्त विशेष परिस्थितियों को देखते हुए वहां के लिये विशेष कोटे के रूप में कम से कम 2 लाख टन सीमेंट स्वीकृत कर दिया जाय।

(पाँच) आंध्रप्रदेश में गुड़ का भण्डार जमा होना

श्री राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : महोदय, अनाकापल्ली के बाजार जो आन्ध्र प्रदेश के सबसे बड़े बाजारों में से एक है, में गुड़ के भण्डार पड़े हुए हैं। रेल के माल डिब्बों के अभाव में व्यापारियों ने नये माल को बन्द करने के लिये बाजार को बन्द कर दिया है। पिछले दो वर्षों में जनता सरकार द्वारा निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा देने के फल-स्वरूप गुड़ के मूल्य में अत्यधिक कमी आने के कारण गुड़ उत्पादकों को भारी हानि उठानी पड़ी है इस वर्ष रेल के माल डिब्बों के उपलब्ध न हो पाने के कारण उत्पादकों को फिर भारी कठिनाई हो रही है और उन्हें नुकसान हो रहा है। यदि यही स्थिति जारी रहती है तो उत्पादकों की आर्थिक दशा अस्त-व्यस्त हो जायेगी और गन्ना उत्पादन क्षेत्र में कमी आ जायेगी।

विकट स्थिति को स्पष्ट करने के लिये इतना कहना ही पर्याप्त है कि पिछले वर्ष फरवरी में जब बाजार में आने वाली भेलियां 7,42,844 थीं तो उसके लिये 318 माल डिब्बों को दिया गया था और अब 17,29,131 भेलियों के लिये केवल 380 माल डिब्बे दिये गये हैं। इन भेलियों के ढुलान के लिये कम से कम 800 माल डिब्बों की आवश्यकता है जबकि इसके केवल आधे डिब्बे ही प्रदान किये गये हैं।

फसल के समय डिब्बों को उपलब्ध न कराये जाने की बात नई नहीं है, यह हर साल ही होता रहता है इसलिये उत्पादकों को प्रत्येक जगह हानि उठानी पड़ रही है यहां तक कि चित्तूर और पाकाला में भी जब गुड़ अधिकतम मात्रा में आता है तो माल डिब्बे उपलब्ध नहीं हो पाते हैं।

रेल अधिकारियों को इन बातों की ओर अवश्य ही ध्यान देना चाहिये और आवश्यक माल डिब्बों की व्यवस्था करनी चाहिये ताकि बाजारों में एकत्रित होने वाले भण्डार से बचा जा सके।

इस वर्ष आन्ध्र प्रदेश में बहुत अच्छी फसल होगी। चित्तूर जिला भारतवर्ष के उन जिलों में से एक है जो आम के बगीचों के लिये प्रसिद्ध है। इस वर्ष डीजल तेल की कमी और यातायात मूल्य में वृद्धि होने के कारण ट्रकों से इनका लाया ले जाया जाना आसानी से सम्भव नहीं हो पायेगा। इसलिये फसल का मूल्यांकन किया जाना तथा चित्तूर और दामल चेरुवु स्टेशनों पर आने वाले आमों का अनुमान लगाना तथा आमों के ढुलाव के लिये आवश्यक माल डिब्बों की व्यवस्था करना अत्यावश्यक है। इन स्टेशनों से करोड़ों रुपये मूल्य के आमों का ढुलाव करना पड़ेगा क्योंकि वहां अधिक समय तक के लिये आमों को रखे रखना सम्भव नहीं है। इसलिये यह अधिक आवश्यक है कि आवश्यक सावधानियां अभी से उठा ली जाय और माल डिब्बों को प्रदान किये जाने की व्यवस्था समय पर कर ली जाय।

(छः) उत्तम भारतीय चिड़िया (बस्टर्ड) का बड़ी संख्या में शिकार

श्री मनफूल सिंह चौधरी (बीकानेर) : गोडावद (Great Indian Bustard) की संख्या में निरन्तर कमी होती जा रही है। यह जैसलमेर, जोधपुर और समीपवर्ती क्षेत्र में पाया जाता है। प्रकृति की इस दुर्लभ धरोहर को तेलूर पक्षी भी कहते हैं। अवैध शिकार के कारण यह निराला पक्षी शीघ्र ही लुप्त हो जायेगा। राजस्थान ही नहीं, परन्तु सारे भारत के वन्य पशु पक्षी प्रेमी इस विषय को ले कर काफी चिन्तित हैं। इस के बारे में भारत की पर्यटन और वन्य जीवन सोसायटी ने प्रधान मंत्री जी को एक ज्ञापन भी दिया है। इस पक्षी की निश्चित संख्या मालूम कर इसे विनाश से बचाने के लिये केन्द्रीय कृषि मंत्रालय को तुरन्त प्रभावशाली कदम उठाना चाहिये। वन अधिकारियों की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण सम्पूर्ण राजस्थान में प्राकृतिक वातावरण असन्तुलित हो रहा है और वन्य जीव-जन्तुओं के लिये खतरा पैदा हो गया है। मैं अनुरोध करता हूं कि पर्यटकों, जीव-जन्तु प्रेमियों और प्राकृतिक सौन्दर्य के समर्थकों की इस मांग की ओर सरकार शीघ्र ध्यान देगी।

बजट महाराष्ट्र 1980-81—सामान्य चर्चा
लेखा अनुदानों की मांगें (महाराष्ट्र) 1980-81
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (महाराष्ट्र) 1979-80

उपाध्यक्ष महोदय : सदन अब महाराष्ट्र के बजट से संबंधित मद संख्या 10,11 और 12 पर विचार करेगा जिसके लिये 2½ घण्टे का समय निर्धारित किया गया है, वे माननीय सदस्य जो अपने उन कटौती प्रस्तावों, जो कि परिचालित कर दिये गये हैं, को लाने के इच्छुक हों, 15 मिनट के अन्दर-अन्दर पर्चियां पटल पर भेज सकते हैं और केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को पेश किया हुआ माना जायेगा।

श्री यशवन्त राव चव्हाण (सतारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस चर्चा में भाग लेने पर सचमुच में खुशी है क्योंकि वित्त मंत्री महाराष्ट्र के बजट को उसके नव वर्ष दिवस के अवसर पर पेश कर रहे हैं, इसलिये मैं इस शुभ दिन पर उन्हें शुभकामनायें देकर चर्चा प्रारम्भ करूंगा।

वित्त और उद्योग मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन): धन्यवाद।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जबकि मैं महाराष्ट्र के बजट पर बोल रहा हूं तो मैं पाता हूं कि बजट के दो पहलू हैं। एक तो राजनैतिक पहलू है जो कि बजट का सीधा परिणाम नहीं है परन्तु ये बजट राजनैतिक पहलू की उत्पत्ति हैं। इसलिये मैं सामान्य रूप से उन सभी राज्यों के विषय में कहूंगा जिनकी विधान सभायें भंग कर दी गई हैं। जिनके बजटों पर विचार किया जा रहा है। यह राजनैतिक पहलू इस विशेष शासन के लिये आने वाले कई वर्षों तक कोई खास अच्छा नहीं समझा जायेगा।

इस समस्या की मैं कुछ ऐतिहासिक जानकारी देना चाहूंगा। संसदीय चुनावों के पश्चात् राज्य विधान सभाओं को भंग किये जाने के इस प्रश्न को जनता सरकार द्वारा किये गये पूर्व कृत्यों के सापेक्ष में गलत ढंग से प्रारम्भ किया गया था। दुर्भाग्य से जो लोग जनता सरकार की तीव्र और कटु आलोचना करते हैं वे भी अब उतनी ही संख्या में अर्थात् नौ राज्यों की विधान सभाओं को भंग करके जनता सरकार के ही पद चिह्नों का अनुकरण कर रहे हैं। मैं इसे एक बहुत ही गलत बात समझता हूं। मैं इस सरकार को याद दिला देना चाहता हूं कि श्रीमती गांधी ने एक नेता तथा पिछली सरकार के प्रधान मंत्री होने की हैसियत से राज्यों के चुनावों को संसद के चुनावों से अलग कर देने का निर्णय लिया था। उनको अलग-अलग करने के पीछे क्या बात क्या थी? वास्तव में बात यह थी कि राज्यों के विषय भिन्न होते हैं। राज्यों के विषयों पर लोगों द्वारा भिन्न ढंग से विचार किया जाता है। इसलिये जनता का निर्णय पृथक रूप से लिया जाना चाहिये। जब जनता द्वारा उन विषयों का निर्णय किया जा रहा हो तथा एक निश्चित सरकार कार्य कर रही हो और जब तक वहां कोई भी संवैधानिक गड़-बड़ न हो रही हो तो इस प्रकार की सरकार को भंग किया जाना पूर्ण रूप से अप्रजा-तांत्रिक तथा मनमानी से भरा कार्य है। विशेष रूप से महाराष्ट्र में विधान सभा को भंग किये जाने से केवल 10 दिन पूर्व ही विधान सभा की बैठक हुई थी और विधान सभा द्वारा सरकार में विश्वास व्यक्त किया गया था, इससे सिद्ध होता है कि सरकार को सदन में स्थाई बहुमत प्राप्त था। इस पर भी ऐसी विधान सभा को इस सरकार ने स्वेच्छा से भंग कर दिया। यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन समझा जायेगा जबकि भारतीय प्रजातांत्रिक प्रणाली में ऐसी घटनायें घट सकती हैं कि साउथ ब्लाक के किसी कमरे में बैठे हुए करीब एक दर्जन व्यक्ति एक ऐसे कार्य को रद्द कर रहे हों जो 1978 के चुनावों के समय लाखों व्यक्तियों द्वारा किया गया था। यही सब कुछ है जो किया गया है।

मैं इस राजनैतिक पहलू का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसने इस बजट को एक सबसे से अधिक, निकृष्ट बजट, अधिकार तान्त्रिक बजट बना दिया है। जब राजनैतिक नेतृत्व सत्ता में हो, जब योजना आयोग प्राधिकारी हो, तो वहां कुछ सामाजिक तथा आर्थिक

प्राथमिकताएं होती हैं जिन्हें बजट बनाते समय ध्यान में रखना होता है। आज हम देखते हैं कि राज्य सरकारों का न तो योजना आयोग है और न ही कोई राजनैतिक नेतृत्व है, राज्य के अधिकारी दूसरे वर्ग के अधिकारियों के निर्देशों से दिल्ली आ जाते हैं, दिल्ली में वे दूसरे अधिकारियों के साथ बैठते हैं कुछ विचार लेते हैं और वही उस बजट के रूप मे बनाया जा रहा है जो हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है।

मैं माननीय वित्त मंत्री से पूछना चाहूंगा कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण चुनाव परिणामों के पश्चात् आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं? क्या आप अभी तक भी केवल राजनैतिक स्वरूप के अपने आपसी उलझनों में पड़े हुए हैं? क्या आप यह नहीं समझते हैं कि सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को आपके विचारों में उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए आप तब तक सामाजिक-आर्थिक समस्याओं पर विचार कैसे कर सकते हैं जब तक कि आपके पास सुगठित योजना आयोग कार्य न कर रहा हो, दो महीने बीत चुके हैं परन्तु फिर भी कोई योजना आयोग गठित नहीं किया गया है। हम अनवरत योजना के लिए जनता पार्टी की आलोचना कर रहे थे। लेकिन अब सम्पूर्ण योजना ही समाप्त कर दी गई मालूम होती है, और उन नौ राज्यों को कोई मार्ग नहीं दिखा रहा है जिनके बजट, सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए, एक वर्ष के लिए तैयार किए जाते हैं। यद्यपि कुछ माह के लिए यह लेखा अनुदान हो सकता है, फिर भी एक बार रूपरेखा निर्धारित कर दिए जाने पर बाद में, बजट में आगे कोई बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन करना बहुत कठिन हो जाता है। अतः मैं महसूस करता हूं कि इस सरकार को गंभीरता से यह विचार करना चाहिए कि उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं। सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

हरिजनों के घर जलाए जाने और उन्हें निर्दयतापूर्वक मारे पीटे जाने के बारे में सदन में अभी गर्मा-गर्मी हुई थी। हमारे सामने मूल्यों की समस्या है। उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र में प्याज के मूल्यों के बारे में आन्दोलन चल रहा है। प्याज के मूल्य बहुत गिर गए हैं। और जिस सरकारी एजेंन्सी ने इसे खरीदना था, वह एजेन्सी इसको खरीद करने से इन्कार करके असहयोग कर रही है। इन लोगों पर पुलिस ने हमला किया और सैकड़ों लोग जेल गए हैं। मैं केवल एक ही मिसाल दे रहा हूं। जब ये सारी समस्याएं लोगों को उलझाए हुए हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये उनकी प्राथमिकताएं नहीं हैं। अतः पहले आप कृपया प्राथमिकताओं के बारे में निर्णय करें। राज्य विधान-सभाओं को भंग करने के बजाए आपको कोई बेहतर काम करना चाहिए था।

मेरी मुख्य बात यह है कि जब किसी पार्टी को इस तरह का बहुमत मिले, तो उस पार्टी को सामना नहीं करना चाहिए। यदि विपक्षी दल सामना करना चाहे तो वह बात तो मैं समझ सकता हूं। लेकिन यहां मैं देखता हूं कि खुद सरकार ने ही देश में इस तरह का मुकाबला शुरू कर दिया है। आज भारत को इस बात की जरूरत है कि लोगों के साथ सामंजस्य हो वे आपात-काल के अनुभवों से निकल कर आए हैं। उन्हें अस्थिर सरकार का भी अनुभव हो चुका है। मैं समझता हूं यही समय है कि जब इस बात पर विचार किया जाए कि बड़े मसलों पर सामंजस्य कैसे स्थापित किया जा सकता है। यह राजनीतिक शर्तों पर नहीं किया जा सकता; यह केवल सामाजिक-आर्थिक समस्याओं के समाधान की पृष्ठभूमि में किया जा सकता

है। अतः मैं वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह प्रधान मंत्री को इस बात की सलाह दें कि योजना आयोग के गठन को प्राथमिकता दी जाए। चूंकि सदन की बैठक चल रही है, हमें मालूम होना चाहिए कि योजना आयोग के सदस्य कौन-कौन से हैं। जैसे मंत्रिमंडल महत्वपूर्ण है और संसद महत्वपूर्ण है, उसी तरह विकास की प्रक्रिया में योजना आयोग भी महत्वपूर्ण है और इस लिए हमें इसके गठन के बारे में जानकारी शीघ्र मिलनी चाहिए।

जैसा कि मैं कह चुका हूं, यह बजट ठीक नहीं है। यह तो अफसरशाही बजट है, जिस पर राजनीतिक नेतृत्व द्वारा किसी स्तर पर भी विचार नहीं किया जाता है। जी, हां निश्चय ही श्री वेंकटरामन एक राजनीतिक नेता के रूप में इस पर बोल रहे हैं, लेकिन जब बजट तैयार किया जा रहा था तब यह उनके हाथों में नहीं था। वास्तव में, जब पहले दिन उन्होंने असम का बजट पेश किया तब उन्होंने इसी तरह स्पष्ट किया था। अतः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस समस्या पर कुछ अधिक ध्यान दिया जाए।

महाराष्ट्र के मुख्य बजट के बारे में यह कहना चाहूंगा कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री, श्री पवार ने एक वक्तव्य जारी किया था कि कोई नई मदें बजट में शामिल नहीं की गई हैं। जब इस तरह की आलोचना उसी व्यक्ति द्वारा की जाए जो ऐसे मामले को देख-संभाल करता रहा हो, तो इन पर यथोचित विचार करना बहुत आवश्यक हो जाता है। वैसे, वित्त मंत्री कुछ छोटी मदों को इंगित कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ये ही नई मदें हैं। महाराष्ट्र सरकार के किसी प्राधिकारी ने एक नोट परिचालित किया है, जो मुझे मिल चुका है, और मैं देखता हूं कि इसमें कुछ भी नया नहीं है।

यहां मैं एक पहलू पर ध्यान दिलाना चाहूंगा। महाराष्ट्र की निर्वाचित सरकार बकायादारों की समस्या को प्राथमिकता दे रही थी। बड़ी तादाद में छोटे किसान और किसानों से संबंधित सहकारी आन्दोलन आज बड़ी अस्त-व्यस्त दशा में हैं।

महोदय, इस देश में, विशेषकर उन क्षेत्रों के बारे में अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए जो क्षेत्र सूखे से ग्रस्त रहते हैं क्योंकि सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में भी समस्या गंभीर बन जाती है। जब सूखा नहीं भी होता है और वर्षा अच्छी होने पर भी, वे छोटे किसान जिसके पास दो या तीन एकड़ जमीन है और यदि वह गैर सिंचित भूमि है, उस आय से अपने परिवार का पालण-पोषण नहीं कर सकते और अपने कृषि-कार्य को नहीं चला सकते।

उद्योग के क्षेत्र में, हम रुग्ण औद्योगिक एककों से निपटने का प्रयत्न करते हैं। क्या मैं वित्त मंत्री से निवेदन कर सकता हूं, क्योंकि इस मामले में राजनीतिक नेतृत्व को ही बाग-डोर संभालनी चाहिए, कि प्रत्येक रुग्ण औद्योगिक एकक की देखभाल करने की बजाय आप प्रत्येक रुग्ण कृषक की देखभाल करें तो बेहतर होगा क्योंकि वह भी एक तरह के उद्योग में है, और उन किसानों के लिए कोई रास्ता ढूंढ निकालें। सरकार उनके लिए अवश्य ही कोई हल निकाल सकती है और वह हल यही होना चाहिए कि उनके वसूल न किए जाने योग्य बकाया ऋणों को बट्टे-खाते डाल दिया जाए। वही एकमात्र रास्ता है। आप पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग आरंभ करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं और आप निश्चय ही करों की राशि को बट्टे-खाते डाल देते हैं अथवा करों में छूट देते हैं। यहां आप इस कानूनी धारणा पर चलते हैं कि जो कुछ भी देय हो, वसूल किया जाए। महोदय, यह बहुत ही अमानवीय है और जब आप कहते हैं कि आप कृषि

क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र को प्राथमिकता देना चाहते हैं, तो इस विशेष पहलू पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अतः मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि वह योजना बड़े विकृत रूप में शामिल की गई है। मैं चाहूंगा कि वह अधिकारियों को बुला कर पता लगाएं कि इस योजना का मूल रूप क्या था। इस मामले में महाराष्ट्र राज्य अवश्य ही वित्तीय जोखिम उठा सकता है क्योंकि यह उन राज्यों में से है जिनका वित्त-प्रबन्ध सुव्यवस्थित है और जो इस मामले विशेष में कुछ सुस्पष्ट निर्णय लेने और एक नया मार्ग दिखाने में सामाजिक-आर्थिक जोखिम उठाने का साहस कर सकता है। इसलिए, बकायादारों संबंधी योजना और उन्हें रुग्ण एकक मानने तथा उनके लिए उन्हें कुछ सुविधाएं देने के प्रश्न का फैसला हो जाना चाहिए क्योंकि बकायादार होने की वजह से उन्हें सरकार से तकावी नहीं मिलती है, बैंक से ऋण नहीं मिलता है। केवल उतना ही नहीं, सरकारी अधिकारी वहां जाते हैं और जो कुछ भी उनके परिसरों में मिलता है उसे नीलाम कर देते हैं। अतः इस प्रश्न को तरजीह दी जानी चाहिए।

मैं एक और बात का उल्लेख करना चाहूंगा जो मुझ पर बजट के प्रभाव पर आधारित है। पहले इस राज्य में शिक्षा पर होने वाले व्यय की दर में पर्याप्त वृद्धि हुई थी। लेकिन अब शिक्षा संबंधी व्यय की दर में वृद्धि होना एकदम रुक गया है। हो सकता है, कुछ तकनीकी विकास हुआ हो लेकिन शिक्षा, विशेषकर तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, पिछड़े वर्गों को शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के बारे में कोई उच्च प्राथमिकता नहीं दी गई है। इन मामलों पर विचार करने की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री महोदय आप महाराष्ट्र बजट के इस विशेष पहलू पर गौर करेंगे और जो कुछ भी आप कर सकते हैं, करने का प्रयत्न करेंगे। आशा थी कि योजना 1,000 करोड़ रु० की होगी। पर इसे कम किया जा रहा है। यदि वित्त मंत्री अच्छा बजट बनाने में राज्य की मदद कर सकें तो राज्य अवश्य ही ऐसा कर सकता है। आपको चाहिए कि आप एक उच्चाकांक्षी योजना को प्रेरित और प्रोत्साहित करें क्योंकि यहां दी गई सूचना से यह स्पष्ट है कि उन्होंने स्वयं काफी संसाधनों का विकास कर लिया है। संसाधनों का विकास करने की क्षमता उन्होंने प्राप्त कर ली है। यहां आप उन राज्यों की मदद नहीं कर रहे हैं जिनके पास संसाधनों का विकास करने की क्षमता है। बेहतर हो यदि आप ऐसा करें और उन्हें एक और अवसर दें। वास्तव में, मैं बहुत खुश हूं कि दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों, सिंचाई और बिजली के लिए कुछ उचित धनराशि दी गई है। बिजली और सिंचाई दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं और उन्होंने इसके लिए उचित प्रावधान किया है अतः मैं सावधानी के तौर यहां यह अवश्य कहना चाहूंगा कि सिंचाई के लिए जो क्षमता उत्पन्न की जाती है भले ही उसका वास्तव में उपयोग किया जाए अथवा नहीं, वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है और हमें यह देखना होगा कि क्या विद्युत क्षेत्र में पूंजी निवेश निर्धारित सूत्रानुसार किया जा रहा है और उसका आशानुकूल परिणाम निकल रहा है क्योंकि कृषि की दृष्टि से और ग्रामीण क्षेत्रों की दृष्टि से सिंचाई महत्वपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्रों और कृषि की दृष्टि से बिजली भी बहुत महत्वपूर्ण है।

एक दूसरा पहलू भी है जो यह है कि यह बहुत ही औद्योगिकृत राज्य है यदि उद्योगों में गतिरोध आ जाए—वहां यही हो रहा है— भार का बंटवारा वहां निरंतर व्याधि बनी हुई है और इसके लिए कोई समाधान अवश्य तलाशना होगा। अतः मैं निवेदन करूंगा कि वित्त मंत्री इन समस्याओं को जांच करते समय संबंधित अधिकारियों को उचित सलाह दें।

महोदय, मैंने समस्या का सामान्य उल्लेख किया है लेकिन जो बात मैंने बकायादारों के बारे में और सिंचाई आदि की क्षमता के बारे में विशेष इस से कही है उस पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। राजनीतिक पहलू के बारे में, मैं जानता हूं कि जब यह मसला सीधे ही हमारे समक्ष आएगा तो हमें अधिक समय लेना होगा।

महाराष्ट्र बजट, 1980-81 के संबंध में लेखानुदानों की मांगें

श्री जी० एम० बनातवाला (पोमानी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए ।

विधान मंडल के संकल्प के बावजूद मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नामकरण डा० अम्बेडकर के नाम पर करने में विफलता ।[1]

अनुदानों की अनुपूरक मांगें
(महाराष्ट्र)—1979-80

श्री जी० एम० बनातवाला (पोमानी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि शिक्षा के सम्बन्ध में 14,22,97,050 रुपए से अनधिक राशि के अनुपूरक अनुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए ।

विधान मंडल के संकल्प के बावजूद मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नामकरण डा० अम्बेडकर के नाम पर करने में विफलता ।[1]

श्री एस० बी० चव्हाण (नांदेड़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तुत किए गए महाराष्ट्र के बजट का समर्थन करता हूं । महाराष्ट्र के बजट पर बोलने से पहले प्रारम्भ में ही मुझे यह कहना है कि माननीय वित्त मंत्री से मैंने वायदा किया था कि मैं उन्हें कुछ मुद्दे बतलाऊंगा, ताकि कुछ विषयों के सम्बन्ध में वे मुझे सुस्पष्ट उत्तर देने में समर्थ हो सकें । लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं ऐसा नहीं कर सका । मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे यदि सम्भव हो सके तो वे उत्तर भेज दें ।

महोदय, बजट पर टिप्पणी करने से पहले मैं अपने माननीय पूर्ववर्ती श्री वाई० बी चव्हाण द्वारा उठाए गए एक या दो मुद्दों का जिक्र करना चाहता हूं । एक मुद्दा योजना आयोग के अभाव के बारे में है और योजना आयोग के बिना बजट को अन्तिम रूप दे दिया गया लगता है, जिसे उन्होंने नौकरशाही-बजट कहा है। मेरा विचार है कि अपने भाषण के दौरान उन्होंने रफवरी तक महाराष्ट्र विधान सभा के विद्यमान होने की बात कही थी, और यदि मैं यह कहूं कि फरवरी से पहले विद्यमान तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार के निर्देशों पर वहाँ के अधिकारियों ने बजट को अन्तिम रूप दिया था, तो उसका अर्थ यह है कि उस पर जनता की स्वीकृति थी; यदि नहीं थी तो निश्चित रूप से वह मुझे यह बता सकते हैं कि क्या वे इसके गुण अथवा दोष, दोनों की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं । जब वे महाराष्ट्र सरकार द्वारा तैयार किए गए छोटे किसानों सम्बन्धी योजना जो

विशेष रूप से सहकारी समितियों सम्बन्धी मामलों के समय पर भुगतान न करने वाले व्यक्तियों के लिए थी, के बारे में तर्क दे रहे थे, तो मुझे विश्वास है कि वे उस योजना का जिक्र कर रहे थे, जो उस समय महाराष्ट्र सरकार द्वारा तैयार की गई थी और जिसकी भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने जांच की थी, लेकिन फिर भी किसी प्रकार वे उसमें सफल नहीं हो पाए और बजट में एक संशोधित योजना सम्मिलित कर ली गई । वास्तव में, मुझे अफसोस है कि वे वहां नहीं थे; अन्यथा यह उनके लिए बड़ी दिलचस्प बात बन जाती, जो मुख्य मन्त्री ने उस समय यह कहते हुए रवैया अपनाया था कि दोषी व्यक्तियों की इस स्कीम का मामला उनके लिए प्रतिष्ठा का मामला था और समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हो गया था । समाचारपत्रों में जो उनका वक्तव्य आया, मैंने उसकी सत्यता की जांच नहीं की है, लेकिन समाचार पत्रों में प्रकाशित वक्तव्य में यह कहा गया था कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक ने स्कीम की स्वीकृति नहीं दी, तो उन्होंने लगभग यह चेतावनी दे दी थी कि उनकी टकसाल बम्बई में स्थित है, यह जिक्र नासिक में स्थित उस मुद्रणालय के सम्बन्ध में था, जहां करेन्सी नोट छपते हैं और उन्होंने यह कहते हुए उस क्षेत्र में श्रमिकों को लगभग भड़काने का ही काम किया था कि "यदि इस योजना को भारतीय रिजर्व बैंक स्वीकृति नहीं देता, तो मैं यह देखना चाहता हूं कि ये दोनों संस्थान बन्द हो जाएं ।" यदि समाचार-पत्रों की यह खबर सही है कि उन्होंने यह बात कही थी और वे इस हद तक जा सकते हैं, तो निश्चित रूप से यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है ।

माननीय श्री वाई० बी० चव्हाण ने विधान सभाओं के भंग करने के सम्बन्ध में कुछ टिप्पणियां कीं । उन्होंने कहा कि जो कुछ राजनैतिक कार्यकारिणी वहां होनी चाहिए थी, वह अधिकतर विधान सभाओं के भंग करने से ले ली गई है । मुझे खुशी है कि उन्होंने जनता सरकार को भी नौ विधान सभाओं के भंग करने का दोषी ठहराया है, लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ता है और यदि वह सही है तो मैं यह सोचता हूं कि जो कुछ वक्तव्य वे आज दे रहे हैं, इस प्रकार का कोई वक्तव्य उन्होंने उस समय नहीं दिया था। उस समय तो उन्होंने केवल यह कहा था कि नौ विधान सभाओं को भंग नहीं किया जाना चाहिए था । लेकिन आज, वे आगे आकर लोकतन्त्र की दुहाई देते हुए यह कह रहे हैं कि विधान सभाओं को भंग किया जाना एक अलोकतान्त्रिक कार्य है ।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : वे उस समय भी जनता सरकार से सहमत नहीं थे ।

श्री एस० बी० चव्हाण : लेकिन उन्होंने ऐसा कोई सार्वजनिक वक्तव्य तो नहीं दिया था ।

प्रो० मधु दंडवते : उन्होंने ऐसा सदन में भी कहा था ।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं अपनी भूल स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : (मुजफ्फरपुर) : उन्होंने संकल्प का समर्थन किया था ।

श्री ए० बी० चव्हाण : जनता सरकार को दिए गए उच्चतम न्यायालय के मत के अनुसार, यदि मतदाताओं के बहुमत ने किसी विशेष दल के पक्ष में वोट दिया हो और यदि किसी विशेष राज्य में भिन्न दल की सरकार हो, तो निश्चित रूप से उनके द्वारा विधान सभा भंग करना वैध है । इस प्रकार की कार्यवाही को उन्होंने उचित ठहराया था और उसी आधार पर नौ विधान सभाओं को भंग किया गया था । यदि हम महाराष्ट्र में हुए मतदान के अकड़ों पर नजर डालें, तो हम देखेंगे कि 53 प्रतिशत मत कांग्रेस (आई) को मिले और 31 प्रतिशत से भी कम मत जनता पार्टी को मिले।

श्री आर० आर० भोले (बम्बई दक्षिण मध्य) : उन्नीस प्रतिशत ।

श्री ए० बी० चव्हाण : यदि इन आंकड़ों पर विचार किया जाए तो मुझे विश्वास है कि श्री वाई० बी० चव्हाण इस बात से असहमत नहीं होंगे कि जिस प्रकार का कदम उठाया गया में वह वास्तव में, आवश्यक था, ताकि वास्तविक जनादेश का पता चल सके और जनता के वास्तविक प्रतिनिधि चुन कर आएं और अपनी बात कह सकें ।

अब, मैं बजट की मूल बात पर आता हूं । जबकि वर्ष 1979-80, जैसा कि मुझे पता है, में 68 करोड़ रुपए का घाटा दर्शाया गया था, अब केवल 17 करोड़ रुपए के घाटे के साथ समाप्त हो रहा है । राज्य सरकारें इस अन्तर को भी पूरी तरह खतम कर सकती थीं, यदि वह उस समय घोषित उपायों का वास्तविक रूप में पालन करतीं । उस समय बजट पेश करने की मेरी ही जिम्मेदारी थी और मुझे पता है कि उस समय कौन-कौन से उपाय बताए गए थे और किन-किन स्रोतों का उपयोग करने की योजना तैयार की गई थी और इसे योजना आयोग ने स्वीकृति दी थी । यदि वह सब किया जाता, तो यह 17 करोड़ रुपए का घाटा भी पूरा किया जा सकता था ।

दो मुद्दे ऐसे हैं जिन पर मैं बल देना चाहता हूं, क्योंकि उनका सम्बन्ध भारत सरकार से है और इस बजट को वित्त मंत्री ने पेश किया है, अतः मेरा विचार है कि वे अपने मंत्रालय से सम्बन्धित इन मुद्दों का उत्तर देने में समर्थ होंगे ।

पहला मुद्दा 1972 से देय आयकर की बकाया राशि से सम्बन्धित है । गत पांच-छः वर्षों से इस बात के लिए बार-बार प्रयास किए गए हैं कि इन बकायों का भुगतान राज्य सरकार को किया जाए, क्योंकि यह उनके संसाधनों का एक हिस्सा है, लेकिन इस सम्बन्ध में यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि सी० ए० जी० क्रमशः अतिरिक्त-कर और आयकर की राशि को प्रमाणित नहीं कर पाया है । इस तरह यह कब तक चलता रहेगा—पांच या छः वर्षों तक ? यह भी संसाधनों का एक हिस्सा था और योजना आयोग तथा वित्त मंत्री को इस बारे में बता दिया गया था कि इतने वर्षों के बाद भी, यदि हमें वही घिसा पिटा उत्तर दे दिया जाता है कि सी० ए० जी० के प्रमाणपत्रों के बिना उन बकायों का निपटान करना सम्भव नहीं है जो वास्तव में महाराष्ट्र सरकार को देय है, तो यह उचित नहीं होगा । अन्तरिम हल के रूप में, मैं यह सुझाव देता हूं कि यदि सी० ए० जी० कुछ और समय ले अथवा अन्तरिम व्यवस्था के रूप में कोई फार्मुला खोजने के लिए भारत सरकार को कुछ समय लगे तो उचन्ती भुगतान किया जा सकता है और उसके बाद पूरा विवाद निपटाया जा सकता है । यह तो एक बात हुई ।

दूसरा मुद्दा, जो मैं उनके ध्यान में लाना चाहूंगा, वह अन्तर्राज्यीय मामले के सम्बन्ध में है, और गत 20 वर्षों से लटका हुआ है । महाराष्ट्र सरकार ने भारत सरकार को पुनर्भुगतान कर दिया है और राज्य पुनर्गठन अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार, इन सब अन्तर-राज्यीय विवादों में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अधीन भारत सरकार को कुछ प्राधिकार है । यदि उनको समाप्त कर दिया जाता है, तो मुझे ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं देता कि यह मामला भी इतने लम्बे समय तक निलम्बित पड़ा रहे । मैं वित्त मंत्री से विशेष रूप से अनुरोध करता हूं कि वह इस पहलू पर विचार करें और इन मामलों को यथा-सम्भव शीघ्र निपटवाने का प्रबन्ध करें ।

जो कागज-पत्र मुझे दिए गए, उनको पढ़ कर मुझे यह पता चला कि बजट में एक ऐसी स्कीम सम्मिलित की गई है, जिसके लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान है, और जो समय पर भुगतान न करने वाले छोटे किसानों को सहायता के लिए है । वास्तव में छोटे किसानों, सीमान्त किसानों और सूखी भूमि वालों की दशा बहुत ही खराब है । इसके बारे में कोई सन्देह नहीं है । इस मामले में कुछ न कुछ पुनर्विचार करना होगा । भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मन्त्रालय के अधिकारियों को परस्पर विचार कर इस उद्देश्य से कोई स्कीम तैयार करनी होगी, जो केवल महाराष्ट्र में, बल्कि पूरे देश में यदि अन्यों से नहीं, तो कम से कम छोटे किसानों, सीमांत किसानों और सूखो भूमि वाले किसानों से ब्याज की रियायती दर वसूल करने से सम्बन्धित हो । मैं यह जानकर बहुत खुश हूं कि लगभग 90 लाख टन से शुरू हुआ कृषि-उत्पादन पिछले वर्ष, अर्थात् 1979-80 में लगभग 104 लाख टन तक पहुंच गया । लेकिन जनसंख्या की वृद्धि और कृषि उत्पादन में कोई तालमेल होना चाहिए । यदि छोटे किसानों और सीमांत किसानों को कृषि-उत्पादन कार्यक्रम में पूरी तरह व्यस्त कर दिया जाए तो मुझे विश्वास है कि यह कदम अनिवार्य है और इस विषय पर गम्भीर पुनर्विचार करना होगा । रिजर्व बैंक केवल ऐसे छोटे किसानों के बारे में सहमत हुआ है, जो सूखे से प्रभावित हुए हैं और वे मूलधन का पूरा अथवा आंशिक भुगतान करने को तैयार हैं । यदि इसे स्वीकार कर लिया जाए तो रिजर्व बैंक ब्याज के मामले में कुछ रियायत देने को तैयार है । मेरा विचार है कि इस बात की आशा करना व्यर्थ होगा कि छोटे किसान अथवा सीमांत किसान ब्याज के बकाए का भुगतान कर देंगे । वे इसके मूल अंश, जो ब्याज से काफी कम है, का भी भुगतान करने की स्थिति में नहीं हैं । अतः पुनर्वास कार्यक्रम के रूप में इस पर किसी प्रकार का पुनर्विचार करना होगा । ब्याज की दर में महत्वपूर्ण कटौती करनी होगी और मेरी राय यह है कि इन सब श्रेणियों के मामलों में यह चार प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए और मैं यह चाहता हूं कि इसमें विशेष रूप से महाराष्ट्र के सूखी भूमि वाले किसानों को सम्मिलित कर लिया जाए, क्योंकि उन्हें बहुत कम सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं और कृषि उत्पादन वास्तव में वहां एक प्रकार का जुआ है, जो उन्हें खेलना पड़ता है ।

दूसरी बात जिस पर मैं बल देना चाहता हूं, वह कृषि-आदानों के मूल्यों से सम्बन्धित है । किसानों को बाजार से जो वस्तुएं खरीदनी पड़ती हैं उनके मूल्य अत्यधिक हैं । उनके अनुपात में कृषि-उत्पाद से उतना धन नहीं मिल पाता । कृषि उत्पाद के मूल्यों में यदि कमी नहीं हुई है तो वृद्धि भी बहुत थोड़ी ही हुई है, मुश्किल से गेहूं के मामले में लगभग 2/- रुपए ही हुई है । और अन्य खाद्यान्नों के मामले में मूल्य वृद्धि लगभग नहीं हुई है । लेकिन कृषि आदान तो अनिवार्य हैं । सुबह कृषि मंत्री सदन में यह आश्वासन दे रहे थे कि आने वाले वर्षों में खाद के उपयोग पर हम अधिक बल देंगे । खाद अब लगभग ऐसी महंगी वस्तु बनती जा रही है,

जो औसत दर्जों के किसान की पहुंच से बाहर होती जा रही है । अतः कुछ और राज्य-सहायता देनी होगी और इसकी प्रतिपूर्ति कैसे की जाए, वह एक अलग बात है, जिस पर वित्त मंत्री को विचार करना होगा । कृषि मूल्य आयोग के निर्देश-पदों को और भी अधिक व्यापक बनाना होगा, ताकि उत्पादन की लागत को किसान द्वारा अर्जित उत्पाद के मूल्य से जोड़ा जा सके । यह कड़ी जोड़नी ही होगी ।

इस सम्बन्ध में, मैं सदन को यह सूचित करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में कपास के उत्पादन में भारी वद्धि हुई है । कपास का उत्पादन, जो सामान्यतः 13 लाख गांठें हुआ करता था, वर्ष 1979-80 के दौरान उससे बढ़कर 16 लाख गांठें हुआ । इसका यह अर्थ हुआ कि महाराष्ट्र में उत्पादन में 3 लाख गांठों की वृद्धि हुई । इस वृद्धि का मुख्य कारण कपास उत्पादकों को सरकार द्वारा वायदा किया गया दिए जाने वाला गारन्टी मूल्य है । मुझे बताया गया है कि कपास खरीदने की यह एकाधिकार स्कीम इस वर्ष के अन्त तक समाप्त हो रही है। मैं वित्त मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि इस योजना की अवधि को और 10 वर्ष बढ़ा दें ताकि कृषक को एक प्रकार की गारंटी मिल जाए और उसे यह मालूम हो जाए कि उसे फसल की बिक्री से कितनी रकम मिलने की संभावना है ।

अब मैं ऊर्जा विभाग के बारे में कुछ कहना चाहूंगा और विशेषतः ऊर्जा की कमी के बारे में । महाराष्ट्र में औद्योगिक और कृषि, दोनों सैक्टरों में बिजली की अत्यधिक कमी रही है । महाराष्ट्र में लगातार बिजली की कटौती की जाती रही है। इन अधिकांश योजनाओं के मामले में, जो महाराष्द्र सरकार ने भारत सरकार को भेजी है, या तो ऊर्जा विभाग की मंजूरी नहीं मिल सकी है या योजना आयोग की । मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे पोर्ले उजरन और नासिक के ताप बिजली घरों तथा चन्द्रपुर के उच्च ताप बिजली घर को ध्यान में रखें । हमने यही चार योजनाएं भेजी हैं। यदि इन योजनाओं को जल्दी मंजूरी मिल जाए तो मेरा विचार है कि इससे महाराष्ट्र सरकार को उस क्षेत्र में बिजली की कमी दूर करने में सहायता मिलेगी ।

मैं एक और बात जो उनके ध्यान में लाना चाहता हूं वह है कोयले की कमी । हमें बताए गए इस तथ्य के बावजूद कि वेगनों की संख्या बढ़ा दी गई है और कोयले की ढुलाई तेजी से हो रही है हम यह देखते हैं कि उस क्षेत्र में कोयले की बहुत कमी है। ताप बिजली घर अपनी क्षमता का 75 से 80 प्रतिशत तक ही उपयोग कर पा रहे हैं। उनके पास कम से कम 15 दिन का स्टाक होना चाहिए । मैं उनसे यह अनुरोध करूंगा कि वे, यह देखने के लिए कि कोयला सप्लाई बढ़ाई जाए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें ।

एक और बात उन सेटों के बारे में है जो बी० एच० ई० एल० द्वारा सप्लाई किए गए थे । वे बहुत घटिया किस्म के हैं । मैं यह बात मंत्री महोदय के ध्यान में अवश्य लाना चाहता हूं और विशेषतः श्री जाज फर्नान्डीज के ध्यान में जो यहां बैठे हुए हैं और जो प्रभारी उद्योग मंत्री थे । उन्हें इस समस्या के बारे में अच्छी तरह मालूम है। मैं मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि बी० एच० ई० एल० द्वारा सप्लाई किए गए सेटों में गम्भीर दोष पाए गए हैं ।

हम उनसे बार-बार यह अनुरोध करते रहे हैं कि इन दोषों को यथा-शीघ्र ठीक कर दिया जाए । यहां तक कि रोटरों की गम्भीर खराबियों की पूरी तरह मरम्मत करने में एक वर्ष तक का समय लग जाता है ।

इसलिए मेरा अनुरोध यह है कि या तो बी० एच० ई० एल० के कार्यकरण में सुधार किया जाए ताकि वे किस्म-नियंत्रण का दायित्व निभा सकें, उन्होंने जिस किस्म के सेट सप्लाई किए हैं उसकी जिम्मेदारी ले सकें या मान-अपमान के प्रश्न पर अड़ने के बजाए—हमें इन सेटों को सप्लाई के स्रोत की अपेक्षा बिजली प्राप्त करने में ज्यादा रुचि है क्योंकि देश के हित में यह देखना अधिक आवश्यक है कि सारे देश में बिजली की कमी को न्यूनतम बनाया जाए और इसके लिए यदि आयात करना बहुत आवश्यक हो तो आयात करने की भी अनुमति दी जाए ।

मैं आशा करता हूं कि वे मेरी इन बातों पर विचार करेंगे ।

महोदय, मैं आपका आभारी हूं ।

श्री आर० आर० भोले (बम्बई दक्षिण-मध्य) : महोदय, मैं सरकार द्वारा पेश किए गए बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं अधिक समय नहीं लूंगा ताकि विपक्ष को पर्याप्त समय मिल सके; वे किसी भी तरह और किसी भी ओर से इसकी आलोचना करने के लिए बहुत उत्सुक हैं, जैसा उनके चेहरे के भावों से जाहिर है ।

एक माननीय सदस्य : हम अच्छी बातों की आलोचना नहीं करते हैं ।

श्री आर० आर० भोले : आप बुरी या अच्छी दोनों ही प्रकार की बातों पर हमला करते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको "आकर्षित करते हैं" कहना चाहिए ।

श्री आर० आर० भोले : जी हां, वही हो रहा है ।

सबसे पहले मैं उस बात को लूंगा जो हमारे मित्र श्री चह्वाण ने उठाया है, मैं इसकी गहराई नहीं जाऊंगा क्योंकि विधान सभा को भंग किए जाने के बारे में बोलने के लिए यह उचित समय या अवसर नहीं है । किसी उपयुक्त समय पर, जब दूसरी ओर के बहुत से चैम्पियन 'भंग किए जाने की' कई कारणों से आलोचना करने के लिए खड़े होंगे, हमें उनका उत्तर देने का अवसर मिलेगा । इस समय तो मैं केवल एक ही कारण की चर्चा करूंगा और वह है कि 1980 में जब विधान सभा भंग की गई थी, क्या लोगों ने मुख्य मंत्री श्री शरद पवार के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार का समर्थन किया था या नहीं । महाराष्ट्र के मतों की प्रतिशतता पर विचार करें तो कांग्रेस (आई) को कुल मतों का 42.56 प्रतिशत मिला था जबकि जनता पार्टी को, जिसने महाराष्ट्र में शरद पवार की कांग्रेस तथा कुछ अन्य पार्टियों और दलों के साथ मिल कर सरकार बनाई थी, कुछ मतों का केवल 18.9 प्रतिशत ही मिला ।

एक माननीय सदस्य : चुनाव, राज्य के विषयों को लेकर नहीं लड़े गए थे ।

श्री आर० आर० भोले : चुनाव के समय राज्य के विषयों सहित सभी विषय मतदाताओं के आगे रखे गए थे, क्योंकि आपका उद्देश्य केवल बम्बई में ही नहीं बल्कि शेष महाराष्ट्र में भी अपने प्रत्याशियों के लिए अधिक से अधिक मत प्राप्त करना था और इसलिए राज्य के विषयों को राष्ट्रीय विषयों को तथा बहुत से अन्य विषयों को भी मतदाताओं के आगे उठाया गया था ।

इसलिए लोगों का जो समर्थन महाराष्ट्र सरकार को शायद 1977 में प्राप्त था उन्होंने वह भी 1980 में खो दिया । इस पर यदि दूसरे पहलू से विचार किया जाए तो कांग्रेस (आई) को संसद में 48 स्थानों में से 39 स्थान मिले और शेष स्थान विपक्ष को मिले। शरद पवार की कांग्रेस को केवल एक स्थान मिला था और वह स्थान था हमारे माननीय श्री यशवन्त राव चह्वाण का । वास्तविक स्थिति यह है । इस स्थिति को देखते हुए बहुत उपयुक्त रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सरकार ने लोगों का विश्वास खो दिया है । यदि ऐसा है तो उन्हें अवश्य हट जाना चाहिए ।

महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था की जो स्थिति है मैं उस ओर आपका ध्यान विस्तृत रूप में नहीं आकर्षित करूंगा लेकिन मैं केवल एक घटना का वर्णन करूंगा और वह घटना मराठवाड़ा क्षेत्र की है । महाराष्ट्र विधान सभा द्वारा मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदल कर डा० अम्बेडकर के नाम पर रखने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए जाने के कारण मराठवाड़ा में दंगे हुए थे । इस तथ्य के बावजूद कि सरकार को यह मालूम था कि उनके इस कार्य से शायद कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाए वे इस विषय में एक महीने या दो महीनों तक नहीं, कई महीनों तक—बल्कि लगभग एक वर्ष तक सोते रहे—और उन्होंने यह भी जानने की कोशिश नहीं की कि मराठवाड़ा में क्या हो रहा था । उस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने में हुई देरी का परिणाम यह हुआ कि गांवों में अनुसूचित जातियों और बौद्धों की झोंपड़ियां जला दी गई और उनकी बस्तियां नष्ट कर दी गई । सरकार ने कानून और व्यवस्था को बनाए रखने और गरीब लोगों या उनकी सम्पत्ति की सुरक्षा की कोई परवाह नहीं की । उन्होंने इन स्थानों पर पुलिस नहीं भेजी ? कुछ भी नहीं किया । महाराष्ट्र सरकार ने, जिसके बारे में वे कहते हैं कि लोकप्रिय सरकार, इस प्रकार कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखी ।

उपाध्यक्ष महोदय : बजट के बारे में बोलिए ताकि आपको इसके लिए अधिक समय मिल सके ।

श्री आर० आर० भोले : बजट के मामले में मुझे बम्बई नगर में अधिक रूचि है । मैं केवल दो मुद्दे उठाऊंगा । बम्बई नगर की मुख्य समस्याओं में से एक समस्या गन्दी-बस्ती क्षेत्र की है । बम्बई नगर की जनसंख्या 60 लाख या उससे अधिक है ।

श्री जार्ज फर्नांडीज : 80 लाख है ।

श्री आर० आर० भोले : जी हां, अब यह बढ़ कर 80 लाख हो गई है। यहां गन्दी बस्तियों की समस्या है । जनसंख्या का लगभग 20 प्रतिशत अच्छे मकानों की किसी न किसी प्रकार के घरों में रहता है । लेकिन शेष जनसंख्या या तो ऐसे जीर्ण-शीर्ण मकानों, टूटे-फूटे मकानों या झोंपड़ियों में रहती है, जिनका न तो विकास हुआ है और जिनमें न ही कोई नालियां, टट्टियां, गुसल आदि हैं। वे सभी अस्वच्छता की स्थिति में रहते हैं। इस लिए समस्या यह है कि इन गरीब वर्गों को इन गन्दी बस्तियों में ठीक से बसाया जाए या कहीं और बसाया जाए । यह बहुत महत्वपूर्ण समस्या है और मेरा विचार है कि महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार के लिए भी यह आवश्यक है कि जहां तक संभव हो सके इस समस्या को हल करें ।

जहां तक गन्दी बस्तियों को हटाने के लिए धन की पूर्ति का प्रश्न है मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता था । मुझे नहीं मालूम कि विपक्ष के मेरे मित्र या सरकार इससे सहमत होगी या नहीं । एक हल यह है । बम्बई में टनों में रुपया है . . .

श्री राम जेठमलानी (बम्बई उत्तर पश्चिम) : आप अपने बारे में बोल रहे हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : उसे मुझे दिखाइए ।

श्री आर० आर० भोले : मेरे मित्र श्री जेठमलानी धन के बारे में—काले धन के बारे में मुझसे अधिक जानते हैं। मैं काले धन की बात कर रहा हूं ।

श्री राम जेठमलानी : मैं बम्बई के काले धन के बारे में सब जानता हूं ।

श्री आर० आर० भोले : वे केवल एक अच्छे वकील ही नहीं हैं बल्कि काले धन का पता लगाने के भी विशेषज्ञ हैं। बम्बई में बहुत अधिक काला धन है । उन पर कर नहीं लगता है । आयकर अधिकारी उनका पता नहीं लगा सकते। मेरा सुझाव यह है कि इन बड़े व्यापारिक घरानों में से कुछ को, जिनके पास बहुत अधिक काला धन है, जिसके बारे में कर लगाए जाने के लिए सरकार को नहीं बताया गया है, इन गन्दी बस्तियों के सुधार के लिए राजी किया जाए और उन पर दबाव भी डाला जाए और यदि गन्दी बस्तियों में रहने वालों के लिए वे कुछ अच्छे मकान बना दें तो सरकार उस धन को और गन्दी-बस्तियों के सुधार में लगे धन के बराबर या उससे आधे धन को आय कर तथा अन्य सम्बद्ध करों से मुक्त कर दें । मुझे नहीं मालूम कि मेरे मित्र श्री जेठमलानी इससे सहमत होंगे या नहीं । मुझे प्रसन्नता है कि वे सहमत हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : वे ऐसी बात से अवश्य सहमत हों जहां उन्हें स्वयं कुछ न खोना पड़े।

श्री आर० आर० भोले : यदि ऐसा किया जाय तो मेरा विचार है कि बहुत सारी गन्दी बस्तियों में सुधार किया जा सकता है । हमारे सामने कुछ ऐसे भी व्यापारिक घराने हैं जिन्हा पहले ही कुछ गाँवों का चयन कर लिया है और उनमें वे अच्छा कार्य कर रहे हैं ।

यदि वित्त मंत्री और भारत सरकार इन बड़े धनी व्यापारिक घरानों में से कुछ घरानों को इन गन्दी बस्तियों के निवारण के लिए मना लेते हैं, तो यह एक आश्चर्यजनक बात होगी ।

मैं एक बात और सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं और वह यह है कि बम्बई एक अत्यधिक भीड़-भाड़ वाला महानगर है । लोग वहां नौकरी की तलाश में जाते हैं । इसकी बजाय कि गांव के लोग बम्बई पहुंचे, यह बेहतर होगा कि गांवों में उद्योग और रोजगार उपलब्ध करवा दिए जाएं । यदि गांवों में उद्योगों की स्थापना हो जाती है, तो बम्बई, जहां पहले ही बहुत भीड़-भाड़ है, वहां और अधिक भीड़-भाड़ नहीं बढ़ेगी । यदि ऐसा कर लिया जाता है और यदि जिले में, तालुकाओं में, बाजार-भावों में लघु उद्योग और मध्यम दर्जे के उद्योगों का विस्तार कर दिया जाता है, तथा उन कस्बों में यदि कुछ नगरों जैसी सुविधाएं दे दी जाती हैं, तो गांवों से ग्रामीण लोग बम्बई या पूना अथवा कहीं और नहीं जाएंगे तथा वहीं गांवों में रहेंगे और शायद अधिक प्रसन्न रहेंगे । बम्बई की भीड़-भाड़ में भी इससे कमी आएगी ।

ये दो ऐसे मुद्दे हैं, जो मैं सदन और सरकार के ध्यान में लाना चाहता था । मुझे खुशी है कि मैं यहां बजट का समर्थन करने की स्थिति में हू, क्योंकि सभी ने इसे अच्छा बजट बताया है । मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री जार्ज फर्नांडीज (मुजफ्फरपुर) : मैं महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमन्त्री, श्री शरद पवार को बधाई देते हुए अपनी बात शुरू करना चाहूंगा । यह श्री शरद पवार के कारण ही है कि आज हम यहां बजट पर चर्चा कर रहे हैं । श्री शरद पवार ने उनके लिए किया गया सारा प्रणय-निवेदन सारी फुसलाहट, सारी धौंस और प्रत्येक प्रलोभन अस्वीकार कर दिया । महाराष्ट्र की विधान सभा भंग किए जाने के केवल यही एक कारण था । दूसरे पक्ष में बैठे मेरे दोस्तों को इसकी जानकारी है और इस देश के लोगों को भी, जो कुछ कर्नाटक, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में हुआ, उसकी जानकारी है । अतः आंकड़े बताने के इस वाद-विवाद में हम न पड़ें । उनसे कोई भी प्रभावित नहीं होता, क्योंकि इस बात का आंकड़ों से कोई सम्बन्ध नहीं है, जब श्री शरद पवार को बहलाया-फुसलाया जा रहा था और जब उन्होंने इसे छलिया की तरह अस्वीकार कर दिया था, तो उनकी विधान सभा भंग कर दी गई और उन्हें सरकार से बाहर फेंक दिया गया । इसी लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, जिस कारण मेरे दोस्त श्री वेंकटरामन, माननीय वित्त मंत्री इस बजट को पेश करने यहां पधारे। दूसरे पक्ष के दो वक्ता कानून और व्यवस्था के बारे में बोले। मैं भी कानून और व्यवस्था के प्रसंग से, महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति से अपनी बात शुरू करना चाहूंगा । आज सुबह मुझे दो लिखित प्रमाण मिले। दोनों का सम्बन्ध उन घटनाओं से है, जो कांग्रेस (आई) की केन्द्रीय सरकार बनने और राज्य सभा भंग होने के बाद घटित हुई ।

14 जनवरी को—नई सरकार के गठन के दो दिन बाद, महाराष्ट्र के नियोक्ताओं ने यह अनुभव करना शुरू कर दिया कि अब उन्हें श्रमिकों की गोली से उड़ा देने का लाइसेंस मिल गया है—मैं तालुज घटना की बात कर रहा हूं, जहां प्रमोद रबड़ वर्क्स के दो भागीदारों—दीक्षित भ्राताओं ने 14 और 15 जनवरी को श्रमिकों को गोली से मारने के लिए अपनी-अपनी रिवाल्वरों का प्रयोग किया । यह एक संकेत था । कानून और व्यवस्था का यह वाद-विवाद जो गत आम चुनाव के दौरान देश भर में चल रहा था और उसके बाद अब यह पूरी तरह से दूसरे रुख पर चल रहा है—इसका एक उदाहरण या नमूना आज सुबह कोई देख सकता था, जब हमने दिल्ली की सड़कों पर कल अन्धों पर हुए हमले का जिक्र किया था । नियोक्ताओं ने सोचा कि अब दिल्ली में कांग्रेस (आई) के राज्य की स्थापना हो गई है उन्हें अब पुलिस की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है और वे अब श्रमिकों को मारने के लिए अपनी रिवाल्वरों का प्रयोग कर सकते हैं । यह तो प्रमोद रबड़ वर्क्स तालुज में हुआ । मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि इस किस्म के मामले में उनका क्या करने का विचार है ।

दूसरा लिखित प्रमाण, जो मुझे प्राप्त हुआ वह काष्ठकरी संगठन नामक एक संगठन से सम्बन्धित है । यह मेहनती लोगों का एक संगठन है । मुझे विश्वास है कि श्रमिकों के इस संगठन के बारे में श्री शंकर राव चह्वाण को अवश्य पता होगा, जो बम्बई से कोई अधिक दूर नहीं डाहनु और सीमावर्ती गांवों में आदिवासियों के लिए कार्य करता है। 20 फरवरी को, अर्थात् आपके द्वारा विधान सभाओं को भंग किए जाने के बाद केवल कुछ ही दिनों के भीतर-भीतर बुधरखा नाम की एक आदिवासी महिला पर बलात्कार किया गया और उसे मार डाला गया । इस घटना को घटे यही कोई एक महीना और दो दिन बीते हैं। लोग नारायणपुर गए और वहां उन्होंने नकली आंसू बहाए . . .। (व्यवधान) बेशक, वे नकली आंसू थे । नहीं, तो डाहनु में आदिवासी महिला बुधरखा के बलात्कार और हत्या पर कोई आंसू

क्यों नहीं बहाए जा रहे हैं ? अभी तक एक व्यक्ति की भी गिरफ्तारी नहीं की गई है अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नही की गई है । और यह डाहनु क्षेत्र के कई मामलों में से केवल एक मामला है । यह इस दस्तावेज में लिखा है, महोदय, यदि आप मुझे अनुमति दें, तो मैं इसे सदन-पटल पर रखना चाहूंगा, क्योंकि यह दस्तावेज और कुछ नहीं, केवल एक अभियोग-पत्र है, जिसमें गत कई महीनों से, नहीं, बल्कि कई वर्षों से और विशेष रूप से पिछले एक महीने के दौरान, जो कुछ हो रहा है, उसका उल्लेख है । हरिजनों, आदिवासियों और गांवों की गरीब जनता पर किए जा रहे हमलों में वृद्धि हो रही है और यह सब कुछ 12 जनवरी, जब यहां नई सरकार ने शपथ ली और 17 फरवरी, जब शरद पवार की सरकार को उखाड़ फेंका गया, के बाद से वास्तव में घटित हो रहा है.... (व्यवधान)

दूसरा मुद्दा, जो इन लोगों ने चुनावों के दौरान उठाया था, वह आवश्यक पदार्थों के मूल्यों के सम्बन्ध में था । प्याज के बारे में इतना कुछ कहा गया जैसे कि इस देश में केवल प्याज ही एक महत्वपूर्ण वस्तु है इस देश के सम्पूर्ण क्षेत्र में केवल एक ही अभियान छेड़ दिया गया था कि प्याज तक भी उपलब्ध नहीं है । महोदय, कल मैं पुणे जिले के चकन गांव में था और परसों मैं नासिक जिले के औजर और लसलगांव में था । महोदय, लसलगांव भारत में प्याज की सबसे बड़ी मंडी है । देश में, बाजार में आने वाली कुल प्याज का 12 प्रतिशत भाग अकेले उस गांव से आता है । गत वर्ष वहां किसानों को 10 करोड़ रुपए की कुल धनराशि का भुगतान किया गया । मैं परसों शाम को वहीं था । वहां नीलामी चल रही थी और 10000 क्विंटल प्याज 30 से 56 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेची गयी....

श्री आर० आर० भोले (बम्बई दक्षिण-मध्य) : बम्बई में यह 8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बिक रही थी ।

श्री जार्ज फर्नांडीज : दिल्ली में आज आप 2 रुपए 60 पैसे के हिसाब से प्याज बेच रहे हैं, लेकिन किसानों को आप केवल 30 पैसे प्रति किलोग्राम के दाम दे रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में एक सत्याग्रह हुआ था । आप तीन दिन तक पुणे नहीं जा सकते थे, क्योंकि किसानों ने बैलगाड़ियां खड़ी करके सड़कों को रोक दिया था । आपने क्या किया ? आपने उन पर लाठियां बरसवाई । उसके बाद आपने क्या किया ? उनमें से आपने 500 को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें यरवदा जेल में बन्द कर दिया । लेकिन, उन्हें कल ही उस समय छोड़ा गया, जब उन्होंने अपना सत्याग्रह वापिस ले लिया । उन्होंने एक शर्त पर अपना सत्याग्रह वापिस लिया है । सरकार ने प्याज का खरीद मूल्य 45 पैसे से 60 पैसे प्रति किलोग्राम घोषित किया है । उनकी मांग जो एक उचित मांग है, 60 से 70 पैसे प्रति किलोग्राम के खरीद मूल्य की है । उनकी इस मांग को महाराष्ट्र राज्य में कांग्रेस (आई) के प्रवक्ता सहित प्रत्येक व्यक्ति ने स्वीकार किया है । महाराष्ट्र के पूणे और नासिक जिले भारत में सबसे अधिक प्याज उगाने वाले क्षेत्रों में से हैं और फिर भी सरकार उनकी मांग सुनने को तैयार नहीं है । किसानों ने कल किन्हीं कारणों की वजह से कुछ निराशा से और कुछ हद तक अपने नेता श्री शरद जोशी, जो भूख हड़ताल पर थे, के जीवन को बचाने की चिन्ता से तथा मूल रूप में सरकार को निर्णय लेने के लिए कुछ और समय देने के उद्देश्य से अपने प्याज 45 से 60 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। यद्यपि वे कहते हैं, कि यदि पिछले समय से ही 50 से 70 पैसे प्रति

किलोग्राम के हिसाब से मूल्य का भुगतान नहीं किया जाता तो वे महाराष्ट्र के प्याज उगाने वाले सम्पूर्ण क्षेत्र में कर न देने सम्बन्धी अभियान चला देंगे और जब तक कि सरकार मूल्यों के निम्नतम स्तर पर 45 और 50 पैसे के बीच के और उच्चतम स्तर पर 60 और 70 पैसे के बीच के अन्तर के हिसाब से भुगतान नहीं कर देती, वे लगान का भुगतान नहीं करेंगे और बैंकों से लिए गए ऋण को वापिस नहीं करेंगे ।

इस लिए महोदय, ये लोग किस विषय के बारे में बात कर रहे हैं? मैं पूछता हूं कि आप इन विषयों के बारे में क्या कर रहे हैं? आपने उनके लिए क्या किया है ? मेरे माननीय दोस्त, श्री चह्वाण ने योजना आयोग का जिक्र किया। आप योजना आयोग के बारे में भूल गए । आपने अभी तक रक्षा मंत्री नियुक्त नहीं किया है । मुझे नहीं पता है कि मेरे आदरणीय मित्र, श्री वेंकटरामन अन्तिम रूप से उद्योग मंत्री होंगे या वित्त मंत्री । मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्हें खुद भी शायद न मालूम हो । मैं कहता हूं शासन में आने के दो महिने बाद भी और आपके नेता को जिन्होंने कहा था कि उन्होंने 350 की संख्या छोटे से कागज के टुकड़े पर लिख कर रख दी थी अन्तर्बोध होने के बाद पांच महीनों बाद भी आप अभी तक एक तदर्थ सरकार चला रहे हैं। ऐसा चुनावों के तीन महीने पहले हुआ था, जब उन्होंने 350 की यह संख्या कागज के एक छोटे से पुर्जे पर लिख दी थी। लेकिन आपने यह क्यों नहीं लिखा कि अगला रक्षा मंत्री कोन होगा ? हमारे देश की सीमा विभिन्न पड़ौसी राज्यों के साथ बहुत नाजुक हो गई हैं ; लेकिन हमारे यहां अभी तक रक्षा मंत्री नियुक्त नहीं हुआ है । यहां हर आदमी औद्योगिक विकास औद्योगिक उत्पादन, उत्पादन में कमी और इसी प्रकार की बात करता है । मैं उसकी यहां चर्चा करना चाहता हूं। चर्चा के लिए समय होगा और बजट में कही गई हर बात उड़ जाएगी । हम इस पर चर्चा करेंगे । (व्यवधान) मेरा प्रश्न यह है : आप देश को क्यों विमुख कर रहे हैं? आप महाराष्ट्र को क्यों विमुख कर रहे हैं?

भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने एक अन्य मुख्य मंत्री को उत्तर दिया; श्री शंकर राव चह्वाण ने श्री यशवन्त राव चह्वाण को, जिन्होंने कहा था कि चूंकि श्री शरद पवार जब तक पद पर थे, अतः बजट में अवश्य ही राजनीति का हाथ होगा । मैं अपना पूरा बल देते हुए कह सकता हूं कि बजट तैयार करने में राजनीति का कोई हाथ नहीं था––और श्री शरद पवार का तो निश्चित रूप से नहीं । लेकिन मैं आपका, आपकी पार्टी का राजनैतिक हाथ देखता हूं । लेकिन, आप महाराष्ट्र के विषय में क्या कर रहे हैं। यह बजट आप पेश कर रहे हैं––मेरा नौकरशाही से कोई मतलब नहीं है । निश्चित रूप से उसका मेरे से कोई सम्बन्ध नहीं है । सरकारी अफसर आपके अनुदेशों का पालन करेंगे । मेरा विश्वास है कि आप सरकारी-अफसरों के प्रवक्ता के रूप में यहां नहीं हैं। लेकिन सरकारी अफसर आपके शिल्पी हैं। आपने उन्हें अपने विचार दिए । उन्होंने आपको यह बजट दिया । आप महाराष्ट्र के सम्बन्ध में क्या कर रहे हैं?

श्री भोले केवल बम्बई के विषय में बोले। बेशक, बम्बई की अपनी समस्याएं हैं।

मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने यह नहीं कहा कि ये जनता सरकार ने पैदा की हैं, क्योंकि इसी समय आपका नारा कुछ भी हो सकता है । मैं यह कहने वाला था कि मैंने दो गौरैयां देखीं थी, तो हो सकता है, आप यह कहोगे कि जनता ने उन्हें यहां रखा है । आपका जनता शासन, लोक दल शासन के बारे में एक ही मानक तर्क है, जैसे कि आपका इस वर्ष

12 जनवरी को ही जन्म हुआ हो । लेकिन, आपने 30 वर्ष तक इस देश में शासन किया है। आपने इसको अव्यवस्थित कर दिया है ।

आप हमारे बारे में सबसे बुरी बात जो कह सकते हैं कि हमने आपको सब कुछ अव्यवस्थित करके दिया है । इससे अधिक आप कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन आप निरन्तर जनता सरकार को कोस रहे हैं । इस बजट के बारे में आप क्या कहते हैं? महाराष्ट्र के साथ आप क्या करने जा रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय इस बजट को अस्वीकार किया जाना चाहिए और मैं इस बजट के विरोध में मतदान करने जा रहा हूं । वे सभी काम बिगाड़ रहे हैं जो गत दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में किया गया था । मैं श्री शंकर राव चह्वाण से सहमत नहीं हूं । मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और वह एक कुशल प्रशासक हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मझे उनके राजनीतिक विचारों से पूर्णतया सहानुभति नहीं है । मुझे आश्चर्य है कि क्या उन्होंने इस बजट का अध्ययन किया है । क्या इसका कारण अनुशासन है ? क्या यह उनकी अपने नेता के प्रति निष्ठा है । क्या यह महाराष्ट्र के लोगों की भावनाओं का कोई सन्धियोग है । वे इस सदन से क्या आशा रखते हैं ? मैं इस वार्षिक वित्तीय विवरण के पृष्ठ 9 के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं । इसे वित्त मंत्री ने पेश किया है । यह वित्त मंत्री के नाम से पेश किया गया है न कि किसी नौकरशाह के नाम से । मैं आर्थिक सेवाओं के मद ग को लेता हूं । वे क्या करने का प्रयास कर रहे हैं ? मद संख्या 305, कृषि को लें । वर्ष 1979-80 के लिए संशोधित प्राक्कलन के आंकड़े 45 करोड़ रुपए के हैं। वर्ष 1980-81 के लिए बजट प्राक्कलन में इसे घटा कर 44 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह राजस्व लेखा परिव्यय है । वर्ष 1979-80 के लिए लघ सिंचाई पर संशोधित प्राक्कलन में 12 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। वर्ष 1980-81 में अब यह राशि घटा कर 11 करोड़ रुपए कर दी गई है। भ और जल संरक्षण के बारे में वर्ष 1978-80 के लिए संशोधित प्राक्कलन 28 करोड़ रुपए थे । उन्होंने इसे घटा कर 17 करोड़ रुपए कर दिया है । उद्योगों के बारे में हमने ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को ले जाने अथवा वहां खोलने के बारे में कहा है और उद्योग मंत्री के रूप में मैंने, इसकी पहले घोषणा की थी । अन्य उद्योगों पर गत वर्ष का संशोधित प्राक्कलन 3.96 करोड़ रुपए था और इसे इस वर्ष घटा कर 3.92 करोड़ रुपए कर दिया गया है । ग्रामीण और लघु उद्योगों पर गत वर्ष के आंकड़े 3.59 करोड़ रुपए के थे । इसे अब घटा कर 2.83 करोड़ रुपए कर दिया गया है । सिंचाई, जल निकासी और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के क्षेत्र में सर्वाधिक कटौती की गई है । इसमें गत वर्ष 66 करोड़ रुपए की तुलना में आपने इस वर्ष केवल 10 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। इस प्रकार किए गए आवंटन में आप भारी कमी देख सकते हैं । कृषि के मामले में आपको यह रुचि है ।

श्री आर० आर० भोले : (बम्बई दक्षिण-मध्य) : ये संशोधित प्राक्कलन हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डिस : श्री भोले कृपया आप पिछले संशोधित प्राक्कलन और बजट प्राक्कलन पढ़ें । आप बजट पत्रों को पढ़ने योग्य भी नहीं हैं।

श्री आर० आर० भोले : मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं । आप केवल संशोधित आंकड़े पढ़ रहे हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यहां यह दर्शाया गया है : बजट प्राक्कलन 1979-80 संशोधित प्राक्कलन 1979-80 और बजट प्राक्कलन 1980-81 । मैं इसमें से यहीं पढ़ रहा हूं ।

श्री एस० बी० चव्हाण (नादेड) : मैं आशा करता हूं कि आपने पूरे आंकड़े पढ़ लिए हैं । आपने बिजली के आंकड़े उद्धृत नहीं किए हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं अभी भाषण समाप्त नहीं कर रहा हूं ।

श्री एस० बी० चव्हाण : आपने पूरी तरह से आंकड़े उदधृत नहीं किए हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं पष्ठ 14 लेता हूं । यह पूंजी लेखा परिव्यय है । इसमें बहुत भारी कटौती की जा रही है । लघु सिंचाई, भू-संरक्षण और क्षेत्र विकास के बारे में पूंजी परिव्यय को लें । यह पृष्ठ 14 पर मद संख्या 506 है । इसे 16.98 करोड़ रुपए से घटा कर 8.36 करोड़ रुपए कर दिया गया है । पशु पालन पर पूंजी परिव्यय 75 लाख रुपए था और इसे घटा कर 51 लाख रुपए कर दिया गया है । यह डेरी विकास पर 4.57 करोड़ रुपए से घटा कर 3.51 करोड़ रुपए कर दिया गया है । अगली मद संख्या मत्स्य-पालन पर पूंजी परिव्यय को लें । यह 148 लाख रुपए से घटा कर 77 लाख रुपए कर दिया गया है । इन सभी मदों पर कुल राशि 37.48 करोड़ रुपए थी जो अब घटा कर 35.59 करोड़ रुपए कर दी गई है । महाराष्ट्र राज्य की जनसंख्या में दो प्रतिशत की वृद्धि हुई है और हमारा विचार था कि विकास कार्यक्रमों को अधिक गंभीरता से लिया जाएगा । लेकिन दूसरी ओर हम पाते हैं कि आपने पूंजी निवेश में कटौती की है । आप उद्योग और खनिजों पर पूंजी लेखे को लें । उप-मद औद्योगिक अनुसंधान और विकास पर पूंजी परिव्यय को दर्शाते हैं । यहां पर आपने इसे 5.05 करोड़ रुपए से घटा कर 2.35 करोड़ रुपए कर दिया है । ग्रामीण और लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय के बारे में आपने यह नियतन 1.75 करोड़ रुपए से घटा कर 1.03 करोड़ रुपए कर दिया है । हमारा विचार था कि समाज सेवा और शिक्षा पर अधिक नियतन किया जाएगा लेकिन यहां पर भी स्थिति दूसरी प्रकार की है । कृपया आप वार्षिक वित्तीय विवरण का पृष्ठ 13 देखें । कृपया समाज और सामुदायिक सेवा पर पूंजी लेखे की मद को लें । शिक्षा को लें । यहां पर भारी कटौती की गई है । कला और संस्कृति के लिए नियतन 1.43 करोड़ रुपए से बढ़ा कर मात्र 1.44 करोड़ रुपए किया गया है । लेकिन चिकित्सा सहायता पर पूंजी परिव्यय 5.47 करोड़ रुपए से घटा कर 3.19 करोड़ रुपए कर दिया गया है । जन स्वास्थ्य, स्वच्छता और जल पूर्ति पर पूंजी परिव्यय 6.20 करोड़ रुपए से घटा कर 4.14 करोड़ रुपए कर दिया गया है । आवास के लिए राशि 4.19 करोड़ रुपए से घटा कर 4.3 करोड़ रुपए और नगरीय विकास पर यह राशि 1.25 करोड़ रुपए से घटा कर 65 लाख रुपए कर दी गई है । अत: धनराशि कहां जा रही है? वे क्या कर रहे हैं? क्या उन्हें महाराष्ट्र के बारे में कोई सरोकार है ? क्या उन्हें महाराष्ट्र की समस्याओं के बारे में चिन्ता है ? आम धारणा यह है कि महाराष्ट्र में सर्वोत्तम प्रशासन चलाया जा रहा है । यह सर्वाधिक साधन-सम्पन्न और समृद्ध राज्य है । लेकिन यहां महाराष्ट्र के बारे में भारी विरोधाभास है । एक ओर आप के पास बम्बई नगर है जो सर्वाधिक समद्ध शहर है । इस देश का आधे से अधिक धन, सफेद अथवा काला, इसे आप किसी तरीके से परिभाषित करना चाहें, बम्बई में केन्द्रित है । लेकिन बहुमंजिली इमारतों के पास ही कोंकण है जिसकी गरीबी केवल कलाकारों द्वारा वर्णित की जा

सकती है। उस भाग की गरीबी को वर्णन करना सामान्य मानव के लिए दुष्कर कार्य है। कोंकण की तुलना में केवल अन्य भाग उत्तर बिहार है। कोंकण की गरीबी की तुलना भारत के किसी अन्य भाग से नहीं की जा सकती है। मराठवाड़ा, विदर्भ और बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां विकास कार्य नहीं किया गया है और इन क्षेत्रों में विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। आपकी आर्थिक नीति का समग्र केंदीकरण सर्वप्रथम बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा होना चाहिए क्योंकि ये ऐसे राज्य हैं जहां से इनके संसाधनों को लुट-खसोट कर बड़े शहरों में ले जाया गया है और जब आप इन संसाधनों को बम्बई, बंगलौर अथवा मद्रास अथवा कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में ले गए थे तब भी आपने ग्रामीण क्षेत्रों की पूरी तरह से उपेक्षा की है। फिर भी आप अचानक खड़े हो जाते हैं और कहते हैं 'जनता शासन और लोक दल का शासन'। मैं इस कारण चिंतित हूं कि अपनी गलतियों को मानने के लिए इममें विनम्रता होनी चाहिए। लेकिन अब मैं यह अनुभव कर रहा हूं कि 33 महीनों की अनपस्थिति के बाद सत्ता में लौटने के बाद माननीय महिला और ये सज्जन अपनी गलतियों को महसूस नहीं कर रहे हैं। वे 'जनता और लोक दल को बली का बकरा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यह नारा केवल एक सीमा तक ले जा सकता है जो तीन महीने तक हो सकता है इससे परे नहीं। इसलिए उस वक्तव्य को न दें। हम इस प्रकार का तमाशा देख चुके हैं। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं कि इस अपवाद को छोड़कर हमने राजनीति में परिवर्तन लाने के बारे में भरसक प्रयास किया है....

एक माननीय सदस्य : टाटा और बिरला बंधुओं के बारे में क्या कहना चाहते हैं?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : जी हां, मैं न केवल टाटा और बिरला बंधओं के बारे में अपितु किसी भी बड़े व्यक्तियों का नाम लीजिए। मैं बहस करने के लिए तैयार हूं।

एक माननीय सदस्य : सोमेंट प्रशासन सहित....?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : जी हां, मेरे मित्र, सीमेंट प्रशासन सहित। आप इस मामले को उठायें और मैं इस सदन में और बाहर इस मामले पर बहस करने के लिए तैयार हूं। मैं वाद-विवाद से दूर नहीं भागता हूं। मैं चर्चा से दूर नहीं भागता हूं और मैं निराधार बात पर तर्क नहीं करता हूं। लेकिन मैं उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर अपने मामले उठाता हूं, मैं तथ्यों और विश्वास के आधार पर बोलता हूं। मेरे विचार समय बदलने के साथ नहीं बदलते हैं अतः मुझे ऐसा न बताएं।

ये माननीय सज्जन अभी तक महसूस नहीं कर रहे हैं कि 30 वर्षों तक उन्होंने ऐसी नीतियां अपनाई जिससे महाराष्ट्र में कोंकण, विदर्भ और मराठवाड़ा अशक्त हो गए जिससे दहानू में, जो बम्बई शहर से मात्र आधे घंटे का मार्ग है, आदिवासियों को मानव प्राणी की भांति गरिमा से रहने की अनुमति नहीं दी गई थी। मुख्य मंत्री आए और चले गए। बहुत से व्यक्ति आए और चले गए लेकिन वहां कुछ नहीं हुआ। जब मैं इस बजट की ओर देखता हूं और उनकी प्रवृत्तियों की ओर देखता हूं तो मुझे चिंता हो रही है। अतः मैं इस बजट पर अपनी टिप्पणियां दे रहा हूं और मैं वित्त मंत्री को इन आंकड़ों पर विचार करने के लिए अनुरोध कर रहा हूं। यदि आप लेखानुदान पास कराना चाहते हैं, तो इस बजट पर मतदान के लिए लोगों से न कहें क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों को इसके लिए कहने का तात्पर्य उन्हें सभी विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों से जो श्री शरद पवार की पिछली सरकार ने शुरू किए थे, वंचित

करना है । यदि आप परिवर्तन लाना चाहते हैं तो ये परिवर्तन बेहतरी के लिए लाये जाने चाहिए न कि बदतरी के लिए । यदि आप इस तरीके से करते हैं तो मैं महाराष्ट्र के लोगों को बता सकता हूं कि केवल ईश्वर ही उनकी सहायता कर सकेगा क्यों कि ऐसा दिखाई देता है कि कांग्रेस आई० ने निश्चित रूप से महाराष्ट्र के लोगों का साथ मुझे देने का निर्णय किया है । इन शब्दों के साथ मैं इस बजट के प्रति जो प्रस्तुत किया गया अत्यन्त जोरदार आपत्ति प्रकट करता हूं और मेरा तात्पर्य इस बजट का प्रत्येक चरण में विरोध करने का है।

श्री बालकृष्ण रामचन्द्र वासनिक (बुलढाना) : श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए महाराष्ट्र के लिए बजट का समर्थन करता हूं ।

माननीय सदस्य, जिसने अभी अपना भाषण समाप्त किया है, कुख्यात बड़ौदा डायनामाइट कांड, उद्योगपतियों, जमींदारों के हितों का संरक्षण करने और बहुत सी अन्य बुरी बातों के लिए, जो गत 33 महीनों के जनता और लोक दल के शासन के दौरान हुई हैं, भली-भांति जाने जाते हैं। यह सर्वविदित है कि मुजफ्फरपुर निर्वाचन क्षेत्र के यह माननीय सदस्य पूरी तरह तैयार हैं, अच्छे विवादक हैं और उनका अंग्रेजी पर अधिकार है। यह गलत आंकड़े देकर और उन्हें ठीक दर्शा कर बहुत से लोगों को संतुष्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं उनका आभारी हूं जब उन्होंने अपनी पुस्तक में स्वयं कहा है कि वह बहुत सी गाड़ियों को डायनामाइट से उड़ाने, बहुत सी जानों को नष्ट करने बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचाने और भारत के लोगों के लिए कष्ट लाने के जिम्मेदार हैं। मैं नहीं समझ सका हूं कि भारत के लोगों ने इस पुनीत सदन के लिए इस प्रकार के लोगों को किस प्रकार चुना है और वे इस सदन में भारत के लोगों का किस प्रकार प्रतिनिधित्व करते हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : श्रीमान्, ये मुजफ्फरपुर के मतदाताओं की बेइज्जती कर रहे हैं... (**व्यवधान**) उन्हें मुजफ्फरपुर के लोगों पर आक्षेप नहीं करना चाहिए । उन्हें मुझ पर आक्षेप करना चाहिए और मैं उस आक्षेप को सहन करूंगा लेकिन मेरे मतदाता नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने को बजट तक ही सीमित रखें ।

श्री बालकृष्ण राम चन्द्र वासनिक : महोदय, वित्त मंत्री जी के पास इस सभा में प्रस्तुत बजट को तैयार करने का समय बहुत कम था । परन्तु बहुत कम समय होते हुए भी उन्होंने यथासंभव उत्तम बजट पेश किया । मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में स्थिति सुधरेगी और महाराष्ट्र के लोगों को होने वाली कठिनाइयां दूर हो जाएंगी ।

श्री एस० बी० चह्वाण ने महाराष्ट्र में बिजली की कमी के बारे में जो सवाल उठाया था, उसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र का उस समय शासन करने वाले लोगों का शक्ति का स्रोत दिल्ली में था । इस स्थिति में महाराष्ट्र में बिजली कैसे आ सकती है । महाराष्ट्र में बिजली की कमी होनी ही चाहिए थी । श्री शरद पवार महाराष्ट्र में थे परन्तु उनका शक्ति का स्रोत 1, रेस कोर्स रोड था और इसलिए महाराष्ट्र में बिजली की कमी थी... (**व्यवधान**) स्थान बदल गए हैं और सड़क भी बदल गई है और अब प्रगति तथा समृद्धता का मार्ग खुल गया है । अब स्थान 1, सफदरजंग रोड हो गया है । मैं और महाराष्ट्र का जनता को विश्वास है कि यह मार्ग महाराष्ट्र को प्रगति की ओर ले जाएगा । मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है ।

मुजफ्फरपुर के माननीय सदस्य ने बजट के बहुत से आंकड़े दिए हैं परन्तु मैं उन आंकड़ों पर चर्चा नहीं करूंगा । मैं सभा के समक्ष कुछ प्रश्न रखना चाहता हूं । पहला महाराष्ट्र राज्य में कुछ अविकसित क्षेत्र हैं मेरी शिकायत यह है कि यद्यपि महाराष्ट्र में औद्योगिक तथा अन्य विकास हुए हैं परन्तु यह बम्बई अथवा इस क्षेत्र के आसपास तक सीमित रहे हैं । अधिकांश उद्योग इस क्षेत्र में हैं। कृषि विकास भी बम्बई के आस पास विशेष कर पश्चिम महाराष्ट्र में हुआ है । सिंचाई सुविधाएं भी सुलभ हैं परन्तु मराठवाड़ा अथवा खंडेश अथवा विदर्भ की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है मेरा वित्त मंत्री से अनुरोध है कि जब वह बम्बई और पश्चिमी महाराष्ट्र के हितों को देखते हैं तो उन्हें अविकसित क्षेत्र तथा मराठवाड़ा खंडेश और विदर्भ की जनता की ओर भी देखना चाहिए । वहां सिंचाई के विकास के लिए पर्याप्त धन नहीं दिया जाता है और न पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जाता है। चूंकि शामी का स्रोत दिल्ली आ गया है और श्री वेंकटारामण उस पावर स्टेशन के चीफ इंजीनियर हैं, मैं चाहता हूं कि वह मराठवाड़ा, खंडेश और विदर्भ की ओर अधिक ध्यान दें ।

मैं जानता हूं कि जनता और लोक दल के 33 महीने के शासन के दौरान क्या हुआ मैं जानता हूं कि जब मैं जनता पार्टी और लोक दल का उल्लेख करूंगा तो मुजफ्फरपुर से आए माननीय सदस्य 'आह' ही कहेंगे । सभी अत्याचार अक्षर 'अ' से आरम्भ हुए हैं यथा आदिवासियों और हरिजनों पर अत्याचार, और मुस्लिमों पर अत्याचार । जब जनता शासन था तब यह बातें अधिक हुई और जब लोक दल था तब और भी अधिक हुईं । जब श्रीमती गांधी के नेतृत्व में सरकार आई तब 1 या 2 उदाहरण ही दिए जा सकते हैं परन्तु हम आज की तुलना में सैकड़ों और इससे भी अधिक उदाहरण दे सकते हैं । क्या आप भूल गए हैं कि बेलडी, जमशेदपुर और कानपुर में क्या हुआ । क्या आप भूल गए हैं कि हैदराबाद और मलकापुर में क्या हुआ । आप उन्हें नहीं भूले हैं परन्तु आप अपनी सुविधा के लिए उनका उल्लेख नहीं करेंगे परन्तु उन्हीं बातों का उल्लेख करेंगे तो कांग्रेस (आई) पार्टी के शासन में आने के बाद हो रही है।

कुछ और भी बातें हैं जिन पर मैं बोलना चाहता हूं परन्तु समय नहीं है । मूल्यों में वृद्धि हो रही है। मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री मूल्यों को कम करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे और जनता भी सन्तुष्ट होगी कि उन्हें अपनी जेब से अधिक नहीं देना पड़ेगा ।

मैं आपके ध्यान में कुछ अन्य समस्याएं भी लाना चाहता था । मैं उन पर तब बोलूंगा जब अनुदानों की मांगों पर चर्चा की जाएगी । परन्तु मैं संक्षेप में एक समस्या पर बोलना चाहूंगा । जब राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप नागपुर से राजधानी हटाई गई थी तब इस संसद और भारत के प्रधान मंत्री ने नागपुर की जनता को सत्यनिष्ठ आश्वासन दिया था । अब कुछ लोग उस आश्वासन से मुकर रहे हैं । मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि यदि कोई कार्यालयों या उद्योगों का, अथवा अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों का स्थानान्तरण करके नागपुर की महत्ता को कम करने का प्रयास होगा तो नागपुर का जनता उसका डट कर मुकाबला करेगी । धन्यबाद

श्री ए० टी० पाटिल (कोलाबा) : मैं वित्त मंत्री द्वारा महाराष्ट्र राज्य के सम्बन्ध में; प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं । बजट पर कुछ कहने से पूर्व मैं विपक्ष के दो सदस्यों द्वारा उठाए गए दो मामलों पर अपने विचार रखना चाहूंगा । एक विधान सभाओं के विघटन के बारे में है और दूसरा तालुजा घंटना के बारे में है । जहां तक राज्य विधान सभाओं के विघटन

का सम्बन्ध है, मैं इस मामले पर पूरी बहस नहीं करना चाहता । भूतपूर्व उप प्रधान मंत्री श्री यशवंत राव चह्वाण ने कहा है कि यदि संवैधानिक संकट उत्पन्न होता तो विघटन का आदेश दिया जा सकता था । उन्होंने जनता सरकार द्वारा 1977 में 9 राज्य विधान सभाओं को भंग करने के निर्णय की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया । मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहता यद्यपि उच्चतम न्यायालय जनता सरकार द्वारा लिए गए निर्णय की विचारधारा में अपना मत देता । मैं सभा के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि कोई भी सरकार हमेशा एक लिखित संविधान के अनुसार नहीं चलती है यद्यपि राज्य का लिखित संविधान हो सकता है । लिखित संविधान के अनुसार किसी सरकार को चलाना असम्भव है । किसी भी राज्य की सरकार का कार्य, जिसका एक लिखित संविधान होता है, का एक भाग अपेक्षित रूप से अलिखित संविधान के अनुसार होना चाहिए । जहां तक भारतीय संविधान तथा केन्द्र में और राज्यों में सरकार चलाने का सम्बन्ध यह है, संविधान में कहीं भी पार्टी दलीय व्यवस्था का उल्लेख नहीं है और फिर भी हम सरकार दलीय व्यवस्था के अनुसार सरकार चला रहे हैं । अब यदि दलीय व्यवस्था संवैधानिक ढांचा का एक भाग है--यद्यपि यह अलिखित है--और यदि दलीय व्यवस्था में संकट उत्पन्न होता है तो क्या यह संवैधानिक संकट होगा ? मैं यह प्रस्ताव सभा के समक्ष रखना चाहता हूं । मैं न्यायाधीश नहीं हूं । ऐसे सदस्य हो सकते हैं जो संविधान के जानकार होने का दावा करते हैं और वे इस पर निर्णय दे सकते हैं । मैं उस पहलू पर नहीं जा रहा हूं क्यों कि ऐसे लोग भी हैं जो मेरे द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा रखे गए विचारों पर निर्णय दे सकते हैं । इस लिए यह सभा निर्णय कर सकती है । यदि इस अर्थ में संवैधानिक संकट होता है तो क्या केन्द्रीय सरकार उन राज्य विधान सभाओं को भंग नहीं कर सकती है जहां अवसरवादी, अपना हित देखने वाले बैठे हुए हैं और जिनमें एकात्मक पार्टी के लिए कोई मूल आधार नहीं है। वे सार्वजनिक धन बरबाद करते हैं... (व्यवधान) माननीय सदस्य टोका टोकी न करें । शायद वे ज्यादा जानते हैं, मुझे इसका विश्वास नहीं है । इसका यह मतलब नहीं कि मेरा ज्ञान अपूर्ण है । वे इस बात को भी समझें । वे यह न पूछें कि कैसे और क्यों । यदि वे बात को नहीं समझते हैं तो उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या उन्होंने जो पद अखित्यार किया हुआ है वह उचित है या अनुचित । मैं इस पर निर्णय देने नहीं जा रहा । बात यह है कि सरकार को चलाने के लिए, सत्ता में बने रहने हेतु लोगों को इकट्ठा रखने में सार्वजनिक धन बरबाद किया गया । क्या यह सरकार चलाना होगा ? क्या वे कह सकते हैं कि सरकार चल रही है ? मैं इस पर विस्तार से बहस नहीं करना चाहता हूं । इस पर तब चर्चा होगी जब सभा में अध्यादेश बहस हेतु लाया जाएगा । इस समय हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे ।

तालूजा घटना के बारे में विपक्ष के माननीय सदस्यों ने बताया कि रबड़ कारखाने के मालिक को इस बात के लिए उकसाया गया कि जैसे ही केन्द्र में कांग्रेस सरकार आएगी, पूंजीपतियों को शीघ्र ही निर्धन श्रमिकों को गोली मार देने का अधिकार मिल जाएगा । मैं तत्काल घटना स्थल का दौरा किया । यह मेरे निर्वाचन स्थल में पड़ता है । मैंने पुलिस अधिकारियों के साथ उस स्थल का दौरा किया था और मैंने उनसे मांग की कि मामले के साथ पूरा न्याय किया जाए और पुलिस पर किसी पूंजीपति का दबाव नहीं पड़ना चाहिए । उन्होंने शीघ्र ही मामले की अदालती जांच के आदेश दिए । मैं किसी अन्य ब्योरे पर नहीं जाना चाहता उस जांच के परिणाम शीघ्र आ जाएंगे । मैंने यह भी सुनिश्चित किया कि जो श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं उन्हें अन्य रोजगार में लगाया जाए ।

मुख्य वजट पर आते हुए, मैं सदन का ध्यान वेस्ट कोस्ट रेलवे की ओर दिलाना चाहता हूं। यह सिर्फ कोंकण रेलवे नहीं है। मैं इसे वेस्ट कोस्ट रेलवे कह रहा हूं। यह बम्बई और वंगलूर के वीच वेस्ट कोस्ट रेलवे में अनिर्मित है। यदि आप भारत का मानचित्र देखें, तो आपको मालम होगा कि सभी तटों पर तटवर्ती रेल हैं, बम्बई और मंगलूर के वीच यही अनिर्मित कड़ी है जिसके लिए मांग की जा रही है। रेल बजट में तथा कथित आप्टा रोहा सेक्शन के वारे में करीव 3.24 करोड़ रु० और वसई रोड–दिवा सेक्शन पर 3.24 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया। यह आवश्यक है कि इस कार्य में तेजी लाई जाए और इसे प्राथमिकता दी जाए। दुर्भाग्यवश, महाराष्ट्र राज्य के वजट में कोंकण रेल के वारे में केवल 5 लाख रु० का ही प्रावधान किया गया है। क्या मैं यह उल्लेख कर सकता हूं कि जब आप्टा-रोहा परियोजना आरम्भ की गई थी तव तत्कालीन रेल मन्त्री ने राज्य सरकार पर दवाव डाला था कि वे रेल विभाग द्वारा चाही गई जमीन के मुआवजे का भुगतान करने के दायित्व को उठायें अथवा यह जिम्मेदारी निभायें। रेलें केन्द्रीय सरकारी परियोजनायें हैं और सभी लागतों का भुगतान करने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। दुर्भाग्य की वात है कि वह क्षति महाराष्ट्र सरकार पर डाली गई।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका समय समाप्त हो चुका है; आप अभी तक अपने विषय पर नहीं आए हैं।

श्री ए० टी० पाटिल : अव मैं प्रस्तावों का उल्लेख करूंगा। पहला तो यह है कि क्षति-पूर्ति के लिए किया गया प्रावधान अपर्याप्त है क्योंकि बजट में केवल 5 लाख रु० का ही प्रावधान किया गया है। मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करता हूं कि वे अधिगहीत भूमि के लिए मुआवजे का भगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं उठायें और वह भुगतान तत्काल किया जाए।

जहां तक दूसरे प्रस्ताव का सम्बन्ध है, मैं इस सदन का ध्यान रोजगार गारन्टी योजना की ओर दिलाना चाहता हूं। रोजगार गारन्टी योजना, जो महाराष्ट्र में चलाई जा रही है, अभूतपूर्व योजना है। कुल लागत का 50 प्रतिशत लोग देते हैं और शेष 50 प्रतिशत राज्य सरकार देती है। यहां हमने विशेषकर इस योजना के लिए लोगों पर भार डाला है। हमने अनुमान लगाया कि रोजगार गारन्टी योजना के लिए हमें लोगों से 37 करोड़ रु० मिलते हैं। सरकार स्वयं 50 प्रतिशत का भुगतान संचित निधि से करती है। मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इस विशेष योजना पर उचित ध्यान दें और वर्तमान धन राशि के 50 प्रतिशत तक का अतिरिक्त अंशदान दें। कहने का तात्पर्य यह है कि 33 प्रति-शत लोगों से लिया जाए, 33 प्रतिशत राज्य सरकार दे और 33 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जाए। केन्द्रीय सरकार बराबर की राशि 37 करोड़ भी दे सकती है ताकि कुल राशि 111 करोड़ रुपए हो जाए। चालू वर्ष 1979-80 में रोजगार गारन्टी योजना पर 80 करोड़ रु० व्यय होने का सम्भावना है। 74 करोड़ रु० पर्याप्त नहीं होंगे। अगले वर्ष के लिए 70 करोड़ रु० क प्रावधान किय गया है। लेकिन 74 करोड़ रु० को मिलाकर भी यह राशि रोजगार गारन्टी योजना की जरूरतों को पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकेगी। अतः मैं इस सरकार से, विशषकर वित्त मन्त्री से निवेदन करता हूं कि वह यह

सुनिश्चित करें कि केन्द्रीय सरकार द्वारा बराबर की रकम दी जाए ताकि लोगों द्वारा दी गई और राज्य सरकार द्वारा दी गई राशि तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया अंशदान समान हो।

तीसरी बात ग्रामीण जलपूर्ति योजना के बारे में है। ग्रामीण जलपूर्ति योजना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ हद तक प्रावधान किया गया है। आज मेरे द्वारा पूछे गए अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते समय, माननीय मन्त्री ने कहा कि जलपूर्ति के लिए कोई रण-बद्ध कार्यक्रम नहीं हो सकता। मैं इस सदन और वित्त मन्त्री के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि महाराष्ट्र सरकार पहले ही यह संकल्प कर चुकी है (वास्तव में, विधान सभा ने संकल्प किया है) कि पांच वर्ष की अवधि में एक भी गांव ऐसा नहीं रहना चाहिए जहां अच्छे पेय जल की व्यवस्था न हो। समाय बद्ध चरण-वार कार्यक्रम बनाने में कोई कठिनाई नहीं है। अतः मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करूंगा कि ग्रामीण जलपूर्ति के लिए जो भी योजनायें केन्द्रीय सरकार को भेजी गई हैं उन सब को मंजूरी दी जाए और उनके लिए अधिक धन दिया जाए।

अगली बात खार भूमि के विकास के बारे में है। मैं वित्त मन्त्री को बतला दूं कि खार भूमि अथवा तटीय भूमि के विकास के लिए इस देश को विदेशी सहायता देने का प्रस्ताव किया जाता है बिना किसी पूर्व शर्त के करोड़ों रु० की सहायता देने का प्रस्ताव किया जा रहा है। क्या केन्द्रीय सरकार के लिए यह संभव नहीं होगा कि उन देशों से वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिए उनसे बातचीत की जाए? यदि वित्त मन्त्री मझे अनुमति दें, तो मैं इस मद्दे पर उनसे बात करना चाहूंगा। अतः मेरा निवेदन है कि खार भूमि और तटीय भूमि के विकास के लिए इस सरकार को विदेशों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए हर सम्भव प्रयास करना चाहिए।

जहां तक राज्य-उद्योगों का सम्बन्ध है, कोंकण क्षेत्र भी राज्य-उद्योग से सम्बन्धित है हालांकि विपक्ष के एक सदस्य ने उसका उल्लेख बहुत ही पिछड़े क्षत्र के रूप में किया था। लेकिन जहां तक समुद्री उत्पाद निर्यात संवर्द्धन आयोग का सम्बन्ध है, इसने सिलवर पाम्प्लेट पहलुओं के निर्यात पर 5000 टन प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा निर्धारण कर दी है। मछली पकड़ने के लिए डीजल और अन्य सामग्री के मूल्य में वृद्धि के कारण, यह नितांत आवश्यक हो गया है कि उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए बेहतर मण्डी दी जानी चाहिए। उसके लिए, 5000 टन प्रति वर्ष की यह सीमा हटा देनी चाहिए और उन्हें सारी सिलवर पाम्प्लेट मछली का विदेशों को निर्यात करने की अनुमति दी जानी चाहिए

मछली पकड़ने के बारे में एक और समस्या है। मत्स्य-ग्रहण जालपोतों के निर्यात के लिए, वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है। उन्हें ट्रालर चलाने के लिए पर्याप्त डीजल भी नहीं दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। आशा है, सरकार मत्स्य-ग्रहण जालपोतों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से नियमित वित्तीय सहायता और डीजल उपलब्ध कराने सम्बन्धी इन दोनों मामलों पर गौर करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आपको अपनी बात समाप्त करनी चाहिए

श्री ए० टी० पाटिल : मैं समाप्त कर रहा हूं। जहां तक बिजली का सम्बन्ध है, निस्सन्देह इसके लिए प्रावधान किया गया है, लेकिन महाराष्ट्र में उद्योगों के माध्यम से राष्ट्र की सम्पत्ति का लगभग एक तिहाई उत्पादन होता है। यदि उस पहलू पर विचार किया जाए तो यह देखना सरकार का आवश्यक कर्त्तव्य हो जाता है कि बिजली की कटौती के कारण उद्योगों को नुकसान न हो। दुर्भाग्यवश, हुआ यह है कि 17 जनवरी को राज्य विधान सभा को भंग करने की अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई। 18 जनवरी के बाद से, नासिक पारस और कोरडी में विद्युत उत्पादन केन्द्रों को पर्याप्त कोयला न मिलने के कारण बन्द कर दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप अधिक समय लेंगे तो आप अपनी ही पार्टी के एक सदस्य को बोलने का अवसर देने से वंचित करेंगे।

श्री ए० टी० पाटिल : मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं सरकार का ध्यान सातवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन की ओर दिलाना चाहता हूं। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री उन सिफारिशों की जांच करेंगे और उन्हें ईमानदारी से कार्यान्वित करने का प्रयत्न करेंगे ताकि देश के विभिन्न राज्यों को लाभ पहुंचे।

प्रो० रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, महाराष्ट्र उन अभागे राज्यों में से है जिन्हें केन्द्र द्वारा उनकी विधान सभायें भंग किए जाने का शिकार होना पड़ा है। यह दुर्भाग्य की बात है। और मैं दुखी दिल से यह कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि महाराष्ट्र के लोग अपने बजट पर अपने प्रतिनिधियों द्वारा अपनी ही विधान सभा में चर्चा करते नहीं देख पायेंगे। यह एक गम्भीर स्थिति है क्योंकि इस तरह का विघटन उस संघीय धारणा के मूल पर ही प्रहार करता है जिसकी संकल्पना संविधान के निर्माताओं ने की थी। वास्तव में, बहुत ही सहज ढंग से अब वे पिछली जनता सरकार द्वारा 1977 में की गई कार्यवाही में पूर्व-उदाहरण खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह तुलना कभी उचित सिद्ध नहीं होगी। पहली बात तो यह है कि 1977 में उस समय, अधिकांश राज्य अपनी पांच वर्ष की सामान्य अवधि पूरी कर चुके थे। इसके अलावा, आपातकालीन अत्याचारों, आपातकालीन शासन के विरुद्ध लोगों ने अपना पूर्ण निर्णय और पूर्ण मत व्यक्त किया था। लेकिन इस बार आप 43 प्रतिशत मत लेकर, पिछली जनता सरकार द्वारा की गई इसी तरह की कार्यवाही में इसका उदाहरण खोज रहे हैं। तब स्थिति बिल्कुल भिन्न थी। इन दोनों निर्णयों में बहुत बड़ा अन्तर है। आप इस जीत की तुलना 1977 की विजय से नहीं कर सकते क्योंकि वह भारत के लोगों का पूर्ण निर्णय था।

महाराष्ट्र की भूमि बहुत समृद्ध है। इस भूमि में नितांत गरीबी भी है। महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां चकाचौंध कर देने वाला बम्बई शहर है, जहां लखपति-करोड़पति लोग अपने बहुमंजिले, वातानुकूलित भवनों में रहते हैं। उन्हीं इमारतों के आस-पास लाखों लोग, 20 लाख लोग खुले आकाश के नीचे जीवन बिताते हैं। वे सड़क की पटरी, यानी फुट-पाथ पर रहने वाले लोग हैं। वे अभागे लोग हैं। यदि ग्रेटर बम्बई की कुल संख्या के एक तिहाई लोग फुटपाथों पर रहते हैं तो ग्रेटर बम्बई की कुल जनसंख्या का दूसरा एक-तिहाई हिस्सा गन्दी बस्तियों में रहता है। एशिया की सबसे बड़ी गन्दी बस्ती बम्बई में है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के 32 वर्ष बाद, समाजवाद और 'गरीबी हटाओ' की अनेक पावन

घोषणाओं के 32 वर्ष बाद भी इन लोगों के जीवन में आप क्या देखते हैं? वे नितांत भुखमरी में रह रहे हैं। उनके रहने के लिए कोई जगह नहीं है। उनके बच्चे बम्बई की सड़कों पर मर रहे हैं। यदि नगर में यह स्थिति है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग इससे बेहतर स्थिति में नहीं हैं। इतने वायदों और इतनी पवित्र घोषणाओं के बाद भी, गत 32 वर्षों के दौरान इन लोगों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है।

[श्री शिवराज वी० पाटिल पीठासीन हुए]

यदि हम भूमि सुधार के प्रश्न को लें, तो हम क्या पाते हैं? महाराष्ट्र का 1961 भूमि सुधार अधिनियम 1975 में संशोधित किया गया। उस समय, माननीय सदस्य—जो इस समय यहां बैठे नजर नहीं आ रहे हैं—श्री एस० बी० चव्हाण ने स्वयं कहा था कि भूमि सुधारों के सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया। उन्होंने स्वयं माना था कि मन्त्रियों और विधायकों ने जाली नाम देकर भी भूमि अधिकतम सीमा कानूनों का परिहार किया था ताकि वे अपनी जमीनें बनाए रख सकें। अब भी, 400 एकड़ तक के विशाल भूखण्ड हैं, जो कभी उनके नौकरों के नाम में, कभी उनके सम्बंधियों के नाम में और कभी उनके अजन्मे बच्चों के नाम चले आ रहे हैं। महाराष्ट्र में इसी तरह की स्थिति चली आ रही है।

ये भूमिहीन मजदूर कौन हैं? वे हरिजन हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं जिनके लिए उन्होंने गत 32 वर्षों के दौरान टनों की मात्रा में घड़ियाली आंसू बहाए हैं लेकिन किया कुछ नहीं है। यदि ग्रामीण निर्धनों, भूमिहीन मजदूरों और हरिजनों की यह दशा है तो छोटे किसानों का हाल भी कुछ बेहतर नहीं है। अभी-अभी माननीय सदस्य उनकी दशा का उल्लेख कर रहे थे। उनकी दशा गम्भीर है।

इसके साथ ही, एक दूसरी तस्वीर भी है। वह तस्वीर है सहकारी संस्थाओं की। महाराष्ट्र अपनी सहकारी संस्थाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन वे अधिकांश सहकारी संस्थायें किनकी हैं? वे सहकारी संस्थायें धनी कृषकों की हैं।

चीनी के बड़े-बड़े व्यापारियों का सहकारिताओं में प्रभुत्व है। वहां पर सहकारिताओं की स्थिति ही बिगड़ चुकी है। अतः इस क्षेत्र में व्यापक जांच की जानी चाहिए।

अब मैं एक अन्य महत्वपूर्ण विषय की बात करता हूं। शासक दल दलितों का अगुआ होने का दावा करता है। मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के नाम को डा० अम्बेदकर के नाम के पीछे बदलने की बहुत पुरानी मांग है। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपने चुनाव दौरे के दौरान इस प्रश्न पर एक भी शब्द नहीं कहा। 1978 में सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया गया था। अब तक यद्यपि कई अन्य प्रश्न उठ खड़े हुए हैं, उस प्रश्न पर निर्णय नहीं लिया जा रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस समस्या का भी शीघ्र हल निकाले।

जहां तक बढ़ती कीमतों का सम्बन्ध है आम जनता मुद्रा स्फीती के नीचे दब रही है। हम दूसरे तौर से इस पर विचार करें। कृषि उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य नहीं मिल रहे। 'प्याज' का ही उदाहरण लें। वास्तव में 1980 के चुनाव को 'प्याज' का चुनाव कहा

गया। पिछले 9 दिन से प्याज के उत्पादक अपने उत्पाद के लाभप्रद मूल्य के लिए आन्दोलन कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि 'प्याज' राजनीतिज्ञ इस समस्या पर विचार करेंगे और इसे हल करने का प्रयास करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का पूरे बल से विरोध करता हूं, चूंकि पिछले 32 वर्षों से यह सरकार विकास के पूंजीवादी रास्ते पर चलती रही है और इस रास्ते पर चल कर किसी समस्या को हल नहीं किया जा सकता। जब तक लोग समाजवादी मार्ग नहीं अपनाते और मूलभूत परिवर्तन नहीं लाते तब तक कोई समस्या हल नहीं हो सकती।

श्री जे० सी० बरवे (रामटेक) : सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री जी ने जो बजट सदन में रखा है, उसकी ताईद करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा और मेरी कांस्टीटुयेन्सी की जो बातें हैं, उनकी ओर ही आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। इस बजट में पावर और इरीगेशन के लिए रकम रखी हुई है, वह रकम जहां तक मेरा ख्याल है, उसी मद पर खर्च होनी चाहिए, यह बड़े महत्व की बात है। मेरी कांस्टीटुयेन्सी में पेच प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और पानी दोनों ही मिलेंगे। इरीगेशन के लिए पानी मिलने से वहां के किसानों को काफी लाभ होगा। उस प्रोजेक्ट का जब भूमि पूजन हुआ था, तो स्व० श्री वसन्तराव पाटिल और श्री पी० सी सेठी, जो उस समय मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री थे, ने यह कहा था कि 1980-81 तक यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा और उस से पानी और पावर दोनों मिलेंगी लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है, वह अभी पूरा नहीं होने वाला है। वह प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है और उसकी ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए। उसके लिए जो पैसा रखा जाना चाहिए था, वह नहीं रखा गया है। इसलिए वह प्रोजेक्ट पूरा होने में देर हो रही है। ऐसा मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है।

एक दूसरी बात यह है कि मेरी कांस्टीटुयेन्सी में एक खिडसी तालाब है, जहां से सिंचाई के लिए पानी मिल सकता है लेकिन आज पानी नहीं मिल रहा है। गेहूं की बात तो दूर रही, धान के लिए भी पानी नहीं मिल रहा है और पीने का पानी भी हमारे यहां नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में मेरी यह प्रार्थना है कि इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए क्योंकि यह आदिवासी एरिया और दूसरे पिछड़े हुए और गरीब लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। अगर वहां पर पानी मिल जाए तो उत्पादन काफ़ी बढ़ सकता है परन्तु हमारी बहुत कोशिशों के बावजूद भी इस साल किसानों ने जो पेडी लगाई थी, उसको एक दफ़ा भी वे लोग पानी नहीं दे सके, जिसकी वजह से सब धान रुइन हो रहा है यानी सूख रहा है और आज वहां के किसानों की माली हालत बहुत खराब है। इसलिए इस प्रोजेक्ट की ओर तुरन्त मंत्री जी ध्यान दें और जल्दी से जल्दी इसको पूरा किया जाए, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है।

दूसरी बात यह कहूंगा कि जो किसान उत्पादन करता है, उस किसान को उसके माल के हिसाब से उसकी उपज का दाम मिलना चाहिए। किसान जितना माल उपज करने में लगाता है उसका हिसाब लगा कर हम उसको उसकी उपज की कीमत दें। यह जरूरी है। यह इसलिए भी जरूरी है कि लास्ट इयर में अपने यहां 75 लाख टन शक्कर पैदा हुई लेकिन

उस साल में किसान को गन्ने का रेट कम मिलने की वजह से इस साल 45 लाख टन ही शक्कर होने वाली है। इसकी वजह यही है किसान को उसकी लागत को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए उसके माल के बराबर कीमत नहीं मिलती है। जिसकी वजह से इस साल हमारे देश में शक्कर की कमी पड़ रही है। अगर अब भी उसके माल के बराबर किसान को कीमत नहीं दी गयी तो देश का उत्पादन घटेगा और हम सब को और सारे देश को इस कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए किसान के माल की कीमत फिक्स करने वाली संस्थाओं में ऐसे लोगों को शामिल किया जाए जो योग्य हों और जो उसके माल की कीमत का सही तरीके से विचार कर के उसको सही दाम दें।

मैं रामटेक कांस्टीचुएंसी से आता हूं। वहां सन्तरे का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। वहां नरखेट टू अमरावती रेलवे लाइन न होने की वजह से सन्तरा वहीं पड़ा रहता है। इस साल तो आपने भी पढ़ा होगा और यहां पर प्रश्न भी उपस्थित हुआ था कि वहां वेगन तो मिल गए लेकिन डीजल न मिलने की वजह से वहां से सन्तरा नहीं जा सका और बहुत तकलीफ हुई। इस वजह से भी यह रेलवे लाइन उस क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी है।

मैं इनलैण्ड फिशरीज के बारे में भी कहना चाहता हूं। यहां पर मेरीन फिशरीज की बात कही गई है। मैं चाहता हूं कि इनलैण्ड फिशरीज के प्रोवीजन की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाए। विदर्भ में बहुत बड़े पैमाने पर पानी है मगर फ्री सीड की व्यवस्था न होने से मत्स्य पालन करने वाले कैसे उत्पादन करेंगे और फिर इनलैण्ड फिशरीज का उत्पादन कैसे बढ़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, आप जानते हैं कि चन्द्रपुर, भण्डारा और नागपुर में पानी के बहुत तालाब हैं। मगर वहां पर सीड न मिलने की वजह से वहां के लोग मत्स्य का ज्यादा उत्पादन नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं अपील करूंगा कि वहां के लिए सीड मिलना चाहिए।

आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री रतनसिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए महाराष्ट्र राज्य के बजट अनुमानों को देखने पर यह कहा जा सकता है कि यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि दूसरे पक्ष के कुछ लोगों ने जनवादी मोर्चे की सरकार के कार्यकरण पर टिप्पणियां की हैं परन्तु वे यह भूल गए कि श्री शंकरराव चव्हाण तथा बहुत से अन्य लोग जो आज उस ओर बैठे हैं, जनवादी मोर्चे की सरकार में ही थे। जहां तक विधान सभा को भंग किए जाने का सम्बन्ध है मैं इसे महाराष्ट्र के लोगों का सब से बड़ा अपमान मानता हूं क्योंकि महाराष्ट्र सभी दृष्टियों से बहुत ही अच्छी प्रकार से शासित राज्य था इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र के गवर्नर, श्री सादिक अली जी ने कोई ऐसा प्रतिवेदन नहीं दिया था जिसमें कहा गया हो कि महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था टूट चुकी थी। उनका यह भी सुझाव नहीं था कि राज्य में सरकार संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चल सकता

महाराष्ट्र सरकार को तोड़ने के लिए दल-बदल के लिए बहुत प्रयास किए गए थे परन्तु इन में वे बुरी तरह से असफल रहे और अन्त में महाराष्ट्र राज्य को भंग किया जाना पड़ा। अब महाराष्ट्र के लोग इस बात से हैरान हैं—अभी-अभी मेरे मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीज ने सुझाव दिया है कि किस प्रकार प्रत्येक मद के लिए आवंन्टन को घटा दिया गया है, इस बजट में महाराष्ट्र के लोगों के साथ किस प्रकार से अन्याय किया गया है।

महाराष्ट्र उन राज्यों में से एक ऐसा राज्य है जिसका प्रशासन बहुत सुचारू ढंग से चल रहा था, जिसमें रोजगार गारन्टी योजना, ग्रामीण जल पूर्ति उपाय, ग्रामीण भूमिहीनों के लिए झौंपड़ियों का निर्माण और कपास की एकाधिकार खरीद, सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता तथा विक्रय योजनायें चलाई जाती हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सभी निर्माण गतिविधियों को, जिनका उद्देश्य महाराष्ट्र की गरीब जनता की दशा सुधारना है, वर्तमान बजट में छोड़ दिया गया है। केवल नाम-मात्र के लाभ देने से महाराष्ट्र के लोगों को न्याय नहीं प्राप्त होगा। पिछली सरकार के अधीन प्रगति बहुत तेजी से हो रही थी परन्तु वर्तमान संकेत इस प्रकार के हैं कि इस बजट के आवंन्टनों के समाप्त होने के समय गति बिल्कुल रुक जायेगी।

वित्त मंत्री ने केवल आवंन्टनों को ही कम नहीं कर दिया है अपितु लोकतंत्री मोर्चा सरकार द्वारा आरम्भ किए गए कुछ मूलभूत आर्थिक कार्यक्रमों को भी छोड़ दिया है यदि इसी प्रकार से चलता रहा तो जहां तक इस बजट का और उनकी आर्थिक प्रगति का सम्बन्ध है मेरे विचार से महाराष्ट्र के लोग शान्ति से नहीं बैठेंगे।

मैं एक उदाहरण दूंगा। यद्यपि बाहर से राज्य की अर्थव्यवस्था शिखर पर प्रतीत होती है परन्तु जनता नितान्त गरीबी में रह रही है और यदि आवंटन घटा दिए गए तो यह तो उनके अपमान पर और भी चोट करने के समान है।

बम्बई नगर के साथ केन्द्र सरकार द्वारा सौतेला व्यवहार किया जाता रहा है हालांकि यह नगर आयकर के रूप में केन्द्रीय राजकोष में 42 प्रतिशत अंशदान करता है। केन्द्रीय कृषि मंत्रालय बम्बई नगर में एक बहुत बड़ा मछली संसाधन एकक लगा रहा है। बम्बई के लोगों ने इस संयंत्र की स्थापना पर आपत्ति की है क्योंकि यह कोलाबा के निकट सासून गोदी पर स्थित है जहां पर कोई बड़ी सड़क नहीं है। तट के उथले जल में लगभग 50,000 मछुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं और इस संयंत्र की स्थापना के कारण वे बेरोजगार से हो जायेंगे। मैं तत्कालीन कृषि मंत्री के पास एक शिष्टमंडल लेकर गया था और उन्होंने एक समिति नियुक्त की जो बम्बई आई थी। उन्होंने कुछ साक्ष्य एकत्र किये हैं परन्तु उनका प्रतिवेदन प्रकाशित नहीं हुआ। मैं वित्त मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि उसे सभा पटल पर रखा जाये चूंकि बम्बई के लोग, विशेषरूप से कोलाबा और सासून क्षेत्रों में रहने वाले हमारे निर्धन मछुए जानना चाहते हैं कि इस योजना के सम्बन्ध में उनका भाग्य क्या होगा।

बम्बई में 20 लाख लोग झौंपड़ियों में रह रहे हैं। केन्द्र सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया और इसके विपरीत गोवंडी में उनकी झौंपड़ियों को जला दिया गया है।

15 मार्च को उन पर अश्रु गैस छोड़ी गई और लाठियां बरसाई गईं, गोली चलाई गई। दूसरे पक्ष के वे लोग जो जनता सरकार के अधीन कथित अत्याचारों के बारे में चीख-चीख कर चिल्ला रहे हैं, अपनी आंखें खोलें और देखें कि उनकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। 20 लाख लोग बम्बई नगर में झौपड़ियों में रह रहे हैं। उनको कोई मूल सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं परन्तु पुलिस बल वहां पर एक सुबह को गया और उन लोगों को उनकी झौपड़ियों से बाहर फैंक दिया गया।

सभापति महोदय : हमें चार बजे तक बजट समाप्त करना है और अभी मेरे पास कुछ और नाम शेष हैं।

श्री रतनसिंह राजदा : आपको झौपड़ियों में रहने वालों के प्रति निष्ठुर नहीं होना चाहिए। उनकी आवाज जरूर सुनी जानी चाहिए। जल सप्लाई, सड़कें, बिजली जैसी सुविधायें बम्बई की झौपड़ियों में रहने वालों को उपलब्ध नहीं हैं। कीमतें आसमान को छू रही हैं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि बम्बई नगर का दौरा करें। वहां पर लम्बी-लम्बी कतारें लगी हैं जोकि जनता शासन के समय नहीं थीं। आपके शासन में आने के बाद चीनी आठ रु० तथा अधिक पर मिल रही है। मिट्टी का तेल लोगों को नहीं मिल रहा है और जब आप गरीब लोगों की बात करते हैं और उनकी स्थिति को सुधारने की बात करते हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि आप किस प्रकार के आर्थिक कार्यक्रम चला रहे हैं। बम्बई नगर एक लोकतंत्रीय द्वीप है और मेरा विचार है कि यह उसके साथ अपमान है और बम्बई के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है क्योंकि बम्बई के लोगों ने जनता पार्टी को वोट दिए हैं। यदि यह बात है, यदि सरकार का वही रुख है तो भगवान ही उनकी सहायता करेंगे चूंकि बम्बई और महाराष्ट्र के लोग यह सहन नहीं करने वाले.....

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई-उत्तर) : भगवान भी उनकी सहायता नहीं करेंगे।

श्री रतनसिंह राजदा: नहीं। महाराष्ट्र के लोग इस प्रकार की कठिनाई को अब और अधिक सहन नहीं करने वाले।

इसके साथ ही मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए इस बजट का तथा बजट अनुमानों का विरोध करता हूं।

श्री शान्ताराम (चन्द्रापुर) : महोदय, मैं वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन के लिए खड़ा हूं। मैं अपने उन दूसरे साथी के विचारों का पूर्ण समर्थन करता हूं जिन्होंने अभी नागपुर के विषय में कहा है। वेस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड के विषय में समाचारों में कहा गया है कि इसे अन्यत्र में ले जाया जा रहा है जिस पर लगभग 4 करोड़ रुपए का व्यय होगा। मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस पर महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ क्षेत्र के लोगों द्वारा तीव्र विरोध व्यक्त किया गया है।

मैं बिजली की कमी के विषय में कहना चाहता हूं। जहां तक बिजली की कमी का प्रश्न है, महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले में एक बड़ा तापीय बिजलीघर बनाया जा रहा है। इसकी क्षमता 2,340 मेगावाट की होगी तथा इस पर 140 करोड़ रुपए की लागत

आयेगी। इसमें 50,000 लाख टन कोयले का उपयोग होगा। जिससे 3,000 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। परन्तु केन्द्र सरकार ने इस परियोजना को स्वीकृति नहीं दी है और यदि इसे राज्य सरकार पर छोड़ दिया जाता है तो मुझे डर है कि फिर इस परियोजना को पूर्ण होने में दस या पन्द्रह वर्ष का समय लग जायेगा। इसलिए वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वे इस परियोजना पर विशेष ध्यान दें।

दूसरी परियोजना जिसे केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति दी जानी है वह मछलीघाट कागज परियोजना है जिसमें कि लगभग 15,500 टन लिखने का कागज का उत्पादन होगा जिससे 5,500 व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा। इस परियोजना के लिए भूमि भी आवंटित की जानी है। राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए भूमि प्रदान नहीं की है। भारत सरकार द्वारा भी इस परियोजना को अभी स्वीकृति नहीं दी गई है।

दूसरी बात जो मैं इस सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं इन्चनापल्ली परियोजना के विषय में है, जो मेरे चुनाव क्षेत्र में आती है। पिछले चुनावों में भी यह एक मुद्दा था और जनता ने इस परियोजना के विषय में अपना रोष व्यक्त किया है। परियोजना लगभग 30,000 एकड़ भूमि में होगी जिसमें लगभग 125 गांव, काफी खनिज भण्डार तथा दूसरी वस्तुएं सम्मिलित होंगी। मैं इस विषय में हस्तक्षेप करने को प्रधान मंत्री को पहले ही लिख चुका हूं जिस पर उन्होंने हस्तक्षेप किया भी है। यह परियोजना लगभग 30,000 हैक्टेयर के भूमि क्षेत्र को अन्तर्ग्रस्त करेगी जिसमें चावल तथा वर्जीनिया तम्बाकू की वार्षिक उपज के अतिरिक्त करोड़ों रुपए मूल्य के मूल्यवान सागौन की लकड़ी के जंगल हैं। सिरोंचा तहसील के 124 गांवों में रहने वाले इस क्षेत्र की आबादी 30,000 से कम नहीं होगी। इस आबादी में अधिकांश व्यक्ति जनजातियों के हैं। मैंने सरकार को सुझाव दिया था कि प्रस्तावित परियोजना की ऊंचाई को कम कर दिया जाना चाहिए अथवा परियोजना के स्थान को परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए। मैं समझता कि सरकार इस परियोजना के बारे में अब दुबारा सर्वेक्षण करवाएगी और वहां के लोगों को राहत देगी।

मेरा अन्तिम प्रश्न अन्तर्राज्यीय सड़कों के विषय में है। महाराष्ट्र में केवल चन्फपुर जिला ही एक ऐसा जिला है जहां की अन्तर्राज्यीय सड़कों पर तारकोल अथवा एस्फाल्ट नहीं बिछाया गया है। मैं इस दिशा में माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं और इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाने के लिए उनसे अनुरोध करता हूं।

श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी (अमरावती) : सभापति महोदय, मैं इस बजट का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई है। यहां पर महाराष्ट्र के बजट पर पहली बार चर्चा हो रही है। जिस वजह से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, उसके लिए मैं शासन को धन्यवाद देना चाहती हूं।

रोज़गार गारन्टी योजना महाराष्ट्र का एक भूषण है। अन्य राज्यों को भी इस योजना को अपनाना चाहिए। महाराष्ट्र में इतनी अच्छी योजना कांग्रेस के शासन में ही लागू की गई थी। इस योजना के लिए बजट में ज्यादा धनराशि रखनी चाहिए और इसको अच्छी तरह कार्यान्वित करने के लिए इसके कार्यकारी तन्त्र की तरफ भी ध्यान देना चाहिए।

महाराष्ट्र में सुशिक्षित बेकारों की समस्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। इसके लिए इस बजट में कोई अलग प्लान और प्राविजन रखना बहुत जरूरी है।

इस बजट में रोड्ज़ और पुलों के लिए कुछ रकम मंजूर की गई है। इस प्राविज़न को और भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र की यह कठिनाई, बेसिक प्रावलम, है कि रोज़गार गारंटी योजना के अन्तर्गत देहात में जो रोड्ज़ बनाये गए, वे पक्के रास्ते नहीं हैं। इसके अतिरिक्त नदियों पर पुल भी नहीं हैं।

मेरे क्षेत्र में मेलघाट एक पहाड़ी इलाका और आदिवासी एरिया है। वहां बैरागढ़ नाम का एक गांव है, जिसके साथ पच्चीस छोटे-छोटे गांवों का एक यूनिट है, जो मध्य प्रदेश के बार्डर पर स्थित है। वह धारणी से 20, 22 मील की दूरी पर है। वहां पर कोई अस्पताल या मैटर्निटी होम नहीं है, कोई अन्य सुविधा भी नहीं है। बारिश के दिनों में वहां चार महीने तक कोई भी नहीं जा सकता है। अमरावती जिले में ही केवल ऐसे देहात नहीं हैं जहां नदियों पर पुल नहीं हैं, बल्कि महाराष्ट्र के और कई जिले हमें ऐसे दिखाई देते हैं। इसलिए रोड और पुल के लिए आपको कुछ और ज्यादा प्राविजन करना चाहिए।

यहां माननीय चव्हाण साहब ने कपास एकाधिकार खरीदी योजना का समर्थन किया। मैं भी इस योजना का समर्थन करती हूं। कपास का एकाधिकार बहुत जरूरी है। फिर भी मैं बताना चाहती हूं कि पवार शासन में महाराष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था और महाराष्ट्र की जनता की हालत बहुत बुरी हुई है। उनके शासन में एकाधिकार योजना जब वहां चल रही थी तो किसानों को वक्त पर पैसा भी नहीं मिलता था और एकाधिकार योजना में बहुत भ्रष्टाचार भी बढ़ा हुआ है। यह कुछ एकाधिकार योजना में ही भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ हो, ऐसा नहीं है, महाराष्ट्र में आज हम एक बात देखते हैं कि जब केन्द्र में जनता का शासन था और महाराष्ट्र में पवार शासन था तब जनसंघ और आर० एस० एस० के अधिकारियों के हाथ में सब अधिकार चले गए थे जिससे उस समय भी लोगों पर बहुत अन्याय हुआ और आज राष्ट्रपति के शासन के बाद भी अधिकारी लोग न कांग्रेस (आई) के एम पीज के साथ सहयोग करते हैं न जिला परिषद के जो कांग्रेस (आई) के सदस्य हैं उन के साथ सहयोग करते हैं। जितनी भी अच्छी योजनायें केन्द्र शासन बनाता है या करना चाहता है उसको जनसंघ और आर० एस० एस० के अधिकारियों का जिनको कि अपने शासन में उन्होंने रखा है, सहयोग नहीं मिलता। वह इसलिए सहयोग नहीं देते कि वह यह गलतफहमी फैलाते हैं कि अब इंदिरा जी का राज आया है, वह क्यों नहीं करतीं? केन्द्र शासन और राष्ट्रपति शासन की बदनामी करने के लिए यह बात वहां की जा रही है। इसीलिए मैं इस शासन से बिनती करती हूं कि महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों पर नियंत्रण लाने के लिए उपाय किया जाये और वहां के प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए आप उपाय सोचें।

मैं जिस विदर्भ से आई हूं वह महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे देश में कपास का बहुत बड़ा उत्पादन केन्द्र है। इस देश में एक चौथाई कपास का उत्पादन विदर्भ के अन्दर होता है। फिर भी वहां उसकी मिलें कम हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां काटन मिलें और

स्पिनिंग मिलें और ज्यादा खोली जायें ताकि वहां के लोगों को रोज़गार मिले और औद्योगिक दृष्टि से विदर्भ का विकास हो। इस के लिए शासन कुछ इंतजार करे। कुछ प्रोविज़न राज्य के इस बजट में आप करें और कुछ केन्द्र भी इस के बारे में सोचे।

जिस अमरावती मतदान क्षेत्र से मैं चुन कर आई हूं वहां की कुछ मांगें काफी दिनों से चली आ रही हैं। एक तो अमरावती विद्यापीठ की मांग कई सालों से चली आ रही है, काफी दिनों से अमरावती मैडिकल कालेज की मांग हो रही है, अमरावती नरखेड़, रेलवे लाइन की मांग है, इसी तरह वहां एक रेडियो स्टेशन की मांग है। ये जो हमारी मांगें हैं इन के लिए कुछ राज्य शासन अपनी ओर से हिस्सा दे और कुछ केन्द्र शासन की तरफ से सहायता दी जाए। आज यहां महाराष्ट्र के बजट की चर्चा हो रही है इसीलिए मैंने आप सब का ध्यान अमरावती की जो लोकल प्राब्लम हैं उन की तरफ दिलाया है। मैं आशा करती हूं कि उन पर जरूर ध्यान दिया जायेगा।

आज की जो स्थिति है, हमारा विरोधी पक्ष बार बार चिल्लाता है और बोलता है, अभी उस दिन हमारी एक भगिनी ने कहा है कि महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, उन के साथ बलात्कार होता है। यह सच्ची बात है। अभी अभी नागपुर में बहुत बड़ा आन्दोलन इसके लिए छेड़ा गया और बहुत बड़ा मोर्चा किया गया जिसमें महिलाओं की सुरक्षा की और गुनहगारों को सजा देने की मांग की गई। मैं यह कहना चाहती हूं कि अभी जो परिस्थिति है वह जनता राज ने हमें भेंट में दी है। फिर भी एक बात मैं कहूंगी कि हमारी नेता इंदिरा गांधी जी, हमारी पार्टी और हमारे शासन पर लोगों का विश्वास है कि वह उनके हक की गारन्टी हैं। इसलिए इस शासन को अभी जो परिस्थिति और हालात निर्माण हुए हैं उनके बारे में कुछ करना जरूरी है। धन्यवाद।

श्री राम कृष्ण मोरे (खेड) : मैं सदन में प्रस्तुत किए गए बजट के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहता हूं।

उठाऊ सिंचाई योजनाओं की एक अत्यधिक गम्भीर समस्या है जो 1965 से लम्बित पड़ी हुई है। काफी संख्या में योजनाओं को अपूर्ण छोड़ दिया गया है जिसके परिणाम-स्वरूप जल संसाधनों का उपयोग नहीं हो पाया है और गरीब कृषकों की देयता में वृद्धि हो गई है। योजना में लगाई गई पूंजी व्यर्थ पड़ी है और उनसे कोई लाभ नहीं हो पा रहा है अपितु केवल ब्याज में ही प्रतिवर्ष वृद्धि होती जा रही है। दुर्भाग्य से ऐसे कृषकों को सहायता प्रदान करने की इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे अपूर्ण उठाऊ सिंचाई योजनाओं के प्रश्न पर फिर विचार करें और उन्हें पूर्ण किए जाने के लिए कुछ आर्थिक सहायता स्वीकृत करने तथा साथ ही गरीब कृषकों को भी कुछ राहत देने का कष्ट करें।

शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों के लिए मूल पूंजी निवेश योजना के सम्बन्ध में, मुझे बजट में कोई अलग व्यवस्था दिखाई नहीं देती है। पिछले वर्ष कुछ स्वीकृत की गई परियोजनाओं को मूल निवेश पूंजी प्रदान नहीं की गई थी, मुझे माननीय वित्त मन्त्री से अनुरोध करना है कि वे इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त राशि स्वीकृत करने की कृपा करें।

मुझे प्याज की खरीद के बारे में कृषि राज्य मन्त्री श्री स्वामीनाथन के वक्तव्य का उल्लेख करना है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि जिस समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है वह उत्पादन लागत से भी कम है जो कि लगभग 58 पैसे प्रति किलोग्राम आता है। सरकार द्वारा दिया गया समर्थित मूल्य केवल 45 पैसे और 60 पैसे प्रति किलोग्राम के बीच में आता है।

यह अत्यधिक आवश्यक है कि सरकार को प्याज का समर्थित मूल्य 70 से 80 पैसे प्रति किलोग्राम निर्धारित करना चाहिए ताकि उसका उत्पादन उत्पादकों के लिए लाभकर हो सके। इसके अतिरिक्त प्याज का 80 प्रतिशत उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। तथापि प्याज को रखने के लिए उचित भण्डार सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं और जो हैं, वे अपर्याप्त हैं, बजट में इस प्रकार की भण्डार सुविधाओं के निर्माण के लिए कुछ व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए और चूंकि यह महाराष्ट्र की प्रमुख फसल है इसलिए महाराष्ट्र सरकार को पूरी जिम्मेवारी केन्द्र सरकार पर नहीं थोपनी चाहिए।

मैं प्रगतिशील लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार के विषय में भी कुछ शब्द कहने हैं। महाराष्ट्र में प्रगतिशील लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार ने अपने अल्प शासन के दौरान जनता को केवल सुन्दर नारे ही दिए हैं। वहां कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है। मुख्यमन्त्री केवल अपने प्रगतिशील लोकतांत्रिक मोर्चे की सरकार के विभिन्न घटकों को प्रसन्न करने और सन्तुष्ट करने में ही व्यस्त रहते थे और उन्हें काम करने का बहुत ही कम समय मिल पाता था।

जनसंघ घटक जो सरकार पर प्रभावी हो चुका था और जिसके समर्थन से सरकार बनी हुई थी, उद्योगपतियों तथा व्यापारियों और दूसरे पूंजी पतियों के लिए वरदान सिद्ध हो रहा था।

इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री काजी सलीम (औरंगजेब) : सभापति महोदय, आज इस बजट पर बोलते हुए सबसे पहले श्री यशवन्तराव चव्हाण ने असेम्बली के डिजोल्यूशन की बात कही और यह कहा कि बजट को असेम्बली में पास कराने के बजाए यहां लोकसभा में रखा जा रहा है। इसके लिए कानूनी या दूसरे जो वजूहात हैं उनके बारे में हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर, श्री शंकरराव चव्हाण और एक्स चीफ जस्टिस, भोले साहब ने कहा है। मैं एक बड़ी दिलचस्प बात यह बताना चाहता हूं कि शरद पवार की हुकूमत ने लोकसभा के इलैक्शन में यह साबित कर दिया कि वह पापुलर नहीं रही। उनकी पार्टी के 39 लोक चुनकर यहां पर नहीं आ सके। यह तो कानूनी बात हुई। दूसरी बात यह है कि वहां जितने लोग पार्टी में थे, सिवाय उन लोगों के जो मिनिस्टर्स की कुर्सियों पर बैठे हुए थे, उन्होंने पार्टी इन पावर को ज्वाइन करना शुरु किया।

लोकसभा के इलैक्शन के बाद हमारे वहां के दो मिनिस्टर श्री निखाते और श्री सुन्दर राव सोलंकी इन्दिरा पार्टी में शामिल हो गए। यह इस बात का सुबूत है कि उनकी

पार्टी में सिर्फ चीफ़ मिनिस्टर और लीडर्स ही थे--जाहिर है कि यह एक बहुत बड़ी बात है।

मैं इस सिलसिले में ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, अब मैं अपने रीजन की मांगों के सिलसिले में आप का कुछ वक्त लेना चाहता हूं। सब से पहले तो मैं एजूकेशन की प्लानिंग के बारे में दो-तीन बातें अर्ज करना चाहता हूं। जहां तक एजूकेशन की प्लानिंग का ताल्लुक है--अगर एक दफा हम ने गलत प्लानिंग कर दी तो उस का असर पूरी जैनरेशन पर बहुत खराब पड़ेगा। कुछ साल पहले यह प्लानिंग की गई थी कि हम एजूकेशन का विस्तार करें, इस को देहातों तक ले जायें और यह प्लानिंग कामयाब भी रही। यह उस वक्त की बात है जब महाराष्ट्र में इन्दिरा गांधी की पार्टी की सरकार थी। उस के तहत हर ताल्लुके में कालिज खोले गए। दूसरी बार यानी पिछले दो साल पहले जूनियर कालिजिज़ को अलग किया गया। उसका नतीजा यह हुआ कि जो कालिजिज़ वहां चल रहे थे, उन की तादाद कम होने लगी, उन में लड़कों की तादाद कम हो गई। उस के बाद यह आर्डर जारी किया गया कि जहां लड़कों की तादाद कम है, उन कालिजिज़ को बन्द किया जाए। इस का असर बम्बई, पूना या ऐसे बड़े-मुकामात पर जहां पैसे वाले लोग रहते हैं उन पर नहीं पड़ा, क्योंकि वे लोग उन जगहों पर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज सकते थे। लेकिन इस का असर मराठवाड़ा और विदर्भ पर पड़ने वाला है। आज मराठवाड़ा में 50 फीसदी कालिजिज़ दम तोड़ रहे हैं, उन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि इन कालिजिज़ को बन्द कर दिया जाए। जिन कालिजिज़ में गरीब मजदूर और किसानों के बच्चे पढ़ते थे, गंगापुर या बीजापुर में छोटे-छोटे मुकामात से बच्चे आ कर तालीम हासिल करते थे--वे कालिज बन्द होने जा रहे हैं क्योंकि उन के पास इतना पैसा नहीं है कि वे मुकामात पर, औरंगाबाद या बड़े शहरों जैसे बम्बई या पूना में अपने बच्चों को भेज सकें। सरकार की इस पालिसी से हमारी जेनरेशन पर बहुत खराब असर पड़ने वाला है, आज जो बच्चे कालिजों में पढ़ रहे हैं, वे अब क्या करेंगे, एक तरह से बेकार हो गए हैं। आप ने देखा होगा--पिछले चार-पांच सालों में हमारे मराठवाड़ा में कालिज एजूकेशन 9 फीसदी से लेकर 17 फीसदी तक तरक्की कर गई थी, लेकिन पिछले-दो तीन सालों के अन्दर वह फिर गिर कर 13 फीसदी पर आ गई है। इस तरह की एजूकेशन पालिसी से हमारे रीजन को कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला है, बल्कि मैं तो यह समझता हूं कि जूनियर कालिजिज़ को बन्द किया जाए इस लिए कि जो बच्चा जूनियर कालिज में पढ़ता है, वह अपने आप को हाई स्कूल के मैयार का समझता है, उस का जेहन कालिज का नहीं बनता है। इस लिए मेरा सुझाव है कि इस पर फिर से गौर किया जाए।

दूसरी बात मुझे यह अर्ज करनी है कि अभी हमारे भोले साहब ने मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का जिक्र किया। मैं इस के खिलाफ़ या मुआफिकत में बोलने के लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन चूंकि इस सदन में अलग-अलग प्रान्तों के लोग आए हुए हैं, जो महाराष्ट्र के इस मसले से पूरी तरह से वाकिफ़ नहीं हैं, मैं उन को बतलाना चाहता हूं कि यह बड़ा सेन्सिटिव मसला हो गया है, इस पर दोनों तरफ़ से कहने की बहुत गुजाइश है। एक तरफ़ से आन्दोलन हो सकता है तो दूसरी तरफ़ से भी बहुत बड़ा आन्दोलन हो सकता है। इस तरह से वहां पर जातिवाद का तनाव पहली दफ़ा इस रेजूल्यूशन की वजह से पैदा हो

गया है और यह रेजोल्यूशन भी एक प्राइवेट रेजोल्यूशन था, अभी इस सिलसिले में एक्ट की शक्ल में कोई तरमीम नहीं हुई है। इसलिए मैं इस सदन से, खास तौर से मन्त्री जी से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इस के बारे में जल्दबाजी से काम न लें, बल्कि मराठवाड़ा के लोगों को हक दें, वे इस का तस्फ़िया खुद करें। अगर नेकनीयती से वहां के लोगों से, खास तौर से शैडयूल्ड कास्ट्स के लोगों से, मराठा लोगों से और जो दूसरी जातियों के लोग हैं, जैसे मुसलमान हैं, जो इंस्टीचूशन्ज चलाते हैं, उन से बातचीत की जाए तो एक थर्ड आल्टरनेटिव के तौर पर एक बड़ा स्मारक (मान्यूमेन्ट) बाबा साहब अम्बेदकर के नाम पर टेकनीकल यूनीवर्सिटी की शक्ल में आ सकता है और मैं समझता हूं कि उस से हमारे इलाके को ज्यादा फायदा पहुंच सकता है।

जहां तक मराठवाड़ा में मीटर गेज रेलवे लाइन का ताल्लुक है--मैं यह बात साफ़ तौर से अर्ज करना चाहता हूं कि जब तक मनमाड से औरंगाबाद तक ब्राड-गेज लाइन नहीं बनाई जाती, उस इलाके की तरक्की नहीं हो सकती। यह काम सेन्ट्रल गवर्नमेंट की मदद से ही हो सकता है। हमारे यहां सामान के लाने-लेजाने के लिए मीटर-गेज नाकाफी है। बहुत दफ़ा बड़े-बड़े इण्डस्ट्रीयलिस्टस से दरख्वास्त की गई, बल्कि उन के लिए 13 किस्म की सहूलियतें फ़राहम की गई, उस के बावजूद भी वहां पर इण्डस्ट्रीज़ नहीं लगी। सहूलियतों का फायदा उठाने के लिए उन्होंने वहां पर अपनी ज़ान्चेज़ खोलदी हैं, लेकिन वहां पर इण्डस्ट्रीयल एटमास्फीअर अभी तक कायम नहीं हो सका है। मैं चाहता हूं कि आप इस पर जल्द से जल्द गौर कर के वहां ब्राड-गेज लाइन डालने का इन्तजाम करें।

मैं एक दो बातें और अज करना चाहता था, लेकिन वक्त नहीं है, इसलिए अर्ज नहीं कर सकूंगा।

श्री पी० के० कोडियन (अदूर) : महोदय, चूंकि मुझे दिया गया समय अत्यन्त कम है इसलिए मैं कुछ बातों का बहुत संक्षेप में उल्लेख करने का प्रयत्न करूंगा।

सभापति महोदय : कुछ बातें महाराष्ट्र बजट के बारे में।

एक माननीय सदस्य : महोदय, हम समय बढ़ा देते हैं।

श्री पी० के० कोडियन : महोदय पहली बात जो मैं माननीय मन्त्री को बताना चाहता हूं वह कपास उत्पादकों की दुर्दशा से सम्बन्धित है। विदर्भ क्षेत्र के सदस्यों में से जिन्होंने यहां चर्चा की है, मुझे आश्चर्य है कि उनमें से किसी ने भी कपास उत्पादकों की दुर्दशा का जिक्र नहीं किया है ..... (व्यवधान)। माननीय महिला सदस्या ने कारखाने को लगाने की बात तो कही है परन्तु उत्पादकों की समस्याओं के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। यहां, बात यह है कि कपास उत्पादकों को लाभ कर मूल्य नहीं मिलता है .....

प्रोफेसर एन० जी० रंगा : आप ठीक कह रहे हैं।

श्री पी० के० कोडियन : यही प्रमुख बात है।

भारत सरकार ने भारतीय रुई निगम बनाया है परन्तु यह निगम रुई के बाजार में कभी भी समय पर प्रवेश नहीं करता है।

प्रोफेसर एन० जी० रंगा : यह सच है।

श्री पी० के० कोडियन : और जब वह बाजार में प्रवेश करता है·····

प्रोफेसर एन० जी० रंगा : वह भी पूर्ण रूप से नहीं····

श्री पी० के० कोडियन : व्यापारियों से साठ-गांठ करके तो वे बाजार की रुई खरीदने के लिए कभी तैयार नहीं होते हैं। वे केवल खरीदी गई कपास के कुछ भाग के ही क्रय करते हैं और गरीब तथा छोटे कृषकों को कई कई हफ्तों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है तथा अन्त में उन्हें बहुत ही कम दर पर कपास बेचने को बाध्य होना पड़ता है।

प्रोफेसर एन० जी० रंगा : यह सच है।

श्री पी० के० कोडियन : यह पिछले कई वर्षों से होता जा रहा है। इसलिए मैं माननीय वित्त मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वे महाराष्ट्र के कपास उत्पादकों की इस दशा की ओर ध्यान दें तथा उदारतापूर्वक सहायता प्रदान करने का कष्ट करें।

प्रोफेसर एन० जी० रंगा : परन्तु आपका एकाधिकार वाला निगम है।

श्री पी०के०कोडियन मैं इस विषय पर आ रहा हूं।

वह राज्य व्यापार संघ, जो महाराष्ट्र सरकार की एकाधिकार कपास वसूली योजना की संस्था है, की उदारतापूर्वक सहायता करें। चूंकि उनके पास पैसा नहीं है·····

प्रो० एन० जी० रंगा : यही बात है।

श्री पी० के० कोडियन : उन्हें कृषकों को अगली तारीखों के चेक जारी करने के लिए बाध्य होना पड़ता है इसलिए मैं माननीय वित्त मन्त्री से विनम्र निवेदन कर रहा हूं। कृपया भारतीय रिजर्व बैंक को कम से कम 200 करोड़ रुपए का ऋण देने के लिए सहमत करने का कष्ट करें।

प्रो० एन० जी० रंगा : केवल महाराष्ट्र को?

श्री पी० के० कोडियन : केवल महाराष्ट्र को ही नहीं अपितु दूसरे राज्यों के लिए भी। मैं एकाधिकार वसूली योजना का समर्थन करता हूं जिसका दूसरे विस्तार कपास उत्पादन करने वाले दूसरे राज्यों में भी कर दिया जाना चाहिए। यह मेरी पहली बात है।

मेरी दूसरी बात महाराष्ट्र में, सहकारी चीनी कारखानों के गठन और कार्यकरण के सम्बन्ध में है। 'सहकारी' नाम ही गलत है। इस पर जमीदारों का नियंत्रण है। कभी कभी उसमें विरोधाभास जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मैं नहीं समझ पाया हूं कि इसे 'सहकारिता' के नाम पर कार्य करने की अनुमति कैसे दी गई थी क्योंकि मैं पाता हूं कि इन सहकारी कारखानों के 82 प्रतिशत सदस्य ऐसे कृषक वर्ग से हैं जिनके पास तीन एकड़ से कम भूमि है। दस से पन्द्रह प्रतिशत ऐसे कृषक वर्ग से हैं जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है और 3 प्रतिशत सदस्य ऐसे हैं जिनके पास 5 एकड़ से अधिक भूमि है और

ये 3 प्रतिशत ही ऐसे सदस्य हैं जिनका इन सहकारी समितियों पर नियंत्रण है। महाराष्ट्र में सहकारिता अधिनियम को कुछ इस प्रकार से बनाया गया था कि इस अल्पसंख्यक अर्थात धनी जमीदारों....

श्री बीजू पटनायक : इस अधिनियम को कब बनाया गया था ?

श्री के० ए० राजन : जब प्रत्येक स्थान पर कांग्रेस दल सत्ता में था।

श्री पी० के० कोडियन : ये अल्पसंख्यक समितियों पर नियंत्रण रखन में समर्थ थे। इसलिए, मेरा अनुरोध है कि : कृपया महाराष्ट्र राज्य के इस सहकारिता अधिनियम में संशोधन कर दीजिए और इसमें गन्ना उत्पादकों के प्रत्येक आर्थिक समूह से संख्या में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कीजिए।

सभापति महोदय : श्री कोडियन, आपको दिया गया समय समाप्त हो चुका है।

श्री पी० के० कोडियन : मेरी अन्तिम बात मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के विषय में है, विश्वविद्यालय को डा० बी० आर० अम्बेदकर के नाम पर किए जाने के सम्बन्ध में है।

श्री आर० आर० भोले : मैंने इसके नाम में परिवर्तन करने का प्रश्न नहीं उठाया है। मैंने तो केवल इतना ही कहा था कि कानून और व्यवस्था की स्थिति को बिगड़ने कैसे दिया गया था।

श्री पी० के० कोडियन : आपने नहीं कहा। माननीय सदस्य जिन्होंने कहा था, मैं उनका नाम नहीं जानता हूं—उन्होंने कहा कि हमें इस प्रकार की भावुक बातों का उल्लेख भी नहीं करना चाहिए। यह एक ऐसी समस्या है जिसमें सैंकड़ों और हजारों अनुसूचित जातियों की और दूसरे प्रगतिशील व्यक्ति सम्बन्धित हैं। कई अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था तथा काफी रक्तपात हुआ था और महाराष्ट्र सरकार ने मराठवाड़ा विश्व-विद्यालय को डा० बी० आर० अम्बेदकर के नाम पर किए जाने के सम्बन्ध में 1977 से पहले के अनुसूचित जातियों को दिए गए आश्वासन को क्रियान्वित करने के उत्तरदायित्व से जी चुरा लिया है। इसका क्रियान्वयन होना चाहिए।

यह मेरा विनम्र अनुरोध है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

(समाप्त)

सभापति महोदय : अब माननीय गृह मन्त्री।

वित्त और उद्योग मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के बजट पर होने वाले वाद-विवाद में दो भूतपूर्व मुख्य मंत्रियों, एक भूतपूर्व कैबिनेट मंत्री तथा महाराष्ट्र के कई विशिष्ट सदस्यों ने अपने वक्तव्यों से प्रकाश डाल दिया है।

इस योगदान के लिए मैं उनका आभारी हूं। मैं उन्हें यह भी आश्वासन देता हूं कि उनके द्वारा रखे गए कुछ मुद्दों को उस नियमित बजट में शामिल कर लिया जायेगा जो बाद में प्रस्तुत किया जाना है।

हमेशा की तरह सबसे पहले उठाई गई आपत्ति यह थी कि महाराष्ट्र विधान सभा को भंग करना अप्रजातान्त्रिक और गैर-कानूनी था। महोदय मैं अपने तर्क को दोहराना नहीं चाहता। जब अध्यादेश सदन के समक्ष आएगा तो उस पर पूरा वाद-विवाद होगा और मुझे आशा है कि इस पर हर पहलू से विचार किया जायेगा।(व्यवधान) यदि आप कुछ और जानना चाहते हैं तो मैं बताने के लिए तैयार हूं। संविधान द्वारा और उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए न्यायिक निर्णय, दोनों के द्वारा, तथा आप द्वारा चलाई गई राजनीतिक प्रथा द्वारा इसे उचित ठहराया गया है।

मैं अब बजट से संबंधित समस्याओं के बारे में कहूंगा। मैं इस बजट की मुख्य रूप-रेखा प्रस्तुत करना चाहूंगा ताकि प्रस्तुत बजट का पूरा चित्र लोगों के सामने स्पष्ट हो सके। सदस्यों द्वारा उठाये गए अलग-अलग मुद्दों के बारे में बोलने से पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के 762 .5 करोड़ रु० के मूल योजना परिव्यय को बढ़ा-कर आई० आई० टी० पी० में 25 करोड़ रु० की वृद्धि करके 1980-81 में 801 करोड़ रु० कर दिया गया है। इससे कुल योजना विनियोग में मुख्य वृद्धि का पता चलता है।

इसके अतिरिक्त वर्ष 1980-81 के लिए केन्द्रीय सहायता की राशि 187 करोड़ रु० निश्चित की गई है। मुख्य आवंटनों के रूप में सिंचाई, बाढ़ नियंत्रक और विद्युत के लिए 474.5 करोड़ रु० की राशि रखी गई है। यह लगभग 60 प्रतिशत बैठती है; वास्तव में यह राशि 59.2 प्रतिशत है जो इस सेक्टर के लिए आवंटित की गई है।

विस्तृत आंकड़ों के अनुसार विद्युत शक्ति के लिए 316 करोड़ रु० की राशि आवंटित की गई है और सिंचाई के लिए 159 करोड़ रु० की राशि आवंटित की गई है।

एक बात यह कही गई है कि लघु सिंचाई का ध्यान नहीं रखा गया है। मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगा कि बड़ी और मध्य दर्जे की सिंचाई योजनाओं से वर्ष 1980-81 में 1.11 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। इससे अगले वर्ष में लघु सिंचाई योजनाओं से 23,000 एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी।

जहां तक राज्य में सूखे की स्थिति का संबंध है, सहायता के लिए अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत 81,000 टन अनाज का आवंटन किया गया है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत 55,000 टन अनाज का विशेष आवंटन किया गया है। इस आशय की कोई शिकायत नहीं मिली है कि आवंटन अपर्याप्त है। फिर भी मैं सदन को यह आश्वासन देता हूं कि आगामी वर्ष 1980-81 के लिए भी इसी प्रकार का आवंटन जारी रखा जायेगा और ऐसी शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी कि सहायता के लिए अनाज या सूखा राहत कार्यक्रमों के लिए राज्यों को पर्याप्त खाद्यान्न नहीं दिए जाते हैं।

मैं अब माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गए मुद्दों पर बोलूंगा।

श्री चव्हाण ने यह कहा है कि यह एक नौकरशाही बजट है। मैं स्वयं योजना आयोग का सदस्य रहा हूं और इस नाते मैं योजना तैयार किए जाने की प्रक्रियाओं को स्पष्ट करना चाहूंगा। कलैंडर वर्ष के अन्त में राज्य सरकार के अधिकारी योजना आयोग में आते हैं और सरकारी स्तर

पर इस बारे में चर्चा करते हैं। कि हर राज्य की योजना के बारे में योजना आयोग से विचार-विमर्श किया जाता है। विभिन्न सेक्टरों की जरूरतों और उपलब्ध धनराशि के आधार पर एक योजना तैयार की जाती है और इस प्रकार किसी राज्य के लिए योजना लगभग तैयार कर ली जाती है और बाद में मुख्य मंत्री तथा योजना आयोग के उप-सभापति के बीच जो बात-चीत होती है, वह मुख्य मंत्री से केवल यह राजनीतिक वचन लेने के लिए होती है कि वे अन्तर को पर्याप्त कर लगाकर पूरा कर लेंगे। चूंकि ऐसा नहीं किया जा रहा है इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि जहां तक बजट के योजना वाले भाग का सम्बंध है यह बजट किसी भी रूप में सामान्यतः या हमेशा पेश किए जाने वाले बजटों से भिन्न है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि आने वाली कोई सरकार प्राथमिकताओं को बदल सकती है या वे मोटी रूप-रेखाओं के भीतर ही नए सिरे से आवंटन कर सकते हैं लेकिन यह कहना कि यह एक नौकरशाही बजट है उचित नहीं है। श्री चव्हाण ने यह भी कहा है कि इस समय कोई योजना आयोग नहीं है। यह सच है कि योजना आयोग की नियुक्ति करने में कुछ समय लग गया है लेकिन महाराष्ट्र के और विशेषतः इस सदन में उपस्थित माननीय सदस्यों को मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि योजना आयोग के न होने से महाराष्ट्र राज्य को कोई हानि नहीं हुई है और वर्तमान परिस्थितियों में उनके साथ अन्य राज्यों की तरह ही सबसे अच्छा व्यवहार किया गया है। श्री चव्हाण ने छोटे किसानों पर बाकी कुछ ऋणों को बट्टे-खाते में डालने का उल्लेख किया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक योजना तैयार की गई थी जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि सहकारी समितियों पर बकाया कुछ ऋणों को बट्टे-खाते में डाल दिया जाये क्योंकि वे इन ऋणों को अदा करने में असमर्थ हैं। माननीय सदस्य और विशेषतः वे सदस्य जो राज्यों के प्रशासन में रहे हैं इस बात को जानते हैं। श्री बीजू पटनायक जी को भी इसकी जानकारी है। यदि सरकारी संस्थाओं को दिए गए ऋणों को बट्टे-खाते में डालकर उन्हें उनके स्रोतों से वंचित रखा जाए तो रिजर्व बैंक से ऋण लेने की उनकी क्षमता उस सीमा तक कम हो जायेगी और परिणामस्वरूप ग्रामीण ऋण तथा खेतिहर ऋण के विस्तार या दूसरों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इस मामले का दूसरा पहलू यह है कि यदि आप यह जता देते हैं कि बकाया ऋणों को बट्टे-खाते में डाल दिया जायेगा। तो मुझे संदेह है कि इससे सारे देश में वैसा ही तरीका फैल जायेगा और इससे सहकारी समितियों की गतिविधियों में रुकावट पड़ सकती है।

प्रो० मधु दंडवते : महाराष्ट्र सरकार ने यह सुझाव दिया था कि छोटे किसानों और 5 एकड़ से कम भूमि वाले या अन्य ऐसे ही व्यक्तियों द्वारा लिए गए ऋणों पर बकाया ब्याज की राशि छोड़ दी जानी चाहिए। इस मुद्दे पर रिजर्व बैंक से बात चीत चल रही थी उसकी क्या स्थिति है?

श्री आर० वेंकटरामन : मैंने अभी अपना जवाब पूरा नहीं किया है। इसलिए मैं यह सुझाव देने वाला था कि रिजर्व बैंक द्वारा जिस वैकल्पिक योजना का सुझाव दिया गया था, उसे आप लोगों ने और महाराष्ट्र सरकार ने मंजूर कर लिया था। रिजर्व बैंक ने जिस वैकल्पिक योजना का सुझाव दिया था। वह यह थी कि ऋणों को बट्टे-खाते में डालने के बजाय आप एक चयनात्मक मानदण्ड बनायें। ताकि उन क्षेत्रों के मामले में, जहां 4 वर्षों में से 2 वर्षों तक सूखा पड़ा हो और जहां 2 या $2\frac{1}{2}$ एकड़ के जोत हों, ब्याज को बट्टे-खाते में डाल दिया जाये और मूलधन को किस्तों में वसूल किया जाये या कई वर्षों में फैला दिया जाये। यह योजना बहुत

अच्छी है जो विचाराधीन है और जिस पर महाराष्ट्र सरकार से बात-चीत चल रही है। इसलिए मैं प्रो० मधु दण्डवते का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यह स्मरण कराया है। लेकिन मैं यह बात इसलिए कहना चाहता था कि मैंने यह कहा था कि दूसरी योजना एक उपयुक्त योजना नहीं है।

श्री बीजू पटनायक : यह योजना केवल महाराष्ट्र राज्य के लिए है या सारे देश के लिए है?

श्री आर० वेंकटरमन : इस समय केवल महाराष्ट्र के लिए इस पर विचार किया जा रहा है और जहां उड़ीसा तथा अन्य राज्यों की बारी आएगी तो उनके बारे में भी विचार किया जायेगा।

श्री बीजू पटनायक : उड़ीसा सरकार ने यह प्रस्ताव रखा था कि इसे 2 वर्ष तक के लिए लागू किया जाये। अब 500 रु० के मूलधन पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज की राशि इतनी अधिक हो गई है कि वह दस वर्षों में 5,000 रु० हो गई है।

श्री आर० वेंकटरमन : अब, महाराष्ट्र सरकार ने ब्याज छोड़ दिया है, अर्थात् इस दायित्व को वे अपने ऊपर ले लेंगे। यदि कोई अन्य राज्य सरकार भी ऐसा करती है तो उस पर भी विचार किया जायेगा।

श्री चव्हाण ने एक और विषय उठाया था अर्थात्, सिंचाई क्षमता। उन्होंने कहा था कि सिंचाई क्षमता और सिंचाई क्षमता के उपयोग पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्हें यह सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि कमान क्षेत्र का उपयोग 1978-79 के 40.3% से बढ़कर 1979-80 में 46.2% हो गया है और 1980-81 में यह बढ़कर 48% तक पहुंच जाने की आशा है।

मेरे माननीय दोस्त श्री एस० बी० चव्हाण ने भी उसी योजना का उल्लेख किया और वे इस योजना में वही संशोधन करना चाहते थे जिसका मैंने सुझाव दिया है। जैसा मैंने कहा है सरकार इस मामले पर विचार कर रही है और इस बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंच जायेगी। उन्होंने आयकर की उस बकाया राशि का भी उल्लेख किया है जो अदा नहीं की गई है। यह मामला भारत के नियंत्रण महालेखापरीक्षक के विचाराधीन रहा है। उन्होंने यह सुझाव दिया था कि तदर्थ या आंशिक भुगतान किया जाना चाहिए। इसकी भी जांच की जा रही है और यथाशीघ्र इस पर कार्यवाही की जायेगी।

उनके द्वारा उठाया गया अगला विषय सार्वजनिक ऋण को महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य के बीच आवंटित करने के बारे में था। इसका संबंध भाषा के आधार पर बनाये गये राज्यों के कारण उत्पन्न हुई समस्या से है। इस बारे में आपको मैं इसके अलावा कोई और आश्वासन नहीं दे सकता कि भारत सरकार को किसी अन्य राज्य पर दबाव डालने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है और वे यही कहेंगे कि हमें अन्य दो राज्यों के साथ बात-चीत जारी रखनी चाहिए।

श्री एस० बी० चव्हाण ने एकाधिकार वसूली योजना का भी उल्लेख किया है। मैं इस समय श्री कोडियन द्वारा उठाये गये विषय के बारे में भी विचार रखूंगा। हमारे

वहां भारतीय कपास निगम है जो कपास की खरीद केवल समर्थन मूख्य संस्था के रूप में करती है । श्री कोडियन का शायद यह विचार है कि यह एक ऐसी संस्था है जो बाजार जो कुछ भी उपलब्ध हो खरीद लेती है। नहीं। इसका कार्य बाजार में जो कुछ भी उपल हो उसे खरीद लेना नहीं है। इसका कार्य तभी खरीदारी करना है जब बाजार मूल्य समर्थ मूल्य से भी कम हो जाये और जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो कपास निगम खरीद करता है।

प्रो० एन० जी० रंगा : हम इसका विस्तार अन्य वस्तुओं के लिए भी क्यों नहीं कर देते

श्री आर० वेंकटरामन : एक दूसरी निगम है जो एकाधिकार वसूली का कार्य करती और वह योजना है महाराष्ट्र वसूली योजना जिसके अंतर्गत वे बाजार में उपलब्ध सारा कप खरीद लेते हैं।

श्री पी० के० कोडियन : लेकिन उनके पास पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था नहीं है ।

श्री आर० वेंकटरामन : यदि मैं इसी प्रकार उत्तर देता रहा तो मैं अपना उत्तर पू कर सकूंगा, इसीलिए, मैं वही कहूंगा जो मुझे कहना है और शेष उन पर है कि वे इसका ज चाहें अर्थ निकाल लें।

एकाधिकार वसूली निगम वह सारी रूई खरीद लेता है जो उसे बाजार में उपलब्ध होत है और निश्चय ही उस के सामने वित्त की समस्यायें हैं, परन्तु उन्हें वह रिजर्व बैंक के साथ मिलक सुलझा लेता है और रिजर्व बैंक तथा निगम के बीच ऋण संबंधी करार हो जाता है।

श्री चव्हाण ने इस तथ्य का जिक्र किया कि निगम का कार्यकाल समाप्त होने को है मैं उन्हें सूचित करना चाहता हूं कि सरकार इस का कार्यकाल बढ़ाने पर शीघ्र ही विचा करेगी और इस मामले में अपेक्षणीय निर्णय करेगी।

श्री जार्ज फर्नान्डीस ने, सदैव की भांति ही, बहुत कुछ बोला। वस्तुतः श्री जार्ज फर्नान्डी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अर्थशास्त्र में भी जजबात भर देते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : और आपने नियतनों में जजबात भर दिये ।

श्री आर० वेंटकरामन : उन्होंने उनके आंकड़े दिये हैं और कहा कि नियतन कम हो ग हैं। आपको बजट संबंधी दस्तावेज पढ़ने भी आने चाहियें। दो दस्तावेज हैं, एक है वार्षि वित्तीय वितरण जिसमें योजना तथा गैर-योजना संबंधी बातें बताई गई हैं। दूसरा दस्तावेज योज दस्तावेज के बारे में है जिसमें योजना के अन्तर्गत आने वाली योजनाओं के ख का विवरण है। वार्षिक वित्तीय विवरण से जिसमें योजना तथा गैर-योजना संबंधी योजनाओं व विवरण है यदि स्थिति का पता नहीं चलेगा चाहे विकास प्रयोजनों के लिए निवेश अधिक अथवा कम क्योंकि गैर-योजना खर्च में कमी की जा सकती है। और, इसीलिये, इसमें क राशि दिखाई जा सकती है। गैर-योजना खर्च में वृद्धि भी हो सकती है जबकि इसमें अधिक रा दिखाई जायेगी हालांकि वस्तुतः विकास संबंधी आंकड़े कम होंगे।

अतः योजना संबंधी दस्तावेज देखा जाना चाहिये। उनके आने से पूर्व, मैं योजना वृद्धि का समूचा चित्र पेश किया था। उनके आने से पहले मैंने योजना में चतुर्मुखी वृ

संबंधी आंकड़े दिये थे। यह संभव है कि कुछ मदों में कुछ वृद्धि या कटौती हुई है। परन्तु कुल आंकड़े वे हैं जिन्हें हम हिसाब में लेते हैं। जब हम यह कहते हैं कि योजना नियतन को बढ़ाकर 801 करोड़ कर दिया गया है और उसके भीतर ही राज्य ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कोई समंजन किया है तो इसका अर्थ यह होना चाहिए निर्माण अधिक हुआ है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मेरा प्रश्न तो प्राथमिकताओं के बारे में उनकी समझ से था। यह बहुत संभव है कि कुल योजना, खर्च गत वर्ष की तुलना में अधिक हो। यह प्रश्न प्राथमिकताओं का है। मैं यह बताने के लिए उन्हीं के आंकड़े उद्धत किये हैं, कि कुछ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में मेरे अनुसार प्राथमिकतायें, अर्थात् लघु उद्योग, सिंचाई कृषि आदि में परिव्यय में कटौती की गई है।

श्री आर० वेंकटरामन : श्री फर्नान्डीस को केवल आधा कागज ही पढ़ने तथा केवल वही आंकड़े उद्धत करने की आदत है जिनमें उनका प्रयोजन सिद्ध होता है। वह उस दस्तावेज के आंकड़े भी देखें जिसका वह जिक्र कर रहे हैं उदाहरणार्थ, वार्षिक वित्तीय विवरण। उन्होंने पृष्ठ 9 तथा शीर्ष संख्या 333 का हवाला दिया है जिसमें, सिंचाई के अंतर्गत राशि को 66 करोड़ से घटाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। शायद मैं सही कह रहा हूं। अभी उन्होंने इनका जिक्र किया है परन्तु वह यह देखना भूल गये कि इस दस्तावेज के साथ एक अशुद्धिपत्र भी संलग्न है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : यह तो नाजुक जगह पर चोट करने के समान है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यह पत्र मेरे दस्तावेज के साथ संलग्न नहीं है। मुझे खेद है कि मंत्री महोदय सब को भ्रम में डाल रहे हैं। मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं श्रीमन। स्पष्टतः संबंधित अधिकारी सभा को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने हमें ऐसा दस्तावेज दिया है जिसमें अशुद्धिपत्र संलग्न नहीं है। वे मंत्री महोदय को कोई अन्य दस्तावेज दे रहे हैं। ऐसा करना तो दो तरह की मतदाता सूचियां देने के समान है। वह अशुद्धिपत्र मेरे दस्तावेज में नहीं है। श्री दण्डवते के कागजों में भी नहीं है। ठीक वैसे ही जैसा कि मतदाता सूचियों के मामले में था, एक तरह की मतदाता सूचियां मतदान अधिकारी को दी गयीं थीं और दूसरी तरह की उमीदवारों को आप ऐसा कुछ बाहर तो कर सकते हैं परन्तु यहां सभा में नहीं।

सभापति महोदय मैं आप से सुरक्षण चाहता हूं। मंत्री ने कहा है कि मैं दस्तावेज पढ़ता नहीं हूं। उन्होंने जो दस्तावेज मुझे दिया है वह मैंने पढ़ा है। अब वह एक ऐसा कागज पेश कर रहे हैं जो उन्होंने मुझे नहीं दिया है। क्या यह न्यायोचित है? क्या यह सभा के प्रति न्यायसंगत है? सभा के प्रति जो कुछ उन्होंने किया है उसके लिये उन्हें फटकारा जाना चाहिये।

श्री आर० वेंकटरामन : मुझे खेद है। आप इस बात को इतनी गंभीरता से क्यों लेते हैं। आप कह सकते थे 'तुमने मुझे गुमराह किया है। यह मेरे कांगजों में नहीं है।" यदि अशुद्धिपत्र आपको नहीं दिया गया है तो मैं अपने तर्क वापस ले लेता हूं और मुझे इसके लिए खेद है। बात खत्म हुई। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह प्राकाशन की एक भूल है और इसीलिए कोई आपकी कटौती नहीं हुई है। कुल मिलाकर जो कुछ मैंने कहा है वह सही है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं व्यवधान तो नहीं डालना चाहता हूं परन्तु अशुद्धिपत्र के बारे में सूचना के प्रश्न पर बोलता हूं। वास्तविक आंकड़े क्या हैं? यहां यह दिखाया गया है कि वर्ष 1979-80 में पुनरीक्षित प्राक्कलन 66,97,93,000 रुपये है और 1980-81 के लिए यह राशि 10,83,50,000 रुपये दी गई है। मैं यह बात इस लिये कह रहा हूं क्योंकि पृष्ठ 9 पर (घ) के अन्तर्गत राशि 71 करोड़ से कुछ अधिक दी गई है। यह लगभग 71 करोड़ रुपये की राशि स्पष्टतः दी वहां उल्लिखित तीनों मदों का कल जोड़ है। यदि कोई अशुद्धिपत्र है तो वह इस 10 करोड़ रुपये और उस में बाद में वृद्धि के बारे में भी होना चाहिए। अतः यह जो छपाई की गलती नहीं है।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं आपको दिखाता हूं। यह इस तरह है। मैं आपको यह कागज पहुंचा सकता हूं। गलती यहां है। यह अशुद्धिपत्र में दिखाई गई है। ".....10,83,50,000 के स्थान पर 74,17,80,000 पढ़िये"। अशुद्धिपत्र में अगले वाक्य में कहा गया है। "उसी कालम में कुल (घ)) समक्ष 71,99,11,000 के स्थान पर 1,35,33,39, 000 पढ़िय " लिखा गया है। यह सब कुछ यहां है।

सभापति महोदय : यह तो एक बहुत बड़ी भूल है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : यह कोई मामूली गलती नहीं है।

श्री आर० वेंकटरामन : यह टाइपिस्ट की गलती है। '74' के स्थान पर '10' टाइप हो गया है। परन्तु यह बात सभी को स्पष्ट हो जानी चाहिए कि सिंचाई के लिये परिव्यय को 66 करोड़ से घटाकर 10 करोड़ नहीं किया जा सकता। इन आंकड़ों के शुद्ध अथवा अशुद्ध होने के बारे में कम से कम पड़ताल तो कर ली जानी थी। तत्संबंधी प्राथमिकताओं से कोई गलती नहीं हुई है। दूसरी ओर, हमने यह सुनिश्चय करने का हर प्रयत्न किया है कि योजना परिव्यय में यथा संभव अधिकतम वृद्धि की जाये। मैं अपने माननीय मित्र को यह भी बता सकता हूं कि यदि आप संतप्त कृषकों को राहत के संदर्भ में नई परिवर्तित योजनाओं को देखें तो आप पायेंगे कि योजना में 30 करोड़ रुपये और अधिक जोड़े जायेंगे और वह राशि 836 करोड़ रुपये तक पहुंच जायेगी। उक्त प्रयोजना के लिये रखी गई 80 करोड़ रुपये की राशि के बारे में, संभवतः 10 करोड़ रुपये इस पर खर्च किये जायेंगे, और शेष फिर योजना में चला जायेगा और इससे योजना के आकार में वृद्धि होगी। कृषि के बारे में यही स्थिति है। विद्युत के मामले में भी हमने नियतन में वृद्धि की है। जैसा कि मैं कह चुका हूं हमने हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में नियतन में वृद्धि की है और इस संबंध में अधिक चिन्ता करने का कोई कारण नहीं है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : फिर भी एक अशुद्धिपत्र से सही बातें तो ठीक नहीं हो जाती।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं नहीं जानता कि क्या आप इन सभी बातों के बारे में और अधिक आंकड़े चाहते हैं। मेरे पास कृषि तथा तत्संबंधी सेवाओं, सहकारिता, सिंचाई आदि के बारे में सही सही आंकड़े हैं। परन्तु बात पूरी कर लेने के बाद मेरे विचार में उन का और आगे जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमती उषाप्रकाश चौधरी ने कहा कि बेरोजगारी संबंधी योजनाओं के लिये पर्याप्त राशि नहीं रखी गई है। मैं बता देना चाहता हूं कि शिक्षित बेरोजगारों के लिये कुल राशि को 2.25 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2.74 करोड़ रुपये

कर दिया गया । यह केवल एक अंतरिम बजट है। पन-बिजली परियोजना के बारे में, जिसका जिक्र एक माननीय सदस्य ने किया था, मैं बताना चाहता हूं कि यह एक अन्तर्राज्य परियोजना है और भू-गर्भीय ढांचे के कारण, निर्धारित कार्यक्रम बनाये रखने में कठिनाई हुई है। मैं समझता हूं कि मैंने उठाये गये सभी प्रश्नों का उत्तर पर्याप्त रूप से दे दिया है; और सभा द्वारा सद्भावनापूर्ण दिये गये समर्थन के लिये सभा का धन्यवाद करता हूं। मुझे आशा है कि इस उत्तर के पश्चात् मेरे माननीय मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीस बजट के बाद अपनी आपत्तियां वापस ले लेंगे और हम पास कर देंगे। परन्तु, किसी भी सूरत में, यह एक अंतरिम बजट है और अन्तिम बजट बाद में चुनी गई सरकार द्वारा पेश किया जायेगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैंने अपने भाषण के दौरान महाराष्ट्र में प्याज उत्पादकों की समस्याओं का जिक्र किया था। मैं कुछ विशिष्ट सुझाव देना चाहूंगा। पहले तो यह कि उत्पादकों ने अपना आन्दोलन अब वापस ले लिया है। हालांकि यह सशर्त वापस लिया गया है, उनकी मांग है कि आप द्वारा रखे गये 40:60 के अनुपात को वह अपने बारे में 50 से 60 तक समझेंगे। वे उस पर बहुत दृढ़ हैं। मैं कल उनके साथ था। वे भू-राजस्व की तथा बैंक ऋण की अदायगी न करने की बात पर डटे हुए हैं। उस क्षेत्र में हालात बिगड़ने के पूर्व ही क्या वित्त मंत्री पहले उनकी यह मांग स्वीकार करेंगे जोकि अत्यंत न्यायोचित है जिसका हर किसी ने समर्थन किया है। यह कोई राजनैतिक मांग नहीं है। यह मांग किसानों की ओर से आई है और कांग्रेस-आई सहित महाराष्ट्र के हर वर्ग ने इसका समर्थन किया है। उनका एक प्रतिनिधि मण्डल यहां आया था वे लोग मुझ से भी मिले थे। वे मुझ से नासिक में भी मिले थे तथा ओंगर में भी और लसरगांव पुणे तथा चाकण में भी मिले थे। उन्होंने प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री को विशिष्ट प्रस्ताव पेश किये हैं। उन्होंने अपने प्रयोजन का ब्यौरा दिया है। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री हमें विशिष्ट आश्वासन दे कि उनकी यह मांग मान ली जायेगी। (दो) गत वर्ष देश में प्याज का कुल उत्पादन 18–20 लाख टन था उत्पादकों को 80 करोड़ रुपये मिले। यह बाजार के आंकड़े हैं। उपभोक्ताओं में 500 करोड़ दिये। यह मानते हुए कि लागत का पचास प्रतिशत भाग परिवहन भंडारण, लाभ आदि में लग जाता है, परन्तु उपभोक्ता से लगभग 300 करोड़ रुपये उत्पादक को नहीं मिले हैं अपितु कुछ बिचौलियों के पास चले गये हैं। क्या सरकार किसी ऐसे ठोस प्रस्ताव को लेकर आगे आयेगी जिससे लोगों को उस लागत, जो उत्पादक को अदा की जाती है, के डेढ़ गुने दामों पर प्याज मिल सके । यदि आपका कोई और प्रस्ताव है तो मैं निश्चय ही उसके बारे में सुनना चाहूंगा।

मेरा तीसरा प्रश्न यह है। उत्पादकों का शोषण रोकने के लिये क्या आप बैंकों से कहेंगे कि ग्राम पंचायतों और किसानों के साथ मिल कर शेड बनाने के लिये कार्य करें जिससे वे प्याज का भंडारण कर सकें तथा जब वे प्याज का भंडारण करें तो क्या आप 'नाफेड' या अन्य किसी सरकारी एजेंसी या बैंक को अनुदेश देंगे कि वे किसानों को प्याज की किस्म पर निर्भर करते हुए 50 और 70 के बीच न्यूनतम समर्थन मूल्य अदा करें ? ये मेरे तीन विशिष्ट प्रश्न हैं और यदि मंत्री महोदय इन पर सक्रिय कार्यवाही करें तो हम देश के उस भाग में एक बड़ी अव्यवस्था को टाल सकेंगे।

प्रो० एन० जी० रंगा : मैं मंत्री महोदय से आशा नहीं करता कि वह यही और अभी उत्तर दें। मैं चाहूंगा कि वह रूई निगम के कार्यकरण के प्रश्न पर पुनर्विचार करें। मेरे माननीय मित्र ने बताया है कि वह समर्थन मूल्य बनाये रखने के लिये सिद्धान्ततः अभिप्रेत अथवा स्थापित है। उस निगम के चेयरमैन ने पर्याप्त धनराशि के लिये बार-बार तर्क दिया है जिससे वह निगम विपणन कार्य कर सके, यहां तक कि वह साधारणतया किसानों को साधारण व्यापार और मिल मालिकों से प्रतियोगिता में भी बेहतर मूल्य दिलवाने में उनकी सहायता कर सके। अब तक यह भारत सरकार का कार्य रहा है न कि महाराष्ट्र सरकार का। अभी तक भारत सरकार ने स्वयं चेयरमैन के इस विशेष तर्क पर भी पूरा ध्यान नहीं दिया है। मैं चाहूंगा कि मेरे माननीय मित्र इस पर थोड़ा ध्यान दें। दूसरे, रूई की तथा कथित एकाधिकार खरीद की महाराष्ट्र की योजना उतनी अधिक सफल नहीं हुई है जितनी सफल यह होनी चाहिये थी क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने उसके पास पर्याप्त धनराशि नहीं रखी। महाराष्ट्र सरकार तथा हम में से अनेक व्यक्ति जो रूई उत्पादकों का ध्यान रखते हैं, भारत सरकार के समक्ष यह तर्क रख रहे हैं कि वह यह सुनिश्चित करें कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनके पास पर्याप्त धनराशि रखी जाये। मैं चाहता हूं कि वह इस पर भी थोड़ा ध्यान दें।

श्री आर० वेंकटरामन : मेरे माननीय मित्र फर्नान्डीस मंत्री रह चुके हैं। जैसा कि मंत्रीगण सर्वशक्तिमान परमेश्वर तो है नहीं जो मांगते ही वरदान दे दें, हम निर्णय नहीं दे सकते हैं। मैं यह बात सभा के ध्यान में लाना चाहूंगा कि कल ही सरकार ने समर्थन मूल्य की घोषणा की है। इसने प्याज उत्पादकों की दशा को ध्यान में रखा और तुरंत आगे आकर तथा सभा में घोषणा कर के कार्य किया कि वह अपने द्वारा बताये गये समर्थन मूल्य पर उस क्षेत्र में तथा अन्यत्र प्याज खरीदेगी। क्या वह समर्थन मूल्य पर्याप्त है या नहीं, क्या इसे बढ़ाया जाना चाहिये या नहीं, ऐसा मामला है जिसमें कृषि मंत्रालय को कोई निर्णय लेना है। अतः मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकूंगा। यह तथ्य कि सरकार ने समर्थन मूल्य की आगे आकर घोषणा की है स्वयं इस बात का प्रमाण है कि इस मामले में वह कितनी सक्रियता से रूचि ले रही है और कितनी गहराई से चिंतित है। अतः उत्पादक के लिये पर्याप्त लाभांश सुनिश्चित करने के लिये जो कुछ आवश्यक है उसे ध्यान में रखा जायेगा।

उन्होंने जो दूसरी बात उठाई वह यह है कि आप बिचौलियों के मुनाफे के बारे में क्या करने जा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि क्या हमने अपने समाज को इस ढंग से संगठित कर लिया है कि हमने बिचौलिये के मुनाफे को पूरी तरह समाप्त कर दिया हो। गत वर्ष प्याज का मूल्य इतना अधिक बढ़ गया था कि आप इस आधार पर चुनाव हार गये। अब सौदे में कुछ लोगों ने पैसा बना लिया है। ऐसा सदैव होता है। क्या ऐसा सूत्र बनाया जा सकता है जिसमें खुदरा बाजार में विक्रय मूल्य को उस मूल्य से जोड़ा जाये जिस पर उसकी वसूली की जाती है। यह प्याज तक सीमित नहीं है, यह एक ऐसा मामला है जिसका सम्बन्ध सभी वस्तुओं से है और नीति निर्णय किया जा सकता है। यह केवल एक वस्तु के सम्बन्ध में नहीं लिया जा सकता।

मेरे मित्र ने जो तीसरा प्रश्न उठाया है वह कमी के बारे में है। यह अच्छा प्रश्न है। यह बहुत ही उचित प्रश्न है। हम इसे रिजर्व बैंक को सौंपेंगे कि वह ऐसा ऋण देने की

व्यवहार्यता की जांच करे जो वस्तु के भंडारण प्रयोजन के लिए संभव हो। हम यह बात उनके ध्यान में लायेंगे। हम नहीं चाहते कि किसान इसलिए विवश होकर अपना माल बेचे कि उनके पास ऋण नहीं है। मैं इसे भारतीय रिजर्व बैंक के ध्यान में लाऊंगा।

जहां तक रूई निगम का सम्बन्ध है हम कुछ मूल विचारों के साथ संस्थाएं आरंभ करते हैं। जिस मूल विचार के साथ रूई निगम आरंभ किया गया था वह यह था कि यह समर्थन मूल्य संगठन होना चाहिये। यह एकाधिकार वसूली संगठन नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने एकाधिकार वसूली संगठन आरंभ किया था..... (व्यवधान)

मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह एक ऐसा मामला है जिसे उन्हें सरकार और रिजर्व बैंक के बीच उठाना है। इस समय रूई निगम को एक पूर्ण एकाधिकार वसूली संगठन में बदलना संभव नहीं है।

सभापति महोदय: अब मैं वर्ष 1980-81 के लिये महाराष्ट्र राज्य के बजट के सम्बन्ध में लेखानुदानों की मागों पर कटौती प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

सभापति महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

सभापति महोदय: प्रश्न यह है कि

"मांग संख्या 2, 3, 6 से 16, 18 से 38, 40 से 42, 45 से 58, 60, 63 से 70, 73, 75 से 82, 85 से 95, 97 से 100, 102 से 110, 113, 115, 118 से 128, 130 से 146, 148 से 161, 163 से 166, 168 से 181, 183, 184, 186 से 190, 192, 193, 195 से 198, 200 से 216 के लिये कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दर्शाये गये मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिये कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक लेखानुदान राशियां महाराष्ट्र राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये।"

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
1	2	3	
		रु०	रु०
2.	मंत्री परिषद	19,31,000	..
3.	निर्वाचन	6,51,47,000	..
6.	लोक सेवा आयोग	45,000	..
7.	सचिवालय—सामान्य सेवाएं	85,00,000	..
8	जिला प्रशासन	16,38,000	..
9	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	39,11,000	..
10	विविध सामान्य सेवाएं	13,10,000	..
11	कला और संस्कृति	17,95,000	..
12	निवास	2,19,000	..
13.	सूचना और प्रचार	1,02,20,000	..

1	2	3	
		रुपये	रुपये
14	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	19,33,000	..
15	अन्य सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं	3,45,000	..
16	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	54,000	..
18	सरकारी कर्मचारियों को कर्ज	..	5,06,000
19	न्याय प्रशासन	5,23,000	..
20	राज्य उत्पादक शुल्क	66,65,000	..
21	यानों पर कर	95,86,000	..
22	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	11,00,000	..
23	सचिवालय—सामान्य सेवाएं	17,96,000	..
24	पुलिस	34,42,94,000	..
25	जेल	1,73,62,000	..
26	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	96,76,000	..
27.	विविध सामान्य सेवाएं	18,000	..
28.	नगर विकास	74,000	..
29	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	20,81,000	..
30	अन्य सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं	13,53,000	..
31	पत्तन, दीपघर और जहाजरानी	60,61,000	23,47,000
32	सिविल विमानन	44,000	..
33	सड़क और जलवाहतूक सेवाएं	11,72,000	3,02,000
34	भारतीय रेल	1,91,000	..
35	स्थानीय निकायों और पंचायती राज्य संस्थाओं के लिये मुआवजा और समनुद्दिष्ट राशियां	23,000	..
36	सिंचाई, नौपरिवहन, जलविकास और बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूंजी परिव्यय	..	6,38,000
37	आवास के लिये कर्ज	..	1,52,67,000
38	सरकारी कर्मचारियों को कर्ज	..	44,90,000
40	भू-राजस्व	4,06,51,000	..
41	स्टम्प और पंजीकरण	72,87,000	..
42	वस्तुओं और सेवाओं पर करों का संग्रहणी	18,10,000	..
45	सचिवालय—सामान्य सेवाएं	32,68,000	..
46	जिला प्रशासन	8,27,42,000	..
47	लोक निर्माण	5,05,88,000	..
48	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	1,22,000	..
49	विविध सामान्य सेवाएं	3,67,000	..
50	आवास	4,00,000	..

1	2	3	
		रु०	रु०
51	नगर विकास . . .	73,000	..
52	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण .	1,97,99,000	1,12,64,000
53	दैवी विपत्तियों के कारण सहायता .	1,52,31,000	..
54	अन्य सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं	4,77,000	13,33,000
55	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं .	1,00,000	11,83,000
56	कृषि	2,39,000	83,000
57	वन	9,55,67,000	46,84,000
58	स्थानिक निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए मुआवजा और समनुदिष्ट राशियां . . .	18,000	..
60	सरकारी कर्मचारियों को कर्ज .	..	39,40,000
63	समाज सुरक्षा और कल्याण .	78,000	..
64	सचिवालय---आर्थिक सेवाएं .	32,60,000	..
65	सहकारिता . . .	7,88,35,000	3,99,00,000
66	कृषि	13,24,30,000	11,53,30,000
67	लघु सिंचाई, भूमि और जलसंरक्षण और क्षेत्र विकास . . .	5,09,50,000	3,73,000
68	पशुपालन . . .	5,01,38,000	13,76,000
69	डेअरी विकास . . .	74,01,31,000	57,41,000
70	मत्स्योद्योग . . .	53,07,000	23,18,000
73	सरकारी कर्मचारियों को कर्ज .	..	26,42,000
75	पेन्शन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ .	85,51,000	..
76	सचिवालय, सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं . . .	18,33,000	..
77	शिक्षा . . .	1,13,69,70,000	14,20,000
78	कला व संस्कृति . . .	88,28,000	..
79	श्रम और रोजगार . .	3,16,03,000	5,00,000
80	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण .	5,68,000	..
81	सरकारी कर्मचारियों को कर्ज .	..	9,37,000
82	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	32,000	..
85	आग से बचाव और उसका नियंत्रण .	4,14,000	..
86	अन्य प्रशासनिक सेवाएं . .	1,000	..
87	सचिवालय---सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं . . .	10,70,000	..
88	चिकित्सा . . .	22,01,11,000	67,000

1	2		3
		रु०	रु०
89	परिवार कल्याण . .	3,63,55,000	..
90	लोकस्वास्थ्य और जल प्रदाय .	14,91,86,000	8,24,84,000
91	गृहनिर्माण . . .	33,000	..
92	नगर विकास . . .	5,08,16,000	34,22,000
93	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण .	17,000	..
94	सड़क और पुल . . .	1,11,97,000	..
95	स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर और समनुदिष्ट .	2,02,51,000	..
97	सरकारी कर्मचारियों को कर्ज .	..	23,17,000
98	वस्तुओं और सेवाओं पर करों का संग्रहण	27,51,000	..
99	बिक्री कर . . .	3,24,76,000	..
100	अन्य राजकोषीय सेवाएं . .	2,17,15,000	..
102	ब्याज अदायगियां . . .	10,00,000	..
103	सचिवालय–सामान्य सेवाएं .	25,07,000	..
104	राजकोष और लेखा प्रशासन .	1,63,45,000	..
105	अन्य प्रशासनिक सेवाएं . .	8,67,000	..
106	पेन्शन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ .	11,18,35,000	..
107	विविध समान्य सेवाएं . .	4,45,27,000	..
108	समाज सुरक्षा और कल्याण .	51,11,000	..
109	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं .	80,000	..
110	स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए मुआवजा और समनुदिष्ट राशियां . .	19,34,000	..
113	सरकारी कर्मचारियों को कर्ज .	..	8,20,000
115	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क . .	6,66,000	..
118	अन्य प्रशासनिक सेवाएं . .	5,70,000	..
119	पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ .	1,000	..
120	आवास . . .	11,74,47,000	1,00,90,000
121	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण .	53,000	..
122	अन्य सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं	12,76,000	..
123	प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत	4,12,000	..
124	सचिवालय —आर्थिक सेवाएं .	19,97,000	..
125	पत्तन, दीपघर और जहाजरानी .	18,000	..
126	सिविल विमानन . .	2,50,000	63,000

1	2	3	
		रु०	रु०
127	सड़क और पुल . . .	16,40,14,000	5,44,21,000
128	लोक निर्माण कार्य तथा प्रशासकीय एवं कार्यविषयक भवन . .	24,08,56,000	3,17,21,000
130	सरकारी कर्मचारियों को कर्ज .	..	12,17,000
131	सहायता सामग्री और उपकरण .	95,25,000	..
132	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण .	50,000	..
133	प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत .	36,28,000	..
134	सचिवालय—आर्थिक सेवाएं .	13,57,000	..
135	लघु सिंचाई . . .	83,51,000	3,63,16,000
136	भू-संरक्षण और क्षेत्रविकास .	9,49,000	..
137	क्षेत्र विकास . . .	1,82,36,000	..
138	जल और विद्युत विकास सेवाएं .	10,18,76,000	7,24,000
139	सिंचाई, नौ-परिवहन, जलविकास और बाढ़ नियंत्रण परियोजना . .	25,33,03,000	89,30,60,000
140	लोक स्वास्थ्य, सफाई और जलप्रदाय .	..	20,33,000
141	सरकारी कर्मचारियों को कर्ज .	..	31,09,000
142	सचिवालय—सामान्य सेवाएं .	16,32,000	..
143	न्याय प्रशासन . .	3,95,41,000	..
144	विधि और न्याय विभाग से संबंधित अन्य व्यय . . .	30,95,000	..
145	सरकारी कर्मचारियों को कर्ज .	..	9,12,000
146	वस्तुओं और सेवाओं पर करों का संग्रह	53,51,000	..
148	पूर्ति और निपटान . .	4,29,000	..
149	लेखन सामग्री और मुद्रण . .	4,27,90,000	..
150	श्रम और रोजगार . .	1,08,90,000	..
151	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण .	68,000	..
152	सचिवालय—आर्थिक सेवाएं .	13,05,000	..
153	उद्योग . . .	1,36,90,000	2,55,07,000
154	ग्रामोद्योग और लघु उद्योग . .	1,00,45,000	36,13,000
155	खानें और खनिज . .	45,50,000	11,66,000
156	जल और विद्युत विकास सेवाएं .	20,61,000	..
157	विद्युत परियोजनाएं . .	18,03,00 000	81,40,00,000
158	सहकारिता पर पूंजी परिव्यय .	..	5,55,000
159	उपभोग्य उद्योगों पर पूंजी परिव्यय .	..	18,00,000
160	औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं में निवेश . .	..	6,66,000

1	2		3
		रु०	रुपए
161	सडकों और पूलों पर पूंजी परिव्यय	..	50,00,000
163	अन्य सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं के लिये कर्ज	..	62,19,000
164	सहकारिता के लिए कर्ज	..	17,000
165	सरकारी कर्मचारियों को कर्ज	..	10,22,000
166	भू-राजस्व	6,09,58,000	..
168	जिला प्रशासन	8,55,16,000	..
169	राजकीय और प्रशासन	6,000	..
170	पुलिस	12,000	..
171	सहायता सामग्री और उपस्कर	1,56,000	..
172	शिक्षा	1,67,82,000	..
173	लोकस्वास्थ्य, सफाई और जलपूर्ती	7,40,25,000	3,33,000
174	आवास	..	1,33,000
175	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	50,23,000	..
176	सचिवालय—आर्थिक सेवाएं	13,81,000	..
177	कृषि	14,93,000	..
178	लघु सिंचाई	3,29,70,000	1,46,42,000
179	वन	42,55,000	..
180	सामुदायिक विकास	45,77,000	5,00,000
181	सड़क और पुल	6,66,000	..
183	सरकारी कर्मचारियों को कर्ज	..	1,41,000
184	विविध कर्ज	..	92,22,65,000
186	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	15,000	..
187	सचिवालय—आर्थिक सेवाएं	9,94,000	..
188	अन्य सामान्य प्रशासनिक सेवाएं	16,45,000	..
189	खाद्य	2,99,60,000	..
190	खाद्य पर पंजी परिव्यय	..	6,82,78,000
192	सरकारी कर्मचारियों को कर्ज	..	4,80,000
193	वस्तुओं और सेवाओं पर कर का संग्रहण	45,000	..
195	सचिवालय और सामदायिक सेवाएं	9,65,000	..
196	शिक्षा, कला और सस्कृति	93,85,000	8,35,000
197	पिछड़े वर्गों का कल्याण और समाज कल्याण	10,72,50,000	25,70,000
198	पर्यटन	1,20,000	17,33,000
200	सरकारी कर्मचारियों को कर्ज	..	2,75,000
201	जनजाति क्षेत्र उप-आयोजना	7,80,00,000	7,20,00,000

1	2		3
		रु०	रु०
202	श्रम और रोजगार . .	6,30,00,000	..
203	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण .	15,000	..
204	सचिवालय–आर्थिक सेवाएं . .	26,30,000	..
205	अन्य साधारण आर्थिक सेवाएं .	41,80,000	..
206	कृषि	2,76,44,000	..
207	क्षेत्रविकास . . .	1,00,00,000	..
208	सामुदायिक विकास . .	47,00,00,000	..
209	सरकारी कर्मचारियों को कर्ज .	..	3,18,000
210	सचिवालय—सामान्य सेवाएं .	1,40,000	..
211	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण .	2,000	..
212	सरकारी कर्मचारियों को कर्ज .	..	18,000
213	संसद/राज्य विधानमंडल/राज्य क्षेत्र विधानमंडल . . .	49,36,000	..
214	पेन्शन और अन्य निवृत्ति लाभ .	12,33,000	..
215	सामाजिक सुरक्षा और संस्कृति .	3,000	..
216	सरकारी कर्मचारियों को कर्ज .	..	40,000
	जोड़ . .	6,13,84,83,000	3,28,34,76,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (महाराष्ट्र) 1979-80

सभापति महोदय : अब मैं वर्ष 1979-80 के लिए महाराष्ट्र राज्य के बजट के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर कटौती प्रस्ताव सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

सभापति महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय प्रश्न : यह है कि

"कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिये कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा राशियों से अनधिक अनुपूरक राशियां महाराष्ट्र राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

वर्ष 1980-81 के लिये लोक सभा के सन्मुख प्रस्तुत लेखानुदान की मांगें

(महाराष्ट्र)

मांग सं०	शीर्षक	राशि	
1	2	3	4
		राजस्व रु०	पूंजी रु०
2	मंत्रि परिषद . . .	9,00,000	..
7	सचिवालय-सामान्य सेवाएं . . .	7,70,000	..
10	विविध सामान्य सेवाएं . .	4,21,000	..
13	सूचना और प्रचार . .	49,50,000	..
18	राज्य उत्पाद-शुल्क . .	76,63,000	..
19	वाहनों पर कर . . .	6,35,000	..
21	सचिवालय-सामान्य सेवाएं . .	5,42,000	..
22	पुलिस	6,74,45,322	..
23	जेल	18,23,000	..
24	अन्य प्रशासनिक सेवाएं . .	41,13,000	..
25	विविध सामान्य सेवाएं . .	9,000	
29	पत्तन, दीपचर और जहाजरानी .	44,02,000	..
31	सड़क और जल परिवहन सेवाएं .	18,000	..
34	भू राजस्व . . .	23,00,000	..
35	स्टाम्प और रजिस्ट्री . .	25,64,000	..
41	जिला प्रशासन . . .	1,50,50,000	..
48	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण .	10	..
49	प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत .	9,56,68,000	..
53	वन	1,29,39,000	..
59	सहकारिता . . .	1,05,94,010	..
60	कृषि	87,90,020	..
61	लघु सिंचाई . . .	38,000	..
63	क्षेत्र विकास . . .	75,18,000	..
64	पशुपालन . . .	24,14,000	..
66	मत्स्य उद्योग . . .	10,59,010	..
69	सचिवालय सामाजिक और सामदायिक सेवाएं . . .	65,000	..
70	शिक्षा . . .	14,22,97,050	..
71	कला और संस्कृति . . .	45,11,000	..
80	चिकित्सा . . .	7,03,27,000	..
81	परिवार कल्याण . . .	3,54,42,000	..
82	लोक स्वास्थ्य, सफाई और जलप्रदाय .	20	..

मांग सं०	शीर्षक	राशि	
1	2	3	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०
82-ए	घर	1,48,000	..
91	ब्याज की अदायगियां	2,00,000	..
93	कोषागार और लेखा प्रशासन	6,75,000	..
95	पेन्शन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	59,25,000	..
99	स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर और समुदेशन	19,82,000	..
107	अन्य सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं	3,13,000	..
108	सचिवालय—आर्थिक सेवाएं	7,69,000	..
111	सड़क और पुल	3,53,62,000	..
112	लोकनिर्माण कार्य और प्रशासकीय और कार्य विषयक भवन	1,90,40,000	..
113	सहायता सामग्री और उपकरण	34,20,000	..
115	सचिवालय—आर्थिक सेवाएं	2,00,000	..
116	लघु सिंचाई	1,27,000	..
117	भू-संरक्षण और जलसंरक्षण	6,00,000	..
118	क्षेत्र विकास	43,30,000	..
119	जल और विद्युत विकास सेवाएं	2,58,90,000	..
120	सिंचाई, नौपरिवहन, जल निकास और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं	5,50,72,000	..
121	न्याय प्रशासन	44,67,000	..
122	सचिवालय—सामान्य सेवाएं	1,46,000	..
123	अन्य प्रशासकीय सेवाएं	3,56,000	..
125	अन्य सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं	21,000	..
126	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	13,000	..
128	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	4,95,000	..
130	पूर्ति और निपटान	1,00,000	..
131	लेखन सामग्री और मुद्रण	1,39,17,000	..
134	सचिवालय—आर्थिक सेवाएं	10,25,000	..
140	भू-राजस्व	3,68,00,000	..
142	जिलाप्रशासन	10,64,000	..
144	सहायता सामग्री और उपकरण	3,82,000	..
152	सामुदायिक विकास	43,16,000	..
157	सचिवालय—आर्थिक सेवाएं	3,88,000	..
158	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	4,96,000	..

मांग सं०	शीर्षक	राशि	
1	2	3	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०
159	खाद्य	46,89,000	..
164	शिक्षा	10	..
166	सामाजिक सुरक्षा व कल्याण .	30	..
167	सहकारिता . . .	38,64,000	..
168	पर्यटन	1,10,000	..
169	जनजाति क्षेत्र विकास उप-आयोजना पर राजस्व व्यय . . .	34,43,040	..
170	श्रम और रोजगार . .	2,40,00,000	..
175	क्षेत्र विकास . . .	10	..
176	सामुदायिक विकास . .	2,86,80,000	..
177	सचिवालय—सामान्य सेवाएं . .	34,000	..
	जोड़—क—राजस्व लेखा पर अनुदान	78,81,26,532	..
189	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय .	..	1,56,39,000
197	नगरविकास पर पूंजीगत परिव्यय .	..	50,48,000
200	सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय .	..	71,53,000
201	लोक निर्माण कार्य और प्रशासकीय और कार्य विषय भवनों के निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय .	..	1,00,45,010
202	लोकस्वास्थ्य सफाई और जलप्रदाय पर पूंजीगत परिव्यय . .	..	3,63,000
203	लघु सिंचाई, भू-संरक्षण और क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय . .	..	19,68,000
205	सिंचाई, नौ-परिवहन, जल निकास और बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय	..	27,97,95,000
207	औद्योगिक अनुसंधान और विकास पर पूंजीगत परिव्यय . .	..	45,50,000
214	लघु सिंचाई, भू-संरक्षण और क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय . .	..	7,66,000
215	खाद्य पर पूंजीगत परिव्यय . .	..	63,61,70,000
219	जनजाति क्षेत्र विकास उप-आयोजना पर पूंजीगत परिव्यय . .	..	1,38,94,000

मांग सं०	शीर्षक	राशि	
1	2	3	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०
229	वनों के लिए कर्ज . .	..	35,000
233	सहकारिता के लिए कर्ज . .	..	13,83,82,000
236	मत्स्य उद्योग के लिए कर्ज . .	..	2,74,000
236-ए	उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज	..	2,08,07,000
258	अन्य सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं के लिए कर्ज . . .	..	1,36,50,000
259	औद्योगिक अनुसंधान और विकास के लिए कर्ज . . .	..	42,00,000
269	विविध कर्ज . . .	..	7,46,00,000
277	जनजाति क्षेत्र विकास उप-आयोजना के लिए कर्ज . . .	..	14,21,000
	जोड़—ख-पूंजी लेखा पर अनुदान	..	1,22,87,60,010
	क—राजस्व लेखा पर अनुदान .		
	जोड़—क-राजस्व लेखा पर अनुदान	..	78,81,26,532
	ख—पूंजी लेखा पर अनुदान .		
	जोड़—ख-पूंजी लेखा पर अनुदान	..	1,22,87,60,010
	कुल जोड़— .	..	2,01,68,86,542

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

महाराष्ट्र विनियोग (लेखानुदान) विधेयक

वित्त और उद्योग मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन): मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1980–81 के एक भाग की सेवाओं के लिये महाराष्ट्र राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 1980–81 के एक भाग की सेवाओं के लिये महाराष्ट्र राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री आर० वेंकटरामन : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

"मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1980–81 के एक भाग की सेवाओं के लिये महाराष्ट्र राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि :

"वित्तीय वर्ष 1980–81 के एक भाग की सेवाओं के लिये महाराष्ट्र राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

श्री राम जेठमलानी : (बम्बई उत्तर पश्चिम): महोदय, सामान्यतः मैं वित्तीय मामलों पर नहीं बोलता क्योंकि मैं वित्तीय मामलों को बहुत कम समझता हूं। किन्तु आजकल हमारी राजनीति इतनी जटिल और बहुमुखी हो गई है कि मैं सोचता हूं कि वित्तीय मामलों पर मुझे बोलना ही चाहिये क्योंकि अब मैं देश की राजनीति को कम जानता हूं और वित्तीय मामलों को उससे अधिक जानता हूं। मुझे सबसे अधिक आश्चर्य और दुःख इस बात को देखकर होता है कि हमारे कुछ पुराने मित्र जो कल तक हमारे साथ थे आज वे हम पर पत्थर फेंक रहे हैं जबकि उनका समस्त जीवन शीशे के महलों में रहते गुजरा है। मैं उन सभी की ओर ध्यान न देकर केवल अपने माननीय मित्र श्री शंकर राव चावन का उदाहरण देना चाहूंगा। जब आपात स्थिति के दौरान हजारों लोग जेलों में थे तब वह बड़े गर्व से कहा करते थे कि जो लोग जेलों में हैं अन्य देशों में उनको गोली मार दी गई होती किन्तु यह हमारी कृपा है कि वे यहां केवल जेलों में ही हैं। 1977 के चुनावों के पश्चात् वह हमें बताते हैं कि उन्होंने भयंकर गलती की, वह एक प्रकार के प्रजातन्त्र में विश्वास करते हैं तथा उनकी एक पार्टी भी है जिसका नाम प्रजातन्त्र पर आधारित है। उसके पश्चात् वह फिर हमें छोड़ गये :

सभापति महोदय : यह वित्तीय भाषण नहीं वरन राजनीतिक है।

श्री राम जेठमलानी : मैं सभा को तथा अपने उन मित्रों को केवल यह सुझाव दे रहा हूं कि जिन्होंने राजनीतिक क्रांति का चक्र पूरा कर लिया है कम से कम ऐसे व्यक्तियों को हम पर हमला नहीं करना चाहिये जिससे हम उन मामलों पर ध्यान दे सकें जो वास्तव में महाराष्ट्र की वित्तीय व्यवस्था से संबंधित हैं।

मैं जाने माने वित्त मंत्री श्री वेंकटरामन को याद दिलाना चाहता हूं कि 1971 में अपनी पार्टी की ओर से महाराष्ट्र में चुनाव अभियान का उद्घाटन करने के लिये तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी बम्बई आई थीं। उन्होंने शिवाजी पार्क में आयोजित एक बड़ी सभा में, जिसमें मैं भी उपस्थित था, कहा कि वह बम्बई नगर में सभी गन्दी बस्तियों को हटाना चाहती हैं और उसने अपनी इस महान परियोजना कार्यान्वित करने के लिये 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। अनेक लोगों ने इस पर हर्षध्वनि की ओर मैंने भी इसमें साथ दिया परन्तु मेरी हर्षध्वनि अस्थाई रही। अगले दिन एक बड़ा जलसा हुआ और हर्षोल्लास तथा मालाओं के बीच आधार शिला रखी गई जिसमें यह लिखा गया 'इसका शिलान्यास प्रधान मंत्री श्रीमती

इन्दिरा गांधी द्वारा रखा गया'। जनता को यह वचन दिया गया कि गन्दी बस्तियों को हटा दिया जायेगा। परन्तु मुझे यह कहते हुए दुःख है कि गन्दी बस्तियां वहीं है और 30 करोड़ रुपये का पता नहीं है। यह सच है कि यह समय का फिर दुर्विनियोग है और चूंकि यह दल सत्तारूढ़ हुआ है इसलिये मैं उन पुराने दुर्विनियोगों और अपराधों पर सविस्तार चर्चा नहीं करना चाहता। परन्तु जब इस सभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी, मैंने एक कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया और मैंने बम्बई में गन्दी बस्तियों के बारे में छोटी सी बात रखी। मैंने कहा था कि सरकार को अपनी भावी नीति के आधार पर कम से कम तीन प्रस्ताव स्वीकार करने चाहिये। पहला, किसी भी निर्धन व्यक्ति को, चाहे वह सही या गलत तौर पर कहीं अपना निवास बनाता है, चाहे वह झोंपड़ी हो या टूटा फूटा मकान हो, तब तक वहां से न निकाला जाये जब तक इसके लिये कोई राष्ट्रीय आवश्यकता न हो। दूसरा, यदि उसे वहां से निकाला जाता है तो सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उसे वैकल्पिक स्थान दिया जाये। तीसरा, मैंने कहा था कि केन्द्रीय सरकार की जमीन पर बनी गन्दी बस्तियों के निवासियों को वही लाभ और सुविधायें मिलनी चाहिये जो गर सरकारी जमीन या राज्य की जमीन पर बने गन्दी बस्तियों के अभागे निवासियों को मिलती हैं। मुझे आशा थी कि श्रीमती गांधी 1971 के अपने कार्य के अनुसार उत्तर देंगी और नगर की गन्दी बस्तियों के अभागे लोगों के लिये सान्त्वनापूर्ण शब्द कहेंगी। परन्तु एक भी शब्द नहीं कहा गया और इससे मेरी इस कथन की पुष्टि होती है कि शासनारूढ़ सरकार केवल मगरमच्छ के आंसू बहाती है और उस नगर के अभागे निर्धन लोगों के लिये कुछ नहीं करने का इरादा रखती है। श्री भोले ने, जो हमारे सम्मानित सहयोगी हैं और बम्बई उच्च न्यायालय के एक बड़े प्रसिद्ध न्यायाधीश है जहां मैं प्रैक्टिस करता हूं, गन्दी बस्तियों के बारे में अपने विचार रखे। मैं उनका हार्दिक समर्थन करता हूं। विनियोग विधेयक से यह पता चलता है कि आप चुनावों पर 5 करोड़ रुपया व्यय करेंगे जिन्हें अनावश्यक रूप से और असंवैधानिक तौर पर कराया जा रहा है। 5 करोड़ रुपया सरकार व्यय करेगी और 5 करोड़ रुपया उम्मीदवार व्यय करेंगे। इस प्रकार महाराष्ट्र की अर्थ व्यवस्था में 5 करोड़ रुपया चलन में आ जायेगा और इससे मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी जिसे आप नियंत्रित करने में असमर्थ हैं। मुद्रास्फीति बढ़ रही है। लेकिन मैं श्री भोले के प्रस्ताव का स्वागत करूंगा। गन्दी बस्तियों के लिये वे जो कराना चाहते हैं जो इनके प्रस्ताव है, उनका हम हार्दिक समर्थन करते हैं परन्तु श्री भोले स्वयं आश्वस्त नहीं है कि उनका दल क्या करना चाहता है। अब वे विषय स्थिति में हैं जिसका प्रमाण मराठावाड़ा विश्वविद्यालय विषय पर बोलते हुए उन्होंने दिया अब वे कहते हैं कि उन्होंने मराठावाड़ा विश्वविद्यालय के बारे में कुछ नहीं कहा।

इस विनियोग विधेयक के बारे में मेरा एक सुझाव शिक्षा के लिये धन की व्यवस्था करना था। अक्सर यह कहा गया है कि शिक्षा के बिना लोकतन्त्र पाखंड है और तब तक लोगों को शिक्षित नहीं किया जाता है, कोई भी लोकतन्त्र पनप नहीं सकता है। हम 33 महीने से कम समय तक सत्ता में रहे परन्तु आप 30 गौरवपूर्ण वर्षों से सत्ता में रहे हैं। भारत के संविधान में इस मुख्य निदेशक सिद्धान्त पर कि आप एक विशेष आयु तक के बच्चों के लिये प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क देने की व्यवस्था करेंगे, कोई अमल नहीं हुआ है और आप निदेशक सिद्धान्तों के लिये महाराष्ट्र मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं और उन्हें मौलिक अधिकारों की तुलना में प्रमुखता दे रहे हैं। अब अम्बेडकर का संविधान का ज्ञान,

ईमानदारी और विद्वता का इस देश में सब सम्मान करते हैं । परन्तु मुझे विश्वास नहीं है कि इस देश की प्रधान मंत्री डा० अम्बेडकर के सिद्धान्तों अथवा उसके संविधान का सम्मान करती है। जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैं ऐसे प्रयास का समर्थन करूंगा जो इस देश में प्रत्येक विश्वविद्यालय, विशेषकर ऐसे विश्वविद्यालयों के काम, जो देश के कानून और संविधान का शिक्षण देते हैं, डा० अम्बेडकर पर रखे जाने के बारे में किये जायें। मैं विषय स्थिति में नहीं हूं। यदि श्री भोले अपनी सरकार को यह कहने की तैयार हैं कि मराठावाड़ा विश्वविद्यालय का नाम वह रखा जाना चाहिये तो महाराष्ट्र की विधान सभा चाहती है तो मैं उनका समर्थन करूंगा। परन्तु वे स्वयं इस बारे में आश्वस्त नहीं है कि किस प्रस्ताव से उनके निर्वाचन क्षेत्र में, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेंगी क्योंकि वे बम्बई से आये हैं। वे नहीं जानते कि किससे उनके समुदाय में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, वे स्वयं नहीं जानते कि उनके नेता में उनकी प्रतिष्ठा किससे बढ़ेगी। जब यह समस्या उत्पन्न होती है कि क्या हमें विश्वविद्यालय का नाम डा० अम्बेडकर पर रखना चाहिये, वे कहते हैं कि वह नाम के बारे में नहीं अपितु कानून तथा व्यवस्था के बारे में बोल रहे थे।

श्री आर० आर० भोले : मुझे ऐसा लगता है कि वे अपने आपको गलती पर रख रहे हैं। मैंने मराठावाड़ा और डा० अम्बेदकर के नाम पर मराठावाड़ा विश्वविद्यालय का नामकरण करने की बात कहने के लिये यह कहा था कि महाराष्ट्र सरकार कानून तथा व्यवस्था नहीं बनाये रख रही है, यही बात थी।

श्री राम जेठमलानी : इस बात के अलावा कि प्रधान मंत्री ने गंदी बस्तियों के बारे में कुछ नहीं कहा, जैसा कि मेरे मित्र ने आपको बताया केवल दो दिन पूर्व मैं बम्बई में था, जब मुझे यह सूचना मिली कि निर्धन व्यक्तियों की झोपड़ियों को जलाया जा रहा था। घटना स्थल पर मैंने स्वयं जाकर देखा कि नगर निगम के कर्मचारियों ने बम्बई पुलिस की सहायता लेकर निर्धन व्यक्तियों को उनके सामान सहित निकाल फेंका, बच्चे टूटे हुए खिलौने हाथों में लिये हुए थे, माताओं के हाथों में बच्चे थे और बूढ़े व्यक्ति जो कुछ सामान को बचा सकते थे उन्हें लिये हुए थे। यह एक हृदय विदारक दृश्य था। निर्धन व्यक्तियों के साथ इस तरह बेरहमी से पेश आया जा रहा था और ऐसा काम वह सरकार कर रही थी जो इस देश के निर्धन व्यक्तियों के वोटों से सत्तारूढ़ हुई थी। यदि यह निर्धन व्यक्तियों की आंखों में धूल झोंकना नहीं है—तो और क्या है? क्या वित्त मंत्री महोदय बतायेंगे कि इस देश के अभागे लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है, उसके लिये वे क्या करना चाहते हैं?

मैं विधान सभाओं को भंग करने की समस्या पर सविस्तार से कुछ नहीं कहना चाहता हूं। वित्त मंत्री ने हमें आश्वासन दिया है कि किसी अन्य अवसर पर इस समस्या पर बोलने के लिये पर्याप्त समय दिया जायेगा। परन्तु मैं एक बात कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो उपमा दी वह गलत है। उन्हें याद होगा कि उस समय अधिकांश विधान सभाओं ने अपना कार्यक्रम समाप्त कर दिया था और जो केवल संविधान में किये गये संशोधन, जिसे लोगों ने 1977 में अस्वीकार कर दिया था, के आधार पर चल रही थी। मैं नहीं जानता कि लोग, जो कानून समझते हैं, जिनके पास अन्तरात्मा है, एक बार क्यों नहीं समझते हैं कि आपात काल के दौरान राज्यों की संप्रभता समाप्त हो जाती है। उनकी स्वायत्तता समाप्त हो जाती है। उनका स्वतंत्र स्वरूप नहीं रहता है और वे केन्द्रीय सरकार जैसा कहती है वैसा करने

लगते हैं। इसलिये 1977 में जब केन्द्रीय सरकार के खिलाफ वोट डाला गया था तो यह केन्द्रीय सरकार के सभी अंगों के विरुद्ध मत था तथा उन राज्यों के विरुद्ध भी मत था जिन्होंने आपात काल के लिये काम किया ।

प्रो० एन० जी० रंगा: उन्होंने अपनी स्वायत्तता को कभी नहीं खोया।

श्री राम जेठमलानी: मैं बम्बई नगर में शिक्षा की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति की ओर सभा का ध्यान दिलाता हूं। भावी माताएं विवाह होने के कम से कम दस वर्ष पूर्व बच्चे का दाखिला ले लेती हैं और जिनमें अपेक्षित दूरदर्शिता नहीं होती है वे अपने बच्चों को प्राथमिक स्कूलों में दाखिला नहीं दिला सकती हैं। प्राथमिक शिक्षा की स्थिति बिगड़ी हुई है और कालेजों की स्थिति भी बिगड़ी हुई है। कालेजों में मेडिकल विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिलता है और लोगों को विभिन्न संस्थाओं में बहुत पैसा खर्चना पड़ता है जिनमें से कुछ में अपेक्षित मानक और विशेषज्ञता का अभाव होता है। वे समूचे देश में चक्कर काटते हैं और जो विदेशों में जा सकते हैं, वे वहां शिक्षा प्राप्त करते हैं। आज देश में शिक्षा की यह स्थिति है। बम्बई के डाक्टरों से पूछिए और वे आपको बताएंगे कि उनके शिक्षा संस्थानों को किस प्रकार सौतेला व्यवहार मिला है।

अन्त में मैं वित्त मंत्री का ध्यान एक छोटी सी बात की ओर दिलाना चाहता हूं। बम्बई नगर ऐसे लोगों के करों पर संपन्न होता जा रहा है जो दूध बेचते हैं और जिनके पास बड़ी संख्या में भैंसें और गाय हैं। विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे गायों और भैंसों की संख्या बहुत अधिक है। एक अभ्यावेदन दिया गया है कि हमारे पशु मर रहे हैं क्योंकि इन पशुओं को गुजरात के अहमदाबाद तथा अन्य स्थानों को भेजना पड़ता है। वीरम गांव में, जहां उनको मीटर गेज से ब्राड गेज की गाड़ी बदलनी होती है रेलगाड़ी की सुविधा न होने के कारण हमारे पशु बीसियों की संख्या में मरते हैं। इस बारे में अभ्यावेदन दिये जाते हैं परन्तु नौकरशाहों और सरकारी अधिकारियों को दिये गये अभ्यावेदनों की तरह इन पर भी कोई सुनवाई नहीं होती और पशु हर रोज मरते हैं। आप विश्वास करें या न करें, जैसा कि श्री जार्ज फर्नान्डीज ने कहा है, प्याज उत्पादकों की तरह बम्बई नगर में भी आंदोलन होगा। कृपया इस समस्या पर ध्यान दीजिए। कृपया ऐसी नीति न अपनाइए कि विपक्ष जो कहे आप उसका उलटा करें। देश में सरकार को चलाने का यह तरीका नहीं है। कृपया हमें सुनें यदि आप हमें सुनेंगे तो संभवतः जो आप कर रहे हैं उससे अधिक अच्छा करें।

श्री आर० वेंकट रामन: मुझे छह और बजट रखने हैं इसलिये मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा।

इसमें दो राय नहीं है कि गंदी बस्ती के उन्मूलन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए जैसा कि मैंने कहा है यह केवल अन्तरिम बजट है। जब नियमित बजट आयेगा महाराष्ट्र विधान सभा समस्या की अच्छी तरह समाधान कर सकेगी।

शिक्षा के मामले में भी यही बात लागू होती है।

रेल सुविधाओं के बारे में, जिनका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, मैं रेल मंत्री का ध्यान उचित कार्यवाही हेतु इस ओर दिला दूंगा।

सभापति महोदय: प्रश्न है :

"वित्तीय वर्ष 1980–81 के एक भाग की सेवाओं के लिये महाराष्ट्र राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिया गये।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : महोदय मैं प्रस्ताव करता :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

सभापित महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक को पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

महाराष्ट्र विनियोग विधेयक, 1980

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1980–81 के एक भाग की सेवाओं के लिये महाराष्ट्र राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

सभाएति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 1980–81 के एक भाग की सेवाओं के लिये महाराष्ट्र राज्य की संचित निधी में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आर० वेंकटरामन: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री आर० वेंकटरामन: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि वित्तीय वर्ष 1980–81 के एक भाग को सेवाओं के लिये उड़ीसा राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 1980–81 के एक भाग की सेवाओं के लिये उड़ीसा राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिये गये।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री आर० वेंकटरामन: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधयक को पारित किया जाये।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

बजट (उड़ीसा), 1980-81—सामान्य चर्चा

लेखानुदानों की मांगें (उड़ीसा) 1980-81 और अनुपूरक मांगें (उड़ीसा) 1979-80

सभापति महोदय: अब सभा उड़ीसा बजट के सम्बन्ध में मद संख्या 17, 18 और 19 पर विचार करेगी जिसके लिये एक घण्टे का समय रखा गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या श्री चिन्तामणि पाणिग्रही सभा में उपस्थित हैं और अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं?

मेरा विचार है कि हमें कुछ अतिरिक्त समय के लिये बैठना होगा क्योंकि हमें उन सभी वक्ताओं को समय देना होगा जो भाषण देना चाहेंगे।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि गृह विभाग शीर्षक के अन्तर्गत लेखानदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।
खण्डपाड़ा, उड़गन तथा बोकगढ़ और धलपत्थर केन्द्रों में अग्निशमन केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता (1)

कि राजस्व विभाग शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य को तेज करने की आवश्यकता (2)

कि राजस्व विभाग शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

पिछले शासन में भूमि सुधार कानूनों का प्रभावहीन रहना (3)

कि राजस्व विभाग शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

भूमि वितरण कार्यक्रम की बहुत धीमी प्रगति (4)

कि राजस्व विभाग शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

बंधुवा श्रमिक प्रणाली को समाप्त करने में तथा उनके पुनर्वास में बहुत धीमी प्रगति (5)

कि राजस्व विभाग शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

ग्रामीण ऋणग्रस्तता के समाप्त किये जाने में बहुत धीमी प्रगति (6)

कि वाणिज्य विभाग शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

परादीप में कुछ और मालवाहक जहाज पत्तनों का निर्माण करने की आवश्यकता (7)

कि निर्माण विभाग शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

[कोणार्क और पुरी के बीच मैरीन ड्राइव का निर्माण करने की आवश्यकता (8)]

कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

[ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल का भारी अभाव दूर करने की आवश्यकता (9)]

कि पर्यटन और सांस्कृतिक कार्य विभाग शीषक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।

[राज्य के गरम झरनों का विकास विशेषकर खण्डपाडा क्षेत्र में तरवालो में 10 एकड़ क्षेत्र में फैले सुन्दर गरम झरने को विकसित करने की आवश्यकता (10)]

कि पर्यटन और सांस्कृतिक कार्य विभाग शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

[अत्री गरम झरना परियोजना के कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता (11)]

कि पर्यटन और सांस्कृतिक कार्य विभाग शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

[महत्वपूर्ण तीर्थस्थल कंटीलों और ओडागन को पर्यटन केन्द्र के रूप में घोषित करने की आवश्यकता (12)]

कि पर्यटन और सांस्कृतिक कार्य विभाग शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

[लिंगराज मंदिर और खण्डगिरि उदयगिरि गुफाओं में रोशनी की व्यवस्था करने की आवश्यकता (13)]

कि उद्योग विभाग शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदानों की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

[मलंगटोली लौह अयस्क परियोजना सीसा और जस्ता परियोजना फैरो-वेनेड्यूम फैक्ट्री और चेंज क्रोम फैक्ट्री का विकास करने की आवश्यकता (14)]

कि उद्योग विभाग शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदानों की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

[उड़ीसा में दूसरे इस्पात संयंत्र की स्थापना करने की आवश्यकता (15)]

कि उद्योग विभाग शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदानों की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

[परादीप में जहाज निर्माण कारखाने की स्थापना करने की आवश्यकता (16)]

कि सिंचाई और विद्युत् विभाग शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

[मणिभद्र, वृतंग और सिंहनाद सिंचाई परियोजनाओं का कार्य शुरु करने की आवश्यकता (17)]

कि सिंचाई और विद्युत् विभाग शीर्षक [के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये [जायें।

[भीमकुण्ड सिंचाई परियोजना का निर्माण करने की आवश्यकता (18)]

कि सिंचाई और विद्युत् विभाग शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

[बड़े उद्योगों को बिजली की कटौती रोकने की आवश्यकता, जिसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी हुई है (19)]

श्री बीजू पटनायक (केन्द्रपाड़ा) : मैं महसूस करता हूं कि अनेक वर्षों तक मेरे परम मित्र रहने वाले वित्त मंत्री आंकड़ों के काम से काफी तंग आ गये हैं और उन्होंने यह भी कहा है कि अर्थशास्त्र में आनन्द लेने वाली कोई बात नहीं है। मैं उनसे सहमत नहीं हूं। मेरे विचार में वित्त मंत्री को यह जानकर कुछ उत्साह मिलेगा कि एक बार मैं हिटलर के अद्वितीय वित्त मंत्री डा० शाच्ट से बात कर रहा था और उन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र का विज्ञान सही अर्थों में विज्ञान नही है। यह कलाकार का विषय है अतः इसमें एक बात को छोड़कर पर्याप्त भावात्मकता होनी चाहिए—उन्होंने कहा कि जब जर्मन मार्क का मूल्य इतना कम था कि आप तीसरी दशाब्दी में 10,000 डी एम से एक प्याली काफी खरीदी जाती थी, वित्त मंत्री की कला इस बात को पता लगाने में है कि देश कितना भार वहन कर सकता है, राष्ट्र द्वारा कितना उत्पादन किया जा सकता है। सामान्य से अधिक उत्पादन के लिये राष्ट्र में कितना अनुशासन स्थापित किया जा सकता है। केवल वित्त मंत्री ही ऐसा बजट तैयार कर सकते हैं जो सामान्य बजट से उत्तम हो।

राज्यों के बजट प्रतिवर्ष एक ही घिसे-पिटे तरीके से बनाये जाते हैं। योजना आयोग को भेजे जाते हैं और वहां अधिकारियों के साथ उन पर विचार विमर्श होता है और एक निश्चित सूत्र है कि यदि आप इतनी राशि के संसाधन जुटा सकें तो हम आपको इतनी राशि देंगे आदि आदि। मेरे विचार से उड़ीसा जैसे राष्ट्र को आयोजना की दृष्टि से पुनः आयोजना हेतु भारत की प्रयोगशाला होना चाहिए क्योंकि इसके पास राष्ट्र के जल संसाधनों का 10 प्रतिशत भाग है, राष्ट्रीय वन सम्पदा का 1/6 भाग है, राष्ट्रीय खनिज सम्पदा का एक तिहाई है, राष्ट्र के तटीय क्षेत्र का 10 प्रतिशत है और राष्ट्रीय जनसंख्या का केवल चार प्रतिशत भाग है यह फिर भी निर्धनतम राज्य है। क्या वित्त मंत्री इसके उत्तर का पता लगा सकते हैं कि ऐसा किस कारण से हुआ है।

क्या यह इतिहास का दुखांत भाग है कि ब्रिटिश लोग मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई—जो कि एक ऊसर द्वीप था और 16 गिन्नियों में बेचा गया था—में बसे और इस प्रकार ये प्रेजीडेन्सियां शिक्षा, परिवहन, रेलवे [संचार, बिजली, स्वास्थ्य सेवायें, औद्योगिक विकास, कृषि विकास की दृष्टि से विकसित हुई, जबकि उड़ीसा जैसे अन्य राज्य और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार तथा अन्य स्थान अछूते रह गये। अतः हम भारत के अछूत रह गये। हम भारत के आदिवासी और हरिजन बन गये।

वास्तव में, उड़ीसा में आदिवासियों और हरिजनों का 40 प्रतिशत भाग है। आसाम सहित सारे पूर्वोत्तर क्षेत्र की अपेक्षा उड़ीसा में अधिक हरिजन तथा आदिवासी हैं और फिर भी योजना आयोग ने अपनी बुद्धि के अनुसार हमें जो आवंटन दिया वह उस राशि का केवल एक तिहाई है जो सारे पूर्वोत्तर भारत के लिये जनजातियों के लिये आवंटित की जाती है। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि आयोजना में फेरबदल न किया जा कर इसे पुनः तैयार किया जाये जिससे कुछ सीमा के साथ वास्तविकता के साथ आयोजना करना आरम्भ कर सकें।

एक माननीय सदस्य : आवर्ती योजना।

श्री बीजू पटनायक : आवर्ति योजना की बात आप नहीं समझ सके चूंकि यह आपके समझ के परे की बात है। मैं आपको आपकी योजना की बात बताता हूं। प्रधान मंत्री यह कहती रही हैं कि उन्होंने 30 वर्षों में ईंट-ईंट करके सारा निर्माण किया। मेरे साथ उड़ीसा के गांवों में चलें और उड़ीसा के लाखों ग्रामीण, उनकी औरतें तथा बच्चे नहाते हैं, उनमें नहा कर देखें। जो पानी वह प्रतिदिन पीते हैं वह पानी पीकर देखें और यदि आप पहली बार नहाने के बाद और उस पानी के पीने के बाद निमोनिया और हैजा से मृत्यु प्राप्त न कर गये तो मैं भी उस स्नान में और पानी पीने में आपके साथ सम्मिलित हो जाऊंगा। क्या यही वह स्थिति है जो तीस वर्षों में एक एक ईंट जमाने से पैदा हुई है। वित्त मंत्री महोदय मैं आपको 1964 में भुवनेश्वर में हुए कांग्रेस के पूर्णाधिवेशन की ओर ले जाना चाहता हूं जो मेरी अध्यक्षता के अंतर्गत हुआ था और जिसमें समाज के समाजवादी ढांचे का प्रथम संकल्प श्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा पेश किया गया था और मैंने उसका समर्थन किया था। आज से लगभग 16 वर्ष पूर्व सन् 1964 में मैंने कहा था कि कांग्रेस कब तक लोगों के साथ धोखा करती रहेगी? यह आज भी सच है। हम कहते हैं कि हमें वोट मिलते हैं। यह सच है। आप कहते हैं कि आपको व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ है। ठीक है परंतु तीन वर्ष हमें भी व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ था। परंतु उसका कोई अर्थ नहीं है। मतदान की प्रतिशतता निरन्तर कम हो रही है और मतदाता अपनी रुचि खो रहे हैं। केवल 49 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने अधिकार का उपयोग किया और इससे पता चलता है कि लोगों की हमारी प्रणाली में रुचि कम हो रही है क्योंकि आम जनता को कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। यदि आज 30 अथवा 32 वर्षों की आयोजना के पश्चात् राष्ट्र के एक-चौथाई ग्रामीणों को पेय जल प्राप्त नहीं हो रहा है। और फिर भी बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता तथा मद्रास नगरों में बहु-मंजिला इमारतों का निर्माण हुआ है। यह किस प्रकार की आयोजना है?

वित्त मंत्री महोदय आप टाटा, बिरला तथा बहु राष्ट्रीय कम्पनियों के प्रति बहुत ही उदार हैं। आपकी उदारता का मेरे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। परंतु मैं आपको बताता हूं कि एक दिन लगभग 75 वर्ष पूर्व जमशेदजी टाटा ने एक छोटी सी मिल की स्थापना की। उहोंने उड़ीसा की एक पहाड़ी का भी अधिकार अपने अन्तर्गत लिया जो लौह अयस्क से भरी है और 75 वर्षों तक टाटा ने उड़ीसा की उस लौह अयस्क पहाड़ी को तोड़ते-तोड़ते धूल की स्थिति में मिला दिया। करोड़ों रुपये का लाभ कमाया और उस धन के साथ आधे से अधिक बम्बई का निर्माण किया गया। क्या मेरे दिल में टाटा के प्रति कोमल भावनायें होनी चाहिए?

बिरला घराने की सबसे बड़ी मिल है। वे कहते हैं कि ओरिएन्टल पेपर मिल बहुत अधिक लाभ कमाने वाली मिल है। पुराने समय से आपकी आयोजना के अधीन उन्होंने एक संविदा की है। जिसे तोड़ा नहीं जा सकता जिसके अन्तर्गत वह बहुत ही कम राजस्व कर वे वहां से बांस प्राप्त करते हैं और बनों में काम करने वाले आदिवासियों तथा लोगों को बहुत ही कम वेतन देते हैं। मैं जब उड़ीसा का मुख्य मंत्री था मैंने बहुत अधिक कठिनाइयों के बावजूद राजस्व की दर को दोगुना कर दिया और जब कांग्रेस फिर से शासन में आई तो उस दर को फिर से कम कर दिया गया। उस कारखाने के सारे लाभ का उपयोग अफ्रीका में मिलें खोलने में किया जा रहा है। बिरला अथवा टाटा किसी ने भी उड़ीसा में शिक्षा, अथवा स्वास्थ्य अथवा किसी अन्य विकास कार्य पर एक पैसा खर्च नहीं किया। क्या मेरे दिल में उनके प्रति कोमल भावनायें होनी चाहिए?

अतः हम विपरीत दिशा में चल रहे हैं। आपकी मान्यता अलग है और हमारी मान्यता—हमारी से मेरा तात्पर्य उन लोगों से है जो 30 वर्षों की आयोजना के बाद भी उसी हालत में रह रहे हैं—अलग है। जब मैं उड़ीसा का मुख्य मंत्री बना और उड़ीसा में प्रथम बार कांग्रेस की बहुमत सरकार का गठन हुआ, तो पण्डित जी के अनुरोध पर मैंने मुख्य मंत्री पद ग्रहण किया तो मैंने दो मास के पश्चात् प्रधान मंत्री को बताया—यदि श्री मोरारजी देसाई जो उस समय वित्त मंत्री थे इस समय सदन में उपस्थित होते तो वह मेरा समर्थन करते—मैं समझता हूं कि उड़ीसा के औद्योगिक संसाधनों तथा आयोजना एवं निष्ठा तथा योजना आयोग द्वारा भारत के सम्पूर्ण विकास हेतु निर्धारित किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों के साथ उड़ीसा के एक हजार वर्षों में भी विकास की कोई संभावना नहीं है। मैंने पंडित जी को उस समय कहा था। मैंने कहा कि भारत के संघीय ढांचे में जो आज स्वायत्तता विद्यमान है उसे अधिक सुदृढ़ किया जाना चाहिए कि इसे वही मिलनी चाहिए जो आस्ट्रेलिया को प्राप्त है, कि आस्ट्रेलियाई ढंग भी स्वायत्तता से ही—संघीय ढांचे के अनुसार नहीं, उड़ीसा अपने प्राकृतिक संसाधनों के साथ विश्व की मंडियों का सामना कर सकेगा।

श्री मोरारजी देसाई ने कहा कि यह कैसे संभव होगा? दिल्ली में बैठकर कुछ सरकारी अधिकारियों द्वारा सारी आयोजना हो जाने के स्थान पर प्रत्येक राज्य सरकार, प्रत्येक राज्य विधान सभा कुछ अतिरिक्त प्रयासों द्वारा राष्ट्र को सम्पन्न बनाने के प्रयास क्यों नहीं करती? यह राष्ट्रीय आयोजना नहीं है। यह राष्ट्रीय आचार की स्थापना भी नहीं है। फिर भी उस समय पहली बार उड़ीसा के लिये योजना की अधिकतम सीमा को लांघा गया। उस समय पंडित जी ने आयोजना में 50 प्रतिशत वृद्धि कर दी जब मैंने कहा कि "मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। आप किसी दूसरे को मुख्य मंत्री बना दें। मैं इस स्थिति का सामना नहीं कर सकता।" इसमें 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई। कुछ आधारभूत ढांचे का निर्माण हुआ।

उड़ीसा में, ब्रिटिश काल से, चूंकि उड़ीसा आखिरी समय तक ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लड़ता रहा अतः वहां कुछ नहीं किया गया। तट के साथ केवल एक रेलवे लाइन बिछाई गई क्योंकि कलकत्ता और मद्रास को जोड़ना जरूरी था। यदि वे समुद्र के रास्ते से जाते रहते तो उन्होंने उड़ीसा को न छुआ होता। उड़ीसा के सारे पृष्ठ प्रदेश, का माल मध्य प्रदेश के सारे प्रदेश से समुद्र तक पहुंचाया जा सकता था। अतः परादीप बन्दरगाह का

निर्माण किया गया। ताकि भीतरी प्रदेश से वहां पहुंचा जा सके। सारे छत्तीसगढ़ का जो पिछड़ा क्षेत्र है, विकास, दक्षिणी बिहार का विकास आरम्भ किया जा सकता था। परन्तु उड़ीसा में कुछ भी नहीं किया गया। उड़ीसा में रेल लाइनों का निर्माण नहीं किया जायेगा। पारादीप बन्दरगाह से सारा विकास, तालचर तथा राउरकेला को मिलाने के साथ-साथ मध्य-प्रदेश तथा बिहार तक चलता है। यह सभी क्षेत्र प्राकृतिक संसाधन से संपन्न प्रदेश हैं। क्या राज्य की आयोजना राष्ट्रीय आयोजना का भाग नहीं होनी चाहिए? हमारी स्थिति पर कब विचार किया जायेगा। आप पांच वर्षों तक शासन में है। कृपया हमारी स्थिति पर विचार करें।

आप पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये इसके संबंध में क्या योजनाएँ बनाएंगे। केन्द्रीय निवेश का और केन्द्रीय परियोजनाओं का प्रश्न है। बहुत ही दिक्कतों के साथ हमने एक टेली-फोन निर्माण परियोजना की स्थापना की। जैसे ही आपकी सरकार का शासन स्थापित हुआ उस परियोजना को समाप्त कर दिया गया है। इसके क्या कारण हैं?

एक माननीय सदस्य : दूसरे इस्पात संयंत्र की क्या स्थिति है?

श्री बीजू पटनायक : मैंने मंत्री के रूप में पारादीप बन्दरगाह के लिये 2000 करोड़ रु० के एक ऋण की व्यवस्था की। वित्त मंत्री को इसका पता है। मुझे विश्वास है कि आप इससे पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि हमें इस्पात की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त मैंने अलुमीनियम परियोजना के लिये सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई थीं। आपको अलुमीनियम की आवश्यकता है। अन्यथा राष्ट्र का सम्पूर्ण ऊर्जा कार्यक्रम असफल हो जायेगा। आप इसके संबंध में करार कर सके हैं। मुझे इस पर प्रसन्नता है। इसी प्रकार हम पिछड़े क्षेत्रों में और अधिक केन्द्रीय निवेश चाहते हैं।

हम उड़ीसा में एक छावनी की स्थापना की मांग करते रहे हैं। इसमें कठिनाई क्या है? देश भर में सैंकड़ों छावनियां हैं। हमने भुवनेश्वर में 5000 एकड़ भूमि देने की पेशकश की है। परन्तु छावनी मंजूर नहीं की जा सकती। परंतु इसका कारण क्या है? वहां पर एक नौसेना स्कूल है क्योंकि सभी आवश्यक सुविधाएं चिल्का में उपलब्ध हैं। हमने नौसेना स्कूल के लिये आधी चिल्का झील उपलब्ध करा दी परन्तु हमारे लिये छावनी की मंजूरी नहीं दी जा सकी है। केन्द्रीय निवेश कहां है? यदि आप यह कहें कि इस्पात संयंत्र के लिये अलु-मिनियम संयंत्र के लिये केन्द्रीय निवेश है तो मैं इसे स्वीकार नहीं करता। ये केन्द्रीय निवेश नहीं हैं—ये राष्ट्रीय निवेश हैं जो किये जाने थे। राज्य के संसाधन राष्ट्र को समर्पित किये जाते हैं। मैं इस निवेश की बात नहीं कर रहा। मैं उन परियोजनाओं में केन्द्रीय निवेश की बात कर रहा हूं जो कहीं भी स्थापित की जा सकती हैं। मैं यह नहीं कहूंगा कि कोरापुट में अलुमिनियम कारखाना केन्द्रीय निवेश है। कोरापुट में एक विमान इंजन संयंत्र है और माल डिब्बों की मरम्मत का एक कारखाना है जो भूतपूर्व रेल मंत्री द्वारा भुवनेश्वर में स्था-पित किया गया था। इनको मैं केन्द्रीय निवेश कहूंगा। परन्तु उड़ीसा में कोई तीसरा केन्द्रीय निवेश नहीं है। तीस वर्षों में उड़ीसा में कोई तीसरा केन्द्रीय निवेश नहीं है। क्या आप इस बारे में विचार करेंगे ?

अतः जब हम 30 वर्षों के निर्माणकार्य की बात करते हैं—हम सब भी उन 30 वर्षों के निर्माण के भाग हैं—मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि हम उससे संतुष्ट नहीं है। सन्तोष करना बहुत ही मुश्किल है। मुझे विश्वास है कि आप भी संतुष्ट नहीं हैं। मुझे विश्वास है कि कोई भी संतुष्ट नहीं है। परन्तु यह प्रश्न बना रहता है कि इस स्थिति का सामना किस प्रकार किया जाये। जहां तक शिक्षा का संबंध है हम चाहते हैं कि शिक्षा के लिये और अधिक निवेश किया जाये। परन्तु आज प्राथमिक शाला अध्यापकों तथा माध्यमिक शाला अध्यापकों को, जिनको हम चाहते हैं कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर समुचित दर्जा दिया जाये। परन्तु ऐसा नहीं किया जा सकता। आप ने इस बजट में इस संबंध में कोई उपबन्ध नहीं रखा है।

वित्त मंत्री महोदय, आप किसानों—सीमांत किसान, लघु किसान या कोई अन्य किसान—के बारे में भली भांति जानते हैं। जब सूखा पड़ता है—और उड़ीसा में भयंकर सूखा पड़ा है, जैसाकि आप जानते हैं और यह प्रति वर्ष चलता रहता है—, जब बाढ़ आती है, जब समुद्री तूफान आता है तो भारत में किसान का क्या कसूर होता है कि उसे इन सब परेशानियों को भुगतना पड़ता है, उसे उधार लेना पड़ता है और यह कि उसे ब्याज अदा करना पड़ता है, यह कि उसे ब्याज प्रभार पर ब्याज देना पड़ता है? क्या राष्ट्रीय राजकोष को उनके लिये, जो राष्ट्र के पोषक हैं, कुछ नहीं करना होता है? क्या आप फसल बीमा लागू नहीं कर सकते? हमने गत वर्ष उड़ीसा में प्रयोगात्मक आधार पर कम से कम एक जिले में फसल बीमा आरंभ करने का निर्णय किया था। मुझे आशा है कि आप इस पर पुनर्विचार करेंगे और यह देखने के लिये प्रयोगात्मक आधार पर किसी एक प्रभावित क्षेत्र में इसे लागू करेंगे कि यह किस प्रकार कार्य करता है। ताकि इसे देश के शेष भागों तक, उन क्षेत्रों में जहां इसकी आवश्यकता है, पहुंचाया जा सके।

इस समय गांव के गांव जल जाते हैं। शहरों में यदि मकान जल जाते हैं तो आपने उनके बीमे की व्यवस्था कर रखी है, यदि कारों को क्षति पहुंचती है तो आपने उनके बीमों की भी व्यवस्था कर रखी है, यदि गहनें नष्ट हो जाते हैं या चुरा लिये जाते हैं तो उनके लिये भी बीमा है परन्तु ग्रामीण भारत के लिये कुछ भी नहीं है। ग्रामीण भारत के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। यदि गांव जला दिये जाते हैं तो उन्हें बीमे का कुछ नहीं मिलता; यदि प्राकृतिक कारणों या विपत्तियों से फसलें नष्ट हो जाती हैं तो उन्हें बीमे का कुछ नहीं मिलता है। राष्ट्रीय बीमा संस्था विभाजित है; क्या 'किसान' शब्द हमारे 80 प्रतिशत लोगों से पृथक है। तीस वर्षों तक आपने किस प्रकार की योजना बनाई है? ईंट-ईंट करके बनाई है? आपने 'ईंट-ईंट' करके क्या बनाया है?

प्रो० एन० जी० रंगा : आप कई वर्षों तक मुख्य मंत्री थे।

श्री बीजू पटनायक : मैंने श्री जवाहरलाल नेहरू से कहा था कि हम संघीय भारत से अलग होना चाहते हैं क्योंकि यह संघीय भारत मेरे राज्य को हजार वर्षों में भी विकसित नहीं कर सकता।

एक माननीय सदस्य : यह उड़ीसा आपका नहीं है.....(व्यवधान)

श्री बीजू पटनायक : आप पहली बार यहां आये हैं और शायद अंतिम बार; अतः अधिक मत बोलिए··· (व्यवधान)

वित्त मंत्री महोदय, मैं आपको आंकड़े नहीं दे रहा हूं। मैं आपको आंकड़े देकर दर्दे सर नहीं दे रहा हूं या आपके दिमाग पर बोझ नहीं डाल रहा हूं; मैं आपको केवल इसके योजना वाले भाग के बारे में बता रहा हूं। आप योजना आयोग से सम्बद्ध रहे हैं। आपने [अपने राज्य तमिलनाडु के औद्योगिक विकास के लिये शानदार योजना बनाई है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सारी दुनिया जानती है कि आप देश के सबसे ज्यादा झूठ व्यक्ति हैं। (व्यवधान)

श्री बीजू पटनायक : वित्त मंत्री महोदय, मुझे इसकी चिंता नहीं है। [मुझे उनकी परवाह नहीं है। समय आयेगा तो वे अपने आप सीख जायेंगे यह उनके लिये नई बात है। हम सब सीखते हैं। हमने अपने समय में सीखा है। परन्तु मैं वित्त मंत्री को यह सुझाव दूंगा : योजना के समय कृपया उड़ीसा की योजना पर विचार करें; आपने जो कुछ दिया है वह बहुत कम है; वहां की 40 प्रतिशत आदिवासी और हरिजन जनसंख्या के रहते हुए योजना को कम से कम उस योजना पद्धति के साथ संयुक्त किया जाना चाहिए था जो आसाम तथा पूर्वोत्तर सीमा के लिये स्वीकार की गई है। यह न्यूनतम कार्य है जो आप कर सकते हैं; यह न्यूनतम कार्य है जिसे करने लायक आपको होना चाहिए। जब केन्द्रीय सरकार द्वारा पूंजी-निवेश किया जाना हो चाहे इस्पात संयंत्र में हो या एलुमिनियम संयंत्र में, या अन्य निवेश किये जाने हो तो इन क्षेत्रों में मत भूलिये जहां प्रचुर प्राकृतिक संसाधन हैं तथा पिछले 100 वर्षों में आज तक पूंजी-निवेश बहुत कम किया गया है, यदि यही स्थिति जारी रही तो उड़ीसा या छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश या बिहार के अन्य क्षेत्रों जैसे पिछड़े क्षेत्रों में लोगों के लिये इस देश के विकसित क्षेत्रों की तुलना में पर्याप्त विकास का कोई भी अवसर नहीं रहेगा।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री ब्रज मोहन मोहन्ती (पुरी) : महोदय, मैं पूरे दिल से इस बजट का समर्थन करता हूं और वह भी इसलिये कि हम जानते हैं कि केन्द्रीय सरकार को बजट बनाने और उसे इस गरिमायुक्त सभा के समक्ष रखने का अवसर मिला है। 17 फरवरी का दिन, जब राज्य सरकार का अतिक्रमण किया गया, उड़ीसा के लोगों के लिये हर्षोल्लास का दिन था क्योंकि वहां समूचा प्रशासन इतना अधिक गिर गया था कि वहां समूचे राज्य में प्रशासन लगभग ठप्प हो गया था। मैं आपके समक्ष वे बातें रखूंगा कि वहां क्या-क्या हुआ।

श्री बीजू पटनायक ने अनेक बार राज्य का उत्तरदायित्व संभाला है। मैं आपको एक बात बताऊंगा। जिस दिन वहां राज्य विधान सभा भंग की गई उस दिन उसे राजाओं के राज्य समाप्त किये जाने, जमींदारी समाप्त किये जाने के दूसरे चरण के रूप में लिया गया क्योंकि उड़ीसा में लोग इस बात से तंग थे कि श्री बीजू पटनायक दिल्ली में बैठे-बैठे उड़ीसा के प्रशासन पर नियंत्रण रखे हुए हैं। लोग इसे बीजू पटनायक की जमींदारी कहा करते थे। उड़ीसा प्रशासन उनके अधीन जमींदार बीजू पटनायक के अधीन कार्य कर रहा था और वहां जो मुख्य मंत्री कार्य कर रहे थे प्रशासन से सम्बन्धित मामूली से मामूली मामले में

भी कुछ नहीं बोल सकते थे । यह मेरा कथन नहीं है । स्थानीय समाचार-पत्र सदैव लिखता रहा है कि उड़ीसा में जमींदारी प्रथा समाप्त की जानी चाहिए। और इसे 17 फरवरी 1980 को समाप्त किया गया। मैं आपको बताता हूं कि समूचे प्रशासनिक ढांचे को राजनीतिक रंग दे दिया गया है। क्या आप इसकी कल्पना कर सकेंगे? सभी निगमों में जनता के विधायक या जनता के कार्यकर्ता लगा दिये गये हैं। बाद में वे लोकदल के कार्यकर्त्ता बन गये। क्या आप इसकी कल्पना कर सकेंगे? समूची वितरण व्यवस्था को राजनीतिक रंग दे दिया गया है। विधायकों को विक्रेता मनोनीत करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। यह हालत थी। इसीलिये समूची वितरण प्रणाली ठप्प हो गयी। मैं कहता हूं कि जब तक वर्तमान ढांचे को पूरी तरह नहीं बदला जायेगा, तब तक यह असंभव है कि उड़ीसा में कभी उचित वितरण प्रणाली चल सके। मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहूंगा कि इस ढांचे को बदला जाना चाहिए तथा नियमों में राजनीतिक ढग से मनोनीत किये गये सभी व्यक्तियों को बदला जाना चाहिए।

मैं सभा के समक्ष एक बात निवेदन करना चाहता हूं। सरकार के गिरने से पहले, दो या तीन दिन, पहले जब हर आदमी जानता था कि विधान सभा भंग होने जा रही है, उड़ीसा सरकार ने राज्यपाल के अभिभाषण में हर आदमी को हर चीज का आश्वासन दिया; उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य में फसल बीमा की व्यवस्था की जायेगी; राज्य में अग्नि बीमा की व्यवस्था की जायेगी; उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी प्राथमिक अध्यापकों को सरकारी कर्मचारियों में बदल दिया जायेगा, उन्होंने कहा कि सातवीं कक्षा तक के छात्रों से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा। उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण में इस बात की जांच किये बिना बहुत सी बातों के आश्वासन दे दिये कि ऐसा करने में कितना धन लगेगा। वे जानते थे कि वे प्रशासन से हटाये जाने वाले हैं इसलिये समूचे प्रशासन को राजनीतिक रंग दे दिया गया और उन्होंने स्थिति का इसलिये फायदा उठाया कि आखिर उन सबको जाना था।

मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जहां तक श्री पटनायक का सम्बन्ध है और जब तक वह पदासीन रहते हैं तो उनकी भाषा ही अलग होती है और जब कभी वह पद पर नहीं रहते हैं तो वह उस भाषा में बोलते हैं जो उन्होंने आज अपनाई हुई है। उड़ीसा राज्य के लिये यह बड़ी भारी विडम्बना है। यह भी विडम्बना है कि जब कभी भी वह पदासीन हो जाते हैं तो कुछ कहते हैं और जब पदच्युत हो जाते हैं तो कुछ। महोदय, वह राज्य योजना आयोग के चेयरमैन रहे हैं, वह मुख्य मंत्री रहे हैं और इतना ही नहीं राज्य सरकार अनेक बार उनके शिकंजे में रही है। 1961 से 1980 तक 3 से 4 वर्षों को छोड़कर उन्होंने लगभग राज्य प्रशासन पर नियंत्रण रखा है परन्तु क्या कभी उन्होंने योजना की सुदृढ़ व्यवस्था तैयार करने पर कोई ध्यान दिया ?

महोदय, मैं इस सभा का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि उड़ीसा पीछे रह सकता है। उड़ीसा के 71 प्रतिशत लोग गरीबी के स्तर से नीचे हैं। इतना ही नहीं, उड़ीसा में प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम है। मैं सभा का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि इतने अधिक प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद हम पीछे क्यों रह रहे हैं। प्रकृति हमारे लिये कभी कठोर नहीं रही है। परन्तु उनका विदोहन करने में हम धन की कमी के कारण पीछे

रह रहे हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि संघीय वित्त के न्यागमन से संबंधित अनुच्छेद 275 के उपबन्ध की पुनः जांच की जाये। भारत सरकार उस विवेकाधीन धनराशि का समझदारी-पूर्वक आवंटन करने में विचार करे जो उसके पास है तथा इस पर विचार होने दे।

जहां तक योजना नियतन का सम्बंध है, इसमें उपयुक्त रूप से वृद्धि की जाये। हमारी जनसंख्या 4 प्रतिशत है परन्तु योजना नियतन प्रत्येक योजना में कम कर दिया जाता है। 5वीं योजना में हमारे लिये 3.2 प्रतिशत नियतन किया गया था परन्तु इसमें अब और कमी कर दी गई है। अतः मेरा अनुरोध है कि जहां तक संघीय वित्त का संबंध है, इस बारे में पुनर्विचार किया जाये तथा जो धनराशि भारत सरकार के विवेकाधीन है उसके नियतन पर भी पुनर्विचार किया जाये।

एक और पहलू भी होना चाहिए। वहां केन्द्रीय पूंजी निवेश भी बढ़ाया जाना है। मैं यह नहीं कहता कि उस क्षेत्र में उड़ीसा पीछे रह रहा है। परन्तु मेरा अनुरोध है कि इसमें और वृद्धि की जाये। वहां बहुत सी खनिज सम्पदा है। कुछ प्रस्ताव भी जिन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृति दी जाती है। उन पर विचार किया जाना चाहिए और शीघ्र स्वीकृति दी जानी चाहिए। कुछ परियोजनाओं की जांच की जानी है। मैं विशेष रूप में पारादीप स्थित कोयला जेटी का उल्लेख करूंगा। इसके अलावा कोरापुट-रायगडा रेल लाइन है। इसके बाद बांसपानी-तोतरी रेल लाइन का दूसरा चरण भी है तथा मलनखोटी और सरजी-पल्ली परियोजनायें भी हैं। इन पर शीघ्र स्वीकृति दी जानी चाहिए और केन्द्रीय सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि उड़ीसा राष्ट्रीय औसत से पीछे न रहे।

विकास के सभी क्षेत्रों में उड़ीसा राज्य पीछे है। मेरा अनुरोध है कि जब कभी मैं यह वर्णन करूं, जब कभी मैं यह कहूं कि हमारे राज्य के लोग निर्धन हैं तो ऐसा कहने में मुझे कोई शंका नहीं है—मुझे महान कवि नजरूल इस्लाम ने जो कहा है वह याद आ रहा है,

दरिद्र तुमयाभाये कोरिचा महान ।

हम गरीब हैं लेकिन हम उच्च और महान लोग हैं और हमें एक श्रेष्ट संस्कृति उत्तराधिकार में मिली है। मैं सभा के समक्ष निवेदन करता हूं कि संघीय वित्त के नियतन और न्यागमन पर पुनर्विचार किया जाये ताकि हम विकास कर सकें और उड़ीसा शीघ्र ही राष्ट्रीय औसत तक पहुंच जाये।

इसके बाद एक और पहलू मैं आपके समक्ष रखता हूं। वह यह है कि जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, यह काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिये धन दे रही है। मैं निवेदन करूंगा कि 100 रु० में से स्थल पर केवल 40 रुपये खर्च किये जाते हैं तथा शेष राशि का दुर्विनियोजन किया जा रहा है। भ्रष्टाचार भी बहुत रहा है। कलेक्टर के समक्ष आरोप रखे गये थे। आरोप राज्यपाल के समक्ष भी रखे गये परन्तु कोई भी उनकी जांच नहीं करता है। मैं निवेदन करूंगा कि इसकी जांच की जाये। भ्रष्टाचार सामने लाया जाये और स्थिति में कुछ सुधार किया जाये। अन्यथा उड़ीसा राज्य को पर्याप्त अनाज आवंटित करने का भी कोई लाभ नहीं होगा। भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त किया जाना चाहिए। मेरा निवेदन यह है कि वित्त मंत्री इसकी जांच करें।

एक दूसरी बात भारतीय खाद्य निगम के बारे में है। भारतीय खाद्य निगम के उच्चतम अधिकारी इस तरह काम कर रहे हैं जैसे कि वे विक्टोरिया की सेना के जनरल हों। वे स्थानीय आवश्यकताओं की अनदेखी करते हैं और स्टाक के वितरण संबंधी अपने उत्तरदायित्व को महसूस नहीं करते । उन्होंने ही सारा कुप्रबंन्ध किया है। इस बात की जांच होनी चाहिए। मैं इसके बारे में विशेष रूप से कुछ नहीं कहूंगा। मैं इसके बारे में व्यक्तिगत रूप से संबंधित मंत्री को बतलाऊंगा। सरकार को पता है कि पहले ऐसे आरोप थे कि वे दी गई चीनी के प्रत्येक बोरे पर 10 रु० वसूल कर रहे थे । यदि यह अदायगी नहीं की जाती तो खराब से खराब चीनी दी जाती है। भारतीय खाद्य निगम इसी तरह काम कर रहा है।

दूसरी बात सूखे के बारे में है। मेरा निवेदन यह होगा कि जहां तक सूखे की स्थिति का संबंध है, यह बात प्रकाश में तो लाई गई है लेकिन भारत सरकार जो सारी स्थिति पूरी तरह नहीं समझाई गई है। हजारों लोग प्रवास कर रहे हैं। लोग भूखे मर रहे हैं; गांव के लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। स्थिति बहुत ही गंभीर है और इसीलिये मैं वित्त मंत्री से इस पर गौर करने की अपील करता हूं और गरीब लोगों को जो ऋण दिये गये हैं, जिन्हें वे अदा नहीं कर सकते, पूरी तरह माफ कर दिये जाने चाहिए; इस बारे में कोई संकोच नहीं होना चाहिए और ऋणों को माफ करने की सारी जिम्मेदारी भारत सरकार को उठानी चाहिए।

एक और बात यह है कि सूखा संबंधी खाते पर 14 करोड़ रु० दिये गये थे। वह राशि भारत सरकार की ओर से सहायता के रूप में होनी चाहिए और योजना के लिये धन आवंटित करते समय उसे हिसाब में नहीं लिया जाना चाहिए। भारत सरकार को इसे योजना सहायता के रूप में नहीं मानना चाहिए। यही मेरा निवेदन है जिसे वह ध्यान में रखें।

जहां तक राज्य विधान सभाओं के विघटन का संबंध है, विपक्ष के कई वक्ताओं ने क्षोभ व्यक्त किया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाये रखने के लिये वचनबद्ध हैं। उनका आरोप यह था कि कांग्रेस सरकार द्वारा न्यायपालिका को पंगु बना दिया गया। मेरा निवेदन यह है कि विघटन के बारे में न्यायिक मत बहुत स्पष्ट हैं। मैं आपका ध्यान असम बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय और न्यायमूर्ति श्री भगवती द्वारा की गई टिप्पणियों की ओर दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि जहां तक सरकार के लोकतांत्रिक सिद्धांतों का संबंध है, मूलबात यह है कि लोगों की सहमति होनी चाहिए। यदि लोगों की स्वीकृति नहीं होती, तो उस स्थिति में, सरकार एक दिन भी नहीं चल सकती। अन्यथा लोग इसे वापस ले लेंगे और फिर संघर्ष अथवा आमना-सामना होगा। मैं नहीं जानता कि इनके क्या परिणाम निकलेंगे। मझे याद है कि जब श्री जयप्रकाश नारायण जसलोक अस्पताल में थे, उन्होंने श्री मोरारजी देसाई को पत्र लिख कर उस प्रत्याह्वान के बारे में पूछा था जिसका वचन उन्होंने भारत के लोगों को दिया था। उसके बारे में उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। आपको मालूम है कि न्यायमूर्ति श्री भगवती ने स्पष्ट रूप से कहा था कि सदस्य को वापस बुलाने की कोई व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं है। लेकिन फिर भी, वापस बुलाने का एक रास्ता यह है कि जब सरकार ने लोगों का विश्वास खो

दिया हो तो सरकार को सत्ता में न रहने दिया जाए। इसलिये मैं कहता हूं कि यदि आप न्याय-पालिका की स्वतंत्रता बरकरार रखना चाहते हैं तो आपको भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा उस समय घोषित उन सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए जब 1977 में उड़ीसा और उत्तर प्रदेश की विधान सभाएं भंग की गई थीं।

सभापति महोदय : कृपया, एक मिनट सुनिये मेरे पास यहां इस सूची में 16 नाम हैं। इस बजट के लिये केवल एक घंटे का समय दिया जाता है अतः आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री ब्रज मोहन मोहन्ती : यह बहुत ही गंभीर मामला है। आपको हमें अवसर देना चाहिए।

सभापति महोदय : जहां तक बजट का संबंध है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उससे संबंधित सारे मुद्दे सामने रखें लेकिन आप विस्तार में जाकर अपनी बात को बढ़ाएं नहीं। एक दो वाक्यों के बाद आप समाप्त कर सकते हैं।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : राजस्थान बजट कल ही आ रहा है और उसके बाद अन्य बजट आयेंगे।

श्री ब्रज मोहन मोहन्ती : यह अब राजनीतिक दलों के बीच कोई विवाद का मामला नहीं है।

1977 में उड़ीसा विधान सभा भंग की गई थी और जब विधान सभा को हटाया गया था तब उसकी पांच वर्ष की अवधि पूरी नहीं हुई थी। इसने केवल तीन वर्ष पूरे किये थे। यही बात उत्तर प्रदेश के संबंध में भी है। उस समय हम खुश नहीं थे लेकिन जब उच्चतम न्यायालय की घोषणा आई तो हमें मानदण्डों को अस्वीकार करना ही पड़ा।

सभापति महोदय : उस मुद्दे पर हम अलग से चर्चा करेंगे।

श्री ब्रज मोहन मोहन्ती : वह सब ठीक है। मेरा कहना केवल यह है कि यदि हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भारत में संसदीय लोकतंत्र सम्पन्न हो, तब हमें इस प्रयोजन के लिये कुछ मानदण्ड निर्धारित करने चाहिये और उन मानदण्डों का सत्तारूढ़ दल तथा विपक्ष दोनों को आदर करना चाहिए। इसके साथ ही मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

सभापति महोदय : इससे पहले कि मैं माननीय सदस्यों को बोलने के लिये आमंत्रित करूं, क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूं? मेरा निवेदन है कि वे तर्कों को संक्षेप में पेश करें, मुद्दों को नहीं। अब, श्री जगन्नाथ राव।

श्री जगन्नाथ राव (बरहामपुर) : महोदय, यह शायद तीसरा अवसर है जब उड़ीसा का बजट संसद में पेश किया जा रहा है जिसका मुख्य कारण यह है कि उड़ीसा में राजनैतिक स्थिरता नहीं है। सिवाय 1961 से 1967 तक की अवधि के उड़ीसा विधान सभा हर दो या तीन वर्ष के बाद भंग की जाती रही है। ऐसा पहले भी होता था। इस बार यह 17 फरवरी को भंग की गई है। लोक दल की सरकार समाप्त हो गई। जब यह सरकार

हटाई गई तो न तो कोई कुछ बोला और न ही किसी ने दुःख प्रकट किया। अब हम दो महीने में वहां चुनाव करवाने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि अब उड़ीसा में स्थाई सरकार बनेगी जो एक प्रगतिशील सरकार होगी और जो आर्थिक क्षेत्र में राज्य की प्रगति पर ध्यान देगी।

उड़ीसा पिछड़े राज्यों में से एक है; ऐसे और राज्य भी हैं। राज्य पिछड़ा हुआ नहीं है बल्कि वहां के लोग पिछड़े हुए हैं और गरीब हैं। यह खनिज साधनों के मामले में समृद्ध है। यह वन साधनों की ट्रष्टि से सम्पन्न है। यह जल साधनों के मामले में भी समृद्ध है। लेकिन वह राष्ट्र हित में या राज्य के लाभ के लिये साधनों का उपयोग नहीं कर सका। इतना समृद्ध होने के बावजूद इसका विकास बहुत धीमा रहा है।

जहां तक उड़ीसा में आरम्भ की गई राष्ट्रीय परियोजनाओं का प्रश्न है, हम उन्हें उंगलियों पर गिन सकते हैं। हमारे यहां केवल एक इस्पात कारखाना है। अन्य सिंचाई परियोजनायें या दूसरी परियोजनाय केवल राज्य परियोजनायें हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि तेजी से आर्थिक प्रगति के लिये राज्य को पिछड़ेपन से ऊपर उठाया जाये।

उड़ीसा राज्य की आर्थिक प्रगति की दर केवल 2 प्रतिशत है और इसकी जनसंख्या वृद्धि की दर 2.5 प्रतिशत है। इसलिये, आर्थिक प्रगति जनसंख्या में वृद्धि के साथ मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिये, इस प्रकार की योजना प्रणाली से यह अपेक्षा करने या आशा करने में कि राज्य का आर्थिक विकास हो जायेगा, सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे।

देश के कुल जन-साधनों का 10 प्रतिशत हमारे यहां है लेकिन केवल 1/10 जन-साधनों का ही उपयोग किया जा सका है। राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 4 प्रतिशत है। लेकिन केन्द्रीय सहायता की मात्रा केवल 3.2 प्रतिशत है। यह मात्रा हर एक आने वाली योजना में कम होती जा रही है। और यदि उड़ीसा राज्य को इसी दर पर केन्द्रीय सहायता मिलनी है तो मुझे यह विश्वास है कि निकट भविष्य में स्थिति में सुधार होने की कोई आशा नहीं है।

महोदय, राज्य की आर्थिक प्रगति में गाडगिल फार्मूला या आई० ए० टी० पी० फार्मूला से कोई सहायता नहीं मिलेगी।

केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्यों की, जहां सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या और अनसूचित जातियां हैं, आर्थिक सहायता करनी पड़ेगी। मुझे यह बताया गया है कि उड़ीसा में हर चौथा आदमी आदिवासी है और हर सातवां आदमी हरिजन है तथा विधान सभा के 147 स्थानों में से 53 स्थान आरक्षित हैं। इस स्थिति को देखते हुए राज्य के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना और बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास करना संभव है। इसलिये, अब समय आ गया है कि केन्द्रीय सरकार और योजना आयोग अपनी पुरानी विचारधारा को बदले, पुराने फार्मूलों—गाडगिल फार्मूला तथा आई० ए० टी० पी० फार्मूला—को त्याग दें और उनमें संशोधन करके नये तरीके अपनायें; नई योजनायें बनायें और ऐसे पिछड़े राज्यों की सहायता करें ताकि वे भी देश के विकसित राज्यों के साथ कदम से कदम मिला सकें। ऐसे भी राज्य हैं जिनकी

स्थिति बहुत अच्छी है। मझे उन राज्यों से ईर्ष्या नहीं है लेकिन इस राज्य को तेजी से विकसित हो रहे राज्यों की स्थिति तक पहुंचने में सैकड़ों वर्ष लग जायेंगे। हमारी प्रगति रुकी हुई है। उदाहरण के लिये विश्व बैंक के ऋण को ही लीजिये। हमें विश्व बैंक से बड़ी और मध्य दर्जे की परियोजनाओं के लिये लगभग 500 करोड़ रुपये का ऋण मिला है। इस धनराशि में से उड़ीसा को 46.0 करोड़ रु० की राशि मिली है। हमें चालु परियोजनाओं को पूरा करने के लिये कम से कम 50 या 60 करोड़ रु० की आवश्यकता है लेकिन 46 करोड़ रु० से तो कुछ भी नहीं होगा। आदिवासी विकास योजगा के अंतर्गत उड़ीसा को न तो पहाड़ी क्षेत्र माना गया है और न ही आदिवासी क्षेत्र। मैं नहीं जानता कि उस निधि से कोई अनुदान प्राप्त करने का हकदार होने के लिए कितने ऊंचे पहाड़ का मानदण्ड रखा गया है। हम उन पूर्वी घाटों पर हैं जहां पहाड़ी क्षेत्र स्थित है। वहां आदिवासी भी हैं। हम इस योजना के अन्तर्गत लाये जाने के बराबर के हकदार हैं। योजना आयोग ने किस प्रकार व्याख्या की है, यह मुझे मालूम नहीं। इस योजना में केवल हिमालय की पहाड़ियों को शामिल किया गया है और पूर्वी तथा पश्चिमी घाटों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। वहां भी पहाड़ी क्षेत्र है। अतः योजना आयोग और केन्द्रीय सरकार की ऐसी विचारधारा तथा आर्थिक योजना से उड़ीसा राज्य को बड़े पैमाने पर अपना विकास करने में कोई सफलता नहीं मिलेगी। उड़ीसा राज्य लम्बे समय से यह मांग करता आ रहा है कि इस फार्मूले में संशोधन किया जाये और उड़ीसा की अधिक से अधिक सहायता की जाये ताकि यह अपने पैरों पर खड़ा हो सके और भारत का एक अंग होने का गर्व कर सके। लेकिन इन मांगों का कोई असर नहीं हुआ है। लेकिन मैं आशा करता हूं कि योजना आयोग और केन्द्रीय सरकार योजना बनाने के पुराने सिद्धांतों पर नये सिरे से विचार करेगी और यह देखेगी कि उड़ीसा तथा उड़ीसा जैसे अन्य पिछड़े राज्यों को सरकार की उचित योजना नीति से लाभ पहुंचे। वैसे उड़ीसा ने स्रोतों के इस्तेमाल में अच्छी प्रगति की है। सातवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन में भी स्वीकार किया गया था कि 1960 में लगभग 59.0 करोड़ रु० का राजस्व प्राप्त हुआ था। इस राज्य ने प्रयास किया है और अब यह चरम सीमा पर पहुंच गया है। छोटी बचतें बहुत अच्छी रही हैं। लेकिन फिर भी अब आगे कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि राज्य में कोई औद्योगिक आधार नहीं है। इस राज्य का मुख्य आधार कृषि है। यह एक खेतिहर अर्थव्यवस्था है। लेकिन एक से अधिक फसल प्राप्त नहीं हो रही है क्योंकि पर्याप्त जल-साधन आदि उपलब्ध नहीं हैं। इसलिये, कृषि संबंधी प्रगति की इस नीची दर तथा औद्योगिक प्रगति के अभाव में राज्य के लिये निकट भविष्य में प्रगति करना संभव नहीं हो सकेगा। इस समय मझे विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। मैं वित्त मंत्री से केवल यह अनुरोध करूंगा कि वे दिये गये सुझावों को नोट कर लें। मैं कुछ मुद्दों पर श्री पटनायक से सहमत हूं। मूल मुद्दों पर, राजनीतिक रूप से नहीं और मुझे विश्वास है कि भारत सरकार उड़ीसा राज्य की सहायता करने के लिये कार्यवाही करेंगी।

*श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : सभापति महोदय, मैं उड़ीसा के बारे में माननीय वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट का समर्थन करता हूं। मैं बहुत सी बातें कहना चाहता था। लेकिन समय बहुत कम है अतः मैं अपना भाषण कुछ मुद्दों तक ही सीमित रखूगा। यदि यह पूरा बजट होता तो हम इस पर सात-आठ दिन तक विचार-विमर्श कर सकते थे लेकिन क्योंकि यह केवल एक अन्तरिम बजट है, चर्चा के लिए एक घन्टा नियत किया गया है।

*उड़िया में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

अभी मैंने बीजू बाबू का भाषण सुना था। मैं उनके भाषण को ध्यानपूर्वक सुन रहा था। मैंने ऐसा अनुभव किया मानों वह एक चनाव सभा में भाषण दे रहे हों। हमने पहले भी उन्हें कई बार इसी तरीके से भाषण देते हुए सुना है। अतः उनके लिए यह नई बात नहीं है। वह जनता को गुमराह करना जानते हैं। जब वह जनता पार्टी में थे, जो बाद में उड़ीसा में लोकदल में बदल गई थी वह इसी तरीके से भाषण कर रहे थे। शायद वह भूल गए कि वह इस गरिमायुक्त सदन के समक्ष बोल रहे हैं। उनका भाषण मात्र सभामंच का भाषण था। उन्होंने कहा था —

सभापति महोदय : आपके पास समय नहीं है।

श्री अनादि चरण दास : मैंने श्रीमान्, केवल यह कहा है • • •

जब जनता सरकार ने बजट प्रस्तुत किया था, उस समय श्री पटनायक सरकार में थे। इसके बाद लोक दल की सरकार बनाई गई थी और जब वे बजट को प्रस्तुत करने जा रहे थे सरकार भंग कर दी गई थी। श्रीमान् जहां तक उड़ीसा राज्य का सम्बन्ध है वहां पर वास्तविक सरकार श्री पटनायक ही थे। वहां की राज्य सरकार उनके निदेशानुसार चलती थी। वस्तुतः मुझे उनके भाषण में कोई तत्व की बात नहीं मिली। वह केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए बोलना चाहते हैं।

श्रीमान्, यह एक अन्तरिम बजट है। यह केवल तीन महीने के लिए है। अतः इस बजट में समग्र विकास के लिए धनराशि का नियतन करना सम्भव नहीं है। बहुत-सी बातों के लिए मांग करना हमारा विशेषाधिकार है। लेकिन यह संभव नहीं है कि हमारी सभी मांगें पूरी हो जायेंगी। तथापि मैं अपने कर्त्तव्य का निर्वाह नहीं करूंगा यदि मैं कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत न करूं कि हमारी पिछली सरकार ने किस प्रकार कार्य किया था। हमें अपने राज्य में गम्भीर सूखे का सामना करना पड़ रहा है। मुझे खुशी है कि हमारी केन्द्रीय सरकार ने वहां के सूखाग्रस्त लोगों की सहायता के लिए 10 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि रखी है। लेकिन हमारी पिछली सरकार द्वारा उचित प्रोत्साहन न दिए जाने के कारण यह राशि ठीक प्रकार से खर्च नहीं की गई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या छोट किसानों और कृषि श्रमिकों को, जो बुरी तरह से पीड़ित हैं, कोई सहायता दी गई है। उनकी सहायता के लिए पिछली सरकार द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है। उस समय नियुक्त किए गए अधिकारी अभी तक इस धनराशि के कर्ता-धर्ता हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि उड़ीसा के लिए आवंटित कुल राशि का 40 प्रतिशत भाग छोटे किसानों के लिए खर्च किया गया। लेकिन वास्तव में यह सच नहीं है। उन्होंने जो कुछ कहा है उसका मुश्किल से 10 प्रतिशत ही खर्च किया गया है। लोक दल के कार्यकर्त्ताओं, पिछली सरकार द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त किए गए कर्मचारियों और कुछ अन्य अधिकारियों द्वारा शेष राशि का दुरुपयोग किया गया है। कुछ अन्य ठेकेदारों ने भी इससे लाभ उठाया है। उड़ीसा में यह हर जगह हुआ है।

श्रीमान्, अपने निर्वाचन-क्षेत्र के चुनाव दौरे के दौरान मुझे सरकारी धनराशि के दुर्विनियोग का पता चल पाया है। न तो विकास सम्बन्धी कार्य शुरु हुआ है और न ही ठेकेदार नियुक्त किए गए हैं लेकिन विभिन्न योजनाओं के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए गए

हैं कुछ अन्य मामलों में ठेकेदारों के बिल पास कर दिए गए हैं और वे किसी कार्य-निष्पादन के बिना ही धनराशि ले रहे हैं। मैंने इन मामलों की ओर राज्यपाल तथा उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री का ध्यान दिलाया है। लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की। मैंने इस बारे में गृह मन्त्री का भी ध्यान दिलाया है और उनसे इन मामलों की जांच करने के लिए अनुरोध किया है।

मैं कहना चाहता हूं कि उड़ीसा विधान सभा को भंग करना सही निर्णय है। इससे हमारी जनता की रक्षा हुई है। श्रीमान्, इन शिकायतों की जांच करने के लिए भवश्नेवर में एक समिति गठित की गई थी लेकिन पिछली सरकार ने इस समिति को समाप्त कर दिया।

बड़े खेद का विषय है कि खंड स्तर पर समस्त विकास कार्यों का कुप्रबन्ध हुआ था। श्रीमान् भारतीय खाद्य निगम अब भी ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है। लोक दल द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति आवश्यक वस्तुओं के वितरण का कार्य कर रहे हैं। लोक दल के कार्यकर्ता सोचते हैं कि यदि अब कुछ विकास सम्बन्धी कार्य शरु किए गए तो कांग्रेस (आई०) की सरकार को इसका श्रेय मिलेगा। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हम अन्यथा भी चुनाव जीत सकते हैं। वे विकास सम्बन्धी कार्यों को अवरुद्ध करने के लिए सभी सम्भव कदम उठा रहे हैं और सभी क्षेत्रों में अनिश्चितता की स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। अतः मैं सरकार से समस्त प्रशासनिक ढाँचे में परिवर्तन करने का अनुरोध करना चाहता हूं। पिछली सरकार द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी स्थानांतरित किए जाने चाहियें। केवल तब ही आवश्यक वस्तुओं का समान वितरण होगा। मैं माननीय वित्त मन्त्री तथा गृह मन्त्री से इस बारे में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए अनुरोध करना चाहता हूं।

मैं राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मैं कुछ बातों की ओर इस महान सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीमान्, मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर अत्याचार के मामले थे। कलां गाव में ऐसे कुछ मामले हुए हैं। मैंने सरकार को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए पत्र लिखा था। लेकिन खेद की बात है कि उन्होंने इस मामले में उचित कार्यवाही नहीं की। अतः मैं सरकार से ऐसे सभी मामलों पर विचार करने के लिए अनुरोध करता हूं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : समय थोड़ा होने के कारण मैं अपने राज्य की समस्याओं के बारे में कुछ ही बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। मैं वर्ष 1980-81 के लिए वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तुत किए गए लेखानुदान और अनपूरक मांगों का समर्थन करना चाहता हूं। तथापि चूंकि हमारे वित्त मन्त्री योजना आयोग के सदस्य थे, अतः मैं उनके समक्ष अपने राज्य की अविकसित स्वरूप की कुछ बातों का उल्लेख करना चाहूंगा। उड़ीसा राज्य इस समय ऐसे क्षेत्रों में से एक है जो सूखे से अत्यधिक प्रभावित हुआ है। हमने इस बारे में सरकार का ध्यान दिलाया है और उनसे लोगों की दिक्कत दूर करने के लिए अनरोध किया है। लेकिन उड़ीसा से केन्द्रीय दल की यात्रा के बाद राज्य के लिए मात्र 14 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इस राशि में से उन्होंने मात्र 10 करोड़ रुपए की राशि

ही रिलीज की है। मैं वित्त मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह राज्य के पिछड़ेपन और इस बात को ध्यान में रखें कि उड़ीसा में 70 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो हरिजन, आदिवासी, पिछड़े और समाज के कमजोर वर्गों के हैं। इनमें से अधिकांश सूखे से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। अतः उड़ीसा को दी गई 14 करोड़ रुपए की यह अग्रिम योजना सहायता बहुत कम है।

जैसा कि अन्य सदस्यों द्वारा बताया गया है कि समग्र राष्ट्रीय आयोजना के सन्दर्भ में उड़ीसा राज्य के लिए प्रति वर्ष और प्रत्येक योजना के लिए योजना नियतन में कमी की जाती रही है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एकमात्र तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही उड़ीसा राज्य 5 प्रतिशत आवंटन पाने के लिये भाग्यशाली रहा था। चौथी और पांचवी योजनाओं में यह आवंटन 5 प्रतिशत से घटकर 3 प्रतिशत रह गया था और अब यह 2 प्रतिशत है।

योजना आयोग, कांग्रेस पार्टी और भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक योजना में क्षेत्रीय असंतुलन को कम से कम किया जाए। लेकिन यहां पर आप देखते हैं कि उन्नत राज्यों को अधिक आवंटन किए जाते हैं। ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि योजना सहायता के लिए फार्मूला गाडगिल फार्मूले पर आधारित है। इस सरकार के सत्ता में आने के बाद, जिसे गरीब लोगों से व्यापक जनादेश प्राप्त हुआ है, मैं आशा करता हूं कि आगामी पांच वर्षों के दौरान क्षेत्रीय असंतुलन कम होगा। उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्यों को भारत के बाकी राज्यों के स्तर पर लाने के लिए आपको कार्यवाही करनी पड़ेगी। समस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र को शामिल करके आप के पास विशेष वर्ग के राज्यों की सूची होनी चाहिए। अन्यथा आप इन्हें विकास के मामले में अखिल भारतीय स्तर पर नहीं ला सकते हैं।

श्री वेंकटरामन योजना आयोग के सदस्य थे। अतः में उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इन बातों को ध्यान में रखें। नई छठी योजना तैयार करते समय इस पूरी प्रक्रिया को बदला जाना चाहिए। पिछड़े राज्यों को अधिकाधिक राशि मिलनी चाहिए। भारत सरकार और योजना आयोग के अधिकार में विवेक से दिए जाने वाले अनुदान और धनराशि लगभग 20,000 करोड़ रुपए होगी। आदिवासियों और हरिजनों के लिए भी यह राशि लगभग 900 करोड़ रुपए होगी। कम से कम इन पिछड़े राज्यों के लिए, जहां आपका फार्मूला काम नहीं करता, 20,000 करोड़ रुपए के इस विवेकीय अनुदान में से कम से कम 200-300 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष माननीय वित्त मन्त्री अलग से क्यों नहीं निर्धारित करते हैं ताकि 6-7 वर्ष की अवधि में उड़ीसा देश के अन्य विकसित राज्यों के स्तर तक आ सके?

उड़ीसा में सूखे की स्थिति अत्यन्त विकट है। हमारे राज्यों में पेय जल की समस्या एक विशाल समस्या है। मैं प्रातः अनुरोध कर रहा था कि यदि आवश्यक हो तो अधिक रिगों सहित वहां पर लगभग 20,000 अतिरिक्त नलकूप होने चाहिए। रिगों का आर्डर दे दिया गया है। यह बात मझे आज कृषि मन्त्री ने बताई है। अतः मार्च और अप्रैल के बीच अथवा मई के प्रथम सप्ताह तक कम से कम वहां पर 20,000 अतिरिक्त नलकूप होने चाहिए ताकि लोगों को कम से कम पेय जल तो उपलब्ध हो सके।

जहां तक 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम का सम्बन्ध है केवल 2.05 लाख टन चावल और गेहूं उड़ीसा को आवंटित किया गया था। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जनवरी-फरवरी में उड़ीसा को आवंटित की गई मात्रा अभी तक वहां नहीं पहुंची है। आज 17 मार्च है। ढुलाई की गति धीमी है। इसके अतिरिक्त यहां पर एक समिति है जो बैठी हुई है और वे भरसक प्रयास कर रहे हैं लेकिन फिर भी कार्यगति धीमी है। मैं आशा करता हूं कि 5–6 दिन की अवधि के अन्दर खाद्यान्नों की पर्याप्त मात्रा उड़ीसा में पहुंच जानी चाहिए ताकि यह सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पहुंच सके।

निःशुल्क सहायता के बारे में, हमें प्राप्त हुई रिपोर्ट के अनुसार, मुझे बताया गया है कि केवल 2.5 लाख बूढ़े, निःसहाय, असमर्थ सूखाग्रस्त लोगों का पता लगाया गया है। मेरे विचार से यह संख्या 30 लाख होगी। अतः इस प्रयोजन के लिए अधिक प्रावधान किया जाना चाहिए और सूखास्थिति का सामना करने के लिए सहायता के रूप में 14 करोड़ रुपए की राशि बढ़ा कर 25 करोड़ रुपए की जानी चाहिए।

पिछले कई वर्षों से बहुत-सी परियोजनाएं भारत सरकार के विचाराधीन पड़ी हैं। पारादीप में शिप बिल्डिंग यार्ड एक ऐसी महत्वपूर्ण परियोजना है जिसे प्रायः स्वीकृति मिल चुकी है। मैं आशा करता हूं कि इसे शीघ्र आरम्भ किया जायेगा। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस नई सरकार के सत्ता में आने के बाद तत्काल ही हमें कोरापुट में एल्यूमीनियम कम्पलैक्स प्राप्त हुआ। हम सरकार के आभारी हैं कि यह पेशकश वहां के लिये की गई है। हम अनुरोध करते हैं कि इस मामले में शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिये। एक अन्य अच्छी बात है। दो नये इस्पात संयंत्रों की दो नई पेशकश विदेशों से प्राप्त हुई हैं। मेरे विचार से उड़ीसा को प्रथम इस्पात सन्यन्त्र तब मिला जब वहां पर कांग्रेस सरकार थी। मैं आशा करता हूं कि आप श्री पटनायक को, जब वह भाषण दे रहे थे, सुन रहे थे। मैं उस समय सदन में उपस्थित नहीं था। मैं सदन के बाहर था और किसी ने मुझे बताया है कि वह बहुत जोर से बोल रहे थे। तभी किसी ने टिप्पणी की थी कि वह इसलिए ऊंचा बोल रहे थे क्योंकि वह सत्ता में नहीं हैं। जब वह सत्ता में थे तो वह अपने राज्य के लिये बोल नहीं सके थे। इस समय वह सत्ता से बाहर हैं और यही कारण है कि वह इतने जोर से बोल रहे हैं। इसके अतिरिक्त वहां एक कारखाना है जो गत कई वर्षों से बन्द पड़ा हुआ है। इस कारखाने की स्वीकृति मिल गई है और इस के लिये बहत जल्दी कार्य आरम्भ करना चाहिए। मलंगटोल लौह अयस्क परियोजना और निकल परियोजना भी है। ये सभी परियोजनायें वहां पर हैं। यदि इन सभी परियाजनाओं को जोड़ दें तो इनका कुल पूंजी निवेश 1000 करोड़ रुपये से कम नहीं होगा। यदि ये योजनायें शुरू हो जाती हैं तो इससे उड़ीसा में विकास परियोजनाओं को नई गति मिलेगी।

मेरे चुनाव-क्षेत्र भुवनेश्वर में, क्रास बार टेलीफेन उद्योग है और उड़ीसा सरकार ने इस उद्योग के लिए निःशुल्क भमि की पेशकश की है। हनें आशा है कि काम शीघ्र ही प्रारम्भ हो जाएगा।

महाराष्ट्र के बजट पर चर्चा करते समय माननीय वित्त मन्त्री ने छोटे और गरीब किसानों से 30 करोड़ रुपए के ऋण देने के कुछ संकेत दिए थे और कहा था कि रिजर्व बैंक इस ऋण को माफ करने के बारे में विचार कर रहा है। इसी प्रकार उड़ीसा के मामले में भी माननीय वित्त मन्त्री यह सुनिश्चित करें कि ऋण रिजर्व बैंक के माध्यम से दिया जाए ताकि गरीब किसान, मध्यम दर्जे के किसान और पिछड़े तथा सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों के अन्य गरीब लोग भी इससे लाभान्वित हों। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। आपने मुझे जो यह अवसर प्रदान किया उस के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री के० पी० सिंह देव (ढेंकानाल) : मैं वित्त मन्त्री द्वारा पेश किए गए वर्ष 1980-81 के लेखानुदान का यह पूर्ण तरह जानते हुए भी समर्थन करता हूं। कि यह न उनका अपना बजट है और न ही यह इस सरकार की नीति को दर्शाता है। मैं इस वाद-विवाद में बड़े दुःख और व्यथा की अनुभूति के साथ भाग ले रहा हूं। पुरातन समय में कलिंग नाम से प्रसिद्ध उड़ीसा की इस महान् भूमि, जिसने उस चंडाल अशोक को धर्म अशोक में बदल दिया, जिसके अशोक चक्र और शेर को हमने अपने राष्ट्रीय चिह्न और अपने तिरंगे झंडे में स्थान दिया, और जिस अशोक के सिद्धान्तों और शिला-लेखों की हम दुहाई देते रहते हैं, और इसी उड़ीसा की जो भूमि प्राकृतिक स्रोतों से भरी पड़ी है, जिसने 'धन धान्य पुष्पे भरा' जैसे गीतों जिन्हें हर भारतीय जानता है, के रचयिता डी० एल० रे जैसे कवियों को प्रेरणा दी, की स्थिति इतनी शोचनीय है। हमारे देश में यह सबसे गरीब राज्य है। अभी उस दिन एक अतारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रधान मन्त्री ने बताया था कि उड़ीसा की 71 प्रतिशत जनता गरीबी की रेखा से नीच जीवन निर्वाह कर रही है। गरीबी की रेखा की परिभाषा के अन्तर्गत वे लोग आते हैं जिनकी आय प्रति माह केवल 65 रुपए है।

इसके कारण जानना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इस देश में यह सबसे बड़ा विरोधाभास है। पांचवी योजना में 2 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि हुई, जबकि जनसंख्या में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप जनजातियां, जो कुल जनसंख्या का 25 प्रतिशत है और हरिजन, जो कुल जनसंख्या का 14 प्रतिशत है तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग, चाहे वे प्रगतिशील हैं अथवा पिछड़े, सबसे अधिक प्रभावित हैं। संविधान के अनुच्छेद 275, जो उड़ीसा के मामले में लागू किया जाना चाहिए था, पर विचार नहीं किया गया और मैं उड़ीसा की कठिनाइयों को दूर करने के लिए माननीय वित्त मन्त्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं। उड़ीसा की आर्थिक स्थिति की बुरी दशा का मुख्य और मूल कारण अपर्याप्त मात्रा में पूंजी निवेश है। उड़ीसा वर्ष 1969 से सूखा, बाढ़, तूफान से पीड़ित रहा है। कृषि उत्पादन, विशेष रूप से धान का उत्पादन 1964 की तुलना में गिर गया है। 1964 में 69 लाख टन का उत्पादन हुआ था, जो 1979 में घटकर 67 लाख टन का रह गया। इन सबके बावजूद अतिरिक्त संसाधन जुटाने में उड़ीसा के योगदान से जिसकी राशि 1967 में 57 करोड़ रुपए थी, 1979 में यह राशि बढ़कर 169 करोड़ रुपए हो गई थी। इस प्रकार के प्रयासों की सराहना करने की बजाय यह हुआ कि जो केन्द्रीय सहायता दी जाती है उसमें क्रमशः और निरन्तर कटौती की जाती रही। यह तीसरी योजना में 67 प्रतिशत थी जो कुल योजना परिव्यय का 5 प्रतिशत बढ़ती थी, चौथी योजना में यह घटकरर 62 प्रतिशत रह गई और कुल योजना परिव्यय का यह 3.5 प्रतिशत थी;

पांचवी योजना में यह और घटकर 3.2 प्रतिशत रह गई। मेरे मित्र श्री पटनायक, जब बोल रहे थे, तो मैंने सोचा, जैसे वे लुईस-14 अथवा नेपोलियन बोनापार्ट का आभास दे रहे हों। उनकी सरकार ने उड़ीसा को साधन जुटाने के प्रयास के निमित्त कुल परिव्यय की केवल 3 प्रतिशत राशि, जो छठी योजना के 37,000 करोड़ रुपए के कुल योजना परिव्यय में 1125 करोड़ रुपए बैठती है, प्रदान करके पुरस्कृत किया है। सूखे की गम्भीर स्थिति के कारण जो नियमित रूप से यहां उत्पन्न होती रहती है इस छोटी सी निधि में से रुपया खर्च करते रहना पड़ा है और छोटे-मोटे जो साधन हैं, उनको विकास-कार्य से मोड़कर अनुदान और सहायता कार्यों के लिए लगाना पड़ा है। इस वर्ष उड़ीसा में 55 प्रतिशत से भी कम वर्षा हुई; मेरे जिले में 15–30" के बीच वर्षा हुई और पानी का स्तर नीचे गिर गया। वहां पीने के पानी की भारी कमी है। इन सब समस्याओं से युद्ध-स्तर पर निपटना होगा। किसानों के लिए ऋण तथा उड़ीसा सरकार द्वारा मांगी गई अन्य वस्तुएं शीघ्र ही वहां भिजवा दी जानी चाहिए, ताकि बाद में वहां भुखमरी की घटनायें न घटें तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति न विगड़े। लोगों ने अपने घरों को छोड़कर जाना शुरू कर दिया है। खुले बाजार में बच्चों को बेचने की कुछ वारदातें भी हुई हैं।

जहां तक स्वेच्छा-निधि का सम्बन्ध है, भारत सरकार के पास 1900 करोड़ रुपए की धनराशि इस मद में विद्यमान है, लेकिन उड़ीसा को इसमें से 1965-66 में तैयार किए एक उस निरर्थक फार्मूले के कारण कुछ नहीं दिया गया, जिसको बनाते समय उड़ीसा को पहाड़ी क्षेत्रों और जनजातीय विकास क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं किया गया था।

मैं वित्त मन्त्री से अनुरोध करते हुए यह तर्क देना चाहूंगा कि उड़ीसा को किसी गाडगिल फार्मूले अथवा सिद्धान्त की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसे वास्तविक और व्यावहारिक दृष्टिकोण की जरूरत है। मानवीय पहलू को नजरन्दाज नहीं किया जाना चाहिए।

उड़ीसा के लोगों ने पिछले चुनाव में श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रति भारी सद्भावना और सहानुभूति का प्रदर्शन किया था और उन्हें बदले में केन्द्रीय सहायता और निधि आवंटन के रूप में श्रीमती गांधी और उसकी सरकार की ओर से समान सद्भाव और सहानुभूति मिलने की आशा करने का पूरा अधिकार है, ताकि क्षेत्रीय असमानता दूर हो और औद्योगीकरण तथा विकास की गति में तेजी आए।

दो अति आवश्यक मुद्दे हैं। यदि मैं उनका यहां जिक्र नहीं करता हूं तो मैं अपने को अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल समझूंगा।

वस्तुओं की आपूर्ति की स्थिति खराब है। उड़ीसा के दुर्भाग्य के साथ-साथ भारतीय खाद्य निगम द्वारा कुप्रवन्ध, घपलेवाजी और अड़चनें पैदा की जा रही हैं। कल रात 10 बजे तक मेरे चुनाव-क्षेत्र ढेंकानाल और श्री अनादि चरण दास के चुनाव-क्षेत्र जाजपुर रोड में गेहूं का एक दाना भी नहीं था, ऐसा मुझे पता चला है।

उड़ीसा की मांग लगभग 80,000 टन खाद्यान्न की है। हमें 55,000 टन खाद्यान्न भी नहीं मिल रहा है। हमसे 3,300 टन खाद्यान्न प्रतिदिन देने का वायदा किया गया था। हमें केवल 1,500 टन खाद्यान्न ही प्रतिदिन मिल रहा है। भुवनेश्वर तथा अन्य

गन्तव्य स्थानों तथा वैगनों आदि के पहुंचने में 20-25 दिन का समय लगता है। वैगन हरियाणा और महाराष्ट्र से आते हैं। आपको इससे पता लगेगा कि भारतीय खाद्य निगम क्या शरारत कर रहा है।

	योजना (उड़ीसा सरकार द्वारा की गई मांग)	भारतीय खाद्य निगम द्वारा मनमाने ढंग से की गई कटौती	भारतीय खाद्य निगम द्वारा आबंटित खाद्यान्न
दिसम्बर	80,510	78,0010 कटौती करके हो गई	62,000
जनवरी	68,000	58,000	43,000
फरवरी	67,225	53,000	40,480
मार्च	80,000	55,000	46,000 10 मार्च तक

मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह इन अड़चनों को समाप्त करे और यह सुनिश्चित करे कि भारतीय खाद्य-निगम ब्लाक मुख्यालयों को अन्न की सप्लाई करे तथा इस प्रणाली की उचित निगरानी करके इसे कारगर बनाया जाये।

मेरा अन्तिम मुद्दा यह है कि उड़ीसा में गुन्डों का राज चल रहा है, जहां पिछले शासन के मन्त्री फुलबनी जिले में सशस्त्र गिरोहों के साथ घूमते हैं। एक आपेराशों में उन्होंने एक लड़के को गोली मार दी और हथगोला फैंके जाने से वहां 7 हरिजन घायल हो गये। वे पूरे दिन घातक हथियारों को साथ लिए घूमते रहे, लेकिन पुलिस ने उनको पकड़ने की कोई कार्यवाही नहीं की।

मेरे जिले ढेंकानाल की अंगुल सब-डिविजन में समुदाय विकास और सिंचाई महकमे के एक अन्य भूतपूर्व मंत्री ने गुंडा-राज चला रखा है। उसने दारजंग नहर, जो केन्द्रीय सरकार की परियोजना है, का रुख मोड़कर अपने खेतों की ओर कर लिया है, जिसके परिणामस्वरूप 7 ग्रामपंचायतों का क्षेत्र बिल्कुल सूखा रह गया है। इनमें कुलद, तुलसीपल, सन्तरी, नुहाटा, बुध, पन्का और संजपदा शामिल हैं। इन गांवों में अच्छे पानी की एक बूंद भी नहीं है। उसने लोगों की हत्याएं करवा दी हैं। तेन्सी ग्राम पंचायत के जगेश्वर प्रधान की जून, 1979 में हत्या कर दी गई। उड़ीसा विधान सभा में इस पर बड़ा हंगामा हुआ। आज तक दोषी व्यक्तियों को पकड़ा नहीं जा सका है। बिना किसी तुक और कारण के लोगों को बरखास्त कर दिया गया है। हमने उड़ीसा के राज्यपाल को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। जिसमें दस्तावेजों को जब्त करने और अंगुल स्थित उस केन्द्रीय सह-सहकारी बैंक को बंद करने के बारे में कहा गया है जिसके अध्यक्ष भूतपूर्व मंत्री विधान सभा के भंग होने से पूर्व एवं ,अध्यादेश की सहायता से तीसरी बार बने, जो कि नियम के विरुद्ध है। महोदय, इन कार्यों को कर लिया गया है यह देखने के लिए मुझे आपके संरक्षण की आवश्यकता है।

सभापति महोदय : क्या मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध कर सकता हूं कि वे कम से कम बढ़ाये गये समय के अन्दर कार्यवाही को पूर्ण करने के लिए अध्यक्ष, वित्त मंत्री और

सदन को अपना सहयोग दें? मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे सुसंगत बातों को कहकर अपने भाषणों को समाप्त करें। श्री सुधीर गिरी।

श्री सुधीर गिरि (बम्बाई) : महोदय, इससे पहले कि मैं अपनी बहस प्रारंभ करूं, मैं यह कहना चाहूंगा कि उड़ीसा विधान सभा का भंग किया जाना इस बात का सूचक है कि लोकतन्त्र को खतरा उत्पन्न होने वाला है। तथापि, दोनों ओर के माननीय सदस्यों अर्थात् वर्तमान शासक दल के सदस्यों और इससे पूर्व शासन करने वाले दलों के सदस्यों ने एक दूसरे पर छींटाकसी की है और अपने अपने उत्तरदायित्वों, कमियों तथा असफलताओं को एक दूसरे पर थोपने की कोशिश की है। मैं इस विषय में नहीं जा रहा हूं, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि उड़ीसा की वर्तमान ज्वलंत समस्याएं, गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता, और कानून तथा व्यवस्था की स्थिती हैं। जहां तक गरीबी का सम्बन्ध है मैं कहना चाहूंगा कि गरीबी तब तक दूर नहीं की जा सकती है जब तक कि पूर्ण भूमि सुधार कार्य आरंभ नहीं किया जाता है। जमींदार लोग, बड़े भूमिपति तथा साधारण भूमिपति गांवों पर अपना प्रभाव जमाये हुए हैं, गरीबी के मामलें में उड़ीसा सबसे आगे है। उड़ीसा की कुल आबादी का 71.91 प्रतिशत जनता गरीबी की सीमा रेखा से भी नीचे रह रही है, उनको जमीदारों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए मेरा यह सुझाव है कि पूर्ण भूमि सुधार कार्य आरम्भ किया जाना चाहिए। भूमि की सीमा कम की जानी चाहिए और अतिरिक्त भूमि गरीब लोगों में बांट दी जानी चाहिए। उन्हें बैंक से ऋण दिया जाना आवश्यक है ताकि वे अधिक उत्पादन के लिए अपनी भूमि को स्वयं जोत सकें।

निरक्षरता की समस्या भी एक ज्वंलत समस्या है। यद्यपि हमने आजादी 33 वर्ष पहले हासिल कर ली थी फिर भी जब हम देखते हैं कि भारत की कुल आबादी की केवल 33 प्रतिशत आबादी और उड़ीसा की कुल आबादी की केवल 26.1 प्रतिशत आबादी ही साक्षर है तो हमारे सिर शर्म से नीचे झुक जाते हैं। इसका क्या कारण है? तब से सरकार हमारे संविधान के चतुर्थ अध्याय में वाणित 45 वें अनुच्छेद के सम्बन्ध में क्या करती रही है? क्या हम यह प्रश्न वर्तमान शासकों से, जो 33 वर्ष तक सत्ता में रहे हैं और जनता तथा लोकदल सरकारों से जो लगभग 2 1/2 वर्ष तक शासन करते रहें हैं, नहीं पूछ सकते है। मैं उन पर कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं, मैं तो केवल उनसे निवेदन कर रहा हूं ताकि मानवीय दृष्टि से वे 14 वर्ष की आयु तक अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करें। पश्चिम बंगाल में पढ़ने वाले लड़कों को देखिए। पश्चिम बंगाल सरकार ने बारहवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा कर ली है। और उड़ीसा में, कोई निःशुल्क शिक्षा नहीं दी जाती है। इसका क्या कारण है। उड़ीसा के माननीय सदस्यों ने इस बात का उल्लेख नहीं किया है। वे केवल योजना की और इधर-उधर की बात कर रहे हैं। उनका ध्यान गरीबी, निरक्षरता है और बेरोजगारी की मूलभूत बात की ओर गया ही नहीं है। बेरोजगारी की बड़ी गम्भीर समस्या है जिसका कि वर्तमान समय में समाधान करना आवश्यक है। यह एक सामाजिक समस्या है। मानवीय तथा सामाजिक दृष्टियों से प्रत्येक बेरोजगार को उपयुक्त रोजगार अवश्य दिया जाना चाहिए। जब तक उन्हें रोजगार नहीं दिया जा सकता है उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। उनके उस बेरोजगारी भत्ते का क्या हुआ है जिसकी घोषणा की जा चुकी है अथवा जिसे राज्य की

भंग की गई विधान सभा में लाया गया था? इसलिए मेरा माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध है कि वे इन सब बातों को ध्यान में रखें।

कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में, मैं अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि समय कम है, मैं केवल एक घटना का उल्लेख कर रहा हूं और वह है नारायणी मन्दिर की घटना। 35 स्कूली छात्राएं तथा उनकी तीन अध्यापिकाएं वहां पिकनिक के लिए गई थीं। कुछ कांग्रेस (आई०) के विद्यार्थियों और युवक कांग्रेस के नेताओं ने उनका पीछा किया।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं, यह झूठ है (व्यवधान)

श्री सुधीर गिरि : उन्होंने इन स्कूली छात्राओं और अध्यापिकाओं के साथ शरारत और छेड़खानी की। ये माननीय सदस्य क्या कह रहे हैं? माननीय महिला सदस्य भी मौजूद हैं, वे केवल इन बातों को दबा रही हैं। राजनीति के खातिर उन्हें महिलाओं के प्रति किये गये इस अपमान को बिल्कुल भी सहन नहीं करना चाहिए था। हमारा भी राजनैतिक जीवन है परन्तु जब छात्राओं के साथ छेड़खानी की जाती है तो हम तो विरोध प्रकट करते हैं जबकि वे कुछ भी नहीं बोलते। कानून और व्यवस्था की यह स्थिति है और इस पर भी कुछ माननीय सदस्य इस बात की प्रशंसा कर रहे हैं कि कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी है। इस घटना को समाचार पत्रों में छापा गया था और इसलिए पत्रकारों को भी परेशान किया जा रहा है। वर्तमान सरकार के एक केन्द्रीय मंत्री ने जो उड़ीसा के हैं इस मामले में हस्तक्षेप किया है। उन्होंने वहां के उप महानिरीक्षक को ट्रंककाल किया परन्तु इस सम्बन्ध में पुलिस ने जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया था उसे छुड़ा लिया गया है। स्थिति ऐसी है। इसलिए मेरा माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध है कि वे खोखला ढ़िढ़ोरा न पीटें। मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि यदि आपकी अत्यधिक गरीबी की समस्या को हल करने की सच्ची इच्छा है। यदि आप बेरोजगारी की समस्या को सचमुच में हल करना चाहते हैं, तो आपको इन बातों की मूल जड़ में जाना होगा अन्यथा सभी चीजें बेकार ही सिद्ध होंगी।

*श्री नारायण साहू (देवगढ़) : सभापति महोदय, उड़ीसा के अंतरिम बजट का समर्थन करते हुए, मैं पूर्ववर्ती सरकार द्वारा पैदा किये गये क्षेत्रीय असंतुलनों के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। भरपूर संसाधनों के बावजद भी उड़ीसा एक पिछड़ा हुआ राज्य है। यह सब अकुशल नेतृत्व के कारण है। गत तीन वर्षों के दौरान पूर्ववर्ती सरकारों के कुशासन के फलस्वरूप उड़ीसा की आर्थिक स्थिति अधिक खराब हुई है। समूचे राज्य में अराजकता व्याप्त थी। उड़ीसा के बजट पर बोलने वाले पहले व्यक्ति श्री विजयानन्द पटनायक ने वहां प्रशासन का नेतृत्व किया था। वह उड़ीसा को अपनी निजी जमींदारी समझते रहे और वह केन्द्र में बैठे हुए ही आदेश जारी करते रहे। उनके आदेशों का राज्य सरकार क्रियान्वित करती रही। इसके फलस्वरूप, अधिकारी भ्रष्ट हो गये और उन्होंने लोगों के उत्थान संबंधी योजनाओं को कार्यान्वयन नहीं किया। अब वहां श्री पटनायक का नेतृत्व नहीं है, हमारे दल ने उन्ह निकाल दिया है। परन्तु अब भी वह अपनी बुरी आदतों से चिपके हुए हैं।

*उड़िया में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

विभिन्न योजनाओं के नाम पूर्ववर्ती सरकार असन्तुलन पैदा करती रही थी । मैं रेंगाली बांध परियोजना के बारे में बोलते हुए कुछ विशिष्ट उदाहरण देना चाहूंगा। श्रीमन्, पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में अमाल बराज का दूसरा चरण शुरू हुआ था। राष्ट्रपति ने उसकी आधार शिला रखी थी। राज्य के एक मख्य मंत्री ने सिंचाई विभाग पर दवाव डाला और मूल योजना में फेरबदल करा दी। अमाल के बायें ओर चेनलों की दिशा बदल दी गई। यह सब कुछ मुख्य मंत्री के गांव के निकट गांववालों को सिंचाई सुविधायें देने के लिये किया गया था हालांकि दूसरी ओर की भूमि बारानी ही रह गई। मख्य मंत्री उन नहरों को (चेनलों को) परगंग के रास्ते ले जाना चाहते थे। इसके फलस्वरूप लगभग 100 मील क्षेत्र की उपजाऊ भूमि जलमग्न हो गई। मेरे चुनाव क्षेत्र में 300 गांव में बाढ़ आ गई। उन गांवों के लोग बेघर और भूमिहीन हो गये। इसे बड़ी सुगमता से टाला जा सकता था।

श्रीमन्, उस क्षेत्र के लोग निर्धन तथा अनपढ़ हैं। उनमें से अधिकांश अनसूचित जाति तथा जनजातियों के हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने उनकी समस्याओं के हल के लिये अधिक ध्यान नहीं दिया। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह मेरे क्षेत्र के लोगों के बहुमुखी विकास के लिये विषेष उपाय करें। यह खेद की बात है कि पूर्ववर्ती सरकार ने उनकी शिकायतों पर विचार नहीं किया। पानी में डूब गये क्षेत्रों के लोगों के पुनर्वास के लिये कोई कदम नहीं उठाए गये। सरकार ने उन्हें निकालने के लिये ताकत का उपयोग किया। लोगों को उनके वैधानिक अधिकारों से वंचित किया गया।

अब म सूखाग्रस्त लोगों के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा। मेरे चुनाव क्षेत्र में भारी सूखा पड़ा है। पूर्ववर्ती सरकार ने इस स्थिति की उपेक्षा की। मेरे क्षेत्र के लोगों को कोई राहत नहीं दी गई और वे भारी कठनाइयों का सामना कर रहे हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि हमारे लोगों की सहायता के लिये विषेष निधियों का नियतन किया जाये।

श्रीमन्, विपक्षी सदस्य विधान सभाओं के भंग किये जाने की आलोचना कर रहे हैं, न जाने किस आधार पर। मझे याद है कि जनता सरकार ने भी तो विधान सभाओं को भंग किया था जबकि वर्ष 1977 में वे लोग सत्तारूढ़ थे।

उड़ीसा में विभिन्न खण्डों के चुने गये चेयरमैनों के अधिकार छीन लिये गये थे। उनका कार्य करने के लिये सब डिविजनल अधिकारियों को कहा गया। लोक दल के विधायक एस डी० ओ० को निर्देश भेजते थे। इस प्रकार सब-डवीजन स्तर पर प्रशासन समाप्त हो गया था। भूतपूर्व चेयरमैनों के साथ लोकदल के विधायकों उनके कार्यकर्ताओं और कई जगह तो स्वयं एस० डी० ओ० ने भी दुर्व्यवहार किया तथा उनका अपमान किया।

श्रीमन, इस वर्ष सूखे की स्थिति बहुत ही गम्भीर है। यदि वर्तमान प्रशासन जारी रहता है तो हम स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पायेंगे। हम बजट पास करने जा रहे हैं ऐसा करके हम राजकोष की चाभियां उन अधिकारयों को सौंप रहे हैं। परन्तु हमें उन सामन्तवादी तत्वों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए जिन्होंने जानबूझकर हमारी अर्थव्यवस्था को नष्ट किया। वे विभिन्न योजनाओ को उचित ढंग से कार्यान्वित नहीं कर सकते हैं। सूखाग्रस्त लोगों की सहायता करने की तो बात क्या वे तो पानी की बूंद भी सप्लाई करने योग्य

नहीं हैं। लोगों को सूखे से बचाने के लिये तुरंत कदम उठाने चाहिए। साथ ही मैं सरकार से यह भी अनुरोध करूंगा कि वह मेरे चुनाव क्षेत्र के सभी गांवों में कुयें खुदवाये।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि—

कई माननीय सदस्य : उड़ीसा का इनसे क्या संबंध है। उड़ीसा वालों को बोलने दिया जाये ....(व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री : आप समझते नहीं हैं। उड़ीसा और बिहार किसी जमाने में एक थे ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : शास्त्रीजी आप अपना भाषण जारी रखिए।

श्री रामवतार शास्त्री : सभापति जी, मैं कुछ बातें आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

श्री ब्रज मोहन महन्ती (परी) : श्रीमन्, मुझे एक निवेदन करना है। इस चर्चा का समय बढ़ा दिया जाये। अनेक सदस्य इस चर्चा में बोलना चाहते हैं। जहां तक महाराष्ट्र का संबंध है हम अध्यक्षपीठ द्वारा आवंटित समय से 45 मिनट अधिक समय दे चुके हैं।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों को बता दूं कि इस बजट को पास करने के लिये एक घंटे का समय रखा गया था और अब तक हम एक घंटा और 25 मिनट लगा चुके हैं।

श्री ब्रज मोहन महन्ती : इसके लिये आधा घंटा और दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : मेरे पास वक्ताओं की एक लम्बी सूची है। में सभी वक्ताओं को समय देने का प्रयास कर रहा हूं परन्तु सदस्यों को पहली बातों को न दोहरा कर तथा लम्बे चौड़े तर्क न देकर अध्यक्षपीठ की सहायता करनी चाहिए। आप अपनी बात कहें और बस।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति जी में तीन चार प्वाइंट रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो माननीय सदस्यों को मैं यह बता दूं कि एक जमाने में बिहार और उड़ीसा एक ही राज्य था और स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में उड़ीसा और बिहार के लोग साथ-साथ लड़े और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए, हम लोग साथ-साथ जेल गए और वर्षों तक पटना कम्प जेल में रहे। अगर इस बात की किसी को जानकारी नहीं है तो वे जानकारी कर लें। लकिन मेहरबानी करके दखलन्दाजी न करें।

सभापति महोदय : मं कहना चाहता हूं कि सरकार ने आठ राज्यों के साथ-साथ उड़ीसा में जो राष्ट्रपति शासन लागू किया, वहां की विधान सभाओं को भंग किया, इससे बड़ा जनतंत्र विरोधी कार्य और कोई नहीं हो सकता है। मैं इसे तानाशाही का परिचायक मानता हूं।

सभापति महोदय : शास्त्री जी, क्या हर बजट के समय यह मुद्दा कहना जरूरी है।?

श्री रामावतार शास्त्री : ये समझते नहीं हैं, इनको समझाना बहुत जरूरी है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बहुत से लोगों ने इस बात की चर्चा की और सही चर्चा की कि उड़ीसा की जनता बहुत ही निर्धन है। इतनी निर्धनता बहुत कम जगह होगी। उस निर्धनता को ध्यान में रखते हुए सरकार को ऐसी कार्यवाही करनी चाहिए जिससे वहां के लोगों की प्रगति हो सके, तरक्की हो सके। (**व्यवधान**) मैं बिहार के बजट पर नहीं बोल रहा हूं, उड़ीसा के बजट पर बोल रहा हूं। इसलिये इस बात को ध्यान में रखते हुए वहां भमि सुधार के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक न वहां लोगों की बेकारी मिटेगी और न उनकी स्थिति में कोई सुधार होगा।

सभापति जी, इस सिलसिले में मैं एक बात की और जानकारी देना चाहता हूं। मुझे वहां के बारे में जानकारी मिली है कि वहां जो भूमिसुधार कानन है, वह पहले के कानून को बदल कर बनाया गया है। अब के कानून में एक व्यक्ति को, एक एडल्ट को, एक बालिग को एक परिवार माना गया है।

एक माननीय सदस्य : यह लोक दल की सरकार ने बदला है।

श्री रामवतार शास्त्री : जो भी दल की सरकार हो। में लोक दल, जनता पार्टी और आपके बीच में इस सवाल पर कोई भेद नहीं कर रहा हूं। आप तीनों एक है। (व्यवधान) अगर एसा ही होता रहा तो मैं आपको भी बोलने नहीं दंगा और मैं तब तक नहीं बैठूंगा जब तक कि बोल नहीं लूंगा।

इस तरह की व्यवस्था किसी भी सरकार ने नहीं की है कि एक व्यक्ति को एक परिवार माना हो। यह गलत है। हमारे बिहार में या दूसरे राज्यों में पांच व्यक्तियों के परिवार को एक परिवार माना गया है। पति पत्नी और तीन बच्चों को आधार मानकर भूमि की हदबन्दी की गई है। अगर उड़ीसा में इस तरह को बात हुई है तो आपकी सरकार की प्रतिक्रिया क्या है, आपकी नीति क्या है, क्या आप भी एक व्यक्ति को परिवार मान कर भूमि की हदबन्दी करना चाहते हैं, यह आप हमें बताएं। अगर किसी सरकार ने इस तरह का गलत काम किया है, किसान विरोधी काम किया है तो उसको बदलने के लिये क्या आप तैयार हैं?

छात्राओं, शिक्षिकाओं के बारे में जिस नारायण टैम्पल वाली घटना का यहां जिक्र किया गया है उसकी क्या आपने इनक्वायरी करवाई है और यदि हां तो कौन-सी आपने कार्रवाई की है, कम से कम यह तो आपको सदन को बताना चाहिए। वहां पर आपका राज्य है। इस विवाद में मैं नहीं पड़ता कि किस ने क्या किया और क्या नहीं किया। जिसने भी किया है गलत किया है··· (**व्यवधान**)

आपके कहने से मैं बैठने वाला नहीं हूं। मैं खड़ा रहूंगा आप हल्ला कीजिये।

सभापित महोदय : अगर आप चेयर को सम्बोधित करेंगे तो चेयर आपको संरक्षण प्रदान करेगी और वे भी आपका विरोध नहीं करेंगे।

श्री रामावतार शास्त्री : ये लोग समझते हैं कि मैं काऊ डाउन हो जाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा होने वाला नहीं हूं। मेरी आवाज दबने वाली नहीं है। मैं यहां के लिये नया नहीं हूं। जब तक मैं अपनी बात कह नहीं लूंगा मैं बैठूंगा नहीं।

सभापति महोदय : इस बजट पर आपको संदर्भ ले कर ही बोलना पड़ेगा। साथ ही जो कुछ भी बोले चेयर को सम्बोधित करके बोले। साथ ही बहुत थोड़े समय में अपनी बात कहनी होगी। पुराने मेम्बर होने के नाते आप उनको चैलेंज न करें। हमारी आप मदद करें।

श्री रामावतार शास्त्री : वही कर रहा हूं इधर उधर ताकने पर कुछ खूबसूरत चेहरे देखने को मिल जायें तो मैं क्या करूं?

मैं यह कह रहा था कि उस घटना की इनक्वायरी हुई तो सरकार को बताना चाहिए कि क्या निष्कर्ष निकला है और अगर नहीं हुई है तो सरकार को उसकी इनक्वायरी करवानी चाहिए।

खेत मजदूर का सवाल भी मैं उठाना चाहता हूं। मुझे मालूम हुआ है कि वहां की सरकार ने उनकी चार रुपये मजदूरी तय की है, एग्रिकल्चरल लेबर की मजदूरी चार रुपये तय की है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनको इतनी मजदूरी मिल रही है? अगर नहीं मिल रही तो सरकार क्या कर रही है? आप बजट पेश करके ही सन्तोष कर लें तो यह उन गरीबों के प्रति न्याय नहीं होगा। । उनको खाने को पैसा नहीं मिल रहा हैं, वे आज भूखमरी के शिकार हैं, अकाल के चंगुल में हैं। उनको उनकी मजदूरी आप दिलवाएंगे या नहीं?

वहां दमनचक्र सरकार की ओर से जन आंदोलन को दबाने के लिये, किसान आंदोलन को दबाने के लिये, मजदूर आन्दोलन को दबाने के लिये, छात्र आन्दोलन को दबाने के लिये, आदिवासियों के आन्दोलन को दबाने के लिये हो रहा है। मैं इसकी एक मिसाल देना चाहता हूं दूसरे सदन के एक सदस्य श्री लक्ष्मण महापात्र जो सी० पी० आई० के राज्य सभा के मेम्बर हैं उनके खिलाफ डकैती का मामला चलाया गया है। यह शर्म की बात है कि इस तरह का काम सरकार करती है····(व्यवधान)

वित्त और उद्योग मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : व्यवस्था के प्रश्न पर यह सर्वविदित है कि कोई सदस्य दूसरी सभा के सदस्य का जिक्र नहीं कर सकता। विशेषत: वह राज्य सभा के एक सदस्य के विरुद्ध गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मुझे आशा है कि वह ऐसा नहीं करेंगे।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : इन शब्दों को कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया जाए।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं तो दूसरी सभा के उस एक सदस्य का जिक्र कर रहा था जिसे हत्या के एक मामले में फांस लिया गया है·····(व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा : सभापित कृपया रिकार्ड देख लें और यदि उसमें कोई बात आपत्तिजनक मिलती है तो उन शब्दों को कार्यवाही वृतांत से निकाल दें।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं किसी के विरुद्ध कोई आरोप तो नहीं लगा रहा हूं। मैं तो बस दूसरी सभा में अपनी पार्टी के एक सदस्य का जिक्र कर रहा था।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य ने किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया है जो यहां बैठा नहीं है अथवा जिसे बोलने का अवसर प्राप्त नहीं है। परन्तु वह कहते हैं कि दूसरी सभा के एक सदस्य के मामले में फांस लिया गया है। यह उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई आरोप तो नहीं है।

श्री रामावतार शास्त्री : सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां पर ट्रांस-लेशन की व्यवस्था है, लेकिन मैं अपनी बात फिर दोहरा देता हूं।

राज्य-सभा के एक मेम्बर को गलत तरीके से डकैती के केस में फंसाया गया है। मैंने एक एग्जेम्पल दिया है कि किस तरीके से वहां जन-आन्दोलन को दबाया जा रहा है। यह बात नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको बहुत प्रचंड आन्दोलन का मुकाबला करना पड़ेगा। मैंने किसी भी मेम्बर पर, न आपके दल के और न अपने दल के, कोई चार्ज लैवल किया है। मैंने तो सरकार पर चार्ज लैवल किया है कि सरकार ने ऐसा किया है, जो गलत है, यह नहीं होना चाहिए। यही मेरा निवेदन है।

***श्री रास बिहारी बेहरा** (कालाहांडी) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं जिन्होंने उड़ीसा के लिये उत्तम अतरिम बजट प्रस्तुत किया है। किन्तु यह जानकर दुःख होता है कि उड़ीसा की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। इसका कारण कई वर्षों से आ रही अभूतपूर्व प्राकृतिक विपत्तियां हैं। वर्ष 1965–66 में भयानक सूखा पड़ा थी। इससे हमारे देश की जनता की कमर टूट गई। इस वर्ष भी हम इसी प्रकार की आर्थिक स्थिति का मुकाबला कर रहे हैं। यदि हम आज से आगे विशेष कदम नहीं उठाते तो हम इस पर नियंत्रण नहीं कर सकते। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि हमारी जनता को बचाने के लिये व्यापक राहत कार्यक्रम आरम्भ किये जाने चाहिए। गम्भीरतापूर्वक विभिन्न योजनायें क्रियान्वित की जानी चाहिए अन्यथा हमारे लोगों की स्थिति अत्यंत अनिश्चिततापूर्ण हो जायेगी।

महोदय हमारे वित्त मंत्री बहुत योग्य व्यक्ति हैं। वह योजना आयोग के सदस्य थे। वह उड़ीसा की विभिन्न समस्याओं से अवगत हैं। अतः मैं उनका ध्यान उन विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की क्रियान्विति की ओर दिलाना चाहता हूं जिनसे हमारे लोगों की वर्तमान आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होगा। मुझे आशा है वह मेरे राज्य के लिये विशष नियतन करने की कृपा करेंगे।

इन्द्रावती परियोजना का उल्लेख करते हुए मैं अपनी सरकार से निवेदन करूंगा कि इस योजना को समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूरा करने के लिये सभी आवश्यक सहायता दी जाये। इस पर 1988 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है तथा इसे 9 वर्ष में पूरा किया जा सकता है। इस परियोजना से हमें प्रतिवर्ष 600 मै० वा० बिजली मिलेगी।

*उड़िया में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

इसलिये यह एक अत्यत महत्वपूर्ण परियोजना है तथा उड़ीसा के बहुत से जिलों की जनता का भाग्य इन पर निर्भर करता है। इससे बिजली प्राप्त होगी तथा सैकड़ों और हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। इसमें खर्च होने वाली राशि भी उचित ही है । अतः मैं वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस परियोजना के लिये धनराशि उपलब्ध कराने हेतु विशेष ध्यान दें। मुझे आशा है कि हमारी सरकार के गम्भीर प्रयत्नों के द्वारा इस परियोजना का निर्माण कार्य समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूरा हो जायेगा। जिस समय लोक दल हमारे राज्य में शासन कर रहा था उसने हमारे वनों को नष्ट कर दिया। कालाहांडी तथा अन्य आस-पास के जिलों में वन संपदा भरी पड़ी है। लोकदल की सरकार, गिरने से पूर्व उन्होंने विधान सभा में एक कानून पास किया जिसके द्वारा उन्होंने हमारी स्थानीय जनता को उनकी दैनिक आवश्यकता के लिये वनों से लकड़ी लेने से वंचित करा दिया। उन्होंने एक उपबन्ध किया जिसके अन्तर्गत एक गाड़ी लकड़ी के लिये 60 रुपये से 90 रुपये तक जुर्माने की व्यवस्था की गई। दूसरी ओर उन्होंने अन्य राज्यों के ठेकेदारों को जितने मर्जी ट्रक लकड़ी लेने की अनुमति दे दी। इस प्रकार के शासन के दौरान मेरे विचार से हमारे लोगों का कोई उत्थान नहीं हो सकता। निःसंदेह यह कानून राजनीतिक उद्देश्यपूर्ण कानून है। मैं सरकार से यह निवेदन करता हूं कि वह राजनीतिक अनिश्चितता को समाप्त करे तथा हमारी जनता को वास्तविक न्याय दें। महोदय यदि मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र तथा उसके आस-पास के क्षेत्रों में सूखे की स्थिति के बारे में कुछ नहीं बोलता तो मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा। कालाहांडी, बोलंगीर तथा पदमपुर में नियमित सूखे के कारण प्रतिवर्ष विकास कार्य आरम्भ किये जाते हैं। वर्ष 1965–66 में तथा वर्ष 1975–76 में उन क्षेत्रों में अभूत-पूर्व सूखा पड़ा था जिसका हमारी जनता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। वर्षा के अभाव के कारण सूखा पड़ा जिससे व्यापक क्षेत्र में फसल मारी गई। इस बात को देखते हुए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम की ओर विषेष ध्यान दिया जाये। जिन किसानों के पास केवल 5 एकड़ से 6 एकड़ तक भूमि है विशेषकर उन सीमांत किसानों से ऋण की वसूली को निलम्बित कर दिया जाये। यदि इस प्रकार के कदम नहीं उठाये जाते तो वे आगामी वर्षों में कोई भी फसल पैदा करने में सक्षम नहीं होंगे। उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा तथा उनकी विपत्तियां और बढ़ेंगी। हमारी जनता को अल्पकालिक ऋण दिये जाने चाहिए। मैं पुनः वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि हमारी जनता को हर संभव सहायता दी जाये। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री मनमोहन टुडु (मयूरभंज) : सभापति महोदय, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं कुछ ठोस सुझाव देना चाहता हूं।

उड़ीसा में वर्षा की कमी के कारण धान की फसल नष्ट हो गई है। इसलिये लोग काम और भोजन के अभाव में इधर उधर भटक रहे हैं। इस सन्दर्भ में मैं निम्नलिखित सुझाव देता हूं :—

इस राज्य में व्याप्त सूखा की स्थिति का मुकाबला करने के लिये तुरंत कार्य के लिये भोजन कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया जाना चाहिए।

दूसरे, ऋण से छूट दी जानी चाहिए।

तीसरे, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को तथा अन्य गरीब लोगों को लघु ऋण सुविधाएं दी जानी चाहिए जिससे कि वे राजसहायता के साथ छोटे-छोटे धन्धे आरम्भ कर सकें।

चौथे, नारियल और काजू के पेड़ लगाने के कार्यक्रम को अधिक दृढ़ता से क्रियान्वित किया जाना चाहिए जिससे आदिवासी राज्य को प्रोत्साहन मिल सके।

पांचवें, उड़ीसा जैसे आदिवासी राज्य में तटवर्ती क्षेत्र में एक इस्पात संयंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।

अन्त में, मैं एक बात पर और बल देना चाहूंगा कि केन्द्रीय स्तर पर एक पृथक निदेशालय स्थापित किया जाना चाहिए जिससे देश के प्रत्येक राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में क्रियान्वित की जाने वाली योज़नाओं की प्रभावपूर्ण देखभाल की जा सके।

उड़ीसा देश का सबसे अधिक पिछड़ा हुआ राज्य है जिसमें 45 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की हैं तथा 30 प्रतिशत जनसंख्या अन्य पिछड़े हुये लोगों की हैं। लगभग 80 प्रतिशत जनता गरीबी की रेखा से निम्न स्तर पर जीवन बिताते हैं।

सभापति महोदय, अब मैं एक मिनट के लिये उड़िया में बोलूंगा।

सभापति महोदय : यदि कोई सदस्य इस बात की पूर्व सूचना नहीं देता तो उस भाषण का अनुवाद करने के लिये किसी दुभाषिये का केबिन में उपस्थित होना कठिन है जिससे कि अन्य सदस्य यह समझ सकें कि माननीय सदस्य क्या कह रहे हैं। बिना पूर्व सूचना दिये अपनी भाषा में बोलना अच्छा नहीं है।

श्री मनमोहन टुडु : इसके लिये प्रबन्ध किया जा चुका है। मैं एक मिनट के लिये अपनी भाषा में बोलना चाहता हूं।

सभापति महोदय : केवल दो सदस्यों ने नोटिस दिया है।

श्री मनमोहन टुडु : (उड़िया में बोले)

***श्री मनमोहन टुडु** (मयूरभंज) : महोदय, जहां तक मुझे ध्यान है माननीय सदस्य श्री बीजू पटनायक उनमें से हैं जिन्होंने समय समय पर हमारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का शोषण किया है। काफी समय के लिये उड़ीसा के वह एकमात्र प्रशासक थे। एक समय वह कांग्रेस पार्टी के नेता थे। कुप्रशासन के बारे में शिकायतों के कारण उन्हें पार्टी छोड़ने के लिये विवश किया गया। मैं नहीं जानता कि उनका उड़ीसा से इस सदन के लिये चुना जाना हमारे भले के लिये है।

अपने साम्यवादी मित्रों के बारे में भी मैं एक दो शब्द कहना चाहूंगा। मेरी समझ में नहीं आता कि उनका किस प्रकार के साम्यवाद में विश्वास है। उनकी दैनिक गतिविधियां

*मूल उड़िया में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

मुझे यह कहने को विवश करती हैं कि वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का शोषण करते हैं। उनके कोई निश्चित सिद्धांत या नीतियां नहीं हैं। वे राजनीतिक स्वार्थ के लिये अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों के लिये आंसू बहाते हैं। किन्तु, उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल में वे इन वर्गों के लोगों का शोषण करते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे कांग्रेस (ई) को बदनाम करने का आगे कोई प्रयत्न न करें।

यदि वे वास्तव में आदिवासियों और हरिजनों का विकास करना चाहते हैं तो उन्हें हमारे साथ सही रूप में सहयोग करना चाहिए। मैं इस सदन के विभिन्न पार्टियों के सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे हमारी जनता की वास्तविक समस्याओं को महसूस करें तथा हमारी सहायता के लिये व्यापक दृष्टिकोण अपना कर अग्रसर हों। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय: मैं समझता हूं अब आप यह जानना चाहेंगे कि मंत्री महोदय उन मुद्दों पर क्या कहते हैं जो सदस्यों द्वारा उठाए गए हैं। वित्त मंत्री।

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन): महोदय, मैं उड़ीसा से आये माननीय सदस्यों की निराशा की भावना को अच्छी तरह समझता हूं क्योंकि यह भारत में सबसे पिछड़ा राज्य है तथा इसे वह सभी सहायता दिये जाने की आवश्यकता है जो दी जा सकती है। मैं जो कुछ कार्य किये जा चुके हैं उनका संक्षेप में पहले उल्लेख करूंगा तथा उसके बाद माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों का उत्तर दूंगा।

जहां तक सूखा की स्थिति का संबंध है अधिकतम व्यय के रूप में 14.05 करोड़ रुपयों की राशि मंजूर की गई है तथा 10 करोड़ रुपयों की राशि दी जा चुकी है। सामान्य कार्य के लिये योजना कार्यक्रम के लिये हमने 1,44,000 टन खाद्यान्न रिलीज कर दिया है तथा सूखा के लिये विशेष राहत कार्य के लिये हमने 81,000 टन खाद्यान्न रिलीज कर दिया है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उड़ीसा की जो भी जरूरत होगी भारत सरकार उसकी खाद्य संबंधी आवश्यकता को पूरी करेगी।

श्री के० पी० सिंह देव (ढेंकानाल): उड़ीसा के लिये भेजे गये माल डिब्बे मुगलसराय से अन्य राज्यों के लिये नहीं भेजे जाने चाहिएं जैसा कि होता रहा है।

श्री आर० वेंकटरामन: मुझे कुछ शिकायतें मिल चुकी हैं ... (व्यवधान)

श्री बृजमोहन मोहन्ती: मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या सूखा के लिये वित्तीय सहायता के रूप में नियत की गई धनराशि को योजना नियतन में से काट लिया जायेगा अथवा इसे अलग अनुदान या उसी जैसी कोई सहायता माना जायेगा?

श्री आर० वेंकटरामन: स्थिति यह है कि इस समय इसे योजना नियतन के साथ संयंत्रित कर दिया गया है, किन्तु मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि यह अस्थाई निर्णय है। हम आगे चलकर इस स्थिति की जांच करेंगे।

प्रो० मधु दंडवते: अस्थाई रूप में इसे योजना से पृथक रखिए।

श्री आर० वेंकटरामन: आखिरकार यह राशि है तथा यह सम्पूर्ण वित्तीय सहायता में से आती है। अतः हमने यही कहा है कि यह अग्रिम योजना सहायता है। किन्तु हम इस स्थिति की जांच करेंगे।

जहां तक योजना का संबंध है मैंने आज प्रातःकाल उड़ीसा के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया है तथा मैं सदस्यों की इस भावना से सहमत हूं कि यह पर्याप्त नहीं है। 221 करोड़ रुपयों की अनुमति दी गई है तथा इन 221 करोड़ रुपयों में से केन्द्रीय सहायता 145 करोड़ रुपये है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर): उन्होंने जो शाबासी दी है, उसे वे वापस लेंगे।

श्री आर० वेंकटरामन: इस बारे में यदि सभा या सदस्यों में कोई गलतफहमी है तो मैं उसे दूर करना चाहूंगा कि उड़ीसा के प्रति केन्द्र ने न्याय नहीं किया है। मैं यह मानता हूं कि उड़ीसा की समस्यायें गंभीर हैं तथापि, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि केन्द्र उड़ीसा की कठिनाई को दूर करने के लिये यथासंभव प्रयास कर रहा है। यदि आप उड़ीसा को वर्ष 1974–75 के लिये दी गई केन्द्रीय सहायता को दृष्टिपात करें तो आप उसे 32.7 करोड़ रुपये पायेंगे। वर्ष 1975–76 में यह राशि 32.7 करोड़ रुपये थी। वर्ष 1976–77 में यह 35.97 करोड़, 1977–78 में 38.25 करोड़, 1978–79 में 67 करोड़ रुपये, 1979–80 में 119 करोड़ रुपये और बाद में उसे बढ़ाकर 135 करोड़ रुपये कर दिया गया था . . .

श्री के० पी० सिंह देव (ढेंकानाल): परन्तु यह प्रतिशतता क्या है?

श्री आर० वेंकटरामन: प्रश्न तो कुल राशि के बारे में है जो केन्द्र देता है। वर्ष 1980-81 में हमने इसे बढ़ाकर 145 करोड़ रुपये किया है। इससे स्पष्ट है कि केन्द्र ने केन्द्र की स्थिति पर ध्यान दिया है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि सहायतानुदान में वृद्धि की जानी चाहिए। जहां तक सहायतानुदान का संबंध है, पहाड़ी राज्यों को छोड़कर उड़ीसा ही अकेला ऐसा राज्य है जिसे भारत सरकार की ओर से राजस्व में अन्तर की राशि सहायतानुदान के रूप में दी जाती है और वर्ष 1979–84 के दौरान यह अन्तर 137 करोड़ रुपये का होगा। यह आवंटन वह है जो सातवें वित्त आयोग ने किया है। मुझे यह मालूम है कि इन सब बातों के बावजूद, गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले लोग उड़ीसा राज्य में सर्वाधिक हैं और वहां प्रति व्यक्ति आय कम है। अतः इस राज्य के संबंध में हमें अन्य प्रकार से भी कुछ करने का प्रयास करना चाहिए।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि योजना आवंटन सूत्र में संशोधन किया जाना चाहिए। यह एक ऐसा मामला है जिसमें केन्द्रीय सरकार स्वयं कुछ भी नहीं कर सकती। केन्द्रीय सहायता के वितरण का सूत्र राष्ट्रीय विकास परिषद् तैयार करती है जिसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं और गाडगिल सूत्र करते समय राष्ट्रीय विकास परिषद् ने जनसंख्या, क्रियान्वयनाधीन योजनाओं और राज्यों के कर संबंधी प्रयासों आदि पर विचार किया था।

प्रो० एन० जी० रंग (गुंटूर): राज्य के पिछड़ेपन पर भी।

श्री आर० वेंकटरामन : पिछड़ेपन पर भी विचार किया जाता है और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अपेक्षित विशेष सहायता को भी ध्यान में रखा जाता है । यह उड़ीसा राज्य सरकार के लिए है कि वह इस मामले और विभिन्न राज्यों को हिस्सों के उचित नियतन के प्रश्न को राष्ट्रीय विकास परिषद में उठाये । मेरे सम्मानीय मित्र श्री बीजूपटनायक ने काफी कुछ कहा है । परन्तु किसके खिलाफ, यह मैं नहीं समझ पाया।

प्रो० एन० जी० रंगा : उन्होंने अपने ही विरुद्ध कहा है।

प्रो० मधु दंडवते : योजना आयोग के भतपूर्व सदस्य।

श्री आर० वेंकटरामन : कांग्रेस के 30 वर्ष के प्रशासन की आलोचना करते समय वह यह भूल गये कि उस 30 वर्ष की अवधि में से 20–25 वर्ष तक वह इस प्रशासन में शामिल थे। इसलिए विपक्ष के कछ लोगों द्वारा की गई आलोचना खोखली प्रतीत होती है। यदि प्रो० मधु दंडवते या श्री जार्ज फर्नान्डीस यह कहते तो बात कुछ समझ में आती।

प्रो० मधु दंडवते : यह मेरा सौभाग्य है।

श्री आर० वेंकटरामन : .....परन्तु श्री बीजू पटनायक द्वारा कही गई बातें मेरी समझ में नहीं आईं। वास्तव में, राष्ट्रीय विकास परिषद में हम साथ-साथ बैठे हैं, तब मैंने उड़ीसा राज्य के मुख्य मंत्री के नाते उनके जोशपूर्ण भाषण सुने हैं परन्तु अब वह यहां उपस्थित नहीं हैं । मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि योजना की रूपरेखा , केन्द्रीय सहायता के वितरण और क्षेत्रीय आवंटन सभी को उनकी या उनके तत्कालीन सहयोगियों, जो उस समय उड़ीसा राज्य के मंत्री आदि थे और जो इस समय सभा में उपस्थित हैं, की स्वीकृति प्राप्त है। इस बात को मैं और अधिक समय नहीं देना चाहता। एक दो बातें और हैं जिनका उन्होंने उल्लेख किया था । उन्होंने पारादीप इस्पात संयंत्र के बारे में जिक्र किया था। मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि उस पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। इस संयंत्र के लिए विदेशी सहायता के लिए बातचीत की जा रही है और इसके 13 लाख टन होने की आशा है। यह कोयले पर आधारित संयंत्र है और इसके लिए 'मैटलरजीकल को' का आयात करना होगा जो इसके लिए अत्यावश्यक है। उन्होंने ऐल्यूमिनियम परियोजना का भी उल्लेख किया था। उस पर भी सक्रिय रूप से विचार हो रहा है ।

मेरे मित्र श्री महन्ती ने प्रति व्यक्ति कम आय और गरीबी के स्तर से नीचे रह रहे लोगों का उल्लेख किया है। जहां तक उड़ीसा में केन्द्रीय निवेश का सम्बन्ध है, यह नगण्य नहीं है। वस्तुतः उड़ीसा में केन्द्रीय परियोजनाओं में 710 करोड़ रुपये से भी अधिक की पूंजी लगी। फिर भी, निवेश बढ़ाने के प्रश्न पर और आगे विचार तभी किया जा सकता है जबकि उचित और लाभप्रद योजनाएं सामने आयेंगी। हम किसी भी राज्य में बिना लाभप्रद योजना से अधिक पूंजी निवेश नहीं करते जायेंगे । श्री चिन्तामणि पाणिग्रही ने पोनप्रांगण, एल्यूमिनियम उद्योग-समूह और इस्पात परियोजना का उल्लेख किया। मैने इन बातों को नोट कर लिया है और उन्हें सम्बद्ध मंत्रालयों को भेज दिया जायेगा।

श्री दास ने आरोप लगाया था कि "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम के अन्तर्गत दुरुपयोग हुआ है। ऐसी शिकायतें हम अन्य राज्यों से भी मिली हैं। बिहार राज्य का जिक्र करते समय मैंने कहा था। अब इसे समाप्त करने के उद्देश्य से सरकार ने ठेका-व्यवस्था समाप्त कर दी है और हमने इस बारे में यह हिदायत भी दी है कि 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी कार्यक्रम 'उपस्थिति-रजिस्टर' के आधार पर होने चाहिए और श्रमिकों को सीधे काम पर लगाया जाये। कुछ और भी सुझाव दिये गये हैं। मैं सभा का अधिक समय न लेता हुआ सिर्फ यह और कहना चाहूंगा कि केन्द्र उड़ीसा राज्य के मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। केन्द्र यह मानता है कि इसकी हालत खराब है और इसका पिछड़ापन भी स्पष्ट है। अतः हम इन बातों पर ध्यान देंगे और उन पर सहानभूतिपूर्वक विचार करेंगे। धन्यवाद।

श्री के० पी० सिंह देव : एक गलत धारणा यह बन गई है कि 5 प्रतिशत अधिक धन दिया जा रहा है। परन्तु इस समय हो चकी 10 प्रतिशत मुद्रास्फीति के कारण इस वद्धि का कोई लाभ नहीं होगा। हमने विशेष रूप से अंगुल कोपरेटिव बैंक के धन के दुरुपयोग और दुर्विनियोग के बारे में राज्यपाल को एक ज्ञापन दिया है। मैं यह आश्वासन चाहता हूं कि इस मामले की जांच की जाये और तत्सम्बन्धी कागजात तत्काल जब्त किये जाएं, क्योंकि उनमें हेर-फेर किया जा रहा है और इस प्रकार पूरा मामला ही दब जायेगा।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मैं इस सूचना को नोट करता हूं और उसे सम्बद्ध अधिकारियों को भेज दिया जायेगा।

सभापति महोदय : मैं सिर्फ श्री चिन्तामणि जेना को अनुमति दे रहा हूं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : ऋणों में छूट दिये जाने के बारे में क्या स्थिति है?

सभापति महोदय : अभी नहीं।

एक मानीय सदस्य : दोनों ही चिन्तामणि हैं।

श्री चिन्तामणि जेना, (बालासर) : स्वर्णरेखा नदी और बुधबलोंग नदी सम्बन्धी नियंत्रण और जल निकासी योजना के केन्द्रीय सहायता से क्रियान्वयन के बारे में बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बीच करार हुआ था। यह शीघ्र लागू की जानी चाहिए।

सभापति महोदय : यह तो आप नियमित प्रश्न करके भी पूछ सकते ह।

श्री चिन्तामणि जेना : यह परियोजना कब क्रियान्वित की जायेगी और कब तक पूरा हो जायेगी? **(अन्तर्बाधाएं)**

सभापित महोदय : कृपया शान्त रहिए। उनके लिए यह सम्भव नहीं है कि वह इन सब बातों के बारे में जानकारी बिना पूर्व-सूचना के दे सकें। अतः इसलिए मैं कहता हूं कि यह अच्छा होगा कि आप इस बारे में नियमित रूप से प्रश्न पूछें, क्योंकि इस सम्बन्ध में जानकारी एकत्र करनी पड़ेगी।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : ऋणों में छूट देने के बारे में क्या रहा।

श्री चिन्तामणि जेना : मैं आपका ध्यान 11 मार्च के 'टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित निम्नलिखित खबर की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। 'टू स्टील प्लान्टस आफ़र टू इंडिया' (भारत को दो इस्पात संयंत्रों की पेशकश) क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इन इस्पात संयंत्रों में एक का नियतन संघ सरकार उड़ीसा राज्य को करेगी ? उड़ीसा राज्य हरिजनों और आदिवासियों की जनसंख्या 40 प्रतिशत है। आदिवासियों के विकास के लिए उड़ीसा को मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश आदि की भांति विशेष अनुदान दिया जाना चाहिए मेरा अनुरोध है कि इस प्रयोजन के लिए उड़ीसा को अलग से अनुदान दिया जाये।

श्री आर० वेंकटरामन : मैंने ठीक यही कहा है कि यह मामला ऐसा नहीं है कि जिस पर केन्द्र सरकार निर्णय कर सके। यह मामला राष्ट्रीय विकास परिषद में लिया जाना चाहिए। यह मैं पहले ही कह चुका हूं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : छूट के बारे में स्थिति क्या है? (अन्तर्बाधाएं)

सभापित महोदय : कृपया शान्त रहिए। कुछ सदस्य क्षेत्रीय भाषाओं में बोले हैं। इस कार्यवाही-वृत्तांत का अध्ययन किया जायगा। यदि कोई बात उसमें ऐसी होगी जो उचित नहीं है तो उसे कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

अब मैं 1980-81 के लिए उड़ीसा की लेखानुदानों की मागों पर प्रस्तुत किये गये कटौती प्रस्तावों को एक साथ सभा में मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं बशर्ते कोई माननीय सदस्य यह न चाहे कि उनका कटौती प्रस्ताव पृथक रूप से रखा जाये।

ठीक है अब मैं सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ सभा में मतदान के लिले रखता हूं।

सभापति महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

सभापति महोदय : अब मैं लेखानुदानों की मांगों (उड़ीसा) 1980-81 को मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

> "कि मांग संख्या 1 से 3, 3क, 4 से 18, 18 क, 19 से 25 के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 2 में दर्शाए गये मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिये कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक लेखानुदान राशि, उड़ीसा राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाय।"

वर्ष 1980-81 के लिए सभा के सम्मुख प्रस्तुत लेखानुदान की मांगें (उड़ीसा राज्य)

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1.	गृह विभाग	13,16,00,000	20,83,000
2.	राजनीतिक और सेवा विभाग	66,06,000	1,03,000
3.	राजस्व विभाग	9,57,51,000	16,33,000
3क.	उत्पाद शुल्क	37,63,000	33,000
4.	विधि विभाग	65,25,000	1,10,000
5.	वित्त विभाग	4,14,99,000	1,16,92,000
6.	वाणिज्य विभाग	1,31,04,000	36,90,000
7.	निर्माण विभाग	12,26,98,000	6,22,39,000
8.	उड़ीसा विधान मण्डल सचिवालय	19,81,000	5,000
9.	खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग	67,56,000	7,18,02,000
10.	शिक्षा और युवक सेवा विभाग	33,35,20,000	26,67,000
11.	जन-जाति और ग्रामीण-कल्याण विभाग	5,13,03,000	31,01,000
12.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	13,72,92,000	1,77,000
13.	नगर विकास विभाग	5,72,28,000	1,12,90,000
14.	श्रम, रोजगार और आवास विभाग	78,35,000	26,38,000
15.	पर्यटन और सांस्कृतिक विभाग	44,97,000	1,03,000
16.	आयोजना और समन्वय विभाग	72,06,000	16,25,000
17.	ग्रामीण विकास विभाग	4,46,83,000	3,66,66,000
18.	सामुदायिक विकास और समाज कल्याण विभाग	12,75,64,000	3,60,000
18 क	सामुदायिक विकास और समाज कल्याण ग्राम पंचायत विभाग	56,57,000	1,10,000
19.	उद्योग विभाग	3,18,67,000	1,40,48,000
20.	सिंचाई और विद्युत विभाग	8,29,99,000	37,28,26,000
21.	परिवहन विभाग	33,29,000	32,000
22.	वन, मीन उद्योग और पशु पालन विभाग	8,19,83,000	6,23,52,000
23.	कृषि और सहकारिता विभाग	13,97,78,000	4,26,34,000
24.	खनन और भू-विज्ञान विभाग	57,34,000	45,000
25.	सूचना और जन-संपर्क विभाग	29,63,000	38,000
	जोड़	155,57,21,000	70,41,02,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : अब मैं वर्ष 1979-80 के लिये उड़ीसा की अनुपूरक अनुदानों की मांगों को सभा में मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रश्न यह है:

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा राशियों से अनधिक अनुपूरक राशियां उड़ीसा राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली वर्ष 1979-80 के अनुदानों की पूरक माँगें

(उड़ीसा की सूची)

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1.	गृह विभाग	34,11,000	34,37,000
2.	राजनीतिक और सेवा विभाग	5,15,000	—
3.	राजस्व विभाग	6,10,83,000	2,00,000
3क.	उत्पाद शुल्क विभाग	9,75,000	—
4.	विधि विभाग	6,13,000	—
5.	वित्त विभाग	2,000	37,76,000
6.	वाणिज्य विभाग	20,46,000	19,50,000
7.	निर्माण विभाग	35,07,000	2,50,66,000
10.	शिक्षा और युवक सेवा विभाग	10,23,000	—
11.	जन-जाति और ग्रामीण कल्याण विभाग	1,52,42,000	1,26,76,000
12.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	3,90,07,000	—
13.	नगर विकास विभाग	3,29,71,000	1,15,87,000
14.	श्रम, रोजगार और आवास विभाग	1,34,000	1,000
15.	पर्यटन और सांस्कृतिक कार्य विभाग	70,000	20,75,000
16.	आयोजना और समन्वय विभाग	1,000	—
17.	ग्रामीण-विकास विभाग	64,77,000	1,30,00,000
18.	सामुदायिक विकास और समाज कल्याण विभाग	5,18,09,000	—
18-क.	सामुदायिक विकास और समाज कल्याण (ग्राम पंचायत) विभाग	3,22,000	—
19.	उद्योग विभाग	95,59,00	1,62,36,000
20.	सिंचाई और विद्युत विभाग	8,77,61,000	9,31,75,000
21.	परिवहन विभाग	5,05,000	75,00,000
22.	वन, मीन उद्योग और पशु पालन विभाग	2,43,73,000	10,74,000
23.	कृषि और सहकारिता विभाग	9,06,81,000	2,47,34,000
24.	खनन और भू-विज्ञान विभाग	1,000	—
25.	सूचना और जन-सम्पर्क विभाग	19,13,000	15,000
	जोड़	43,40,01,000	—21,65,02,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उड़ीसा विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1980

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि वित्तीय वर्ष 1980-81 के एक भाग की सेवाओं के लिये उड़ीसा राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनमति दी जाये।"

सभापित महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1980-81 के एक भाग की सेवाओं के लिये उड़ीसा राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपवन्ध करने वाले विधयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1980-81 के एक भाग की सेवाओं के लिये उड़ीसा राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों, के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार करने की अनुमति दी जाये।"

सभापित महोदय : प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 1980-81 के एक भाग की सेवाओं के लिये उड़ीसा राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जानें का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2, तथा 3 और अनुसूची विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 1, अधिनियमम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

सभापित महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उड़ीसा विनियोग विधेयक, 1980

श्री आर वेंकटरामन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1979-80 की सेवाओं के लिए उड़ीसा राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनमति दी जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1979-80 की सेवाओं के लिये उड़ीसा राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं :

मैं यह प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1979-80 की सेवाओं के लिए उड़ीसा राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1979-80 की सेवाओं के लिये उड़ीसा राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापित महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 और अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : आज हमें पंजाब बजट पर भी विचार कर लेना चाहिये था । किन्तु हम ऐसा नहीं कर सके । कल हम अधिक समय तक बैठेंगे तथा बजटों पर विचार करेंगे उन्हें पारित करेंगे ।

7 बजकर 5 मिनट म० प०

(तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 18 मार्च, 1980/28 फाल्गुन, 1901 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई)

MGIPF—20LSS/80—210—23-5-80